आज़ादी का
अमृत महोत्सव

आर्थिक समीक्षा

2021-22

आर्थिक समीक्षा
2021-22

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
ई–मेल: cordecdn-dea@nic.in
जनवरी, 2022

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं.	अध्याय का नाम
1		**अर्थव्यवस्था की स्थिति**
	3	परिचय
	4.	क्षेत्र-वार चलन
	9.	मांग का रुझान
	14.	बारवेल रणनीति, सुरक्षा नेट और एजाइल रिसपोन्स
	24.	टीकाकरण
	26.	वृहत आर्थिक स्थिरता
	33.	आपूर्ति पक्ष में सुधार
	38.	विकास दृष्टिकोण
2		**राजकोषीय विकास**
	44	परिचय
	45	महामारी के बाद की वित्तीय नीति की रणनीति
	48	वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय संकेतकों (इंडीकेटर्स) का प्रदर्शन
	54	सरकारी वित्त में दीर्घकालिक रूझान: केन्द्र, राज्य और सामान्य सरकार
	72	सरकारी खर्च की क्षमता को बढ़ाने के लिए नीति में सुधार
3		**वैदेशिक क्षेत्र**
	86	वैश्विक आर्थिक वातावरण
	88	भारत के पण्य व्यापार में विकास
	98	सेवाओं में व्यापार
	100	निजी स्थानांतरण
	100	व्यापार की अमूर्त/अदृश्य मदें
	101	चालू खाता शेष
	102	पूंजी खाता शेष
	104	भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भण्डार
	105	विनिमय दर में संचलन
	107	शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति
	107	विदेशी कर्ज
4		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता**
	118	मौद्रिक विकास
	122	चल निधि की स्थितियां और उसका प्रबंधन
	124	सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास
	125	बैंकिंग क्षेत्र
	129	मौद्रिक संचरण-बैंक ऋण और जमा दरें
	132	बैंक ऋण वृद्धि
	135	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) क्षेत्र
	138	पूंजी बाजार में विकास

144 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा निवेश
144 भारतीय बेंचमार्क सूचकांक
146 बीमा क्षेत्र
150 पेंशन क्षेत्र
152 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

5 **कीमतें और मुद्रास्फीति**
163 वैश्विक मुद्रास्फीति
164 घरेलू मुद्रास्फीति
165 मुद्रास्फीति और इसके चालकों में वर्तमान प्रवृत्तियॉं
191 आवास दरें
196 दवा मूल्य निर्धारण
197 आपूर्ति पथ के कारकों के (सप्लाई साइड फैक्टर्स) प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य

6 **संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन**
200 संधारणीय विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति
206 पर्यावरण की स्थिति
223 जलवायु परिवर्तन
231 संधारणीय विकास के लिए वित्त
233 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयास
235 निष्कर्ष

7 **कृषि एवं खाद्य प्रबंधन**
238 परिचय
239 कृषि में वर्धित सकल मूल्य (जीवीए)
251 स्थिति आकलन सर्वेक्षण
253 सम्बद्ध क्षेत्र: पशु पालन, डेयरी
255 मत्स्य पालन
256 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण
259 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई
260 खाद्य प्रबंधन
264 उर्वरक
266 निष्कर्ष

8 **उद्योग एवं संरचना**
268 परिचय
270 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)
273 आठ प्रमुख सूचकांक (आई सी आई)
276 सकल अचल पूंजी निमार्ण
277 उद्योग में ऋण
278 उद्योग में एफडीआई
281 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रदर्शन
281 कार्पोरेट प्रदर्शन

282 क्षेत्रवार प्रदर्शन और उद्योग में मुद्दे
291 अवसंरचना
314 निष्कर्ष

9 **सेवाएं**
317 परिचय
317 कोविड-19 का प्रभाव और क्रमवत सुधार
319 उच्च आवृत्ति सूचकांक में प्रवृतियां
323 राज्य और केंद्र शासित स्तर पर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी
324 सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह
326 सेवा क्षेत्र में व्यापार
329 प्रमुख सेवाएं: उपक्षेत्रवार प्रदर्शन एवं नवीनतम नीतियां
342 स्टार्टअप

10 **सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास**
350 परिचय
350 कोविड-19 के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रतिक्रिया
357 सामाजिक क्षेत्र के व्यय में प्रवृत्ति
358 शिक्षा
367 कौशल विकास
370 रोज़गार की प्रवृत्ति
381 स्वास्थ्य
388 पेयजल और स्वच्छता
392 ग्रामीण विकास

11 **उपग्रह चित्र तथा मानचित्रण द्वारा विकास की निगरानी (ट्रैकिंग)**

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा 2021-22 सामूहिक कार्य और पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। यह आर्थिक समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा समय-समय की गई टिप्पणियों और उनकी अंतर्दृष्टि से अत्यंत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, डॉ. भागवत किशनराव कराड और वित्त सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन, सचिव डीईए श्री अजय सेठ और राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके सहयोग के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती है।

इस समीक्षा में आर्थिक प्रभाग और प्रधान आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जिन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है, उनमें: श्री राजीव मिश्रा, चांदनी रैना, मनीषा सेन सरमा, साजू के सुरेंद्रन, अभिषेक आचार्य, जितेंद्र सिंह, टी. गोपीनाथ, सुनील कुमार गुप्ता, प्रेरणा जोशी, दीपिका श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, एम. राहुल, हरीश कुमार कल्लेगा, तुलसीप्रिया राजकुमारी, गुरविंदर कौर, नेहा सिंह, अमित श्योरण, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्रा, दीक्षा सुप्याल बिष्ट, अंशुमन कामिला, रितिका बंसल, विजय कुमार मान, मो. आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पाईन, नरेंद्र जेना, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, मनीष सिंह पंवार, विशाल गोरी, महिमा, नवीन बाली, लविशा अरोड़ा, सोनाली चौधरी, श्री भारद्वाज आदिराजू, दीपिमासेनगुप्ता तथा यश रावत शामिल हैं।

इस आर्थिक समीक्षा में जिन अधिकारियों की टिप्पणियों और इनपुट से विशेष लाभ मिला है उनमें श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, अमृत लाल मीणा, अमित यादव, अनंत स्वरूप, अमिताभ प्रधान, डॉ एमअंगमुथु, गौरव मसलदान, डॉ सी वनलालरामसंगा, इश्तियाक अहमद, रेणु लता, ऋषिका चोरारिया, डॉ. मृदुल सागर, राजीव जैन, सौमाश्री तिवारी, दीपिका रावत, सुखबीर सिंह, यशवंत सिंह, जे.पी. सिंह, जितेंद्र सोकल, रंजीव, समीर कुमार, धृजेश कुमार तिवारी, सुश्री सुमन पटेल, डॉ वीना धवन, डॉ सुहास धनडोर, वी. धन्या, सक्षम सूद, भानु प्रताप सिंह, संजय कुमार सिंह, दलीप कुमार, दिनेश कपिला, अमित श्रीअंश, जसविंदर सिंह, नरेश पाल गंगवार, नीलेश कुमार साह, अरुण कुमार, राजश्री रे, सोनामणिहाओबाम, डॉ उन्मना सारंगी, डॉ सुब्रत बोस, प्रीति सिंह, संयुक्ता समद्दर, शिशिर सेठ, कमल किशोर, मोना छाबड़ा आनंद, अशोक कुमार, अभय बकरे, राजीव रंजन मिश्रा, बिनोद कुमार, शर्मी पालित, आर के सिन्हा, डॉ नंदकुमारन पी, कमल पांडे, बृजराज, अमित कुमार, इशिता शर्मा, पवन चौधरी, विशाल प्रताप सिंह, कुसुम मिश्रा, आदित्य कुमार घोष, रूपा दत्ता, सुधांशु शेखर दास, अपर्णा एस शर्मा, अवधेश कुमार चौधरी, अनिमेष भारती, अजित कुमार एन, संजय रॉय, सुजॉय मित्रा, जे राजेश कुमार, पद्मकुमार शंकरन नायर, जितेशजॉन, गोरीतला वीर महेंद्र, आलोक चंद्र, प्रीति नाथ, अरविंद चौधरी, गौरव कुमार, शकील आलम, राजीब कुमार सेन, नंदिता मिश्रा, अश्विनी कुमार, अंशुमान मोहंती, उषा सुरेश, पीयूष श्रीवास्तव, सिम्मी चौधरी, अरुण कुमार, कुंतल सेन सरमा, एच के हाजोंग, मेधा शेखर, सुशांत कुमार दास, कुलदीप नारायण, पीयूष कुमार, बलदेव पुरुषार्थ, अजीत रत्नाकर जोशी, एनके संतोषी, दीपक सिंह, कल्पना ध वन, सुभाष चंद, अभिषेक मल्होत्रा, सुरभि सेठ, नवीन सिरोही, अर्पित भार्गव, आरजू अरोड़ा, रोहन वर्मा, डॉ राम सिंह, डॉ पी वी राजू, डॉ राजकुमार शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने भी अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया। हमें कई उद्योग निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे मैप माई इंडिया, नैसकॉम, इसरो, एफएसआई, एनएसओ, आरबीआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, आईबीबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनपीपीए, आईएसए, एनएमडीए, सीडीआरआई, बीईई, एनएमसीजी से भी मदद मिली। प्रशासनिक सहयोग सुश्री मीरा स्वरूप, अनु पी. मथाई, रविंदर कुमार, जसबीर सिंह, अमित श्रीवास्तव, सुरेश अरोड़ा, सुशील शर्मा और आर्थिक प्रभाग के अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया। इस आर्थिक समीक्षा का हिंदी अनुवाद कार्य श्रीमती निहारिका सिंह, पूरन सिंह तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के डॉ गौतम शर्मा, श्री अजय कुमार चौधरी, ध्रुव नारायण आजाद, मनीष भटनागर व बिनोद कुमार साह ने किया। समीक्षा के हिंदी संस्करण का टंकण कार्य भारत सरकार मुद्रणालय (मुद्रण निदेशालय) के श्री शशिपाल सिंह रावत, श्रीमती मीना पंत, श्रीमती रूपा गुप्ता, श्री यतेन्द्र कुमार द्वारा किया गया। सर्वे का कवर पेज इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किया गया। आर्थिक समीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की पेज सेटिंग सिग्नेचर प्रिंटरर्स (प्रा.) लिमिटेड के इज्जुर रहमान, दीपक अग्रवार, समीर अहमद और गौतम हलदर ने की।

अंत में, इस आर्थिक समीक्षा से जुड़े समस्त कार्मिकों के परिजन भी हृदय की गहराइयों से आभार के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय दिया। यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस साल विशेष रूप से सच था क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ओमीक्रोन लहर के साए तले तैयार किया गया था।

संजीव सान्याल
(प्रधान आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी के प्रभाव के लगातार दूसरे वर्ष में यह आर्थिक समीक्षा लिखी गई थी। यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन समय रहा है। यह न केवल महामारी की बार-बार आती लहरों के कारण अचानक उत्पन्न हुए विघटनों और अनिश्चितता के बारे में है, बल्कि कोविड के पश्चात प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता व्यवहार, आपूर्ति-श्रृंखला, भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन में और अनेक अन्य कारकों के तेजी से बदलावों के कारण दीर्घकालिक अनिश्चितता के बारे में भी है। इन अलग-अलग कारकों का न केवल पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, बल्कि मूल रूप से उनके परस्पर प्रभाव भी अप्रत्याशित हैं। अत:, आर्थिक समीक्षा का मूल विषय, अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में, नीति-निर्माण की कला और विज्ञान है।

भारत और अधिकांश विश्व में नीति-निर्माण की प्रचलित पद्धति पारंपरिक रूप से ''वॉटरफाल" अप्रोच- निष्कपट समीक्षा, विस्तृत योजना और अंतत: सूक्ष्म कार्यान्वयन पर भरोसा करती है। यह वह ढांचा है जो पंचवर्षीय योजनाओं और अपरिवर्तनीय शहरी मास्टर प्लान को एक आधार देता है। समस्या यह है कि वास्तविक दुनिया जटिल और अप्रत्याशित है जो सभी प्रकार के एकाएक आघातों और अंजान परिणामों से घिरी हुई है। इस अनिश्चितता के लिए वॉटरफाल अप्रोच अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत योजनाओं/विनियमों को सृजित करता है और पूर्वानुमान मॉडलों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करता है। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेक ने अपने नोबेल पुरस्कार ग्रहण भाषण में, इसे ज्ञान का ढोंग" नाम दिया।

यह आर्थिक समीक्षा वैकल्पिक ''चुस्त-दुरुस्त" दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसने कोविड-19 महामारी के आघातों में भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया को बताया है। यह रूपरेखा फीडबैक लूप, वास्तविक परिणामों की अल्प समय में निगरानी, लचीली प्रतिक्रियाओं और सुरक्षा कवच-बफर पर आधारित है। इस रूपरेखा में नियोजन मामले लेकिन ज्यादातर परिदृश्य-विश्लेषण, कमजोर वर्गों की पहचान करने, और घटनाक्रमों के निर्धारित पूर्वानुमानों की अपेक्षा नीति विकल्पों की समझ और नीतिगत मुद्दे हैं। पिछली आर्थिक समीक्षा में इस दृष्टिकोण पर संक्षेप में चर्चा की गई थी, लेकिन इस बार यह एक केंद्रीय विषय-वस्तु है।

फीडबैक लूप आधारित नीति निर्माण के कुछ रूप यकीनन हमेशा संभव थे, लेकिन रियल टाइम डेटा के विस्फोट के कारण चुस्त-दुरुस्त रूपरेखा आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिससे निरंतर निगरानी होती रहती है। इन सूचनाओं में जीएसटी संग्रह, डिजिटल भुगतान, सेटलाइट फोटोग्राफ, बिजली उत्पादन, कार्गो आवाजाही, आंतरिक/बाहरी व्यापार, बुनियादी ढांचा का विकास, विभिन्न योजनाओं को पूरा करना, गतिशीलता संकेतक जैसे कुछ के नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों से उपलब्ध होते हैं, लेकिन डेटा के अनेक नए रूप अब निजी क्षेत्र द्वारा सृजित किए जा रहे हैं। अत:, पूर्व-निर्धारित मॉडल की अपेक्षा अल्पकालिक नीति प्रतिक्रियाओं को एक विकसित स्थिति के अनुरूप बनाया जा सकता है।

इस प्रकार की अनिश्चितता के लिए एक दीर्घावधिक आपूर्ति पक्ष रणनीति बनानी होगी: नीतियों का इस प्रकार से मिश्रण करना होगा जिससे एक तरफ नवाचार, उद्यमिता जोखिम और साथ ही साथ दूसरी ओर लचीली अवसंरचना सामाजिक सुरक्षा-कवच और वृहत आर्थिक बफर में निवेश हो सके। इस प्रकार, यह आशा है कि पाठक भिन्न-भिन्न दिखने वाली नीतियां जैसे अविनियमन, प्रक्रिया सरलीकरण, निजीकरण, विदेशी मुद्रा भंडार एकत्रण, मुद्रास्फीति लक्ष्य, सभी के लिए आवास, ग्रीन प्रौद्योगिकी, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, गरीब के लिए स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय समावेशन, अवसंरचना व्यय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर), इत्यादि सभी एक अनिश्चित भविष्य से सुरक्षा लेने अथवा इससे लाभ लेने के बारे में है।

जैसा कि पाठकों ने देखा होगा, यह आर्थिक समीक्षा हाल के वर्षों में दो खण्ड से सिमटकर एक खंड में हो गई और आंकड़ा दर्शाने वाली तालिकाओं को एक अलग खण्ड में रखा गया है। इस संदर्भ में, इस दस्तावेज के संक्षिप्त इतिहास को जानना उपयोगी रहेगा। यह समीक्षा सर्वप्रथम 1950-51 में प्रकाशित हुई थी और शुरुआती दौर में यह बजट दस्तावेजों का भाग थी। 1950 में यह दस्तावेज 50 पृष्ठ से भी कम था और उसमें पिछले वर्ष की आर्थिक गतिविधियों का संक्षिप्त सार समाविष्ट था। उदाहरण के लिए, 1957-58 की समीक्षा में मात्र 38 पृष्ठ थे। वह प्राथमिक रूप से वर्णानात्मक था और इसमें विश्लेषण एवं नीतिगत निर्णयों की बहुत कम सामग्री थी।

वर्ष 1958-59 से, इस समीक्षा का आकार अपेक्षाकृत अधिक चार्टों और तालिकाओं के जुड़ने से बढ़ना आरंभ हुआ था। लगभग इसी समय, इसका हिंदी रूपांतरण भी शुरू किया जाने लगा। इस दस्तावेज की महत्वाकांक्षा 60 के दशक में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। 1962-63 की आर्थिक समीक्षा को दो भागों में बांटा गया था जिसमें पहला भाग विस्तृत आर्थिक विकास पर केंद्रित था जबकि दूसरे भाग में विभिन्न क्षेत्रों का आधारभूत विश्लेषण किया गया। अगले वर्ष, इस समीक्षा को बजट से अलग कर दिया गया और इसे बजट के एक दिन पूर्व एक अलग दस्तावेज के रूप में पेश किया जाने लगा। यह पहली ऐसी समीक्षा थी जिसमें एक सांख्यिकी परिशिष्ट जोड़ा गया था। 60 के दशक में इसके प्रारूप को लेकर भी कई प्रयोग किए गए। कुछ वर्षों में, आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली के उपाय, महंगाई पर नियंत्रण, खाद्यान्न की कमी जैसे मूल विषयों के साथ खण्ड जोड़े गए थे। दूसरे वर्षों में, इसमें उद्योग, कृषि और मूल्य जैसे क्षेत्रीय खंड जोड़े गए थे।

वर्ष 1970 के आते-आते, इस आर्थिक समीक्षा का आकार तालिकाओं की विस्तृत सूची के साथ 150 पृष्ठों को पार कर गया। 70 और 80 के दशक में इस प्रारूप के आगे के खण्डों को अध्यायों में बदलकर और निखारा गया। यही वह चरण था जिसमें यह प्रारूप विकसित हुआ जिसे व्यापक तौर पर आज पहचान मिली है। 1980 के दशक में नए अध्यायों की शुरूआत से इस दस्तावेज के आकार में निरंतर बढ़त होती रही। 1990 तक आते-आते, इस आर्थिक समीक्षा का आकार सांख्यिकीय परिशिष्ट सहित 250 पृष्ठों के लगभग पहुंच गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट से गुजरी थी और वर्ष 1991 में इसमें एक के बाद एक सुधार हुए और वर्ष 1991-92 की आर्थिक समीक्षा की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। यह प्रथम समीक्षा थी जिसे दो खंडों में पेश किया गया था हालांकि, प्रथम खण्ड 27 पृष्ठों की छोटी पुस्तिका थी जिसमें देश के सामने आ रही व्यापक आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था जबकि द्वितीय खण्ड में विभिन्न क्षेत्रों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई थी। आगे के वर्षों में, अध्यायों की संख्या में कुछ बदलावों के साथ-साथ समीक्षा एक खण्ड की हो गई। 21वीं सदी के प्रारंभ में एक और परिवर्तन हुआ जिसमें बेहतर ग्राफिक्स और चमकदार रंगों के साथ आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया। वर्ष 2000 की शुरूआत के दौरान समीक्षा का विस्तार 380 पृष्ठ को पार कर चुका था।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 में, वैश्विक आर्थिक संकट के मध्य में, देश की मध्यकालिक चुनौतियों और व्यापक आर्थिक संभावनाओं के बारे में एक विश्लेषणात्मक अध्याय जोड़ा गया। इसके आगे, प्रत्येक वर्ष अपेक्षाकृत और अधिक विषयगत अध्याय जोड़े गए थे। वर्ष 2011-12 में, यह दस्तावेज 485 पृष्ठों का हो गया था जिसमें तेरह अध्याय और एक सांख्यिकीय परिशिष्ट था। वर्ष 2013-14 में, सांख्यिकीय परिशिष्ट को अलग कर दिया गया और एक अलग खण्ड के रूप में प्रकाशित किया गया। अगले वर्ष में, इस समीक्षा को दो खण्डों में पेश किया गया: खण्ड-1 में विषयगत नीतिगत मामलों का समाधान करते हुए अनेक अध्याय थे जबकि खण्ड-2 में सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ-साथ परंपरागत आर्थिक समीक्षा थी। इस प्रारूप को पिछले वर्ष तक जारी रवा गया जिससे दस्तावेज का आकार निरंतर बढ़ता गया। इसके अतिरिक्त, पिछली तीन समीक्षाओं में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि खण्ड-1 का अध्याय एक विस्तृत विषय-वस्तु के अनुसार हो न कि एक अलग-थलग दस्तावेज हो। वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में खण्ड-1 में 335 पृष्ठ, खण्ड 2 में 368 पृष्ठ और सांख्यिकीय परिशिष्ट में 174 पृष्ठ के साथ यह आश्चर्यजनक रूप से कुल 877 पृष्ठ हो गए।

जैसाकि देखा जा सकता है, दशकों के दौरान आर्थिक समीक्षा बड़े विकास से गुजरी है। इस वर्ष की समीक्षा फिर से एक खण्ड के रूप में वापस आ गई है जिसमें सांख्यिकीय परिशिष्ट को एक अलग खण्ड के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिकतर अध्याय सेक्टर आध ारित हैं, परंतु कुछ मूल-विषयक अध्यायों को उसी रूप में रखा गया है- एक अध्याय प्रक्रिया सुधारों पर, और एक विभिन्न आर्थिक परिदृश्यों-शहरीकरण, अवसंरचना, वातावरणीय प्रभाव, कृषि कार्य इत्यादि को मापने के लिए सेटेलाइट और भू-स्थानिक चित्रों के उपयोग को दर्शाता है। विश्वसनीय आंकड़ों को व्यापक स्रोत के रूप में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय परिशिष्ट को एक अलग खण्ड में रखने का विचार किया गया।

आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन एक टीम वर्क है। ये केवल भारत सरकार के मंत्रालयों और संस्थानों, औद्योगिक निकायों, विचार-मंचों और विशेषज्ञों से इनपुट लेने के द्वारा ही संभव हो पाया है। आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों और परामर्शदाताओं ने इस दस्तावेज को लिखने, एकत्र करने और संपादित करने में महीनों कार्य किया है। इसे निष्पादित करते समय इस बीच आई महामारी की विशेष बाधाओं का भी सामना किया है। फिर भी, हमें आशा है कि पाठक इस वर्ष की समीक्षा को देश की आर्थिक दिशा का सुस्पष्ट और गहन मूल्यांकन समझेंगे।

संजीव सान्याल
(प्रधान आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

पिछले आर्थिक सर्वेक्षणों के कवर पृष्ठ

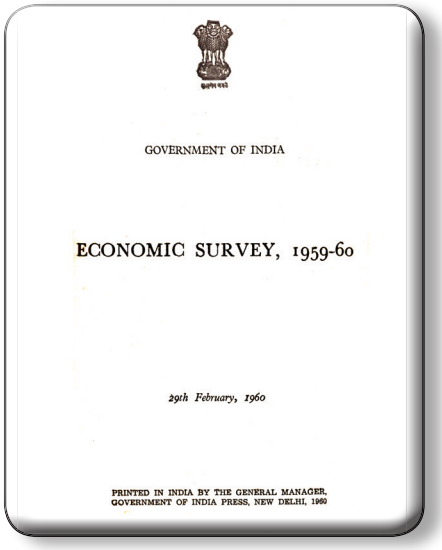

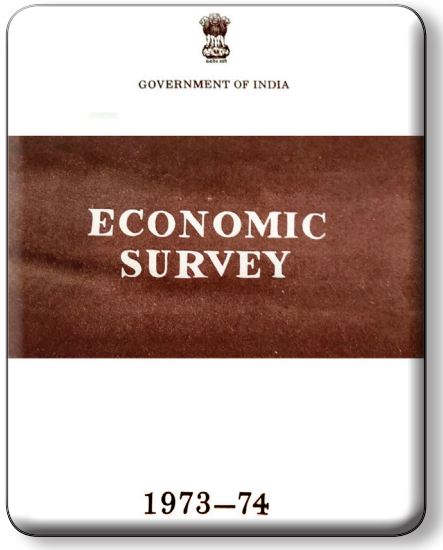

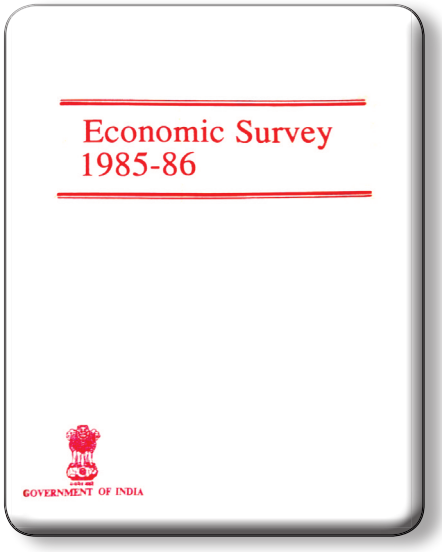

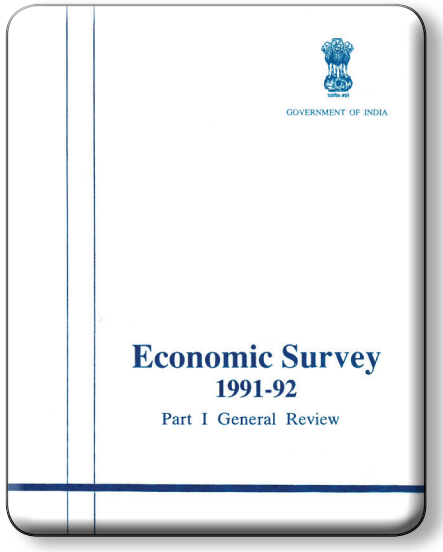

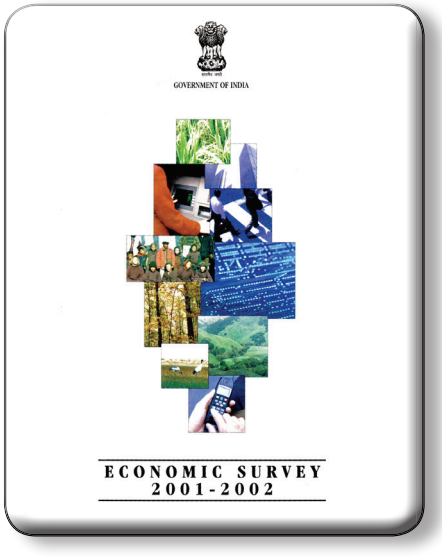

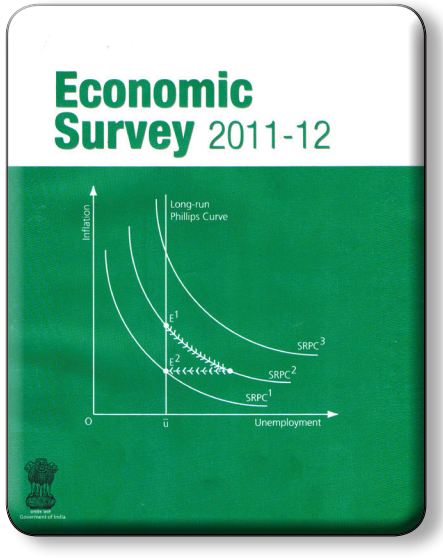

संकेताक्षर

एएआई	:	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एबीडीएम	:	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (तत्कालीन एनडीएचएम: राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन)
एबी-एचडब्ल्यूसी	:	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेल्नेस सेंटर
एबी -पीएमजेएवाई	:	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबीआरवाई	:	आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना
एसीसी	:	एडवांस केमिस्ट्री सेल
एई	:	अग्रिम प्राक्कलन
एईओ	:	अधिकृत आर्थिक संचालक
एजीआर	:	समायोजित सकल राजस्व
एआईपीए	:	पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति
एआईएसएएम	:	एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र
एआईएसएटीएस	:	एयर इंडिया एसएटीएस (सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज) एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
एआईएक्सएल	:	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
एएमआई	:	कृषि विपणन अवसंरचना
एएनबी	:	आत्मानिर्भर भारत
एपीडा	:	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीआई	:	सक्रिय फार्मा सामग्री
एपीएमसी	:	कृषि उपज मंडी समिति
एआरएचसी	:	किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स
एएसईईएम(असीम)	:	आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण
एएसईआर	:	शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति
आशा	:	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एटीएमपी	:	असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग
एयूएम	:	प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति
एडब्ल्यूसी	:	आंगनवाड़ी केंद्र
एचडब्ल्यूडब्ल्यू	:	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
आयुष	:	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
बी एंड आर	:	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
बी2बी	:	बिजनेस टू बिजनेस
बीबीबीपी	:	बेटी बचाओ बेटी पढाओ
बीसीडी	:	बेसिक कस्टम ड्यूटी
बीसीएम	:	अरब घन मीटर (बिलियन क्यूबिक मीटर)
बीई	:	बजट प्राक्कलन
बीईआई	:	व्यापार अपेक्षा सूचकांक
बीईएमएल	:	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
बीएफएसआई	:	बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा
बीजी	:	बैंक गारंटी
बीआईएसएजी	:	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, गुजरात
बीआईएसएजी -एन	:	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान
बीओपी	:	भुगतान संतुलन
बीपीसीएल	:	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीपीकेपी	:	भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम
बीपीएस	:	आधार अंक
बीआरआर	:	व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

बीआरएसआर	:	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्ट
बीएस	:	भारत स्टेज
बीएसई	:	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीएसएनएल	:	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीयूआर	:	द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट
सीएएक्यूएमएस	:	सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन
सीएडी	:	चालू खाता घाटा
सीएएफ	:	ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र
सीएपी	:	कवर और प्लिंथ
सीएपीईएक्स (कैपेक्स)	:	पूंजीगत व्यय
सीबीआईसी	:	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीसीएपी	:	जलवायु परिवर्तन पहल कार्यक्रम (क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम)
सीसीईए	:	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीडीपी	:	फसल विविधीकरण कार्यक्रम
सीडीएसएल	:	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड
सीडीआरआई	:	आपदा लोचन आधारिक अवसंरचना के लिए परिसंघ
सीईसीए	:	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीईएल	:	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
सीईपीए	:	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
सीएफपीआई	:	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	:	लेखा महानियंत्रक
सीजीडी	:	सिटी गैस वितरण नेटवर्क
सीजीएफ	:	स्वच्छ गंगा कोष
सीजीएसटी	:	केंद्रीय माल और सेवा कर
सीएचसी	:	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीआईपी	:	केंद्रीय निर्गम मूल्य
सीआईपी	:	अनुपालन सूचना पोर्टल
सीआईएस	:	प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन समर्थन
सीकेएम	:	सर्किट किलोमीटर
सीएनजी	:	संपीडित प्राकृतिक गैस
सीओ2	:	कार्बन डाइऑक्साइड
सीओओ	:	उत्पत्ति का प्रमाण पत्र
सीओपी	:	पार्टियों का सम्मेलन
कोविड़-19	:	कोरोनावायरस रोग
कोविन	:	कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क
सीपीएचसी	:	व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
सीपीआई-एएल	:	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर
सीपीआई-सी	:	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त
सीपीआई-आईडब्ल्यू	:	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक
सीपीआई-आरएल	:	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर
सीपीओ	:	क्रूड पाम ऑयल
सीपीएसई	:	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
सीपीएसई	:	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीआरएआर	:	जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में आस्ति अनुपात
सीआरआर	:	नकद आरक्षित अनुपात
सीएसओ	:	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सीटीडीपी	:	व्यापक दूरसंचार विकास योजना
सीटीएस	:	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
सीयू	:	क्षमता उपयोग
सीडब्ल्यूसी	:	केंद्रीय भंडारण निगम
डीएसी एंड एफडब्ल्यू	:	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
डेजी	:	डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली
डीएपी	:	डाई-अमोनियम फॉस्फेट
डीएआरई	:	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
डीएवाई-एनआरएलएम	:	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीटी	:	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीटीएल	:	एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीआईएल	:	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
डीसीपी	:	विकेंद्रीकृत प्रापण
डी डी यू-जी के वाई	:	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
डीईपीसी	:	जिला निर्यात संवर्धन समितियां
डीएफआई	:	विकास वित्त संस्थान
डीएफआई	:	किसानों की आय दोगुनी करना
डीएफपीडी	:	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
डीआईपीएम (दीपम)	:	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
डीएमआई और एसपी	:	घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद
डीओपी	:	फार्मास्यूटिकल्स विभाग
डीपीसीओ	:	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश
डीपीडी	:	प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी (डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी)
डीपीआईआईटी	:	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
डीटीएच	:	डायरेक्ट टू होम
ईबीआर	:	अतिरिक्त बजट संसाधन
ईसीबी	:	बाहरी वाणिज्यिक ऋण
ईसीबीएस	:	बाह्य वाणिज्यिक ऋण
ईसीसीई	:	शिशु देखभाल और शिक्षा
ईसीजीसी	:	निर्यात उधार गारंटी कॉरपोरेशन
ईसीएलजीएस	:	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम
ईसीटीएस	:	इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम
ईआईसी	:	निर्यात निरीक्षण परिषद
ईएमसी	:	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
ईएमडीई	:	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	:	उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ई-एन.ए.एम	:	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
ईएनटी	:	कान, नाक और गला
ईओयू	:	निर्यात उन्मुख इकाइयां
ईपीएबीएक्स	:	इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज
ईपीसीजी	:	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स)
जी एस टी एन	:	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
ईपीएफओ	:	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ई-स्क्रिप	:	इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप
ईएसडीएम	:	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण

ईएसजी	:	पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस
ईएसआईसी	:	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईटीसी	:	इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण
यूरोपीय संघ	:	यूरोपीय संघ
ई-वीआईएन	:	इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क
एक्जिम बैंक	:	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफएएमई	:	हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और निर्माण करना
एफएओ	:	खाद्य और कृषि संगठन
एफएआर	:	तल क्षेत्र अनुपात
एफसीआई	:	भारतीय खाद्य निगम
एफडी	:	राजकोषीय घाटा
एफडीआई	:	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफएफएस	:	स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स
एफएचटीसी	:	कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
एफआईडीएफ	:	मत्स्य एवं मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि
एफआईआईएस	:	विदेशी निवेश प्रवाह
एफएमडी	:	मुख एवं खुर संबंधी बीमारी (फुट एंड माउथ डिजीज)
एफपीआई	:	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	:	किसान उत्पादक संगठन
एफ आर एल	:	राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान
एफआरपी	:	उचित और लाभकारी मूल्य
एफएसआई	:	फ्लोर स्पेस इंडेक्स
एफटीए	:	मुक्त व्यापार समझौता
जीबी	:	गीगाबाइट
जीसीए	:	सकल फसल क्षेत्र
जीसीएफ	:	सकल पूंजी निर्माण
जीडीपी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीईसी	:	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
जीईएम	:	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
जीईआर	:	सकल नामांकन अनुपात
जीएफआर	:	सामान्य वित्त नियम
जीएफसीएफ	:	सकल स्थायी पूंजी निर्माण
जीजीआई-ओएसओडब्ल्यूओजी	:	ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव-वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड
जीआई	:	भौगोलिक संकेत
जीआईएम	:	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
जीआईएस	:	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएनपीए	:	सकल गैर निष्पादित आस्तियां
जीपी	:	ग्राम पंचायतें
जीपीआई	:	अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग
जीएसए	:	ग्राम स्वराज अभियान
जीएसडीपी	:	राज्यों के सकल देशी उत्पाद
जी-सेक	:	सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसआर	:	सामान्य वैधानिक नियम
जीएसटी	:	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	:	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क

जीएसटीआर	:	वस्तु एवं सेवा कर प्रतिलाभ (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न)
जीएसवीए	:	सकल राज्य मूल्य वर्धित
जीटी	:	सकल टन भार
जीटीआर	:	सकल कर राजस्व
जीवीए	:	सकल मूल्य वर्धन
जीवीसी	:	वैश्विक मूल्य श्रृंखला
गीगावाट	:	भूजल/गीगावाट
एच एफ आई	:	उच्च आवृत्ति इंटीकेटर्स
एचएफआर	:	स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री
एचएमटी	:	हिंदुस्तान मशीन टूल्स
एचपीसीएल	:	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचपीआई	:	आवास मूल्य सूचकांक
एचपीआर	:	हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री
एचएससीसी	:	अस्पताल सेवा परामर्श कॉरपोरेशन (हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
हुडको	:	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
एचवाईवीएस	:	उच्च उपज देने वाली किस्में
आईबीसी	:	दिवाला और शोधन अक्षमता कोड
आईबीपी	:	भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल
आईसीएआर	:	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीएस	:	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
आईसीईडीएएसएच	:	इंडियन कस्टम इज आफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड
आईसीईटीआरएके	:	व्यापार सहायता एवं जानकारी के लिए भारतीय सीमा शुल्क पूछताछ
आईसीआई	:	आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक
आईसीएमआर	:	इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
आईसीपी	:	एकीकृत चेक पोस्ट
आईसीयू	:	गहन चिकित्सा इकाई
आईसीडब्ल्यू	:	भारतीय समुदाय कल्याण कोष
आईडीबीआई	:	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईएफएस	:	एकीकृत कृषि प्रणाली
आईएफएससी	:	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
आईजीजीएल	:	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
आईआईपी	:	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक
आई एस एम सी एल	:	भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
आईआईपी	:	अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति
आईआईएससी	:	इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर
आईआईटी	:	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएमसी	:	अंतर–मंत्रालयी समिति
आईएमएफ	:	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमपीएस	:	तत्काल भुगतान सेवा
आईएमआर	:	शिशु मृत्यु दर
आईएनएसपीएसीई	:	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र
आईएनवीआईटी	:	इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
आईपीए	:	भारतीय बंदरगाह संघ (इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन)
आईपीओ	:	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईपीआर	:	बौद्धिक संपदा अधिकार

आईआर	:	भारतीय रेलवे
आईआरसीटीसी	:	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम
आईआरआईएस	:	लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा
आईएसए	:	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
आईटी/बीपीओ	:	सूचना प्रौद्योगिकी/व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
आईटीए	:	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन
आईटीएटी	:	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीपीएम	:	सूचना प्रौद्योगिकी- व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन
जेएचबीडीपीएल	:	जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन
जेएसएस	:	जन शिक्षण संस्थान
केसीसी	:	किसान क्रेडिट कार्ड
केएमएस	:	खरीफ मार्केटिंग सीजन
केआरसीएल	:	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केएसएम	:	प्रमुख प्रारंभिक सामग्री
केवीके	:	कृषि विज्ञान केंद्र
किलोवाट	:	किलोवाट
केवाईसी	:	अपने ग्राहकों को जानें
एलएएफ	:	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसीएस	:	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलडीसी	:	सबसे कम विकसित देश
लीडआईटी	:	उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह
एलईडी	:	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
एलएफ	:	लाइसेंस शुल्क
एलएफपीआर	:	श्रम बल भागीदारी दर
एलआईसी	:	जीवन बीमा निगम
एलआईएफई	:	पर्यावरण के लिए जीवन शैली
एलएमटी	:	लाख मीट्रिक टन
एलएमटी	:	लाख मीट्रिक टन
एलपीजी	:	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलपीजी	:	तरल पेट्रोलियम गैस
एलएसए	:	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
एलएसबी	:	लांग स्पैन ब्रिज
एलटीईओ	:	दीर्घकालिक पारिस्थितिक अवलोकन
एमएआई	:	बाजार पहुंच पहल
एमबीएस	:	बंधक-समर्थित जमानत
एमसीएफ	:	मिलियन-प्लस सिटीज चौलेंज फंड
एमसीएलआर	:	फंड की सीमांत लागत आधारित ऋण दर
एमडीजी	:	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एमईआईएस	:	भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना
एमएफएन	:	मोस्ट फेवर्ड नेशन
मनरेगा/एस	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/योजना
एमआईडीएच	:	समाकलित बागवानी विकास मिशन
एमआईएफ	:	सूक्ष्म सिंचाई कोष
एमआईटीईए	:	मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल पार्क
एमआईवी 2030	:	मैरीटाइम इंडिया विजन 2030
एमएलडी	:	प्रति दिन लाखों लीटर

एमएमएफ	:	मानव निर्मित फाइबर
एमएमटी	:	मिलियन मीट्रिक टन
एमओपीएनजी	:	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओएसपीआई	:	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	:	समझौता ज्ञापन
एमपीसी	:	मौद्रिक नीति समिति
एमपीआई	:	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमओआरटीएच	:	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमआरओ	:	अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल
एमआरपी	:	अधिकतम खुदरा मूल्य
एमएसई-सीडीपी	:	सूक्ष्म लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम
एमएसएमई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसपी	:	न्यूनतम समर्थन मूल्य
मीट्रिक टन	:	मीट्रिक टन
एमटीएफपी	:	मध्यम अवधि की वित्तीय नीति
एमटीएनएल	:	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमटीओई	:	तेल समानक के लिए मिलियन टन
एमटीपीए	:	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमवीए	:	मेगा वोल्ट एम्पीयर
मेगावाट	:	मेगावाट
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएफसीसी	:	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन निधि
एनएपीसीसी	:	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
एनएपीएस	:	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
एनएआरएस	:	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली
नैसकाम (एनएएसएससीओएम)	:	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज
एनबीबी	:	राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड
एनबीसी	:	नेट बॉरोइंग सीलिंग
एनबीई	:	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
एनबीएचएम	:	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन
एनबीएस	:	पोषक तत्व आधारित सब्सिडी
एनसीएपी	:	राष्ट्रीय कार्बोनेसियस एरोसोल कार्यक्रम
एनसीएपी	:	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनसीडीईएक्स	:	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज
एनसीईआरटी	:	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीईयूएस	:	असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों के लिए राष्ट्रीय आयोग
एनसीआईवीई	:	व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति
एनसीएलटी	:	नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
एनसीआर	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनडीसी	:	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनडीईएआर	:	राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला
एनडीआरएफ	:	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष
एनडीएसओएम	:	नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग
एनईईआर	:	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनईजीवीएसी	:	कोविड् -19 के लिए वैक्सीन व्यवस्था पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह

एनईआईए	:	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता
एनईपी	:	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईआर	:	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएएमएसी	:	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड।
एनएफएचएस	:	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए	:	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसएम	:	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनजीएफएस	:	वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क
एनजीओ	:	गैर सरकारी संगठन
एनजीपीई	:	गैर-सरकारी/निजी संस्थाएं
एनएच	:	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनएचए	:	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
एनएचबी	:	नेशनल हाउसिंग बैंक
एनआईएफ	:	राष्ट्रीय संकेतक ढांचा
एनआईपी	:	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
एनआईटीआई	:	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएलएमसी	:	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम
एनएमसीजी	:	स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन
एनएमईई	:	राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन
एनएमईओ-ओपी	:	खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - पाम ऑयल
एनएमपी	:	राष्ट्रीय मास्टर प्लान
एनएमपी	:	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनएमपी	:	राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना
एनएमआर	:	नवजात मृत्यु दर
एनएमएसएच	:	सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन
एनएमएसकेसीसी	:	जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन
एनएनपीए	:	शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनपीसीसी	:	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
एनपीसीएल	:	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीई	:	इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति
एनपीपीए	:	राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
एनपीएस	:	राष्ट्रीय पेंशन योजना
एनपीवी	:	शुद्ध वर्तमान मूल्य
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
एनआरएम	:	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
एनआरपी	:	राष्ट्रीय रेल योजना
एनएसडीसी	:	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसई	:	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनएसआईएल	:	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
एनएसएम	:	राष्ट्रीय सौर मिशन
एनएसओ	:	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनएसएसएफ	:	राष्ट्रीय लघु बचत कोष
एनएसएसओ	:	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

एनडब्ल्यू	:	राष्ट्रीय जलमार्ग
एनडब्ल्यूएम	:	राष्ट्रीय जल मिशन
ओडीएफ	:	खुले में शौच मुक्त
ओडीएल	:	ओपन डिस्टेंस लर्निंग
ओडीओपी	:	एक जिला एक उत्पाद
ओईए	:	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
ओईसीडी	:	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएफसी	:	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएफएस	:	बिक्री के लिए प्रस्ताव
ओएमएसएस (डी)	:	ओपन मार्केट सेल स्कीम-घरेलू
ओएमएसएस	:	ओपन मार्केट सेल स्कीम
ओएनओआरसी	:	वन नेशन वन राशन कार्ड
ओपीडी	:	बाह्य रोगी विभाग (आउट पेशेंट विभाग)
ओपेक+	:	पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों का संगठन
ओ एस एच एवं डब्ल्यू सी	:	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति
ओएसपी	:	अन्य सेवा प्रदाता
पीए	:	अनंतिम वास्तविक
पैट	:	परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड
पीबीबीवाई	:	प्रवासी भारतीय बीमा योजना
पीडी	:	प्राथमिक घाटा
पीडीएम	:	गुड़ से व्युत्पन्न पोटाश
पीडीएस	:	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीई	:	अनंतिम प्राक्कलन
पीईजी	:	निजी उद्यमियों की गारंटी
पीएफएमएस	:	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीआईबी	:	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीआईबीओ	:	निर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी
पीआईओ	:	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीकेवीवाई	:	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएलएफएस	:	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएलआई	:	उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन
पीएमकेयर्स	:	प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत
पीएम दक्ष	:	प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल सम्पन्नता हितग्राही योजना
प्रधानमंत्री पोषण	:	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
पीएम	:	पार्टिकुलेट मैटर
पीएम-जीकेआरए	:	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान
पीएम-एबीएचआईएम	:	पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
पीएमख्रएएसबीवाई	:	प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना
पीएमएवाई	:	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमईजीपी	:	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमएफबीवाई	:	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमख्रएफएमई	:	प्रधानमंत्री-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता
पीएमजीकेवाई	:	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
पीएमजीएसवाई	:	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	:	क्रय प्रबंधक का सूचकांक
पीएम-किसान	:	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

पीएमकेके	:	प्रधानमंत्री कौशल केंद्र
पीएमकेएसवाई	:	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
पीएमकेएसवाईखपीडीएमसी	:	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद अधिक फसल
पीएम–कुसुम	:	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान
पीएमकेवीवाई	:	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएमएमएसवाई	:	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीएमपी	:	चरण निर्माण योजना
पीएमआरयूएस	:	मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयाँ
पीएमएसएसवाई	:	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पीएमखएसवाईएम	:	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन
पीएमयूवाई	:	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पीएनजीआरबी	:	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
पीओएल	:	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
पीओएस	:	पॉइंट ऑफ सेल
पोषण	:	समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना
पीपीई	:	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
पीपीपी	:	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीपीपीएसी	:	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति
पीपीपी	:	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीएसई	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
पोसोको	:	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसयू	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
पीटीए	:	तरजीही व्यापार समझौता
पीटीडी	:	वितरक को मूल्य
पीवी	:	फोटोवोल्टिक
क्यूसीबीएस	:	गुणवत्ता–सह–लागत आधारित चयन
क्यूसीओ	:	गुणवत्ता नियंत्रण आदेश
क्यूई	:	मात्रात्मक सहजता
क्यूआरआर	:	तिमाही राजस्व वसूली
आरएंडडी	:	अनुसंधान और विकास
आरबीए	:	रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
आरबीआई	:	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएच	:	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	:	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना
आरडी	:	राजस्व घाटा
आरडीजी	:	रिटेल डायरेक्ट गिल्ट
आरई	:	संशोधित प्राक्कलन
आरईसी	:	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
आरईईआर	:	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईएस	:	अक्षय ऊर्जा संसाधन
आरएफआईडी	:	रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन
आरकेवीवाई	:	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएमएस	:	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरओए	:	आस्तियों पर परिलाभ
आरओसी	:	कंपनियों के रजिस्ट्रार
आरओडीटीईपी	:	निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट

आरओई	:	इक्विटी पर वापसी
आरपीएल	:	पूर्व शिक्षा की मान्यता
आरएसईटी	:	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीई	:	शिक्षा का अधिकार
एसएंडडीटी	:	विशेष और विभेदक उपचार
एसएसीएफए	:	रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति
एसएजीवाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएपी	:	राज्य सलाह मूल्य
एसएपीसीसी	:	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
एसएएस	:	स्थिति आकलन सर्वेक्षण
एसएटीएस	:	एयर इंडिया (एआई) सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सेवाएं
सौभाग्य	:	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
एसबीएसटीए	:	वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय
एससीएएमएचपी	:	वहनीय दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति
एसडीजी	:	संधारणीय विकास लक्ष्य
एसडीजी	:	संधारणीय विकास लक्ष्य
एसडीएमएफ	:	राज्य आपदा शमन कोष
एसडीआर	:	विशेष आहरण अधिकार
एसडीआरएफ	:	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
एसडीआरएमएफ	:	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष
एसईजेड	:	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफयूआरटीआई	:	पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना
एसएच	:	राज्य-राजमार्ग
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसआईडीएस	:	छोटे द्वीप विकासशील राज्य
एसआईएएम (सियाम)	:	सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स
एसआईएसएफएस	:	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
एसएलडीई	:	सुरक्षित रसद दस्तावेज एक्सचेंज
एसओपी	:	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीईसी एस	:	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टरों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना
एसपीएसई	:	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
एसपीवी	:	वशेष प्रयोजन वाहन
एसआरएस	:	नमूना पंजीकरण आधारित प्रणाली
एसएसएपी	:	राज्य विशिष्ट कार्य योजना
एसटीएल	:	मौसमी-रुझान अपघटन प्रक्रिया पर आधारित
एसटीटी	:	प्रतिभूति लेनदेन कर
एसटीटी	:	शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग
एसयूसी	:	स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क
एसडब्ल्यूसी	:	राज्य-भंडारण निगम
टीसीएस	:	स्रोत पर एकत्रित कर
टीडीएस	:	स्रोत पर कर कटौती
टीएफआर	:	कुल प्रजनन दर
टीएचडीसी	:	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टाई	:	निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा
टीएलटीआरओ	:	लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन
टीएमए	:	परिवहन और विपणन सहायता

टीएमए	:	ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ
टीओपी	:	टमाटर, प्याज और आलू
टीपीडीएस	:	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
ट्रिप्स	:	बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू
टीआरटी	:	टर्नअराउंड समय
टीएसपी	:	दूरसंचार सेवा प्रदाता
यू 5एमआर	:	पांच मृत्यु दर के तहत
यूएएन	:	यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
यूडीआईएसई	:	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूईडी	:	संघ उत्पाद शुल्क
यूके	:	यूनाइटेड किंगडम
यूपीआई	:	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूएलबी	:	शहरी स्थानीय निकाय
यूएनसीआईटीआरएएल	:	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग
यूएनईएससीएपी	:	एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग
यूएनएफसीसीसी	:	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूआर	:	उद्यम पंजीकरण
यूआर	:	बेरोजगारी दर
यूएसए	:	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	:	यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र
यूडब्ल्यू	:	असंगठित श्रमिक
वीएपी	:	ग्राम कार्य योजना
वैट	:	मूल्य वर्धित कर
वीजीएफ	:	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वीआईएक्स	:	अस्थिरता सूचकांक
वीआरआरआर	:	परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो
वीडब्ल्यूएससी	:	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यूएसीआर	:	भारित औसत कॉल दर
डब्ल्यूएएलआर	:	भारित औसत उधार दर
डब्ल्यूएटीडीआर	:	भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर
डब्ल्यूईओ	:	विश्व आर्थिक आउटलुक
डब्ल्यूएचओ	:	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूपीआई	:	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	:	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यूएसए	:	वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन
विश्व व्यापार संगठन	:	विश्व व्यापार संगठन
एक्सवीख्एफसी	:	पंद्रहवां वित्त आयोग
वाईओवाई	:	साल दर साल

अर्थव्यवस्था की स्थिति

01
अध्याय

कोविड-19 महामारी के चलते पिछले दो साल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। संक्रमण की नयी लहरों, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान, और हाल ही में मुद्रास्फीति के कारणवश नीति-निर्माण के लिए यह समय विशेषत: चुनौतीपूर्ण रहा है। इन चुनौतियों की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं व्यापार क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सुरक्षा-जाल का गठन किया। इसके उपरांत, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी, ताकि मध्यम-अवधि की मांग पुन: बढ़े, एवं अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति-पक्ष उपायों को कृतसंकल्प लागू किया गया। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे यह लचीला और बहुस्तरीय दृष्टिकोण आंशिक रूप से "एजाइल" (चुस्तदुरुस्त) कार्यप्रणाली पर आधारित है जो "फीडबैक-लूप" (प्रतिक्रिया-पाश) और "रीयल-टाइम डेटा" (वास्तविक-काल आंकड़ों) का उपयोग करती है।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 7.3 प्रतिशत संकुचन के बाद, अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 में 9.2 प्रतिशत के विस्तार की उम्मीद है। कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी/2019-20 के स्तर से उभर चुकी है। लगभग सभी संकेतकों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की "दूसरी लहर" का आर्थिक प्रभाव पहली लहर के दौरान पूर्ण-लॉकडाउन चरण की तुलना में बहुत कम था, यद्यपि स्वास्थ्य प्रभाव अधिक गंभीर था।

महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र के 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। 2020-21 में 7 प्रतिशत संकुचन के पश्चात्, उद्योग के सकल मूल्य वर्धन (खनन और निर्माण सहित) में 2021-22 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि अग्रिम तौर पर अनुमानित है। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संपर्क शामिल हैं। पिछले साल के 8.4 फीसदी के संकुचन के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है।

2021-22 में कुल खपत में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खर्च का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल अचल पूंजी निर्माण के महामारी पूर्व के स्तर से अधिक होने में भी बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का योगदान है। वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में असाधारण रूप से मजबूत रहा है, वहीँ घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आयात में भी मजबूती आई है।

टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी के शामिल होने, आर्थिक गति तीव्र होने, और आपूर्ति-पक्ष

सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.0-8.5 प्रतिशत की वृद्धि देखने की अच्छी स्थिति में है।

बहरहाल, वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। लेखन के समय ओमिक्रोन संक्रमण के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही थी, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक तरलता निकासी का दौर शुरू किया जा रहा था। इसलिए, भारत के वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतकों और उनकी उपरोक्त दबावों के विरुद्ध समर्थन प्रदान करने की क्षमता को जांचना विशेषत: महत्वपूर्ण है।

वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार जमा होता रहा, और 31 दिसंबर 2021 को यह 634 बिलियन डॉलर था। यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ती निर्यात आय का संयोजन 2022-23 में संभावित वैश्विक मौद्रिक तरलता के प्रतिगमन के विरुद्ध उपयुक्त प्रतिरोधक प्रदान करेगा।

अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में हुए व्यय के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में वृद्धि हुई। हालांकि, 2021-22 में सरकारी राजस्व में एक मजबूत पलटाव हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार वित्तीय समर्थन और पूंजीगत व्यय में वृद्धि को कायम रखते हुए इस वर्ष के अपने वित्तीय लक्ष्यों को सहजता से पूरा करने में सक्षम है। राजस्व में प्रबल पुन: प्रवर्तन (अप्रैल-नवंबर 2021 में राजस्व प्राप्तियों में 67 प्रतिशत की वृद्धि थी) का अभिप्राय है कि आवश्यकता की स्थिति में सरकार के पास अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय गुंजाइश है।

अनिश्चित समय के दौरान वित्तीय तंत्र दबाव का एक संभावित क्षेत्र होता है। हालांकि, भारत के पूंजी बाजारों ने कई वैश्विक बाजारों की तरह असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी मदद से भारतीय कंपनियों के लिए रिकॉर्ड- स्तर पर जोखिम पूंजी जुटाना संभव हुआ है। गौरतलब है की बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और गैर-निष्पादित आस्तियों में, महामारी के विलम्बित प्रभाव को मिलाकर भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है।

टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर संपर्क-गहन सेवाओं के लिए। इसलिए, इसे अभी के लिए एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए। टीकाकरण अभियान के एक वर्ष में भारत ने 157 करोड़ खुराक दी हैं, जिसमें 91 करोड़ लोगों को कम-से-कम एक खुराक और 66 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी गयी हैं। लेखन के समय, बूस्टर और 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी गति पकड़ रही थी।

उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से सामने आई है। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत वर्ष-पर-वर्ष थी जो कि लक्षित सीमा के भीतर है। हालांकि, थोक मूल्य मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में चल रही है। यद्यपि यह आंशिक रूप से अल्पकालिक आधार प्रभावों के कारण है, भारत को आयातित मुद्रास्फीति से सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से।

कुल मिलाकर, वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतक बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छी स्थिति में होने का एक कारण इसकी अनूठी प्रतिक्रिया रणनीति है। कठोर प्रतिक्रिया के लिए पूर्व-प्रतिबद्ध होने के बजाय, भारत सरकार ने एक ओर कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा-जाल का उपयोग करने का विकल्प चुना, जबकि सूचना की "बेजियन-अपडेटिंग" के आधार पर पुनरावृत्त रूप से प्रतिक्रिया दी। पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में इस ष्बारबेल रणनीतिष पर चर्चा की गई थी। इस लचीले, पुनरावृत्त "एजाइल" कार्यप्रणाली का एक प्रमुख प्रवर्तक 80 उच्च-आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) का उपयोग और अत्यधिक अनिश्चितता के वातावरण में संकेतों से प्रसार को अलग करने की कला है।

भारत की प्रतिक्रिया की एक और विशिष्ट विशेषता मांग-प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति-पक्ष सुधारों पर जोर देना है। इन आपूर्ति-पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का अविनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, 'पूर्वव्यापी कर' जैसे पुराने मुद्दों का निराकरण, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इन पर संबंधित अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि को मांग-प्रबंधन के साथ-साथ आपूर्ति-पक्ष की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह भविष्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता का निर्माण करती है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा प्रक्रिया सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालती है एवं अध्याय 12 आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए उपग्रह छवियों और भू-स्थानिक डेटा - जो नूतन अविनियंत्रित क्षेत्रों में से एक हैं - के उपयोग का एक संक्षिप्त प्रदर्शन प्रदान करता है।

परिचय

1.1 कोविड-19 महामारी के दो साल के दौरान पुनरुत्थान लहरों, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की वापसी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से त्रस्त रही है। इसके अलावा, अगले वर्ष के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि की संभावित वापसी से भी वैश्विक पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो सकता है। इस संदर्भ में, भारत में विकास पुनरुद्धार की गति के साथ-साथ व्यापक-आर्थिक स्थिरता संकेतकों की ताकत दोनों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। टीकाकरण में प्रगति को देखना भी आवश्यक है क्योंकि यह न केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया है, बल्कि बार-बार महामारी की लहरों के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के खिलाफ एक प्रतिरोधक भी है।

अर्थव्यवस्था महामारीपूर्व स्तरों से सुधर रही है

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमानों में देखा गया है, 2020-21 की दूसरी छमाही से निरंतर सुधार रही है। हालांकि, अप्रैल-जून 2021 में महामारी की दूसरी लहर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक गंभीर थी, पिछले वर्ष के राष्ट्रीय लॉकडाउन की तुलना में आर्थिक प्रभाव मौन था (तालिका 1 और 2 देखें)। अग्रिम अनुमान बताते हैं कि 2021-22 में जीडीपी 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक आर्थिक उत्पादन का स्तर 2019-20 के पूर्व-कोविड स्तर को पार कर जाएगा।

चित्र 1: सकल घरेलू उत्पादन (स्थिर मूल्य, आधार वर्ष: 2011-12)

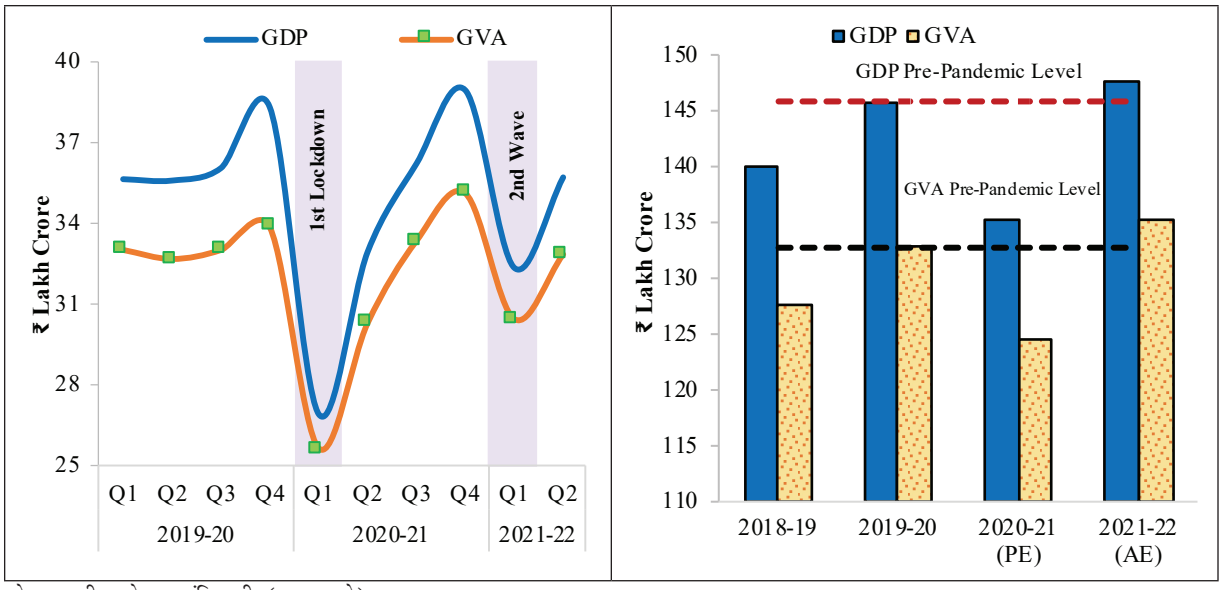

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएसओ)

चित्र 2: कोविड-19 की लहरें

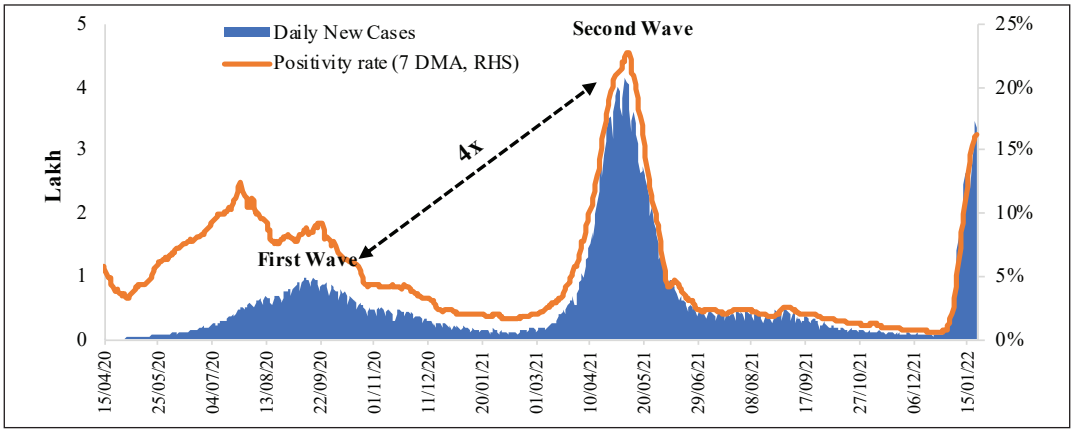

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डेटा
नोट: डीएमए का मतलब डेली मूविंग एवरेज है

क्षेत्र-वार चलन

1.3 कृषि क्षेत्र महामारी से संबंधित व्यवधानों से सबसे कम प्रभावित था (चित्र 3)। इसके यह पिछले दो वर्षों में क्रमश: 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत के शीर्ष पर 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (तालिका 1)।

तालिका 1: स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20 (पहला सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)	2019-20 से बहाली की %
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4.3	3.6	3.9	107.7
उद्योग	-1.2	-7.0	11.8	104.1

खनन और उत्खनन	-2.5	-8.5	14.3	104.6
उत्पादन	-2.4	-7.2	12.5	104.4
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.1	1.9	8.5	110.5
निर्माण	1.0	-8.6	10.7	101.2
सेवाएं	**7.2**	**-8.4**	**8.2**	**99.2**
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	6.4	-18.2	11.9	91.5
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	7.3	-1.5	4.0	102.5
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.3	-4.6	10.7	105.6
मूल कीमत पर जीवीए	**4.1**	**-6.2**	**8.6**	**101.9**

स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ. - संशोधित अनुमान, अ.अ. - अनंतिम अनुमान, अग्रिम अ. - अग्रिम अनुमान

1.4 जैसा कि नीचे चित्र 5 और 6 में दिखाया गया है, खरीफ और रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र और गेहूं और चावल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। लंबी अवधि की रुझान के अनुरूप, 2021-22 के खरीफ चक्र में बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में फिर से अधिक था (लेखन के समय रबी चक्र डेटा अधूरा था)। चालू वर्ष में, खरीफ सत्र का खाद्यान्न उत्पादन 150.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज होने का अनुमान है। केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्न की खरीद ने 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अपनी बढ़ती रुझान को बनाए रखा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय के लिए अच्छा संकेत है। महत्वपूर्ण रूप से, इस क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन सरकारी नीतियां समर्थित था, जिससे महामारी संबंधी व्यवधानों के बावजूद समय पर बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। अच्छी मानसूनी बारिश से भी इसमें मदद मिली, जैसा कि जलाशय के स्तर में 10 साल के औसत से अधिक होना परिलक्षित होता है (चित्र 4)।

चित्र 3: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए

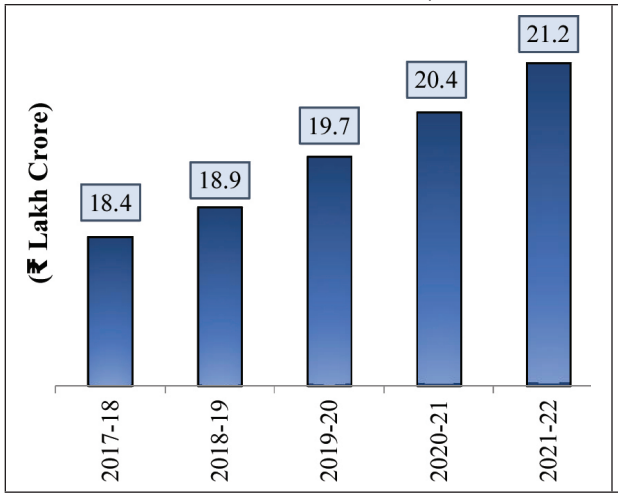

चित्र 4: जलाशय का स्तर

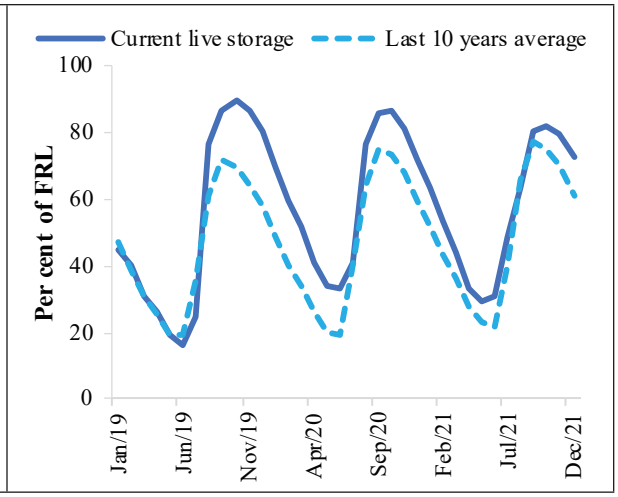

स्रोत: एनएसओ, केंद्रीय जल आयोग

नोट: एफआरएल का अर्थ पूर्ण जलाशय स्तर है

चित्र 5: खाद्यान्न के तहत बोया गया क्षेत्र

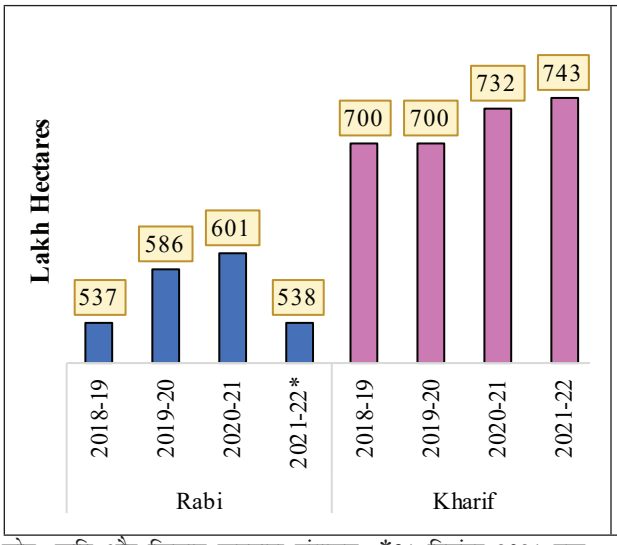

चित्र 6: गेहूं और चावल का उत्पादन

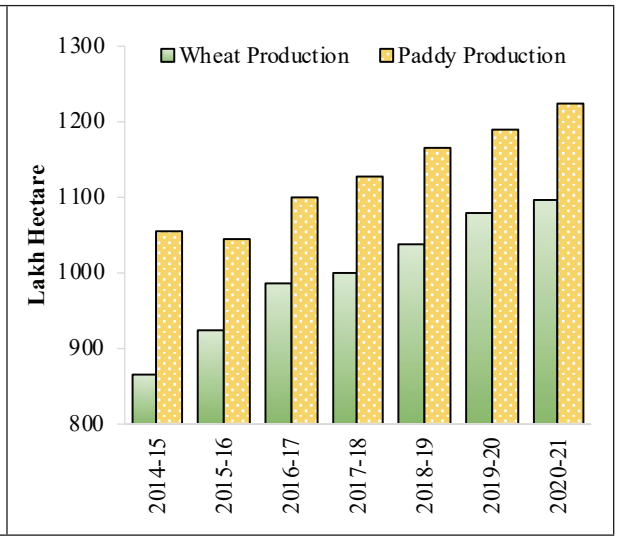

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; *31 दिसंबर 2021 तक

1.5 प्राथमिक क्षेत्र के स्थिर प्रदर्शन के विपरीत, औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 में पहले 7 प्रतिशत का संकुचन और फिर इस वित्तीय वर्ष में 11.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ। विनिर्माण, निर्माण और खनन उप-क्षेत्र उसी रफ्तार से वृद्धि हुई, हालांकि उपयोगिता क्षेत्र में अधिक मंदी का अनुभव किया गया क्योंकि बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को राष्ट्रीय लॉकडाउन होने के बावजूद भी सही स्तर पर बनाए रखा गया था। जीवीए में उद्योग की हिस्सेदारी अब 28.2 प्रतिशत होने का अनुमान है (तालिका 2)।

तालिका 2: जीवीए (सकल मूल्य वर्धन, प्रचलित भावों पर) में क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20 (1 सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	**18.4**	**20.2**	**18.8**
उद्योग	**26.7**	**25.9**	**28.2**
खनन और उत्खनन	1.9	1.6	2.3
विनिर्माण	14.7	14.4	15.4
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.6	2.7	2.5
निर्माण	7.4	7.2	8.0
सेवाएं	**55.0**	**53.9**	**53.0**
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	18.9	16.4	16.9
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	21.2	22.1	20.9
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	14.9	15.4	15.2
मूल कीमत पर जीवीए	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ.: संशोधित अनुमान, अ.अ.: अनंतिम अनुमान, अग्रिम अ.: अग्रिम अनुमान

1.6 जनवरी, 2021 से व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्रय प्रबंधकों का सूचकांक-विनिर्माण एक महीने को छोड़कर विस्तार क्षेत्र (यानी 50 से अधिक) में बना हुआ है, जबकि दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई थी (चित्र 8)। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और मुख्य उद्योग सूचकांक दोनों में एक समान चलन देखा गया है और ये सूचकांक नवंबर, 2021 में, 2019 के इसी महीने के अपने पूर्व-महामारी स्तर से आगे निकल गए (चित्र 7)।

चित्र 7: औद्योगिक उत्पादन

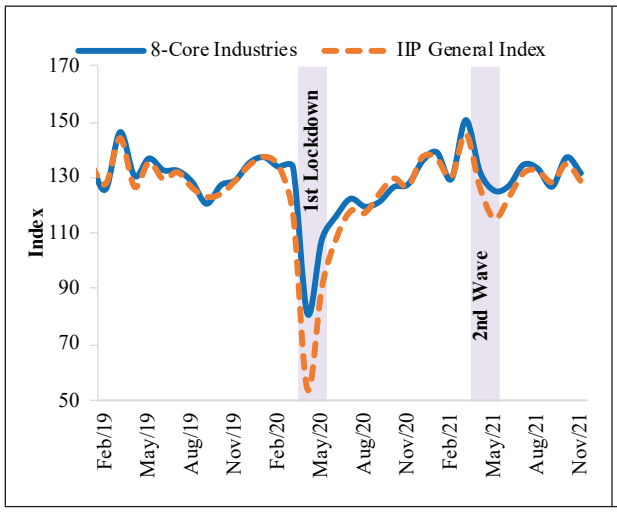

स्रोत: एमओएसपीआई, डीपीआईआईटी

चित्र 8: पीएमआई विनिर्माण

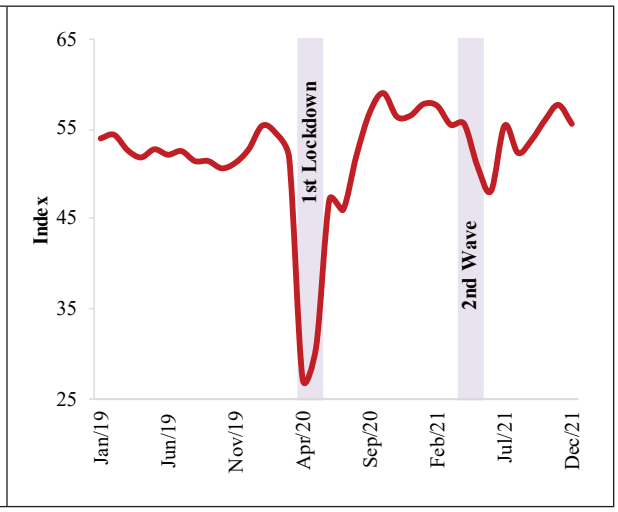

स्रोत: आईएचएस मार्किट

1.7 अवसंरचना पर सरकार द्वारा बढ़ते पूंजीगत व्यय और आवास चक्र में वृद्धि के कारण निर्माण क्षेत्र पुनर्जीवित हुआ है। इससे स्टील और सीमेंट की खपत और उत्पादन को पूर्व-कोविड स्तर (चित्र 9) पर वापस आ सका है। आरबीआई और प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े बिक्री, कीमतों और नई योजना (चित्र 10 और 11) में वृद्धि के संदर्भ में 2021 में भारतीय आवासीय बाजार में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार दर्शाते हैं।

चित्र 9: निर्माण क्षेत्र संकेतक

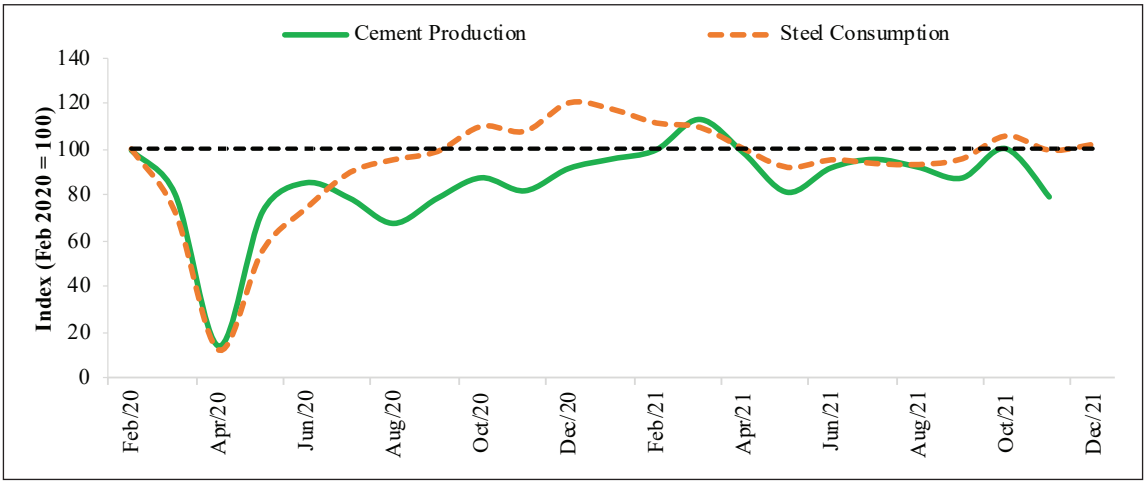

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र 10: शीर्षस्थ 8 शहरों में आवास बिक्री और नई योजनाए

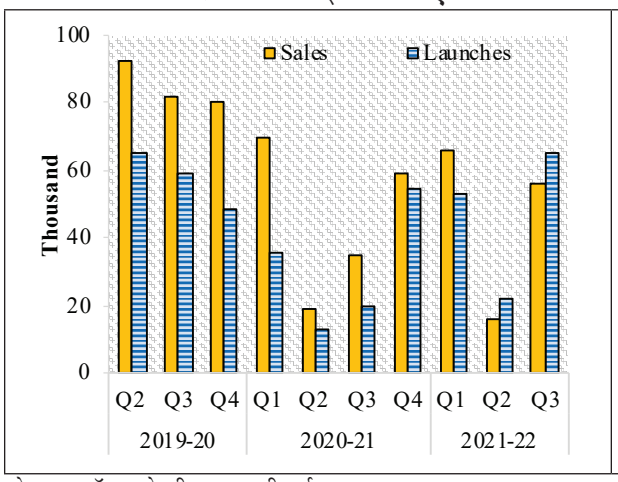

चित्र 11: आरबीआई आवास मूल्य सूचकांक: अखिल भारतीय

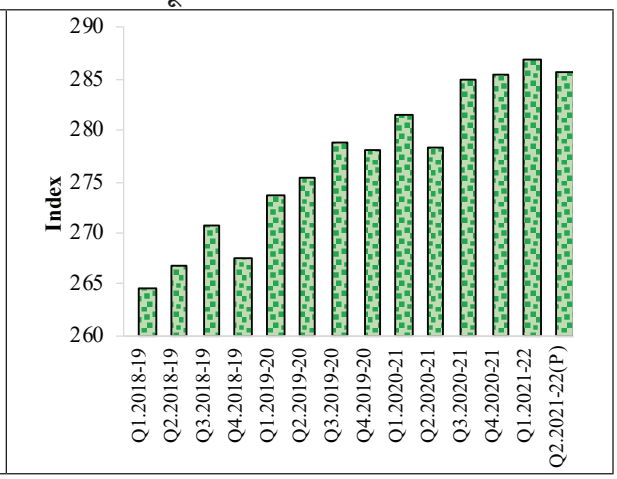

स्रोत: एनारॉक, प्रोपटीगर, आरबीआई

1.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, और यह कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से वे गतिविधियां जिनमें मानव संपर्क की आवश्यकता होती है। हालांकि, समग्र क्षेत्र में पहले 2020-21 में 8.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ और फिर 2021-22 में 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, परंतु यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न उप-क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शन में भारी अंतर है। वित्त/रियल एस्टेट और लोक प्रशासन क्षेत्र दोनों अब पूर्व-कोविड स्तरों से काफी अच्छे हैं। हालांकि, यात्रा, व्यापार और होटल जैसे क्षेत्र अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुए हैं। यह पुन: ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी की लहरों की बार-बार आने-जाने की प्रकृति इन उप-क्षेत्रों की गति पकड़ने को कठिन बना देती है।

1.9 संपर्क-संवेदनशील सेवाओं पर अभी भी कोविड का प्रभाव होने के बावजूद, अगस्त 2021 (चित्र 13) से क्रय प्रबंधकों के सूचकांक-सेवाओं (पीएमआई सर्विसिस) में काफी सुधार हुआ है। इस संदर्भ में, वास्तविक समय के रुझानों का पता लगाने के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों के नए रूपों की भूमिका पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, खुदरा और मनोरंजन के लिए गूगल गतिशीलता संकेतक (अर्थात, रेस्तरां, कैफे, शॉपिंग सेंटर, आदि) और ट्रांजिट स्टेशन गतिशीलता संकेतक (सार्वजनिक परिवहन केंद्र जैसे सबवे, बस और ट्रेन स्टेशन), जोकि महामारीपूर्व स्तरों की तुलना में प्रतिशत विचलन को मापते हैं, को देखें। इन संकेतकों ने दिसंबर 2021 में (ओमीक्रोन वेरिएंट संबंधी प्रतिबंध से पहले) महामारीपूर्व स्तर को पार कर लिया था (चित्र 12)। इसी तरह, होटल अधिभोग दर में काफी सुधार हुआ है, जो अप्रैल 2021 में 30-32 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2021 में 56-58 प्रतिशत तक पहुंच गया है (चित्र 14)।

चित्र 12: गतिशीलता में रुझान

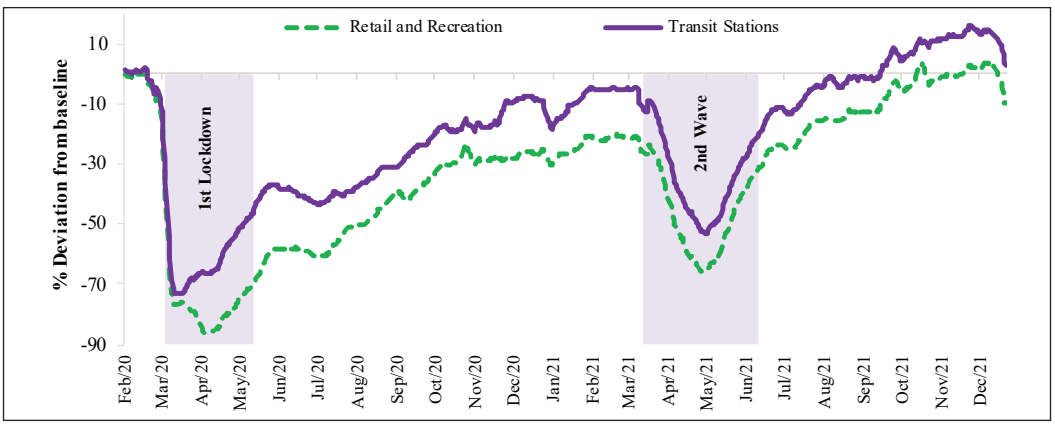

स्रोत: गूगल मोबिलिटी

नोट: बेसलाइन जनवरी-फरवरी, 2020 स्तर से मेल खाती है

चित्र 13: पीएमआई सेवाएं

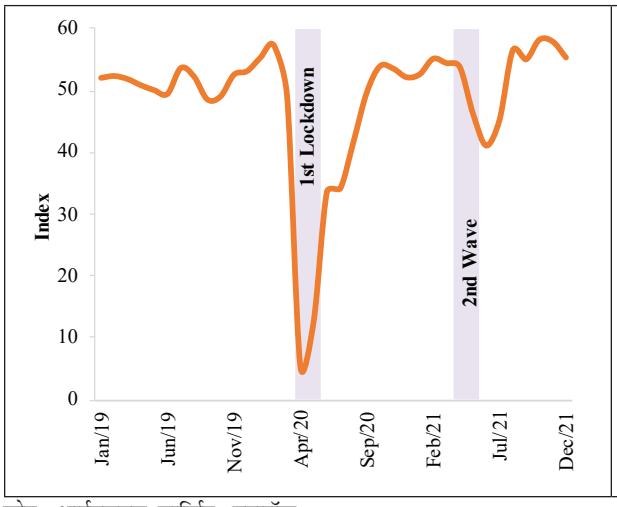

चित्र 14: होटल अधिभोग दर

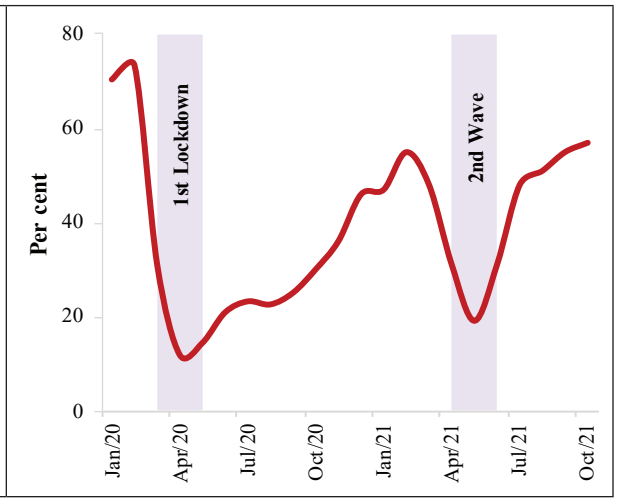

स्रोत: आईएचएस मार्किट, एनारॉक

1.10 कार्यालय संबंधी काम, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं में दूरस्थ इंटरफेस की बढ़ती प्राथमिकता के चलते, संपर्क-आधारित सेवाओं के विपरीत, दूरस्थ सक्षम सेवाओं का जीवीए (सकल मूल्य वर्धन) में हिस्सा बढ़ा है। सॉफ्टवेयर और आईटी द्वारा संचालित सेवाओं के निर्यात में उछाल आया है, भले ही पर्यटन से आय में तेजी से गिरावट आई है (चित्र 15 और 16 देखें)।

चित्र 15: सेवा निर्यात में तिमाही रुझान

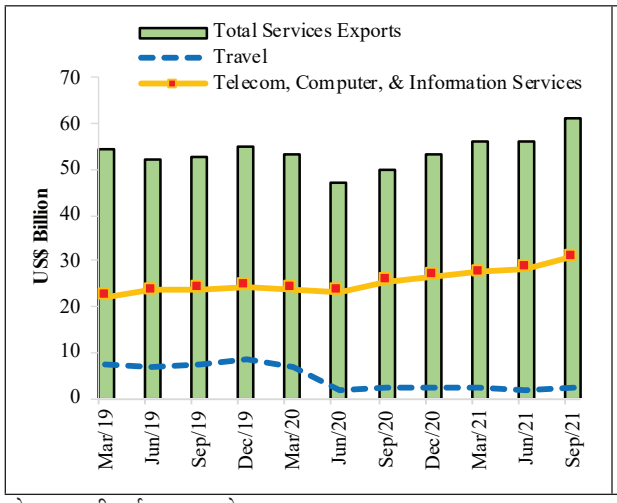

चित्र 16: दूरस्थ सक्षम सेवाओं का वास्तविक जीवीए

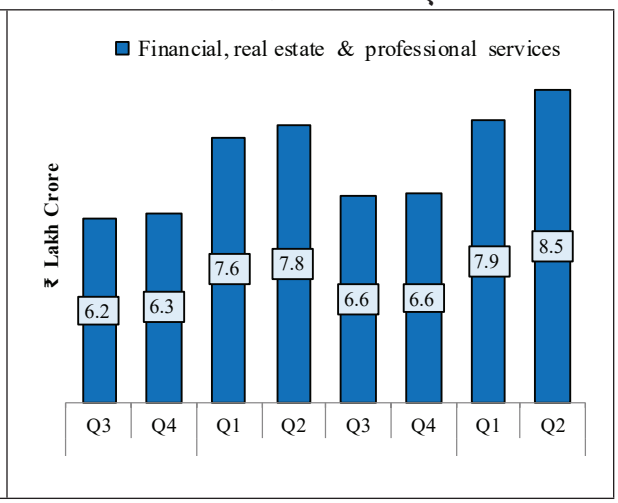

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ

मांग का रुझान

1.11 निजी खपत को छोड़कर, नवीनतम अग्रिम अनुमान 2021-22 मांग के सभी घटकों में पूर्ण वापसी आने का संकेत देते हैं। जब महामारीपूर्व स्तरों की तुलना की जाए, तो सरकारी खपत और सकल अचल पूंजी निर्माण के बाद निर्यात में बहाली सबसे अधिक है, तथापि, आयातों में समान रूप से काफी सुधार देखा गया (तालिका 3 और 4)।

तालिका 3: सकल घरेलू उत्पाद और उसके घटकों की मांग में वार्षिक वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)

घटक	2019-20 (पहला सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (पहला अग्रिम अ.)	2019-20 से बहाली की %
कुल खपत	5.9	-7.3	7.0	99.2
सरकारी खपत	7.9	2.9	7.6	110.7
निजी खपत	5.5	-9.1	6.9	97.1
कुल स्थायी पूंजी निर्माण	5.4	-10.8	15.0	102.6
निर्यात	-3.3	-4.7	16.5	111.1
आयात	-0.8	-13.6	29.4	111.8
सकल घरेलू उत्पाद	**4.0**	**-7.3**	**9.2**	**101.3**

स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ. - संशोधित अनुमान, अ.अ. - अनंतिम अनुमान, अग्रिम अ. - अग्रिम अनुमान

तालिका 4: सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) में क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20 (1 सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)
कुल खपत	71.7	71.1	69.7
सरकारी खपत	11.2	12.5	12.2
निजी खपत	60.5	58.6	57.5
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	28.8	27.1	29.6
शुद्ध निर्यात	-2.5	-0.5	-3.0
निर्यात	18.4	18.7	20.1
आयात	21.0	19.2	23.1
सकल घरेलू उत्पाद	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ.: संशोधित अनुमान, अ.अ.: अनंतिम अनुमान, अग्रिम अ.: अग्रिम अनुमान

उपभोग

1.12 2021-22 में कुल खपत में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खपत का पिछले वर्ष की तरह सबसे बड़ा योगदान है (तालिका 3)। सरकार की खपत में महामारीपूर्व के स्तर को पार करते हुए 7.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि का अनुमान है। निजी खपत में भी उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जो कि महामारीपूर्व उत्पादन स्तर की तुलना में 97 प्रतिशत का सुधार होगा। उसमें आईआईपी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएं) (चित्र 17) जैसे एचएफआई में तेज वापसी से मदद मिली है। हालांकि, वाहन पंजीकरण में हालिया गिरावट खपत मांग की कमी के बजाय सेमी-कंडक्टर चिप्स की कमी के कारण आपूर्ति में कमी को दर्शाती है। इसे वैश्विक आपूर्ति में व्यवधानों से संबंधित बॉक्स 2 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्तमान स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं दोनों पर आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणाम उपभोक्ता मनोभावों में निरंतर वृद्धि का संकेत देते हैं (चित्र 18)। इसके अलावा उपभोक्ता मनोभावों में तेजी का संकेत डिजिटल लेनदेन में तेज वृद्धि है, विशेष रूप से यूपीआई भुगतानों में महामारी प्रेरित संपर्क रहित भुगतान के कारण। टीकाकरण तेजी से होने और आर्थिक गतिविधियों के तेजी से सामान्य होने के कारण निजी खपत में काफी सुधार देखने की संभावना है।

चित्र 17: आईआईपी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु सूचकांक

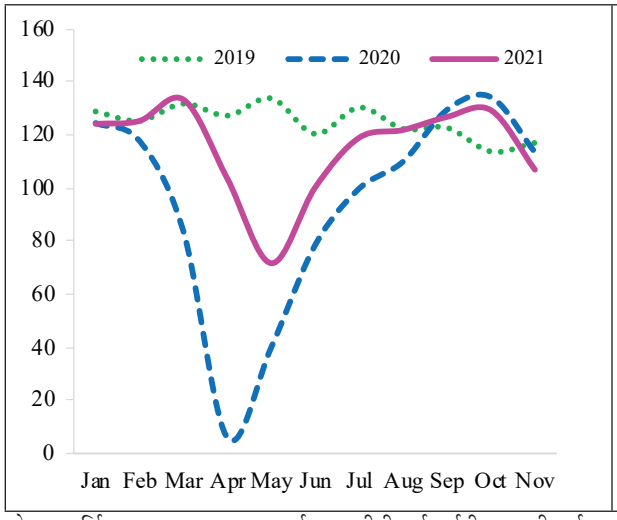

चित्र 18: आरबीआई का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

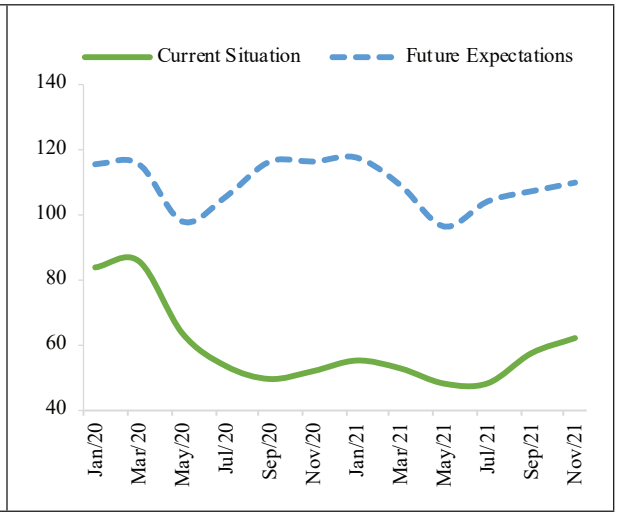

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी, आरबीआई

निवेश

1.13 सकल अचल पूंजी निर्माण अर्थात् निवेश में 2021-22 में 15 प्रतिशत की भारी वृद्धि दिखने और महामारीपूर्व स्तर में पूर्ण रूप से वापस आने की उम्मीद है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और अवसंरचना में खर्च के माध्यम से विकास के तीव्र चक्र की तेजी लाने से संबंधित सरकार की नीति के कारण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है जिससे 2021-22 में निवेश - जीडीपी अनुपात बढ़कर लगभग 29.6 प्रतिशत हो गया है, जो सात वर्षों में सबसे अधिक है (चित्र 19)।

चित्र 19: सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)

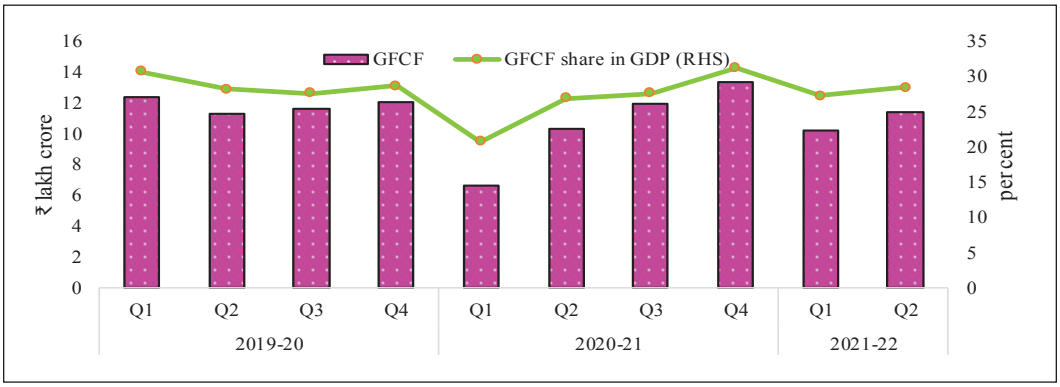

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

नोट: स्थिर (2011-12 की कीमतों) पर पूर्ण आंकड़े, मौजूदा कीमतों के अनुसार शेयर

1.14 जबकि निजी निवेश की वसूली अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, ऐसे कई संकेत हैं जिनसे पता चलता हैं कि भारत मजबूत निवेश के लिए तैयार है। विनिर्माण क्षेत्र में कार्यान्वयन के तहत निजी निवेश परियोजनाओं की संख्या वर्ष के दौरान बढ़ रही है (चित्र 20)। हाल की तिमाहियों में कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफा कमाने और जोखिम पूंजी जुटाने से निजी निवेश में तेजी आने का संकेत मिलता है (चित्र 21)। एक मजबूत और साफ-सुथरा बैंकिंग क्षेत्र निजी निवेश को पर्याप्त रूप से समर्थन देने के लिए तैयार है। निजी खपत के स्तर में अपेक्षित वृद्धि क्षमता उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे निजी निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई के

नवीनतम औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण के परिणाम आगामी तिमाहियों में निवेशकों की बढ़ती आशावाद और उत्पादन में विस्तार का संकेत देते हैं।

चित्र 20: विनिर्माण में निवेशक भावना

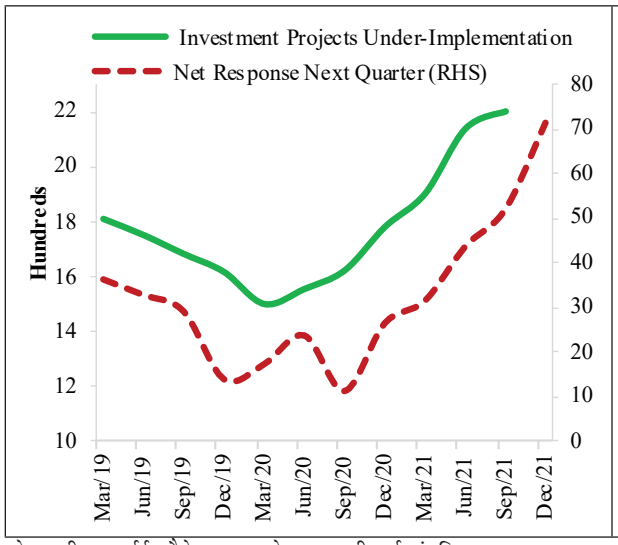

चित्र 21: गैर-वित्तीय क्षेत्र लाभप्रदता अनुपात

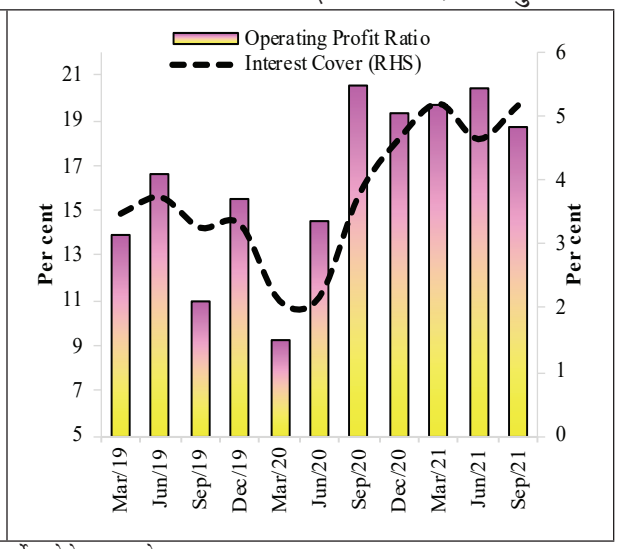

स्रोत: सीएमआईई कैपेक्स डाटाबेस, आरबीआई इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, प्रोवेस डाटाबेस

निर्यात और आयात

1.15 भारत का माल और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में अब तक असाधारण रूप से मजबूत रहा है। वैश्विक आपूर्ति बाधाओं जैसे कि शिपिंग जहाजों का कम परिचालन, स्वेज नहर की रुकावट और चीन का बंदरगाह शहर आदि में कोविड-19 के प्रकोप जैसी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न व्यापार लागत में वृद्धि के बावजूद, व्यापारिक निर्यात 2021-22 में लगातार आठ महीनों के लिए 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा है (चित्र 22)। समवर्ती रूप से, पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं, श्रव्य दृश्य और संबंधित सेवाओं, माल परिवहन सेवाओं, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं द्वारा संचालित शुद्ध सेवाओं के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है (चित्र 23)। मांग के नजरिए से, भारत का कुल निर्यात 2021-22 में 16.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है जो महामारी से पहले के स्तर को पार कर जाएगा। घरेलू मांग में सुधार और आयातित कच्चे तेल और धातुओं की कीमत में निरंतर वृद्धि के साथ आयात में भी मजबूती आई। 2021-22 में आयात में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है।

1.16 परिणामस्वरूप, भारत का निवल निर्यात 2021-22 की पहली छमाही में नकारात्मक हो गया है, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में अधिशेष की तुलना में चालू खाते में पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत का मामूली घाटा दर्ज किया गया है (चित्र 24)। हालांकि, विदेशी निवेश के निरंतर अंतर्वाह के रूप में मजबूत पूंजी प्रवाह मामूली चालू खाता घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि, उच्च घरेलू मांग को बढ़ावा देने वाली वास्तविक आर्थिक गतिविधि में पुनरुद्धार और पूंजी प्रवाह के आसपास बढ़ती अनिश्चितता वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान चालू खाता घाटे को और बढ़ा सकती है। हालांकि, यह प्रबंधनीय सीमा के भीतर होने की उम्मीद है।

चित्र 22: पण्य व्यापार

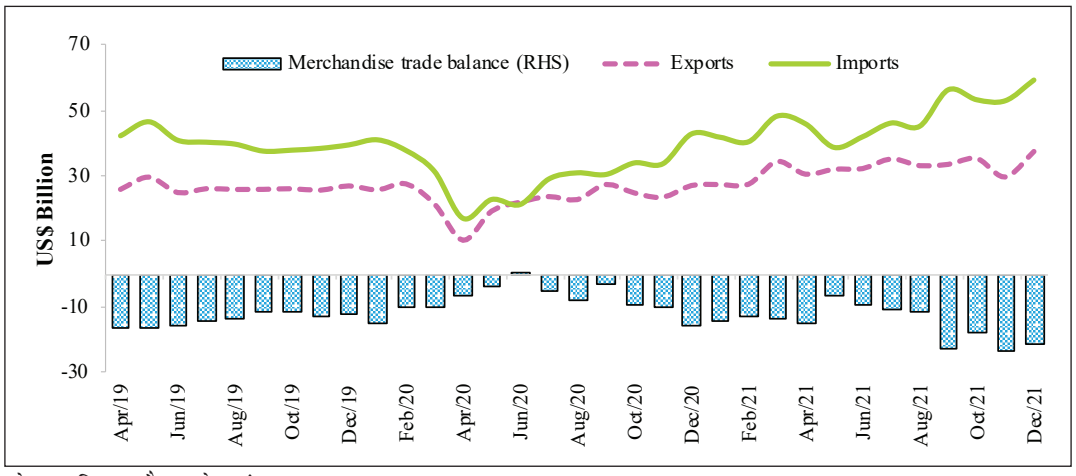

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चित्र 23: सेवाओं में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नेट

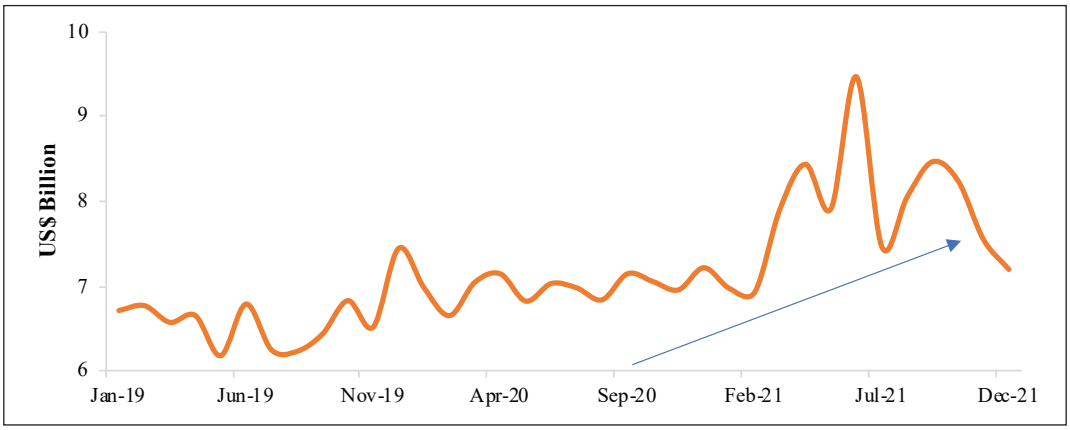

स्रोत: आरबीआई

चित्र 24: भारत का चालू खाता शेष

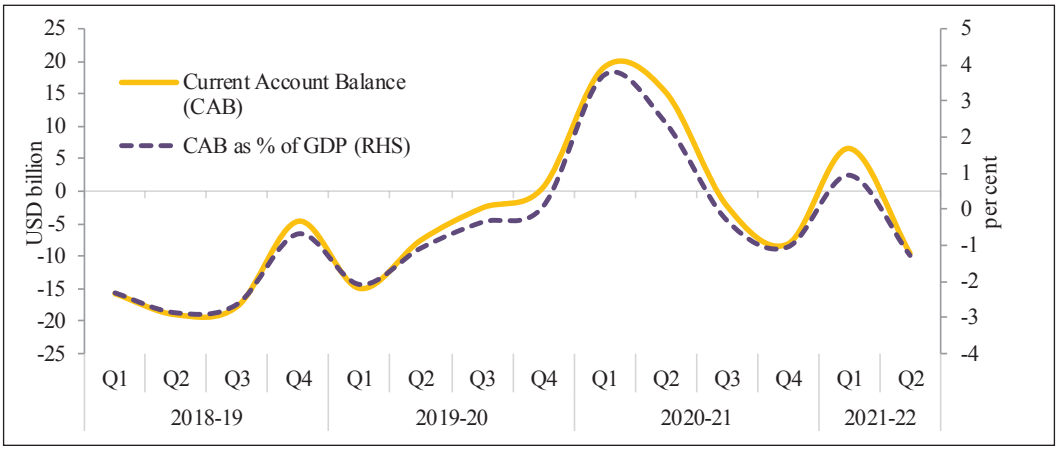

स्रोत: आरबीआई

बारबेल रणनीति, सुरक्षा जाल और चुस्तदुरुस्त प्रतिक्रिया

1.17 परिवर्तनशील वायरस की नई लहरों, यात्रा प्रतिबंध, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान और हाल ही में, वैश्विक मुद्रास्फीति के चलते पिछले दो साल दुनिया भर में नीति-निर्माण के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इन सभी अनिश्चितताओं का सामना करते हुए, भारत सरकार ने "बारबेल स्ट्रैटेजी" का विकल्प चुना, जिसमें समाज/व्यवसाय के कमजोर वर्गों पर प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा-जाल का गठन किया गया, जिसमें सूचना के बेज़ियन अपडेट के आधार पर एक लचीली नीतिगत प्रतिक्रिया थी। जैसा कि पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, यह वित्तीय बाजारों में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है जिसका उपयोग दो अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को मिलाकर अत्यधिक अनिश्चितता से निपटने के लिए किया जाता है। जैसा कि कुछ पाठकों ने अनुमान लगाया होगा, इस रणनीति का पुनरावृत्ति चरण एजायल कार्यप्रणाली के समान है जो फीडबैक-लूप (प्रतिक्रिया-पाश) और रीयल-टाइम अपडेट (वास्तविक काल समायोजन) का उपयोग करता है।

1.18 एजायल कार्यप्रणाली अच्छी तरह से स्थापित एक बौद्धिक ढांचा है जो परियोजना प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्रों में काफी उपयोग किया जाता है। अनिश्चित वातावरण में, सक्रिय रूपरेखा (चुस्तदुरुस्त फ्रेमवर्क) छोटे पुनरावृत्तियों में परिणामों का आकलन करके और लगातार वृद्धिशील रूप से समायोजित करके प्रतिक्रिया करती है। यहां सक्रिय (चुस्तदुरुस्त) को "वाटरफॉल" ढांचे से अलग करना महत्वपूर्ण है जो भारत और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नीति तैयार करने का पारंपरिक तरीका रहा है। वाटरफॉल दृष्टिकोण में समस्या का एक विस्तृत, प्रारंभिक मूल्यांकन शामिल है, जिसके बाद कार्यान्वयन के लिए एक दृढ़ अग्रिम योजना बनाई जाती है। यह पद्धति इस आधार पर काम करती है कि सभी आवश्यकताओं को शुरुआत में समझा जा सकता है और इसलिए यह कार्रवाई के निश्चित मार्ग के लिए पूर्व-प्रतिबद्ध है। यही सोच पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं और दृढ़ शहरी मास्टर-प्लानों में परिलक्षित होती है।

1.19 जबकि फीडबैक-लूप आधारित नीति-निर्माण के कुछ रूप हमेशा संभव थे, यह विशेष रूप से ऐसे समय में प्रभावी है जब हमारे पास रीयल-टाइम डेटा का संग्रह है। पिछले दो वर्षों में, सरकार ने सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ-साथ निजी संस्थानों से अनेक उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) का लाभ उठाया, जो निरंतर निगरानी और पुनरावृत्त अनुकूलन को सक्षम बनाता है। इस तरह की सूचनाओं में जीएसटी संग्रह, बिजली की खपत, गतिशीलता संकेतक, डिजिटल भुगतान, उपग्रह तस्वीरें, जहाजी माल आवाजाही, राजमार्ग टोल संग्रह आदि शामिल हैं। इन एचएफआई ने नीति निर्माताओं को वाटरफॉल ढांचे की पूर्व-निर्धारित प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करने के बजाय एक विकसित स्थिति के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को तैयार करने में मदद की।

1.20 ध्यान दें कि सक्रिय एजायल कार्यप्रणाली का लचीलापन प्रतिक्रियात्मकता में सुधार करता है और विकास में सहायता करता है, लेकिन यह परिणामों की भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करता है। यही कारण है कि बारबेल रणनीति के दूसरे चरण की भी आवश्यकता है। यह सुरक्षा जाल प्रदान करके अप्रत्याशित नकारात्मक परिण ामों को हल्का करने का काम करता है। यह बताता है कि 2020-21 में सरकार के शुरुआती उपाय ज्यादातर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए आपातकालीन नकदी सहायता प्रदान करने और दिवाला और दिवालियापन संहिता को स्थगित करने के बारे में थे। एक बार ये लागू हो जाने के बाद, सरकार ने विशिष्ट चुनौतियों पर लक्षित पैकेजों की नियमित रूप से घोषणा करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। इसकी तुलना कई अन्य देशों द्वारा अग्रिम राहत पैकेज की घोषणा के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण से करें। निम्नलिखित चर्चा अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा-जाल उपायों का एक सिंहावलोकन प्रदान करती है, जबकि अध्याय 2 इस बात का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है कि पूंजीगत व्यय और आपूर्ति-पक्ष संबंधी उपायों, जैसे उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, से समय के साथ राजकोषीय मिश्रण कैसे बदल गया।

कमजोर वर्गों को सहारा देने के लिए सुरक्षा जाल का उपयोग

1.21 'सदी में एक बार होने वाली' महामारी से जुड़ी अत्यधिक अनिश्चितता को पहचानते हुए सरकार ने आपातकालीन सहायता और आर्थिक नीति कार्यों के सावधानीपूर्वक मिश्रण का विकल्प चुना ताकि महामारी

से प्रेरित झटकों के खिलाफ एक सहारा प्रदान किया जा सके, और लचीले ढंग से एक विकसित स्थिति को अपनाया जा सके।

1.22 2020 की शुरुआत में, जब दुनिया भर में महामारी की पहली लहर चल रही थी, सरकार ने आपातकालीन नीतिगत कार्रवाइयों के माध्यम से लोगों की जान बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन कार्रवाइयों में से पहली कार्रवाई मार्च 2020 में एक कड़े लॉकडाउन को लागू करना थी जबकि मामले अभी भी कम थे। इसने परीक्षण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, क्वारंटाइन अर्थात् संगरोध सुविधाएं बनाने आदि के लिए आवश्यक समय प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने कोविड-19 वायरस, इसके लक्षण और यह कैसे फैलता है, इसको समझने का आवश्यक समय दिया।

1.23 सरकार ने माना कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन आर्थिक गतिविधियों को बाधित करते हैं। इसलिए, विश्व के सबसे बड़े मुफ्त भोजन कार्यक्रम, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और छोटे व्यवसायों के लिए राहत उपायों (तालिका 5 में विवरण) सहित आर्थिक सुरक्षा तंत्र को जल्दी से स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथ-साथ अर्थव्यवस्था को मौद्रिक सहायता प्रदान की। इनमें से कई सुरक्षा जाल प्रावधान दूसरी लहर के दौरान जारी रहे और आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाए गए। इसके साथ टीकाकरण कार्यक्रम में तीव्र बढ़ोतरी की गई जैसा कि अध्याय में आगे चर्चित है।

तालिका 5: कोविड-19 के दौरान आपदा को रोकने के लिए गठित सुरक्षा जाल के प्रमुख उपाय

नकद हस्तांतरण	महिला जन धन खाताधारकों को ₹ 500/माह 3 महीने के लिए	• 20.64 करोड़ महिला लाभार्थियों को ₹ 30,944 करोड़ जारी किए गए
	कमजोर वर्ग (विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग) को ₹ 1000	• 2.82 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹ 2814 करोड़ जारी किए गए
	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) - ब 6000/- प्रति वर्ष तीन किस्तों में	• फरवरी 2019 से 1.1.2022 तक 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹ 1.8 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए, यानी, कोविड-19 के समय से 6 किश्तें
खाद्य सुरक्षा	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न @ 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न के अलावा	• मार्च 2020 में शुरू किया गया, चरण-V - के तहत मार्च 2022 तक बढ़ाया गया • मार्च-2020 से नवंबर-2021 तक, खाद्य सब्सिडी में ₹ 2.07 लाख करोड़ के बराबर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित 600 एलएमटी खाद्यान्न
	वन नेशन वन राशन कार्ड पारगमन में लोगों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पीडीएस लाभ सुनिश्चित करने के लिए।	• 94.3 प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आबादी को कवर करते हुए अगस्त 2021 तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम, • 1.4.2020 और 30.9.2021 के बीच 24.32 करोड़ रुपये का पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए
	उज्ज्वला के तहत रसोई गैस सिलेंडर	• अप्रैल से जून 2020 के लिए 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर। • उज्जवला 2.0 के तहत पहला रिफिल और हॉटप्लेट मुफ्त (शुरूआत 10.8.2021) सरल प्रक्रियाओं के साथ

रोजगार	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएम-जीकेआरए के तहत) बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसरों के लिए	• 27.07.21 को ₹ 39,293 करोड़ के व्यय के साथ 50.8 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजित किए
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	• 2020-21 में 389.2 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने वाले 11.2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ₹ 1,11,171 करोड़ की धनराशि जारी • 2021-22 (25.11.2021 तक): 240.4 करोड़ कार्य दिवस पैदा करने वाले 8.85 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ₹ 68,233 करोड़ की धनराशि जारी।
	मनरेगा मजदूरी में 2019-20 की मजदूरी दर से ₹ 20 की वृद्धि	• लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरी दर 1.4.2020 से संशोधित
	₹ 15000/- से कम आय वाले 90 प्रतिशत कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत 6 महीने के लिए 12 प्रतिशत नियोक्ता और 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान	• कोविड के बाद ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में संरक्षित रोजगार
	आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए और उन्हें ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।	• दिनांक 20.11.2021 तक 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया
आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	• 2020- 21: 33.99 लाख घरों का निर्माण पूरा • 2021-22 (25.11.21 तक): 26.20 लाख घरों का निर्माण पूरा
	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	• 2020-21: 14.56 लाख घरों का निर्माण पूरा • 2021-22: 4.49 लाख घरों का निर्माण पूरा (दिसंबर-21 तक)
कौशल विकास	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) - ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम डीडीयू-जीकेवाई	डीडीयू-जीकेवाई • 2020-21: 38,289 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 49,563 अभ्यार्थियों को नौकरी पर रखा गया • 2021-22 (अक्टूबर*21 तक): 14,568 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 21,369 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई आरएसईटीआई आरएसईटीआई • 2020-21: 207712 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 138537 अभ्यर्थियों का निपटारा किया गया

		• 2021-22 (30.10.2021 तक): 114640 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 61546 अभ्यार्थियों को नियुक्त किया गया
	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 6 राज्यों को सम्मिलित करने वाले प्रवासी कामगारों का नवीन कौशल और उच्च कौशल	• 21.11.2021 तक 1.24 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग	आरबीआई द्वारा सभी सावधि ऋणों के लिए 1.3.2020 से 31.8.2020 तक 6 महीने का अधि स्थगन और ब्याज का आस्थगन मोहलत	• 31.08.2020 तक एमएसएमई उधारकर्ताओं के 77.2 प्रतिशत और एससीबी के 43.7 प्रतिशत व्यक्तिगत उध रकर्ताओं द्वारा लाभ उठाया गया
	एमएसएमई डिफॉल्ट ऋणों का पुनर्गठन - अगस्त 2020 और मई 2021 आरबीआई की योजनाएं	• एससीबी द्वारा 12.11.2021 तक ₹ 78,591 करोड़ का कुल पुनर्गठित निवेश सूची • पीएसबी द्वारा 9.8 लाख एमएसएमई खातों में ब 58,524 करोड़ की राशि का समाधान/पुनर्गठन
	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना - कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए व्यवसायों (विशेष रूप से एमएसएमई) को ₹ 4.5 लाख करोड़ तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी	• 19.11.2021 तक 5.45 करोड़ कर्मचारियों को प्रभावित करते हुए, 95.2 लाख उधारकर्ताओं को ₹ 2.28 लाख करोड़ वितरित किए गए • एमएसएमई को वितरित गारंटी राशि का 66 प्रतिशत • 31.03.2022 तक बढ़ाया गया
	एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस)	क्रेडिट गारंटी / मार्जिन मनी प्रदान की गई • 2020-21: ₹ 36,899 करोड़ • 2021-22: ₹ 22,959 करोड़ (30.11.2021 तक)
ऋण	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर 1 साल के लिए रोक, और न्यूनतम सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने के लिए	• 25.3.2020 से 24.3.2021 के दौरान भुगतान में चूक माफ
	31.3.2022 तक आरबीआई द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹ 50,000 करोड़ की अवधि नकदी सुविधा	• 31.04.2021 को घोषित किया गया
	सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को उधार देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	• शुरूआत होने के 75 दिनों (28.6.2021) में पूरी तरह से उपयोग, ₹ 7500 करोड़ स्वीकृत
	एमएसएमई और व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए ₹ 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0	• 25.9.2020 तक, ₹ 25,505 करोड़ के निवेश सूची को बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया। • पीएसबी: ₹ 27,794 करोड़ का निवेश सूची 4.12.2020 तक खरीदा गया
	31.10.2021 तक उपलब्ध लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन	• 31.04.2021 को घोषित किया गया

ऋण ₹	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एमएफआई को ऋण देने के लिए 31.3.2022 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	• 31.04.2021 को घोषित किया गया
	नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए ब 30,000 करोड़ अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधि	• 25.9.2020 तक ब 25,000 करोड़ का वितरण शेष ₹ 5,000 करोड़ छोटे एनबीएफसी और • एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित किया गया।
	राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 16.10. 2021 को शुरू किया गया	• 26.11.2021 तक ₹ 96,063 करोड़ ऋण स्वीकृत
	किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान- 2.5 करोड़ किसानों को ₹ 2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन	• 1.35 लाख करोड़ की क्रेडिट सीमा के साथ 1.5 करोड़ से अधिक केसीसी जारी किए गए
	पीएम स्वनिधि योजना शहरी पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए	• 30.11.2021 तक 30.2 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ब 3,054 करोड़ का ऋण
	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)	• संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख 63 लाख महिला एसएचजी, जिन्होंने 6.85 करोड़ परिवारों का समर्थन किया।
	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके गरीबी कम करने के लिए	• 2020-21: एसएचजी को वितरित किए गए ₹ 84,143 करोड़ के ऋण। • 2021-22 (सितंबर 2021 तक): 21.6 लाख एसएचजी ऋण ब 43093 करोड़ से जुड़े।
	एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए ₹ 30,000 करोड़ की विशेष चलनिधि योजना	• 30.09.2020 तक, 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें ₹ 11,120 करोड़ - ₹ 7,227 करोड़ संवितरित शामिल थे। योजना बंद कर दी गई है।
	कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹ 1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना - स्वास्थ्य अवसंरचना, पर्यटन, आदि।	• 30.06.2021 को कैबिनेट की मंजूरी • 31.03.2022 तक या ₹ 50,000 करोड़ स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू है

स्रोत: विभिन्न पीआईबी विज्ञप्ति, संसदीय प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक

मौद्रिक और वित्तीय सहायता

1.24 महामारी के प्रकोप के चलते मौद्रिक नीति को आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वहीं अतिरिक्त नकदी के मध्यम अवधि के विस्थापन से बचने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित भी किया गया था। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी से मई 2020 के दौरान नीति रेपो दर में 115

आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की, पिछले बारह महीनों में 135 बीपीएस की कमी के ऊपर। तब से, एमपीसी ने नीति रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखी है और इसे 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर भी 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है और इसलिए रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत है। आरबीआई ने अपने नवीनतम एमपीसी बयान में आगे भी इस उदार रुख को जारी रखने का फैसला किया है, जब तक कि टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक हो। केंद्र और राज्य सरकारों को कम दरों पर वित्तपोषित करने के लिए एवं प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए कई अतिरिक्त कदम उठाए गए।

1.25 सुरक्षा-जाल का एक महत्वपूर्ण पहलू सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी गारंटियों का उपयोग था (तालिका 5 देखें)। दिवाला कार्यवाही पर स्थगन के साथ, सरकार एक भुगतान गतिरोध से बचने में सक्षम थी जो कि चूक का एक जलप्रपात हो सकता था। जहां जरूरत थी वहां अधिकांश समर्थन 2021-22 में बढ़ा दिया गया था, लेकिन आरबीआई और सरकार ने कुछ नकदी समर्थन को रोल-ऑफ और दिवाला प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। ऐसा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अतिरिक्त नकदी और एक रुकी हुई दिवाला प्रक्रिया लंबी अवधि के जोखिम लाती है। इस पर अध्याय 4 में विस्तार से चर्चा की गई है।

उच्च आवृत्ति संकेतक

1.26 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछले दो वर्षों में, सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से उद्योग, सेवाओं, वैश्विक प्रवृत्तियों, वृहद्-आर्थिक-स्थिरता संकेतकों और कई अन्य गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अस्सी एचएफआई की एक श्रृंखला का लाभ उठाया है ताकि रीयल टाईम आधार पर अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति का आकलन किया जा सके। इनमें गतिशीलता आंकड़े, बिजली उत्पादन, अनुसूचित घरेलू उड़ानें, वित्तीय लेनदेन की मात्रा/मूल्य, पूंजीगत प्रवाह आदि शामिल हैं। इसमें ग्रामीण रोजगार की स्थिति, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में, मनरेगा के तहत मांगे गए रोजगार को भी शामिल किया गया है। इन संकेतकों को वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और इस अध्याय के अंत में एक पूरी सूची अनुबंध में दी गई है।

1.27 भले ही, एचएफआई का रीयल-टाइम और लगातार होने का फायदा है, उन्हें सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रत्येक संकेतक, सर्वोत्तम रूप से, विकास का आंशिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा, शोर-से-संकेत अनुपात राष्ट्रीय खातों और अन्य धीमी गति से चलने वाले आंकड़ों की तुलना में अधिक हो सकता है। बहरहाल, तेजी से विकसित हो रही स्थिति में, नीति-निर्माता उपयोगी संकेत प्राप्त कर सकते हैं जो तेजी से प्रतिक्रिया और बेहतर लक्ष्यीकरण की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए एचएफआई का उपयोग करना उतनी ही कला है जितना कि विज्ञान। निम्नलिखित चित्र इस्तेमाल किए जा रहे एचएफआई का एक अनुमान प्रदान करते हैं (चित्र 25)। प्रासंगिक अध्यायों में विशिष्ट व्याख्याओं और नीति प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है।

चित्र 25: उच्च आवृत्ति संकेतकों का प्रदर्शन

क. ई-वे बिल जनरेशन

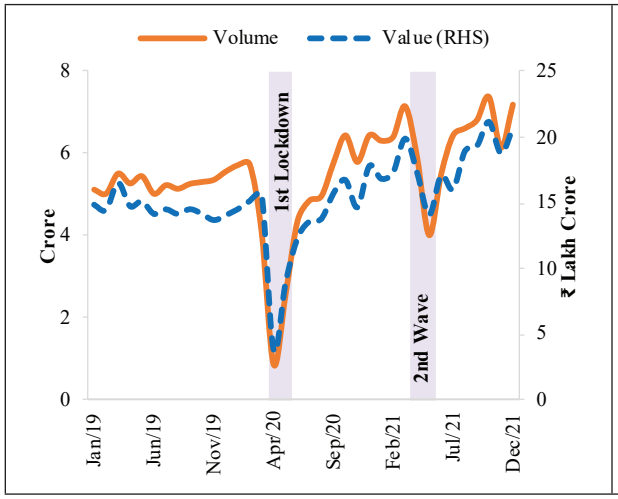

स्रोत: जीएसटीएन

ख. जीएसटी संग्रह

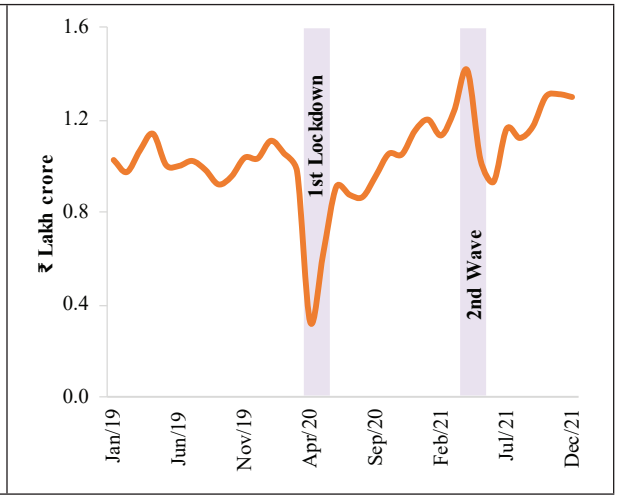

स्रोत: वित्त मंत्रालय

ग. बिजली की खपत

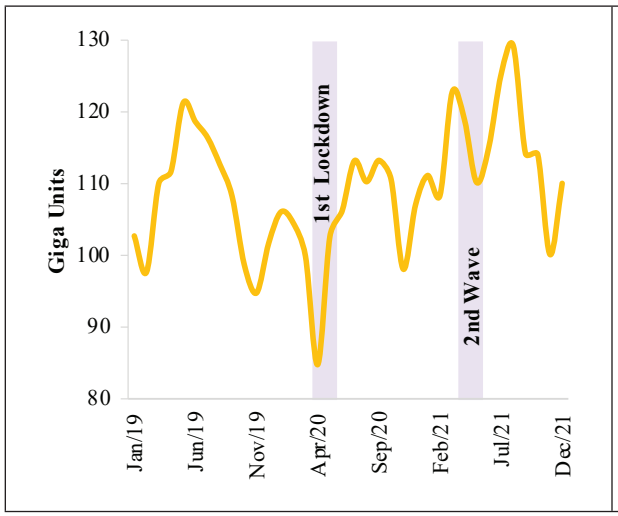

घ. ईटीसी टोल संग्रह और गणना

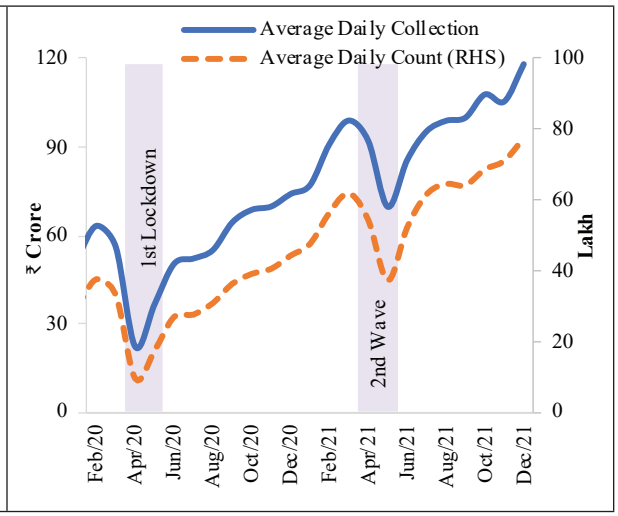

स्रोत: पीओएसओसीओ

ङ. खुदरा गतिशीलता

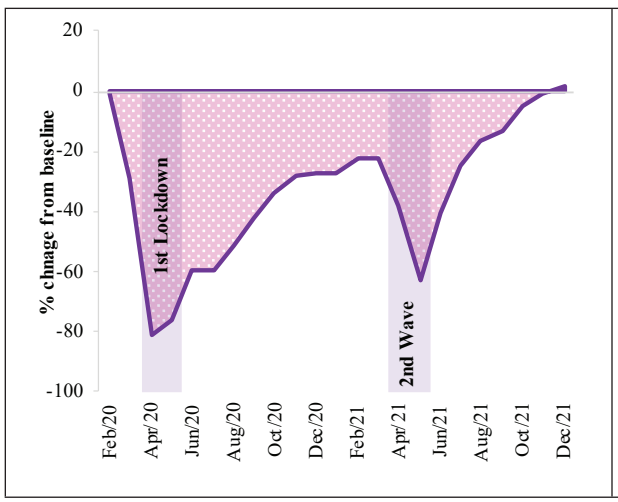

स्रोत: गूगल मोबिलिटी

च. यूपीआई और एटीएम लेनदेन

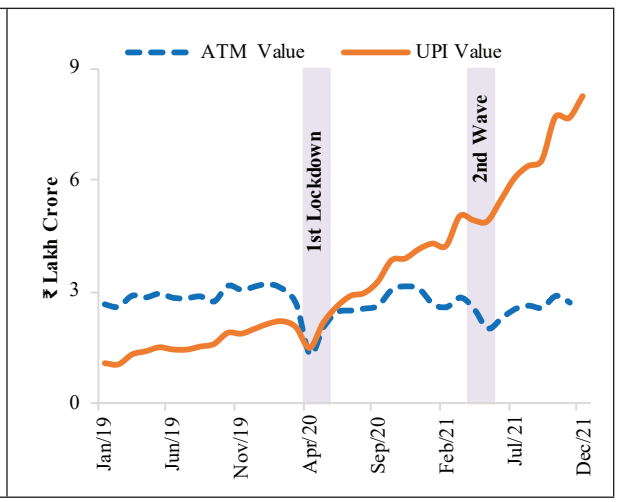

स्रोत: आईएचएस मार्किट

छ. माल और कार्गो यातायात

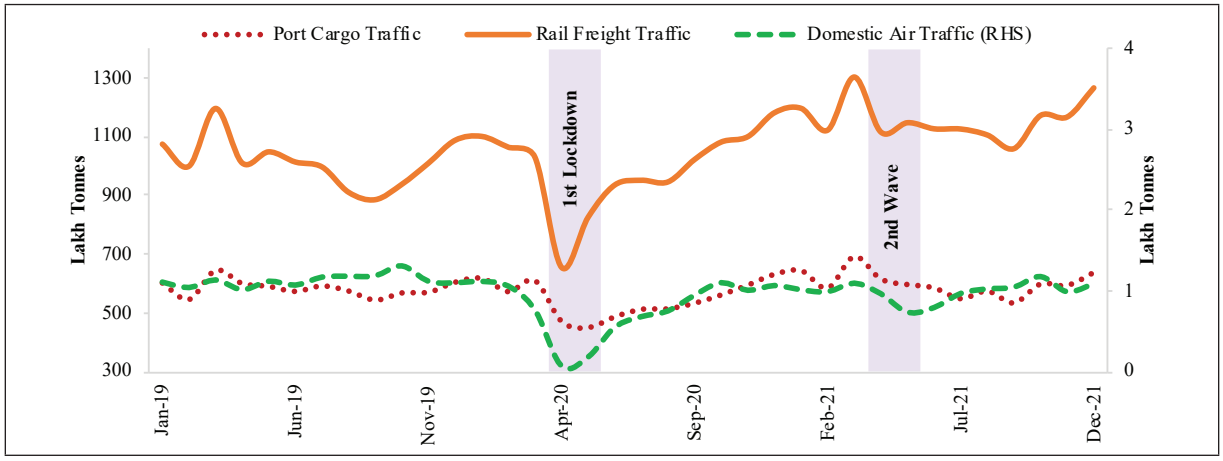

स्रोत: आईपीए, एएआई, रेल मंत्रालय

ज. घरेलू ट्रैक्टर बिक्री

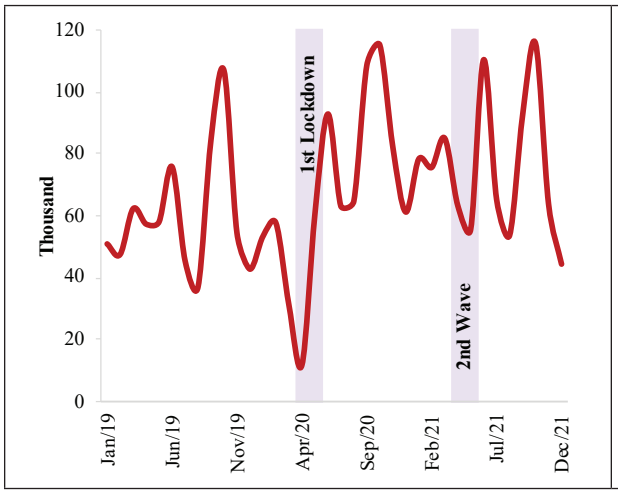

स्रोत: टीएमए

झ. दो और तीन वाहनों की बिक्री

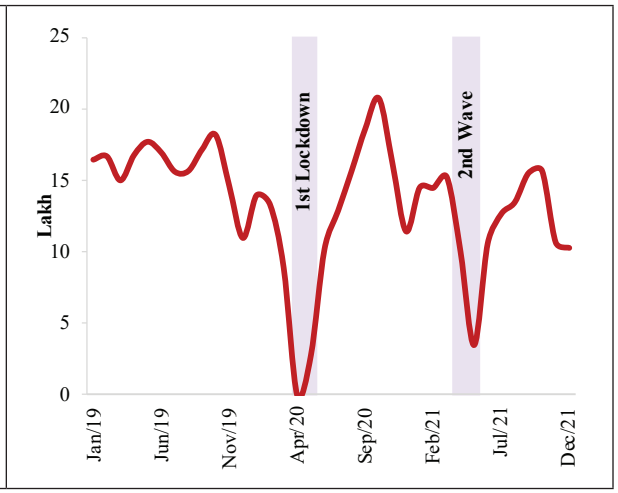

स्रोत: सियाम

ञ. मनरेगा का काम सृजित और मांगा

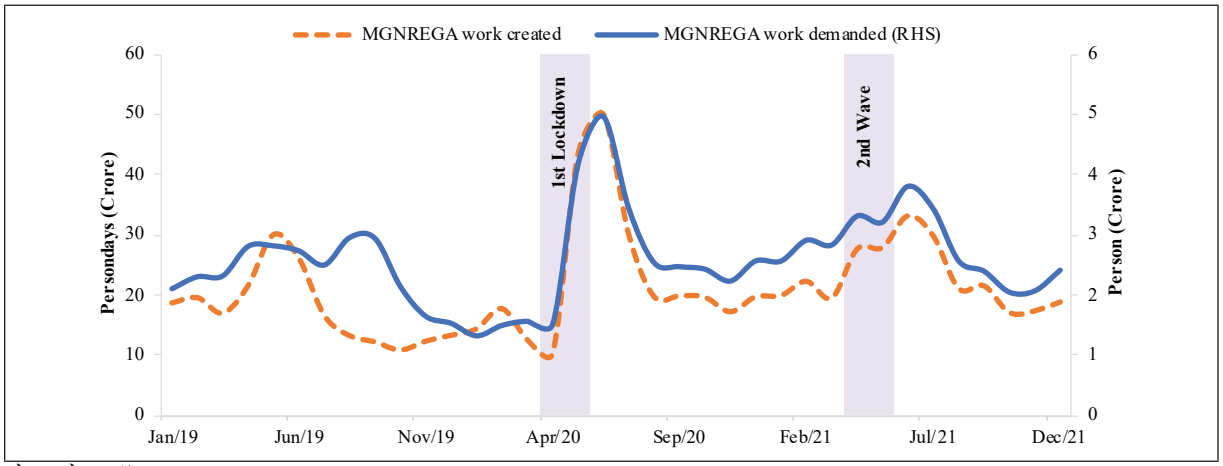

स्रोत: नरेगा सॉफ्ट

ट. ईंधन की खपत

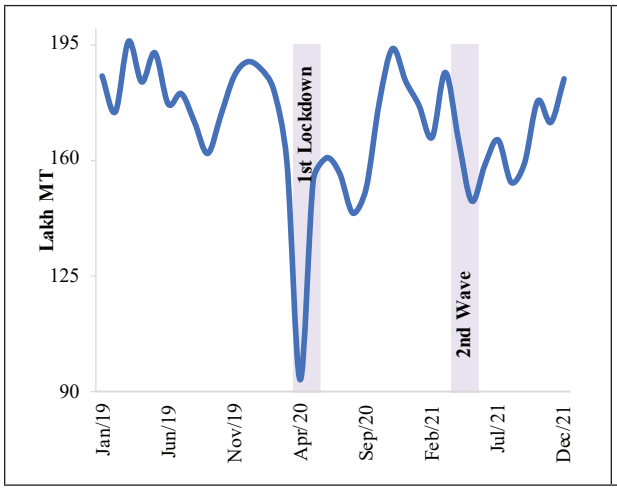

स्रोत: एनपीसीआई

ठ. यात्री वाहन बिक्री

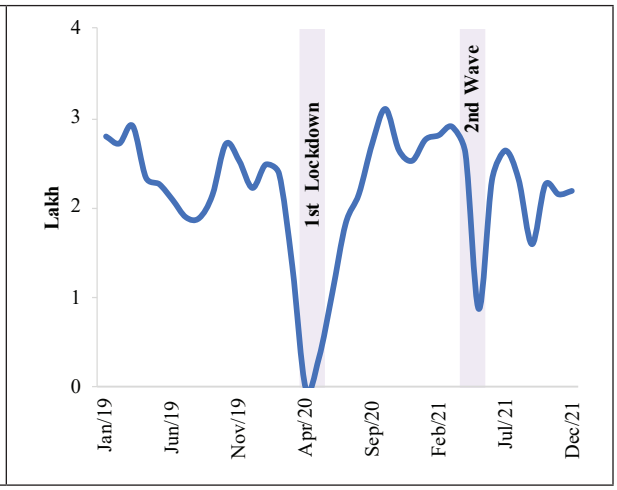

स्रोत: आरबीआई

ड. रेलवे यात्री आय

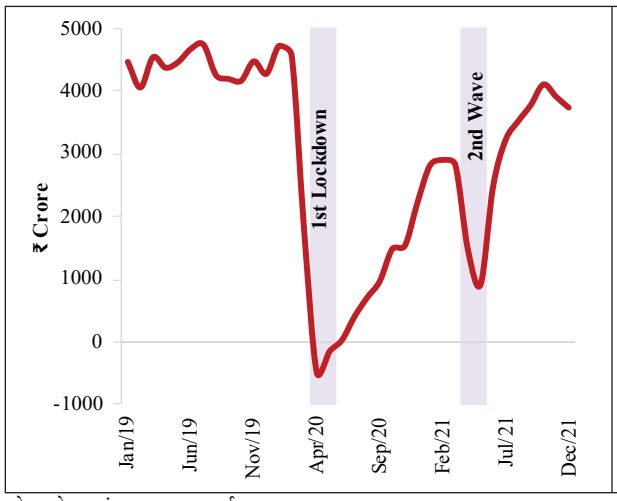

ढ. हवाई यात्री यातायात

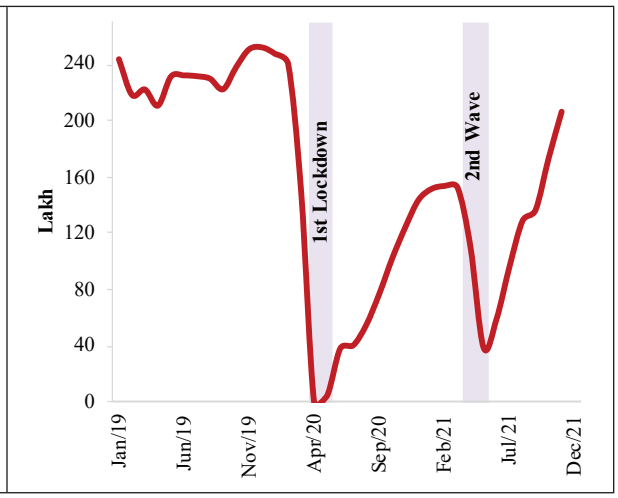

स्रोत: रेल मंत्रालय, एएआई

ण. कच्चे तेल की कीमत

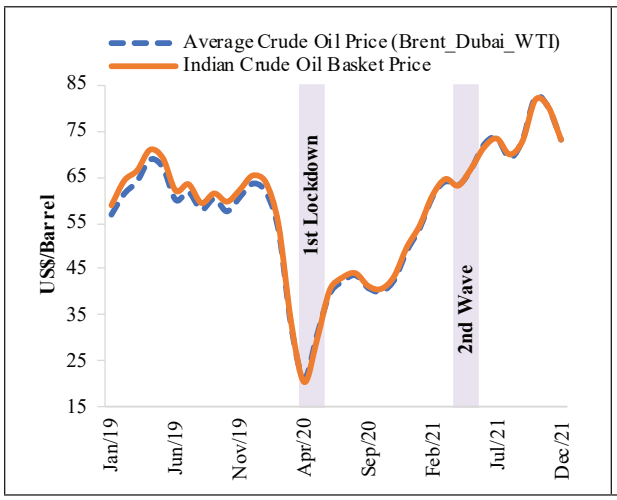

स्रोत: पीपीएसी

त. संचलन और मुद्रा आपूर्ति में मुद्रा

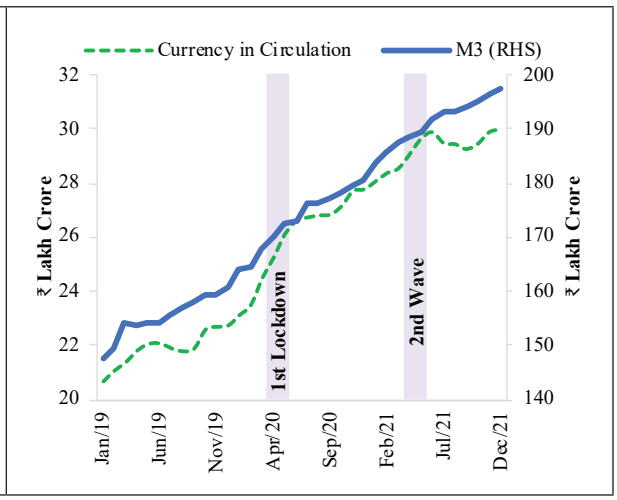

स्रोत: आरबीआई

थ. इक्विटी बाजार

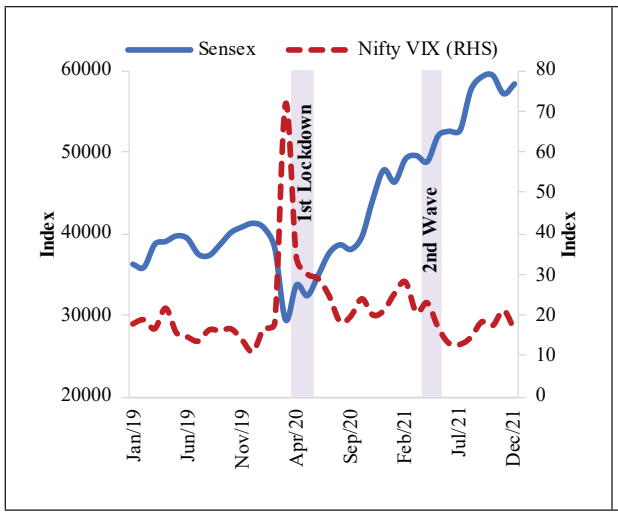

स्रोत: एनएसई, बीएसई

द. बांड आय

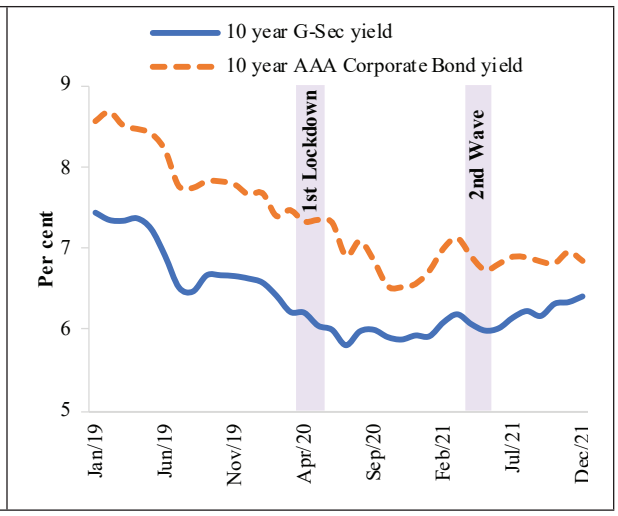

स्रोत: सीसीआईएल

ध. मंडी आमद

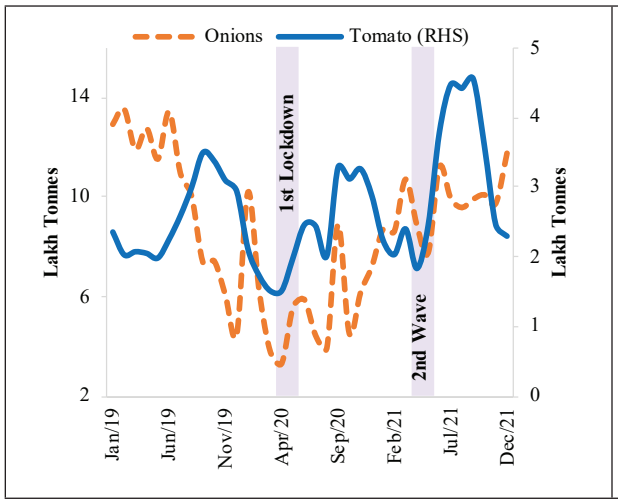

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, सीएमआईई

न. खुदरा मूल्य

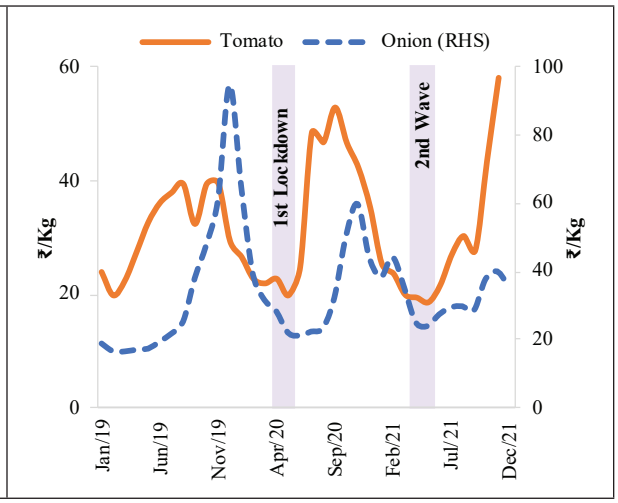

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, सीएमआईई

प. एफडीआई और एफपीआई

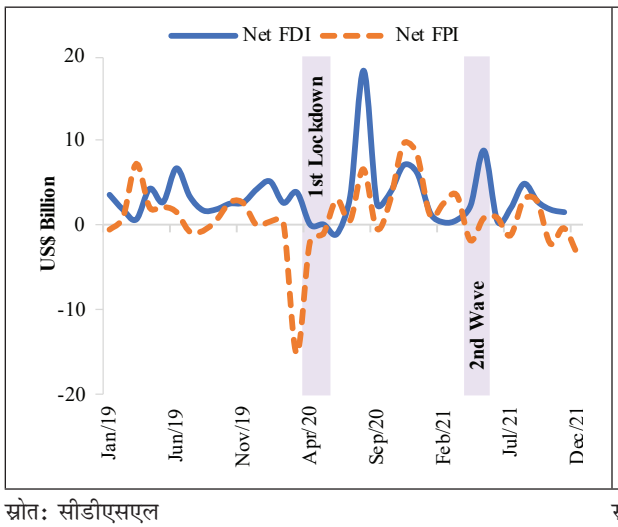

स्रोत: सीडीएसएल

फ. गैर-तेल आयात और निर्यात

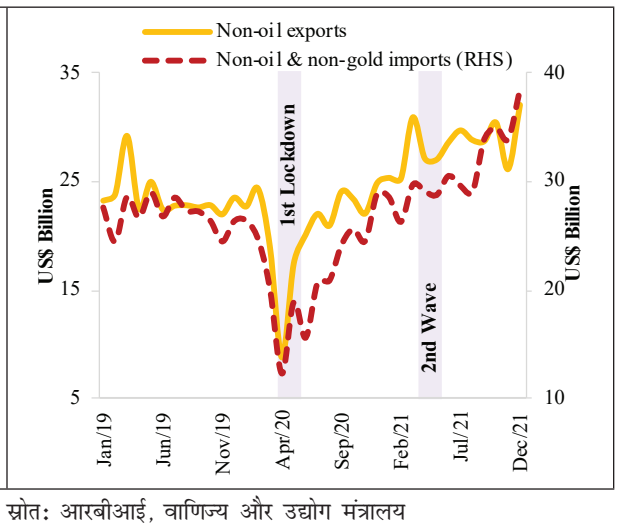

स्रोत: आरबीआई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

ब. विदेशी व्यापार

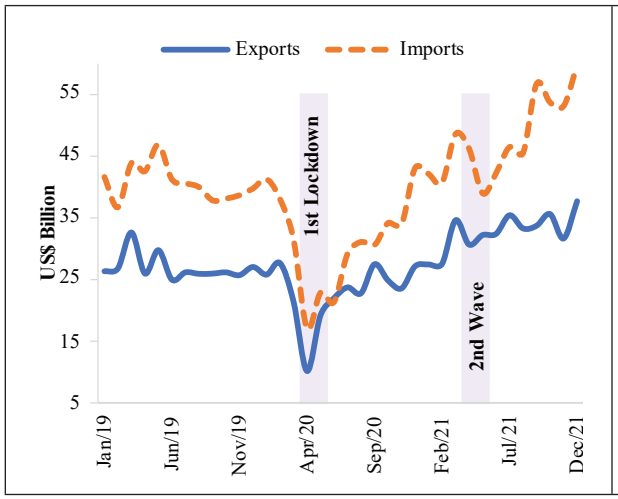

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय

भ. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स

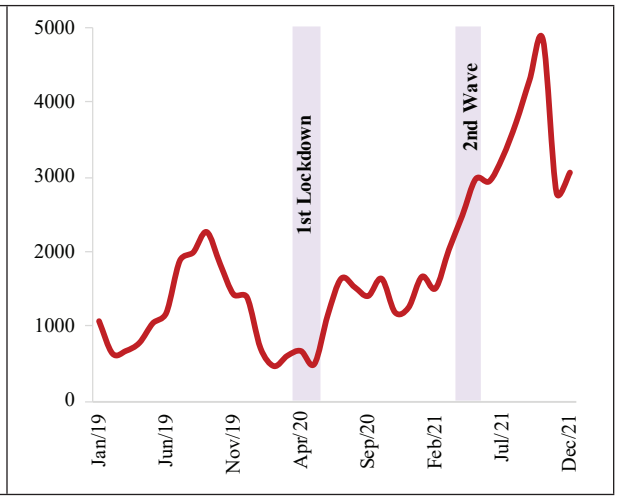

स्रोत: द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड

म. डॉलर की निवल बिक्री/खरीद और विनिमय दर

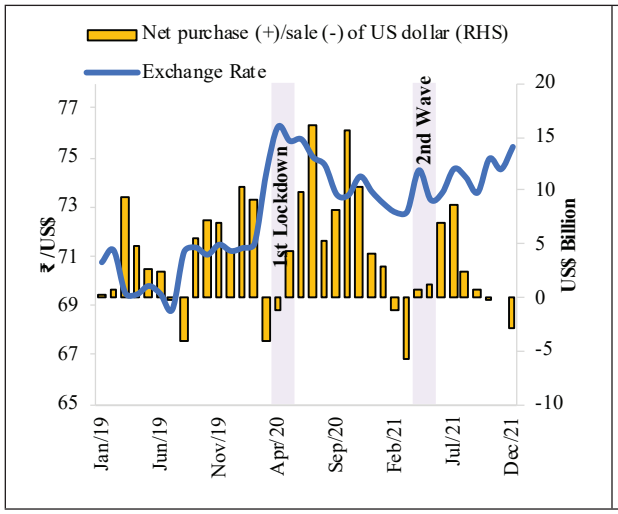

स्रोत: आरबीआई

य. विदेशी मुद्रा भंडार

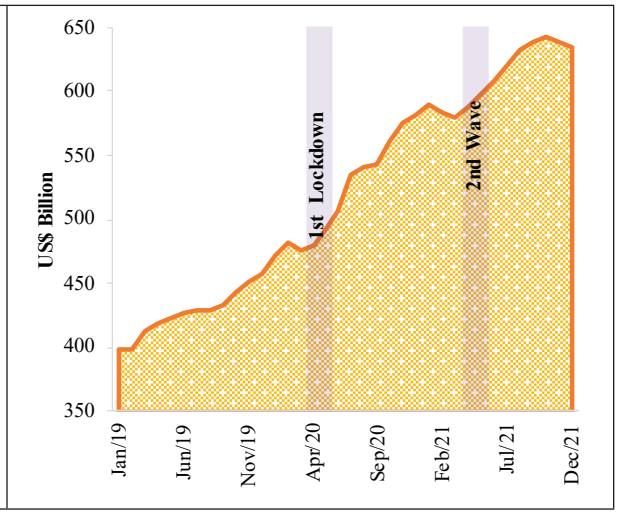

स्रोत: आरबीआई

टीकाकरण

1.28 टीकाकरण ने जीवन के नुकसान को कम करने, कार्यकलापों को फिर से शुरू करने हेतु अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने और दूसरी लहर के कारण उत्पादन में क्रमिक गिरावट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (बॉक्स 1)। जब भारत ने 16 जनवरी, 2022 को अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा किया, वैक्सीन की 156 करोड़ से अधिक खुराक (चित्र 26) के व्यवस्था के ऐतिहासिक उपलब्धि को पार कर लिया गया था। 88 करोड़ से अधिक लोगों (वयस्क आबादी का 93 प्रतिशत) को कम से कम एक खुराक मिली है, जिसमें से लगभग 66 करोड़ लोगों (वयस्क आबादी का 70 प्रतिशत) का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया हैं। 3 जनवरी, 2022 से शुरू होने वाले 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने सहित इस आयु वर्ग में भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को 19 जनवरी तक टीके की पहली खुराक मिल गई है। इन उपायों पर अध्याय 10 में विस्तार से चर्चा की गई है।

चित्र 26: टीकाकरण की विस्तृत सूचना

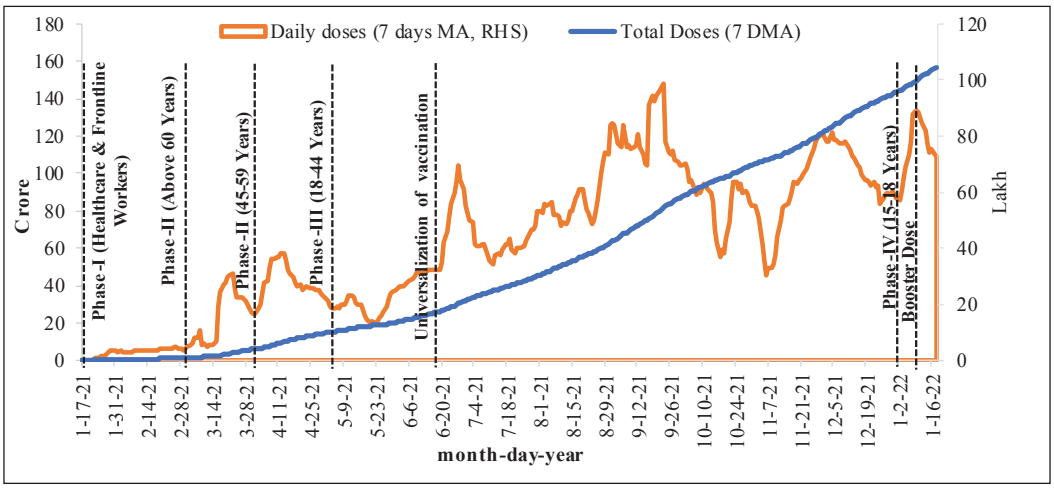

स्रोत: एमओएचएफड्ब्ल्यू से डेटा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण गणना

1.29 दिसंबर 2021 के अंत से भारत में दैनिक नए मामलों में पुनरुत्थान सहित ओमीक्रोन संस्करण की तीसरी लहर की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, टीकाकरण में तेजी से प्रगति और परीक्षण और स्वास्थ्य अवसंरचना को और सुदृढ़ करना जीवन की रक्षा और संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

बॉक्स 1: भारत का टीकाकरण अभियान

महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ रहा है। 16 जनवरी 2021 को, भारत ने 31 दिसंबर 2021 तक अपनी पूरी आबादी को कम से कम पहली खुराक के साथ टीका लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। पहले चरण में, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को शामिल करने के लिए टीकाकरण अभियान का क्रमिक रूप से विस्तार किया गया था। दूसरा चरण 1 मार्च (60 वर्ष से अधिक के लिए) और 1 अप्रैल 2021 (45-59 वर्ष से) को शुरू हुआ था, जिससे 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति टीकाकरण के लिए पात्र हो गए थे। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के कारण हुई मौतों में से 80 प्रतिशत मौतें इसी आयु वर्ग में रहीं थीं। तीसरा चरण 1 मई 2021 को 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया था। दिनांक 3 जनवरी 2022 से, टीकाकरण अभियान को 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा ओमिक्रोन वेरिएंट के हालिया वैश्विक संक्रमण का संज्ञान लेते हुए, 26 नवंबर 2021 को डब्ल्यूएचओ द्वारा घोषित मुद्दा का संस्करण, स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ-साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सह-रुग्णता सहित बूस्टर खुराक की अनुमति दी गई है। 10 जनवरी 2022 से। राज्यों और सभी आयु समूहों में टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए टीकाकरण पहुंच और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित कर दिया गया है।

लेखन के समय उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 99 प्रतिशत पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और 100 प्रतिशत फ्रंट-लाइन कार्यकर्ता, 18-44 वर्ष की आयु के बीच 87 प्रतिशत जनसंख्या, 45-60 वर्ष की आयु के बीच 95 प्रतिशत जनसंख्या और 60 वर्ष से ऊपर की 89 प्रतिशत जनसंख्या को पहली खुराक के तहत टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण अभियान की गति और चाल बढ़ती जा रही है और अतिरिक्त 10 करोड़ खुराक प्राप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या प्रारंभिक चरण के दौरान 86 दिनों से घटकर अब 15 दिन हो गई है (चित्र 1क) । औसत दैनिक टीकाकरण दर मई 2021 में 19.3 लाख से बढ़कर 16 जनवरी 2021 तक 75.4 लाख हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक, भारत में पहली खुराक लेने वाले पात्र आबादी (18 वर्ष और अधिक) का टीकाकरण 93 प्रतिशत था। दूसरी खुराक लेने वाले पात्र आबादी 69.8 प्रतिशत (चित्र 1सी) था।

चित्र 1क: भारत में अगले 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने के लिए दिन

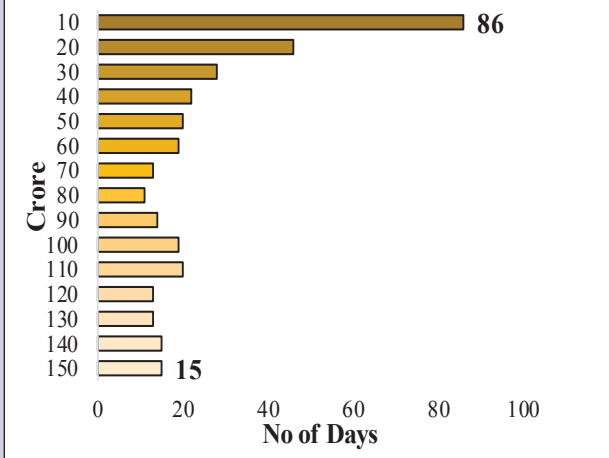

चित्र 1ख: देशों में व्यवस्थित कुल खुराक

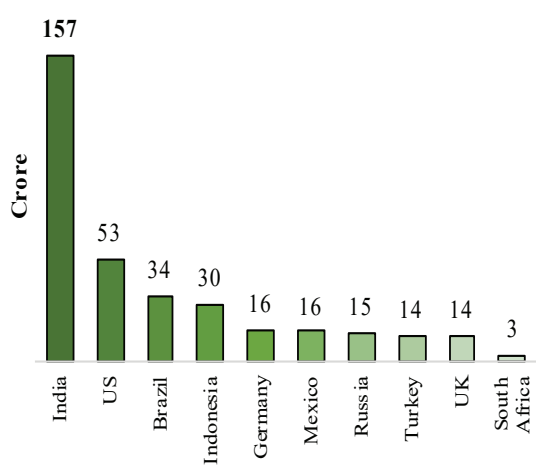

स्रोत: एमओएचएफड्ब्ल्यू और ड्ब्ल्यूएचओ के डेटा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण गणना

टिप्पणी: 16 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसर चित्र 1ख आंकड़े ।

चित्र 1ग: कोविड-19 वैक्सीन सहित वयस्क जनसंख्या का संचयी प्रतिशत (प्रतिशत में)

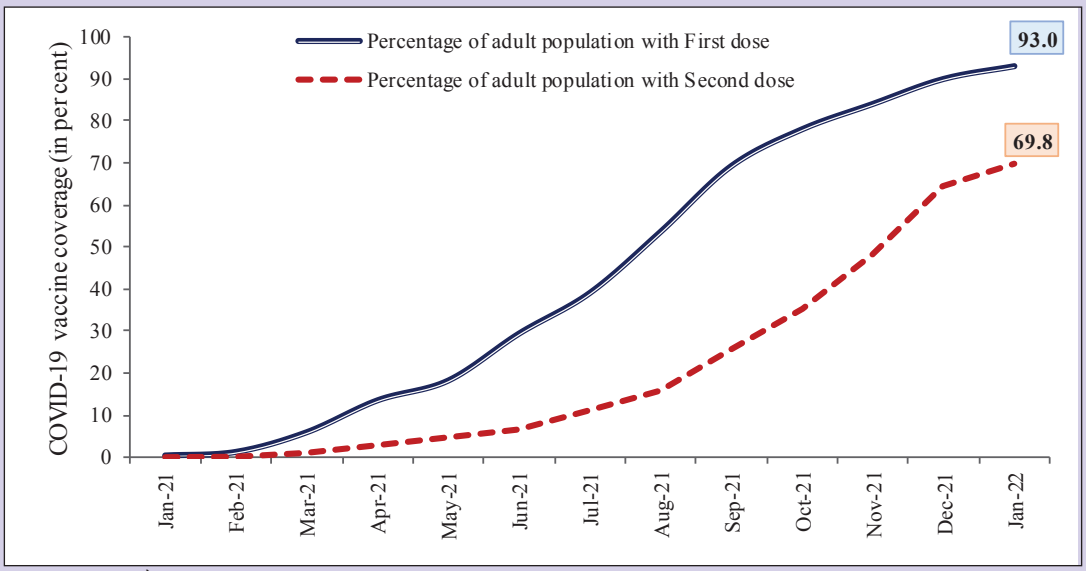

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डेटा के उपयोग द्वारा सर्वेक्षण गणना

नोट: 16 जनवरी 2022 तक के आंकड़े

वृहद्-आर्थिक स्थिरता

1.30 लेखन के समय, ओमिक्रोन संस्करण के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही थी, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नकदी की निकासी का चक्र शुरू किया जा रहा था। यही कारण है कि भारत के वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतकों और उपरोक्त तनावों के खिलाफ एक बफर प्रदान करने की उनकी क्षमता को देखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सारणी-6 में 2008-09 (वैश्विक वित्तीय संकट), 2012-13 (टेपर टैंट्रम) और 2021-22 (कोविड -19 महामारी का दूसरा वर्ष) में विभिन्न वृहत आर्थिक स्थिरता संकेतकों की त्वरित तुलना की गई है। यह खंड सभी अग्रणी- विदेशी क्षेत्र, राजकोषीय संकेतक, वित्तीय क्षेत्र और मुद्रास्फीति पर वृहत आर्थिक स्थिरता संकेतकों का विश्लेषण करता है-

सारणी 6: वैश्विक वित्तीय संकट, टेंपर टैंट्रम और कोविड-19 के दौरान वृहत आर्थिक संकेतकों की तुलना

	वैश्विक वित्तीय संकट	टेंपर टैंट्रम	कोविड-19 वैश्विक महामारी	
वृहत आर्थिक संकेतक	2008-09	2012-13	2021-22	
सीपीआई मुद्रास्फीति	9.1	9.4	5.2	अप्रैल-दिसंबर 2021
सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में भारत का सकल राजकोषीय घाटा	8.3	6.9	10.2	2021-22 (ब.अ)
जीडीपी के% के रूप में ईएमडीई (एशिया) का राजकोषीय घाटा	1.6	1.7	7.8	2021
सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में चालू खाता शेष	-2.3	-4.8	-0.2	अप्रैल-सितंबर 2021
सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में विदेशी ऋण	20.7	22.4	20.2	जून 2021
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	252	292	634	31 दिसंबर 2021
सरकारी बॉन्ड यील्ड 10-वर्ष	7.3	8.0	6.4	11 जनवरी 2022
कुल एफडीआई अंतर्वाह (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	8.3	34.0	48.4	अप्रैल-अक्टूबर 2021
जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) के लिए एससीबी की पूंजी	13.2	13.9	16.5	सितंबर 2021
एससीबी प्रावधान कवरेज अनुपात	-	47.6	68.1	सितंबर 2021

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई, आरबीआई, सीजीए, सीडीएसएल, वित्त मंत्रालय, आईएमएफ

नोट: टेंपर टैंट्रम स्थिति 2013 में उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त तालिका में, 2012-13 का उपयोग टेंपर टैंट्रम से ठीक पहले की स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह वित्तीय बाजारों में तरलता की वापसी से पहले की वर्तमान स्थिति के अनुरूप है।

विदेशी क्षेत्र

1.31 वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा (चित्र 27)। इसने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने का अवसर दिया, जो 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह 13.2 महीने के व्यापारिक आयात (चित्र 28) के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। नवंबर 2021 के अंत तक, भारत चीन, जापान और स्विटजरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। भंडार में बड़ी वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार और कुल विदेशी ऋण के अनुपात, अल्पकालिक ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात आदि जैसी विदेशी भेद्यता संकेतकों में सुधार हुआ।

चित्र 27: बीओपी संतुलन में अधिशेष

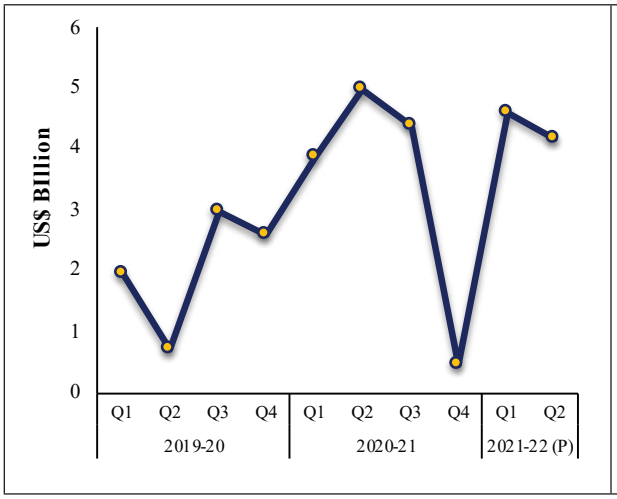

चित्र 28: विदेशी मुद्रा भंडार और शामिल किए गए आयात

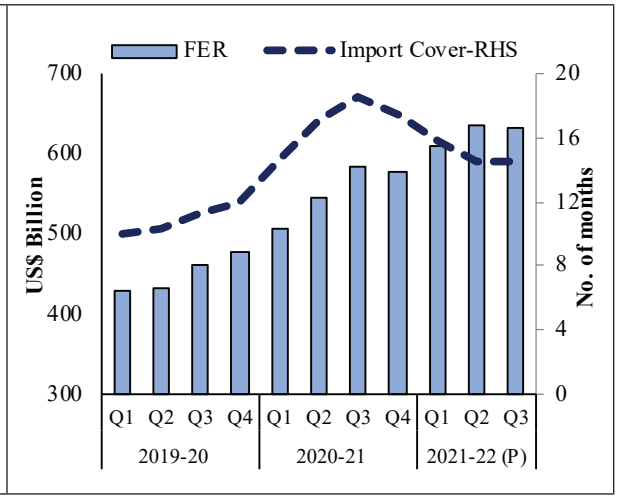

स्रोत: आरबीआई

1.32 इस समय, भारत के मुख्य विदेशी क्षेत्र स्थिरता संकेतक वैश्विक वित्तीय संकट या 2013 के टेपर टैंट्रम (मुद्रिक तरलता की निकासी की घटना) की तुलना में मजबूत और बेहतर हैं। उदाहरण के लिए, शामिल किए गए आयात और विदेशी मुद्रा भंडार अब दोगुने से अधिक हैं। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और बढ़ती निर्यात आय का संयोजन 2022-23 में किसी भी नकदी की कमी/मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के स्थान पर अच्छा बफर प्रदान करेगा (विवरण अध्याय 3 में)।

राजकोषीय शेष

1.33 अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण में वृद्धि हुई है। तथापि, 2021-22 में अब तक सरकारी राजस्व में जोरदार उछाल देखने को मिला है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई है, जबकि 2021-22 के बजट अनुमानों में 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है। कर संग्रह प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए उत्साहित रहा है (चित्र 29)। सकल मासिक जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार ₹ 1 लाख करोड़ को पार कर गया है (अध्याय 2 में विवरण)।

चित्र 29: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व

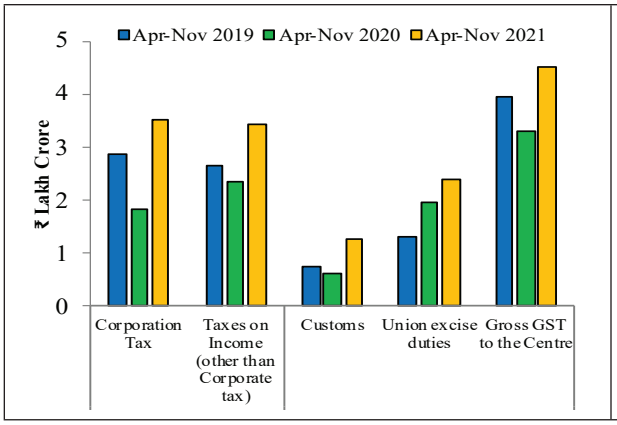

स्रोत: सीजीए का कार्यालय

चित्र 30: राजकोषीय और प्राथमिक घाटा

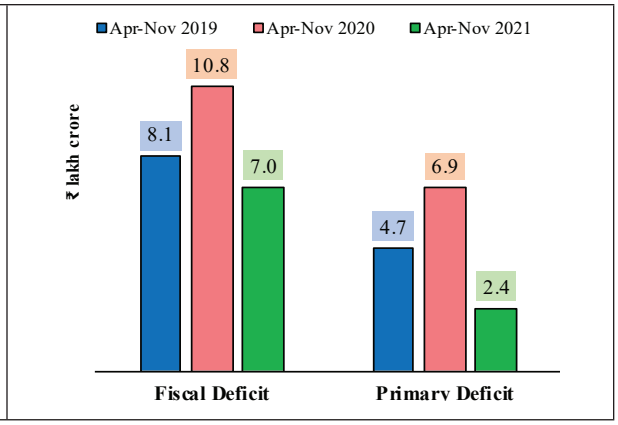

स्रोत: सीजीए का कार्यालय

1.34 भारत सरकार द्वारा निरंतर राजस्व संग्रह और लक्षित व्यय नीति के कारण, अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटा ब.अ. के 46.2 प्रतिशत पर समाहित किया गया है जो कि पिछले दो वर्षों (अप्रैल-नवंबर 2020 में ब.अ. का 135.1% और अप्रैल-नवंबर 2019 में ब.अ. का 114.8%) में इसी अवधि के दौरान प्राप्त अनुपात का लगभग एक तिहाई है। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान उस स्तर के लगभग आधे पर पहुंच गया, जो अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान पहुंच गया था। (चित्र 30) इससे संकेत मिलता है कि सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए और पूंजीगत व्यय बढ़ाते हुए इस वर्ष के अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी। राजस्व में मजबूत पुनरुद्धार, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को वित्तीय स्थान भी प्रदान करता है।

वित्तीय क्षेत्र

1.35 वित्तीय प्रणाली हमेशा अशांत समय के दौरान तनाव का एक संभावित क्षेत्र होता है। हालांकि, भारत के पूंजी बाजारों ने, कई वैश्विक बाजारों की तरह, असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय कंपनियों के लिए जोखिम पूंजी के रिकॉर्ड जुटाने की अनुमति दी है। सेंसेक्स और निफ्टी 18 अक्टूबर, 2021 को 61,766 और 18,477 पर अपने चरम को छूने के लिए बढ़े। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया। कई नए युग की कंपनियों/तकनीकी स्टार्ट-अप्स/यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से धन उगाहने में तेजी के साथ प्राथमिक बाजार के लिए वर्ष 2021-22 अब तक के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। अप्रैल-नवंबर 2021 में जारी किये गये 75 आईपीओ के माध्यम से ₹ 89,066 करोड़ जुटाए गए, जो पिछले दशक में किसी भी वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है (विवरण अध्याय 4 में)।

1.36 अधिक महत्वपूर्ण रूप से, बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और गैर-निष्पादित आस्तियों में, महामारी के विलम्बित प्रभाव को मिलाकर भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है, यहां तक कि महामारी के कुछ कम प्रभाव से अनुमति भी दी गई है। 2018-19 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात (अर्थात सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित (एनएनपीए) अनुपात में गिरावट जारी है। एससीबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। एससीबी का एनएनपीए अनुपात भी 2017-18 के अंत में 6 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 2.2 प्रतिशत हो गया। चित्र 31)। साथ ही, 2015-16 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार जारी है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों (चित्र 32) में सुधार के कारण एससीबी का पूंजीगत जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2020 के अंत में 15.84 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.54 प्रतिशत हो गया। (चित्र 32)

चित्र 31: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात

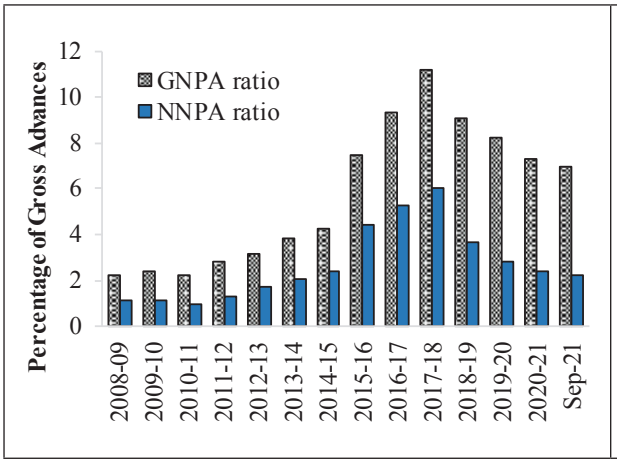

स्रोत: आरबीआई

चित्र 32: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)

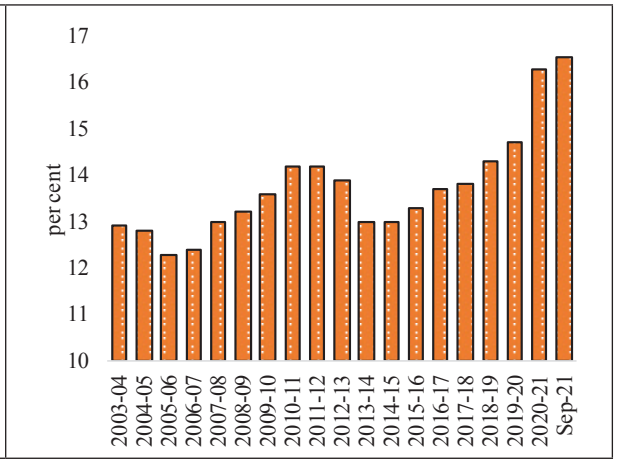

स्रोत: आरबीआई

मुद्रास्फीति

1.37 उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से प्रकट हुई है (चित्र 33)। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, गैर-खाद्य वस्तुओं, इनपुट कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, और बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को रोक दिया। भारत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 5.2 प्रतिशत हो गई, जो 2020-21 की इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत थी। दिसंबर 2021 में यह 5.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) था, जो लक्षित सीमा के भीतर है (चित्र 34)। 2021-22 में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी हुई है। (अध्याय 5 में विवरण)। हालांकि थोक मूल्य मुद्रास्फीति, दो अंकों में चल रही है। थोक मूल्य सूचकांक के 'ईंधन और बिजली' समूह में मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत से ऊपर थी जो उच्च अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों को दर्शाती है। हालांकि उच्च डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति आंशिक रूप से आधार प्रभावों के कारण है जो कि बाहर भी होंगे, भारत को आयातित मुद्रास्फीति, विशेषत: उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

चित्र 33: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दरें

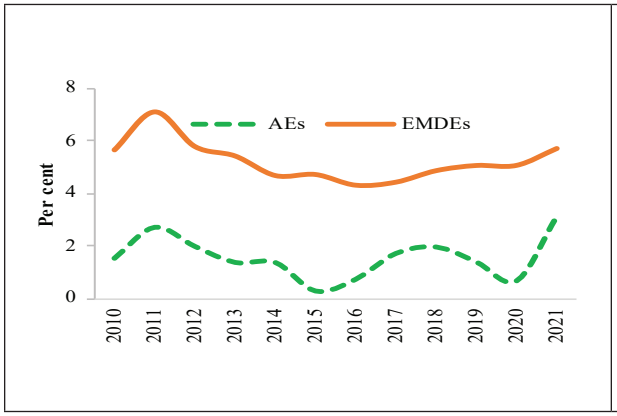

स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, जनवरी 2022 अपडेट, आईएमएफ

चित्र 34: सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति

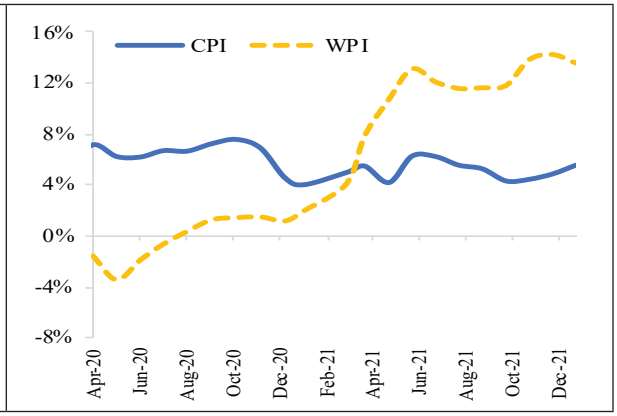

स्रोत: एमओएसपीआई, डीपीआईआईटी

टिपण्णी: वार्षिक औसत के आंकड़े; 2021 के अनुमानित आंकड़े

1.38 कुल मिलाकर, वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतक बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

बॉक्स 2: वैश्विक आपूर्ति-पक्ष व्यवधान

जैसा कि 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, इसे वितरण में देरी, कंटेनर की कमी और सेमीकंडक्टर चिप की कमी से लेकर गंभीर आपूर्ति-पक्ष बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, "... कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में अचानक गिरावट आई। लेकिन 2020 के अंत तक मुख्य रूप से एक कंटेनर और ड्राई बल्क शिपिंग में तेजी से बदलाव हुआ था। कंटेनर व्यापार प्रवाह में सुधार, जो मुख्य रूप से पूर्व-पश्चिम कंटेनरीकृत व्यापार लेन पर था, ने लॉजिस्टिक चुनौतियों और बाधाओं की एक श्रृंखला बनाई, जिससे दरों और कीमतों को बढ़ाया, देरी और रहने के समय में वृद्धि हुई, और सेवा विश्वसनीयता को कम कर दिया।1 जैसा कि आईएचएस मार्किट सप्लायर्स (चित्रा 2क) वितरण समय सूचकांक द्वारा दिखाया गया है, यूएस और यूरोपियन यूनियन (ईयू) में वितरण समय ने 20102 के बाद से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

[1]संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, समुद्री परिवहन की समीक्षा 2021, पृष्ठ 57

चित्र 2क: वितरण समय सूचकांक के लिए क्रय प्रबंधक का उप-सूचकांक

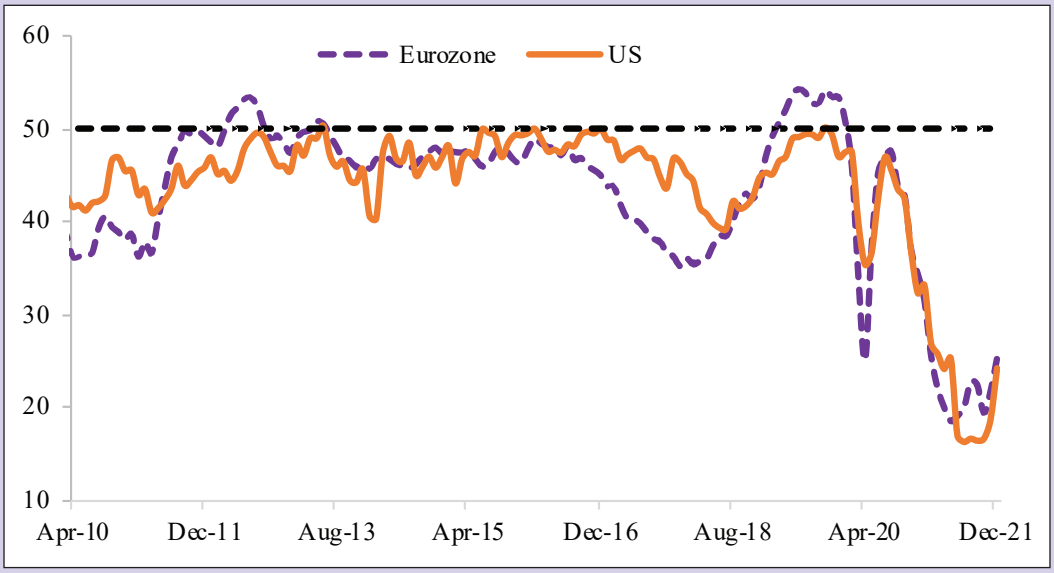

स्रोत: आईएचएस मार्केट।

नोट: पीएमआई = परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। 50 से ऊपर की रीडिंग तेजी से वितरण समय का संकेत देती है, 50 सिग्नल पर कोई बदलाव नहीं, और 50 से नीचे की रीडिंग धीमी गति का संकेत देती है।

शिपिंग कंटेनर (जल परिवहन पात्र) की कमी और बढ़ती व्यापार लागत

कंटेनर की कमी के तनाव को ड्यूरी[3] के समग्र विश्व कंटेनर सूचकांक[4] में रखा जा सकता है। सूचकांक 20 जनवरी, 2022 तक प्रति 40 फिट कंटेनर के लिए यूएस डॉलर 9,698.33 है। यह पांच साल के औसत से 6,656 अमेरिकी डॉलर अधिक है और एक साल पहले की तुलना में 82 प्रतिशत अधिक है। लंबी अवधि के लिए कीमतों में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि यह दर्शाती है कि वैश्विक कंटेनर बाजार में व्यवधान अभी खत्म नहीं हुआ है जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रभावित होना जारी रहेगा।

चित्र 2ख: विश्व कंटेनर सूचकांक (यूएस+ प्रति 40 फीट कंटेनर)

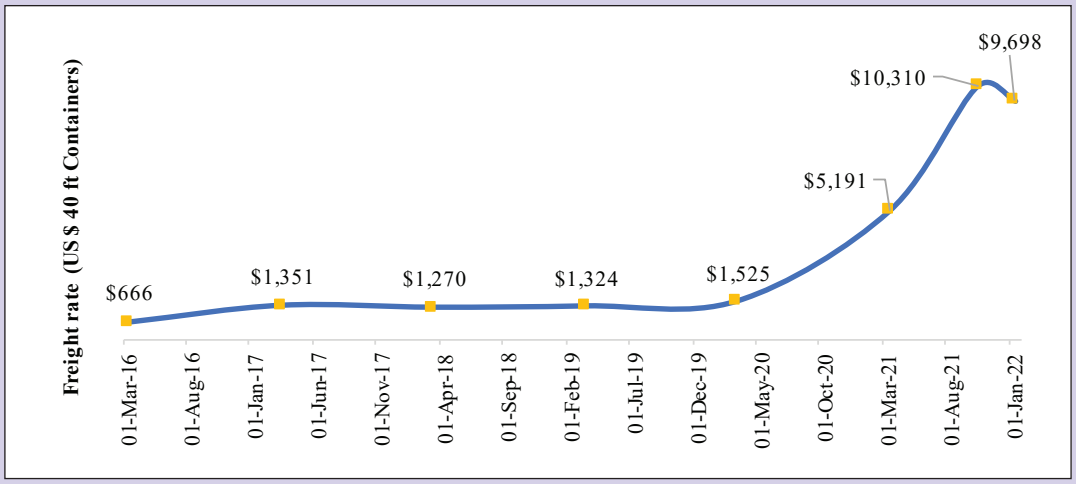

स्रोत: ड्यूरी सप्लाई चेन एडवाइजर्स (2022)

[2]https://m.rbi.org.in//Scripts/BB_ViewBulletin.aspx?Id=20628

[3]समुद्री परिवहन पर स्वतंत्र थिंक टैंक

https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain esxpertise/world-container-index-assessed-by-drewry

[4]आठ प्रमुख पूर्व-पश्चिम ट्रेडों का भारित माल भाड़ा मूल्यांकन।

इसके अलावा, प्रमुख वैश्विक समुद्री मार्गों पर माल ढुलाई की कीमतों में इसी अवधि के दौरान ऊपर की ओर रुझान देखा गया है। नीचे दी गई तालिका 2क प्रमुख मार्गों के लिए पिछले वर्ष से कीमतों और प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष) को दर्शाती है।

तालिका 2क: प्रमुख मार्ग से स्पॉट फ्रेट दरें

मार्ग	20-जनवरी-22 (अमरीकी डॉलर) की स्थिति के अनुसार	वर्ष-दर-वर्ष बदलाव (प्रतिशत)
संयुक्त सूचकांक	9,698	82
शंघाई - रॉटरडैम	14,053	55
रॉटरडैम - शंघाई	1,452	3
शंघाई - जेनोआ	12,794	46
शंघाई - लॉस एंजिलस	11,197	168
लॉस एंजिलस - शंघाई	1,262	138
शंघाई - न्यू यॉर्क	13,987	115
न्यूयॉर्क - रॉटरडैम	1,245	93
रॉटरडैम - न्यूयॉर्क	6,292	176

स्रोत: ड्रयूरी, 2022

कंटेनरों की कमी ने भारतीय समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया है। वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के तहत स्थापित फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, कंटेनरों की कमी के कारण समुद्री माल भाड़ा 300 प्रतिशत से 350 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इसके अलावा, 2019 के बाद से नए कंटेनरों का उत्पादन धीमा हो गया है (चित्र 2ग)। साथ ही, इसी अवधि के दौरान कंटेनरों के निपटान में भी वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, कंटेनरों में समग्र वृद्धि 2019 में 11 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 5 प्रतिशत हो गई है। जब तक दुनिया भर में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, यह एक सतत समस्या बनी रहेगी।

चित्र 2ग: कंटेनरों का निर्माण और निपटान

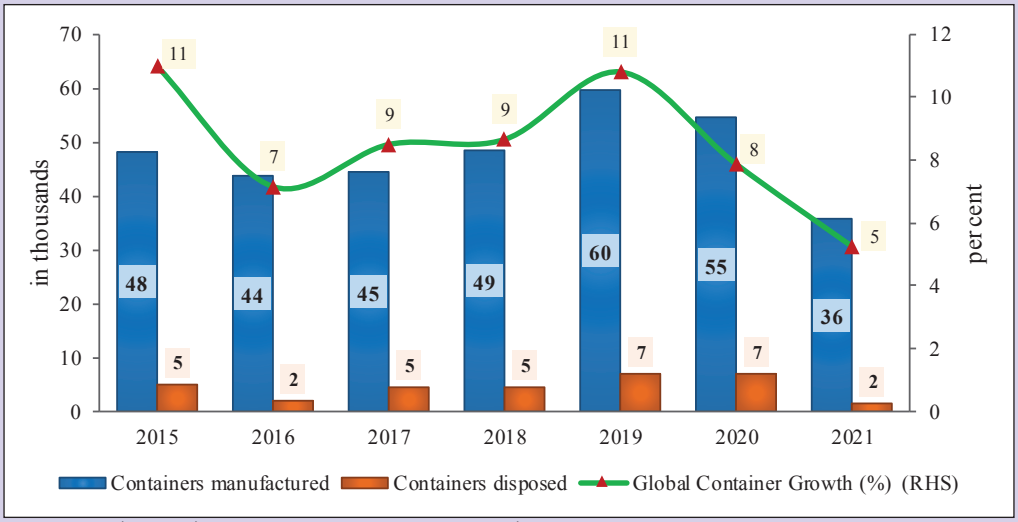

स्रोत: 2021 वैश्विक टैंक कंटेनर बेड़े सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय टैंक कंटेनर संगठन

मोटर उद्योग में सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) उद्योग की आपूर्ति समस्यओं का असर

निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्धचालक उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान 169 से अधिक उद्योगों में फैल गया है। अर्धचालकों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और इसके पूरा होने की औसत अवधि 6-9 महीने होती है। इसके अलावा, इसका लगभग 18- 20 सप्ताह का काफी लंबा उत्पादन चक्र है, इसलिए, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बहाली धीमी और महंगी प्रक्रिया साबित होगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स का मोटर उद्योग द्वारा वर्धित मूल्य में लगभग 4.7 प्रतिशत हिस्सा है। पूर्ति में देरी के साथ, ऑटोमोबाइल उद्योग में 2021 के लिए औसत लीड समय7 का वैश्विक स्तर लगभग 14 सप्ताह हो गया है। भारत ने मोटर क्षेत्र में भी इसी तरह के रुझान का अनुभव किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के आंकड़ों के अनुसार, कार निर्माताओं ने दिसंबर 2021 में घरेलू बाजार में 219,421 यात्री वाहनों की बिक्री की, जो कि 13 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) कम है। यह मांग की समस्या नहीं है बल्कि आपूर्ति पक्ष की समस्या है। विभिन्न कार निर्माता की वेबसाइटों की जानकारी से पता चलता है कि कुल मिलाकर 7 लाख से अधिक ऑर्डर, दिसंबर 2021 तक लम्बित है।

आपूर्ति पक्ष में सुधार

1.39 भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया की एक और विशिष्ट विशेषता मांग प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति पक्ष सुधारों पर जोर देना है। इन आपूर्ति-पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का विनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, श्पूर्वव्यापी करश जैसे पुराने मुद्दों को हटाना, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ को तालिका 7 में सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि को मांग और आपूर्ति प्रतिक्रिया दोनों के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह भविष्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता बनाता है।

1.40 एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान चर्चा की गई है, वह है 'प्रक्रिया सुधार'। विनियमन और प्रक्रिया सुधारों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। पूर्व किसी विशेष गतिविधि से सरकार की भूमिका को कम करने या हटाने से संबंधित है। इसके विपरीत, उत्तरार्द्ध मोटे तौर पर उन गतिविधियों के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण और सुगमता से संबंधित है जहां एक सुविधाकर्ता या नियामक के रूप में सरकार की उपस्थिति आवश्यक है। अध्याय 2 सार्वजनिक खरीद नीति में किए गए सुधारों पर चर्चा करता है- मानक नियमित उपयोग की वस्तुओं के लिए 2016 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का शुभारंभ और गैर-मानक वस्तुओं और परियोजनाओं के लिए अक्टूबर 2021 में जारी किए गए नए खरीद दिशानिर्देश। अध्याय 4 कॉरपोरेट्स के लिए स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के सरलीकरण और सीमा पार दिवाला प्रक्रिया के लिए एक मानक प्रक्रिया को संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। इसी तरह, अध्याय 9 में दूरसंचार क्षेत्र में ड्रोन नियमों और सुधारों के सरलीकरण और पेटेंट आवेदन व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा की गई है।

1.41 भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया में आपूर्ति-पक्ष पर दिया गया जोर दो महत्वपूर्ण विचारों से प्रेरित है। सबसे पहले, भारतीय नीति-निर्माताओं ने यात्रा-प्रतिबंधों, लॉकडाउन और आपूर्ति-श्रृंखला के टूटने के कारण होने वाले व्यवधानों को अर्थव्यवस्था के आपूर्ति-पक्ष में रुकावट के रूप में देखा। हालांकि इसने मांग को भी कम कर दिया, महामारी से संबंधित आर्थिक मंदी को केवल मांग की समस्या के रूप में देखना सही नहीं है जैसा कि अधिकांश आर्थिक चक्रों के साथ होता है। दूसरा, कोविड के बाद की दुनिया कई तरह के कारकों – प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उपभोक्ता व्यवहार, भू-राजनीति, आपूर्ति-श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन आदि से प्रभावित होगी। ये सभी कारक एक दूसरे के साथ अप्रत्याशित तरीके भी जुड़े होंगे। इसलिए, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था केवल पूर्व-कोविड अर्थव्यवस्था की फिर से मुद्रास्फीति नहीं होगी। केवल मांग के उपायों के साथ इसे वापस बनाना कोई समाधान नहीं है।

1.42 भारत की आपूर्ति-पक्ष रणनीति में दो सामान्य विषय हैं: (i) सुधार जो कोविड के बाद की दुनिया की दीर्घकालिक अप्रत्याशितता से निपटने के लिए लचीलेपन और नवाचार में सुधार करते हैं। इसमें कारक बाजार सुधार शामिल हैं; अंतरिक्ष, ड्रोन, भू-स्थानिक मानचित्रण, व्यापार वित्त फैक्टरिंग जैसे क्षेत्रों का विनियमन; प्रक्रिया सुधार जैसे सरकारी खरीद और दूरसंचार क्षेत्र में; पूर्वव्यापी कर जैसे पुराने मुद्दों को हटाना; निजीकरण और मुद्रीकरण, भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, और इसी तरह कारक बाजार शामिल है। (ii) भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधार है। ये जलवायु/पर्यावरण संबंधी नीतियों से लेकर; सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे नल के पानी, शौचालय, बुनियादी आवास, गरीबों के लिए बीमा, आदि का सार्वजनिक प्रावधान; आत्मानिर्भर भारत के तहत प्रमुख उद्योगों के लिए समर्थन; विदेशी व्यापार समझौतों, और इसी तरह पारस्परिकता पर एक मजबूत जोर है। कुछ टिप्पणीकारों ने पुराने स्कूल संरक्षणवाद की वापसी के लिए आत्मानिर्भर भारत दृष्टिकोण की तुलना की है। इससे दूर, आर्थिक लचीलेपन पर ध्यान देना अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति-श्रृंखला की अनियमितताओं की व्यावहारिक मान्यता है (बॉक्स 2 में चर्चा देखें)।

1.43 जैसा कि पाठक ने अनुमान लगाया होगा, ष्लचीलापनष और ष्सहजष दो आयामी दृष्टिकोण महामारी की अल्पकालिक प्रतिक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली बारबेल रणनीति के अनुरूप हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों - घटनाओं के भविष्य के प्रवाह के बारे में अनिश्चितता जैसे एक ही मुद्दे से निपटने का प्रयास कर रहे हैं।

तालिका 7: प्रमुख आपूर्ति पक्ष उपाय/सुधार

क्षेत्र	उपाय/सुधार
उद्योग	• 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें (i) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, (ii) फार्मास्युटिकल ड्रग्स, (iii) स्पेशलिटी स्टील, (iv) टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, (v) इलेक्ट्रॉनिक / टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, (vi) श्वेत सामान (एसी और एलईडी), (vii) खाद्य उत्पाद, (viii) कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र, (xi) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, (x) उन्नत रसायन सेल बैटरी, (xi) चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, (xii) मोबाइल निर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक और (xiii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री / दवा मध्यस्थ और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री शामिल है। • कर निश्चितता और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूर्वव्यापी कर को निरस्त कर दिया गया था।
बिजनेस प्रोसेस आउट. सोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र	*अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए उदारीकृत दिशानिर्देश* ➢ ओएसपी की स्पष्ट परिभाषा: नए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता उन संस्थाओं तक सीमित है जो अपने ग्राहकों को 'आवाज पर आधारित बीपीओ सेवाएं' प्रदान करती हैं। आवाज पर आधारित बीपीओ सेवाओं को कॉल सेंटर सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। ➢ भारत में ओएसपी केंद्रों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को हटाना। ➢ इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सुविधा या व्यवस्था के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। ➢ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के बीच का अंतर हटा दिया गया। ➢ घर और दूरस्थ स्थानों से काम करने की अनुमति: घर/कहीं भी एजेंटों को ओएसपी केंद्र के दूरस्थ एजेंट के रूप में माना जाएगा। वायरलाइन/वायरलेस पर ब्रॉडबैंड सहित किसी भी तकनीक का उपयोग करके रिमोट एजेंटों के बीच इंटरकनेक्शन की अनुमति है। रिमोट एजेंट अब ओएसपी केंद्र से जुड़ने की आवश्यकता के बिना ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ईपीएबीएक्स) / केंद्रीकृत ईपीएबीएक्स से सीधे जुड़ सकता है।

	➢ एक ही या असंबंधित कंपनी के दो या दो से अधिक ओएसपी केंद्रों के बीच इंटरकनेक्शन की अब अनुमति है। ➢ ओएसपी के बीच अवसंरचना साझा करने की अब अनुमति है। दिशानिर्देश विदेशी स्थानों पर ईपीएबीएक्स के उपयोग की अनुमति देते हैं।
दूरसंचार	• *संरचनात्मक सुधार* ➢ समायोजित सकल राजस्व का युक्तिकरण: गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। ➢ बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाना: लाइसेंस शुल्क और अन्य समान शुल्कों के लिए बैंक गारंटी आवश्यकताओं में भारी कमी। अब से आयोजित नीलामियों के लिए, किश्त भुगतान सुरक्षित करने के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। ➢ ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है और लाइसेंस शुल्क या स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के विलंबित भुगतान से दंड को हटा दिया गया है। ➢ दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। ➢ भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं। ➢ स्पेक्ट्रम शेयरिंग को बढ़ावा: स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए 0.5 फीसदी का अतिरिक्त एसयूसी हटा दिया गया। • *प्रक्रिया सुधार* ➢ व्यापार करने में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए वायरलेस उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी की आवश्यकता को हटा दिया गया और स्व-घोषणा के साथ बदल दिया गया। ➢ टावरों को स्थापित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन मंजूरी प्रक्रिया पर स्थायी सलाहकार समिति दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल पर स्व-घोषणा/ स्वचालित समयबद्ध अनुमोदन के माध्यम से होगी। ➢ ऐप/वेब-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से अब स्व-केवाईसी की अनुमति है। ➢ पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म को डेटा के डिजिटल स्टोरेज से बदल दिया जाएगा। ➢ नीलामी कलैण्डर नियत: स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाती है। • इसके साथ ही, समायोजित सकल राजस्व निर्णय या पिछली नीलामी (2021 की नीलामी को छोड़कर) में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के देय भुगतान से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि के भुगतान पर अधिस्थगन/आस्थगन सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे ।
सार्वजनिक खरीद नीति	*अक्टूबर 2021 में खरीद और परियोजना प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई थी* ➢ कार्यों और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए बोलीदाताओं के चयन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन की भी अनुमति है।

	➢ भुगतान करने के लिए सख्त समय सीमा: नए दिशानिर्देश बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर उठाए गए बिलों के 75 प्रतिशत या उससे अधिक के भुगतान को समय पर जारी करने का प्रावधान करते हैं। शेष बिल भुगतान 28 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम जाँच के बाद किया जाना है। ➢ मध्यस्थता और विवाद समाधान: खरीद अधिकारी किसी भी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने से पहले मामले की समीक्षा करने के लिए एक विशेष बोर्ड/ समिति का गठन करते हैं। सरकार ने उन मामलों में जहां एक खरीद एजेंसी ने एक मध्यस्थम पंचाट को चुनौती दी है, बैंक गारंटी के खिलाफ ठेकेदारों को 75 प्रतिशत राशि जारी करने की अनुमति दी है।
विमानन	ड्रोन नियम (अगस्त 2021 में घोषित) ➢ नियमों की विस्तारित प्रयोज्यता: 500 किलोग्राम तक के ड्रोन अब नियमों के अधीन हैं, जबकि पहले की सीमा 300 किलोग्राम थी। ➢ भरे जाने वाले कुल फॉर्मों के साथ कई स्वीकृतियां 25 से घटाकर 5 कर दी गई। ➢ फीस के प्रकार को 72 से घटाकर 4 किया गया। ➢ भुगतान की जाने वाली फीस की मात्रा को काफी कम कर दिया गया है और ड्रोन के आकार से अलग कर दिया गया है। ➢ पूर्व सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को हटाना। ➢ भारत में ड्रोन के स्वामित्व, निर्माण या उससे निपटने वाली सभी विदेशी संस्थाओं पर पहले के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ➢ माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ➢ ड्रोन संचालन का विस्तारित क्षेत्र: डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरेक्टिव मानचित्र मानचित्र पर रंग-कोडित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है अर्थात हरा, पीला और लाल, जो क्रमश: मुक्त क्षेत्रों को, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, और नो-फ्लाई जोन को दर्शाता है। हरित श्रेणी के तहत मुक्त रूप से सुलभ हवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों की परिधि को भी उदार बनाया गया है।
वित्तीय क्षेत्र	• *बैंकिंग: जमा बीमा में सुधार* ➢ जमा बीमा प्रपत्र में ₹ 1 लाख बढ़ाकर ₹ 5 लाख प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक की वृद्धि। इससे मार्च 2021 के अंत में कुल खातों की संख्या का 98.1 प्रतिशत पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और कुल जमा राशि का 50.9 प्रतिशत बीमा किया गया। ➢ अंतरिम भुगतान की शुरुआत: जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान किया जाएगा जिनके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा कोई प्रतिबंध / स्थगन लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को अपनी बचत तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ➢ जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान प्रदान करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। • फैक्टरिंग इकोसिस्टम में विस्तार: एनबीएफसी की पहले की स्थिति जिसका मुख्य व्यवसाय फैक्टरिंग था, को हटा दिया गया है और अब सभी एनबीएफसी को फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति है।

<table>
<tr>
<td>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)</td>
<td>

एमएसएमई की संशोधित परिभाषा:

विनिर्माण और सेवा एमएसएमई के बीच अंतर को हटाना।
उद्योग और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई की ऊपर की ओर संशोधित परिभाषा। नई परिभाषा के अनुसार ऊपरी सीमा इस प्रकार है:

<table>
<tr><th></th><th>संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश</th><th>वार्षिक कारोबार</th></tr>
<tr><td>सूक्ष्म</td><td>< ₹1 करोड़</td><td>< ₹ 5 करोड़</td></tr>
<tr><td>लघु</td><td>< ₹10 करोड़</td><td>< ₹ 50 करोड़</td></tr>
<tr><td>मध्यम</td><td>< ₹ 50 करोड़</td><td>< ₹ 250 करोड़</td></tr>
</table>

एमएसएमई के लिए सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया।
सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना: सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सीपीएसई को एमएसई से माल और सेवाओं की अपनी वार्षिक आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत खरीदना आवश्यक है। इसके अलावा, ब 200 करोड़ तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

</td>
</tr>
<tr>
<td>अंतरिक्ष और भू-स्थानिक क्षेत्र</td>
<td>

निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के लिए पारंपरिक उपग्रह संचार और सुदूर संवेदन क्षेत्रों को उदार बनाना।
मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा के निर्माण, अधिग्रहण और उपयोग के लिए दिशानिर्देश: भू-स्थानिक डेटा को पहले कड़ाई से विनियमित किया गया था और ऐसे डेटा के उपयोग के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। अब दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है:

स्व-प्रमाणन व्यवस्था की शुरुआत: भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन या लाइसेंस प्राप्त करने के विपरीत, सभी संस्थाओं को अब दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक स्व-प्रमाणन प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में छूट: पिछली शासन व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों के विपरीत, अत्यधिक संवेदनशील स्थानों की विशिष्ट विशेषताओं के लिए मानचित्रण गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
निर्यात प्रतिबंधों पर छूट: दिशानिर्देश 1:100 रिजॉल्यूशन तक के रिजॉल्यूशन वाले मानचित्रों के निर्यात की अनुमति देते हैं, जिससे 1:250000 की पिछली सीमा में ढील दी जाती है।
सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित डेटा तक सीधी पहुंच: दिशानिर्देशों के लिए सभी भारतीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ होने के लिए, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा उत्पादित डेटा सहित सार्वजनिक धन का उपयोग करके उत्पादित सभी भू-स्थानिक डेटा की आवश्यकता होती है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>विनिवेश</td>
<td>

नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति है
सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण की नीति और रणनीतिक क्षेत्रों में भी न्यूनतम उपस्थिति के साथ किया गया है।

</td>
</tr>
</table>

	चिन्हित रणनीतिक क्षेत्र: (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं हैं। एयर इंडिया का निजीकरण। • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन चार साल (2021-22 से 2024-25) की अवधि में ₹ 6 लाख करोड़ का बुनियादी ढांचा निवेश सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन और दूरसंचार सहित शीर्ष 5 क्षेत्रों में कुल मूल्य का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा है। अब तक, सीपीएसई ने मुद्रीकरण के लिए 3400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को संदर्भित किया है।
श्रम सुधार	• केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया।
रक्षा	• आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण को मंजूरी दी गई और 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए गए। • रक्षा क्षेत्र में स्वत: अनुमोदित मार्ग से 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई बढ़ाया गया

विकास दृष्टिकोण

1.44 2020-21 में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में वास्तविक रूप से 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार)।व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति-पक्ष सुधारों से लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि, और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपलब्धता द्वारा 2022-23 में विकास को समर्थित किया जाएगा। आने वाला वर्ष भी निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जिसमें वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस प्रकार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2022-23 में वास्तविक रूप से 8.0-8.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई दुर्बल करने वाली महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं होगा, मानसून सामान्य रहेगा, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी मोटे तौर पर व्यवस्थित होगी, तेल की कीमतें यूएस + 70- + 75 / की सीमा में होंगी। इइस, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान वर्ष के दौरान लगातार कम होंगे।

1.45 उपरोक्त परिवर्तन विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर क्रमश: 8.7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के नवीनतम पूर्वानुमानों के साथ तुलनीय है। 25 जनवरी, 2022 को जारी आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी 2021-22 और 2022-23 दोनों में 9 प्रतिशत और 2023-24 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह भारत को इन सभी तीन वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है (तालिका 8)।

तालिका 8: विश्व आर्थिक आउटलुक अनुमानों का अवलोकन

देश/देश समूह	वर्ष दर वर्ष (*प्रतिशत परिवर्तन, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो*)			
	आकलन		अनुमान	
	2020	2021	2022	2023
विश्व उत्पादन	-3.1	5.9	4.4	3.8
विकसित अर्थव्यवस्थायें	-4.5	5.0	3.9	2.6
संयुक्त राज्य अमेरिका	-3.4	5.6	4.0	2.6
यूरो क्षेत्र	-6.4	5.2	3.9	2.5
जर्मनी	-4.6	2.7	3.8	2.5
फ्रांस	-8.0	6.7	3.5	1.8
इटली	-8.9	6.2	3.8	2.2
स्पेन	-10.8	4.9	5.8	3.8
जापान	-4.5	1.6	3.3	1.8
यूनाइटेड किंगडम	-9.4	7.2	4.7	2.3
कनाडा	-5.2	4.7	4.1	2.8
अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाएं*	-1.9	4.7	3.6	2.9
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	-2.0	6.5	4.8	4.7
उभरते और विकासशील एशिया	-0.9	7.2	5.9	5.8
चीन	2.3	8.1	4.8	5.2
भारत**	**-7.3**	**9.0**	**9.0**	**7.1**
आसियान***	-3.4	3.1	5.6	6.0
उभरते और विकासशील यूरोप	-1.8	6.5	3.5	2.9
रूस	-2.7	4.5	2.8	2.1
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	-6.9	6.8	2.4	2.6
ब्राजिल	-3.9	4.7	0.3	1.6
मेक्सिको	-8.2	5.3	2.8	2.7
मध्य पूर्व और मध्य एशिया	-2.8	4.2	4.3	3.6
सऊदी अरब	-4.1	2.9	4.8	2.8
उप सहारा अफ्रीकी	-1.7	4.0	3.7	4.0
नाइजीरिया	-1.8	3.0	2.7	2.7
दक्षिण अफ्रीका	-6.4	4.6	1.9	1.4

स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ (WEO), जनवरी 2022 अद्यतन स्थिति

*सात के समूह (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरो क्षेत्र के देशों को छोड़कर।

**भारत के लिए, डेटा और पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, वित्त वर्ष 2021/2022 अप्रैल 2021 से शुरू होता है। जनवरी 2022 डब्ल्यूईओ (WEO) की अद्यतन स्थिति के लिए, भारत के विकास अनुमान 2022 में 8.7 प्रतिशत और कैलेंडर वर्ष के आधार पर 2023 में 6.6 प्रतिशत हैं। ओमिक्रोन (Omicron) प्रकार के प्रभाव को तालिका में 2021 के कॉलम में कैप्चर किया गया है।

***इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम।

अनुबंध

80 उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) की सूची	
1	10 साल का एएए निगमित बंधपत्र आय
2	10 साल की जी-सेक आय
3	8-कोर उद्योग सूचकांक
4	आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (अग्रिम अ.पीएस) लेनदेन
5	एटीएम निकासी
6	औसत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी)
7	औसत खुदरा मूल्य (गेहूं, चावल, अरहर, चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, मूंगफली, ताड़ का तेल, अंडे, दूध)
8	बाल्टिक शुष्क सूचकांक
9	बैंक जमा
10	क्षमता उपयोग
11	पूंजीगत व्यय
12	सीमेंट उत्पादन
13	वाणिज्यिक पत्र (सीपी)
14	कॉर्पोरेट क्षेत्र मुनाफा
15	सीपीआई
16	सीपीआई कोर
17	सीपीआई भोजन
18	कच्चा तेल भारतीय बॉस्केट
19	क्रूडप्राइस ब्रेंट, दुबई, डब्ल्यूटीआई
20	प्रचलन में मुद्रा
21	डीमैट खाते
22	घरेलू ऑटो बिक्री
23	घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री
24	घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री
25	घरेलू हवाई यात्री यातायात
26	ईपीएफओ- नेट सब्सक्राइबर बकाया

27	ई-वे बिल जनरेट किया गया
28	विनिमय दर
29	बाहरी वाणिज्यिक उधार
30	उर्वरकों की बिक्री
31	विदेशी मुद्रा भंडार
32	ईंधन की खपत
33	सरकारी बाजार उधार
34	वैश्विक पीएमआई समग्र
35	सकल एफडीआई
36	सकल कर राजस्व (केंद्र सरकार)
37	जीएसटी संग्रह
38	आवास प्रबंध की शुरूआत
39	आवास बिक्री
40	आईआईपी सामान्य सूचकांक, उपभोक्ता के लिए टिकाउ वस्तुएं, उपभोक्ता गैर-टिकाउ वस्तुएं
41	वस्तु निर्यात/आयात
42	मनरेगा का काम सृजित
43	मनरेगा के काम की मांग
44	पैसे की आपूर्ति
45	प्राकृतिक गैस उत्पादन
46	शुद्ध एफडीआई
47	शुद्ध एफपीआई
48	शुद्ध तरलता अंत:क्षेपण
49	अमेरिकी डॉलर की शुद्ध खरीद (+)/बिक्री (-)
50	निफ्टी/सेंसेक्स
51	सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर)
52	गैर-खाद्य ऋण
53	गैर तेल निर्यात
54	गैर तेल गैर सोने का आयात
55	दूरसंचार ग्राहकों की संख्या

56	पीएमआई विनिर्माण
57	पीएमआई सेवाएं
58	पोर्टकार्गो यातायात
59	बिजली की खपत
60	प्राथमिक निर्गम
61	कॉरपोरेट बांडों का निजी नियोजन
62	रेल माल यातायात
63	रेल यात्रियों की कमाई
64	आरबीआई: वर्तमान स्थिति सूचकांक
65	आरबीआई: फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स
66	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (सं.अ.ईआर)
67	रियल एस्टेट मूल्य सूचकांक-आरबीआई
68	कुल खुदरा वित्तीय लेनदेन (एनपीसीआई)
69	दोपहिया/तिपहिया वाहनों की बिक्री
70	क्षेत्र-वार निफ्टी सूचकांक: खपत, एफएमसीजी, अवसंरचना, रियल एस्टेट, धातु
71	क्षेत्रीय बैंक साख
72	स्टील की खपत
73	इस्पात उत्पादन
74	कुल मंडी आगमन (गेहूं, चावल, अरहर, चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, मूंगफली, ताड़ का तेल)
75	यूपीआई लेनदेन
76	यूएस-डॉव जोन्स
77	वाहन पंजीकरण
78	नवीन बैंक उधार पर भारित औसत ब्याज दर
79	डब्ल्यूपीआई
80	विभिन्न परिपक्वताओं में प्रसारित आय

राजकोषीय विकास

02
अध्याय

वर्ष 2020 में बढ़ती हुई महामारी की पृष्ठभूमि में जहां अधिकांश अन्य देशों ने अग्रिम आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की शुरुआत की थी, वहीं भारत सरकार ने कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक भिन्न चुस्त नीति को अपनाया। कोविड़-19 के प्रकोप के तुरंत बाद, भारत सरकार ने 2020-21 की दूसरी छमाही में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने से पहले समाज के कमजोर वर्गों/छोटे व्यवसायों के लिए पहले सुरक्षा-जाल बनाने का विकल्प चुना। वित्तीय मोर्चे पर, 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान पूंजीगत व्यय को रोक दिया गया था, जिसका कारण कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध, और पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों/श्रमिकों की अनुपलब्धता थी । हालांकि, आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, 2020-21 की तीसरी तिमाही में पूंजीगत व्यय को बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, 2020-21 से पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की ओर प्रोत्साहन में परिवर्तन चालू वर्ष में भी जारी रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक घोषित प्रोत्साहन उपायों में तरलता बढ़ाने और निवेश बढ़ाने के उपाय जैसे पीएलआई योजना, क्रेडिट गारंटी योजनाएं और निर्यात बढ़ाने की पहल शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 67.2 प्रतिशत (वर्ष प्रति वर्ष) बढ़ी हैं, जबकि 2021-22 के बजट अनुमान में 9.6 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि (2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकड़े से अधिक) का अनुमान लगाया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के कर संग्रह में उछाल के साथ-साथ गैर-कर (ऑन-टैक्स) राजस्व तथा सरकार को आरबीआई के अधिशेष हस्तांतरण ने राजस्व पूल में वृद्धि में योगदान दिया है। इस अवधि के दौरान सालाना आधार पर सकल कर राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रदर्शन न केवल पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, बल्कि 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तरों की तुलना में भी अधिक है। कोविड़-19 की दूसरी लहर के बाद जून 2021 में गिरावट से जल्दी उभारने के बाद, सकल मासिक जी एस टी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर रहा है। पहली लहर की तुलना में जीएसटी संग्रह पर कोविड़-19 की दूसरी लहर का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। चालू वर्ष के दौरान राजस्व निष्पादन में चल रहे सुधार का श्रेय पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कर व्यवस्था और नीतिगत सुधारों के जरिए कर अनुपालन में वृद्धि को दिया जा सकता है।

सरकार द्वारा शुरू की गई नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता

की पुष्टि करती है। एयर इंडिया का निजीकरण, न केवल विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के मामले में बल्कि निजीकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है।

2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की व्यय नीति में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। बजट 2021-22 ने न केवल व्यय अनुमानों को बढ़ाया बल्कि उन्हें अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय की ओर भी निर्देशित किया। पूंजीगत व्यय 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, और आवास और शहरी मामलों जैसे अवसंरचना-कोंदित क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ, पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विशेष रूप से पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पंजीकृत पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि को देखते हुए दृढ़ है। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन भी दिए हैं।

भारत सरकार द्वारा दीर्घकालीन राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति के कारण, अप्रैल से नवंबर 2021 में राजकोषीय घाटा बीई के 46.2 प्रतिशत पर समाहित किया गया है जो कि पिछले दो वर्षों (अप्रैल-नवंबर 2020 में बीई का 135.1% और अप्रैल-नवंबर 2019 में बीई का 114.8%) की इसी अवधि के दौरान प्राप्त अनुपात का लगभग एक तिहाई है। चालू वर्ष में बजटीय राजकोषीय घाटा अधिक यथार्थवादी था क्योंकि इसने कई ऑफ-बजट मदों को बजट आवंटन के भीतर लाया जैसे कि एफसीआई की खाद्य सब्सिडी आवश्यकताएं। कोविड़-19 के कारण बढ़ी हुई उधारी के साथ, केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 59.3 प्रतिशत हो गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही केंद्र सरकार के ऋण में कमी आने की उम्मीद है। महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान घाटे और ऋण संकेतकों में वृद्धि के बाद, सामान्य सरकारी वित्त में भी 2021-22 के दौरान समेकन देखने की उम्मीद है।

परिचय

2.1 पिछले दो वर्षों में, राजकोषीय नीति महामारी से उपजी आर्थिक गिरावट को दूर करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है। भारत सरकार ने महामारी के लिए एक कैलिब्रेटेड राजकोषीय नीति व दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थिति के अनुरूप समाज/फर्मों के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की बात कही गयी थी। वर्ष 2020 में बढ़ती हुई महामारी की पृष्ठभूमि में जहां अधिकांश अन्य देशों ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की शुरुआत की थी[1], वहीं भारत सरकार ने कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक भिन्न चुस्त नीति को अपनाया। इस तरह के एक समावेशी दृष्टिकोण को अब नीतिगत हलकों (आईएमएफ राजकोषीय निगरानी (मॉनिटर) अक्टूबर 2021) में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

2.2 यह अध्याय महामारी के प्रकोप के बाद भारत में राजकोषीय विकास की समीक्षा करता है। यह चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय नीति रणनीति और राजकोषीय मापदंडों के प्रदर्शन की चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार के वित्त में-मध्यम से लंबी अवधि के रुझान का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है । यह अध्याय सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों पर चर्चा के साथ समाप्त होता है।

[1] समीक्षा के अध्याय 1 में वाटरफाल स्ट्रेटेजी की व्याख्या की गई है।

महामारी के बाद की वित्तीय नीति की रणनीति

2.3 बढ़ती हुई महामारी की अनिश्चितता के बीच भारत सरकार द्वारा अपनाई गई चुस्त राजकोषीय नीति में प्रोत्साहन उपायों में परिवर्तन शामिल है। महामारी के प्रारंभिक चरण में, राजकोषीय नीति के जरिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे खराब स्थिति के परिणामों से बचाने के लिए सुरक्षा-जाल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जहां कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, छोटे व्यवसायों को आपातकालीन ऋण, और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाले दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन उपायों ने लोगों की भरपूर मदद की है, वहीं यह सुनिश्चित भी किया जा सका कि अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी न होने पाए। इसके बाद पूरे वर्ष 2020-21 में प्रोत्साहन पैकेजों की एक श्रृंखला निकाली गई, जो स्थिति के अनुरूप बेज द्वारा सूचना को अद्यतन करने से प्रेरित थी। आर्थिक गतिविधियों की बहाली के साथ ही राजकोषीय नीति का फोकस अर्थव्यवस्था में मांग को उत्प्रेरित करने पर था। आर्थिक सुधार के इस चरण के दौरान, प्रोत्साहन का फोकस उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने जैसे निवेश बढ़ाने के उपायों की ओर रहा। (चित्र 2ए से 2डी) ।

2.4. वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय पर यह बढ़ा हुआ फोकस भारत सरकार द्वारा कोविड़-19 के खिलाफ अपनाई गई उत्तरदायी राजकोषीय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध, और ठेकेदारों एवं श्रमिकों की अनिच्छा या काम करने में असमर्थता के कारण, तिमाही पूंजीगत व्यय को 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान रोक दिया गया था। 2020-21 की तीसरी तिमाही में आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, अर्थव्यवस्था पर सबसे सकारात्मक प्रभाव वाले क्षेत्रों में व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि पूंजीगत व्यय 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों (चित्र 1) के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 1: तिमाही पूंजीगत व्यय में रुझान

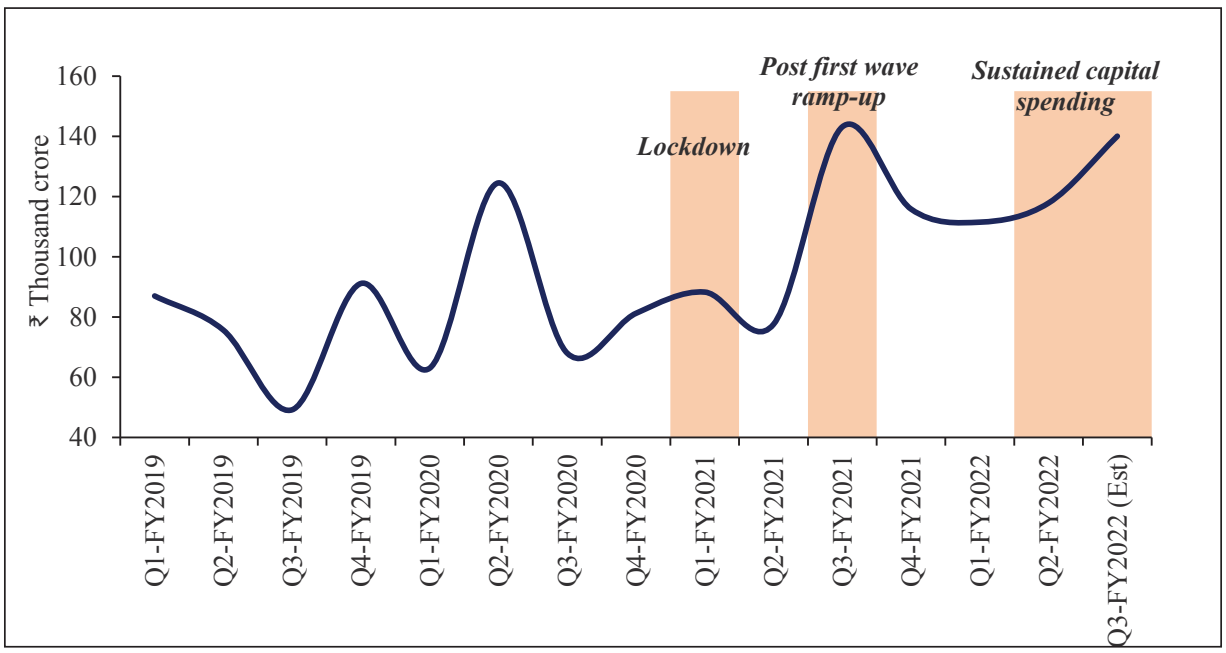

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

नोट: Q3 वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमान में दिसंबर 2021 के फ्लैश आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

2.5 उसी दृष्टिकोण पर चलते हुए, केंद्रीय बजट 2021-22 ने अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय के लिए बजट परिव्यय में वृद्धि की थी। रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर जोर देने के साथ-साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर निरंतर ध्यान देते हुए सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा। 6835 परियोजनाओं को कवर करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार 2021-22 के बजट में 7,400 परियोजनाओं तक कर दिया गया था। अक्षय ऊर्जा, भारी उद्योग, कृषि, मोटर वाहन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को अनलॉक करने के लिए, बजट 2021-22 ने 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू कीं, जिसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय प्रावधान किया गया था। इसकी शुरूआत 2021-22 में की गई थी। इन सभी प्रयासों से सामूहिक रूप से रोजगार पैदा होने और मध्यम से लंबी अवधि में गुणक-प्रभावों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के दौरान घोषित प्रोत्साहन उपायों ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा, तरलता बढ़ाने और निवेश बढ़ाने के उपायों जैसे पीएलआई योजना, क्रेडिट गारंटी योजनाओं और अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए निर्यात बढ़ाने की पहल पर जोर देना जारी रखा है (चित्र। 2ई)। विवरण बॉक्स 1 में देखा जा सकता है। त्वरित दृष्टिकोण के अनुरूप इस मिश्रण को विकसित स्थिति की आवश्यकता के अनुसार फिर से बदला जा सकता है।

चित्र 2: 2020-21 और 2021-22 में प्रोत्साहन घोषणाएं

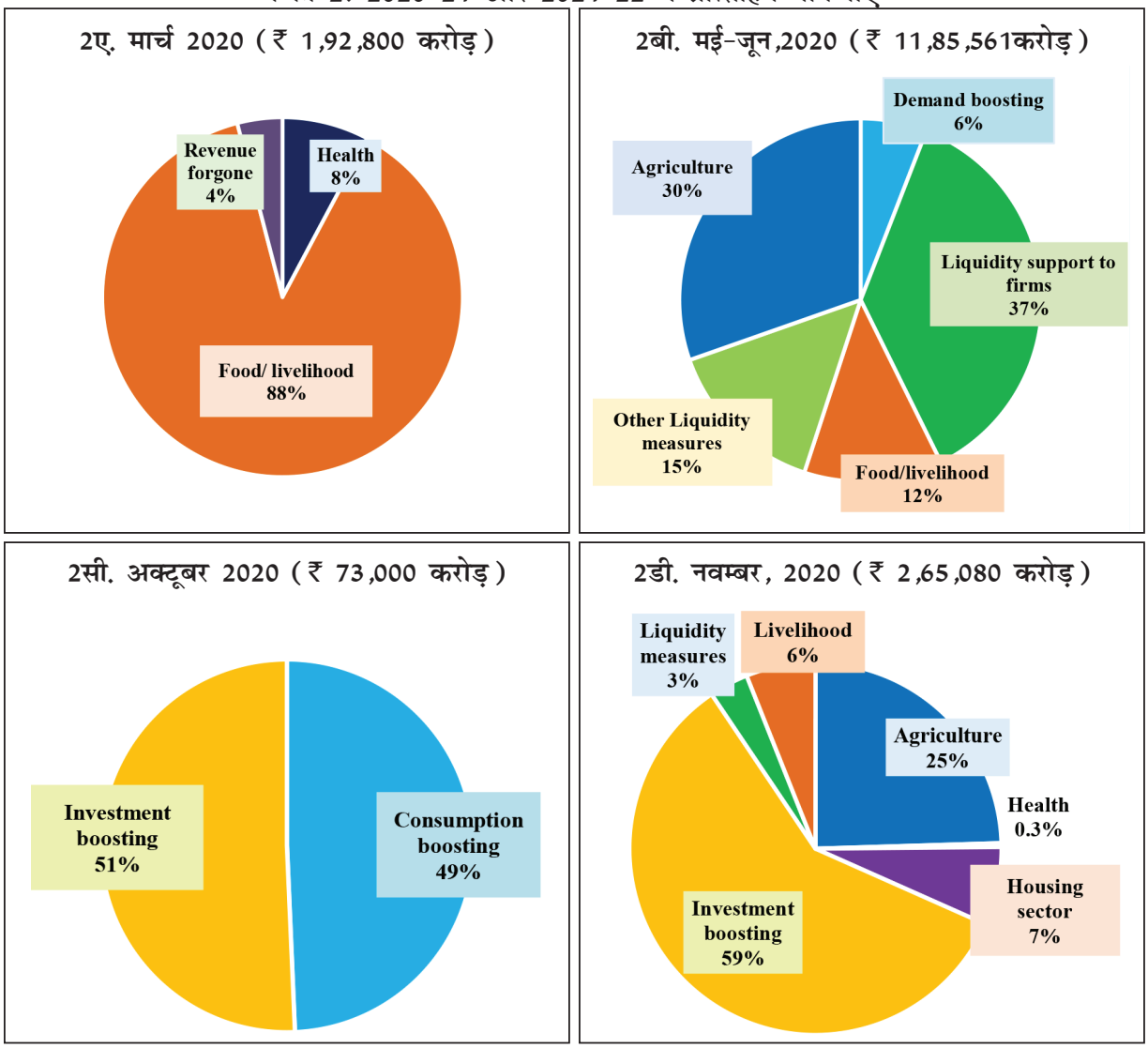

2ई. जून से दिसंबर 2021 (₹ 6,97,338 करोड़)

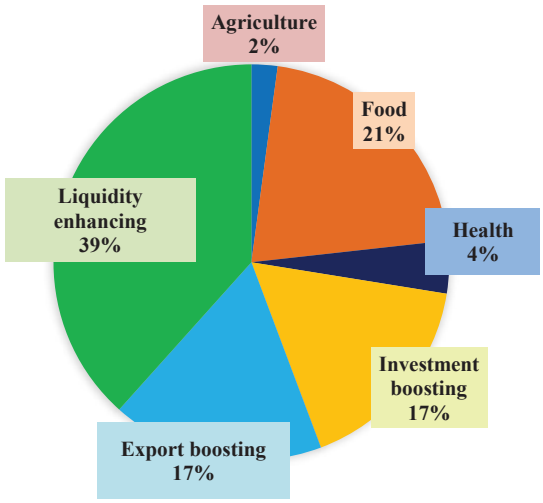

स्रोत: पीआईबी

नोट: जून से दिसंबर 2021 तक प्रोत्साहन घोषणाओं का विवरण बाक्स 1 पर देखा जा सकता है

बॉक्स 1: 2021-22 के दौरान घोषित प्रोत्साहन

कोविड़-19 की दूसरी लहर के झटके के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, भारत सरकार ने 2021-22 में अतिरिक्त राहत उपायों की घोषणा की, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। इन उपायों को गरीब एवं कमजोर लोगों और क्षेत्रों को आर्थिक राहत प्रदान करने, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और विकास एवं रोजगार को गति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

सुधारों का विवरण	राशि (₹ करोड़)
जून 2021 (₹ 6.28 लाख करोड़)	
कोविड़-19 राहत के लिए प्रोत्साहन पैकेज	**6,28,993**
कोविड़-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना	1,10,000
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)	1,50,000
सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना	7,500
पर्यटक गाइड/हितधारकों के लिए योजना	–
5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा	100
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार	–
डी ए पी और पी एंड के उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी	14,775
पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न (मई से नवंबर, 2021)	93,869
जन स्वास्थ्य के लिए नई योजना	15,000
जलवायु अनुकूल विशेष लक्षण किस्मों का विमोचन	–
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार	77
एनईआईए के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना	33,000
निर्यात बीमा कवर को बढ़ावा	88,000
भारतनेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड	19,041

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के कार्यकाल का विस्तार	
रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (बजट घोषणा)	97,631
जुलाई 2021 (₹ 23,123 करोड़)	
भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज: चरण-II	(केंद्र का हिस्सा ₹ 15,000 करोड़; राज्य का हिस्सा 8,123 करोड़ रुपये)
दिसंबर 2021 (₹ 53,344 करोड़)	
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार (दिसंबर 2021-मार्च 2022)	53344.5

स्रोत: पीआईबी

2021-22 के दौरान राजकोषीय संकेतकों का प्रदर्शन

2.6 यह खंड अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतकों और उनके घटकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2021 के सरकारी लेखा के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा नवंबर 2021 के अंत में बीई का 46.2 प्रतिशत था, जो 2020-21 में इसी अवधि के दौरान 135.1 प्रतिशत और 2019-20 में इसी अवधि के दौरान 114.8 प्रतिशत था (चित्र 4)। इस अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दोनों यह पिछले दो वर्षों के इसी स्तर से काफी नीचे ही रहे हैं। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान उस स्तर से लगभग आधा हो गया, जिस पर यह पहुंच गया था (चित्र 3)।

चित्र 3: राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में रुझान

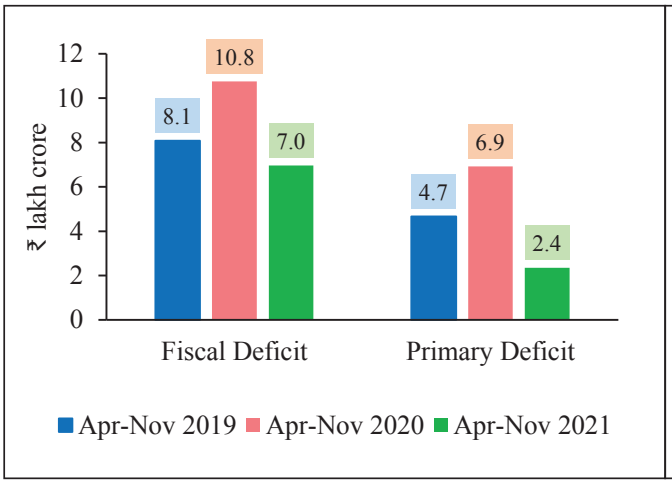

चित्र 4: बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

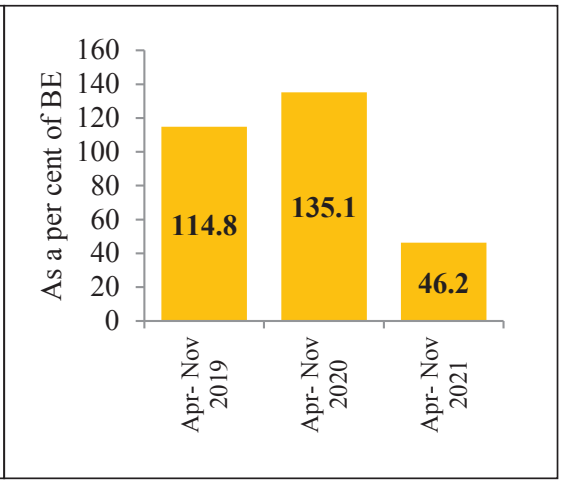

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

तालिका 1: 2021-22 के लिए अनंतिम परिणाम (अप्रैल से नवंबर 2021)

		2021-22 बी ई	₹ लाख करोड़ में		संबंधित बी ई का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
			2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	वित्त वर्ष 21 ओवर 20	वित्त वर्ष 22 ओवर 21	वित्त वर्ष 22 ओवर 20
1	राजस्व प्राप्तियां	17.88	8.13	13.59	40.2	76.0	-17.3	67.2	38.2
2	सकल कर राजस्व	22.17	10.26	15.42	42.3	69.5	-12.6	50.3	31.3
3	राज्यों को समनुदेशन	6.66	3.34	4.03	42.6	60.5	-20.7	20.4	-4.5
4	कर राजस्व (केंद्र से निवल)	15.45	6.88	11.35	42.1	73.5	-8.3	64.9	51.2
5	गैर कर राजस्व	2.43	1.24	2.23	32.3	91.8	-46.6	79.5	-4.1
6	गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	1.88	0.18	0.21	8.1	11.0	-37.5	14.1	-28.6
7	गैर ऋण प्राप्तियां	19.76	8.31	13.79	37.0	69.8	-17.9	66.0	36.2
8	कुल व्यय	34.83	19.06	20.75	62.7	59.6	4.7	8.8	14.0
9	राजस्व व्यय	29.29	16.65	18.01	63.3	61.5	3.7	8.2	12.1
10	पूंजीगत व्यय	5.54	2.41	2.74	58.5	49.4	12.8	13.5	28.0
11	राजस्व घाटा	11.41	8.52	4.43	139.9	38.8	36.8	-48.1	-28.9
12	राजकोषीय घाटा	15.07	10.76	6.96	135.1	46.2	33.1	-35.3	-13.9
13	प्राथमिक घाटा	6.97	6.92	2.35	785.3	33.8	48.5	-66.0	-49.5

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा; बीई: बजट अनुमान

राजस्व संग्रह

2.7 केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि में राजकोषीय स्थिति को मजबूत किया गया, जिसके पीछे राजस्व संग्रह में उछाल और पूंजीगत व्यय की ओर लक्षित राजस्व संग्रह और व्यय आवंटन मुख्य रुप कारण थे। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल से नवंबर 2021) के दौरान पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में बहुत अधिक गति से वृद्धि हुई है (तालिका 1)। यह प्रदर्शन कर और गैर-कर राजस्व दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संभव हुआ है।

2.8 केंद्र को शुद्ध कर राजस्व, जिसे 2020-21 पीए के सापेक्ष 2021-22 बीई में 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की परिकल्पना की गई थी, अप्रैल से अक्टूबर 2020 की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 64.9 प्रतिशत जबकि अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक बढ़कर 51.2 प्रतिशत हो गया (तालिका 1)। कर राजस्व में यह बेहतर प्रदर्शन पिछले दो वर्षों की समान अवधि में सभी प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों द्वारा दिखाई गई उच्च संवृद्धि के कारण है। प्रत्यक्ष करों के भीतर, व्यक्तिगत आयकर में अप्रैल-नवंबर 2019 में 29.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2020 में 47.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। कॉरपोरेट आयकर में अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान 90.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि अप्रैल-नवंबर 2019 में कॉरपोरेट आयकर में 22.5 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज हुई थी । (चित्र 5 और 6)।

2.9 विभिन्न कारकों, जिनके कारण कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि हुई है, उनमें कॉरपोरेट्स की लाभप्रदता में सुधार, अर्थव्यवस्था का नियमनिष्ठता और कर सुधारों के कारण बेहतर अनुपालन उल्लेखनीय हैं। आरबीआई के अनुसार, 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों (नमूना) के सकल लाभ में वृद्धि हुई थी जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में 132.5 प्रतिशत और आईटी क्षेत्र में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2021-22 की अगली तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र में सकल लाभ में 39.7 प्रतिशत और आईटी क्षेत्र में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रत्यक्ष कर व्यवस्था और नीतिगत सुधारों (विवरण अनुलग्नक 1 में देखे जा सकते हैं) ने भी प्रत्यक्ष करदाताओं को कर संबंधी नियमों का अनुपालन को प्रेरित किया है। इस अध्याय को लिखते समय उपलब्ध आंकड़े इन कारकों के शुद्ध प्रभाव को सार्थक रूप से अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

चित्र 5: अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

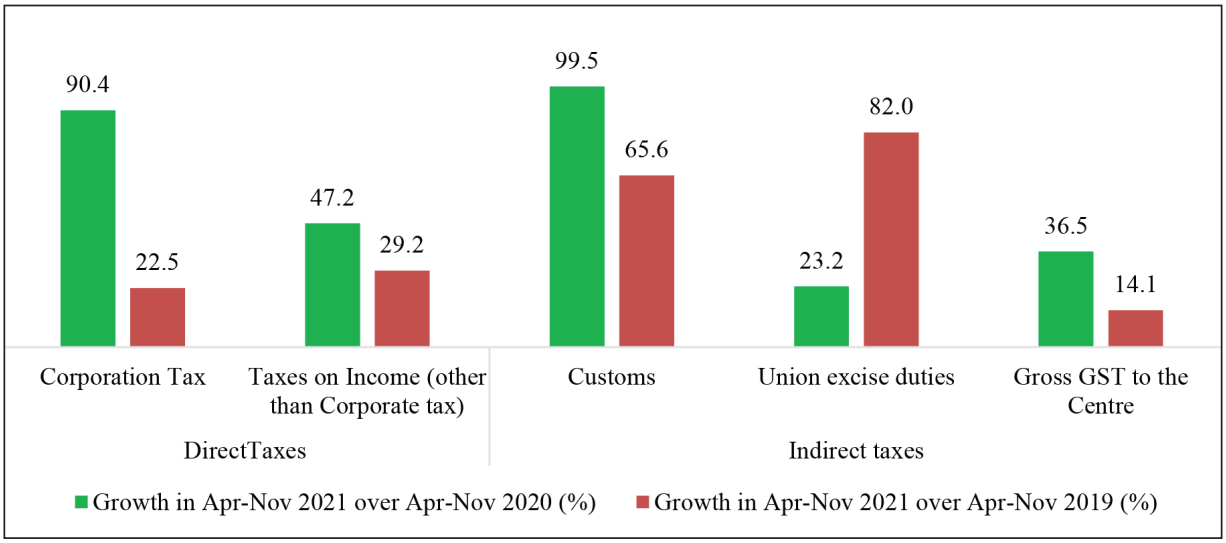

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

चित्र 6: अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में रुझान

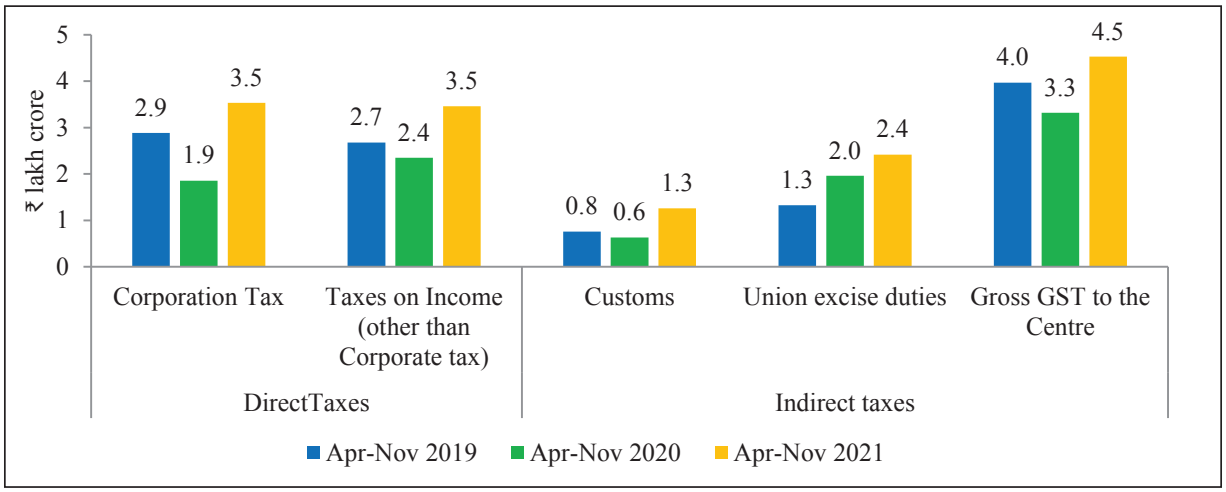

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2. 10 अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सालाना आधार पर 38.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र और उपभोग मांग दोनों में सुधार के कारण वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि से सीमा शुल्क संग्रह में वृद्धि हुई है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सीमा शुल्क से राजस्व संग्रह में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत और अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

2.11 अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क से राजस्व में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया था, जबकि कोविड़-19 से अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वैश्विक पेट्रोलियम की कीमतों में कमी ने पेट्रोलियम पर कर बढ़ाने के लिए कुछ गुंजाइश पैदा कर दी। वर्ष 2020-21 पी ए में उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में 60 प्रतिशत से अधिक की सालाना वृद्धि दर्ज की गई । हालाँकि नवंबर 2021 के अंत तक, जब वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, अन्य कर राजस्व स्रोत ठीक हो गए थे और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बन रहा था, तब सरकार ने स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति बदल दी, और पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटा दिया गया था। अर्थव्यवस्था में सीमित वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इस तरह की प्रभावी फीड़बैक आधारित नीति बनाना अनिवार्य है। संशोधित प्राक्कलन चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व पर उत्पाद शुल्क में कटौती के प्रभाव को अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करेगा।

2.12 अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ, माल और सेवा कर केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए राजस्व के एक सदाबहार स्रोत के रूप में उभरा है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र के लिए जीएसटी संग्रह बीई का 61.4 प्रतिशत था। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह, केंद्र और राज्यों को मिलाकर 10.74 लाख करोड़ रुपये थे, अर्थात अप्रैल से दिसंबर 2020 तक सकल जीएसटी संग्रह में 61.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 की तुलना में सकल जीएसटी संग्रह में 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विशेष रूप से, चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो क्रमशः पहली और दूसरी तिमाही के औसत मासिक संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

2.13 2020-21 में देशव्यापी तालाबंदी के चरण के दौरान और भारत में दूसरी कोविड़-19 लहर के दौरान, मासिक जीएसटी संग्रह में तेजी से सुधार हुआ। चित्र 7 से पता चलता है कि जीएसटी संग्रह पर कोविड़-19 की दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव की तुलना में कम था। पिछले 4 वर्षों में, जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है और मासिक जीएसटी संग्रह का वर्ष-औसत 2017-18 में 0.9 लाख करोड़ से था जो कि 2021-22 (दिसंबर तक) में बढ़कर 1.19 लाख करोड़ हो गया है(चित्र 8)। जीएसटी संग्रह में सुधार महामारी के बाद तेजी से आर्थिक सुधार के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त जीएसटी संग्रह में सुधार के निम्नलिखित कारण थे-जीएसटी चोरों और नकली बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ-साथ हाल ही में शुरू किए गए कई प्रणालीगत परिवर्तन, और जीएसटी परिषद द्वारा विषम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए किए गए विभिन्न दर युक्तिकरण उपाय ।

चित्र 7: 2021-22 के दौरान उत्साहजनक जीएसटी संग्रह

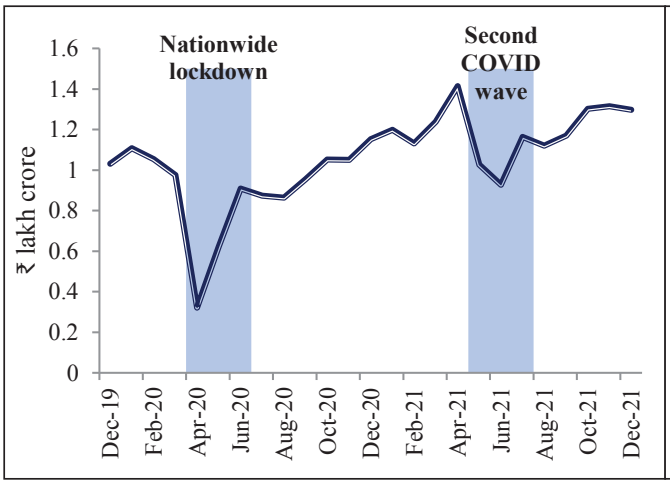

चित्र 8: मासिक सकल जीएसटी संग्रह का बढ़ता वर्ष-औसत

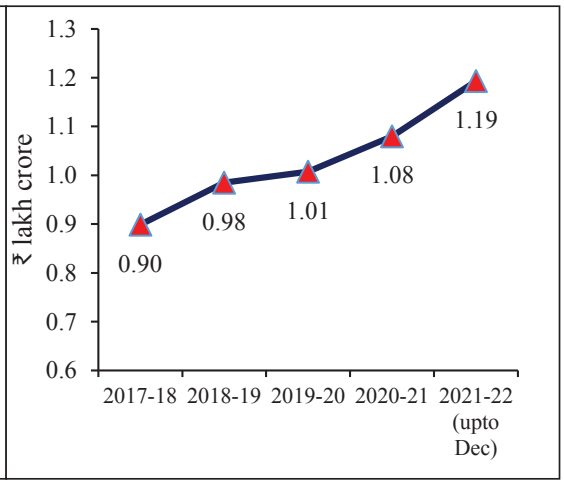

स्रोत: राजस्व विभाग

2.14 नवंबर 2021 तक गैर-कर राजस्व संग्रह में सालाना आधार पर 79.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि लाभांश और मुनाफे से प्रेरित थी, जो ₹ 1.04 लाख करोड़ के बीई के मुकाबले ₹ 1.28 लाख करोड़ थी। इस अवधि के दौरान लाभांश और मुनाफे का प्रमुख घटक आरबीआई से केंद्र सरकार को ₹ 0.99 लाख करोड़ अधिशेष अंतरण था।

2.15 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। बजट 2021-22 में इस साल विनिवेश से हुई आय से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की गई थी। सरकार अब तक विनिवेश से ₹ 9330 करोड़ जुटा पाई है (24 जनवरी, 2022 तक)। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। एयर इंडिया का निजीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, न केवल विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के मामले में बल्कि निजीकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी। 2021-22 के दौरान विनिवेश एवं निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी आई पी ए एम) द्वारा की जा रही नई पहलों का विवरण बॉक्स 2 में दिया गया है।

व्यय

2.16 2021-22 के दौरान सरकार की व्यय नीति की निम्नलिखित रही है-उन क्षेत्रों में पुनर्गठन और खर्च को प्राथमिकता देना, जिनका उत्पादन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सरकार का कुल खर्च 8.8 प्रतिशत बढ़ा और बजट अनुमान का 59.6 प्रतिशत रहा। जहां 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में 2021-22 के पहले आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं गैर-ब्याज राजस्व व्यय में अप्रैल से नवंबर 2020 (चित्र 9) की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 9: अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान व्यय घटकों में वृद्धि

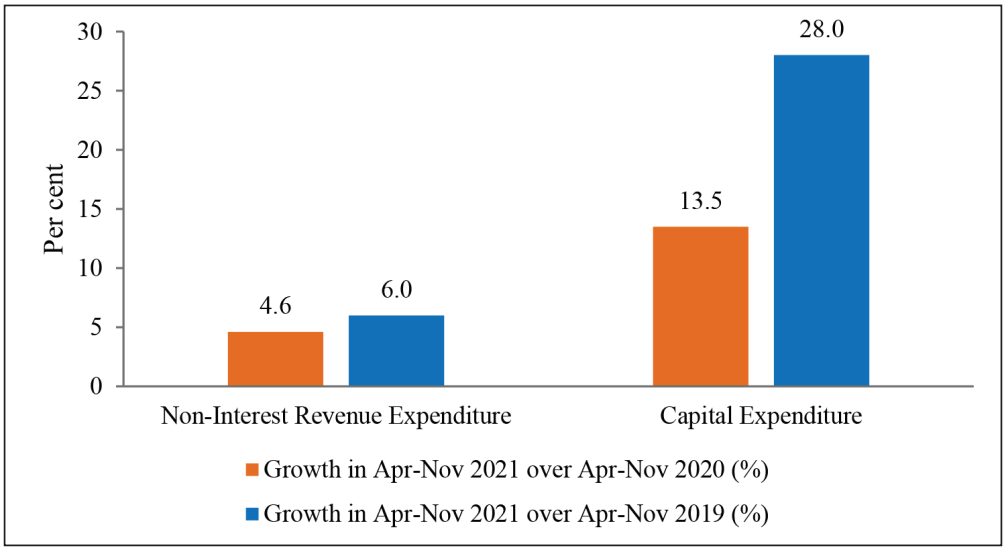

स्रोत: राजस्व विभाग

2.17 अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान प्रमुख सब्सिडी पर खर्च 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा। प्रमुख सब्सिडी पर व्यय के घटकों को चित्र 10 में देखा जा सकता है। खाद्य सब्सिडी कुल सब्सिडी का प्रमुख घटक होने के कारण 2021-22 के पहले आठ महीनों के दौरान इसके बीई के दो तिहाई यानी 1.64 लाख करोड़ रुपये थी। 2021-22 के दौरान घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-चरण III (मई से जून 2021), चरण IV (जुलाई से नवंबर 2021) और चरण V (दिसंबर से मार्च 2022) के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी रु.1.47 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। यह योजना नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न के अलावा लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है।

चित्र 10: अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

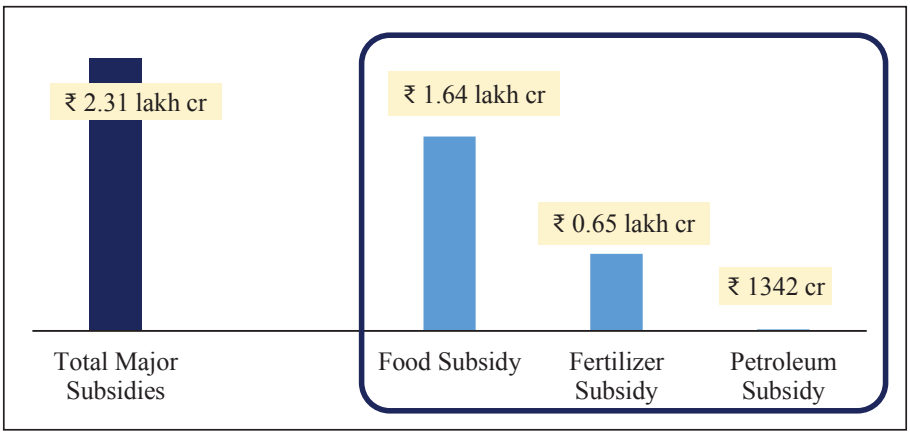

स्रोत: राजस्व विभाग

2.18 चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पर जोर व्यय नीति का मुख्य आकर्षण रहा है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान, पूंजीगत व्यय में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में 13.5 प्रतिशत और अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 9)। जैसा कि चित्र 11 में दर्शाया गया है, यह वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वर्ष-दर-वर्ष पूंजीगत व्यय वृद्धि से अधिक है।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में अधिक विषमता पायी जाती है। पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा वर्ष की दूसरी छमाही में होता है, जिसे उपलब्ध आंकड़ों के साथ नहीं लिया जा रहा है। अप्रैल से नवंबर 2021 तक पूंजीगत व्यय का फोकस सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, और आवास एवं शहरी मामले जैसे बुनियादी ढांचा-क्षेत्रों की ओर रहा है (चित्र 12)। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन भी दिए हैं (बॉक्स 3 में चर्चा की गई है)।

चित्र 11: पिछले वर्षों में अप्रैल से नवंबर के दौरान पूंजीगत व्यय में सालाना वृद्धि

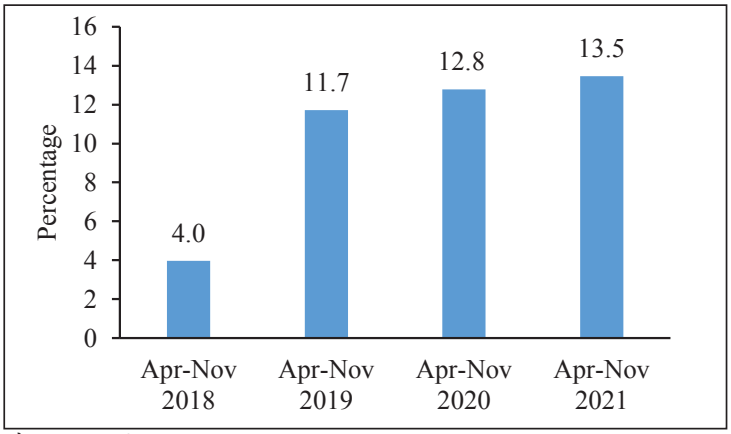

स्रोत: राजस्व विभाग

चित्र 12: पूंजीगत व्यय के लिए जोर क्षेत्र (अप्रैल से नवंबर 2021)
(करोड़ रुपये में)

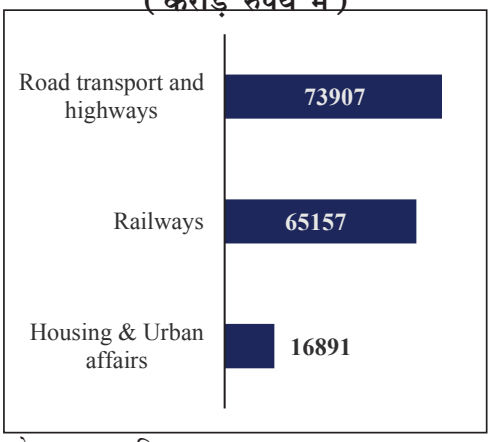

स्रोत: राजस्व विभाग

2.19 उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा अपनाई गई चुस्त राजकोषीय नीति दृष्टिकोण, इस वर्ष अब तक प्राप्त उत्साहजनक राजस्व संग्रह के साथ, स्थिति की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त मध्यवर्ती राजकोषीय नीति बनायी गई है। पूंजीगत व्यय पर लक्षित फोकस, इसके परिणामी गुणक प्रभावों के साथ, आर्थिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, सभी स्रोतों से राजस्व संग्रह और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है, जो एक तरफ राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा, और दूसरी तरफ राजकोषीय प्रसार में मदद करेगा। इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान तक पहुंचना केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होगा। एक मजबूत आर्थिक विकास पथ और पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न कर उन्मुख नीतिगत और प्रशासनिक सुधार मध्यम अवधि में उछाल वाले राजस्व को बनाए रखने में आधारभूत सिद्ध होंगे, और इस प्रकार, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीतिगत ब्यौरा द्वारा राजकोषीय नीति का अनुपालन किया जाएगा।

सरकारी वित्त में दीर्घकालिक रुझान: केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार

केंद्र सरकार के वित्त

2.20 2020-21 के दौरान, आर्थिक गतिविधियों में रुकावट के कारण राजस्व संग्रह में कमी और गरीब एवं कमजोर लोगों, छोटे व्यवसायों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं ने उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधन पर अत्यधिक दबाव बनाया है। नतीजतन, 2020-21 के लिए बजटीय राजकोषीय घाटा बीई में 3.5 प्रतिशत से संशोधित कर आरई में 9.5 प्रतिशत कर दिया गया। राजकोषीय घाटा (2020-21 में अनंतिम वास्तविक आंकड़े) सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत अर्थात आरई (चित्र 13) से कम था। बजट 2021-22 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) संबंधी ब्यौरे में 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। चालू वर्ष के दौरान घाटे में यह कमी 2020-21 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 17.7 प्रतिशत से घटाकर 2021-22 बजट अनुमान में 15.6 प्रतिशत करने के कारण बजट में रखी गई थी; और सकल कर राजस्व में बजटीय मामूली वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत के बराबर है। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2021 के सरकारी खातों के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार 2021-22 में राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य कर रही है।

चित्र 13: घाटे में रुझान

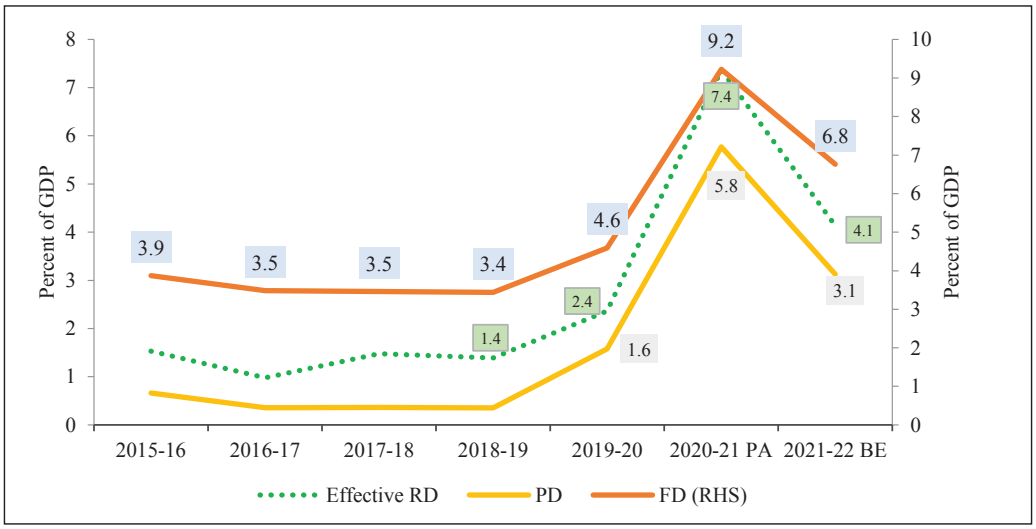

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

एफडी: राजकोषीय घाटा; आरडी: राजस्व घाटा; पीडी: प्राथमिक घाटा

2.21 केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में दीर्घकालिक रुझान और उनकी विकास दर क्रमश: तालिका 2 और तालिका 3 में प्रस्तुत की गई है। यह खंड इन प्रवृत्तियों का विस्तार से विश्लेषण करता है।

तालिका 2: केंद्र सरकार के वित्तीय संकेतक

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए	2021-22 बीई
	(₹ लाख करोड़ में; कोष्ठक में आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं)						
राजस्व प्राप्तियां	11.95 (8.7)	13.74 (8.9)	14.35 (8.4)	15.53 (8.2)	16.84 (8.3)	16.32 (8.3)	17.88 (8.0)
सकल कर राजस्व	14.56 (10.6)	17.16 (11.2)	19.19 (11.2)	20.8 (11.0)	20.1 (9.9)	20.25 (10.3)	22.17 (9.9)
शुद्ध कर राजस्व	9.44 (6.9)	11.01 (7.2)	12.42 (7.3)	13.17 (6.9)	13.57 (6.7)	14.24 (7.2)	15.45 (6.9)
गैर-कर राजस्व	2.51 (1.8)	2.73 (1.8)	1.93 (1.1)	2.36 (1.2)	3.27 (1.6)	2.08 (1.1)	2.43 (1.1)
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां*	0.63 (0.5)	0.65 (0.4)	1.16 (0.7)	1.13 (0.6)	0.69 (0.3)	0.58 (0.3)	1.88 (0.8)

गैर-ऋण प्राप्तियां	12.58	14.40	15.51	16.66	17.53	16.90	19.76
	(9.1)	(9.4)	(9.1)	(8.8)	(8.6)	(8.6)	(8.9)
कुल व्यय	17.91	19.75	21.42	23.15	26.86	35.11	34.83
	(13.0)	(12.9)	(12.5)	(12.2)	(13.2)	(17.8)	(15.6)
राजस्व व्यय	15.38	16.91	18.79	20.07	23.51	30.86	29.29
	(11.2)	(11.0)	(11.0)	(10.6)	(11.6)	(15.6)	(13.1)
पूंजीगत व्यय	2.53	2.85	2.63	3.08	3.35	4.25	5.54
	(1.8)	(1.9)	(1.5)	(1.6)	(1.6)	(2.2)	(2.5)
राजकोषीय घाटा	5.33	5.36	5.91	6.49	9.34	18.21	15.07
	(3.9)	(3.5)	(3.5)	(3.4)	(4.6)	(9.2)	(6.8)
राजस्व घाटा	3.43	3.16	4.44	4.54	6.67	14.54	11.41
	(2.5)	(2.1)	(2.6)	(2.4)	(3.3)	(7.4)	(5.1)
प्राथमिक घाटा	0.91	0.55	0.62	0.67	3.22	11.39	6.97
	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(1.6)	(5.8)	(3.1)
मेमो आइटम							
बाजार मूल्य पर जीडीपी	137.72	153.62	170.95	189.71	203.51	197.46	222.87

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए
बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक
'विनिवेश से प्राप्त राशि शामिल है

तालिका 3: केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए*	2021-22 बीई^
राजस्व प्राप्तियां	15.0	4.4	8.2	8.4	-3.1	9.6
सकल कर राजस्व	17.9	11.8	8.4	-3.4	0.7	9.5
शुद्ध कर राजस्व	16.7	12.8	6.0	3.0	4.9	8.5
गैर-कर राजस्व	8.6	-29.4	22.3	38.8	-36.4	16.8
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	3.8	77.0	-2.5	-39.2	-16.0	226.2
कुल गैर-ऋण प्राप्ति	14.4	7.7	7.4	5.2	-3.6	17.0
कुल व्यय	10.3	8.4	8.1	16.0	30.7	-0.8
राजस्व व्यय	9.9	11.1	6.8	17.1	31.3	-5.1
पूंजीगत व्यय	12.5	-7.5	16.9	9.1	26.5	30.5

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए
बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक
* वास्तविक विकास दर की तुलना में 2019-20 वास्तविक;
^ 2020-21 पीए की तुलना में विकास दर

प्राप्तियों में रुझान

2.22 केंद्र सरकार की प्राप्तियों को मोटे तौर पर गैर-ऋण और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। गैर-ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। ऋण प्राप्तियों में ज्यादातर बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल होती हैं, जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिए बाध्य होती है। बजट 2021-22 ने केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों में उल्लेखनीय रूप से उच्च वृद्धि को लक्षित किया, जो इसके सभी घटकों में मजबूत वृद्धि से प्रेरित था (तालिका 3 देखें)।

राजस्व का टैक्स

2.23 2020-21 के लिए लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनंतिम वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 पीए के दौरान सकल कर राजस्व में 0.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। कर संग्रह की कमी की स्थिति ऐसी थी कि उसमें प्रति वर्ष 11.7 प्रतिशत की गिरावट हो रही थी, जिसकी पूर्ति अप्रत्यक्ष करों में 12.6 प्रतिशत की सालाना वृद्धि करके किया गया था। हालांकि, 2020-21 के संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में बजट 2021-22 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। 2021-22 बीई के लिए जीटीआर 22.17 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 9.9 प्रतिशत था। 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में जीटीआर में बजटीय वृद्धि का अनुमान प्रत्यक्ष करों में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था। मोटे तौर पर, जीटीआर का 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से और शेष 50 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से अर्जित होने का अनुमान था। 2021-22 बीई के लिए जीटीआर में विभिन्न करों का योगदान चित्र 14 में दर्शाया गया है।

चित्र 14: 2021-22 बीई में सकल कर राजस्व में करों की संरचना

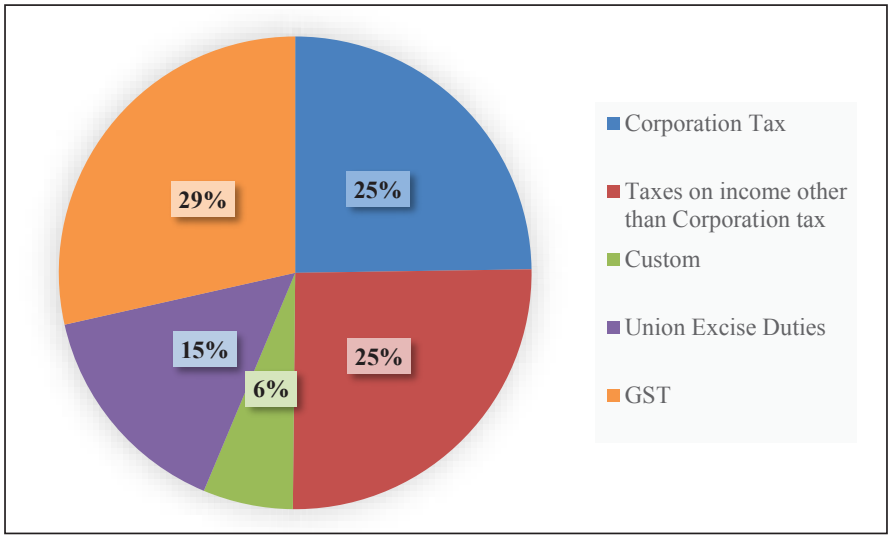

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

2.24 सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रमुख करों की प्रवृत्ति, जिसे चित्र 15 में दर्शाया गया है, को 2019-20 के बाद से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों, विशेष रूप से कॉरपोरेट कर के जरिए कर संग्रह में गिरावट की प्रवत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में गिरावट और कॉरपोरेट कर की दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए, कॉरपोरेट कर संग्रह में उछाल आया है।

चित्र 15: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर

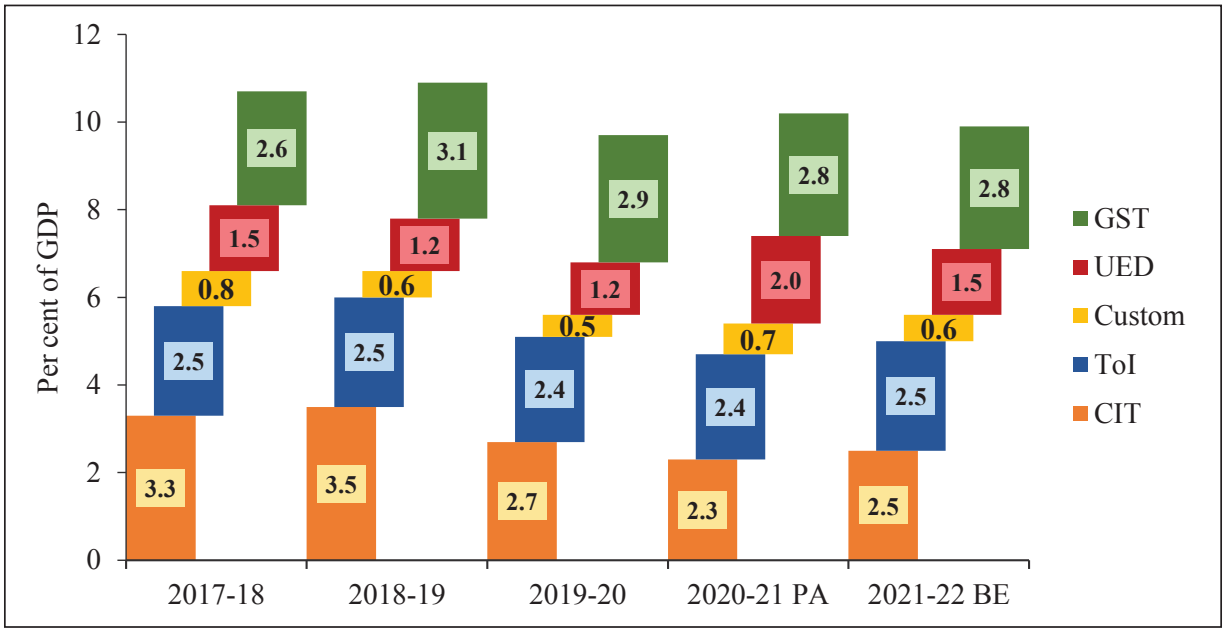

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े, सीआईटी: निगम कर, टीओआई: निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (एसटीटी सहित),

यूईडी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी: माल और सेवा कर

गैर-कर राजस्व

2.25 गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश और लाभ शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार को अंतरित भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष, और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बाह्य अनुदान और प्राप्तियां शामिल हैं। इन सेवाओं में मुद्रा, सिक्का और टकसाल जैसी वित्तीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग और पुलिस जैसी सामान्य सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं और सिंचाई, परिवहन और संचार जैसी आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। 2021-22 के बजट में गैर-कर राजस्व के 2.43 लाख करोड़ रुपये के सृजन का उल्लेख किया गया है, जो तुलनात्मक रूप से 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों से 16.8 प्रतिशत अधिक है। (तालिका 4 देखें)।

तालिका 4: केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व में रुझान

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए	2021-22 बीई
						(लाख करोड़ रुपये में)	
ब्याज प्राप्तियां	0.25	0.16	0.14	0.12	0.12	0.17	0.12
लाभांश और लाभ	1.12	1.23	0.91	1.13	1.86	0.97	1.04
बाह्य अनुदान	0.02	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02	0.01
अन्य	1.12	1.32	0.84	1.07	1.27	0.92	1.25
गैर-कर राजस्व	2.51	2.73	1.93	2.36	3.27	2.08	2.43

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

2.26 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋण और अग्रिम की वसूली, और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप राज्यों को प्रदान की जाने वाली केंद्रीय सहायता से संबंधित ऋण के हिस्से की मध्यस्थतहीनता के बाद के वर्षों में ऋण की वसूली में गिरावट आई है, और राज्यों को सीधे बाजार से उधार लेने की अनुमति दी गई है। 2021-22 के बजट में 1.88 लाख करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के सृजन का उल्लेख किया गया है, जिसमें विनिवेश प्राप्तियों के 1.75 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करने के लिए, सरकार ने फरवरी 2021 में आत्मानिर्भर भारत के लिए एक नई विनिवेश नीति अपनाई है। सरकार की विनिवेश नीति का विकास बॉक्स 2 में देखा जा सकता है।

बॉक्स 2: भारत सरकार की विनिवेश नीति का विकास

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के पारित होने के साथ, सरकार द्वारा निजी फर्मों का राष्ट्रीयकरण एक मानक नीति उपकरण बन गया। अधिनियम में कहा गया है कि 'नागरिक द्वारा किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार या अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत किसी भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार पर राज्य ''नागरिकों के हित'' में कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अधिनियम किसी भी व्यवसाय में राज्य द्वारा राष्ट्रीयकरण या व्यापार की अनुमति देता है।

जल्द ही वायु निगम अधिनियम, 1953 के तहत, सरकार ने नौ एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया-एयर इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयरवेज (इंडिया), भारत एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, हिमालयन एविएशन, इंडियन नेशनल एयरवेज, कलिंग एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल-और उन्हें दो सार्वजनिक उपक्रमों, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल के तहत लाया। इसके बाद 1956 में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के माध्यम से जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके द्वारा 154 भारतीय बीमाकर्ताओं, 16 गैर-भारतीय बीमाकर्ताओं और 75 प्रोविडेंट समितियों का भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में राष्ट्रीयकरण किया गया। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के माध्यम से, 55 भारतीय कंपनियों और 52 विदेशी बीमा कंपनियों के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली में, सरकार ने 1969 में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के माध्यम से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद 1980 में बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर शुरू किया, जिसके माध्यम से अन्य छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971-1975 की अवधि के दौरान कोयला खदानों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर भी, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा हमेशा एक अत्यधिक बहस का मुद्दा रहा है, इस हद तक कि वर्ष 1958 में, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टीटी कृष्णमाचारी को एलआईसी के राष्ट्रीयकरण (मुंद्रा कांड, 1958) के विवादों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था।

1991 के सुधारों के बाद, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में सोच में बदलाव आया। 1991 के अंतरिम बजट में पहली बार 'विनिवेश' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, पीएम वाजपेयी की सरकार के तहत विनिवेश संबंधी नीति ने जोर पकड़ी, जब 1999 में एक नया विनिवेश विभाग बनाया गया, जो 2001 में एक पूर्ण मंत्रालय बन गया। इस अवधि के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की रणनीतिक बिक्री की अवधारणा नीतिगत बहस का हिस्सा बन गई। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की 12 कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेची गई, जिनमें मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्युमीनियम और विदेश संचार निगम लिमिटेड शामिल हैं। विनिवेश की प्रक्रिया अगले दशक 2004-2014 तक रुक-रुक कर जारी रही, जब कि हाल ही में पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में जोर दिया गया है।

2014 के बाद, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल), हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी), नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के साथ विनिवेश नीति का नवीनीकरण किया गया और आईआरसीटीसी, हुडको, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेसगोन डाक शिप बिल्डर लिमिटेड और रेलटेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को सफलतापूर्वक शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया। नए, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए, व्यावसायिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को फिर से परिभाषित करने और सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि में आत्मानिर्भर भारत के लिए न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राईज (''पीएसई'') नीति को 4 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करना है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (''पीएसइ'') नीति के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणि ज्यिक उद्यमों को सामरिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना के मानदंडों, वित्तीय सेवाओं का प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के आधार पर सामरिक क्षेत्रों का निरुपण किया गया है : (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान (बीई) के लिए विनिवेश आय रुपये 1,75,000 करोड़ निर्धारित किया गया था। अब तक (24.1.2022 तक) सरकार को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रूट और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयरों की बिक्री के माध्यम से सीपीएसई के विनिवेश से 9,330 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। सीपीएसई के शेयर निवेशकों के बीच आकर्षण के केंद्र बन चुके हैं, जैसा कि बी एस ई सी पी एस ई सूचकांक में परिलक्षित होता है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में जनवरी 2021 से अब तक 40.02% बढ़ा है, जब कि बेंचमार्क इंडेक्स 23.33% बढ़ा है। सीपीएसई से कुल लाभांश प्राप्तियां वर्ष 20-21 में रुपये 39,607 करोड़ रुपये रहा, जो 34,717 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) से अधिक है, और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक लाभांश प्राप्तियों (35,543 करोड़ रुपये) से अधिक है। इस वित्त वर्ष (24.1.2022 तक) की कुल लाभांश प्राप्ति 40,201.47 करोड़ रुपये है।

2016 से, सरकार ने 35 सीपीएसई और/या सहायक कंपनियों/इकाइयों/सीपीएसई के संयुक्त उद्यमों और आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। वर्तमान वर्ष के दौरान, एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ, सरकार ने मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जो मेसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है, जो एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस में एयर इंडिया की इक्विटी शेयरधारिता के साथ-साथ एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभर रही है। 25.10.2021 को मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एअर इंडिया के निजीकरण पर यह प्रगति न केवल विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के मामले में बल्कि निजीकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

संपत्ति मुद्रीकरण

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 में 111 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे में निवेश की परिकल्पना की गई है। एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि इस परिव्यय का लगभग 15-17% परिसंपत्ति मुद्रीकरण, न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) आदि जैसी नवीन और वैकल्पिक पहलों के माध्यम से वित्त पोषण पूरा किया जाएगा[2]। केंद्रीय बजट 2021-22 ने भी देश में उन्नत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए तीन स्तंभों में से एक के रूप में संपत्ति के मुद्रीकरण पर जोर दिया।

केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत संपत्ति मुद्रीकरण के लिए जनादेश के आधार पर, बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) विकसित किया गया है। इसकी परिकल्पना सड़कों, रेलवे, शिपिंग, विमानन, बिजली, दूरसंचार, तेल और गैस तथा वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में विभिन्न ब्राउनफील्ड अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक आवश्यक रोडमैप के रूप में की गई है। एनएमपी संभावित परिसंपत्तियों के प्रदर्शन की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए संपत्ति के स्वामित्व वाले मंत्रालयों के लिए एक आधार रेखा भी बनाएगा।

एनएमपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक, चार साल की अवधि में केंद्र सरकार के पास मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता है। कुल पाइपलाइन मूल्य के लगभग 83% पर शीर्ष 5 क्षेत्र के नाम इस प्रकार हैं: सड़कें (27%) इसके बाद रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) एवं दूरसंचार (6%) का स्थान है। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में 0.88 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य वाली लगभग 15% संपत्ति की परिकल्पना की गई है।

एनएमपी के तहत चिन्हित संपत्ति और लेनदेन को कई प्रकार के उपकरणों के माध्यम से शुरू किए जाने की उम्मीद है। इनमें प्रत्यक्ष संविदात्मक साधन जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी रियायतें और पूंजी बाजार के साधन जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट) शामिल हैं। प्रपत्र का चयन सेक्टर, परिसंपत्ति की प्रकृति, लेन-देन के समय (बाजार पर विचार करते हुए), लक्षित निवेशक प्रोफाइल और परिसंपत्ति मालिक द्वारा बनाए रखने के लिए परिकल्पित परिचालन/निवेश नियंत्रण के स्तर आदि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जहां मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण नीति आयोग द्वारा संचालित है, वहीं गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की पहल अब तक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा संचालित की गई है। गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में अब तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करने और सरकार ने उसमें जो निवेश किया है, उससे रिटर्न प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। अब तक, सीपीएसई ने मुद्रीकरण के लिए 3400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को दीपम/एमओएफ को संदर्भित किया है। विभिन्न सीपीएसई अर्थात एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बी एंड आर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड आदि की गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण वर्तमान में लेनदेन के विभिन्न चरणों में है।

चूंकि, वर्तमान में, सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के प्रबंधन और मुद्रीकरण की जिम्मेदारी लेने के लिए वांछित कौशल सीमित है। अत: माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2021-22 में एक कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए क्षमता और विशेषज्ञता के साथ प्रचलित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल परपज व्हिकल-एसपीवी) की स्थापना की घोषणा की। बजट घोषणा के अनुसरण में, 'राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम' (एनएलएमसी) को भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में शामिल किया जा रहा है, जिसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी रूपये 5000 करोड़ और अभिदत्त शेयर पूंजी रुपये 150 करोड़ है।

व्यय में रुझान

2.27 महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान की स्थिति के अनुसार व्यय नीति का फोकस व्यय की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने पर था। महामारी के प्रारंभिक चरण में, सरकार ने आवश्यक गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने पर जोर दिया था और पुनर्प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए दुर्लभ संसाधनों को संरक्षित किया था। वर्ष के परवर्ती काल में आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, या तो अर्थव्यस्था में पुन: जान फूंकने या कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव वाले क्षेत्रों में खर्च पर ध्यान केंद्रित किया गया था और दूसरा, सरकार ने महामारी से राहत के लिए उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर अधिकतम प्राथमिकता दी, जिसका अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

2.28 महामारी के मद्देनजर, अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं ने 2020-21 अनंतिम वास्विक आंकडों (तालिका 5) में सरकार के राजस्व व्यय में सालाना 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय, सामान्यत: कुल मिलाकर, अति आवश्यक है और अतिरिक्त वित्तीय स्थान के निर्माण के लिए सीमित हैं। 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकडों के से पता चलता है कि वेतन में गिरावट बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को फ्रीज करने और काम पर रखने में व्यवधान के कारण थी। 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि प्रमुख सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई। प्रमुख सब्सिडी में 2019-20 की तुलना में 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकडों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। यह वृद्धि खाद्य सब्सिडी में लगभग 400 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2019-20 में 1.09 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकडों में 5.25 लाख करोड़ रुपये हो गई। खाद्य सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण हुई, जिसे कोविड़-19 से उपजे आर्थिक हालात का सामना करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी से संबंधित बकाया लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का पूर्व भुगतान करने के कारण भी खाद्य सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि हुई थी।

तालिका 5: राजस्व व्यय की प्रमुख मदें

मदें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए	2021-22 बीई
						(₹ लाख करोड़ में)
राजस्व व्यय जिसमें से	16.91	18.79	20.07	23.51	30.86	29.29
	(9.9)	(11.1)	(6.8)	(17.1)	(31.3)	(-5.1)
क वेतन (वेतन और भत्ते)	1.77	1.94	2.11	2.28	2.05	2.52
	(22.6)	(9.3)	(9.0)	(7.8)	(-10.0)	(22.9)
ख निवृति-वेतन	1.31	1.46	1.60	1.84	2.09	1.90
	(35.8)	(10.9)	(9.9)	(14.8)	(13.7)	(-9.0)
ग ब्याज भुगतान	4.81	5.29	5.83	6.12	6.82	8.10
	(8.8)	(10.0)	(10.2)	(5.0)	(11.4)	(18.7)
घ प्रमुख सब्सिडी	2.04	1.91	1.97	2.28	6.90	3.35
	(-15.6)	(-6.3)	(2.9)	(16.0)	(202.0)	(-51.4)
ङ रक्षा सेवाएं	1.65	1.86	1.96	2.08	2.06	2.12
	(13.3)	(12.5)	(5.1)	(6.1)	(-0.9)	(3.1)

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

*2020-21 के लिए वेतन (वेतन और भत्ते) का आंकड़ा संशोधित अनुमान (आरई) है।

2.29 सरकार ने 2020-21 आरई और 2021-22 बीई दोनों में व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। पूंजीगत व्यय ने 2020-21 पी ए में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, क्योंकि यह 2019-20 में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21पी ए में जी डी पी का 2.2 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय पर जोर 2021-22 बीई में जारी रहा ताकि ₹ 5.54 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान अर्थात जीडीपी के 2.5

प्रतिशत को हासिल किया जा सके। इससे 2020-21 बीई और 2020-21 पीए में क्रमशः 34.5 प्रतिशत और 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय के अनुपात के रूप में, पूंजीगत व्यय 2020-21 पी ए में 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 बी ई में 15.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है (चित्र 16)। 2021-22 बीई में बुनियादी ढांचे के खर्च पर ध्यान देने के साथ उच्च पूंजीगत व्यय का चल रहे आर्थिक सुधार पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

चित्र 16: कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय का हिस्सा

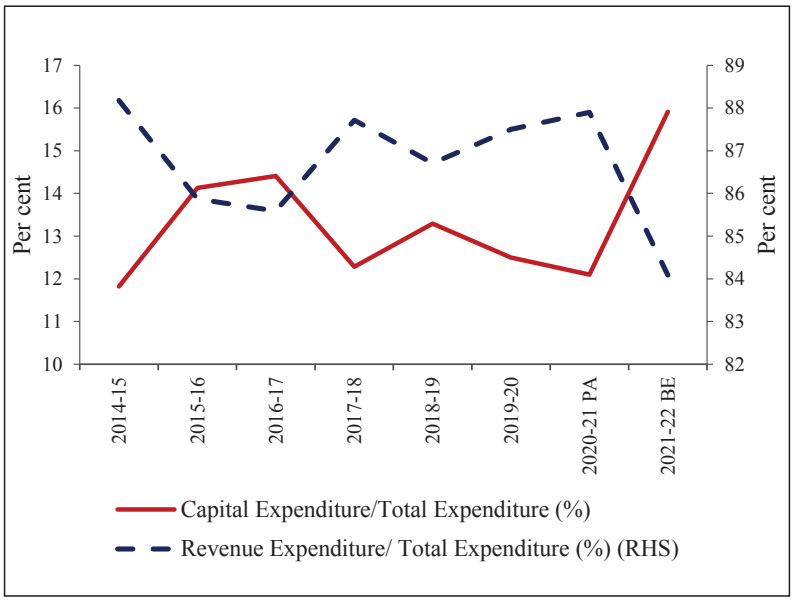

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए कार्यालय

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े,

2.30 बजटीय खर्च के अलावा, 2016-17 से बुनियादी ढांचे के निवेश के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) भी जुटाए गए हैं। सरकार ने 2016-17 से 2020-21 तक 6.04 लाख करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया है, जिसमें से 1.43 लाख करोड़ रुपये सरकार के निर्गम से जुटाए गए हैं। पूरी तरह से सेवित बांड और एनएसएसएफ से ऋण के माध्यम से विस्तारित वित्तीय सहायता के माध्यम से 4.61 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। बजट 2021-22 में राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि 2021-22 के लिए ईबीआर का अनुमान 30000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 2020-21 आरई में, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के बकाया खाद्य सब्सिडी से संबंधित ऋण के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का पूर्व भुगतान करने का अनुमान लगाया है। 2021-22 बीई से संबंधित बजट में एफसीआई की खाद्य सब्सिडी आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है।

राज्यों को अंतरण

2.31 केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को 2,33,233 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा इसमें 2021-22 के दौरान राज्य को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान भी सम्मिलित है।

2.32 संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व लेखा में अंतर को पूरा करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को रुपये 1.18 लाख करोड़ के कुल पोस्ट अंतरण राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है, जिसमें से 6 जनवरी 2022 तक रु. 98,710 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

2.33 स्थानीय निकायों को अनुदान के संबंध में, पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने सिफारिश की थी कि शहरी क्षेत्रों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जाए ताकि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश की जा सके : (क) श्रेणी- I शहर: दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूह/शहर और (ख) श्रेणी-II शहर: मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के अलावा। आयोग ने सिफारिश की है कि मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों (मिलियन-प्लस शहरों) को अच्छा प्रदर्शन करने पर 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज चौलेंज फंड (एमसीएफ) के माध्यम दिया जाएगा अर्थात अनुदान प्रदर्शन से लिंक्ड होगा। आयोग ने सिफारिश की है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का 60 प्रतिशत बुनियादी सेवाओं की दो श्रेणियों के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए: (क) स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति का रखरखाव (ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति (गैर-मिलियन से अधिक शहरों / श्रेणी- II शहरों / कस्बों के लिए; (ख) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए)।

2.34 पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने स्वास्थ्य के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए रु.13,192.00 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतराल को मजबूत करने और प्लग करने के लिए, उन बाधाओं को भी चिन्हित किया है जो सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करेंगे।

2.35 आपदा प्रबंधन अनुदान के संबंध में, आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के लिए राज्यों के कुल आवंटन को फंडिंग विंडो में उप-विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र शामिल हो। इस प्रकार, एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) को कुल आवंटन का 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ (राज्य आपदा शमन कोष) को 20 प्रतिशत मिलना चाहिए। इसी तरह, आयोग ने सिफारिश की है कि एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के कुल आवंटन का 80 प्रतिशत मिलना चाहिए और शेष 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए मिलना चाहिए।

2.36 वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार घटकवार अनुदान निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	घटक	2020-21 के लिए आवंटन	2021-22 के लिए आवंटन
			(₹ करोड़ में)
1.	अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	74,340	1,18,452
2.	स्थानीय निकाय अनुदान सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	90,000	80,207
3.	आपदा प्रबंधन अनुदान (संघ का हिस्सा)	34,574	34,574
	कुल योग	**1,98,914**	**2,33,233**

केंद्र सरकार के ऋण

2.37 वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। इस परिवेश में, लागत न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार विकास के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा सरकारों की बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूरा करते हुए यह सुनिश्चित किया गया व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने के लिए पारंपरिक और गैर-पारंपिक दोनों उपाय किए जाएं। इन उपायों से समर्थित, 2020-21 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों पर सरकार की भारित औसत लागत शुद्ध बाजार उधार (चित्र 17) में 141.2 प्रतिशत की उछाल के बावजूद, 17 साल के निचले स्तर 5.79 प्रतिशत पर थी।

चित्र 17: केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर

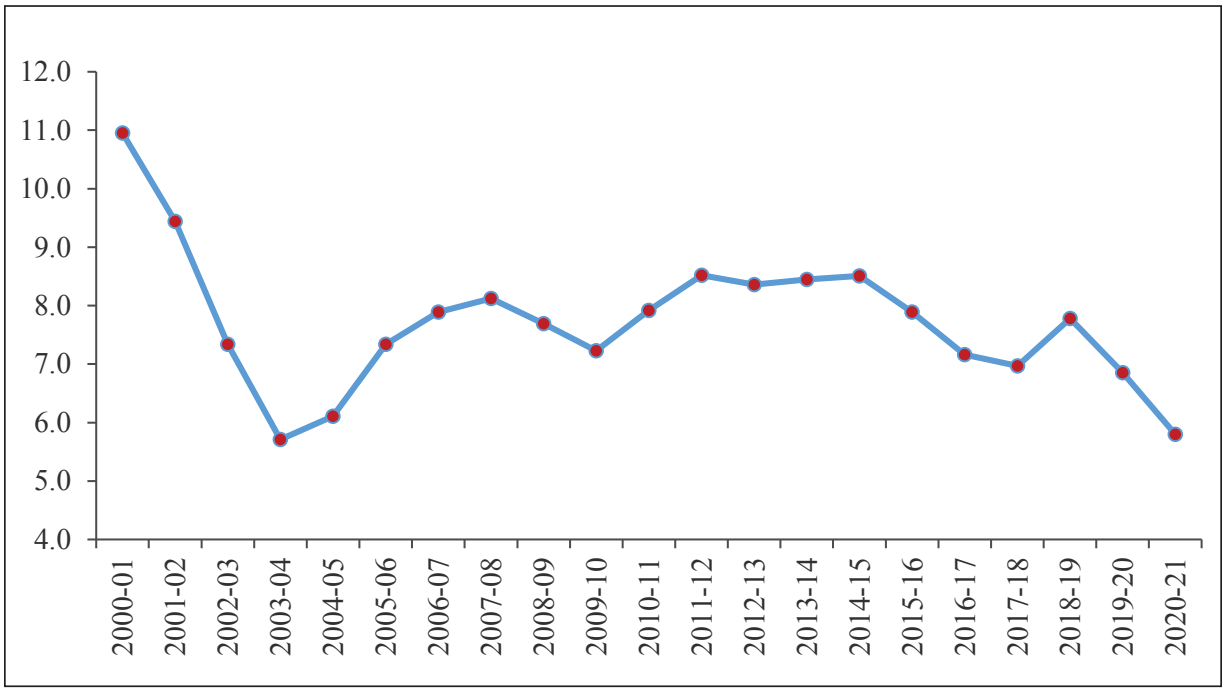

स्रोत: आरबीआई

2.38 केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में भारत की संचित निधि से लिए गए अनुबंधित ऋण, तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित, साथ ही साथ सार्वजनिक लेखा की देनदारियां शामिल हैं। इन देनदारियों में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण (वित्त वर्ष के अंत) शामिल हैं, लेकिन एनएसएसएफ से राज्यों के उधार और एनएसएसएफ से बाहर सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश की सीमा तक एनएसएसएफ देनदारियों के हिस्से को शामिल नहीं करते हैं, जो केंद्र सरकार के घाटा का वित्तपोषण नहीं करते हैं। मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां ₹ 117.04 लाख करोड़ थी। सार्वजनिक ऋण कुल देनदारियों का 89.9 प्रतिशत था, जबकि सार्वजनिक खाता देयताएं (शेष 10.1 प्रतिशत), जिसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा और अन्य लेखा शामिल हैं। केंद्र सरकार की कुल देनदारियों के प्रमुख घटकों का संक्षिप्त विवरण तालिका 6 में देखा जा सकता है।

तालिका 6: केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (₹ लाख करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सार्वजनिक ऋण (ए1+ए2)	51.05	57.11	61.50	68.45	75.49	85.65	105.24
ए1. आंतरिक ऋण (ए+बी)	47.38	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20	99.09
क. विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	43.08	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60	78.60
ख. गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	4.29	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60	20.50
ए 2. बाह्य ऋण	3.66	4.07	4.08	4.45	4.74	5.44	6.15
ख. लोक लेखा - अन्य देयताएं	7.62	8.16	8.57	9.15	9.96	13.70	12.74
ग. अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)	-	-	0.09	0.24	0.99	1.12	1.43
घ. कुल देयताएं (ए+बी+सी)	58.66	65.27	70.16	77.85	86.35	99.91	117.04

स्रोत: केंद्रीय बजट और वित्त लेखा (विभिन्न मुद्दे); अनंतिम लेखा, सीजीए।

39. चित्र 18 से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, जो पिछले एक दशक में अपेक्षाकृत स्थिर थीं, 2020-21 में तेजी से बढ़ी हैं। यह वृद्धि कोविड़-19 महामारी के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में तेज संकुचन के कारण अधिक उधार लेने के कारण है। हालांकि, आने वाले वर्षों में ऋण-जीडीपी में गिरावट की संभावना है।

चित्र 18: केंद्र के ऋण-जीडीपी अनुपात में रुझान

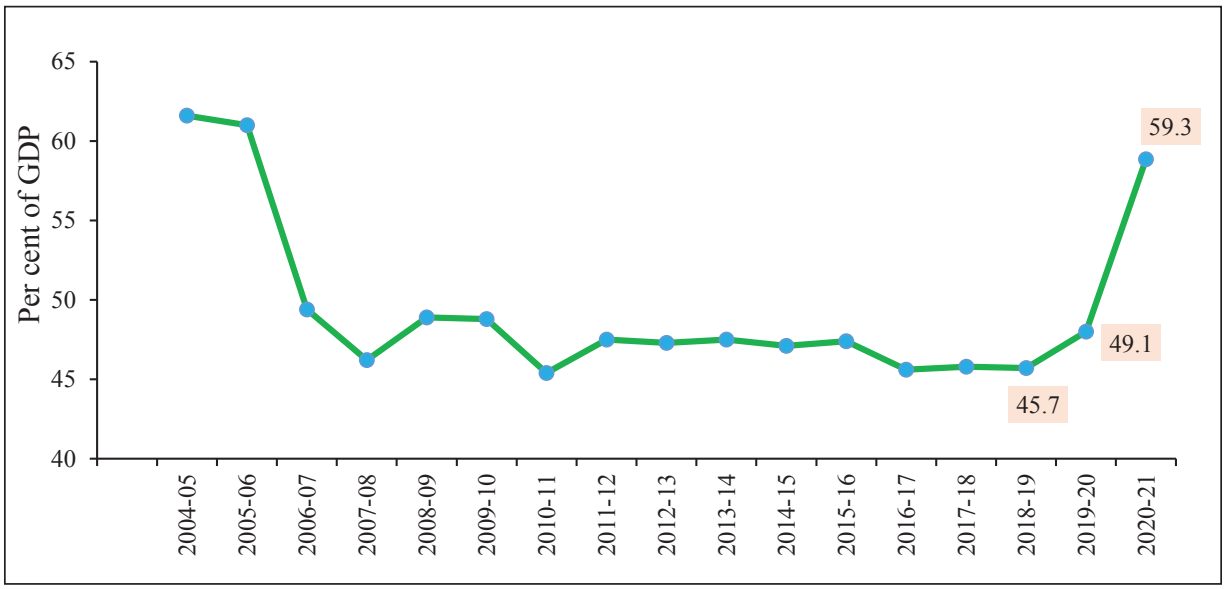

स्रोत: सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के विभिन्न मुद्दे;

नोट: 2020-21 के आंकड़े अनंतिम हैं

2.40 सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियो–बाह्य उधार पर कम निर्भरता और निश्चित कूपन पर अधिकांश प्रतिभूतियों को जारी करने के कारण – कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, अधिकांश बाह्य उधार आधिकारिक स्रोतों से हैं जो दीर्घकालिक और रियायती प्रकृति के हैं। परिपक्वता प्रोफाइल को बढ़ाने की दृष्टि से अल्पकालिक बांड जारी करने के कारण रोल ओवर जोखिम भी कम है। पांच साल से कम समय में परिपक्व होने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत में 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 11.31 वर्ष हो गई है, जिससे रोलओवर जोखिम कम हो गया है (चित्र 19)।

चित्र 19: केंद्र सरकार की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल
(कुल प्रतिशत के अनुसार)

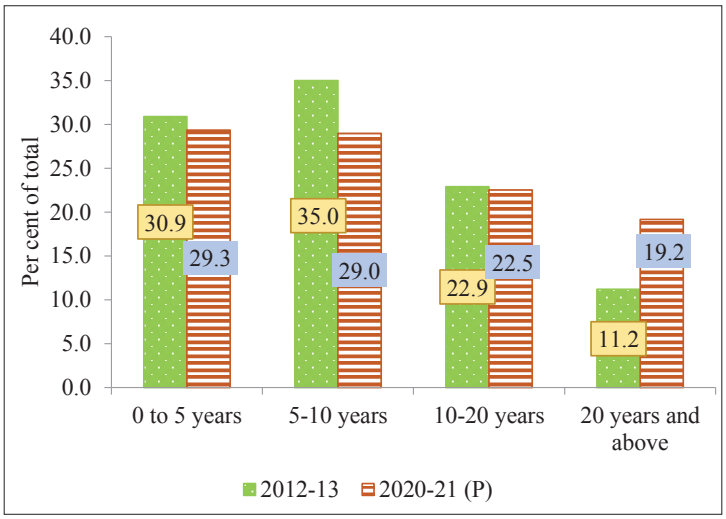

स्रोत: सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र; सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट; पी: अनंतिम

2.41 सार्वजनिक ऋण बड़े पैमाने पर बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड आदि जैसे संस्थागत क्षेत्रों के स्वामित्व में है। मार्च 2021 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 37.77 प्रतिशत थी, जो मार्च 2020 के अंत में 40.4 प्रतिशत से कम थी। मार्च 2021 के अंत में बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट फंड का हिस्सा क्रमश: 25.3 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत थी। मार्च 2020 के अंत में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.94 प्रतिशत हो गई। मार्च–2020 के अंत में आरबीआई का हिस्सेदारी 15.1 प्रतिशत थी जो मार्च 2021के अंत में बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया। ऋण प्रबंधन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांकित प्रतिभूतियों की योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें जोखिम के विवेकपूर्ण स्तरों को मानते हुए और बाजार के विकास को बढ़ावा देते हुए ऋण की लागत को कम रखा जाता है। ये सभी कारक सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियो को स्थिर और टिकाऊ भी बनाते हैं।

2.42 एक जीवंत द्वितीयक बाजार निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को इच्छानुसार संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। 40 साल तक की सरकारी प्रतिभूतियों की उपलब्धता निवेशकों को व्यापक विकल्प प्रदान करती है। ट्रेडिंग हालांकि वर्तमान में कुछ प्रतिभूतियों में केंद्रित है और अधिक प्रसार के संकेत दर्शा रही है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा हाल ही में शुरू की गई खुदरा प्रत्यक्ष योजना मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों और वरिष्ठ नागरिकों की बचत को सीधे जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में बदलने में सहायक होगी। जी–सेक बाजार में खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की कुशल सीधी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, जो पहले केवल बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा सीधे पहुँच बनाया जा रहा था, यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी और निवेशक आधार को व्यापक बनाएगी।

2.43 योजना के तहत, खुदरा निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (RDG) खाता खोलने में सक्षम होगा, जिसके माध्यम से वह सीधे न्यूनतम ? 10,000 और अधिकतम ? 2 करोड़ प्रति प्रतिभूति निवेश कर सकता है। खुदरा निवेशक न केवल सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों जैसे कि ट्रेजरी बिल और बांड के प्राथमिक निर्गम में एक गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं, बल्कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस ओएम) - आरबीआई की ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से द्वितीयक बाजार तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि पहले केवल चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए ही सुलभ था। अभी तक, जी-सेक का बड़ा हिस्सा कुछ संस्थागत निवेशकों जैसे वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों के पास है। विविध निवेशक आधार सरकार को अपने उधार कार्यक्रम में लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही, यह विभिन्न निवेशक श्रेणियों से जी-सेक की स्थिर मांग को सक्षम करेगा।

राज्य वित्त

2.44 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 आरई और 2021-22 बीई के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) की सीमा को पार करने का अनुमान है। राज्यों का राजस्व घाटा भी 2018-19 में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 (आरई) में जीडीपी का 2 प्रतिशत हो गया (चित्र 20)। उधार सीमा में यह छूट कोविड़-19 के कारण राज्यों की अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं और सीमित राजस्व के कारण दी गई थी। राज्यों की शुद्ध उधार सीमा को वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के जीएसडीपी के 5 प्रतिशत और 2021-22 के लिए राज्यों के जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। विवरण बॉक्स 3 में देखा जा सकता है। राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों, जो 2020-21 में उच्च स्तर तक पहुंच गया था, के वर्ष 2021-22 में गिरावट का अनुमान है।

चित्र 20: राज्यों का प्रमुख घाटा और ऋण संकेतक

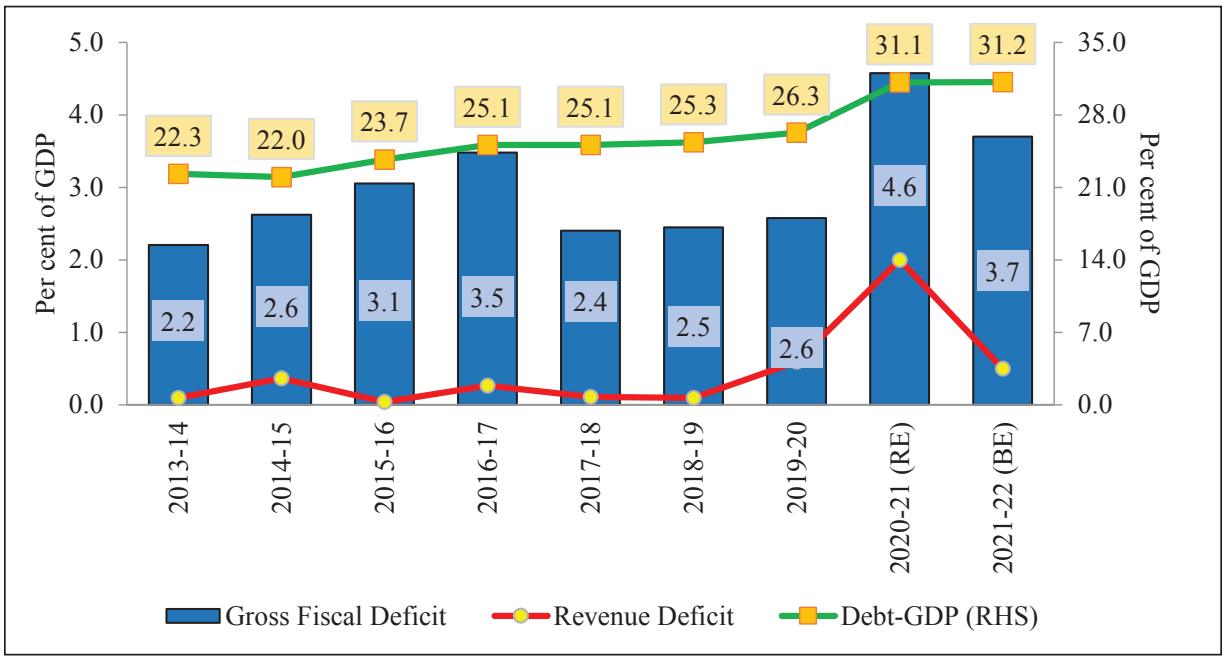

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन; आरई: संशोधित अनुमान;

बीई: बजट अनुमान

नोट: राज्यों में विधायिका वाले 29 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

2.45 पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने राज्यों के लिए निर्धारित शुद्ध उधार सीमा के अलावा, बिजली क्षेत्र में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार की सिफारिश की थी। अतिरिक्त उधार का उद्देश्य क्षेत्र की परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और भुगतान की गई बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है। 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष इस विशेष छूट की सिफारिश की गई है।

2.46 राज्य सरकारों के 2021-22 के बजट अनुमानों के अनुसार, 2020-21 आरई में प्रदर्शित खराब विकास के मुकाबले राज्यों का अपना कर राजस्व और स्वयं का गैर-कर राजस्व 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 28.5 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। व्यय पक्ष पर, 2021-22 बजट अनुमान में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को 2020-21 संशोधित अनुमान (तालिका 7 देखें) की तुलना में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 30.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की परिकल्पना की गई थी।

2.47 राज्य के वित्त पर आरबीआई के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्यों ने 2021-22 बीई में 2020-21आरई की तुलना में उच्च पूंजी परिव्यय के लिए बजट तैयार किया है। राज्यों द्वारा बढ़ाए गए कैपेक्स परिव्यय चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हैं। पूंजीगत व्यय के प्रति राज्यों की राजकोषीय नीति के महत्व पर जोर देने के क्रम में केंद्र सरकार ने 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना जारी रखी है। केंद्र सरकार ने कोविड़-19 महामारी के बीच राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए तेजी से आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए। केंद्र सरकार द्वारा गए कदमों को बॉक्स 3 में देखा जा सकता है।

तालिका 7: राज्यों के राजकोषीय संकेतक

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 आरई	2021-22 बीई
					(₹ लाख करोड़ में; कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है)	
स्वयं का कर राजस्व	9.46	11.3	12.15	12.24	12.41	15.95
	(11.3)	(19.5)	(7.5)	(0.7)	(1.4)	(28.5)
स्वयं का गैर-कर राजस्व	1.7	1.8	2.19	2.61	2.11	2.87
	(14.0)	(5.3)	(21.7)	(19.2)	(-19.2)	(36.0)
राजस्व व्यय	21.22	23.4	26.38	27.92	31.86	35.72
	(15.3)	(10.3)	(12.7)	(5.8)	(14.1)	(12.1)
पूंजीगत व्यय	5.17	4.31	4.87	4.6	5.54	7.23
	(23.1)	(-16.6)	(13.0)	(-5.5)	(20.4)	(30.5)

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: 2020-21 के लिए बजट का एक अध्ययन,

आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान;

नोट: राज्यों में 2017-18 से 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) भी शामिल हैं

कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

बॉक्स 3: 2021-22 के दौरान राज्यों को समर्थन देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए उपाय

केंद्र सरकार ने महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राज्यों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं:

1. राज्यों के लिए उधार लेने की बढ़ी हुई सीमा

वित्त वर्ष 2020-21: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जो रुपये 4.27 लाख करोड़ के बराबर थी। राज्यों को दी गई अतिरिक्त 2 प्रतिशत उधारी में से 0.5 प्रतिशत उधार की पहली किस्त सभी राज्यों के लिए थी। जीएसडीपी के 1 प्रतिशत की राशि का दूसरा भाग निम्नलिखित चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन था, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत है: -

क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;

ख) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार;

ग) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा

घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार

वहीं दूसरी ओर, जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत, जो पहले ऊपर उल्लिखित 4 सुधारों में से कम से कम 3 को पूरा करने से जुड़ा था, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 चुनने वाले राज्यों के लिए किया गया था। 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू किया, 20 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया, 11 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए और 17 राज्यों ने पूरी तरह से / आंशिक रूप से बिजली क्षेत्र में सुधार किए। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 में राज्यों को कुल उधार के रुप में 319,939 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी गई थी जिसमें से राज्यों को अधिकतम 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2021-22: वर्ष 2021-22 में राज्यों की शुद्ध उधारी राज्यों के जीएसडीपी के 4% पर 8,46,922 करोड़ रुपये पर निर्धारित की गई है। 2021-22 में राज्यों के लिए जीएसडीपी के 4% की शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) में से, जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। इसके लिए प्रत्येक राज्य में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वृद्धिशील उधार के संबंध में पात्रता हासिल करने के लिए, राज्यों को 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत 2021-22 की पहली तिमाही के अंत तक, दूसरी तिमाही के अंत तक 45 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के अंत तक 70 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक था। त्रैमासिक पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 15 नवंबर 2021 को, कुल अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति के रुप में राज्यों को रु 32,412 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 11 राज्यों को पहली तिमाही के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15721 करोड़ रुपये और दूसरी तिमाही के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 राज्यों को 16691 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

2. जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में राज्यों को ऋण

राज्यों को भुगतान किए जाने वाले माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक विशेष उधार विंडो की स्थापना की थी। इस विंडो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से 1,10,208 करोड़ रुपये की राशि उधार लिए गए थे तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण मुआवजे की राशि जारी न होने के कारण संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की

मदद के लिए बैक टू बैक आधार पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में पारित किया गया था। । 1.59 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए उपरोक्त उधार व्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बढ़ा दिया गया था। सभी पात्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल के साथ) ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत मुआवजे की कमी के वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की है। कोविड़-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन और पूंजीगत व्यय में एक कदम बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत 1.59 लाख करोड़ रुपये की सहायता जारी करने की शुरुआत की है।

3. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना

कोविड-19 महामारी के चलते कर राजस्व में कमी के कारण 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए, 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य सरकारों को 2020-21 के दौरान 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 11830. 29 रुपये की विशेष सहायता को मंजूरी प्रदान किया गया। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की यह योजना वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 10,000 करोड़ के आवंटन के साथ बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना के तीन भाग हैं:

भाग- I 8 उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के लिए आवंटित राशि रु. 2,600 करोड़ है । इस राशि में से रु. 1400 करोड़ को 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में समान रूप से विभाजित किया गया है जबकि असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए समान रुप से रु. 1200 करोड़ (प्रत्येक राज्य को 400 करोड़ रुपये) निर्धारित किए गए हैं।

भाग- II अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग-I में शामिल नहीं हैं । इस भाग के लिए 7,400 करोड़ रुपये रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।

भाग- III राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/विनिवेश और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। इस भाग के तहत, राज्यों को स्कीम के भाग-I/भाग-II के तहत उनके आवंटन के अलावा 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सामान्य सरकारी वित्त

2.48 समान्य सरकारी वित्त समग्र रूप से सरकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का एक सिंहावलोकन देते हैं। चित्र 21 पिछले कुछ वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण और घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। राजस्व में कमी और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न उच्च व्यय संबंधी आवश्यकताओं के कारण केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए अतिरिक्त उधार के कारण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामान्य सरकारी देनदारियां 2020-21 के दौरान तेजी से बढ़ीं। हालांकि, 2021-22 बीई में, राजकोषीय संकेतकों के अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ बदलाव होने की उम्मीद है और सामान्य सरकार से राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करने की उम्मीद है। ऋण स्थिरता की गतिशीलता पर विस्तृत चर्चा खंड 1 (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) के अध्याय 2 में देखी जा सकती है।

चित्र 21: सामान्य सरकारी ऋण और घाटे में रुझान (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

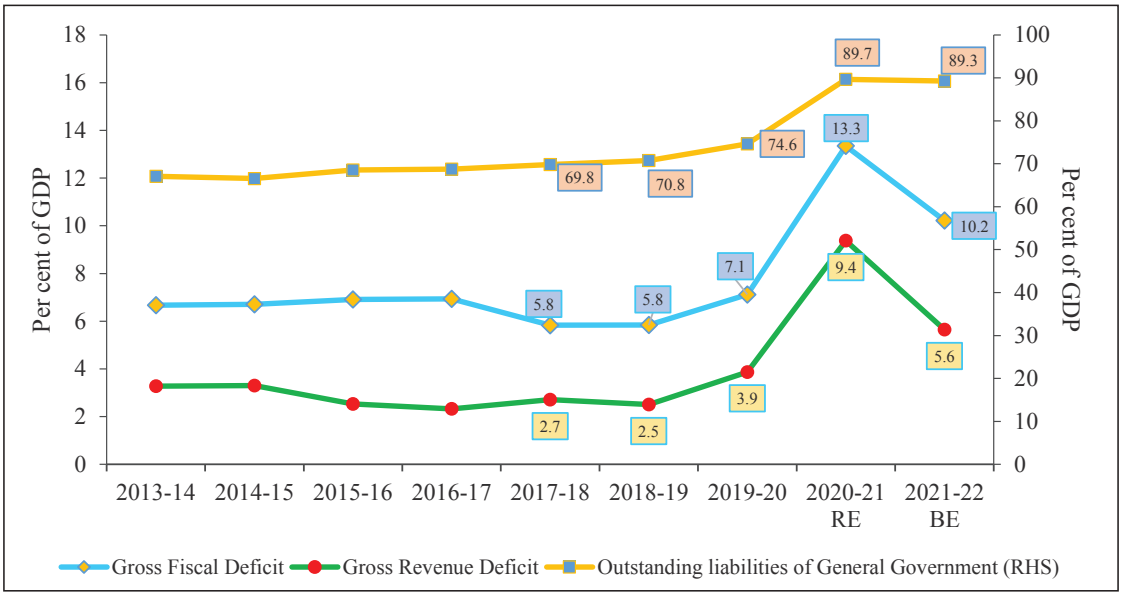

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सांख्यिकी की आरबीआई हैंडबुक;

बीई: बजट अनुमान; पुन: संशोधित अनुमान

सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने संबंधी नीतिगत उपाय

2.49 जबकि पुनर्रचना व्यय राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, सरकारी व्यय की दक्षता में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्रय, जिसमें न केवल दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय शामिल है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का निर्माण भी सरकारी व्यय का एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार ने सार्वजनिक क्रय नीति की दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस खंड में दो तरह के सुधारो की चर्चा की गई ख़ पहला, नियमित क्रय के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस और दूसरा, सार्वजनिक क्रय और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए नए दिशानिर्देश।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जी ई एम)

2.50 सरकार ने 2016 में एक समर्पित ई-मार्केट की स्थापना की थी, जिसे गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जी ई एम) के रूप में जाना जाता है, जो कुछ मानक दिन-प्रतिदिन के उपयोग के सामान की क्रय के लिए है। यह क्रय के लिए एक सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है। सामान्य वित्तीय नियम 2017 समस्त मंत्रालयों और विभागों को जेम से जेम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की क्रय के लिए अनिवार्य करता है। जेम की शुरुआत के बाद क्रय पद्धति में प्रक्रियात्मक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं (तालिका 8)।

तालिका 8: जेम से पहले और बाद में सार्वजनिक क्रय की प्रक्रिया

श्रेणी	जेम से पहले	जेम के पश्चात
बोलियों के आमंत्रण की प्रक्रिया	बोलियों के आमंत्रण, बोली मूल्यांकन और बोली प्राप्तकर्ता को अंतिम रूप देने के लिए मैन्युअल प्रक्रिया।	पूरी तरह से ऑनलाइन, वास्तविक दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है।
सार्वजनिक क्रय नीति	कई क्रय दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित कई एजेंसियां।	स्पष्ट दिशानिर्देशों सहित एकल, एकीकृत, पूरी तरह से ऑनलाइन सार्वजनिक क्रय पोर्टल।
क्रय की पद्धति	कागजात आधारित क्रय प्रक्रिया सहित प्रत्यक्ष सम्पर्क	समयबद्ध भुगतान और वास्तविक समय की निगरानी सहित संपर्क रहित, कागज रहित और नकद रहित।
बातचीत और विचार-विमर्श की पद्धति	बोली लगाने वाले के साथ मैन्युअल बातचीत और दरें तय करना और सभी बोलीदाताओं के लिए एक दर लागू करना।	स्वचालित, डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रक्रियाएं।
विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया	विक्रेताओं का पंजीकरण एक मैनुअल प्रक्रिया थी जिसमें अधिकारियों द्वारा विक्रेता परिसर का दौरा करना शामिल था और इसमें समय की काफी बर्बादी होती थी।	संबंधित डोमेन डेटाबेस के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का प्रमाणीकरण किया जाता है।
बोली के योग्य प्रतिभागी	सीमित बोली और केवल पंजीकृत विक्रेता ही भाग ले सकते थे।	जब तक उत्पाद बोली से मेल खाता है, तब तक मंच का कोई भी विक्रेता बोली में भाग ले सकता है।
उत्पाद वितरण या प्रदान की गई सेवा की निगरानी	उत्पादों की वितरण में काफी विलम्ब और भुगतान में विलम्ब।	उत्पादों और सेवाओं की समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम मानीटरिंग ।

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय, पीआईबी

2.51 उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि जेम से पहले, सरकारी क्रय मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक थे और अक्षमता और किराए की मांग के बारे में लगातार शिकायतें होती थीं। इस ई-मार्केटप्लेस के उपयोग के परिणामस्वरूप पहले इस्तेमाल की गई दरों की तुलना में कीमतों में काफी कमी आई है, और औसत कीमतों में कम से कम 15-20% की कमी दर्ज की गई। जबकि कुछ मामलों में तो मूल्यों में 56% तक की गिरावट दर्ज की गई[3]। बॉक्स 5 में वस्तुओं के चयनित नमूने के लिए जेम पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर कीमतों को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है।

बॉक्स 5: अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में जेम पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतें

जेम पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की तुलना कंपनी की वेबसाइटों या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, आदि के साथ नीचे तालिका में दी गई है। इसी तरह के विश्लेषण को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 6 में शामिल किया गया था। यथासंभव नजदीकी तुलना के लिए, पिछले वर्ष चुनी गई वस्तुओं के नमूने का हरसंभव उपयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां सटीक वस्तु उपलब्ध नहीं थी, नए उपलब्ध मॉडलों को चुना गया था। जबकि पिछले वर्ष के विश्लेषण में, अन्य प्लेटफार्मों की तुलना में जेम की कीमतें औसतन 3 प्रतिशत कम थीं, इस बार यह चुने हुए नमूने के लिए लगभग 9.5 प्रतिशत कम है। नमूने में शामिल 22 वस्तुओं में से 10 अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में जीईएम पोर्टल पर सस्ती थीं।

तालिका: जेम पोर्टल के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन (6 जनवरी 2022 तक)

नाम और विवरण (मॉडल, विशेषताएं)	जेम पर मूल्य (रुपये में)	अमेजोन/फ्लिपकार्ट/ कंपनी की वेबसाइट आदि पर कीमत (रुपयों में)	प्रस्तावित मूल्य में % भिन्नता (बाजार की कीमतों से अधिक जेम की कीमतें)
पार्कर जोटर स्टैण्डर्ड बॉल पेन	एमआरपी: 250; प्रस्तावित मूल्य (ओपी): 200	अमेजोन; एमआरपी: 250; ओपी: 207	-3.50
रोरिटो ग्रीट्ज जेल पेन मैक्सट्रॉन गोल्ड रोबोटिक फ्लूइड इंक सिस्टम पेन-ब्लू	एमआरपी: 99; ओपी:51	अमेजोन; एमआरपी: उल्लेख नहीं किया गया; ओपी: 119	-133.33
सैमसंग बेसिक टेलीविजन टीवी 43 इंच एलईडी बैकलिट एलसीडी मॉडल: सैमसंग डीसी43जे	एमआरपी: 49,069 ओपी: 40,000; वारंटी- 5 वर्ष	अमेजोन.इन- एमआरपी: 69,000 ओपी: 43,900	-9.75
ओमरोन व्हाइट एचईएम 7156एपी ब्लड प्रेशर मॉनिटर	एमआरपी: 3,860; ओपी: 3,100; वारंटी - 2 वर्ष	इंडस्ट्रीआऊल.कॉम एमआरपी: 2749; ओपी: 2,749 वारंटी - 3 वर्ष	11.32
एचपी लेजरजेट एंटरप्राइज एम507डीएन	एमआरपी: 81,780 ओपी: 69,005 वारंटी - 3 वर्ष	अमेजोन; एमआरपी: 82,450; ओपी: 69,005 वॉरंटी - 1 वर्ष	0.00
कोरेस ईजी कट 871 पेपर श्रेडर	एमआरपी: 25,490, ओपी: 22,940	अमेजोन; एमआरपी: 23,990, ओपी: 20,130	12.25
हीरो साइकिलस जेट गोल्ड 28टी यूनिसेक्स रोड साइकिल (सिंगल स्पीड, ब्लैक)	एमआरपी: 8,900; ओपी: 5,599	अमेजोन; एमआरपी: 6,250; ओपी: 5,500	1.77
मिल्टन 1500 मिली थर्मस	एमआरपी: 1,560, ओपी: 1,101	अमेजन: एमआरपी: 1,875; ओपी: 1,499	-36.15
नीलकमल डस्ट्बिन 60 लीटर	एमआरपी: 2,150, ओपी: 840	अमेजन- एमआरपी: 1,599; ओपी: 1,350	-60.71
नीलकमल पिननेकल हाई बैक चेयर	एमआरपी: 23,500, ओपी: 21,150	नीलकमलफर्निचर.कॉम एमआरपी: 17,000; ओपी: 16,674	21.16
बजाज पल्सर 220 एफ	एमआरपी: 1,18,250 ओपी: 1,18,250	बाइकवाले.कॉम- एमआरपी: 1,30,827 (नई दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत)	-10.64
गोदरेज इंटेरियो एलीट मिड बैक चेयर	एमआरपी: 15,020, ओपी: 13,150	गोदरेज इंटेरियो वेबसाइट- एमआरपी: 15,020	-14.22
गोदरेज इंटेरियो स्टील अलमारी 2400 मिमी (स्लाइड एन स्टोर कॉम्पैक्ट प्लस अलमारी)	एमआरपी: 34,374, ओपी: 32,239	गोदरेज इंटेरियो वेबसाइट- एमआरपी: 34,374	-6.62
गोदरेज इंटेरियो राइन 3-सीटर रेक्लाइनर	एमआरपी: 60,226, ओपी: 54,203 वारंटी- 1 वर्ष	अमेजोन; एमआरपी: 66,444, ओपी: 66,444 वारंटी- 1 वर्ष	-22.58
डेल ऑप्टिप्लेक्स 5490 एआईओ	एमआरपी: 125,000, ओपी: 98,560 वारंटी: 3 वर्ष	एचपी वेबसाइट एमआरपी: 138,490; ओपी: 79,069 वारंटी: 1 वर्ष 2 वर्ष की अतिरिक्त वारंटी: 10,500	9.12

माइक्रोटेक ट्विन गार्ड प्रो+ 1000वीए यूपीएस	एमआरपी: 6,700, ओपी: 6,030	फ्लिपकार्ट एमआरपी: 6,000, ओपी: 5,100	15.42
सोनी एमएचसी-वी21डी हाई पावर पोर्टेबल पार्टी सिस्टम (एचडीएमआई, डीवीडी, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी) ख ब्लैक	एमआरपी: 27,999, ओपी: 24,997	एमआरपी: 27,999, ओपी:18,999	23.99
एंबरेन 27000एमएएच ली-पॉलिमर पावरबैंक टाइप सी के साथ	एमआरपी: 3,999, ओपी: 1,390	एमआरपी: 3,400, ओपी: 1,999	-43.81
ब्लू स्टार फ्लोर माउंटेड हॉट, कोल्ड एंड नॉर्मल वाटर डिस्पेंसर	एमआरपी: 9,900, ओपी:8,570	एमआरपी: 11,700, ओपी: 8,398	2.01
बजाज मेजेस्टी आरएच11 एफ प्लस ऑइल फिल्ड रूम हीटर	एमआरपी: 15,000, ओपी:11,113	एमआरपी: 12,171, ओपी: 10,299	7.32
नीलगगन नोटपैड नंबर 33, 160 पेज/नोटपैड, 05 का पैक	एमआरपी: 480, ओपी: 190	एमआरपी: 499, ओपी: 179	5.79
फिलिप्स बेस बी22 7-वाट एलईडी बल्ब	एमआरपी: 160, ओपी: 143	एमआरपी: 140, ओपी: 111	22.38

स्रोत: जेम पोर्टल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उत्पाद वेबसाइटें

टिप्पणी: ओपी: प्रस्तावित मूल्य

ये परिणाम मोटे तौर पर विश्व बैंक द्वारा किए गए जेम के आकलन के अनुरूप हैं, जिसमें यह पाया गया कि जेम ने फरवरी 2019 और जनवरी 2020 के बीच की अवधि के लिए औसत मूल्य पर 9.75 प्रतिशत की औसत बचत करने में मदद की। शीर्ष पांच में अधिकतम बचत श्रेणी 23.5 प्रतिशत से 60.5 प्रतिशत के बीच रही। अध्ययन से ही यह संभव हो पाया कि प्रति बोली सहभागिता में वृद्धि हुई और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली।

गैर-मानक वस्तुओं, सेवाओं और परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्रय नीति

2.52 जीईएम, से सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के अलावा, सरकार गैर-नियमित वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की भी क्रय करती है जैसे राजमार्गों, का निर्माण, भवनों, सलाहकारों को काम पर रखना आदि। यह सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल का उपयोग करके किया जाता है। जीएफआर 2017 दिशानिर्देशों में क्रय की विविध श्रेणियों हेतु बोलीदाताओं के चयन और मूल्यांकन के लिए तीन तरीके उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कम लागत प्रणाली[4], गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस)[5] और क्रय की विभिन्न श्रेणियों के लिए एकल स्रोत चयन[6] (एसएसएस)। हालांकि, व्यवहार में, स्वाभाविक रुप से, ज्यादातर मामलों में, न्यूनतम लागत प्रणाली का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर ''एल 1'' के रूप में जाना जाता है, सबसे प्रचलित है।

2.53 जबकि L1 प्रणाली नियमित कार्यों और गैर-परामर्श सेवाओं की क्रय के लिए अच्छी हो सकती है, किन्तु यह विधि उच्च प्रभाव, जटिल और प्रौद्योगिकी-गहन क्रय के लिए नवाचार, गुणवत्ता, गति और कार्यक्षमता की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और नीति आयोग सहित विभिन्न संगठनों ने पिछले कई वर्षों में मौजूदा क्रय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता की वकालत की है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल स्1 पर निर्भर रहना अच्छी तरह से काम नहीं करता है और 'एक आकार सभी फिट बैठता है' से 'उद्देश्य के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और गैर-मूल्य विशेषताओं पर विचार करने के लिए वैल्यू फॉर मनी, रेटेड मानदंड जैसे विभिन्न विकल्पों को क्रय के तरीकों में शामिल किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 6 में भी सार्वजनिक क्रय के लिए एल1 से आगे जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.54 एल 1 के अलावा क्रय के 6 वैकल्पिक तरीके, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी, रेटेड मानदंड गैर-मूल्य विशेषताओं पर विचार करने के लिए तकनीकी कौशल, पिछले अनुभव और अन्य गैर-मूल्य विशेषताओं की एक निश्चित मात्रा के आधार पर ठेकेदार को चुनने की अनुमति देता है। यह ठेकेदारों पर भावी संविदा के पात्र होने के लिए सही काम निष्पादित करने का अप्रत्यक्ष दबाव डालता है, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि ठेकेदार अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा। साक्ष्य बताते हैं कि जिन ठेकेदारों के पास 'स्किन इन द गेम' है, वे इष्टतम दीर्घकालिक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। सिंह (2019)[7] इंगित करते हैं कि एल1 द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बंडलिंग संविदओं (आमतौर पर पीपीपी कहा जाता है) के साथ संयुक्त रूप से निष्पादित करने पर परियोजना में विलंब कम हुआ और बेहतर गुणवत्ता बेहतर हुई अर्थात पारंपरिक अनबंडलिंग संविदाओँ यानी मानक एल 1 प्रक्रिया की तुलना में उपर्युक्त परियोजनाएँ बेहतर तरीके से निष्पादित हुई। । यह परिणाम दोनों प्रकार की परियोजनाओं द्वारा समान पर्यावरणीय और नियामक स्थितियों का सामना करने के बावजूद होता है।

2.55 पूर्व की क्रय रणनीति की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अक्टूबर 2021 में क्रय और परियोजना प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसने सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और सामान और सेवाओं की क्रय के लिए बोली लगाने वालों के चयन के दायरे का विस्तार किया है। प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- **निर्माण कार्य और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए क्यूसीबीएस:** संशोधित दिशानिर्देश अब निर्माण कार्य और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए बोलीदाताओं के चयन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) की अनुमति देते हैं (जहां क्रय का अनुमानित मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं है), जैसा कि पहले के क्रय दिशानिर्देशों (तालिका 3) में केवल परामर्श सेवाओं के विपरीत था। बोलीदाताओं को लागत और तकनीकी दोनों मानकों पर अंक दिए जाएंगे और उच्चतम भारित संयुक्त स्कोर (गुणवत्ता और लागत) के साथ एक का चयन किया जाएगा। गैर-वित्तीय मानकों के लिए अधिकतम भार 30 प्रतिशत है।

- **निर्माण कार्य और गैर-परामर्शी सेवाओं के लिए क्यूसीबीएस के तहत मूल्यांकन/योग्यता और स्कोरिंग मानदंड का निर्धारण:** गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने क्रय संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यांकन में उपयोग किए गए कुछ मानदंडों को अनिवार्य बनाने का विकल्प दिया है। क्रय करने वाली संस्थाओं को अब उन विशिष्टताओं में संशोधन करने की स्वतंत्रता है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पूर्व-अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली किसी भी बोली का और अधिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, बोलीदाता द्वारा समान प्रकृति की पिछली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वेटेज भी दिया जा सकता है। स्कोरिंग मानदंड में, गुणवत्ता अनुपालन के लिए अंक भी शामिल किए गए हैं।

- **भुगतान करने के लिए निर्धारित समय सीमा:** ठेकेदारों को भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप लंबे समय तक परियोजना निष्पादन, लागत में वृद्धि और विवाद होते हैं। नए दिशानिर्देश बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के अंदर उठाए गए बिलों के 75 प्रतिशत या उससे अधिक के भुगतान को समय पर जारी करने का प्रावधान करते हैं। शेष बिल भुगतान 28 कार्य दिवसों के अंदर अंतिम जाँच के बाद किया जाएगा। यदि बिलों के भुगतान में 30 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होती है, तो क्रय करने वाली संस्था ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होती है।

- **एकल बोली अस्वीकृति:** नए नियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को एकल बोली को वैध मानने के लिए निर्धारित करते हैं बशर्ते कि क्रय को संतोषजनक ढंग से विज्ञापित किया गया था, बोलियां जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, गुणात्मक मानदंड अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं थे और कीमतें बाजार मूल्यों की तुलना में उचित हैं।

- **परामर्श सेवाओं के लिए निर्धारित बजट आधारित चयन:** परामर्श सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त पद्धति, निर्धारित बजट आधारित चयन जोड़ा गया है जिसमें आवश्यक परामर्श सेवा का प्रकार सरल और/या दोहराव वाला है और इसे विधि पूर्वक परिभाषित किया जा सकता है। इस पद्धति के तहत, परामर्श सेवाओं की लागत को निविदा दस्तावेज में ही नियत बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। परामर्श कार्य की मूल और दोहराव वाली प्रकृति के कारण, इसके बजट का उचित अनुमान लगाया जा सकता है।

तालिका 9: सार्वजनिक क्रय के वैकल्पिक तरीके

विकल्प	वस्तुएं	निर्माण	सेवाएं (परामर्शदाता)	सेवाएं (गैर-परामर्शदाता)
न्यूनतम लागत प्रणाली (एलसीएस)	√	√	√	√
गुणवत्ता -सह-लागत आधारित चयन	X	√√	√	√√
एकल स्रोत चयन	√	√	√	√
निर्धारित बजट आधारित चयन	X	X	√√	X

स्रोत: सामान्य वित्तीय नियम

नोट: अ - जीएफआर में उपलब्ध; - 2021 अधिसूचना में अनुमति दी गई X- अनुमति नहीं है

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: 2021-22 के दौरान सीबीडीटी द्वारा प्रत्यक्ष कर उपाय

कर व्यवस्था में सुधार

- सरकार का जोर अधिक पारदर्शी, कुशल और करदाता के अनुकूल कर व्यवस्था उपलब्ध कराने और करदाताओं की सुविधा में विस्तार पर रहा है और इसी अनुक्रम में सरकार द्वारा कई तरह की पहल की शुरूआत की गई है। ये निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को भी सुनिश्चित करेंगे।

करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी

- अधिकांश प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अंतरित कर दिया गया है और करदाताओं के लिए आयकर कार्यालयों का प्रत्यक्षत: दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त या कम कर दिया गया है। करदाताओं के साथ बातचीत में विश्वास और सम्मान की भावना परिलक्षित होती है, जो स्वैच्छिक अनुपालन पर अधिक निर्भर करती है।
- 2021 में एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें आईटीआर रिटर्न की तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत एक नया करदाता-अनुकूल पोर्टल, पहले से भरे हुए (प्री फिल्ड) रिटर्न, मुफ्त आईटीआर को तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर, चौट सहित करदाता सहायता के लिए नया कॉल सेंटर जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ बॉट/लाइव एजेंट और मोबाइल ऐप फंक्शन शुरू किया गया था।
- 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के बोझ को कम करने के लिए, उन्हें केवल पेंशन आय और ब्याज आय होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। उनके मामले में निर्दिष्ट बैंक उनकी आय की गणना और कर की कटौती के लिए जिम्मेदार होगा।
- असेसमेंट को फिर से खोलने की समय सीमा भी छह साल से घटाकर तीन साल कर दी गई है। तीन वर्ष की अवधि के बाद, केवल उन मामलों में जहां खाते की किताबें/दस्तावेज/एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छिपाने के साक्ष्य संपत्ति के रूप में दर्शाए गए हैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अनुमोदन से 10 वर्ष की अवधि के भीतर केवल एक अवधि के मूल्यांकन को फिर से खोला जा सकता है। ।
- कुछ अनिवासी व्यक्तियों को भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। छूट का लाभ निर्धारण वर्ष 2021-22 से उपलब्ध है। अनिवासी भारतीयों को उनके विदेशी सेवानिवृत्ति खातों में अर्जित आय पर आने वाली समस्याओं के संबंध में भी राहत प्रदान की गई है।
- शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों पर अनुपालन को कम करने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 द्वारा ऐसे ट्रस्टों को कर छूट के माध्यम से राहत प्रदान किया गया है, और वार्षिक प्राप्तियों की मौजूदा सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया है। विभाग के साथ धर्मार्थ ट्रस्टों के पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ सुधार भी किए गए हैं, जिसमें आवेदन दाखिल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया, आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया और पंजीकरण आदेश पारित करना, आदाता द्वारा दान विवरण की ऑनलाइन फाइलिंग आदि शामिल हैं।
- वित्त अधिनियम 2021 ने मुकदमेबाजी को कम करने और विवादों को कम करने के लिए विवाद समाधान के रूप में एक विशेष तंत्र पेश किया है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 50 लाख रुपये तक है और 10 लाख रुपये की कोई भी विवादित आय इस समिति से संपर्क कर सकती है। यह नए विवादों को रोकेगा और प्रारंभिक चरण में मामले को सुलझाएगा।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए फेसलेस प्रक्रियाएं

- फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 में शुरू की गई थी, जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर कर व्यवस्था और मूल्यांकन की पुरानी प्रणाली को समाप्त कर देती है। यह गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ यादृच्छिक रूप से चुनी गई आभासी टीमों द्वारा मूल्यांकन प्रदान करता है। दो लाख से अधिक मामलों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 1.99 लाख करदाता के साथ बिना किसी बातचीत के पूरे किए गए हैं। अब तक लगभग 11.20 लाख नोटिस फेसलेस तरीके से जारी किए गए हैं, जिनमें से 6.93 लाख से अधिक मामलों (16.11.2021 तक) में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
- फेसलेस अपील योजना भी शुरू की गई है जो करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देती है और उन्हें आयकर विभाग जाने की परेशानी से बचाती है। लगभग 88% अपीलों को फेसलेस अपील तंत्र के तहत नियंत्रित किया जाता है। अनुपालन को आसान बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि फेसलेस मूल्यांकन कार्यवाही में ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो ई-सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- दंड लगाने की प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए फेसलेस पेनल्टी योजना 2021 भी शुरू की गई थी। यह योजना करदाताओं के लिए अपनी सुविधानुसार उत्तर प्रस्तुत करने और कार्यवाही में भाग लेना संभव बनाती है। यह आदेशों की सहकर्मी समीक्षा का भी प्रावधान करता है जिसके परिणामस्वरूप गुणात्मक रूप से बेहतर, उचित और निष्पक्ष आदेश प्राप्त होंगे।
- वित्त अधिनियम 2021 ने केंद्र सरकार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा अपील के निपटान के लिए एक योजना को अधिसूचित करने का अधिकार दिया है ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण और अपील के पक्षकारों के बीच इंटरफेस को समाप्त करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके और अपीलीय कार्यवाही के दौरान तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा एवं किफायती पैमाने पर और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके और गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक अपीलीय प्रणाली को शुरू किया जा सके। ट्रिब्यूनल और अपीलकर्ता के बीच समस्त पत्र-व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक रुप से होंगे। यदि व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।

अनुपालन आवश्यकता में कमी

- उन अनुपालनों को चिन्हित करने के लिए जिन्हें कम किया जा सकता है, आयकर अधिनियम और नियमों का व्यापक अध्ययन किया गया है। कुल 271 अनुपालनों में से, जो आयकर अधिनियम से संबंधित हैं, 74 अनुपालन पहले ही कम कर दिए गए हैं। हालांकि, शेष 197 अनुपालनों में से 152 पहले से ही ऑनलाइन हैं और 45 ऑफलाइन हैं। इन 45 ऑफलाइन अनुपालनों में से 42 अनुपालन ऑनलाइन किए जाएंगे। कुछ मामलों में पैन की अनुपलब्धता के कारण 3 अनुपालनों को मैनुअल करने की आवश्यकता होगी। अनुपालन में आसानी के लिए करदाताओं को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यदि ग्राहक ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है तो 2021 में जारी यूटिलीटी के जरिए करदाता अपने पैन से त्वरित समय ही जांच कर सकते हैं, और अतः कोई अतिरिक्त कर नहीं काटा जाएगा ।

निवेश बढ़ाने के उपाय

- विदेशी निवेश और कर निश्चितता को बढ़ावा देने के लिए, भारत में स्थित संपत्ति के अपतटीय अप्रत्यक्ष अंतरण के कराधान के संबंध में वित्त अधिनियम 2012 द्वारा किए गए संशोधन के पूर्वव्यापी भाग को

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा रद्द कर दिया गया है ताकि यदि लेनदेन 28 मई 2012 से पहले हुआ है, तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अपतटीय अप्रत्यक्ष अंतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किस तरह की मांग न उठे। एक रूपरेखा अधिसूचित की गई है जिसमें शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है जिसके तहत इस मुद्दे पर मौजूदा मुकदमे का निपटारा किया जा सकता है। इन मामलों में कुछ शर्तों को पूरा करने पर भुगतान/एकत्रित राशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी। भारतीय संपत्ति के अपतटीय अप्रत्यक्ष अंतरण पर पूर्वव्यापी कराधान को हटाना एक गैर-प्रतिकूल कर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के संकल्प को इंगित करता है।

- भारत के अवसंरचना क्षेत्र में सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 2020 द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वित्त अधिनियम 2021 ने कुछ शर्तों में ढील दी। जनवरी 2021 से, नौ सॉवरेन वेल्थ फंड और 14 पेंशन फंड को छूट का दावा करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
- स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 के द्वारा 31 मार्च 2022 तक निगमित स्टार्ट-अप के लिए करावकाश का दावा करने की पात्रता बढ़ा दी गई है। स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ छूट को भी एक और वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित इकाइयों को दुनिया में वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। आईएफएससी भारतीय कॉरपोरेट्स को वैश्विक वित्तीय बाजारों तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं और भारत में वित्तीय बाजारों के और विकास को बढ़ावा देते हैं। वित्त अधिनियम 2021 में कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं जैसे विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों के लिए पूंजीगत लाभ पर करावकाश, विदेशी पट्टेदार को भुगतान किए गए विमान पट्टे के किराये के लिए कर छूट, आईएफएससी में विदेशी धन को अंतरित करने के लिए कर प्रोत्साहन और आईएफएससी में स्थित बैंक के विदेशी निवेश विभाग के लिए कर छूट की अनुमति देना।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना

- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना सरकार की घोषित नीति है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से, लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षित की मौद्रिक सीमा को उन व्यवसायों के मामले में 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिनका कुल कारोबार या नकद में की गई सकल प्राप्तियां कुल कारोबार के 5% से अधिक नहीं हैं या सकल प्राप्तियां और नकद में की गई खरीद सहित कुल व्यय पिछले वर्ष के दौरान कुल व्यय के 5% से अधिक नहीं है।

कर चोरी को रोकने और कर-आधार के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के कर दायरे को बढ़ाने के लिए कई नए लेनदेन को इसके दायरे में लाया गया। इन लेन-देन में भारी नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि शामिल हैं।
- आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने को बढ़ावा देने के लिए, अधिनियम में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है ताकि कुछ व्यक्तियों के मामले में उच्च दरों पर कर की कटौती/संग्रह किया जा सके जिन्होंने पिछले दो पिछले दोनों वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और की गई कटौती/एकत्रित कर प्रत्येक दो वर्षों में रु. 50,000 से अधिक था। इसके अलावा, किसी वित्त वर्ष में क्रेता द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के माल की खरीद पर किसी व्यक्ति को भुगतान करने पर 0.1% की दर से

टीडीएस (जिस वित्त वर्ष में बिक्री की जाती है उससे पहले के वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बिक्री/टर्नओवर) देने का प्रावधान भी वित्त अधिनियम 2021 में किया गया है।

2021-22 के दौरान कोविड़-19 महामारी पर सीबीडीटी की प्रतिक्रिया

- केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों के समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए कोविड-19 के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए कई नीतियां बनाई हैं।
- दुर्भाग्य से, कुछ करदाताओं को कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे करदाताओं के नियोक्ताओं और शुभचिंतकों ने उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी ताकि वे अपने परिवार के कमाऊ सदस्य के अचानक चले जाने से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकें। ऐसे करदाता के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए यह घोषणा की गई है कि कोविड-19 के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता से किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त अनुग्रह भुगतान पर 2019-20 और परवर्ती वर्ष में आयकर छूट दी जाएगी। नियोक्ता से प्राप्त राशि पर बिना किसी सीमा के छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त राशि पर कुल मिलाकर 10 लाख रुपये की सीमा तक छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव है ।
- यह देखा गया कि कई करदाताओं ने अपने नियोक्ताओं और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज के लिए किए गए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देयता उत्पन्न नहीं होती है, यह घोषणा की गई है कि करदाता को 2019-20 और परवर्ती वर्षों के दौरान कोविड-19 के चिकित्सा उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी।
- केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी है जैसे विवरण प्रस्तुत करना, आयकर रिटर्न दाखिल करना आदि। आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न आदेश पारित करने की समय सीमा भी कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ा दी गई थी।
- आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।

अनुलग्नक 2: वर्ष 2021-22 के दौरान सीबीआईसी द्वारा अप्रत्यक्ष-कर उपाय

क. सीमा-शुल्क

सीमा-शुल्क दर संरचना 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्म-निर्भर भारत' पहल के तहत घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक सचेत नीति द्वारा निर्देशित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर कम शुल्क लगाने तथा भारत में निर्मित वस्तुओं को उचित टैरिफ सहयोग प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सीमा शुल्क संरचना को इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है कि पेट्रोलियम अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहल मिलता है। इस नीति के अनुसार, बीसीडी की एमएफएन दरों में हाल के वर्षों में ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि की गई है जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है या घरेलू उद्योग उनका निर्माण करना चाहता है। तदनुसार, पिछले 6 वर्षों के दौरान, लगभग 4000 टैरिफ लाइनों (कुल टैरिफ लाइनों का लगभग 1/3) में बीसीडी के ऊपर की ओर अंशांकन देखा गया है। ऐसी वस्तुओं में धातु, धातु-उत्पाद, ऑटो-पार्ट्स, जूते, कपड़े, वस्त्र, निर्दिष्ट रसायन, खिलौने, कुछ मशीनरी, चिकित्सा-उपकरण, कई एमएसएमई वस्तुएं जैसे घंटी, घंटा, चीनी मिट्टी से निर्मित वस्तु, टेबलवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, पंखे, हीटर, हेअरड्रायर, शेवर, टोस्टर, ओवन आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण आदि शामिल हैं। साथ ही, साधन एवं कच्चे माल पर शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।

मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, इलेक्ट्रिक-वाहन, बैटरी, सोलर पैनल आदि जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के संबंध में चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) के तहत, इन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों के संबंध में बीसीडी दरों को इस तरह कैलिब्रेट किया जाता है जो घरेलू मूल्यवर्धन के क्रमिक गहनता को प्रोत्साहित करता है। उदाहरणार्थ, मोबाइल फोन के संबंध में, शुरू में, पुर्जों को शून्य बीसीडी के तहत रखा गया था जबकि मोबाइल पर शुल्क लगाया गया था। धीरे-धीरे, भारत में उनका उत्पादन शुरू होने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से पुर्जों पर शुल्क बढ़ाया गया।

सीमा-शुल्क कानून तथा प्रक्रिया में परिवर्तनः

- आयात बंदरगाह से सीमा-शुल्क गोदाम तक शुल्क-देय माल की शीघ्र एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सीबीआईसी ने अक्टूबर 2021 में ईसीटीएस (इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम) का उपयोग शुरू किया। यह अवधारणा पड़ोसी देशों के लिए कार्गो के लिए पोतांतरण प्रक्रिया से अपनायी गई है।
- सीबीआईसी ने ऑन-बोर्डिंग अधिकृत आर्थिक संचालकों (एईओ) टियर-2 तथा टियर-3 के लिए फाइलिंग, वास्तविक-समय निगरानी और डिजिटल प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन का संस्करण-2 प्रारंभ किया है।
- इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने प्रमुख फैसले लिए हैं जिससे आयात पर लगने वाला समय तथा शीघ्र सीमा-शुल्क निपटान में उल्लेखनीय कमी आएगी। दिनांक 15 जुलाई 2021 से सुविधा-प्रतिशत को 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इस बढ़ी हुई सुविधा से जुड़ी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) की योजना को पिछले क्लाइंट-आधारित डीपीडी से सीमा-शुल्क दस्तावेज-आधारित डीपीडी में नया रूप दिया गया है।
- सीबीआईसी ने विशुद्ध निर्यातकों के लिए शीघ्र प्रतिअदायगी संवितरण की सुविधा के लिए तथा निर्यात धोखाधड़ी वाले त्रुटिपूर्ण दावों की बेहतर जांच में मदद करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की शुरुआत की है।
- सीबीआईसी ने लगभग 12,000 सीमा-शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा-शुल्क प्रक्रिया एवं नियामक अनुपालन पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल (सीआईपी) प्रारंभ किया है।
- देश भर में कंटेनरों की कमी को दूर करने के लिए सीबीआईसी ने निर्यात के लिए कंटेनरों की अधिक उपलब्धता को सक्षम करने के निर्देश जारी किए।
- निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं कर छूट योजना हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप) के रूप में निर्यात छूट जारी करने में सक्षम बनाती है जिसे सीबीआईसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक खाता में रखा जाएगा। इस संशोधित एंड-टू-एंड स्वचालित योजना का उद्देश्य विदेशों में घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना है।
- आपसी सहयोग के लिए सीमा-शुल्क से संबंधित विभिन्न मामलों पर मालदीव, अमेरिका, ब्रिक्स आदि देशों के साथ भारतीय सीमा शुल्क द्वारा विभिन्न समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पूरे देश में माल की आवागमन में सुविधा होगी।

ख. संघ उत्पाद शुल्क

देश में पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य को कच्चे-तेल की कीमतों से जोड़ा जाता है। इस वर्ष कच्चे-तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। भारतीय बास्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है और अक्टूबर 2021 में 84 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। डॉलर विनिमय दर भी उर्ध्वगामी थी और 75 रुपये प्रति अमरीकी डालर के आसपास रही है जो पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों को भी प्रभावित कर रही थी। इस पृष्ठभूमि में, पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क को पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से युक्तिसंगत बनाया गया था। इस कदम के बाद कई राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर वैट कम किया है।

ग. वस्तु एवं सेवा कर

राज्यों, स्थानीय निकायों आदि के भिन्न-भिन्न दरों की बहुलता को 'एक कर तथा एक सरल प्रक्रियात्मक व्यवस्था' के साथ जीएसटी ने एक असंख्य तथा जटिल दर संरचना को बड़े व्यापकता से समेकित किया है। सुधार का पैमाना विशाल था और कानून तथा व्यवस्था एक समावेशी तरीके से विकसित हुआ। इसमें सभी हितधारकों की व्यापक भागीदारी रही। जीएसटी में अत्यंत संवेदनशील तरीके से निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जीएसटी परिषद तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है, त्रुटियों को तीव्रता से दूर किया जा रहा है, और समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। जीएसटी दरों के अंशांकन का एक बड़ा प्रयास भी किया गया ताकि दरें तय की जा सकें और राजस्व तटस्थता बनाए रखी जा सके। वर्ष 2021 के दौरान वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी दरों में किए गए कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- 45वीं तथा 46वीं जीएसटी परिषद में, कपड़ा एवं जूते पर क्रम-भंग शुल्क संरचना को सुधार हेतु जीएसटी दर संरचना को अंशांकन करने के लिए फिटमेंट कमेटी की सिफारिश पर चर्चा की गई। तदनुसार, 1000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक बिक्री मूल्य के जूते के लिए 12% जीएसटी निर्धारित करके कपड़ा में शुल्क व्युत्क्रमण को सुधार करने का निर्णय लिया गया।
- दिनांक 1.4.2022 से ईंट भट्टों को 20 लाख रुपये की सीमा के साथ विशेष संयोजन योजना के तहत लाया जाएगा। योजना के तहत आईटीसी-रहित ईंटों पर 6% की दर से जीएसटी लगेगा। आईटीसी के साथ 12% की जीएसटी दर ईंटों पर लागू होगी।
- सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी मध्याह्न भोजन योजना के तहत मध्याह्न भोजन सहित अन्य भोजन देने के लिए आंगनवाड़ी (जो पूर्व-विद्यालय शिक्षा भी प्रदान करता है) सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी वसूली से छूट दी गई है, भले ही ऐसी आपूर्ति सरकारी अनुदान द्वारा वित्तपोषित हो या कॉर्पोरेट दान से।
- प्रवेश परीक्षा सहित परीक्षा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जहां ऐसी परीक्षाओं के लिए शुल्क लिया जाता है, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), या इसी तरह के केंद्रीय या राज्य शैक्षिक बोर्ड तथा उससे संबंधित निविष्ट सेवाओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है।
- विमानन क्षेत्र की एमआरओ इकाइयों को जहाज/जहाज की एमआरओ इकाइयों को प्रदान की गई समान व्यवस्था का विस्तार करने के लिए, ताकि घरेलू शिपिंग एमआरओ को विदेशी एमआरओ की तुलना में समान अवसर प्रदान किया जा सके, जहाजों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी/जहाजों को घटाकर 5% (18% से) कर दिया गया। जहाजों/जहाजों के संबंध में एमआरओ सेवाओं की बी2बी आपूर्ति का पीओएस सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

जीएसटी कानून तथा प्रक्रिया में बदलाव: वर्ष 2021-22 में जीएसटी के तहत व्यापार सहूलियत तथा 'व्यापार में सुगमता, के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

- लंबित जीएसटीआर-3बी रिटर्न पर जमा हुई उच्च राशि के विलंब शुल्क से करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए, जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लंबित रिटर्न के संबंध में एक विलंब शुल्क माफी योजना लाई गई।
- छोटे करदाताओं पर विलंब शुल्क भार को कम करने के लिए, विलंब शुल्क संरचना (सीजीएसटी अधि नियम की धारा 47 के तहत) को जून 2021 से संभावित कर अवधि के लिए कर देयता/करदाताओं का कारोबार के साथ विलंब शुल्क की ऊपरी सीमा को संरेखित करके युक्तिसंगत बनाया गया।
- करदाताओं की सुविधा तथा सकल कर आधार या शुद्ध नकद आधार पर ब्याज के भुगतान के संबंध में अस्पष्टता और विवादों को दूर करने में मदद करने के लिए दिनांक 01.07.2017 से शुद्ध नकद आधार पर ब्याज भुगतान प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 का पूर्वव्यापी संशोधन किया गया था।
- जॉब वर्कर को भेजे गए तथा जॉब वर्कर से प्राप्त सभी वस्तुओं के विवरण वाले फॉर्म जीएसटी आईटीसी-04 रिटर्न दाखिल करने की त्रैमासिक आवश्यकता के बजाय, विगत वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये तक के लिए यह वार्षिक और विगत वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए यह अर्द्ध-वार्षिक आवश्यकता बना दिया गया है।

कोविड संबंधित राहत उपाय

वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी सामग्रियों की सीमा-शुल्क निपटान की सुविधा के लिए सीबीआईसी द्वारा कई उपाय किए गए।

- सीबीआईसी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमेडिसिविर एपीआई तथा बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी) जिसका उपयोग रेमेडिसिविर के निर्माण में किया जाता है, के आयात पर सीमा- शुल्क में छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की थी (31 अक्टूबर 2021 तक)। ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण ों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं पर भी आयात सीमा शुल्क में छूट देने के लिए अधिसूचना जारी किया गया था (तीन महीने की अवधि के लिए)।
- कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, सीमा शुल्क ने देश में लगभग 7.5 लाख ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की सुविधा प्रदान की। देश भर में तरल ऑक्सीजन ले जाने के लिए 97 क्रायोजेनिक आईएसओ टैंकों के आयात के लिए 75 से अधिक आईएएफ लैंडिंग की सुविधा प्रदान की गई। उच्च प्राथमिकता वाले अन्य उत्पादों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, उपकरण, वेंटिलेटर, रेमेडिसविर इंजेक्शन तथा इसके कच्चे माल, डायग्नोस्टिक किट मार्कर आदि शामिल हैं।
- कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण जीएसटी कानून के तहत वैधानिक एवं नियामक अनुपालनों को पूरा करने में करदाताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, सरकार ने करदाताओं के लिए विभिन्न राहत उपायों की अधिसूचना जारी की। इनमें से कुछ उपायों में विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज दर में कमी, विलंब शुल्क की छूट, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख का विस्तार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168ए के तहत वैधानिक समय सीमा का विस्तार शामिल है। देश भर में व्यापार को संभालने तथा व्यापार संबंधी शिकायतों का निपटान हेतु एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया गया।

वैदेशिक क्षेत्र

03
अध्याय

पिछले वर्ष की महामारी से प्रेरित मंदी के बाद 2021-22 में विदेशी व्यापर में मजबूती से सुधार हुआ और मजबूत पूंजी प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से संचय हुआ। चालू वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में भारत के विदेशी क्षेत्र की समुत्थान-शक्ति(लचीलापन), अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए एक शुभ संकेत है हालाँकि, 2022-23 के दौरान, कोविड -19 के नए संक्रामक रूपों के साथ वैश्विक तरलता के कड़े होने, वैश्विक पण्य की कीमतों में निरंतर अस्थिरता, और उच्च माल ढुलाई लागत, भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है।

घरेलू गतिविधि में पुनरुद्धार के साथ वैश्विक मांग के पुनः बढ़ने के कारण,भारतीय पण्य के निर्यात और आयात में जोरदार उछाल आया और ये चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्व-कोविड स्तरों को पार कर गए। सरकार द्वारा समय पर की गई पहल से भी निर्यात के पुनरुद्धार को सहायता मिली। अप्रैल-नवंबर, 2021 में अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य बने रहे, जबकि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत थे। कमजोर पर्यटन राजस्व के बावजूद, अप्रैल-दिसंबर,2021 के दौरान सेवाओं से होने वाली निवल आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, ऐसा मजबूत सॉफ्टवेयर सेवाओं और व्यावसायिक आय के कारण हुआ था, जब आय और भुगतान दोनों ही अपने पूर्व-महामारी के स्तरों को पार गए थे।

भारत के चालू खाता शेष में 2021-22 की पहली छमाही (H1) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत जितना घाटा हुआ, जिसका मुख्य कारण व्यापार खाते का घाटा था। 2021-22 की पहली छमाही (H1) में विदेशी निवेश के निरंतर अंतर्वाह, निवल विदेशी वाणिज्यिक उधारों राशियों(ECB) के पुनः बढ़ने, उच्च बैंकिंग पूंजी और अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन के कारण, निवल पूंजी प्रवाहः 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर था । सितंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 556.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,जिसमें बड़े वाणिज्यिक उधार के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अतिरिक्त एसडीआर आवंटन सम्मिलित हैं।

मजबूत पूंजी प्रवाह मामूली चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 की पहली छमाही में कुल भुगतान संतुलन (बीओपी) 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष हुआ, जिसके कारण एक संवर्धित विदेशी मुद्रा भंडार विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु (मील के पत्थर) यूएस के 600 अरब डॉलर को पार कर गया और 31 दिसंबर, 2021 तक 633.6 अरब अमेरिकी डॉलर को छू गया। नवंबर 2021 के अंत तक, भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विटजरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।

भंडार में एक बड़ी वृद्धि के कारण बाहरी भेद्यता संकेतकों में सुधार हुआ जैसे कि कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण, आदि। भारत का बाहरी क्षेत्र वैश्विक तरलता के किसी भी समापन (अनवाइंडिंग) का सामना करने के लिए समुत्थानशील/लचीला है।

व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्यीकरण की संभावना से उत्पन्न होने वाली वैश्विक तरलता के किसी भी समापन (अनवाइंडिंग) का सामना करने के लिए भारत का बाहरी क्षेत्र लचीला है, जिसमें मुद्रास्फीति दबावों के जवाब में फेड द्वारा की गयी अनवाइंडिंग सम्मिलित है।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

3.1 कोविड-19 महामारी ने 2021 के दौरान वैश्विक आर्थिक वातावरण को प्रभावित करना जारी रखा। कैलेंडर वर्ष 2021 की पहली छमाही (H1) में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी देखी गई, जिसने वाणिज्य/पण्य व्यापार को अपने पूर्व-महामारी शिखर से ऊपर उठा दिया। इसे दर्शाते हुए, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट के अक्टूबर 2021 संस्करण में, वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि का अनुमान लगाया, जो अनुमानित वैश्विक सुधार के अनुरूप 2022 में कुछ घट कर 6.7 प्रतिशत तक रह सकती है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने अपनी अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट में, 2021 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 10.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, इसके बाद 2022 में यह वृद्धि कुछ घट कर 4.7 प्रतिशत तक रह सकती है (चित्र 1)।

चित्र 1: विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि का पूर्वानुमान

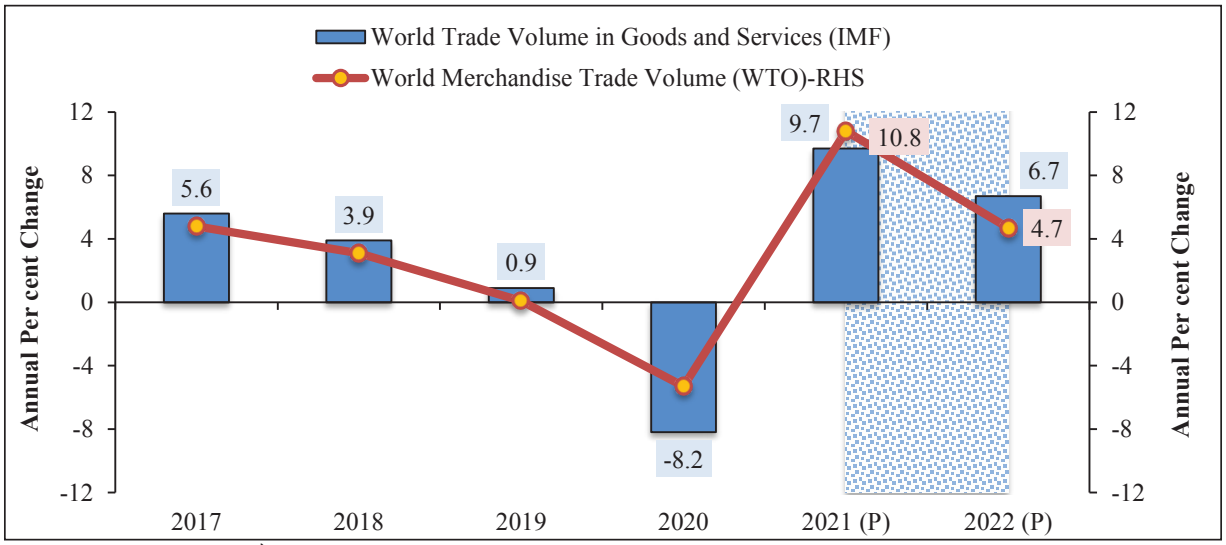

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन

नोट: पूर्वानुमान: छायांकित क्षेत्र अनुमानित वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.2 वैश्विक आर्थिक गतिविधि में पुनरुद्धार के अतिरिक्त, 2021 की पहली छमाही में वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा के लिए उच्च विकास दर को पिछले वर्ष की मंदी से भी सहायता प्राप्त हुई, जोकि 2020 की दूसरी तिमाही में नीचे पहुँच गयी थी। डेल्टा वेरिएंट के तेजी से संक्रमित करने और नए वेरिएंट के खतरों के कारण 2021 की पहली दो तिमाहियों के दौरान विकास दर गति की तेजी तीसरी तिमाही (Q3) से फिर से कमजोर हो गयी। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण कड़ियाँ टूट गयीं, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक समय तक आपूर्ति बाधित हुई, जिससे वैश्विक सुधार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक मूल्य में वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम की दर में, प्रथम तिमाही (Q1) और द्वितीय तिमाही (Q2) की वृद्धि के बाद तृतीय तिमाही (Q3) में कुछ कमी हुई।

3.3 फिर भी, यदि चौथी तिमाही के आंकड़ों में तेजी आ जाए तो पूरे 2021 के लिए पण्य व्यापार की मात्रा में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की विश्व व्यापार संगठन की भविष्यवाणी अभी भी महसूस की जा सकती है। यह संभव है, भले ही डब्ल्यूटीओ के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने 2021 के अंतिम माहों में व्यापार वृद्धि के धीमे होने का संकेत दिया हो, (क्योंकि सितंबर 2021 में इंडेक्स गिरकर 99.5 पर 100 के बेसलाइन वैल्यू के निकट आ गया था) किंतु यह अभी भी बिलो-ट्रेंड1-ग्रोथ पर था।[1]

[1]विश्व व्यापार संगठन का माल-सामग्री व्यापार बैरोमीटर सूचकांक एक प्रमुख संकेतक है जो पण्य व्यापार की मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार वृद्धि (वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ) में बदलाव का संकेत देता है। इसका आधारभूत मान 100 है, 100 से अधिक का मान एबोव-ट्रेंड-ग्रोथ (वृद्धि) का संकेत देता है जबकि 100 से नीचे का मान बिलो-ट्रेंड-ग्रोथ (वृद्धि) को दर्शाता है।

चित्र 2: 2021 की तीसरी तिमाही (Q3) में विश्व व्यापार की मात्रा और मूल्य में कमी

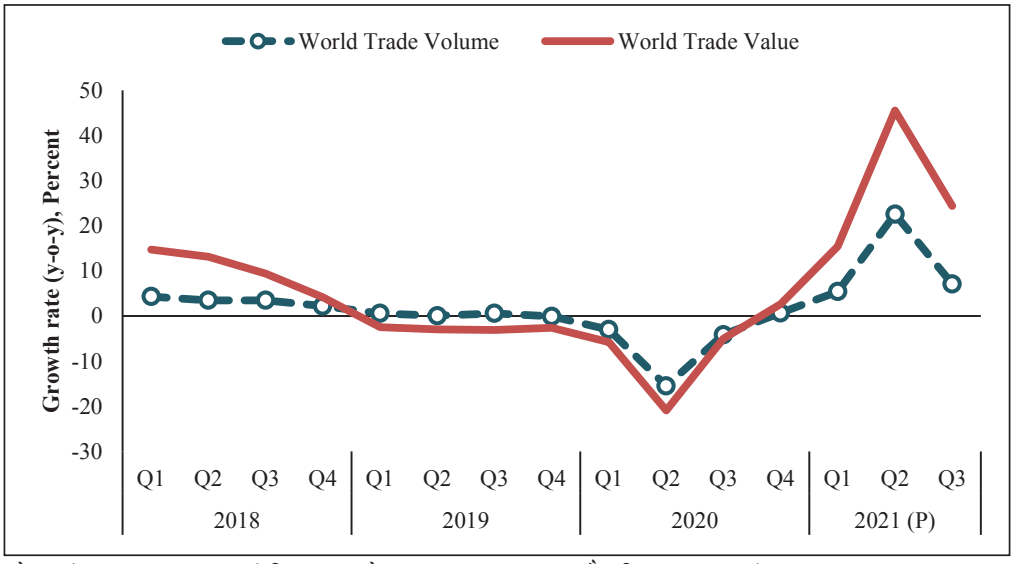

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) और विश्व व्यापार संगठन (WTO)
नोट: विकास दर की गणना 2019 Q1=100 के सूचकांक के आधार पर की गयी है

3.4 2021 के दौरान मात्रा और मूल्य के संदर्भ में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार निष्पादन मुख्य रूप से ऊपर उल्लिखित विश्व व्यापार के सामान्य प्रक्षेप-वक्र को दर्शाता है। निर्यात के मामले में रूस और आयात के लिए इंडोनेशिया को छोड़कर, इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने Q1 और Q2 में वृद्धि के बाद Q3 में कमी देखी (चित्र तीन)।

चित्र 3: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का पण्य व्यापार निष्पादन

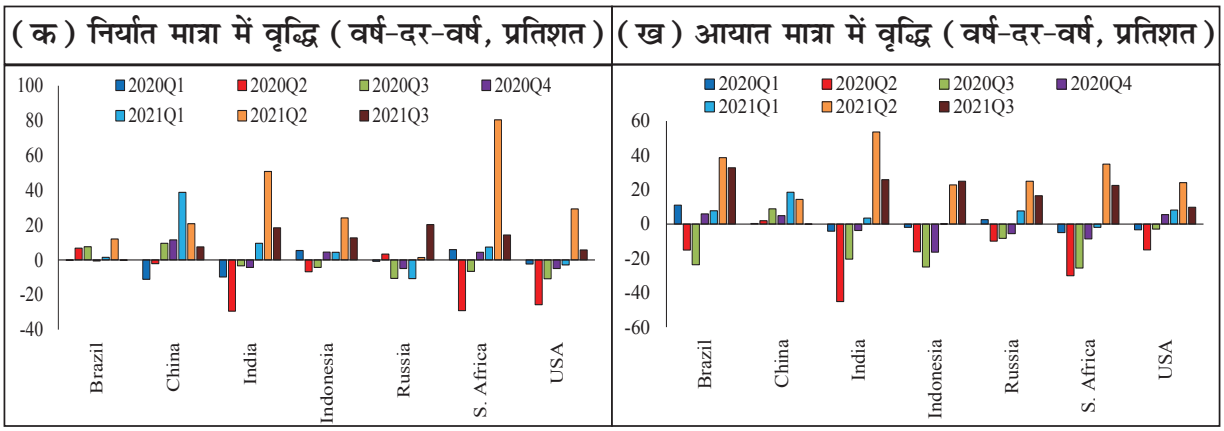

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन
नोट: विकास दर की गणना 2019 Q1= 100 के सूचकांक के आधार पर की है।

3.5 भिन्न प्रकार की माल-सामग्रियों के कारण व्यापार(मूल्य के संदर्भ में) पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न प्रभाव दिखता है। 2021 में निर्माण वस्तुओं, कृषि उत्पादों और ईंधन व खनन उत्पादों के व्यापार में पहली तिमाही (Q1) की तुलना में दूसरी तिमाही (Q2) के दौरान सकारात्मक और उच्च वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर देखी गई, इसके बाद तीसरी तिमाही (Q3) में वृद्धि दर में कुछ कमी दिखी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में चार गुना वृद्धि से ईंधन और खनन उत्पादों के व्यापार-मूल्य को बढ़ावा मिला। विनिर्मित वस्तुओं में, कुछ क्षेत्रों ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दिखाई, जिसमें लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक घटक और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, जबकि अन्य वस्तुओं

जैसे मोटर वाहन उत्पाद और दूरसंचार के उपकरणों ने अर्धचालकों (semiconductors) की हालिया कमी को दर्शाते हुए ठहराव या गिरावट को दिखाया।

3.6 जहाँ तक वैश्विक वित्तीय स्थितियों का संबंध है, 2021 में, अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ आर्थिक गतिविधियों के पुनर्जीवित होने से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आई। अमेरिका में मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 6.8 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 1982 के बाद सबसे अधिक थी, जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा और खाद्य कीमतों से प्रेरित हुई थी। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ रही हैं, महामारी के कारण दिए गए प्रोत्साहनों धीरे - धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियाँ सख्त (मुद्रा आपूर्ति में कमी) हो सकती हैं, पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विनिमय दर पर दबाव पड़ सकता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास धीमा हो सकता है। इसलिए, दुनिया भर में मुद्रास्फीति में पुनरुत्थान अब ृसख्त वैश्विक तरलता/चलनिधि स्थिति और श्वैश्विक मुद्रा में विनिमय दर अस्थिरताश दोनों से जोखिम पैदा करता है।

3.7 कुल मिलाकर, वैश्विक व्यापार के लिए जोखिम-संतुलन नीचे की ओर झुका हुआ है। सबसे बड़ा नकारात्मक जोखिम महामारी से ही उत्पन्न होता है, विशेष रूप से नए वेरिएंट जैसे ओमाइक्रोन का संक्रमण फैलने के साथ। ऊपर वर्णित, वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि के अलावा, लंबे समय तक बंदरगाह में देरी; उच्च माल ढुलाई दर; शिपिंग कंटेनरों की कमी; कंप्यूटर पार्ट के लिए आवश्यक सेमीकंडक्टर जैसी मूल सामग्री की कमी, जैसे अन्य कारणों के साथ, मांग के बढ़ने और आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों के बढ़ने से वैश्विक व्यापार के लिए बड़े जोखिम पैदा हो गए हैं।

3.8 इस पृष्ठभूमि में, भारत के वैदेशिक क्षेत्र ने वर्ष के दौरान अत्यधिक लचीलापन दिखाया है, जो अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए शुभ संकेत है।

भारत के पण्य व्यापार में विकास

पण्य निर्यात

3.9 वैश्विक प्रवृत्ति के बाद, भारत का पण्य निर्यात महामारी से प्रेरित पतन से मजबूती से उबर गया और चालू वित्त वर्ष में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) की अवधि के 26.5 प्रतिशत की तुलना में 2021-22(अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, व्यापारिक निर्यात 49.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 301.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो कि पूर्व-महामारी के स्तर से भी अधिक है।

3.10 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य में से, भारत पहले ही 301.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल सामग्री (व्यापारिक वस्तुओं) का निर्यात करके 75 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, जो वास्तव में 2021-22 की अप्रैल-दिसंबर अवधि के लिए निर्धारित 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य से अधिक है। इससे पता चलता है कि जहां तक निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने का प्रशन है, भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। प्रमुख बाजारों के शीघ्र पुनर्लाभ; उपभोक्ता खर्च में वृद्धि; प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा के कारण रूके हुए बचत और प्रयोज्य आय; वैश्विक कमोडिटी मूल्य वृद्धि और सरकार की आक्रामक निर्यात सहायता ने 2021-22 में निर्यात को बढ़ावा दिया है।

3.11 वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही (Q1) में नीचे आने के बाद, व्यापारिक निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष क्रमिक विकास की मजबूती के साथ एक प्रभावशाली उछाल हुआ, 2021-22 की दूसरी (Q2) और तीसरी तिमाही (Q3) में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्तर पार हो गया (चित्र 4क)। वैश्विक व्यापार वृद्धि में कमी, उच्च शिपिंग दर और कंटेनरों की कमी की के बावजूद ऐसा होना उल्लेखनीय था।

चित्र 4: भारत का पण्य-व्यापारिक निर्यात

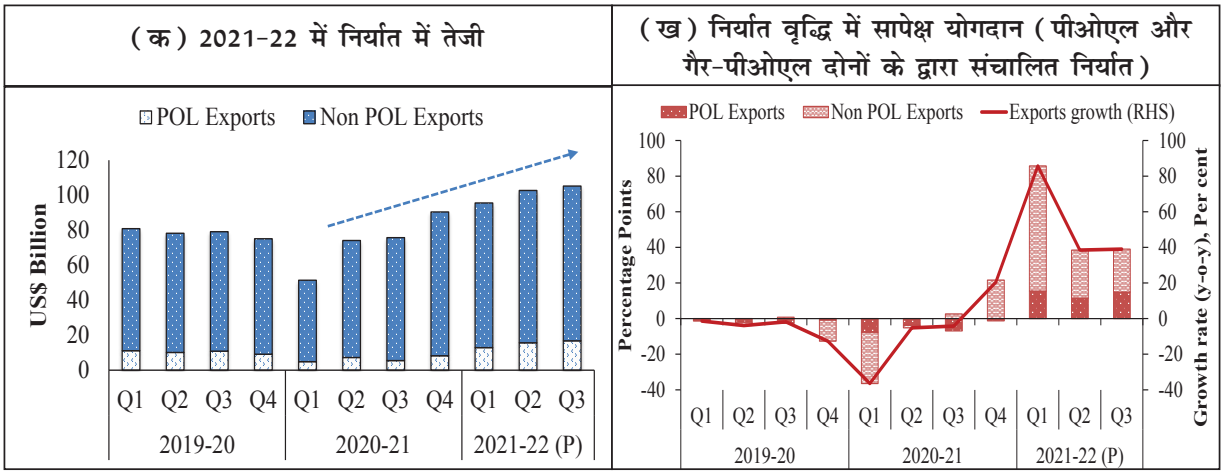

स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: (P): अनंतिम

3.12 निर्यात में वृद्धि पीओएल (पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक) के साथ-साथ गैर-पीओएल (इंजीनियरिंग माल सामग्री, रत्न व आभूषण, और रसायन) निर्यात में उच्च वृद्धि दोनों के योगदान से हुई है, जो विस्तार की ठोस आधार वाली प्रकृति को दर्शाता है (चित्रा 4 ख)। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि 85 प्रतिशत से अधिक प्रमुख निर्यात वस्तु समूहों ने अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान अप्रैल-दिसंबर, 2020 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इंजीनियरिंग माल सामग्री, रत्न और आभूषण, और रसायनों की मजबूत मांग से प्रेरित, गैर-पीओएल निर्यात 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40.1 प्रतिशत अधिक तथा 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 24.9 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए 257.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा।

3.13 वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पेट्रोलियम उत्पाद अप्रैल-नवंबर 2021 में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु बने रहे, जिनका निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है और उनका एक साल पहले इसी अवधि में शेयर 8.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया (तालिका 1)।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों जैसे कीमती धातुओं के आयात शुल्क में कमी, प्रमुख निर्यात बाजारों में मांग में पुनरुद्धार के साथ-साथ व्यापार करने में सहजता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों के सरलीकरण के कारण,पिछले साल की तुलना में मोती, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थरों और सोने तथा अन्य कीमती धातु के आभूषण ों के निर्यात ने अप्रैल-नवंबर, 2021 में 88 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान शीर्ष दस निर्यात की गई वस्तुओं की सूची में 'एल्युमीनियम और उसके उत्पादों' का निर्यात एक नई जोड़ी गई वस्तु है।

तालिका 1: शीर्ष 10 निर्यात वस्तुएं

वर्ग क्रम	वस्तु	(बिलियन अमेरिकी डॉलर)				शेयर (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-नवंबर)	2021-22 (P) (अप्रैल-नवंबर)	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-नवंबर)	2021-22 (P) (अप्रैल-नवंबर)
1	पेट्रोलियम उत्पाद	41.3	25.8	15.3	39.5	13.2	8.8	8.8	14.9
2	मोती, .अर्ध कीमती पत्थर	20.7	18.1	9.8	18.1	6.6	6.2	5.6	6.8
3	लोहा और इस्पात	9.3	12.1	7.7	15.9	3.0	4.2	4.4	6.0

4	ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	15.9	19.0	12.4	12.4	5.1	6.5	7.1	4.7
5	सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण	13.7	6.6	3.8	7.6	4.4	2.3	2.2	2.8
6	आर्गेनिक रसायन	8.3	7.6	4.8	7.4	2.7	2.6	2.8	2.8
7	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	9.0	8.1	5.1	6.4	2.9	2.8	2.9	2.4
8	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	5.1	5.8	3.6	6.1	1.6	2.0	2.1	2.3
9	लौह और इस्पात के उत्पाद	7.0	6.6	3.9	5.4	2.2	2.2	2.2	2.0
10	वस्तुओं का योग	6.7	6.0	4.0	5.4	2.1	2.0	2.3	2.0
उक्त 10 वस्तुओं का योग		137.1	115.8	70.3	124.1	43.8	39.7	40.4	46.7
भारत का कुल निर्यात		**313.4**	**291.8**	**174.2**	**265.7**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत: वाणिज्य विभाग
नोट: (P): अनंतिम

3.14 कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुख भोज्य पदार्थ की बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाते हुए, एक प्रभावी कृषि निर्यात नीति द्वारा समर्थित, भारत के कृषि निर्यात 2021-22 ने अच्छा निष्पादन करना जारी रखता है। अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान कृषि और संबद्ध उत्पादों (समुद्री और रोपण-कृषि उत्पादों सहित) का निर्यात पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर अप्रैल-नवंबर, 2020 की इसी अवधि की तुलना में 23.2 प्रतिशत और अप्रैल-नवंबर, 2019 की तुलना में 35.0 प्रतिशत अधिक बढ़कर 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चित्र 5)। 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान शीर्ष 10 कृषि निर्यात वस्तुओं की सूची अनुबंध-I में दर्शाई गई है।

3.15 निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों के सक्रिय समर्थन जिसमें निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने जैसे निर्यात सुविधा उपाय सम्मिलित हैं, ने महामारी के दौरान कृषि निर्यात के विकास में सहायता की है। परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए, 01.04.2021 को या उसके बाद होने वाले निर्यात में 'सरकारी-सहायता की दरों (Rates of assistance)' में वृद्धि की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों को उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में 'कृषि उड़ान' योजना शुरू की है।

चित्र 5: कृषि निर्यात (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

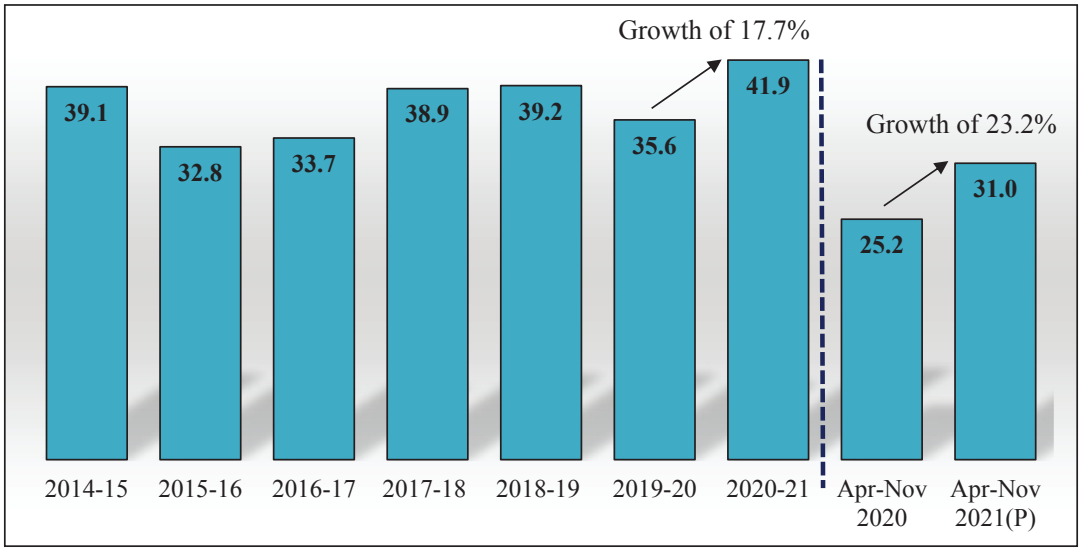

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: (P): अनंतिम

3.16 यह देखा गया है कि समुद्री उत्पादों, भैंस के मांस, चाय, कॉफी और डेयरी उत्पादों जैसे क्षेत्रों ने भी, जिन्होंने 2020-21 के दौरान अच्छा निष्पादन नहीं किया था, चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। यह आने वाले वर्षों में कृषि निर्यात के और अधिक विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए शुभ संकेत है।

3.17 अमेरिका (यूएसए) अप्रैल-नवंबर 2021 में शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन (चित्र 6) का स्थान आता है। बेल्जियम ने मलेशिया का स्थान ले लिया है और अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष दस प्रमुख निर्यात स्थलों में प्रवेश किया है। एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य के मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, और लोहा व इस्पात इस देश को भेज दिया गया।

चित्र 6: 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में शीर्ष दस निर्यात गंतव्य के देश [भाग प्रतिशत में]

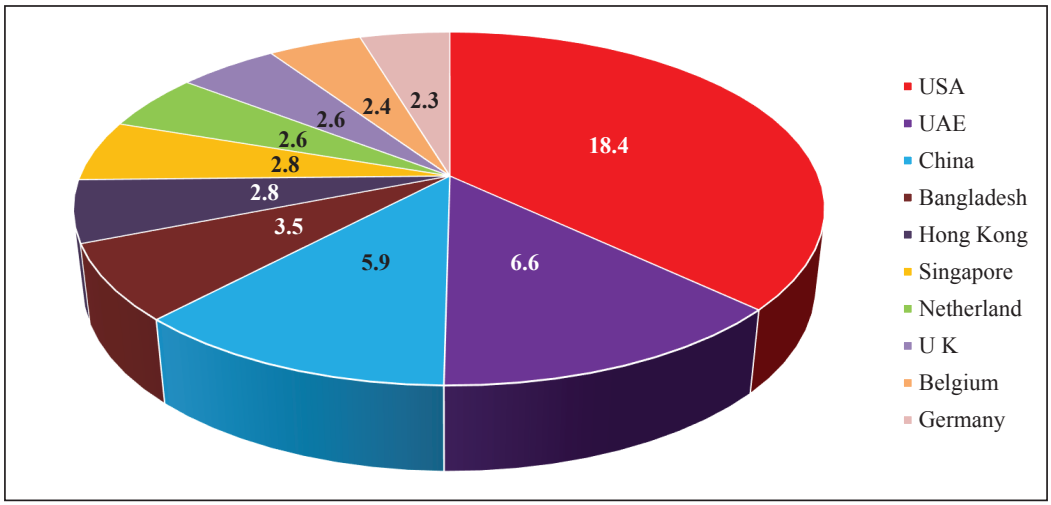

स्रोत: वाणिज्य विभाग

3.18 भारत के पिछले 25 वर्षों में, निर्यात स्थलों में विविधता देखी गयी है, फिर भी भारत के निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक भाग अभी भी केवल सात देशों के पास है। पिछले कई वर्षों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत कई भागीदारों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर 'मुक्त व्यापार समझौते' पर बातचीत

कर रहा है । इस दिशा में सहायता देने से संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादों और गंतव्यों दोनों में विविधता लायी जा सकेगी।

व्यापार करार में प्रगति

3.19 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत ने अपनी व्यापार करार वार्ता शुरू की है और कई देशों के साथ मौजूदा करारों की समीक्षा की है। उक्त में निम्नलिखित बातचीत शामिल है (i) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए); (ii) यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एफटीए; (iii) कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए); और (iv) यूएई के साथ सीईपीए। इसके अतिरिक्त भारत सिंगापुर के साथ सीईसीए और आसियान देशों के साथ, (आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) जैसे अपने मौजूदा व्यापार करारों की समीक्षा कर रहा है। यूएई के साथ करार की बातचीत पूरी हो गई है और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा होने के अंतिम चरणों में है।

3.20 इसके अलावा, मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित, यूके के साथ एफटीए वार्ता, भारत ने 13 जनवरी, 2022 को शुरू की, जिससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य को सुगम बनाने की उम्मीद है। भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (मंत्री स्तरीय) के अंतर्गत, 6 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा हुई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा करार के संबंध में, नर्सिंग सेवाओं और लेखा-शास्त्र सेवाओं में पारस्परिक मान्यता करार (MRA), और भारतीय पेशेवरों से संबंधित गतिशीलता के मुद्दे को सम्मिलित किया गया।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं और पहल

3.21 भारत के निर्यात के प्रभावशाली निष्पादन का श्रेय निर्यात को बढ़ावा देने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को दिया जा सकता है। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं :

i) **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी):** भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, डब्ल्यूटीओ के अनुसार आरओडीटीईपी योजना 01.01.2021 से लागू की गई है। विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, जिसे अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी गई थी, यह योजना भारत से पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस) का एक सुधरा हुआ रूप है । यह नई योजना निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में उपगत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों और शुल्कों, जिनकी वर्तमान में धन-वापसी नहीं हुई है, की प्रतिपूर्ति करती है और इस तरह विदेशों में घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करती है। सम्मिलित किए गए करों के प्रमुख घटक हैं बिजली शुल्क, परिवहन/वितरण में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर मूल्यवर्धित कर, मंडी कर, स्टांप शुल्क, आदि।

ii) **जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना:** इस पहल के अंतर्गत, जिले में उत्पादित/निर्मित वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में जिला स्तर पर सक्रिय हितधारक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन किया गया है। देश भर के सभी 739 जिलों में संभावित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों (कृषि, जीआई टैग किए गए उत्पाद) से संबंधित क्षेत्र और 'खिलौना क्लस्टर' से संबंधित क्षेत्रों की पहचान की गई है। यह योजना निर्यात वस्तुओं की निवेश-सूची में विविधता लाने में सहायता करेगी।

iii) **प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना:** 2021-22 से शुरू होने वाले 14 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन

लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ (US$26 बिलियन) के परिव्यय की घोषणा की गई थी। यह योजना घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे 5 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का न्यूनतम उत्पादन होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्युटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पीएलआई योजना के अंतर्गत आते हैं (विवरण के लिए उद्योग अध्याय देखें)।

iv) **इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (सीओओ):** कोविड-19 संकट को देखते हुए, भौतिक संपर्क से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति देने के लिए एफटीए/अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) की ऑन-बोर्डिंग जल्दी की गई। ई-प्लेटफॉर्म से आज 2 तक लगभग 4.6 लाख सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन(सीओओ) जारी किए जा चुके हैं। गैर- अधिमान्य सीओओ जारी करना भी 15.04.2021 से शुरू किया जा चुका है। 2एक गैर-अधिमान्य सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (सीओओ) माल की उत्पत्ति को तो प्रमाणित करता है किंतु निर्यातक को कोई अधिमान्य टैरिफ अधिकार नहीं देता है।

v) **एक्जिम बैंक में पूंजी का प्रवाह:** भारत सरकार द्वारा अपनी शेयर पूंजी की सदस्यता के माध्यम से चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को 750 करोड़ की पूंजी प्रदान की गयी।

vi) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निर्यातक उधारकर्ताओं को निर्यात ऋण देने में जोखिम के लिए बैंकों को जोखिम बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार ने ईसीजीसी लिमिटेड को पांच साल की अवधि में अर्थात 2021-2022 से 2025-2026 तक के लिए 4,400 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दी है। इससे ईसीजीसी की हामीदारी करने की क्षमता 88,000 करोड़ तक बढ़ जाएगी, जो पांच साल की अवधि में 5.28 लाख करोड़ के अतिरिक्त निर्यात का समर्थन करेगी।

vii) **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी)** योजना विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत एक चालू योजना है। ईपीसीजी योजना के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद बढ़ाने के लिए सरकार ने विशिष्ट निर्यात दायित्वों को 90 प्रतिशत से घटाकर सामान्य निर्यात दायित्व के 75 प्रतिशत तक कर दिया है।

viii) **निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (TIES),** बाजार पहुँच पहल (MAI), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) और एडवांस ऑथरेजेशन योजना ने व्यापार सा और विपणन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करना जारी रखा है।

बॉक्स 1: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक दक्ष संभार-तंत्र पारिस्थितिकी को सक्षम करना

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और समुत्थानशील संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण है। अनेक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने व्यापार संबंधी लॉजिस्टिक्स में पर्याप्त प्रगति की है, जो प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में परिलक्षित होती है।

'डिजिटल और संधारणीय व्यापार सुविधा' पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत (UNESCAP) के नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में भारत के 2021 में 90.3 प्रतिशत प्राप्तांक हैं। पांच प्रमुख संकेतकों के स्कोर में सुधार के कारण, 2019 में इसके 78.5 प्रतिशत के प्राप्तांक की तुलना में, यह उल्लेखनीय उछाल हुआ है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.1 प्रतिशत) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.9 प्रतिशत) की

[2]A non-preferential COO certifies the origin of the goods but does not grant any preferential tariff rights to the exporter.

तुलना में भारत सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला देश है। पांच संकेतकों में से प्रत्येक में निरंतर सुधार द्वारा समर्थित भारत ने 2015 के बाद से अपने समग्र व्यापार सुविधा प्राप्तांक में लगातार और महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है (चित्र बी 1.1)। 2021 में पारदर्शिता सूचकांक में 100 प्रतिशत अंक मिले, जबकि कागज रहित व्यापार और औपचारिकताओं में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।

चित्र ख1.1: डिजिटल और संधारणीय व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में भारत का प्रदर्शन

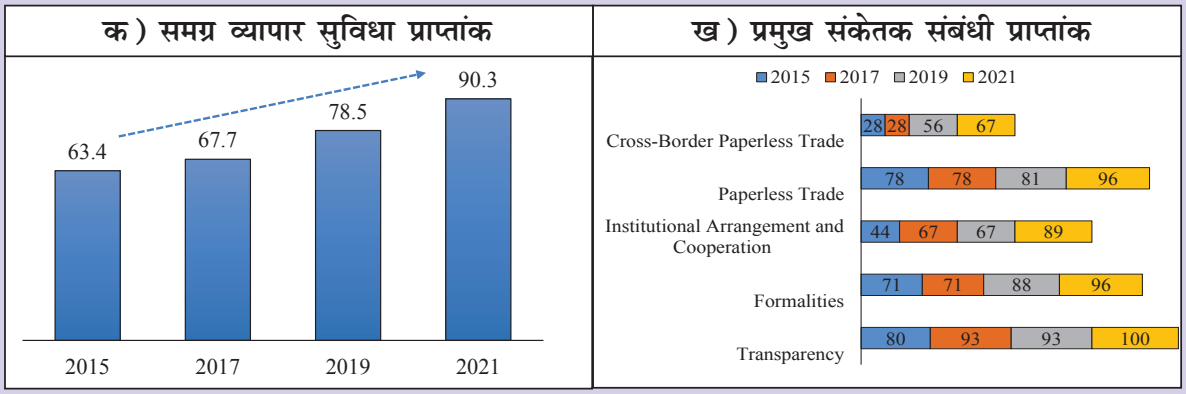

स्रोत: यूनाइटेड नेशंस इकनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पसिफिक (यूएनएस्केप)

प्रधानमंत्री गति शक्ति 'राष्ट्रीय महायोजना (NMP)

अक्टूबर 2021 में स्वीकृत, प्रधानमंत्री गति शक्ति 'राष्ट्रीय महायोजना का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना और संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) दक्षता में सुधार के लिए लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचे को समग्र रूप से एकीकृत करना है। गति शक्ति का कार्य आधारभूत मार्ग परियोजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाना है जिससे 'एकीकृत आयोजना बनायी जा सके और समन्वित कार्यान्वयन' किया जा सके। इसमें व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का

लाभ उठाया जायेगा जिसमें भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफॉरमैटिक्स (BiSAG-N) द्वारा विकसित इसरो इमेजरी का उपयोग 'स्पेस प्लानिंग उपकरण' के साथ किया जायेगा। इसमें टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे आर्थिक सहायता प्राप्त क्षेत्रों को सम्मिलित किया जायेगा और इनकी संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) लागत में कटौती तथा स्थानीय उद्योग व उपभोक्ताओं के लिए उचित मार्ग तैयार करके भारतीय व्यवसायों को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।

संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) पारिस्थितिकी में सुधार के लिए अन्य पहल

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में वृद्धि और प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) दक्षता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

इनमें से कुछ इस प्रकार हैं - फास्ट टैग FASTag, तुरंत सीमा शुल्क (कस्टम्स), अनिवार्य रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग (RFID) सभी आयात-निर्यात कंटेनरों में ई-संचित, इंडियन कस्टम्स ट्रेड असिस्टेंस इन्क्वारी फॉर ट्रेड असिस्टेंस एंड नॉलेज (ICETRAK), ICEDASH (इंडियन कस्टम्स EDI डैशबोर्ड), सिक्योर्ड लोजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (SLDE), इम्पोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम, जीएचजी कैलकुलेटर आदि। समुद्री व्यापार को आसान बनाने के लिए बंदरगाह-विशिष्ट महा-योजना (मास्टर प्लान) के विकास पर प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय तंत्र भी तैयार किया जा रहा है जिसमें चुनिंदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) का एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) में उन्नयन, मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित होगा।

पण्य आयात

3.22 जैसे ही महामारी कम हुई, भारत ने घरेलू मांग में सुधार देखा जिसके परिणामस्वरूप मजबूत आयात वृद्धि हुई। पूर्व-महामारी के स्तर को पार करते हुए, अप्रैल-दिसंबर, 2021 में व्यापारिक आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 68.9 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 21.9 प्रतिशत की दर से बढ़कर 443.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया । जैसे माल निर्यात के मामले में, आयात ने भी वित्त वर्ष 20-21(Q1) के बाद से दीर्घ-कालिक वृद्धि दिखाई और वित्त वर्ष 20-21(Q3) में पूर्व-कोविड स्तरों को पार करके लगभग US$166 बिलियन तक पहुँच गया (चित्र-7क)।

चित्र 7: भारत का पण्य आयात

(क) 2021-22 में आयात में तेजी

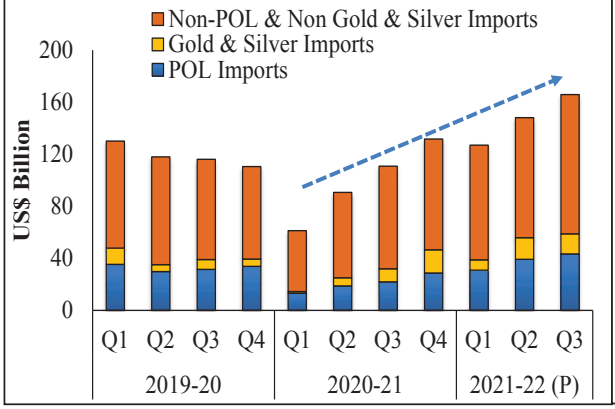

(ख) आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान (पीओएल और गैर-पीओएल दोनों के द्वारा संचालित आयात)

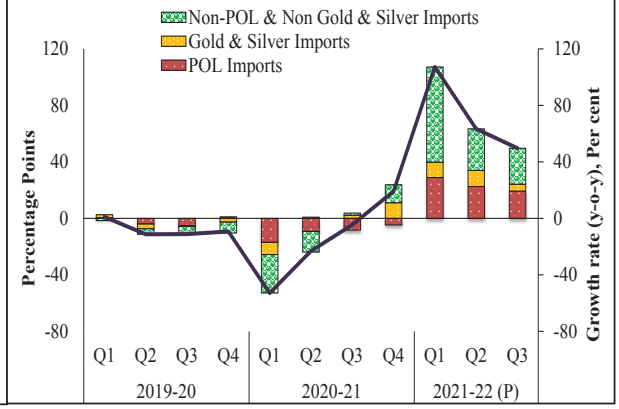

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: पी: अनंतिम

3.23 अप्रैल-दिसंबर, 2021 में व्यापारिक आयातों में दर्ज किए गए विस्तार के लिए तीनों घटकों अर्थात सोने और चांदी के आयात (कुल आयात में 9.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए लेखांकन), पीओएल आयात (26.6 प्रतिशत हिस्सा) और गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी के आयात (64.3 प्रतिशत शेयर), के धनात्मक वृद्धि जिम्मेवार हैं जिसमें गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी के आयात बाद में वृद्धि से घरेलू गतिविधि में अधिकतम वृद्धि का संकेत मिलता है (चित्र 7बी)। यह देखा गया है कि 93 प्रतिशत से अधिक प्रमुख आयात वस्तुओं ने पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल दिसंबर, 2021 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जो अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार का संकेत है।

3.24 कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, अप्रैल-दिसंबर, 2021 में पीओएल आयात एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 119.2 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 22.3 प्रतिशत बढ़कर 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 22.3 प्रतिशत अधिक था।कच्चे तेल की कीमत (इंडियन बास्केट) ने प्री-कोविड स्तर को पार कर लिया और अक्टूबर 2021 में 82.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च मूल्य को छू लिया। दूसरी ओर, पीओएल आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ी, लेकिन पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रही। स्तर। सोने और चांदी का आयात एक साल पहले इसी अवधि में यह 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में दोगुना से अधिक 40.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और अप्रैल-दिसंबर, 2019 में दर्ज 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महामारी-पूर्व स्तर को पार कर गया।

3.25 गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी का आयात अप्रैल-दिसंबर, 2021 में 285.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 49.3 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 17.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान; मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर; और कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि ने उक्त अवधि में गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी के आयात वृद्धि में

अधिकतम योगदान दिया।

3.26 प्रमुख आयात वस्तुओं में, कच्चे पेट्रोलियम का आयात पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-नवंबर, 2021 में दोगुने से अधिक बढ़कर 73.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और यह सबसे अधिक आयातित वस्तु बना हुआ है। सोने का आयात एक साल पहले इसी अवधि में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.6 प्रतिशत शेयर) से बढ़कर 33.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8.7 प्रतिशत शेयर) हो गया, जो दूसरे स्थान पर लौट आया (तालिका 2) । यह सोने के आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना से अधिक हो गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के कारण मजबूत उत्सव और निर्यात मांग के कारण पूर्व महामारी के स्तर को पार कर गया है। अप्रैल-नवंबर, 2019 के विपरीत, डेयरी और आयरन एंड स्टील के लिए औद्योगिक मशीनरी चालू वर्ष में शीर्ष दस आयात वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं है।

तालिका 2: शीर्ष 10 आयात वस्तुएं

रैंक	वस्तु	(US$ बिलियन)				हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21	2021-22 (P)	2019-20	2020-21	2020-21	2021-22 (P)
				(अप्रैल-नवम्बर)				(अप्रैल-नवम्बर)	
1	पेट्रोलियम: कच्चा	102.7	59.5	31.3	73.3	21.6	15.1	14.2	19.2
2	सोना	28.2	34.6	12.3	33.2	5.9	8.8	5.6	8.7
3	पेट्रोलियम उत्पाद	27.8	23.2	13.1	24.1	5.9	5.9	5.9	6.3
4	मोती, कीमती, क़ीमती पत्थर	22.5	18.9	9.3	19.2	4.7	4.8	4.2	5.0
5	कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि।	22.5	16.3	9.7	18.9	4.7	4.1	4.4	4.9
6	इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	16.3	15.3	8.7	14.5	3.4	3.9	4.0	3.8
7	वनस्पति तेल	9.7	11.1	6.8	12.2	2.0	2.8	3.1	3.2
8	जैविक रसायन	12.2	11.1	6.3	11.2	2.6	2.8	2.9	2.9
9	कंप्यूटर हार्डवेयर, सहायक उपकरण	9.0	10.4	6.6	9.7	1.9	2.6	3.0	2.6
10	प्लास्टिक कच्चे माल	10.4	9.7	5.2	9.5	2.2	2.5	2.4	2.5
कुल 10 वस्तुओं का योग		261.3	210.1	109.3	225.9	55.0	53.3	49.7	59.2
भारत का कुल आयात		**474.7**	**394.4**	**219.8**	**381.4**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: पी: अनंतिम

3.27 आयात मूल के शीर्ष दस देशों में, अप्रैल-नवंबर, 2021 में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत थे। हालांकि एक साल पहले की इसी अवधि में चीन की हिस्सेदारी 17.7

प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत हो गई है। यूएई दूसरे स्थान पर है, उसके बाद यूएसए है। स्विट्जरलैंड, जिसे पिछले साल भारत के आयात के शीर्ष दस स्रोतों से हटा दिया गया था, अप्रैल-नवंबर, 2021 में 4.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ छठे स्थान पर वापस आ गया। इंडोनेशिया - कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कुल आयात में 2.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, शीर्ष दस में से एक बना हुआ है। (चित्र 8)।

चित्र 8: 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में शीर्ष दस आयात स्रोत [शेयर प्रतिशत में]

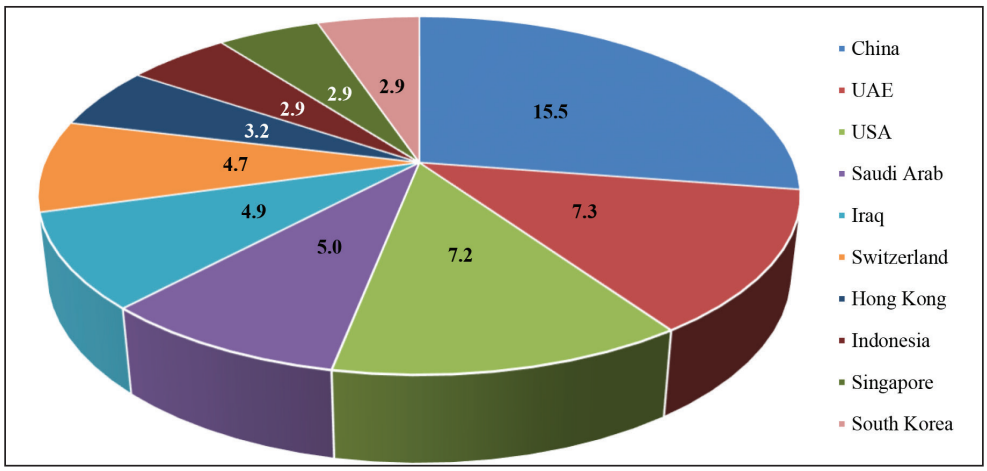

स्रोत: वाणिज्य विभाग

पण्य व्यापार संतुलन

3.28 जैसा कि ऊपर बताया गया है, घरेलू गतिविधि के साथ-साथ कई व्यापारिक भागीदारों में पुनरुद्धार के साथ वैश्विक मांग की वसूली के कारण, व्यापारिक निर्यात और साथ ही आयात दोनों में जोरदार उछाल आया और पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया, जिससे व्यापारिक व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2021 में यह 142.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अप्रैल-दिसंबर 2019 में 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा था। व्यापारिक व्यापार घाटा Q1 में नीचे आने के बाद और बढ़ गया: वित्तीय वर्ष 21 (चित्र 9)।

चित्र 9: निर्यात और आयात में उच्च वृद्धि के कारण पण्य व्यापार संतुलन में वृद्धि

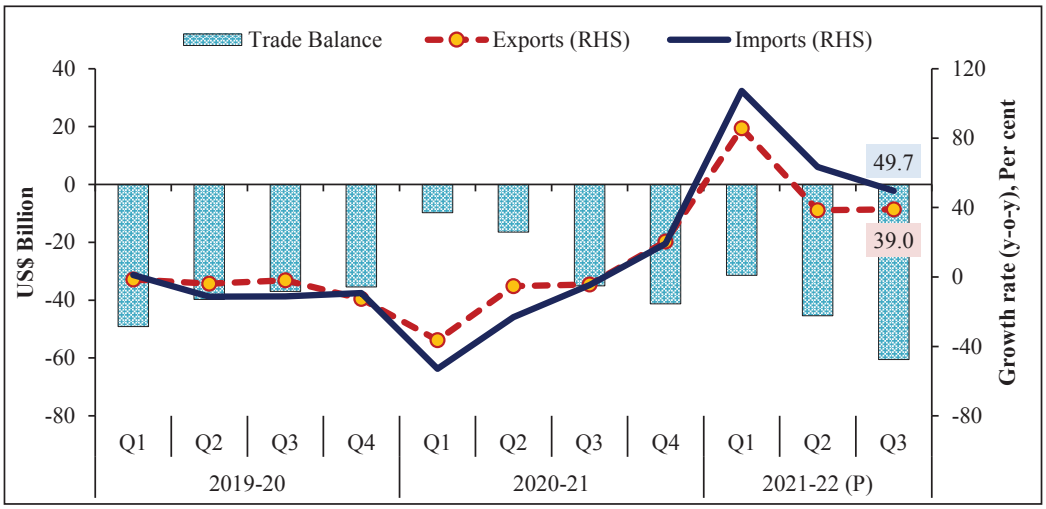

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: (P): अनंतिम।

3.29 तालिका 3 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान प्रमुख देशों के साथ भारत के व्यापारिक व्यापार संतुलन को दर्शाती है। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अनुकूल

व्यापार संतुलन था, जिसके बाद बांग्लादेश और नेपाल थे।

तालिका 3: प्रमुख देशों के साथ भारत का पण्य व्यापार संतुलन

(US$ बिलियन)

		निर्यात		आयात		ट्रेड का संतुलन	
क्र. सं.	देश	अप्रै-नव 20	अप्रै-नव 21 (P)	अप्रै-नव 20	अप्रै-नव 21 (P)	अप्रै-नव 20	अप्रै-नव 21 (P)
1	अमेरीका	31.3	49.0	16.3	27.4	15.0	21.6
2	बांग्लादेश	5.1	9.2	0.6	1.3	4.4	7.9
3	नेपाल	3.5	6.0	0.4	1.0	3.1	5.0
4	तुर्की	2.3	5.1	0.9	1.3	1.4	3.8
5	नीदरलैंड	3.8	6.9	1.9	2.8	1.9	4.1
6	यू कू	4.6	6.8	2.6	4.3	2.0	2.5
7	इटली	2.6	5.4	2.2	3.2	0.4	2.1
8	कोरिया	2.9	4.8	7.1	11.1	-4.2	-6.3
9	कतर	0.8	1.2	4.6	7.7	-3.8	-6.5
10	सं अरब अमीरात	9.7	17.5	13.1	27.9	-3.4	-10.4
11	सऊदी अरब	3.6	5.8	9.2	19.2	-5.6	-13.4
12	इराक	1.0	1.3	7.6	18.5	-6.6	-17.2
13	स्विट्जरलैंड	0.9	0.9	5.8	17.8	-4.9	-16.9
14	चीन	13.6	15.6	38.8	59.0	-25.2	-43.4

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: P: अनंतिम

सेवाओं में व्यापार

सेवा निर्यात

3.30 भारत ने कोविड-19 के बाद की अवधि में विश्व सेवा व्यापार में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। महामारी से प्रेरित वैश्विक प्रतिबंधों और कमजोर पर्यटन राजस्व के बावजूद, भारत के सेवा निर्यात ने 2021-22 (अप्रैल दिसंबर) के दौरान एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि और 2019 की तुलना में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 177.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गयी. और पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया। यह मुख्य रूप से शीर्ष तीन कंप्यूटर, व्यवसाय और परिवहन सेवाओं के कारण है जो कुल सेवाओं के निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक है। Q1:FY 21 में मंदी दर्ज करने के बाद, Q2: FY21 के बाद से सेवा निर्यात लचीला बना रहा और Q3: FY 22 (चित्र 10) में यूएस $ 60 बिलियन तक पहुंचने के लिए लगातार बढ़ गया।

तालिका 4: सेवा व्यापार निष्पादन

(US$ बिलियन)

	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)	2021-22 (अप्रै-दिसं)* (P)
सेवा निर्यात	213.2	206.1	150.1	177.7
सेवा आयात	128.3	117.5	85.0	103.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य विभाग

नोट: *: दिसंबर 2021 का डेटा एक अनुमान है; P: अनंतिम

[3]दिसंबर 2021 का डेटा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई की बाद की रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए ताजा आंकड़े नवंबर 2021 तक के हैं।

चित्र 10: सेवा निर्यात और आयात में वृद्धि

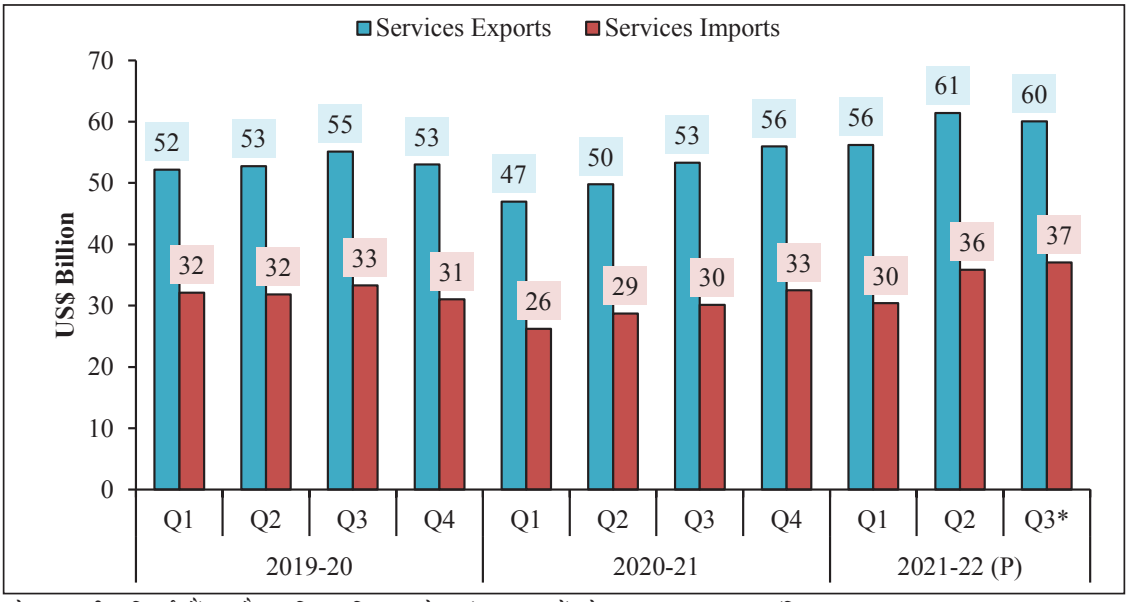

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य विभाग नोट: *: अनुमानों के आधार पर; P: अनंतिम

3.31 वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में कंप्यूटर सेवाओं का निर्यात सबसे बड़ी सेवा निर्यात बना हुआ है, जो कुल सेवा निर्यात का लगभग 49 प्रतिशत है। उन्होंने नई महामारी चुनौतियों के कारण डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की बढ़ती मांग के कारण Q2: FY 21 के बाद से सकारात्मक क्रमिक विकास का प्रदर्शन किया। व्यापार सेवाओं के निर्यात - दूसरा प्रमुख खंड - ने भी पेशेवर, प्रबंधन और परामर्श सेवाओं में सुधार के आधार पर सुधार दिखाया। परिवहन सेवाओं का निर्यात एच1: वित्त वर्ष 22 में 40.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीमा पार व्यापार गतिविधि में वृद्धि और परिवहन लागत को प्रभावित करने वाले शिपिंग कंटेनरों की कमी के कारण 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तिमाही घटक-वार सेवा निर्यात डेटा अनुबंध II में प्रस्तुत किया गया है।

3.32 सेवाओं के निर्यात में देखी गई मजबूत वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नवंबर 2020 में अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) को उदार बनाना और आगे जून 2021 में दूरसंचार क्षेत्र के लिए सुधार पैकेज की घोषणा करना शामिल है ताकि तरलता को बढ़ावा दिया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर निवेश और विनियामक बोझ को कम करना (सेवाओं के अध्याय में बॉक्स देखें)।

सेवा आयात

3.33 सेवा आयात 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में महामारी का स्तर पार करते हुए एक साल पहले की इसी अवधि से 21.5 प्रतिशत बढ़कर 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक हो गया (तालिका 4) । सेवाओं के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन, यात्रा और कंप्यूटर सेवाओं के भुगतान के कारण हुई है, जो कुल मिलाकर सेवाओं के आयात का 75 प्रतिशत से अधिक है। सेवाओं के निर्यात के जैसे ही, भारत के सेवाओं के आयात ने भी Q1: FY21 में महामारी प्रेरित लॉकडाउन के कारण मंदी की सूचना दी। हालांकि, बाद में उनमें सुधार हुआ और वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही (चित्र 10) में 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

[4]दिसंबर 2021 का डेटा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई की बाद की रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए ताजा आंकड़े नवंबर 2021 तक के हैं।

3.34 सेवाओं के आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ व्यापार सेवाओं में एच1: वित्त वर्ष 22 में साल-दर-साल आधार पर 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शिपिंग जहाजों में अंतरराष्ट्रीय कमी के साथ वैश्विक गतिविधि में फिर से शुरू होने के बीच, परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन भुगतान में बड़ी वृद्धि हुई जो एच1: वित्त वर्ष 22 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 64.9 प्रतिशत बढ़कर 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ी । बाहरी यात्रा भी एच1: वित्त वर्ष 22 में फिर से शुरू हुई, जिसमें यात्रा भुगतान में एच1: वित्त वर्ष 21 की तुलना में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तिमाही घटक-वार सेवाएं आयात डेटा अनुबंध III में प्रस्तुत किया गया है।

निजी स्थानान्तरण

3.35 एच1: वित्त वर्ष 22 में, शुद्ध निजी स्थानान्तरण - मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करते हुए - एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 7.2 प्रतिशत बढ़कर 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और एच1: वित्त वर्ष 20 की तुलना में मामूली 0.1 प्रतिशत अधिक हो गया। महामारी का स्तर। प्रवासन और विकास संक्षिप्त 35, विश्व बैंक (नवंबर 2021) के अनुसार, भारत 2021 में (वर्तमान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है और 2008 से ऐसा है। Q1 में नीचे आने के बाद: वित्त वर्ष 21, शुद्ध निजी स्थानान्तरण ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की और Q2: वित्त वर्ष 22 (चित्र 11) में 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दर्ज की।

चित्र 11: धन-प्रेषण

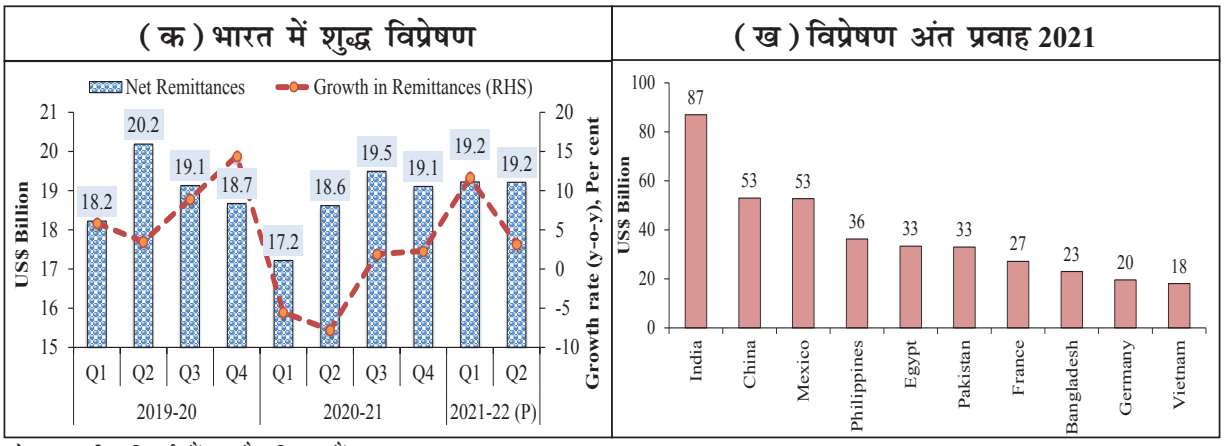

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक
नोट: ': अनुमान

व्यापार की अमूर्त/अदृश्य मदें

3.36 उच्च निवल सेवा प्राप्तियों और निजी हस्तांतरणों के कारण, शुद्ध अदृश्य वस्तुएं पिछले वर्ष के 60.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और एच1: वित्तीय वर्ष 20 में 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (तालिका 5) की तुलना में पूर्व कोविड स्तर को पार कर एच1: वित्त वर्ष 22 में 72.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थीं। सेवाओं और स्थानान्तरण की प्रवृत्ति के बाद, निवल अदृश्य में भी Q1: FY 21 से अधिक वृद्धि का अनुभव हुआ। हालांकि, प्राथमिक आय खाते से उच्च निवल आउटगो के कारण Q2: FY 22 में क्रमिक गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से शुद्ध विदेशी निवेश आय भुगतान को दर्शाती है (चित्र। 12)।

तालिका 5: शुद्ध अमूर्त/अदृश्य मदें और उनके घटक

(US$ बिलियन)

वर्ष / मद (शुद्ध)	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1 (P)
अदृश्य	132.8	126.1	60.1	72.1
सेवाऐं	84.9	88.6	41.8	51.4
स्थानांतरन	75.2	73.5	35.4	37.9
आय	-27.3	-36.0	-17.1	-17.2

स्रोत: आरबीआई
नोट: P: अनंतिम

चित्र 12: शुद्ध अमूर्त/अदृश्य मदें की संरचना

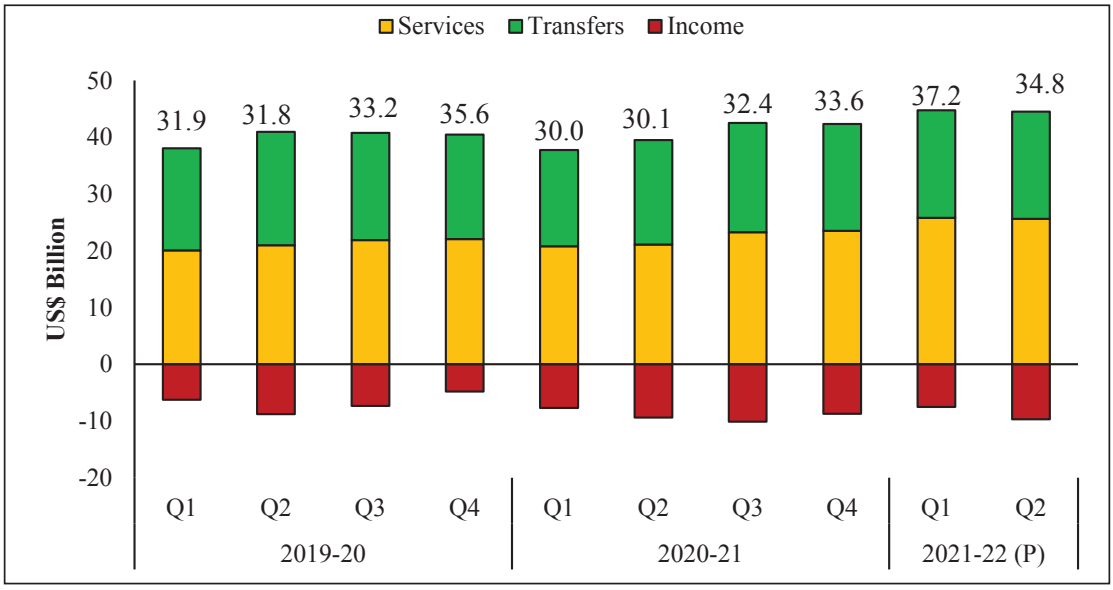

चालू खाता शेष

3.37 एच1: वित्त वर्ष 21 में अधिशेष देखने के बाद, भारत का चालू खाता शेष एच1: वित्त वर्ष 22 में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) के घाटे में फ्लिप हो गया, जो व्यापारिक व्यापार घाटे में तेज वृद्धि के कारण था (तालिका 6)। हालांकि, यह चालू खाता घाटा H1: FY 20 (महामारी पूर्व स्तर) में दर्ज 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे से कम रहा।

3.38 जहां तक तिमाही उतार-चढ़ाव का संबंध है, व्यापार घाटा बढ़ने और निवेश आय के निवल व्यय में वृद्धि के कारण चालू खाता शेष पिछली तिमाही के अधिशेष से वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में घाटे में बदल गया (चित्र 13)।

तालिका 6: चालू खाता शेष

वर्ष / मद (शुद्ध)	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1 (P)
चालू खाता शेष (US$ बिलियन)	-24.7	23.9	34.3	-3.1
चालू खाता शेष (जीडीपी प्रतिशत)	-0.9	0.9	3.0	-0.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक नोट: P: अनंतिम

चित्र 13: चालू खाता शेष (सीएबी)

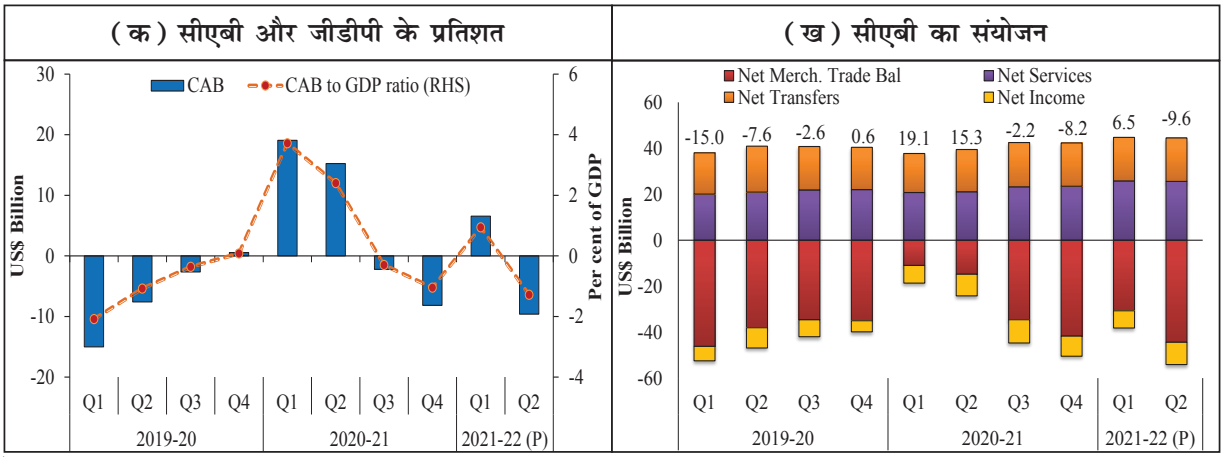

स्रोत: आरबीआई

नोट: P: अनंतिम

पूंजी खाता/वित्तीय खाता

3.39 एच1: वित्त वर्ष 22 में, शुद्ध पूंजी प्रवाह तीन गुना से अधिक 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 4.5 प्रतिशत) हो गया, जो एच1: वित्त वर्ष 21 में ऋणों में वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बैंकिंग पूंजी के कारण था। अन्य पूंजी (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एसडीआर आवंटन सहित) और विदेशी निवेश का निरंतर अंतर्वाह (तालिका 7)। ये महामारी पूर्व स्तर (भ1: थ्ल 20) की इसी अवधि से भी अधिक थे।

3.40 शुद्ध पूंजी प्रवाह अस्थिर रहा, फिर भी 2021-22 की दोनों तिमाहियों में वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक वृद्धि देखी गई। जबकि पूंजी प्रवाह Q1: FY 22 में मुख्य रूप से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बढ़ा, यह मुख्य रूप से FPI, ECB में वृद्धि और IMF द्वारा विशेष आहरण अधिकार (SDR) के आवंटन के कारण Q2: FY 22 में और बढ़ गया। निवल अन्य पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होता है (चित्र 14)।

तालिका 7: पूंजी खाता शेष

(US$ बिलियन जब तक अन्यथा इंगित न करें)

क्र. सं.	वर्ष / मद (शुद्ध)	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1 (P)
A.	पूंजी खाता	83.2	63.7	17.3	65.6
A1.	विदेशी निवेश	44.4	80.1	31.5	25.4
A1.1	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)	43.0	44.0	23.9	21.2
A1.2	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)	1.4	36.1	7.6	4.3
A2.	ऋण	25.7	6.9	-1.1	10.4
A3.	बैंकिंग पूंजी	-5.3	-21.1	-9.0	4.4
A4.	रुपया ऋण सेवा	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
A5.	अन्य पूंजी	18.5	-2.1	-4.0	25.4
B.	पूंजी खाता शेष जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) से	2.9	2.4	1.5	4.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: P: अनंतिम

चित्र 14: पूंजी खाता शेष और इसका जीडीपी से अनुपात

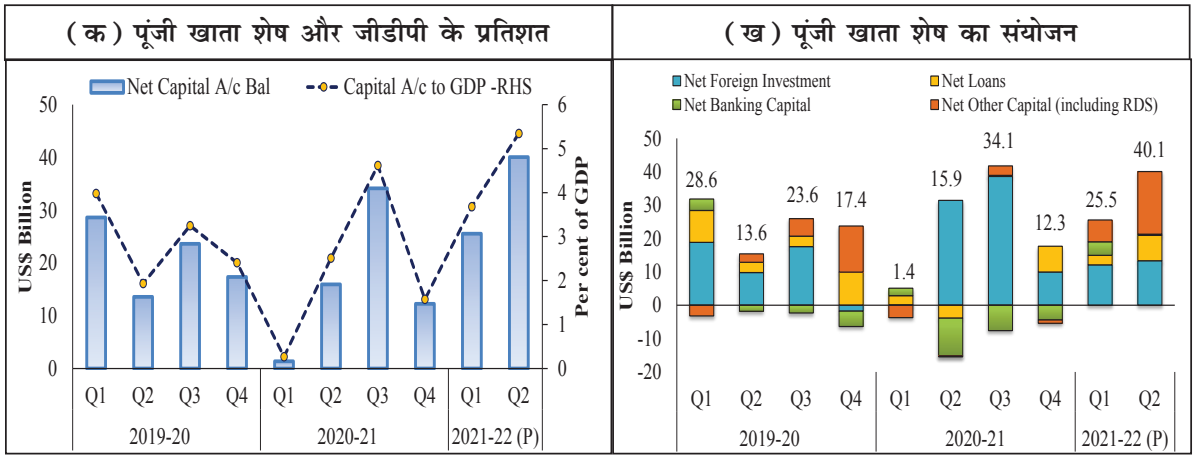

स्रोत: आरबीआई

नोट: आरडीएस: रुपया ऋण सेवा; P: अनंतिम

3.41 विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) शामिल हैं, पूंजी खाते का सबसे बड़ा घटक है। पूर्व-महामारी स्तर से कम होने पर, शुद्ध विदेशी निवेश प्रवाह (FII) – मुख्य रूप से FDI द्वारा संचालित – वित्त वर्ष 21 की इसी अवधि की तुलना में H1: FY 22 में 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गया।

3.42 एफडीआई पर नवीनतम समग्र डेटा नवंबर 2021 तक उपलब्ध है। जबकि शुद्ध एफडीआई में 24.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कम अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि सकल एफडीआई अंतर्वाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान कम इक्विटी निवेश के कारण कम होकर 54.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। । त्रैमासिक गतिविधि चित्र 15 में देखा जा सकता है।

चित्र 15: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

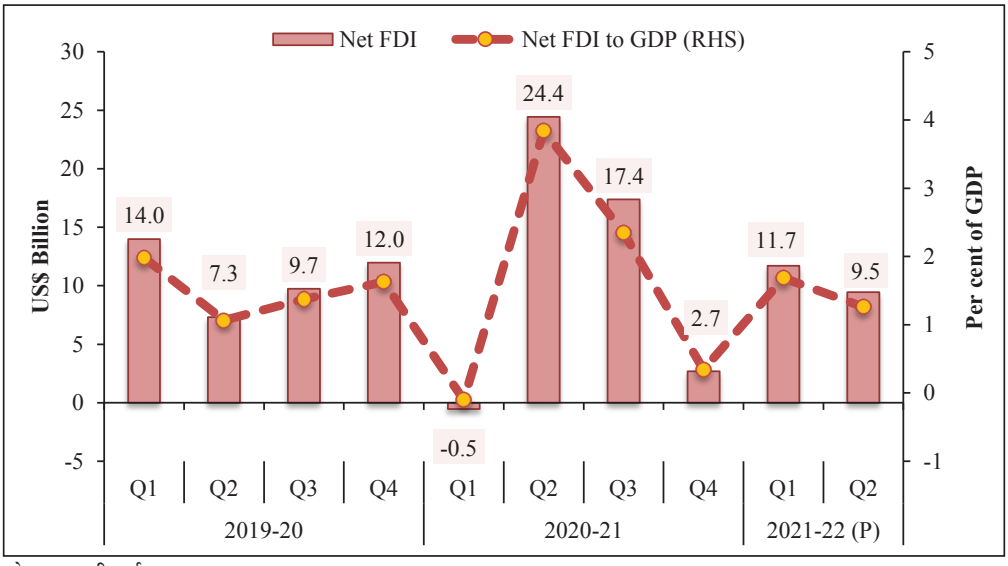

स्रोत: आरबीआई

नोट: P: अनंतिम

3.43 जहां तक क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह का संबंध है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अप्रैल सितंबर, 2021 में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में सिंगापुर शीर्ष निवेश करने वाला देश बना हुआ है जबकि यूएसए का दूसरे स्थान पर है। शीर्ष पांच एफडीआई क्षेत्रों और निवेश करने वाले देशों की सूची अनुबंध IV में दी गई है।

3.44 एफपीआई पर नवीनतम समग्र डेटा दिसंबर 2021 तक उपलब्ध है। जैसा कि चित्र 16 में दर्शाया गया है, अमेरिकी मौद्रिक नीति सामान्यीकरण, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए रूपों के डर और मजबूत मुद्रास्फीति दबाव से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण एफपीआई प्रवाह अस्थिर रहा। जबकि अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान ऋण बाजार में शुद्ध खरीदारी देखी गई, पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा मूल्यांकन संबंधी चिंताओं और लाभ बुकिंग के कारण भारतीय इक्विटी बाजार से बहिर्वाह हुआ, जिससे 0.6 बिलियन का शुद्ध एफपीआई बहिर्वाह हुआ, जबकि यूएस का शुद्ध एफपीआई प्रवाह एक साल पहले इसी अवधि में + 28.5 बिलियन हुआ।

चित्र 16: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर रहा

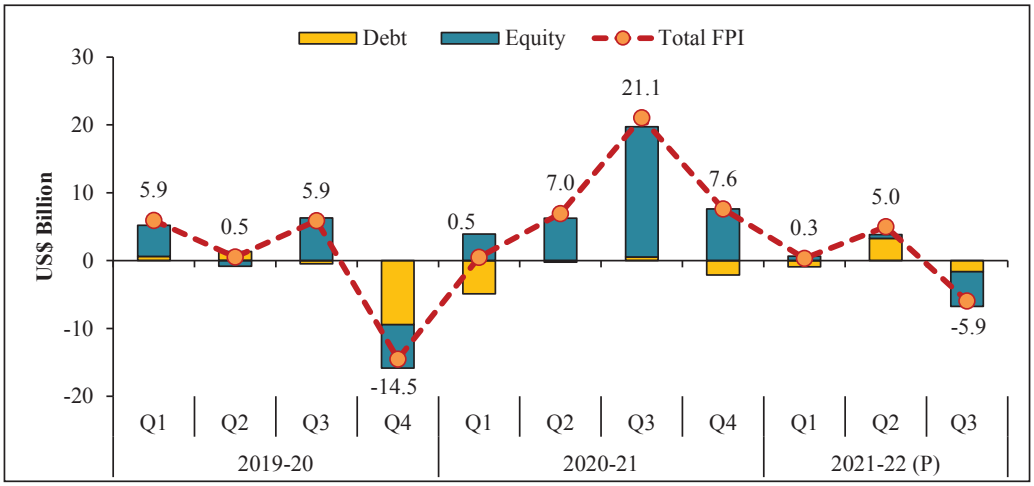

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)।

नोट: (i) कुल शुद्ध एफपीआई ऋण, इक्विटी, हाइब्रिड और स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) का योग है, हालांकि, उपरोक्त चार्ट में केवल ऋण और इक्विटी को दर्शाया गया है क्योंकि वे एक साथ कुल शुद्ध एफपीआई के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए खाते हैं। बैलेंस हाइब्रिड और वीआरआर है।

(ii) P: अनंतिम

3.45 अन्य प्रकार के पूंजी प्रवाहों में, बैंकिंग पूंजी ने वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में अनिवासी भारतीय जमा-खाते के अंतर्गत कम निवल अंतर्वाह के बावजूद, 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अंतर्वाह दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह था। पुनर्भुगतान से अधिक नए संवितरण के साथ, ईसीबी का शुद्ध संवितरण (यानी, अंतर-कॉर्पोरेट उधार के लिए समायोजित) H1: FY 22 में US $ 4-7 बिलियन था।

भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार

3.46 जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है, भारत का चालू खाता शेष, व्यापार घाटे के बढ़ने के कारण, वित्तीय वर्ष 22 की पहली छमाही में घाटे में बदल गया, जो अन्य कारणों के साथ-साथ समग्र मांग के व्यापक-आधारित पुनरुद्धार को दर्शाता है। हालांकि, इस चालू खाते के घाटे (सीएडी) को मजबूत पूंजी प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से कुशन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एच1: वित्त वर्ष 22 में कुल भुगतान संतुलन (बीओपी) 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष था। इससे एक संवर्धित विदेशी मुद्रा भंडार विकास क्रम

में एक महत्वपूर्ण बिंदु(मील के पत्थर) 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और सितंबर 2021 के अंत तक 635.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया।

भारत के भुगतान संतुलन के प्रमुख घटकों में तिमाही प्रवृत्तियों को अनुबंध V में दर्शाया गया है। जबकि Q1: वित्त वर्ष 22 में अधिशेष भुगतान संतुलन चालू और पूंजी खाते में अधिशेष के कारण था Q2: वित्त वर्ष 22 में भुगतान अधिशेष, पूंजी खाते पर बड़े अधिशेष के चालू खाते पर घाटे की भरपाई से अधिक होने के कारण था (चित्र 17)।

चित्र 17: कुल भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार

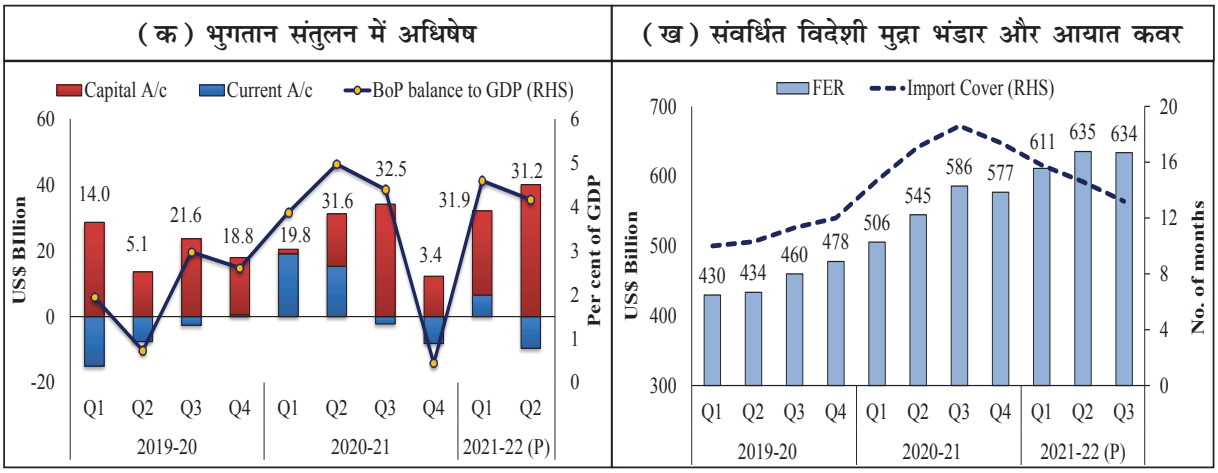

स्रोत: आरबीआई

नोट: (i) ऊपर दर्शाए गए विदेशी मुद्रा भंडार तिमाही की समाप्ति तिथि के अनुसार हैं।

(ii) 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए आयात का आरक्षित कवर अनंतिम है और तिमाही बीओपी जारी होने के बाद यह बदल जाएगा।

(iii) P: अनंतिम

3.47 2021-22 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2021 के अंत में 633.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में 577.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर दिसंबर 2021 के अंत में 17.4 से घटकर 13.2 महीने रह गया। मार्च 2021 के अंत में महीनों के रूप में घरेलू आर्थिक गतिविधि (चित्र 17 बी) में पिक-अप के साथ व्यापारिक आयात में वृद्धि हुई। 5 नवंबर 2021 के अंत तक, भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।

3.48 भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा यह निर्धारित करता है कि देश में कितने शुद्ध पूंजी प्रवाह को अवशोषित किया जा सकता है या विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह 2021-22 के दौरान प्रबंधनीय सीमा के भीतर होने की उम्मीद है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भारत बाहरी क्षेत्र के संकट में पड़े बिना सकल घरेलू उत्पाद के 2.5-3.0 प्रतिशत के चालू खाते के घाटे को बनाए रख सकता है।

विनिमय दर में संचलन

3.49 भारतीय रुपये में 2020-21 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई है। हालांकि रुपये ने अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दोनों दिशाओं में गति का प्रदर्शन किया, लेकिन मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में इसमें 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, रुपये का मूल्यह्रास अपने उभरते बाजार के समकक्ष जैसे कि तुर्की लीरा, अर्जेंटीना पेसो, थाई बहत और फिलीपीन

[5]आयात कवर की गणना नवीनतम चार तिमाहियों के लिए आयात डेटा (बीओपी आधार) के आधार पर की जाती है। अक्टूबर-दिसंबर 2021 के लिए, डीजीसीआईएस द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम आयात डेटा का उपयोग किया जाता है।

[6]पात्रा, एमडी (2021): ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में विकास और विकास, आरबीआई, बुलेटिन, दिसंबर मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपया क्रमशः 1.8 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत बढ़ गया।

पेसो की तुलना में मामूली था, (चित्र 18)।

3.50 6-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER) (व्यापार-भारित) के संदर्भ में, रुपये में मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के संदर्भ में इसमें 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई शर्ते (चित्र 19a)। इसी तरह, रुपये में मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में 40 मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के मामले में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के मामले में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापक मुद्रास्फीति अंतर को दर्शाता है। (चित्र 19 b)।

चित्र 18: प्रमुख ईएमई' मुद्राओं के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (नवंबर 2021 से नवंबर 2020 तक)

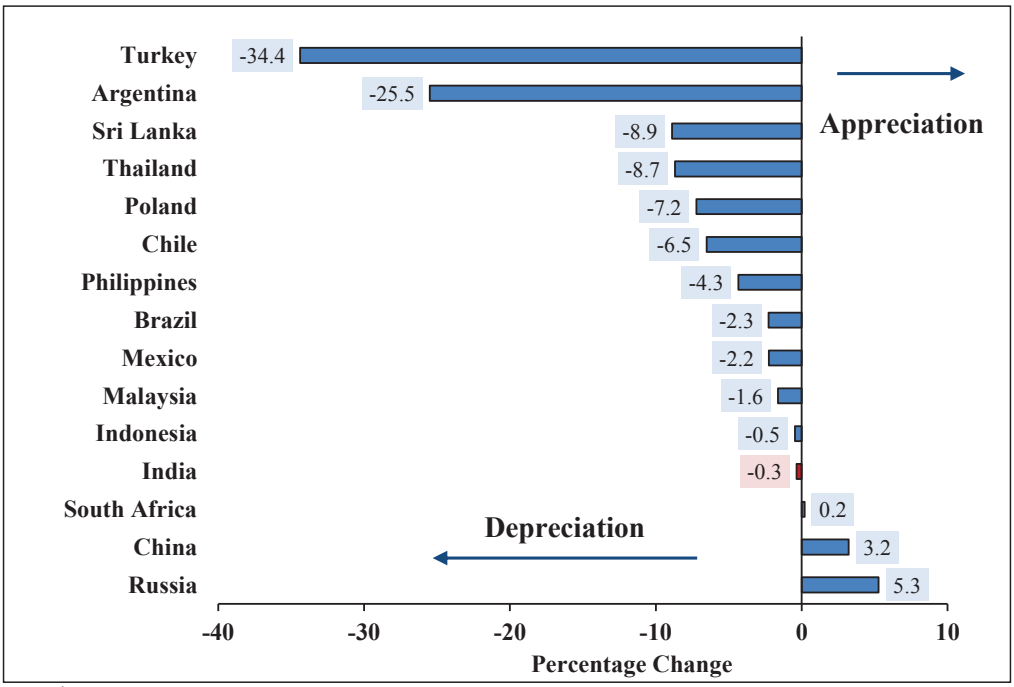

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)
नोट: *: ईएमई: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं

चित्र 19: 6-मुद्रा और 40-मुद्रा का सूचकांक NEER और REER (व्यापार आधारित भार) (आधार वर्ष: 2015-16 = 100)

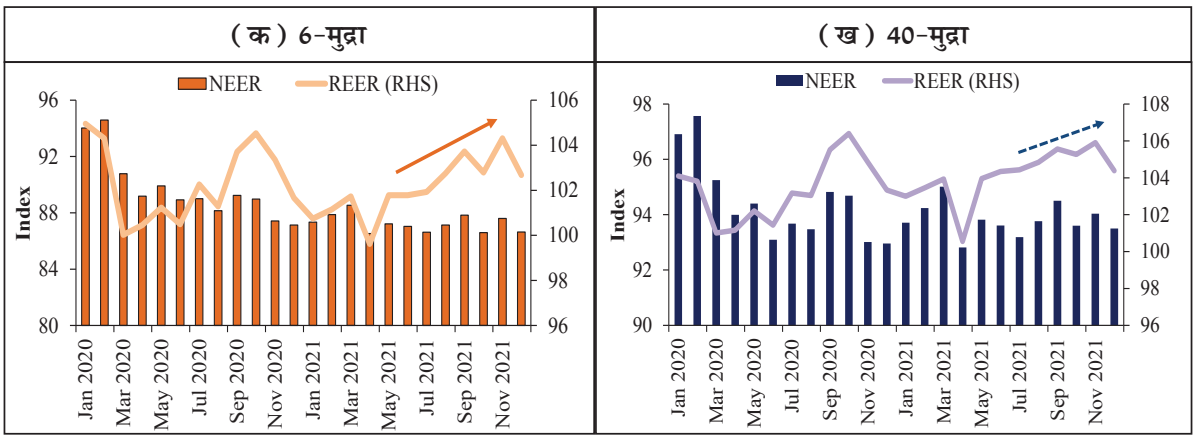

स्रोत: आरबीआई

शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

3.51 देश के लचीलेपन को मापने का एक तरीका इसकी शुद्ध अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति को देखना है। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन (आईआईपी) एक अर्थव्यवस्था के निवासियों की वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य के बीच का अंतर है जो गैर-निवासियों पर दावा है और एक समय में गैर-निवासियों के लिए एक अर्थव्यवस्था के निवासियों की देनदारियों के बीच का अंतर है। यह शेष विश्व पर या तो शुद्ध दावे या शुद्ध देयता का प्रतिनिधित्व करता है।

3.52 भारत का शुद्ध आईआईपी सितंबर 2021 के अंत तक (-) सकल घरेलू उत्पाद का 11.3 प्रतिशत (332-US$ बिलियन) था - मार्च 2019 के अंत से एक निरंतर सुधार - एक उच्च परिसंपत्ति-देयता अनुपात के नेतृत्व में, जो मार्च 2021 के अंत से सितंबर 2021 के अंत तक बढ़कर 73.6 प्रतिशत हो गया (चित्र 20)।

परिसंपत्ति और देयता अनुपात में सुधार आरक्षित परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण निर्माण के कारण हुआ है (Q4: FY21 और Q2: FY22 के बीच US + 58.4 बिलियन), जो एफडीआई, एफपीआई और अन्य निवेशों के कारण देनदारियों में निर्माण के लिए क्षतिपूर्ति से अधिक है।

चित्र 20: शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP)

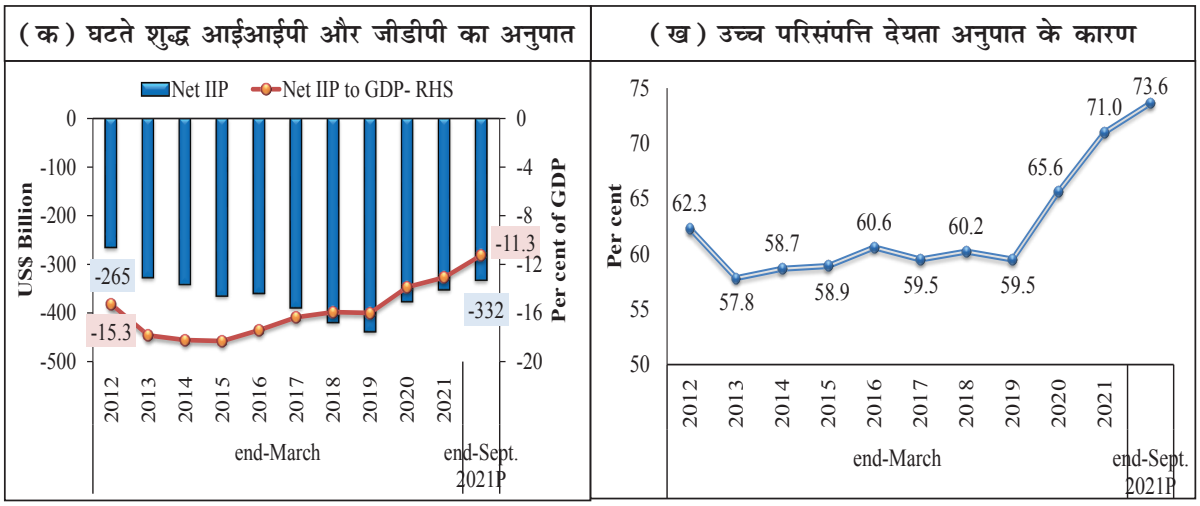

स्रोत: आरबीआई नोट: P: अनंतिम

विदेशी कर्ज

3.53 सितंबर 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण, 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित, जून 2021 के अंत के स्तर पर 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अमेरिकी डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण मूल्यांकन लाभ को छोड़कर, विदेशी ऋण में वृद्धि 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 23.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती। 218.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधारी ने तिमाही दर तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जो एक तिमाही पहले के स्तर की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक थी। एनआरआई जमा, दूसरा सबसे बड़ा घटक, 141.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पिछली तिमाही के अंत के समान स्तर पर था। 97.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर तीसरा सबसे बड़ा घटक, अल्पकालिक व्यापार ऋण कमी करना जारी रखा। एक साथ, ये तीन घटक सितंबर, 2021 के अंत में कुल विदेशी ऋण का 77.2 प्रतिशत हैं। आईएमएफ (एसडीआर) 23.3 अरब अमेरिकी डॉलर पर जून के अंत के स्तर पर 17.6 अरब अमेरिकी डॉलर (310.8 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2021, मुख्य रूप से 23 अगस्त,

2021 को अतिरिक्त एसडीआर आवंटन को दर्शाता है।

3.54 भारत का विदेशी ऋण, जो मार्च 2021 के अंत में पूर्व-संकट स्तर को पार कर गया, सितंबर 2021 के अंत तक दृढ़ हो गया, एनआरआई जमाओं के उपरोक्त संकट स्तर से सहायता प्राप्त हुई और आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त एसडीआर आवंटन का उल्लेख किया गया। दूसरी ओर, वाणिज्यिक उधार और अल्पकालिक व्यापार ऋण, जो विकास के प्रति संवेदनशील हैं, अभी भी महामारी-पूर्व स्तरों (तालिका 8) से नीचे बने हुए हैं।

तालिका 8: बकाया बाह्य ऋण

(US$ बिलियन)

		दिसं-19	मार्च-20	जून-20	सितं-20 PR	दिसं-20 PR	मार्च-21 PR	जून-21 PR	सितंब-21 P
1.	बहुपक्षीय	60.2	59.9 (-0.4)	64.7 (8.0)	67.0 (3.6)	68.1 (1.6)	69.7 (2.5)	70.2 (0.6)	71.4 (1.7)
2.	द्विपक्षीय	27.3	28.1 (2.9)	28.5 (1.6)	29.3 (2.7)	30.5 (4.3)	30.9 (1.3)	30.8 (-0.5)	30.9 (0.5)
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	5.5	5.4 (-1.3)	5.5 (0.8)	5.6 (2.3)	5.7 (2.3)	5.6 (-1.6)	5.7 (0.6)	23.3 (310.8)
4.	व्यापार क्रेडिट	6.9	7.0 (1.9)	6.8 (-2.6)	7.0 (2.8)	6.5 (-7.5)	6.3 (-3.1)	5.7 (-8.8)	5.6 (-1.7)
5.	वाणिज्यिक उधार	223.1	219.5 (-1.6)	211.0 (-3.9)	206.8 (-2.0)	207.9 (0.5)	213.1 (2.5)	213.4 (0.2)	218.8 (2.5)
6.	एनआरआई जमा (एक वर्ष से अधिक)	133.1	130.6 (-1.9)	132.7 (1.6)	137.3 (3.4)	140.5 (2.3)	141.9 (1.0)	141.5 (-0.3)	141.6 (0.0)
7.	रुपया ऋण	1.1	1.0 (-5.2)	1.0 (-5.2)	1.0 (2.0)	1.0 (0.9)	1.0 (-2.2)	1.0 (-0.8)	1.0 (-1.6)
8.	कुल दीर्घकालिक ऋण	457.2	451.6 (-1.2)	450.2 (-0.3)	454.0 (0.8)	460.2 (1.4)	468.5 (1.8)	468.3 (-0.1)	492.5 (5.2)
9.	अल्पावधि ऋण	106.8	106.9 (0.1)	105.0 (-1.7)	102.8 (-2.1)	103.5 (0.7)	101.1 (-2.4)	102.5 (1.4)	100.6 (-1.9)
9a.	व्यापार संबंधित क्रेडिट	102.4	101.4 (-1.0)	101.2 (-0.2)	99.4 (-1.8)	99.6 (0.2)	97.3 (-2.4)	99.2 (2.0)	97.4 (-1.8)
	कुल (8+9)	**564.0**	**558.4 (-1.0)**	**555.2 (-0.6)**	**556.8 (0.3)**	**563.8 (1.3)**	**569.6 (1.0)**	**570.8 (0.2)**	**593.1 (3.9)**

स्रोत: आरबीआई, वित्त मंत्रालय, स्टाफ गणना

नोट: (i) तिमाही के अंत के लिए डेटा

(ii) कोष्ठकों में आंकड़े तिमाही-दर-तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) विकास दर हैं

(iii) अंत-दिसंबर 2019 महामारी से पहले की तिमाही है

(iv) PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

3.55 जहां तक विदेशी ऋण की मुद्रा संरचना का संबंध है, अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, जिसमें सितंबर 2021 के अंत में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, जिसके बाद भारतीय रुपया था। भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित विदेशी ऋण में अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवासी विदेशी रुपया खाते में निरंतर बड़ी वृद्धि के अलावा, भारतीय ऋण बाजार में एफपीआई निवेश के एक अंशांकित प्रोत्साहन के कारण प्रभावशाली वृद्धि देखी गई (खंड 2 में परिशिष्ट 8.4 देखें), तदनुसार, दूसरा सबसे बड़ा घटक होने के नाते, भारतीय रुपया मूल्यवर्ग का ऋण विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से महत्वपूर्ण इन्सुलेशन प्रदान करता है।

3.56 ऊपर उल्लिखित मजबूत प्रवृत्तियों का लाभ उठाते हुए, प्रमुख बाहरी क्षेत्र की भेद्यता संकेतकों के सेट में

सुधार हुआ। ऋण सेवा (अर्थात, मूलधन चुकौती और ब्याज भुगतान) सितंबर 2021 के अंत में वर्तमान प्राप्तियों के 4.7 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि मार्च 2021 के अंत में 8.2 प्रतिशत की तुलना में, कम चुकौती और उच्च वर्तमान प्राप्तियों को दर्शाती है। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में 17.7 प्रतिशत से सितंबर 2021 के अंत में मामूली रूप से गिरकर 17.0 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, भंडार में एक बड़ी वृद्धि, हालांकि, अन्य बाहरी भेद्यता में सुधार हुआ। कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण, आदि जैसे संकेतक। विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में 2010 से 11 वर्षों के बाद 100 प्रतिशत को पार कर गया, और सितंबर के अंत तक 107.1 प्रतिशत पर रहा। 2021। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात मार्च 2021 के अंत में 17.5 प्रतिशत से सितंबर 2021 के अंत में घटकर 15.8 प्रतिशत हो गया।

3.57 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पिछले संस्करण में दर्ज है, मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से, भारत का विदेशी ऋण एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के लिए इष्टतम होने के अनुमान से कम है, जबकि हाल के वर्षों में भारत के बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन की ओर इशारा करते हुए, विभिन्न बाहरी क्षेत्र की भेद्यता संकेतकों में सुधार हुआ है।

3.58 हाल के महीनों में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के बीच महामारी से संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम को कम करने से टेंपर टेंट्रम की कुछ आशंकाएं फिर से पैदा हो गई हैं। हालांकि, भारत का बाहरी क्षेत्र – मजबूत निर्यात, पूंजी प्रवाह, कम सीएडी और बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, विभिन्न बाहरी भेद्यता संकेतकों के साथ प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से समर्थन से है – इस बार उत्पन्न होने वाले किसी भी बाहरी झटके का सामना करने के लिए कहीं बेहतर तैयार है। आने वाले महीनों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति के रुख को सख्त करने का (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2: 'टेपर विदाउट टैंट्रम्स': भारत का बाहरी क्षेत्र लचीलापन

फेडरल रिजर्व ने 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के लिए व्यापक नीति प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में मात्रात्मक आसान (क्यूई) के तहत परिसंपत्ति खरीद के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने कर्षण प्राप्त किया, क्यूई को खोलने के प्रयास में, 22 मई, 2013 को, फेड ने भविष्य की तारीख में संपत्ति की खरीद को कम करना शुरू करने के इरादे की घोषणा की, जिससे बॉन्ड यील्ड में स्पाइक के रूप में एक टेंट्रम शुरू हो गया और परिणामस्वरूप भारत के लिए बाहरी मोर्चे पर भी व्यवधानों में।

महामारी की प्रतिक्रिया में, जून 2020 से, फेडरल प्रतिमाह अमेरिकी डॉलर 80 बिलियन ट्रेजरी सिक्योरिटी तथा अमेरिकी डॉलर 40 बिलियन एजेंसी मॉर्गेज-समर्थित सिक्योरिटीज (एमबीएस) खरीद रहा था। जुलाई 2021 के अंत में, फेडरल ने संकेत दिया कि वह बाद में वर्ष में अपनी बांड खरीदने की मात्रा को कम करना शुरू कर देगा। दिनांक 3 नवंबर 2021 को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने सर्वसम्मति से अपनी संपत्ति खरीद को कम करने के लिए मतदान किया। इसी के अनुरूप रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) ने भी अपना यील्ड कर्व टारगेट छोड़ दिया है। जैसे-जैसे सरकारी ऋण पर प्रतिफल बढ़ता गया, आरबीए ने अप्रैल 2024 में परिपक्व होने वाले ऋण के लिए 10 आधार अंकों के अपने लक्ष्य का बचाव करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करने का विकल्प चुना। बैंक ऑफ कनाडा ने हाल के महीनों में धीरे-धीरे अपनी संपत्ति खरीद को कम कर दिया है। इस प्रकार, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षित टेपर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भारत के साथ, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर संभावित रूप से अस्थिर करने वाले स्पिल-ओवर प्रभाव की चिंता को अकादमिक और नीति मंडल – के भीतर नवीनीकृत किया है। इस बात के प्रमाण हैं कि, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सहित ये उभरते बाजार 2013 से अपनी बाहरी आर्थिक और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सफल रहे हैं और बाहरी क्षेत्र पर टेपर के प्रभाव सीमित होंगे (बैरी ईचेनग्रीन एट अल (2021))।

भारत की बेहतर लचीलापन

वर्ष 2013 के टेंपर एपिसोड के बाद से, भारत के मुख्य बाहरी क्षेत्र स्थिरता संकेतकों में सुधार हुआ है (तालिका ख 2.1) उदाहरण के तौर पर, आयात के महीनों की संख्या के संदर्भ में आयात कवर का पारंपरिक मीट्रिक टेंपर टैंट्रम के प्रकरण के बाद से दोगुने से अधिक है।

तालिका ख 2.1: भारत के लिए बाहरी सुभेद्यता संकेतक

(प्रतिशत जब तक अन्यथा इंगित न करें)

सूचक	वैश्विक वित्तय संकट (FY 2009)	टेपर टैंट्रम (FY 2014)	H1: FY 2022
बाहरी ऋण (US$ बिलियन)	224.5	446.2	593.1
विदेशी मुद्रा भंडार (US$ बिलियन)	252	304.2	633.6*
बाहरी ऋण जीडीपी अनुपात	20.7	23.9	20.1
अल्पावधि ऋण (RM) से कुल ऋण	38.8	39.7	43.2
कुल ऋण के लिए रियायती ऋण	18.7	10.4	8.6
कुल ऋण के लिए भंडार	112.2	68.2	107.1
अल्पकालिक ऋण (आरएम) के लिए भंडार	270.2	171.9	248.2
आयात का आरक्षित कवर (महीनों में)	9.8	7.8	14.6
ऋण सेवा अनुपात	4.4	5.9	4.7
शुद्ध आईआईपी/जीडीपी अनुपात	-5.8	-18.2	-11.3

स्रोत: आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर
नोट: (i) *: 31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार (ii) RM: अवशिष्ट परिपक्वता

हाल के महीनों में बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण, भंडार से संबंधित भेद्यता संकेतक जैसे कि कुल विदेशी ऋण के लिए भंडार, अल्पकालिक ऋण के लिए भंडार (अवशिष्ट परिपक्वता), आयात का आरक्षित कवर, आदि ने वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014- टेंपर-टेंट्रम वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। एक अन्य प्रमुख भेद्यता संकेतक यानी सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में शुद्ध आईआईपी घटकर (-) 11.3 प्रतिशत हो गया है, जबकि उक्त अवधि में (-) 18.2 प्रतिशत था। उक्त प्रकरण के बाद से विदेशी ऋण और जीडीपी अनुपात में भी गिरावट आई है। इसके अलावा, भारत ने 17 साल के अंतराल के बाद वित्त वर्ष 2020-21 में इसी तरह के अधिशेष के बाद वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के 0.9 प्रतिशत का चालू खाता अधिशेष देखा। दूसरी ओर, भारत ने 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के उच्चतम चालू खाता घाटे का अनुभव किया, जो पिछले वर्ष (2011-12) के दौरान 4.3 प्रतिशत के बाद था।

जाहिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने टेपर की वर्तमान कड़ी में अब तक अधिक लचीलापन प्रदर्शित किया है। 2013 में टेंपर टैंट्रम के तत्काल बाद में, भारत ने 23 मई-अगस्त 30, 2013 के दौरान पूंजी बाजारों से ₹79,375 करोड़ के पोर्टफोलियो बहिर्वाह का अनुभव किया, जिसमें इक्विटी बाजारों से ₹19,165 करोड़ और

ऋण बाजारों से ₹60,210 करोड़ शामिल थे। 3 नवंबर, 2021 को 'फेड' द्वारा परिसंपत्ति खरीद में कमी की नवीनतम घोषणा का पोर्टफोलियो प्रवाह पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा। नवंबर-जनवरी 20, 2022 की अवधि के दौरान कुल पोर्टफोलियो बहिर्वाह की राशि ₹34,178 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी बाजारों से ₹29,168 करोड़ और ऋण बाजारों से ₹5,010 करोड़ शामिल हैं।

नाजुक पांच देशों में होने के बाद वर्तमान प्रकरण के दौरान 4 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक होने के परिवर्तन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रियाके जोर पकड़ने के साथ, अनेक प्रकार के चालों के लिए बहुत सारे नीतिगत उपायों के अतिरिक्त लाभ के साथ खड़ी है।[7]

संदर्भ

बैरी आइचेंग्रीन, पूनम गुप्ता और ऋषभ चौधरी (2021): द टेंपर दिस टाइम; एनसीएईआर वर्किंग पेपर, नवंबर।

[7]Fragile Five countries (Indonesia, South Africa, Brazil, Turkey and India) were identified to be most at risk when tapering began in 2013.

अनुलग्नक-I

तालिका 1: शीर्ष 10 कृषि निर्यात उत्पाद

(बिलियन अमेरिकी $)

क्रम	पण्य	2019-20	2020-21	2020.21 (अप्रैल-नवंबर)	2021.22 (अप्रैल-नवंबर) (P)
1	समुद्री उत्पाद	6.7	6.0	4.0	5.4
2	चावल (बासमती के अलावा)	2.0	4.8	2.7	3.9
3	मसाले	3.6	4.0	2.6	2.7
4	चीनी	2.0	2.8	1.6	2.3
5	भैंस का मांस	3.2	3.2	2.1	2.2
6	चावल-बासमती	4.4	4.0	2.7	2.1
7	अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	1.1	1.9	0.8	1.5
8	गेहूं	0.1	0.6	0.2	1.2
9	अरंडी का तेल	0.9	0.9	0.6	0.8
10	विविध संसाधित मदें	0.6	0.9	0.5	0.7
	कुल कृषि निर्यात	35.6	41.9	25.2	31.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अनुलग्नक-II

तालिका 2: भारत का सेवाओं का निर्यात

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

क्र. सं.	क्षेत्र	2019-20				2020-21				2021-22 (P)	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	दूसरों के स्वामित्व वाले भौतिक निविष्टियों पर विनिर्माण सेवाएं	33	58	76	66	77	68	49	102	83	75
2	अनुरक्षण और मरम्मत	45	44	64	41	32	35	38	54	58	74
3	परिवहन	5343	5181	5448	5016	4805	5368	5602	6080	6733	7584
4	यात्रा (ट्रेवल)	6950	7643	8545	6860	1868	2138	2170	2308	1597	2147
5	सन्निर्माण	754	677	734	931	659	589	619	752	583	716
6	बीमा और पेंशन सेवाएं	588	602	617	623	564	590	575	647	772	796
7	वित्तीय सेवाएं	1287	1239	1183	1024	1009	1003	1068	1258	1201	1303
8	बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क	319	248	184	182	399	313	359	238	191	202
9	दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23604	23947	24592	23967	23396	25515	26593	27574	28489	30823
	जिनमें से: कंप्यूटर सम्बन्धी सेवाएं	22811	23247	23760	23285	22623	24791	25782	26802	27602	29965
10	अन्य व्यापार सेवाएं	11475	10878	11889	11474	11282	11624	12930	13324	12962	13858
11	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	532	551	535	588	500	530	579	727	647	713
12	सरकारी माल और सेवाएं द.प.म.	151	169	157	182	148	144	179	159	203	217
13	अन्य द.प.म.	1114	1539	1134	2105	2212	1875	2579	2781	2698	2915
	कुल	52196	52777	55158	53060	46953	49793	53339	56004	56217	61421

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: (i) भुगतान संतुलन पर नवीनतम आईएमएफ मैनुअल (बीपीएम 6) के अनुसार, ''अन्य व्यावसायिक सेवाओं'' को तीन व्यापक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अनुसंधान और विकास सेवाएं ; पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं और तकनीकी, व्यवसाय से संबंधित और अन्य व्यापारिक सेवाएं।

(ii) P: अनंतिम

अनुलग्नक III

अनुलग्नक-III

तालिका 3: भारत में सेवाओं का आयात

(US$ मिलियन)

S. No.	क्षेत्र	2019-20				2020-21				2021-22	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	दूसरों के स्वामित्व वाले भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं	18	33	9	8	6	11	5	6	9	16
2	रखरखाव और मरम्मत सेवाएं अर्थात	413	253	207	309	128	204	291	211	127	418
3	परिवहन	6104	6009	6411	5761	4216	4759	5147	5633	6616	8181
4	यात्रा	6203	6031	5569	4208	2766	2764	2836	3141	2885	3919
5	निर्माण	754	714	570	708	625	563	705	713	892	715
6	बीमा और पेंशन सेवाएं	409	354	549	426	378	537	577	566	428	575
7	वित्तीय सेवाएं	519	594	550	1256	1062	1107	1192	1402	1118	1463
8	बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क (एनआईई)	2091	1776	2197	1641	1847	1456	2297	2107	1972	2189
9	दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं जिनमें से: कंप्यूटर सेवाएं	2207 1812	2654 2182	2712 2305	2638 2159	2269 1849	3290 2769	2810 2312	3909 3327	3017 2466	3651 3184
10	अन्य व्यावसायिक सेवाएं	11715	11211	12027	11928	11514	12354	12807	12847	11635	12457
11	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	631	923	757	819	347	817	768	878	804	1243
12	सरकारी सामान और सेवाएं अर्थात	307	298	218	284	330	190	260	241	236	198
13	अन्य	750	984	1503	1046	705	655	408	865	667	811
	कुल	32120	31836	33280	31033	26195	28707	30103	32520	30406	35836

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: (i) भुगतान संतुलन पर नवीनतम आईएमएफ मैनुअल (बीपीएम 6) के अनुसार, 'अन्य व्यावसायिक सेवाओं' को तीन व्यापक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अनुसंधान और विकास सेवाएं ; पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं और तकनीकी, व्यवसाय से संबंधित और अन्य व्यापारिक सेवाएं।

(ii) P: अनंतिम

अनुलग्नक-IV

तालिका 4: उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र

क्रम	क्षेत्र	(अमेरिकी बिलियन $)				शेयर (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	7.7	26.1	17.6	7.1	15.4	43.8	58.5	22.9
2	ऑटोमोबाइल उद्योग	2.8	1.6	0.4	4.9	5.7	2.7	1.4	15.8
3	सेवा क्षेत्र''	7.9	5.1	2.3	3.2	15.7	8.5	7.5	10.1
4	ट्रेडिंग	4.6	2.6	0.9	2.1	9.2	4.4	3.2	6.6
5	दूरसंचार	4.4	0.4	0.0	0.4	8.9	0.7	0.0	1.2
	उक्त का योग	27.4	35.8	21.2	17.6	54.8	60.1	70.6	56.6
	कुल एफडीआई	50.0	59.6	30.0	31.2	100	100	100	100

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

नोट: (i)'' सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, टेक शामिल हैं।
(ii) आंकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 5: शीर्ष निवेश करने वाले देश एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्रम	देश	(अमेरिकी बिलियन $)				शेयर (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1
1	सिंगापुर	14.7	17.4	8.3	8.1	29.4	29.2	27.7	25.9
2	अमेरीका	4.2	13.8	7.1	4.6	8.4	23.2	23.7	14.9
3	मॉरीशस	8.2	5.6	2.0	4.3	16.5	9.5	6.7	13.9
4	नीदरलैंड	6.5	2.8	1.5	2.1	13.0	4.7	5.0	6.9
5	जापान	3.2	2.0	0.7	0.8	6.5	3.3	2.2	2.6
	उक्त का योग	36.9	41.6	19.6	20.0	73.8	69.8	65.3	64.1
	सभी देश	50.0	59.6	30.0	31.2	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

नोट: (i)'' सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, टेक शामिल हैं।
(ii) आंकड़े अनंतिम हैं।

अनुलग्नक-V

तालिका 6: भारत के भुगतान संतुलन के प्रमुख घटक

(बिलियन अमेरिकी $)

वर्ष / मद (शुद्ध)	2019-20				2020-21				2021-22 (P)	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A. चालू खाता	**-15.0**	**-7.6**	**-2.6**	**0.6**	**19.1**	**15.3**	**-2.2**	**-8.2**	**6.5**	**-9.6**
A 1 व्यापारिक व्यापार संतुलन	**-46.8**	**-39.6**	**-36.0**	**-35.0**	**-11.0**	**-14.8**	**-34.6**	**-41.7**	**-30.7**	**-44.4**
A 1 a वस्तु निर्यात	82.7	80.0	81.2	76.5	52.2	75.6	77.2	91.3	97.4	104.8
A 1b वस्तु आयात	129.5	119.6	117.3	111.6	63.2	90.4	111.8	133.0	128.2	149.3
A 2. अदृश्य	**31.8**	**32.1**	**33.4**	**35.6**	**30.0**	**30.1**	**32.4**	**33.6**	**37.2**	**34.8**
A 2.a) सेवाऐं	20.1	20.9	21.9	22.0	20.8	21.1	23.2	23.5	25.8	25.6
A 2.b) स्थानांत्रण	18.0	20.0	18.9	18.4	17.0	18.4	19.3	18.8	18.9	18.9
A 2.c) आय	-6.3	-8.8	-7.4	-4.8	-7.7	-9.4	-10.1	-8.7	-7.5	-9.7
B) पूंजी खाता	**28.6**	**13.6**	**23.6**	**17.4**	**1.4**	**15.9**	**34.1**	**12.3**	**25.5**	**40.1**
B.1) विदेशी निवेश	18.8	9.8	17.6	-1.8	0.1	31.4	38.6	10.0	12.1	13.3
B.1.a) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	14.0	7.3	9.7	12.0	-0.5	24.4	17.4	2.7	11.7	9.5
B.1.b विदेशी पोर्टफोलियों निवेश	4.8	2.5	7.8	-13.7	0.6	7.0	21.2	7.3	0.4	3.9
B.2) ऋण	**9.6**	**3.1**	**3.1**	**9.9**	**2.8**	**-3.9**	**0.3**	**7.7**	**2.8**	**7.6**
B.2.a) बाहरी सहायता	1.5	0.4	1.3	0.6	4.1	1.9	1.2	4.0	0.3	1.1
B.2.b) व्यापारिक ऋण (MT & LT)	6.1	3.3	3.2	10.3	-1.2	-4.0	-1.1	6.1	0.6	4.1
B.2.c) भारत को अल्पकालिक ऋण	2.0	-0.6	-1.4	-1.0	-0.2	-1.8	0.2	-2.3	1.9	2.4
B.3) बैंकिंग पूंजी	**3.4**	**-1.8**	**-2.3**	**-4.6**	**2.2**	**-11.3**	**-7.6**	**-4.4**	**4.1**	**0.4**
B.4) रूपया ऋण सेवा	**-0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-0.1**	**0.0**
B.5) अन्य पूंजी	**-3.1**	**2.5**	**5.2**	**13.8**	**-3.7**	**-0.3**	**2.8**	**-1.0**	**6.6**	**18.8**
C) त्रुटी और चूक	**0.4**	**-0.9**	**0.6**	**0.9**	**-0.6**	**0.4**	**0.6**	**-0.7**	**-0.2**	**0.7**
D) समग्र संतुलन	**14.0**	**5.1**	**21.6**	**18.8**	**19.8**	**31.6**	**32.5**	**3.4**	**31.9**	**31.2**
E) विदेशी मुद्रा भंडार (बढ़ना - / घटना +)	**-14.0**	**-5.1**	**-21.6**	**-18.8**	**-19.8**	**-31.6**	**-32.5**	**-3.4**	**-31.9**	**-31.2**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: P: अनंतिम

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

04
अध्याय

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से मौद्रिक नीति और चलनिधि परिचालन ने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में कमर कस ली है। प्रणाली को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अन्य नियामक व्यवस्थाओं, परिसंपत्ति वर्गीकरण यथावत, अस्थायी आस्थगन और पर्याप्त तरलता/चलनिधि के प्रावधान के साथ-साथ मौद्रिक नीति को लागू किया गया था। 2021-22 में, आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) में कमी जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उपाय पूर्व-निर्धारित ,समापन की तिथियों के निकट पहुंच गए हैं, तरलता आंशिक रूप से समाप्त हो गई है किंतु इसका आधिक्य बना हुआ है, और नियामक उपायों को फिर से लागू किया गया है।

2019-20 और 2020-21 में कई बार रेट में कटौती के बाद, 2021-22 में रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा गया । हालांकि, प्रणाली में चलनिधि पूरे समय अधिशेष में रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणाली में तरलता/चलनिधि प्रदान करने के लिए सेकेंडरी मार्किट जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम, विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन, तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि सहित विभिन्न उपाय किए। इसके उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त तरलता की स्थिति का पुनः संतुलन करने के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो नीलामियों का भी उपयोग किया।

2021-22 में रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी आपूर्ति वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। रिवर्स रेपो विंडो के अंतर्गत आरबीआई के पास बैंकों द्वारा बड़ी जमा राशि को दर्शाने वाले छोटे (समायोजित) मनी मल्टीप्लायर के कारण रिजर्व मनी वृद्धि पूरी तरह से ब्रॉड मनी आपूर्ति वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई। बैंक ऋण वृद्धि 2021-22 में धीरे-धीरे तेज हुई, जो अप्रैल 2021 की शुरुआत में 5.3 प्रतिशत थी। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 31 दिसंबर 2021 को बैंक ऋण वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। क्षेत्रीय स्तर पर, कृषि क्षेत्र ऋण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और उद्योग क्षेत्र में सुधार के संकेत मिले। हालाँकि, सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि अभी भी ठीक नहीं हुई है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत में 11.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान शुद्ध गैर-निष्पादित अग्रिम अनुपात 6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया। एससीबी का पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 में 13 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.54 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संपत्ति पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न जून 2020 में सकारात्मक हो गया और मार्च 2016 से मार्च 2020 तक नकारात्मक लाभप्रदता अनुपात दर्ज करने के बाद सितंबर 2021 को समाप्त अवधि के लिए सकारात्मक बना रहा। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली ने अब तक महामारी के आर्थिक झटके को अच्छी तरह से झेला है, यद्यपि कुछ प्रभावों के आने में विलंब हो रहा है।

वर्ष 2021-22 अब तक पूंजी बाजारों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। कई नए जमाने की कंपनियों/तकनीकी स्टार्ट-अप्स/यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने में तेजी आई। अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 आईपीओ इश्यू के जरिए 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले दशक में किसी भी साल की तुलना में काफी अधिक है। इससे पता चलता है कि 2021-22 में बाजार अब तक बैंकिंग पूंजी की तुलना में अधिक जोखिम वाली पूंजी लेता रहा है।

सेंसेक्स और निफ्टी 18 अक्टूबर, 2021 को 61,766 और 18,477 पर अपने चरम को छूने के लिए बढ़े। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में साथी देशों से बेहतर निष्पादन किया। महामारी को देखते हुए निलंबित कर दी गई दिवाला प्रक्रिया मार्च 2021 के अंत में फिर से शुरू हुई। अप्रैल 2021 में शोधन-अक्षमता संहिता(आईबीसी) के अंतर्गत वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के रूप में कॉर्पोरेट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक प्री-पैकजे दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP) प्रदान की गयी।

मौद्रिक विकास

4.1 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी-मई 2020 के दौरान 115 आधार अंकों (बीपीएस) की सारवान कटौती करने के बाद, जोकि फरवरी 2019 से 250 संचयी आधार अंकों की कटौती है,अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान पालिसी रेपो दर की यथापूर्वस्थिति को बनाए रखा है (चित्र 1 और तालिका 1 देखें)। रेपो दर जो वर्तमान में 4 प्रतिशत है, पिछले दशक में सबसे कम है (चित्र 1)। मौद्रिक नीति के अकोमोडेटिव-स्टांस(स्वरूप) के साथ और इस वायदे के साथ कि भविष्य में मौद्रिक नीति के इसी स्वरूप को जारी रखा जाएगा, मई 2020 से पॉलिसी दरों को रोका हुआ है, जहां यह दरें विकास को संधारणीय आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक समझी जाती हैं और मुद्रास्फीति को लक्षित/निर्धारित सीमा (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, +/- 2 प्रतिशत के एक बैंड के भीतर 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति) में रखने को सुनिश्चित करती है।

तालिका 1: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख दरों में संशोधन

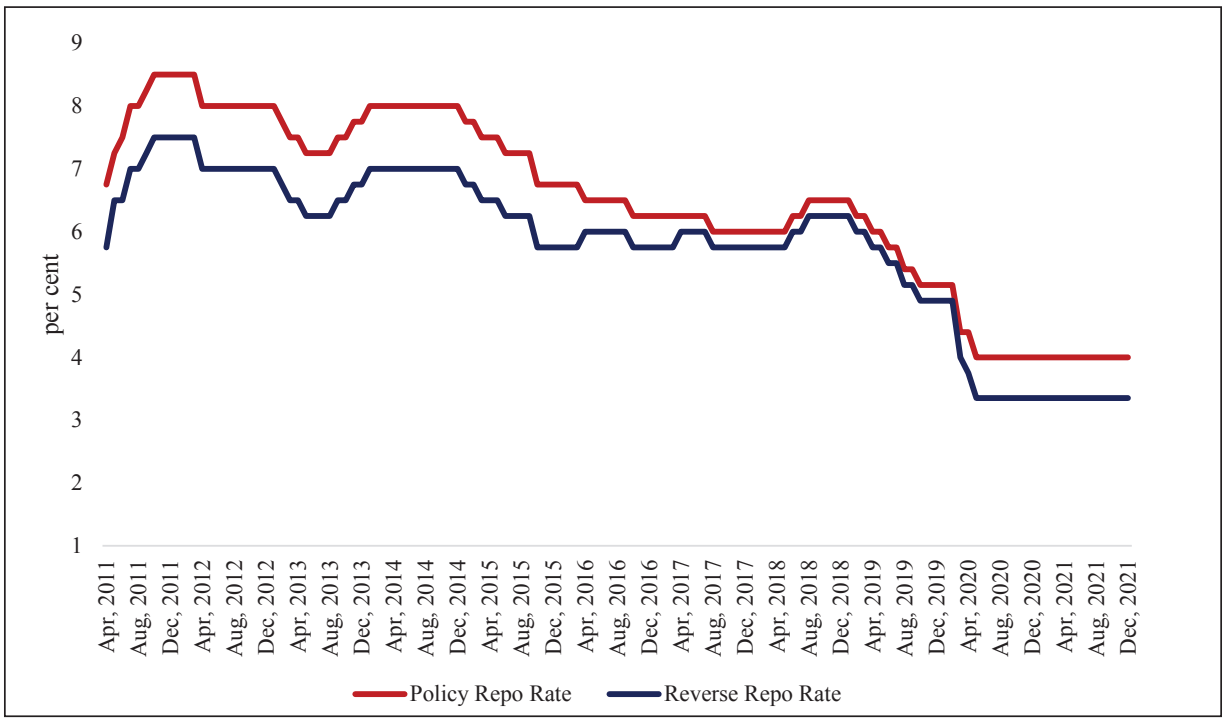

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

Table 1: Revision in Key Rates set by RBI					
प्रभावी तिथि	रेपो दर (प्रतिशत)	प्रति रेपो दर (प्रतिशत)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (निवल मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (निवल मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत)	एम एस एफ दर/बैंक दर (प्रतिशत)
06-02-2020	5.15	4.90	4.0	18.25	5.40
27-03-2020	4.40	4.00	4.0	18.25	4.65
28-03-2020	4.40	4.00	3.0	18.25	4.65
17-04-2020	4.40	3.75	3.0	18.00	4.65
22-05-2020	4.00	3.35	3.0	18.00	4.25
27-03-2021	4.00	3.35	3.5	18.00	4.25
22-05-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25
06-08-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25
08-10-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25
08-12-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: एनडीटीएल: निवल मांग और मीयादी देयताएं

4.2 2021-22 की प्रारंभिक बैठकों में, एमपीसी ने विचार किया कि मुद्रास्फीति कुछ महीनों के लिए निर्धारित बैंड(टॉलरेंस बैंड) की ऊपरी सीमा से भी ऊपर मँडरा रही थी, लेकिन यह बहुत हद तक आपूर्ति में अचानक हुई कमी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण थी, जिसका अस्थायी होना अनुमानित था। समग्र मांग की सम्भावनाओं में प्रगामी सुधार हो रहा था किंतु क्षमता-उपयोग दरें अभी भी कम थीं। संपर्क-श्रमप्रधान(कॉन्टैक्ट-इंटेंसिव) सेवाएं पिछड़ रही थीं और पुनर्लाभ असमान था और यहां नीतिगत सहायता की आवश्यकता थी। दिसंबर 2021 में हाल की एमपीसी बैठक में, समिति ने बताया कि वैश्विक स्पिलओवर प्रभाव , कोविड -19 संक्रमण के फिर से फैलने और विश्वभर में अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कारक दबाव के बढ़ने मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों और उनके स्टांस(स्वरुप) में अपसरण जैसे कारणों से समग्र मांग की संभावना में अत्यधिक अनिश्चितता थी। तदनुसार, एमपीसी ने मुद्रास्फीति कारक दबावों की निगरानी जारी रखने, नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और अकोमोडेटिव-स्टांस(स्वरूप) के साथ बने रहने का निर्णय लिया।

4.3 2021-22 में अब तक, समग्र मौद्रिक और क्रेडिट की स्थिति अनुकूल रही किंतु मौद्रिक योग(एग्रीगेट) की वृद्धि दर - रिजर्व मनी, व्यापक-मुद्रा(ब्रॉड मनी) सहित पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। 7 जनवरी 2022 को रिजर्व मुद्रा(M0) में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 13 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई, जबकि एक साल पहले यह 14.3 प्रतिशत थी। हालांकि, M0 में आरक्षित नगदी निधि अनुपात(CRR) में 'फर्स्ट राउंड इंपैक्ट' के परिवर्तनों के कारण वर्ष दर वर्ष 7.7 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई जो कि एक वर्ष पहले 18.3 प्रतिशत की तुलना में थी (चित्र-2)।

4.4 आरक्षित नकदी निधि अनुपात(CRR) की चरणबद्ध पुन: बहाली के साथ जो कि 27 मार्च 2021 तथा 22 मई 2021 से प्रभावी है, 2021-22 के दौरान रिजर्व मुद्रा(M0) में विस्तार अब तक कंपोनेंट साइड की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशि से संचालित होता था द्य मुद्रासंचलन(CIC) में 7

जनवरी 2022 को 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नकदी की ऐहतियाती मांग कम होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कम है (तालिका 2)।

तालिका 2: मौद्रिक योग(एग्रीगेट) में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (मार्च के अंत तक) (प्रतिशत में)

मद	2015-16	2016-17^	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
मुद्रासंचलन (CIC)	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	7.8#
बैंक में नकदी	6.6	4.2	-2.1	21.4	15.4	4.5	10.7
जनता के पास नकदी	15.2	-20.8	39.2	16.6	14.5	17.1	7.7
भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों का जमा	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	42.0#
मांग जमा	11.0	18.4	6.2	9.6	6.8	14.8	26.2
मीयादी जमा	9.2	10.2	5.8	9.6	8.1	10.9	8.2
रिजर्व मुद्रा (M0)	**13.1**	**-12.9**	**27.3**	**14.5**	**9.4**	**18.8**	**13.0#**
व्यापक मुद्रा (M3)	**10.1**	**6.9**	**9.2**	**10.5**	**8.9**	**12.2**	**9.9**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: ^: 31 मार्च, 2017 रिजर्व मुद्रा(M0), मुद्रासंचलन (CIC) और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकरों की जमा राशि (BD)को छोड़कर, *: 31 दिसंबर, 2021 को, #: यथास्थिति 7 जनवरी 2022।

चित्र 2: रिजर्व मुद्रा (M0), आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) समायोजित M0 और CIC वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

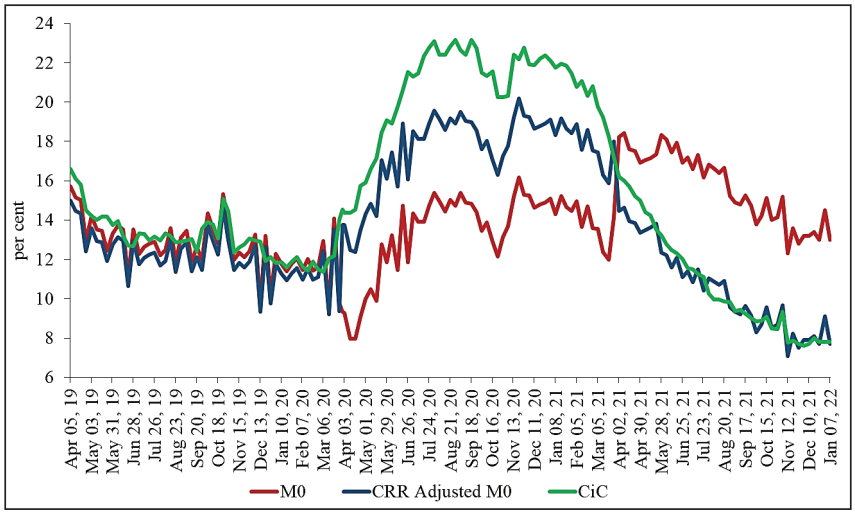

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: CIC: मुद्रासंचलन, CRR: आरक्षित नकदी निधि अनुपात

4.5 2021-22 में अब तक, व्यापक धन (M3) की सालाना वृद्धि 31 दिसंबर को 9.9 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह 12.5 प्रतिशत थी (चित्र 3)। कंपोनेंट साइड की ओर से ,एग्रीगेट जमा ने, जो कि सबसे बड़ा घटक है - वर्ष के दौरान अब तक M3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया है (चित्र 4)। स्रोतों में, व्यापक धन (M3) में वृद्धि के लिए बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट एक प्रमुख योगदानकर्ता था। तरल और जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों जैसे एसएलआर प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के उच्च निवेश के परिणामस्वरूप सरकार को उच्च शुद्ध बैंक क्रेडिट मिला। स्रोतों की ओर से वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

भी M3 विस्तार के लिए पूरक बना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि 31 दिसंबर 2021 को 9.2 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 6.6 प्रतिशत थी, जोकि क्रेडिट में तेजी को दर्शाता है । हालाँकि, समग्र क्रेडिट वृद्धि अभी भी पूर्व-महामारी स्तरों की तुलना में कम है।

चित्र 3: व्यापक धन वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

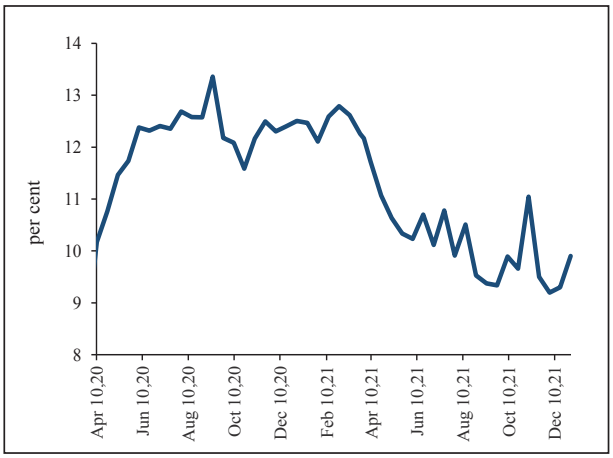

चित्र 4: सकल(एग्रीगेट)जमा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

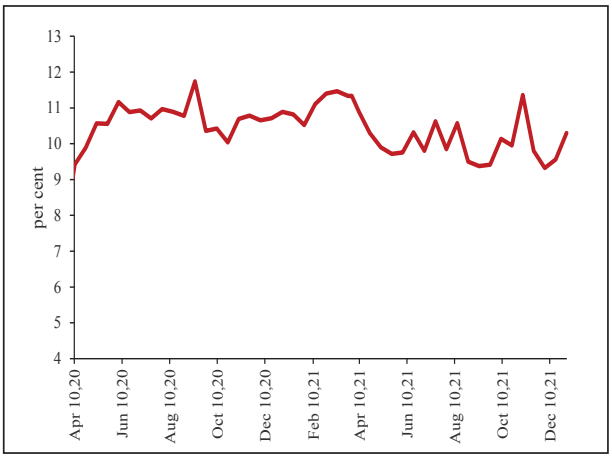

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.6 मनी मल्टीप्लायर(धन गुणक) इसको M3 और M0 के अनुपात के रूप में मापा जाता है,यह 2017-18 से गिरावट पर है (चित्र 5 (क))। 31 मार्च 2021 तक, मनी मल्टीप्लायर (MM) एक साल पहले 5.6 की तुलना में 5.2 पर रहा। हालांकि, रिवर्स रेपो के लिए समायोजित धन गुणक - विश्लेषणात्मक रूप से रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि के समान - धन गुणक मार्च 2021 की समाप्ति तक 4.6 पर बहुत कम रहा । MM और समायोजित MM के बीच का अंतर भारतीय रिजर्व बैंक की रिवर्स रेपो विंडो के अंतर्गत बैंकों द्वारा धन की पार्किंग और कुछ हद तक कमजोर क्रेडिट निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। हालांकि, 31 दिसंबर 2021 को धन गुणक(MM), 5.3 तक का थोड़ा सुधार हुआ, जबकि समायोजित धन गुणक (MM) अभी 4.4 पर है(चित्र 5 (ख))।

चित्र 5: धन गुणक(मनी मल्टीप्लायर)

5(क)

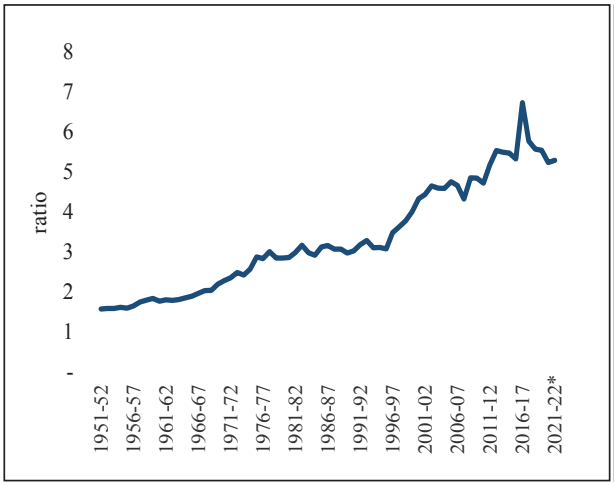

5(ख)

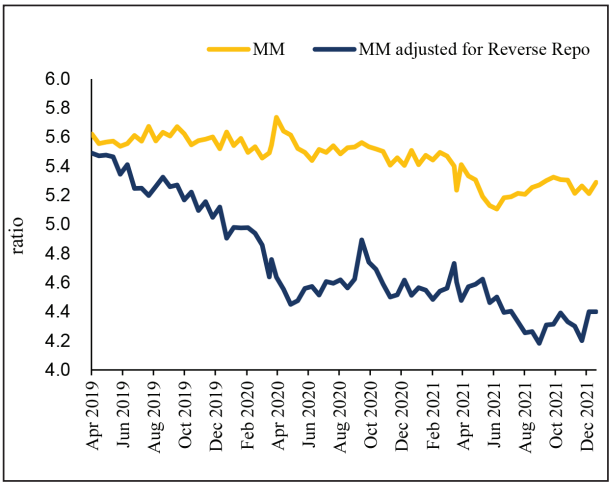

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: रिवर्स रेपो के लिए समायोजित धन गुणक आरबीआई के साथ वाणिज्यिक बैंकों के रिवर्स रेपो जमा के लिए समायोजित आरक्षित धन पर आधारित है। * 2021-22 के लिए चित्र 5(क) में संख्या 31 दिसंबर 2021 तक है।

चल निधि की स्थितियां और उसका प्रबंधन

4.7 मौद्रिक स्थितियां के समक्रमिक होने के साथ 2019 के मध्य से वित्तीय प्रणाली में चल निधि का अधिशेष बना हुआ है (चित्र 6)। कोविड महामारी के बाद 2020-21 में चलनिधि की स्थितियां में और ढील दी गई और आरबीआई ने तब से विकास का समर्थन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी है। 2021-22 में अब तक, रिजर्व बैंक, अकोमोडेटिव मौद्रिक नीति स्वरूप के सामंजस्य में वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त चल निधि सुनिश्चित करते हुए बाजार आधारित रिवर्स रेपो नीलामी (जैसे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR)) के द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत 'पैसिव अब्जॉर्प्शन' से फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो से चलनिधि/तरलता का पुन: संतुलन कर रहा है साथ ही इसने विकास को समर्थन देने के लिए एकोमोडेटिव मौद्रिक नीति स्वरुप के अनुरूप प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की है। 2021-22 में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में रही है।

चित्र 6: चलनिधि स्थितियां

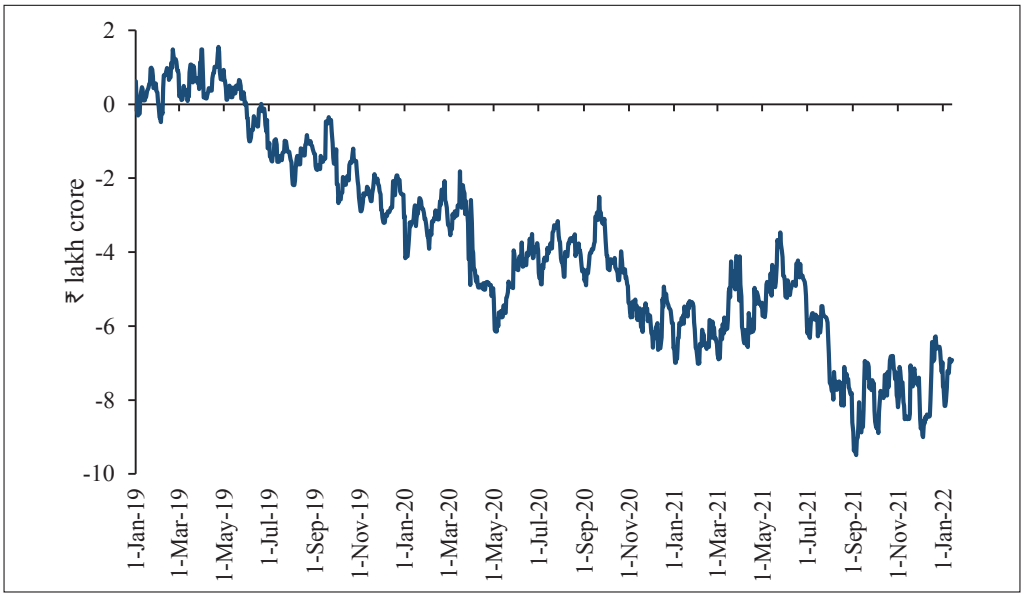

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: ऋणात्मक चिन्ह अधिशेष चलनिधि को दर्शाता है। बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि कुल शुद्ध एलएएफ अवशोषण द्वारा सूचित की जाती है। इसलिए, कुल अवशोषण में वृद्धि का तात्पर्य अधिशेष चलनिधि/तरलता में वृद्धि से है

4.8 2021-22 में प्रणाली को लक्षित चलनिधि/तरलता सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपायों को सम्मिलित किया गया है

(क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को ₹ 66,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को ₹ 25,000 करोड़ ; राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को ₹ 10,000 करोड़ ; और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ₹ 31,000 करोड़ समाविष्ट हैं।

(ख) देश में कोविड से संबंधित हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बढ़ाने के लिए ₹ 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा;

(ग) छोटे वित्त बैंकों के लिए ₹ 10,000 करोड़ की विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन(SLTRO) योजना, जिससे उन लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं की सहायता की जा सके जो महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (SLTRO) योजना को बाद में तत्काल उपयोग के लिए तैयार किया गया और इसे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया।

(घ) कोविड की दूसरी लहर में गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले संपर्क-श्रमप्रधान क्षेत्रों के लिए घ15,000 करोड़ की तत्काल उपयोग की जा सकने वाली चल निधि को उपलब्ध करवाया गया।

(ड़) तत्काल उपयोग के लिए तैयार लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (TSLTRO) का विस्तार 31 दिसंबर 2021 तक किया गया ।

4.9 इस अवधि के दौरान एक सेकंडरी मार्केट 'G-Sec एक्वीजीशन प्रोग्राम', G-SAP को, जिसकी घोषणा इस वर्ष पहले की जा चुकी थी, अधिशेष चल निधि से जोड़ दिया गया | G-SAP में सुविधाजनक चलनिधि स्थितियों के बीच ''यील्ड कर्व'' के एक स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षम करने की दृष्टि से सरकारी प्रतिभूतियों की एक विशिष्ट मात्रा को खरीदने के लिए अग्रिम प्रतिबद्धता शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जी-एसएपी 1.0 के अंतर्गत ₹ 1 लाख करोड़ और जी-एसएपी 2.0 के तहत 1.2 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों (राज्य विकास ऋणों सहित) को खरीदा।

4.10 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के साथ चलनिधि प्रबंधन कार्यों का क्रमिक सामान्यीकरण 2021-22 में चलनिधि प्रबंधन की प्रमुख विशेषता थी। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों को मुख्य संचालन के रूप में क्रियाशील किया गया था। इसके अलावा, मार्च 2020 में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर मई 2021 तक धीरे-धीरे 4 प्रतिशत के अपने पूर्व-महामारी स्तर तक बढ़ा दिया गया था। चलनिधि स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए, सितंबर 2021 से हर पखवाड़े में आयोजित मुख्य VRRR ऑपरेशन के अलावा अतिरिक्त रिवर्स रेपो नीलामियों का आयोजन किया गया था। दिसंबर 2021 के अंत तक 14 दिन के VRRR का आकार धीरे-धीरे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया। अब तक 2021-22 के दौरान, एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण 6.7 लाख करोड़ था।

4.11 अब तक 2021-22 के दौरान, मांग मुद्रा दर सामान्यतः रिवर्स रेपो दर से नीचे कारोबार कर रही थी, जो वर्ष के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर सीमा का निचला स्तर है (चित्र 7)। भारित औसत मांग दर (WACR) - जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, उसने वर्ष के दौरान अब तक औसतन कॉरिडोर सीमा के न्यूनतन स्तर से 13 बीपीएस नीचे कारोबार किया है। ऐसा नवंबर 2021 में ही हुआ कि भारित औसत मांग दर (WACR) कॉरिडोर सीमा के भीतर थोड़ी चली गयी थी ।

4.12 आरबीआई के बैंकों के लिए प्रमुख प्रतिपक्ष बनने के साथ, अंतर-बैंक व्यापार गतिविधि में कमी हुई और 'कॉल मनी मार्केट' की औसत दैनिक मात्रा दिसंबर 2021 में घटकर 9,077 करोड़ हो गयी, जो मार्च 2021 में 10,126 करोड़ रुपये थी।

चित्र 7: पॉलिसी कॉरिडोर सीमा और भारित औसत मांग दर(WACR)

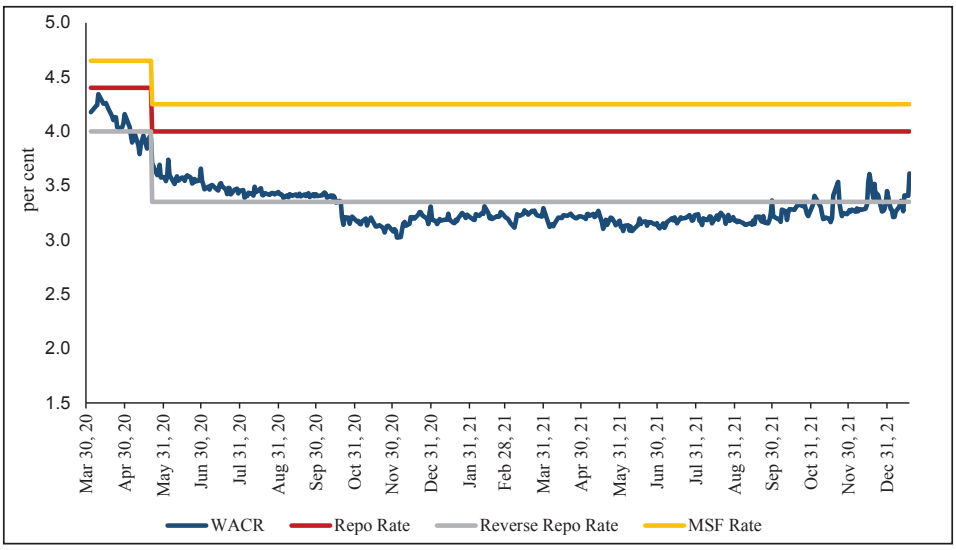

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड

सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास

4.13 10-वर्षीय जी-सेक पर प्रतिफल(यील्ड) जो 26 सितंबर 2018 को 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जून 2020 में 5.75 प्रतिशत पर पहुँच कर पर्याप्त रूप से कम हो चुका था। तब से यह 31 दिसंबर 2021 तक बढ़कर 6.45 प्रतिशत हो गया है।

चित्र 8: भारत 10-वर्षीय जैनरीक सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) प्रतिफल (यील्ड)

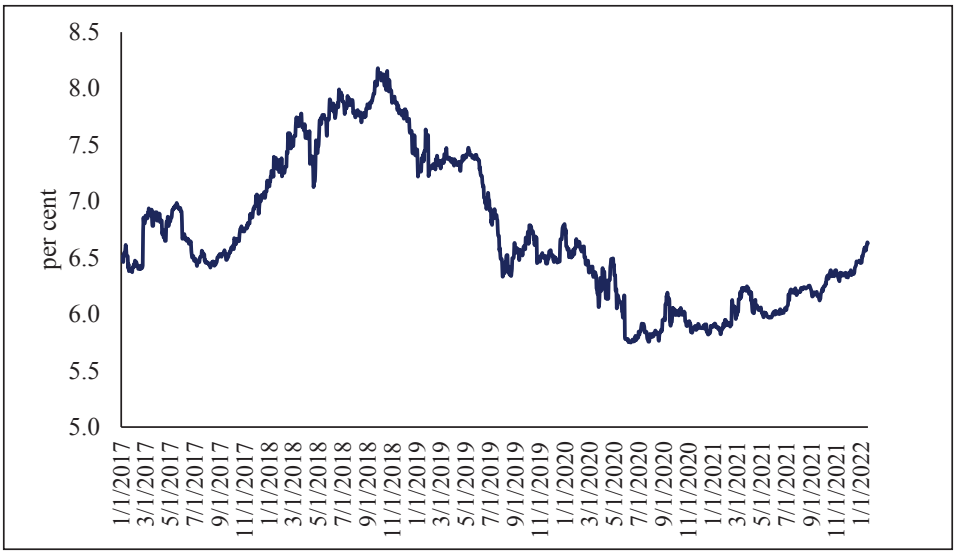

स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.14 वित्त वर्ष 2021-22 (चित्र 8) में रिजर्व बैंक के G-SAP द्वारा समर्थित 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति में ट्रेडिंग सकारात्मक नोट पर शुरू हुई, घरेलू स्तर पर अकोमोडेटिव-स्टांस(स्वरूप) जारी रहा और डोविश मौद्रिक नीति का स्वरुप दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया गया। 2021-22 की पहली तिमाही (Q1) की शुरुआत में, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ(यील्ड) 6.26 प्रतिशत था। मई 2021 में 10 वर्ष

का प्रतिलाभ(यील्ड) 5.96 प्रतिशत (इंट्रा डे) के निचले स्तर पर पहुंच गया । 4 जून 2021 को G-SAP 2.0 की ₹ 1.2 लाख करोड़ राशि की घोषणा और 15 जून 2021 को यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के निर्णय ने सुलभ-मौद्रिक(इजी मनी) नीति स्वरुप को जारी रखा जिससे प्रतिफल(यील्ड) 6 प्रतिशत के निकट रहा।

4.15 2021-22 की दूसरी तिमाही (Q2) की शुरुआत में प्रतिफल(यील्ड) बढ़ने लगा।6 अगस्त 2021 को VRRR ऑपरेशन की मात्रा में चरणबद्ध वृद्धि की घोषणा और कुछ समय पहले ब्याज दर चक्र में बदलाव की संभावना से बाजार का रुझान(मार्किट सेंटीमेंट),"कीमत" की ओर अंतरित होगया, जिससे प्रतिफल(यील्ड) में कुछ बढ़ोत्तरी हुई और यह 6.26 प्रतिशत तक पहुँच गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगातार निचले स्तर पर रहने , सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम(G-SAP) नीलामियों में 10 वर्षीय बेंचमार्क पेपर के सम्मिलित किए जाने और 2021-22 की दूसरी छमाही के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त उधार नहीं लेने से प्रतिफल(यील्ड) को नियंत्रित रखने में सहायता प्राप्त हुई। दूसरी तिमाही के अंत में बेंचमार्क प्रतिभूति पर प्रतिफल(यील्ड) 6.22 प्रतिशत रहा। 2021-22 की तीसरी तिमाही(Q3) में, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण दिसंबर 2021 के अंत में प्रतिफल(यील्ड) बढ़कर 6.45 प्रतिशत हो गया।

4.16. यील्ड स्प्रेड (जिसे 10 साल और 1 साल के G-Sec यील्ड के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है) 2020 में तेजी से बढ़ा था, लेकिन 2021-22 में थोड़ा कम हो गया (चित्र 9)। हालाँकि, यह पूर्व-महामारी के वर्षों की तुलना में अभी भी बड़ा है।

चित्र 9: 1-वर्षीय और 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल यील्ड (प्रतिशत में)

स्रोत: ब्लूमबर्ग

बैंकिंग क्षेत्र

4.17 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCB) के सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात (अर्थात सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित (एनएनपीए) अनुपात में 2018-19

से गिरावट जारी है। एससीबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का एनएनपीए अनुपात सितंबर 2021 के अंत में 2.2 प्रतिशत था (चित्र 10)।

चित्र 10: जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात

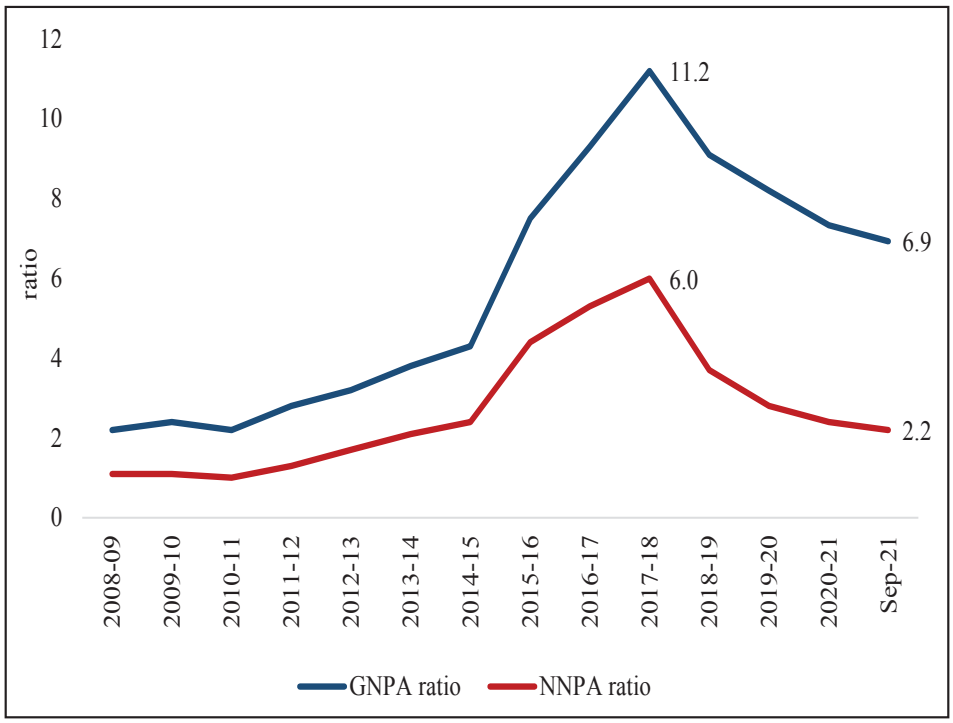

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: सितंबर 2021 की संख्या ऑफसाइट रिटर्न डेटा पर आधारित है

4.18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्रचित मानक अग्रिम (RSA) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 8.5 प्रतिशत हो गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता के संबंध में प्रदान किए गए विभिन्न कोविड -19 संबंधित दंड से छूट / अधिस्थगन ने पुनर्निर्माण परिसंपत्तियों की वृद्धि में योगदान दिया और परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली के लिए दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में बढ़ गया। कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकिंग प्रणाली ने महामारी के झटके को अच्छी तरह से झेल लिया है, यद्यपि कुछ प्रभावों के आने में विलंब हो रहा है।

4.19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.4 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 8.6 प्रतिशत हो गया। पुनर्रचित अग्रिमों में वृद्धि के कारण इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात मामूली रूप से 10.0 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गया।

4.20 2015-16 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात(CAR) में सुधार जारी है।सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों (तालिका 3) के सुधार के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCBs) का जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात(CRAR) सितंबर-2020 के अंत में 15.84 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत तक 16.54 प्रतिशत हो गया। 2021-22 में जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात(CRAR)

के स्तर में सुधार सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के साथ-साथ बाजारों से धन जुटाने के कारण हुआ, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक 'बाजार के स्रोतों' तैयार पूंजी का निरंतर उपयोग करते हैं (चित्र 11) । 30 सितंबर, 2021 को पूंजी की स्थिति के आधार पर, सभी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों ने पूंजी संरक्षण बफर(CCB) को 2.5 प्रतिशत से अधिक बनाए रखा।

चित्र 11: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)

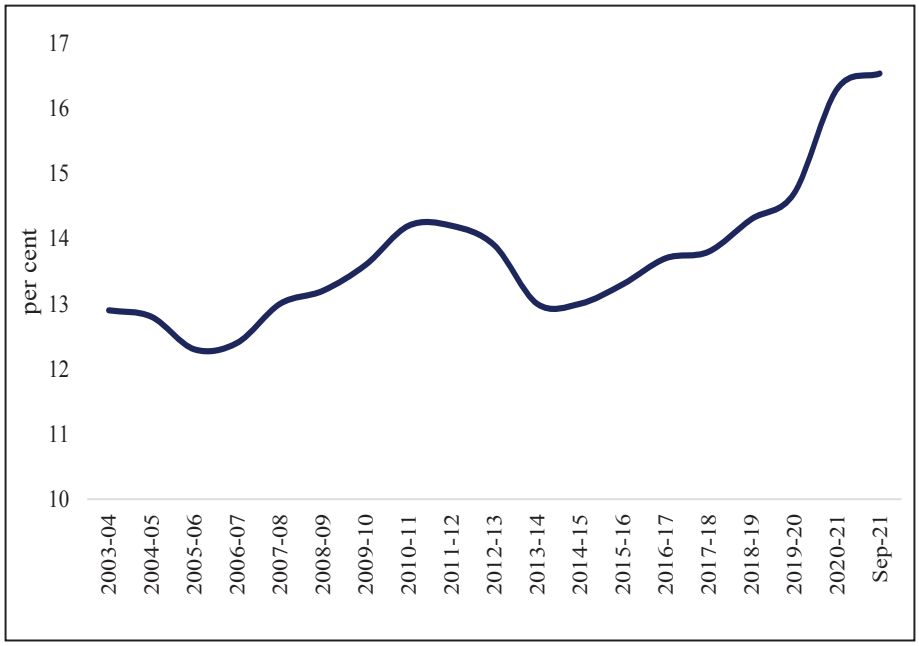

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: सितंबर 2021 के लिए संख्या ऑफसाइट रिटर्न पर आधारित है

4.21 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCBs) का आस्तियों/परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (ROA) सितंबर 2020 के अंत में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत तक 0.8 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान इक्विटी पर वार्षिक रिटर्न(ROE) 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए आस्तियों/परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (ROA) और इक्विटी पर वार्षिक रिटर्न(ROE) जून 2020 में सकारात्मक हो गए और मार्च 2016 से मार्च 2020 के दौरान नकारात्मक 'लाभप्रदता अनुपात' दर्ज करने के बाद सितंबर 2021 को समाप्त अवधि के लिए सकारात्मक बने रहे।

तालिका 3: NPA, CRAR, ROE और ROA - एससीबी, पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंक (प्रतिशत)

अवधि	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक				सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				निजी क्षेत्र के बैंक			
	GNPA अनुपात	CRAR	RoE	RoA	GNPA अनुपात	CRAR	RoE	RoA	GNPA अनुपात	CRAR	RoE	RoA
Mar-19	9.07	14.32	-1.82	-0.15	11.59	12.2	-10.97	-0.66	5.25	16.07	5.49	0.60
Mar-20	8.21	14.78	0.78	0.07	10.25	12.85	-3.92	-0.25	5.45	16.55	3.20	0.35
Sep-20	7.49	15.84	7.68	0.64	9.39	13.51	4.33	0.26	4.93	18.21	10.04	1.10
Mar-21	7.33	16.30	7.64	0.65	9.11	14.04	4.63	0.28	4.94	18.42	10.01	1.14
Sep-21	6.93	16.50	9.04	0.79	8.57	14.4	8.47	0.52	4.73	18.65	10.01	1.17

स्रोत: ऑफसाइट रिटर्न, ग्लोबल ऑपरेशंस, भारतीय रिजर्व बैंक

4.22 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ) 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 14,688 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 की पहली छमाही के दौरान 31,144 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ ₹ 32,762 करोड़ से बढ़कर ₹ 38,234 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCBs) का शुद्ध लाभ सितंबर 2020 के अंत में ₹ 59,426 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में ₹ 79,123 करोड़ हो गया।

बॉक्स 1: राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड

दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी), सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि सहित विभिन्न उपलब्ध समाधान तंत्र कुछ हद तक उपयोगी साबित हुए हैं, फिर भी पुरानी अनर्जक परिसंपत्तियों(NPA) का एक बड़ा भंडार है जिसको अभी तक हल नहीं किया गया है।इसके अलावा, जबकि भारत में 28 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां(ARC) मौजूद हैं, सीमित पूंजीकरण और वर्तमान निवेश-सूची(पोर्टफोलियो) से कम वसूली के कारण, वे केवल छोटे मूल्य के ऋण प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। पुरानी अनर्जक परिसंपत्तियों(NPA) का समाधान करने और बैंकिंग प्रणाली का शोधन(CLEAN-UP)करने के लिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की गयी कि, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के उच्च स्तर के प्रावधानीकरण के लिए बैंक बही-खातों का शोधन करने के उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा दबावग्रस्त ऋण को समेकित करने और उसे नियंत्रित करने के लिए एक 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' और 'एसेट मैनेजमेंट कंपनी' की स्थापना की जाएगी और इसके बाद अंतिम कीमतों की वसूली के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों(AIF) और अन्य संभावित निवेशकों को परिसंपत्ति का प्रबंधन और निपटान किया जाएगा।", इस दृष्टि के अनुरूप दो संस्थाओं अर्थात नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) का गठन किया गया है।

एनएआरसीएल(NARCL) को 7 जुलाई 2021 को निगमित किया गया था और 4 अक्टूबर 2021 को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एनएआरसीएल(NARCL) के प्रमुख रूप से स्वामी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों रहेंगे। केनरा बैंक 12 प्रतिशत तक की शेयरधारिता के साथ प्रायोजक है। एनएआरसीएल को विभिन्न बैंकों से इक्विटी और ऋण के संयोजन के माध्यम से पूंजीकृत किया जाएगा और इसकी अवधि 5 वर्ष होगी। यह 15:85 अनुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान विनियमों अंतर्गत विभिन्न चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की तनावग्रस्त संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अधिग्रहण के लिए नकद में 15 प्रतिशत और प्रतिभूति प्राप्तियों में 85 प्रतिशत होगा। IDRCL को 3 सितंबर 2021 को शामिल किया गया था और इसमें 1 निजी क्षेत्र के बैंकों का न्यूनतम 51% स्वामित्व होगा और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगा।

NARCL और IDRCL के संबंधों को एक ऋण प्रबंधन समझौते के माध्यम से परिभाषित किया जाएगा, जहां NARCL तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को एकत्र करेगा और उनका अधिग्रहण करेगा और IDRCL, बदले में, NARCL को विशेष आधार पर तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन और समाधान सेवाएं प्रदान करेगा। IDRCL का कार्यकाल NARCL के साथ समाप्त होगा। एनएआरसीएल लीड बैंक को एक प्रस्ताव देकर परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा और अग्रणी बैंक (एनएआरसीएल के) प्रस्ताव के साथ एक 'स्विस चौलेंज' प्रक्रिया चलाएगा जिसमें अन्य इच्छुक एआरसी / बोलीदाताओं को एनएआरसीएल द्वारा किए गए एंकर ऑफर को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक बार एनएआरसीएल को पसंदीदा बोलीदाता के रूप में घोषित करने के बाद, एनएआरसीएल परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करेगा और अंतर्निहित ट्रस्टों में संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। परिसंपत्ति प्राप्त करने के बाद, आईडीआरसीएल प्रत्येक अंतर्निहित ट्रस्ट परिसंपत्तियों के लिए प्रस्तावित पुनर्गठन / समाधान योजना, रणनीति आदि तैयार करेगा और सुझाव देगा। एनएआरसीएल से संकल्प के अनुमोदन के बाद, आईडीआरसीएल संकल्प के कार्यान्वयन में भी सहायता करेगा। एआरसी के लिए आरबीआई के ढांचे के भीतर मौजूदा समाधान साधन(टूल) का उपयोग करके प्राप्त की गई परिसंपत्ति का समाधान किया जाएगा।

इस प्रकृति के समाधान तंत्र को आम तौर पर सरकार से बैकस्टॉप की आवश्यकता होती है क्योंकि यह विश्वसनीयता प्रदान करता है और आकस्मिक बफर प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर, अन्य नियामक व्यवस्थाओं के साथ इक्विटी

के रूप में सरकारी भागीदारी के साथ बैड बैंक स्थापित किए गए हैं, उदाहरण के लिए, मलेशिया में दानहर्ता नैशनल बरहाद (दानहर्ता) या यूके में एसेट रेजोल्यूशन लिमिटेड (यूकेएआर)। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से नजीर लेते हुए ,भारत में, सरकार ने 30,600 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान की है जो एनएआरसीएल(NARCL) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों(SR) को समर्थन देगी। सरकारी गारंटी 5 साल के लिए वैध होगी। इन प्रतिभूति रसीदों(SR) के लिए उपलब्ध गारंटी को वास्तविक वसूली और परिसंपत्ति के अंकित मूल्य के बीच की कमी को पूरा करने के लिए समाधान या परिसमापन पूरा होने पर लागू किया जा सकता है। गारंटी राशि एनएआरसीएल द्वारा अर्जित वास्तविक परिसंपत्ति के आधार पर जारी की जाएगी। यह व्यवस्था न केवल प्रतिभूतिर सीदों के अंकित मूल्य की रक्षा करेगी बल्कि यह एनएआरसीएल के 100 प्रतिशत अपफ्रंट पूंजीकरण की आवश्यकता को भी दूर करेगी। सरकार उस राशि पर गारंटी शुल्क लगाएगी जिसकी वह गारंटी देती है, जो कि शीघ्र और समय पर समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना बढ़ेगी।

मौद्रिक संचरण - बैंक ऋण और जमा दरें

4.23 भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 (वर्तमान सहजता चक्र) से रेपो दर में 250 बीपीएस की कमी की है। फरवरी 2019 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान रुपये के नए ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 197 आधार अंक और बकाया ऋणों पर 133 बीपीएस की गिरावट आई (चित्र 12) । बड़ी अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि, अकोमोडेटिव-स्टांस(स्वरूप) के वायदे, चुनिंदा क्षेत्रों में ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बाहरी बेंचमार्क प्रणाली ने मौद्रिक संचरण को सहायता प्रदान की।

चित्र 12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दरें

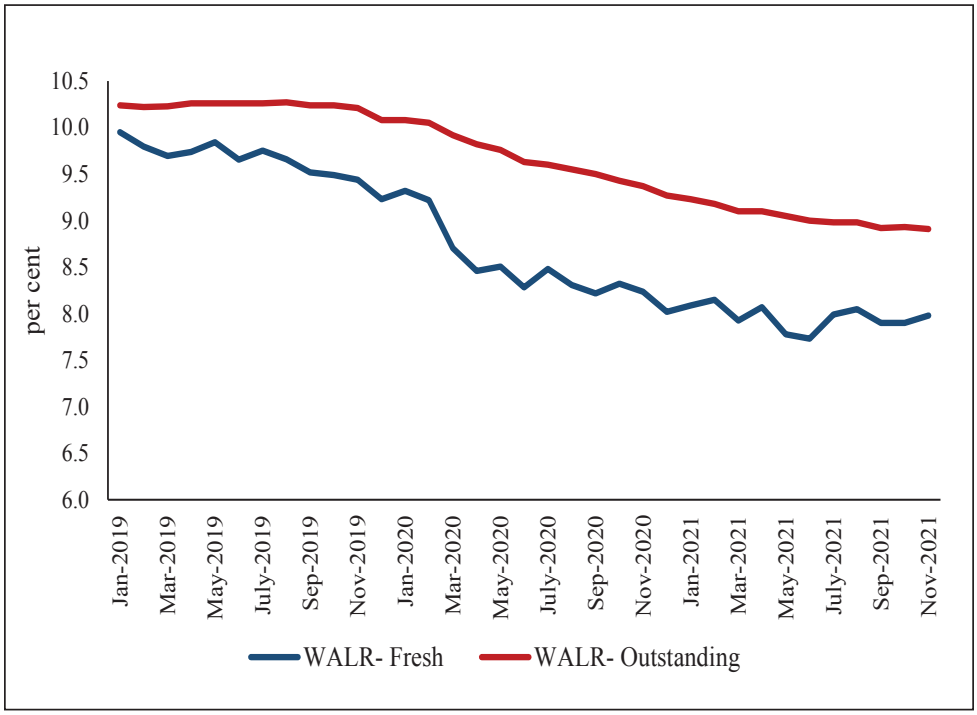

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.24 अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में 10 बीपीएस की गिरावट आई; बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 19 बीपीएस की कमी हुई, हालांकि नए ऋणों पर इसमें 6 बीपीएस की वृद्धि हुई। बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 24 बीपीएस की कमी हुई (तालिका4)।

तालिका 4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की रेपो दर से जमा और उधार दरों में अंतरण(आधार अंक में बदलाव)

अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें		
		मेडियन टीडीआर - ताजा जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	1-वर्षीय औसत एमसीएलआर	डब्ल्यूएएलआर -बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - ताजा रुपया ऋण
अप्रैल 2021- 2 नवंबर 2021	0	-1	-24	-10	-19	6
फरवरी 2019 - नवंबर 2021	-250	-213	-187	-155	-133	-197

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर। डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर; एमसीएलआर: फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर। टीडीआर: सावधि जमा दर।

4.25 समग्र मौजूदा मौद्रिक सहजता चक्र में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संचरण थोड़ा अधिक रहा है, हालांकि यह अप्रैल-नवंबर 2021 में निजी बैंकों में अधिक था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बकाया रुपये के ऋण पर WALR 135 बीपीएस और निजी बैंकों के लिए 123 बीपीएस तक गिर गया, जबकि फरवरी 2019- नवंबर 2021 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ताजा रुपये के ऋण पर डब्लूएएलआर 210 बीपीएस और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 177 बीपीएस तक गिर गया(तालिका 5) । अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बकाया रुपया ऋण पर डब्लूएएलआर 12 बीपीएस और निजी बैंकों के लिए 31 बीपीएस कम हो गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डब्लूएएलआर 8 बीपीएस बढ़ गया।

तालिका 5: बैंक समूहों में संचरण (आधार बिंदुओं में भिन्नता)

	फरवरी 2019 - नवम्बर 2021			अप्रैल 2021- नवम्बर 2021		
	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - ताजा रुपया ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - ताजा रुपया ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-135	-210	-168	-12	8	-21
निजी बैंक	-123	-177	-203	-31	-15	-32
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों	-133	-197	-187	-19	6	-24

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

रुएससीबी में सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक शामिल हैं

बॉक्स 2: भारत में जमा बीमा

2021 में संसद द्वारा पारित जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम ने भारत में जमा बीमा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के कार्य DICGC अधि नियम, 1961 और DICGC सामान्य विनियम, 1961 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत, बीमाकृत बैंक के जमाकर्ताओं को बीमाकृत जमा राशि का भुगतान करने के लिए निगम उत्तरदायी है द्य ऐसी देयता तब उत्पन्न होती है जब एक बीमाकृत बैंक निम्नलिखित से परिस्थितियों का सामना करता है: (i)परिसमापन (बैंक बंद होने पर सभी संपत्तियों की बिक्री),(ii) किसी योजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण या कोई अन्य व्यवस्था,(iii) किसी अन्य बैंक द्वारा विलय या अधिग्रहण। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किया गया जमा बीमा सभी वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षा देता है, जिसमें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल हैं। डीआईसीजीसी किसी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी होने पर तुरंत और स्वचालित रूप से बीमाकृत के रूप में पंजीकृत करता है। जमा बीमा प्रीमियम सभी बीमाकृत बैंकों के लिए अनिवार्य है और बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को भुगतान किया जाता है और जमाकर्ताओं से वसूल नहीं किया जाता है।

1961 में 1500 रुपये से शुरू हुआ जमा बीमा कवरेज(सुरक्षा) 1993 में धीरे-धीरे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2020 तक स्थिर रहा। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषणा के बाद, जमा बीमा कवर को प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। प्रति बैंक 5 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता के जमा बीमा कवरेज के साथ, 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में,मार्च 2021 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या(247.8 करोड़) कुल खातों की संख्या (252.6 करोड़) का 98.1 प्रतिशत थी। राशि के संदर्भ में, मार्च 2021 के अंत तक कुल बीमाकृत जमा (₹76.2 लाख करोड़) कुल निर्धारणीय जमा (₹149.7 लाख करोड़) का 50.9 प्रतिशत (घ1 लाख कवर के तहत लगभग 30 प्रतिशत से ऊपर) था, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 20-30 प्रतिशत है द्य बैंक-समूह के अनुसार, कुल जमा की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत आरआरबी के लिए 84 प्रतिशत, सहकारी बैंकों के लिए 70 प्रतिशत, एसबीआई के लिए 59 प्रतिशत, पीएसबी के लिए 55 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 40 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 9 प्रतिशत है। 31 मार्च 2021 तक, जमा बीमा की स्थापना के बाद से दावों के लिए घ5,763 करोड़ की संचयी राशि का भुगतान किया गया है (27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में ₹296 करोड़ और 365 सहकारी बैंकों के संबंध में ₹5,467 करोड़)।

हालांकि, केंद्रीय बजट 2020-21 में फरवरी 2020 में घोषित बीमा राशि में वृद्धि के बाद भी एक सरोकार यह था कि जब आरबीआई द्वारा बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध, जैसे स्थगन, आदि लगाए जाते हैं, तो वास्तविक जमाकर्ताओं को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जमा बीमा होने के बावजूद, बीमाकृत मूल्य की सीमा तक भी अपने स्वयं के धन का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया था। संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पे प्रकार हैं:

- पेश किया गया अंतरिम भुगतान : डीआईसीजीसी द्वारा उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान किया जाएगा जिनके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई प्रतिबंध / अधिस्थगन लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं पर अपनी बचत तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- अंतरिम भुगतान की समय-सीमा: जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान प्रदान करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है। पहले 45 दिनों के भीतर, बीमाकृत बैंक को सभी बकाया जमाओं का विवरण निगम को प्रस्तुत करना होगा। विवरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, निगम दावों की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा और सत्यापन के 15 दिनों के भीतर, निगम को ऐसे जमाकर्ताओं को भुगतान करना होगा।

- बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान
  - ➢ चुकौती का आस्थगन: डीआईसीजीसी के बोर्ड द्वारा तय की गई शर्तों पर, डीआईसीजीसी बीमा भुगतान के बाद एक बीमाकृत बैंक से इसके कारण पुनर्भुगतान को आस्थगित कर सकता है।
  - ➢ बैंक द्वारा डीआईसीजीसी को समय पर पुनर्भुगतान: डीआईसीजीसी (ब्याज और मूल राशि दोनों) को पुनर्भुगतान की प्राथमिकता स्थापित करने के लिए, अधिनियम में देरी के मामले में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है।
  - ➢ प्रीमियम की अधिकतम सीमा: पहले के अधिनियम में पहले प्रीमियम पर 15 पैसे की सीमा थी, जिसे हटा दिया गया है। अब, प्रीमियम की उच्चतम सीमा को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से डीआईसीजीसी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

अधिनियम के लागू होने के बाद से, जनवरी 2022 की शुरुआत तक, 1.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनके दावों के खिलाफ 1500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

बैंक ऋण वृद्धि

4.26 2019 के बाद से ऋण वृद्धि में गिरावट आ रही है । अप्रैल 2021 की शुरुआत में ऋण वृद्धि 5.3 प्रतिशत थी और तब से बढ़ना शुरू हो गई थी, हालांकि यह अभी भी साधारण थी और 17 दिसंबर 2021 को 7.3 प्रतिशत थी। हालांकि, ऋण वृद्धि दिसंबर में तेजी से बढ़कर 31 दिसंबर को 9.2 प्रतिशत हो गई। 2021-22 में, जोखिम पूंजी (यानी पूंजी बाजार से जुटाई गई धनराशि) अब तक बैंकों की तुलना में पुनरुद्धार के लिए वित्त प्रदान करने में अधिक महत्वपूर्ण रही है (चित्र 13)।

चित्र 13: बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.27 गैर-खाद्य बैंक ऋण[1] वृद्धि जो कि महामारी की अवधि के दौरान मौन रही और 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान 6 प्रतिशत से नीचे रही, इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ है और 31 दिसंबर 2021 को यह 9.3

[1] गैर-खाद्य ऋण वृद्धि की गणना धारा - 42 रिटर्न डेटा के आधार पर की जाती है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल होते हैं, जबकि क्षेत्रीय ऋण वृद्धि क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होती है, जिसमें चुनिंदा बैंकों का लेखा-जोखा शामिल होता है,जो सभी अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत है।

प्रतिशत हो गई ,पिछले वर्ष यह 6.6 प्रतिशत थी । यह वृद्धि व्यक्तिगत ऋण और कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित थी। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि में गिरावट जारी रही, हालांकि उद्योग को ऋण में सुधार के संकेत मिले।

4.28 कृषि के लिए ऋण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, और नवंबर 2021 में 10.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी, जबकि नवंबर 2020 में 7 प्रतिशत थी। अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक अनुबंधित उद्योग के लिए ऋण वृद्धि जनवरी 2021 में सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जुलाई 2021 से इसमें लगातार सुधार हो रहा है और नवंबर 2021 में यह बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। मध्यम उद्योगों, विशेष रूप से, एक वर्ष से अधिक के लिए उच्च दो अंकों की वृद्धि देखी गई है और नवंबर 2021 में इस खंड में ऋण वृद्धि 48.7 प्रतिशत थी, जबकि नवंबर 2020 में यह 25.7 प्रतिशत थी। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि नवंबर 2021 में एक साल पहले के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र को ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।बड़े उद्योगों को ऋण स्थूल रूप से पिछले वर्ष के समान स्तर पर ही रहा।

चित्र 14: क्षेत्रीय ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

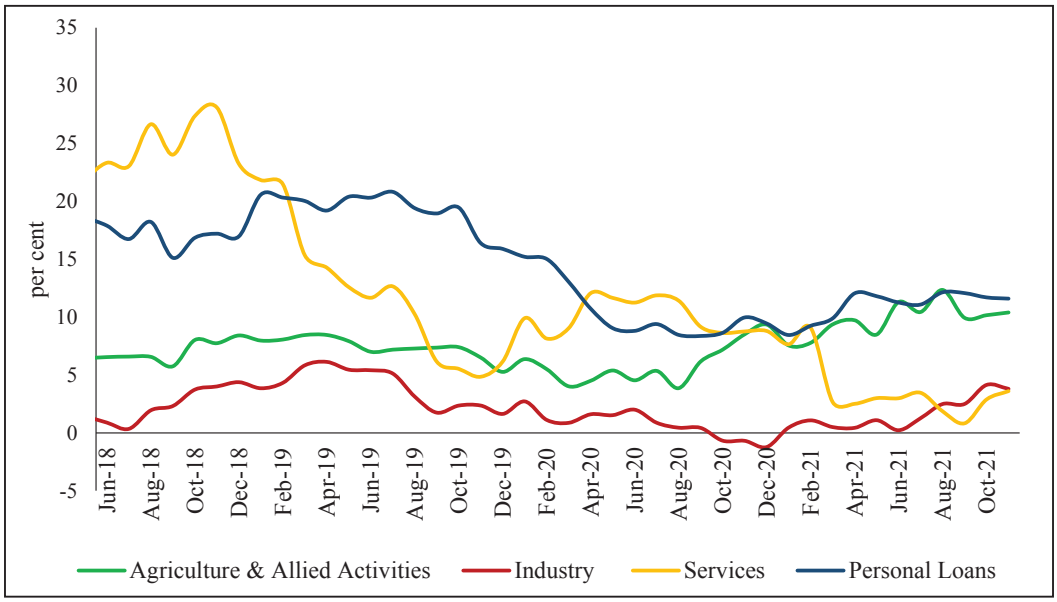

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.29 हालांकि, सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि में अभी सुधार होना बाकी है। इस क्षेत्र में मंद ऋण वृद्धि लगभग सभी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के कारण थी। एनबीएफसी को बैंक ऋण में वृद्धि नवंबर 2021 में 5.2 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में, एनबीएफसी ने आसान वित्तीय स्थितियों को देखते हुए सीधे धन और ऋण बाजारों से वित्त जुटाया। नवंबर 2021 में वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि 0.4 प्रतिशत थी।

4.30 व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि पिछले वर्ष के 9.2 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2021 में बढ़कर द्वि-अंक में 11.6 प्रतिशत हो गई। आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण का सबसे बड़ा घटक, नवंबर 2021 में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन ऋण की वृद्धि, व्यक्तिगत ऋण का दूसरा सबसे बड़ा घटक, नवंबर 2021 में 7.7 प्रतिशत हो गया, जो नवंबर 2020 में 6.9 प्रतिशत था (तालिका) 6)।

तालिका 6: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	नवंबर-20	नवंबर-21
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	3.8	8.5	4.0	9.4	7.0	10.4
उद्योग	0.7	5.8	0.9	0.5	0.7	3.8
सूक्ष्म और लघु	0.9	0.7	-0.6	2.8	0.6	12.7
मध्यम	-1.1	-2.0	-0.2	34.1	25.7	48.7
बड़े	0.8	7.1	1.1	-1.3	-0.4	0
सेवाएं	13.8	15.3	9.0	2.7	8.2	3.6
व्यापार	9.1	6.6	5.3	12.7	15.2	8.7
व्यावसायिक स्थावर संपदा	0.1	22.4	14.7	1.3	3.5	0.4
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	26.9	48.2	27.3	0.2	4.7	5.2
व्यक्तिगत ऋण	17.8	20.0	13.0	9.9	9.2	11.6
आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	13.3	21.1	13.3	9.1	8.4	8.0
वाहन ऋण	11.3	23.7	7.2	6.2	6.9	7.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: डेटा अनंतिम है और उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।

बॉक्स 3: डिजिटल भुगतान

पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय लेनदेन में उच्च वृद्धि देखी गई है, जिसमें डिजिटल भुगतान करने के कई रास्ते हैं जो समय के साथ बढ़ रहे हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) वर्तमान में लेन-देन की मात्रा के मामले में देश में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है, जो इसकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है (चित्र 3क और 3ख)। दिसंबर 2021 में, UPI (यूपीआई) द्वारा ₹ 8.26 लाख करोड़ के 4.6 बिलियन लेनदेन किए गए। UPI के शुरुआती उद्देश्यों में से एक कम मूल्य के लेनदेन के लिए नकदी की जगह लेना था। एनपीसीआई के विस्तृत लेनदेन डेटा के अनुसार, यूपीआई के माध्यम से 50 प्रतिशत लेनदेन ₹ 200 से कम के थे। 1 नवंबर 2018 को, सेबी द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए 'आईपीओ में भुगतान विकल्प के रूप में यूपीआई' को एक नए भुगतान चौनल के रूप में पेश किया गया था। अप्रैल-नवंबर 2021 में, UPI ने ₹ 44,381 करोड़ मूल्य के 24.26 मिलियन से अधिक वन टाइम मैंडेट क्रिएट ट्रांजैक्शन को संसाधित किया है।ऐसे लेनदेन के लिए लेन-देन की सीमा जिसे आरबीआई ने मार्च 2020 में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया था, दिसंबर 2021 में इसे और बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने UPI और Pay Now को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की, जिसे जुलाई 2022 तक परिचालन के लिए लक्षित किया गया है।भूटान हाल ही में अपने क्यूआर(QR) कोड के लिए यूपीआई (UPI) मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। सिंगापुर के बाद मर्चेंट लोकेशन पर भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) को स्वीकार करने वाला यह दूसरा देश है।

चित्र 3क: यूपीआई (UPI) भुगतान

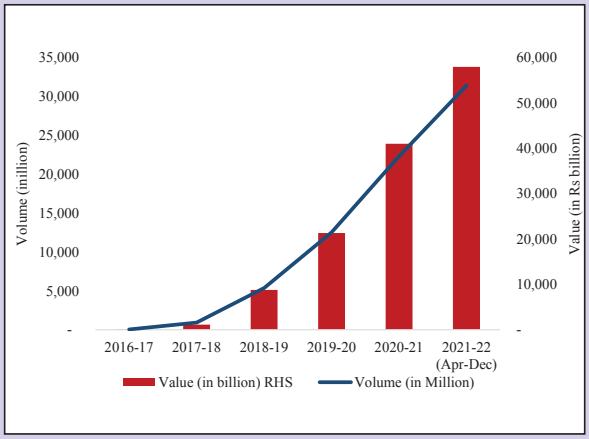

स्रोत: एनपीसीआई

चित्र 3ख: यूपीआई में बैंकों की संख्या

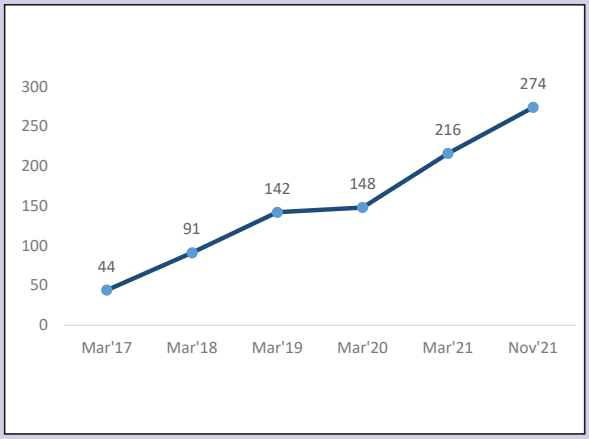

स्रोत: एनपीसीआई

तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) 24 X 7 X 365 उपलब्ध एक अन्य रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है। अप्रैल-दिसंबर 2021 में, IMPS पर ₹ 29,349 बिलियन के लेनदेन संसाधित किए गए हैं। 8 अक्टूबर, 21 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने (आईएमपीएस)IMPS लेनदेन की दैनिक सीमा ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दी, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में और मदद मिलेगी।

अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया एक और डिजिटल भुगतान समाधान, e-RUPI एक व्यक्ति-विशिष्ट, और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल वाउचर है, जहां ग्राहक के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है और बुनियादी फोन पर संचालित होता है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां इंटरनेट कनेक्शन की कमी है। e-RUPI के पहले उपयोग के मामले को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लागू किया गया था, जिसमें 2.2 लाख से अधिक लाभार्थियों को वाउचर जारी किए गए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक, जो पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है। सूचकांक में सम्मिलित हैं- (i) पेमेंट एनेबलर्स (वजन 25%), (ii) पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर - डिमांड-साइड फैक्टर (10%), (iii) पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर - सप्लाई-साइड फैक्टर (15%), (iv) पेमेंट परफॉर्मेंस (45%) और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5%)। डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2018 (आधार अवधि) में 100 से बढ़कर सितंबर 2021 में 304.06 हो गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र

4.31 एनबीएफसी की ऋण वृद्धि अब तक 2021-22 में सुस्त बनी हुई है (चित्र 15)। एनबीएफसी क्षेत्र[2] का कुल ऋण मार्च 2021 में ₹ 27.53 लाख करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 28.03 लाख करोड़ हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में एनबीएफसी क्रेडिट द्वारा मापी गई एनबीएफसी की क्रेडिट तीव्रता लगातार बढ़ रही है और यह मार्च 2021 के अंत में 13.7 पर रही (चित्र 16)।

[2] उनकी परिसंपत्ति के आकार के आधार पर यह क्षेत्र सितंबर 2021 तक शीर्ष 300 एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करता है

चित्र 15: एनबीएफसी से ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

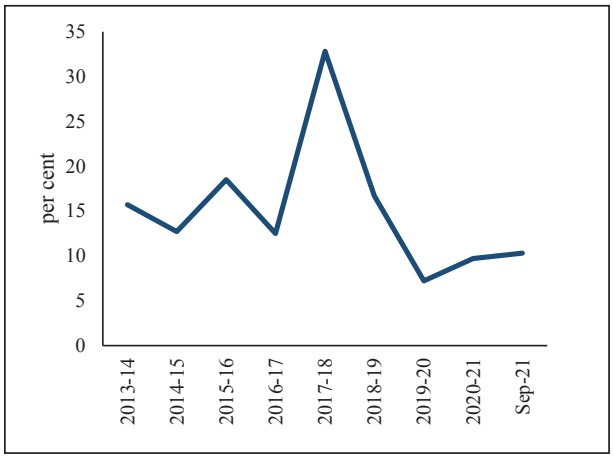

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: सितंबर 2021 का डेटा केवल जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और ऑफसाइट रिटर्न डेटा के आधार पर जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी से संबंधित है।

चित्र 16: जीडीपी अनुपात में एनबीएफसी का क्रेडिट

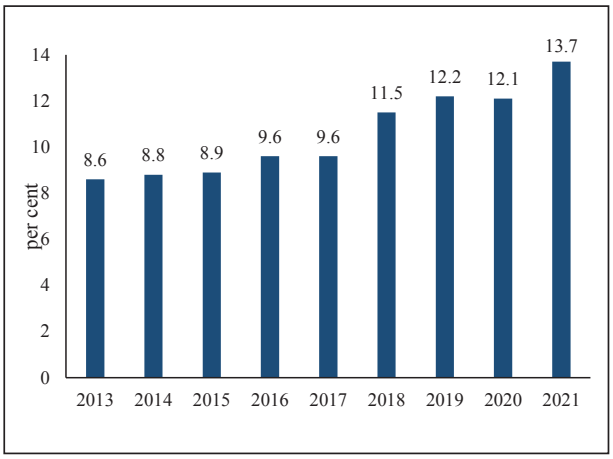

स्रोत: भारत में बैंकिंग के स्वरुप और प्रगति, भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: डेटा मार्च के अंत में है; इस्तेमाल किया गया जीडीपी डेटा मौजूदा बाजार कीमतों पर जीडीपी है (आधार: 2011-12)

4.32 उद्योग एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा दिए गए ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, इसके बाद खुदरा ऋण और सेवाओं का स्थान रहा (चित्र 17)। एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा उद्योग को कुल ऋण में बड़े उद्योग की हिस्सेदारी मार्च 2019 के अंत में लगभग 82 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 90 प्रतिशत हो गई।

चित्र 17: एनबीएफसी क्रेडिट का क्षेत्रीय वितरण

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, भारतीय रिजर्व बैंक।

नोट: 2020 और 2021 की संख्या मार्च के अंत के आंकड़े दर्शाती है। सितंबर 2021 के लिए संख्याएं भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21 की सर्वेक्षण गणना हैं।

4.33 एनबीएफसी की कुल संपत्ति सितंबर 2020 में ₹ 36.37 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 42.05 लाख करोड़ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 15.61 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। एनबीएफसी में बैंकों का एक्सपोजर(बैंक लेंडिंग और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) में निवेश के रूप में) सितंबर 2020 में ₹ 8.44 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 9.16 लाख करोड़ हो गया, जो 8.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज करता है।

4.34 सुरक्षित और असुरक्षित उधार और सार्वजनिक जमा के रूप में एनबीएफसी की बाहरी देनदारियों में सितंबर 2021 में 7.95 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों से उधारी मार्च 2021 में ₹58,650 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹59,525 करोड़ हो गई, (4.34 प्रतिशत सालाना वृद्धि) ,बाजार उधारी - एनसीडी और सीपी - सितंबर 2020 में ₹10.56 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 11.41 लाख करोड़ (8.09 प्रतिशत सालाना वृद्धि) हो गई।

4.35 एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 के अंत में 6.06 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2021 के अंत में 6.55 प्रतिशत से अधिक था। हालाँकि, उनका शुद्ध एनपीए अनुपात सितंबर 2021 के अंत में 2.93 प्रतिशत बना रहा। सितंबर 2021 के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता के मुकाबले सीआरएआर 26.64 प्रतिशत था।

बॉक्स 4: भारत में फेक्टरिंग

'फेक्टरिंग' दुनिया भर में पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर एमएसएमई के लिए। फेक्टरिंग एक लेनदेन है जहां एक इकाई तत्काल धन के लिए अपनी प्राप्तियों (ग्राहक से बकाया) को तीसरे पक्ष (बैंक या एनबीएफसी की तरह एक 'फेक्टर') को बेचती है। प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर तुरंत पैसा प्राप्त करने के लिए सभी या कुछ इनवॉइस(बीजक) को एक फेक्टर को बेचा जा सकता है। फेक्टर तब माल के खरीदार से भुगतान एकत्र करता है और कुछ ब्याज के रूप में कमीशन अर्जित करता है द्य यह बिल डिस्काउंटिंग(भुनाई) से अलग है। बिल डिस्काउंटिंग छूट में, बैंक या एनबीएफसी विक्रेता को बीजक के कुल बकाया मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत देता है और विक्रेता को खरीदार द्व ारा बीजक के भुगतान की जिम्मेदारी लेनी होती है। हालांकि, फेक्टरिंग के मामले में, फेक्टर चालान के संग्रह की जिम्मेदारी लेता है। दो अलग-अलग प्रकार के फेक्टरिंग होते हैं: श्आश्रय के साथश फेक्टरिंग जहां विक्रेता को माल के खरीदार द्वारा भुगतान करने में विफल होने पर कारक से प्राप्त अग्रिम का भुगतान करना पड़ता है,और श्बिना सहाराश फेक्टरिंग जहां माल के खरीदार द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में कारक डिफॉल्ट का जोखिम वहन करता है।

एमएसएमई(MSMEs) की चलनिधि/तरलता के मुद्दों को हल करने और भारत में फेक्टरिंग के लिए बुनियादी कानूनी ढांचे को निर्धारित करने के लिए, 'फेक्टरिंग विनियमन' अधिनियम 2011 को अधिनियमित किया गया था। फेक्टरिंग अधिनियम 2011 के अनुसार, चार प्रकार की संस्थाओं को फेक्टरिंग व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति थी: बैंक, सांविधिक निगम (जिन्हें धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण से छूट दी गई थी), एनबीएफसी (जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्राप्त करना होता है) और कंपनियां (जिन्हें धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से विनिर्दिष्ट पंजीकरण प्राप्त करना होता है)। फेक्टरिंग अधिनियम 2011 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक केवल उन्हीं गैर-बैंकिंगघ वित्तीय कंपनियों (NBFC) का पंजीकरण करता है जो फेक्टरिंग को ''प्रमुख व्यवसाय'' के रूप में करते हैं, अर्थात जिनकी फेक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्ति उनकी कुल संपत्ति का कम से कम 50 प्रतिशत है और फेक्टरिंग व्यवसाय से प्राप्त आय ,उनकी सकल आय के 50 प्रतिशत से कम न हो। इन उपबंधों के अंतर्गत, केवल 7 एनबीएफसी(कैनबैंक फेक्टर्स, इंडिया फेक्टरिंग एंड फाइनेंस, एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स, सीमेंस फेक्टरिंग, बिब्बी फाइनेंशियल सर्विसेज, आईएफसीआई फेक्टर्स और पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस) को ही 'एनबीएफसी-फेक्टर' कहा जाता है और फेक्टरिंग व्यवसाय में थी। अधिनियम में एनबीएफसी पर इस 'प्रमुख व्यवसाय' प्रतिबंध ने फेक्टरिंग के दायरे को सीमित कर दिया था।

इस बीच, आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय संधारणीयता के लिए दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2019 में श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समग्र रूप से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य सुझावों में, समिति ने सिफारिश की ,कि जिन एनबीएफसी का मुख्य व्यवसाय फैक्टरिंग है, उनके अलावा अन्य एनबीएफसी को भी फेक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, फेक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को व्यापक रूप से यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुरूप संशोधनों के साथ पारित किया गया था। किए गए प्रमुख परिवर्तन हैं:

- प्रमुख व्यवसाय मानदंड को हटाने से पात्र एनबीएफसी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो फेक्टरिंग व्यवसाय कर सकते हैं।
- इनवॉइस के पंजीकरण और उस पर प्रभार की संतुष्टि के लिए समय अवधि सरकार द्वारा नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और दोहरे वित्तपोषण के माध्यम से धोखाधड़ी को रोका जा सके।
- वर्तमान में, फेक्टरिंग या तो मैन्युअल रूप से या ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)[3] पर की जाती है। अब, संशोधित अधिनियम और नए नियम और विनियम संबंधित ज्त्मवै प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले फेक्टरकी ओर से सीधे सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (CERSAI) के साथ चार्ज रजिस्टर करने की अनुमति देते हैं, जिससे प्रक्रिया को परिचालनात्मक रूप से कुशल बनाया जा सके, टीआरईडीएस के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और फेक्टर पर प्रक्रियात्मक बोझ को कम किया जा सके।
- 'असाइनमेंट', 'फैक्टरिंग बिजनस' और 'रिसीवेब्ल्स' की परिभाषाओं को अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया गया है।
- धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देने की विधि ,और धारा 19 के अंतर्गत फेक्टर की ओर से टीआरईडीएस संस्थाओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ लेनदेन के विवरण दाखिल करने की विधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को विनियमन बनाने की शक्तियां दी गई थीं । भारतीय रिजर्व बैंक ने इन विनियमों को जनवरी 2022 में अधिसूचित किया है द्य

संशोधनों ने अधिनियम में प्रतिबंधात्मक उपबंधों को उदार बनाया है और साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक मजबूत नियामक/निगरानी तंत्र मौजूद रहे। कुल मिलाकर, इस परिवर्तन से देश में फेक्टरिंग पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होगा और क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करके एमएसएमई को सारवान सहायता प्राप्त होगी।

पूंजी बाजार में विकास

1. प्राथमिक बाजार

क. इक्विटी

4.36 अप्रैल-नवंबर 2021 में, 75 कंपनियों के आईपीओ को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे ₹ 89,066 करोड़ एकत्र किए गए, जबकि 29 कंपनियों ने अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान घ14,733 करोड़ जुटाए थे, जो निधि जुटाने/संग्रहण में 504.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि का संकेत देता है। आईपीओ द्वारा जुटाई गई राशि पिछले दशक में किसी भी वर्ष में बड़े अंतर से जुटाई गई राशि से अधिक रही है। राइट्स इश्यू के माध्यम से जुटाई गई राशि हालांकि अप्रैल-नवंबर 2021 में 62.6 प्रतिशत घटकर ₹ 22,659 करोड़ रह गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹ 60,608 करोड़ थी। हालांकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए जुटाई गई राशि में 52.9 फीसदी की गिरावट आई है। अधिमान्य आवंटन के माध्यम से जुटाई गई राशि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 67.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[3] यह एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जो एमएसएमई द्वारा प्राप्तियों की पारदर्शी और ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देता है। ज्त्मवै में, विक्रेता को चुनने के लिए कई फाइनेंसर मिलते हैं, विभिन्न ब्याज दरों का विकल्प, और बिना किसी संपार्श्विक के विक्रेता को पारदर्शी तरीके से सर्वोत्तम सौदा प्राप्त करने में मदद करता है। सरकार ने टीआरईडीएस पर पंजीकरण के लिए बड़े कॉरपोरेट्स/सीपीएसई द्वारा पंजीकरण को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं।

कुल मिलाकर, अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान इक्विटी इश्यू के जरिए ₹1.81 लाख करोड़ जुटाए गए हैं ,ऐसा जनता में वितरण प्रस्ताव, राइट्स, क्यूआईपी और अधिमान्य इश्यू जैसे विविध तरीकों के माध्यम से किया गया (तालिका 7)।

तालिका 7: सार्वजनिक और राइट्स इश्यू (इक्विटी) के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

अवधि	सार्वजनिक (आईपीओ+ एफपीओ)		राइट्स		क्यूआईपी		अधिमान्य इश्यू		कुल	
	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)
2016-17	106	29,210	12	3,274	20	8,464	409	44,235	547	85,183
2017-18	189	78,497	23	21,268	54	71,033	420	59,527	686	2,30,325
2018-19	136	21,720	9	2,001	14	8,678	402	2,10,159	561	2,42,559
2019-20	62	21,382	17	55,667	14	54,389	284	1,74,886	377	3,06,325
2020-21	57	46,060	21	64,059	31	78,738	234	40,940	343	2,29,797
अप्रैल-नवंबर 2020	30	29,733	15	60,608	16	56,725	145	25701	206	1,72,768
अप्रैल-नवंबर 2021	75	89,066	18	22,659	23	26,704	233	43,004	349	1,81,433

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

4.37 वर्ष 2021-22 अब तक प्राथमिक बाजारों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है, जिसमें कई नए युग की कंपनियों/तकनीकी स्टार्ट-अप्स/यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से धन उगाहने में उछाल आया है। लिस्टिंग के साथ जुड़ा उत्साह खुदरा द्वारा भारी ओवरसब्सक्रिप्शन में प्रकट हुआ, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) और संस्थागत निवेशकों और शानदार लिस्टिंग लाभ ने अधिक से अधिक कंपनियों को बाजारों से लाभ उठाना करने के लिए प्रेरित किया है (तालिका 8)। नए जमाने की कंपनियों के आईपीओ में निवेशकों की सभी श्रेणियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया न केवल बाजारों में, बल्कि कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन और लंबे समय में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में भी विश्वास को दर्शाती है।

तालिका 8: आईपीओ ओवरसब्सक्रिप्शन प्रवृत्ति

ओवरसब्सक्रिप्शन-रेंज (ओवरसब्सक्राइब की गयी बारियों की संख्या)	सूचीबद्ध आईपीओ की संख्या (अप्रैल-नवंबर 2021)
>100	8
≥51 ≤100	11
≥21 ≤ 50	6
≥ 11 ≤ 20	11
≥1 ≤ 10	39
< 1	Nil
Total	**75**

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(एसईबीआई)

ख. ऋण

4.38 ऋण पक्ष में, अप्रैल-नवंबर 2021 में कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि लगभग ₹3.7 लाख करोड़ थी। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 20 पब्लिक इश्यू(सार्वजनिक निर्गमों) के जरिए ₹9,132 करोड़ जुटाए जाने से ऋण में पब्लिक इश्यू के जरिए जुटाई गई रकम दोगुनी हो गई, 10 पब्लिक इश्यू(सार्वजनिक निर्गमों) की तुलना में, जिन्होंने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹3,871 करोड़ जुटाए थे द्य हालाँकि, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए मुद्दों की संख्या और राशि में गिरावट आई क्योंकि अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान 1,299 इश्यू के माध्यम से जुटाए गए ₹4.9 लाख करोड़ की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 851 इश्यू के माध्यम से 3.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे, (तालिका 9)। कुल मिलाकर, कर्ज वसूली ध ीमी हो गई,यह इक्विटी बाजार के विपरीत सुझाव देती है जिससे अब निवेशक अधिकतम जोखिम लेने के लिए तैयार है।

तालिका 9: कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में संसाधन जुटाना

वर्ष	पब्लिक इश्यू		प्राइवेट प्लेसमेंट	
	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)
2016-17	14	29,093	3,377	6,40,716
2017-18	8	5,173	2,706	5,99,147
2018-19	25	36,679	2,358	6,10,318
2019-20	34	14,984	1,787	6,74,703
2020-21	18	10,588	1,995	7,71,840
अप्रैल-नवंबर 2020	10	3,871	1,299	4,88,071
अप्रैल-नवंबर 2021	20	9,132	851	3,62,458

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

4.39 इक्विटी और ऋण के अलावा, कॉरपोरेट बड़ी संख्या में नए और लिखित जैसे कि हाइब्रिड और कन्वर्टिबल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) आदि में भी ला रहे हैं (तालिका 10)। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा अप्रैल-नवंबर 2021 में ₹15,506 करोड़ के संसाधन जुटाए गए थे।

तालिका 10: रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs), /अवसंरचना निवेश न्यासों (InvITs) द्वारा निधि जुटाना

फंड जुटाने का तरीका	2019-20		2020-21		अप्रैल 2021-नवम्बर 2021	
	संख्या	राशि (₹ करोड़)	संख्या	राशि (₹ करोड़)	संख्या	राशि (₹ करोड़)
रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs) द्वारा कुल निधि जुटाना	0	0	3	14,300	0	0
सूचीबद्ध REITs	0	0	3	14,300	0	0
अवसंरचना निवेश न्यासों (InvITs) द्व ारा कुल निधि जुटाना	4	11,496	2	40,432	6	15,506

सूचीबद्ध InvITs	3	7,744	1	25,215	5	15,125
गैर-सूचीबद्ध InvITs	1	3,753	1	15,217	1	382

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

बॉक्स 5: मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) उभरते बाजारों का सूचकांक और भारत का भारांक(भार-प्रतिशत)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का एक प्रमुख पहलू एमएससीआई(MSCI) जैसे वैश्विक सूचकांक हैं, जिसमें 16.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की इक्विटी परिसंपत्तियों का (30 जून, 2021 तक) बेंचमार्क सूचकांक तैयार किया गया है। सबसे लोकप्रिय एमएससीआई(MSCI) सूचकांकों में से एक एमएससीआई(MSCI) इमर्जिंग मार्केट(EM) सूचकांक है जो भारत सहित 25 देशों के उभरते बाजार में बड़ी और मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी निष्पादन को दर्शाते हैं । 2001 में शुरू किया गया, MSCI EM इंडेक्स आज उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 1420 सूचीबद्ध संस्थाओं को सम्मिलित करता है। कंपनियों को सूचकांक में शामिल किए जाने के लिए पूर्ण बाजार पूंजीकरण, फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण, स्टॉक तरलता और विदेशी समावेश फेक्टर से संबंधित कुछ न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना होता है। कई वैश्विक संस्थागत निवेशक बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप पूंजी आवंटित करने के लिए अपनी निष्क्रिय निवेश रणनीति(Passive investment strategy) के हिस्से के रूप में एमएससीआई के ईएम सूचकांक और अन्य बाजारों और विषयों को सम्मिलित करने वाले ऐसे कई सूचकांकों का उपयोग करते हैं। एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) सूचकांक में भारत का (भारांक)भार-प्रतिशत इसके इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (चित्र 5क)।

जून 2017 में, एमएससीआई(MSCI) ने घोषणा की थी कि जून 2018 से चीन के A-शेयरों[4] को एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) सूचकांक में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। इसका अभिप्राय अन्य सभी देशों के भार-प्रतिशत में धीरे-धीरे कमी होना था। परिणामत:, एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) इंडेक्स में भारत का भारांक(भार-प्रतिशत) अगस्त 2018 में 9.32 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2020 में 8.3 प्रतिशत हो गया।

बाद में, सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से भारतीय कंपनियों के लिए लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्षेत्रीय सीमा(जो अब अधिक है) के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) सीमा में ढील दे दी है। परिणामत:, भारत की फॉरेन ओनरशिप लिमिट[5](FOL) अपने वैश्विक सूचकांकों में 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी हो गई। परिणामस्वरूप, एमएससीआई(MSCI) इंडिया का फॉरेन इनक्लूजन फैक्टर[6](FIF) 7 प्रतिशत बढ़कर 0.39 से 0.42 हो गया। तदनुसार, एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) सूचकांक में भारत का भारांक 8 प्रतिशत से तुरंत बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय रूप से, क्षेत्रीय सीमा तक एफपीआई सीमा में वृद्धि ने अन्य प्रमुख इक्विटी सूचकांकों में भी भारतीय प्रतिभूतियों के भारांक(भार-प्रतिशत) को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, जैसे कि MSCI APxJ (100 बीपीएस), MSCI AC विश्व-सूचकांक(16 बीपीएस) । दिसंबर 2021 तक, एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) इंडेक्स में भारत का भारांक 12.45 प्रतिशत है और 2,379 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एयूएम-मूल्य (Assets Under Management&value) वाली 106 सूचीबद्ध भारतीय संस्थाएं एमएससीआई ईएम(MSCI EM) सूचकांक का भाग हैं (चित्र 5ख)।

भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी रुचि बढ़ी है, जैसा कि बड़े निवेश प्रवाह से पता चलता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(NSDL)से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार,2020-21 में भारतीय इक्विटी बाजार में 2.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) प्रवाह देखा गया।

[4] A शेयर' सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध चीन की मुख्य भूमि कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज या शेनजेन स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करती हैं।

[5] किसी देश की सूचीबद्ध प्रतिभूति में विदेशी निवेशक किस सीमा तक निवेश कर सकते हैं। एफपीआई सीमा में वृद्धि, विदेशी निवेश के लिए उपलब्ध अवसर को बढ़ाती है।

[6] एक प्रतिभूति सुरक्षा के फॉरेन इनक्लूजन फैक्टर को बकाया शेयरों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में खरीद के लिए उपलब्ध माना जाता है।

चित्र 5 क: एमएससीआई ईएम (MSCI EM) सूचकांक पर भारत का भारांक(भार-प्रतिशत)

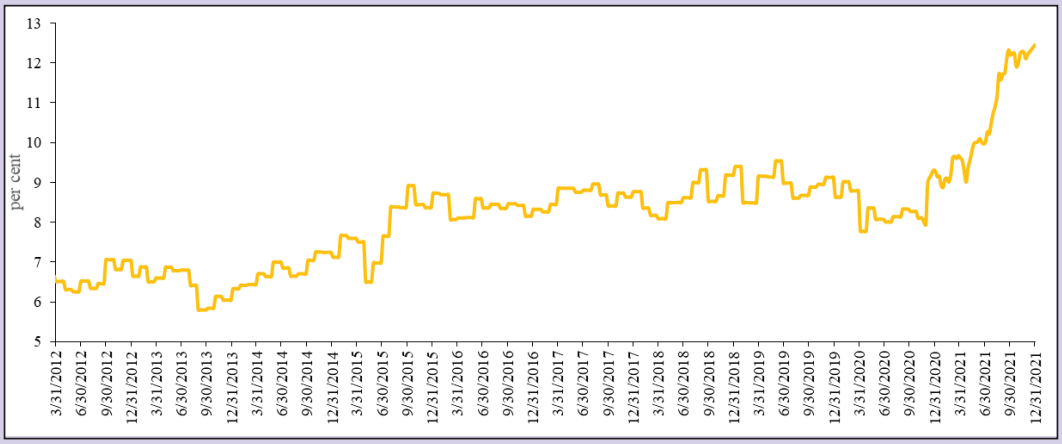

स्रोत: आरआईएमईएस,मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल ,मॉर्गन स्टेनली रिसर्च

चित्र 5 ख: एमएससीआई ईएम (MSCI EM) सूचकांक की रचना: समय के साथ भारत का भारांक(भार-प्रतिशत) कैसे बदल गया है

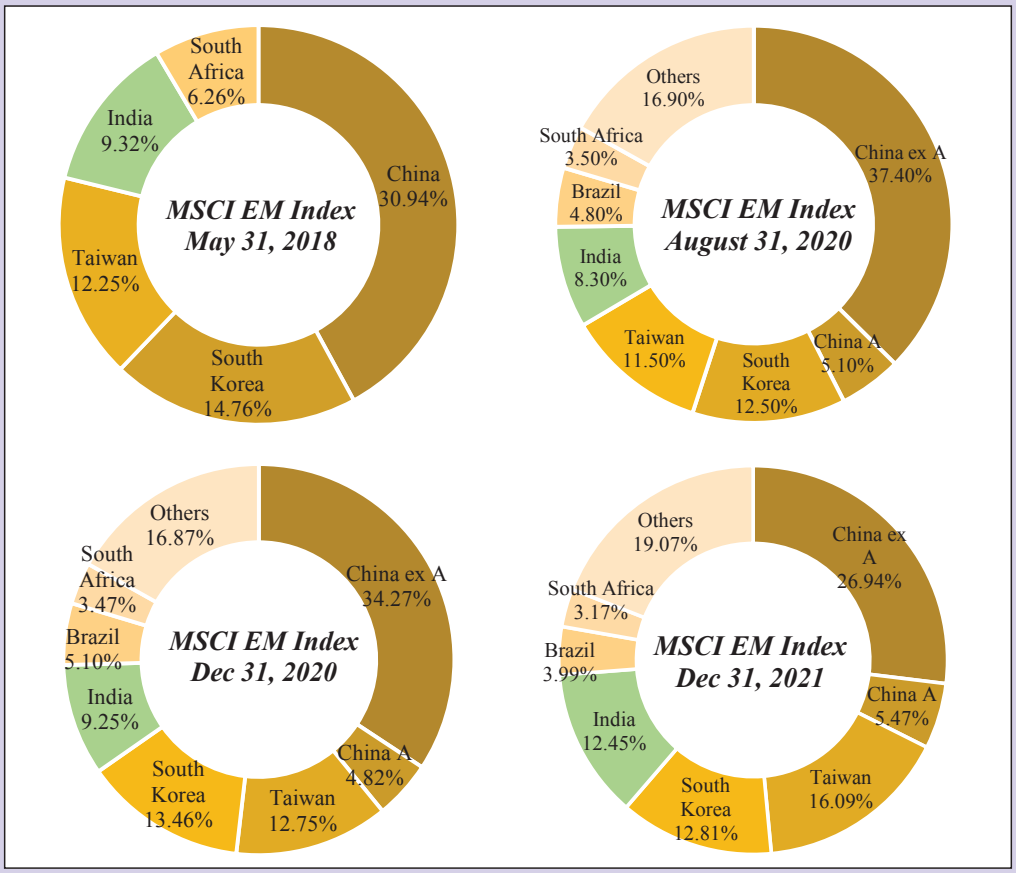

स्रोत: आरआईएमईएस,मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल, मॉर्गन स्टेनली रिसर्च

पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी में प्रवृत्ति

4.40 भारतीय शेयर बाजारों में लगातार उत्साह(तेजी के) के साथ, इक्विटी कैश सेगमेंट में व्यक्तिगत निवेशकों[7] की भागीदारी बढ़ी है और एनएसई पर कुल कारोबार में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी 2019-20 में 38.8 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2021 में 44.7 प्रतिशत हो गई है (तालिका 11) । 2020-21 और 2021-22 में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि के लिए आंशिक रूप से, फरवरी 2020 से देखे गए, नए निवेशक पंजीकरण में वृद्धि को श्रेय दिया जा सकता है। अप्रैल-नवंबर 2021 में लगभग 221 लाख व्यक्तिगत डीमैट खाते जोड़े गए।

तालिका 11: इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर(एनएसई) में व्यक्तिगत निवेशकों का हिस्सा (प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्तिगत निवेशकों का हिस्सा
2016-17	36.0
2017-18	39.0
2018-19	39.0
2019-20	38.8
2020-21	45.0
अप्रैल-अक्टूबर 2021	44.7

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

2. म्युचुअल फंड गतिविधियां

4.41 म्यूचुअल फंड उद्योग का शुद्ध एयूएम मूल्य (AUM) नवंबर 2021 के अंत में 24.4 प्रतिशत बढ़ गया, जो नवंबर 2020 के अंत में ₹ 30.0 लाख करोड़ थी, अब बढ़ कर ₹ 37.3 लाख करोड़ हो गई। अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान ₹ 2.73 लाख करोड़ की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान म्यूचुअल फंड द्वारा ₹ 2.54 लाख करोड़ का शुद्ध संसाधन जुटाया गया (तालिका 12)।

तालिका 12: म्यूचुअल फंड के माध्यम से संसाधन जुटाना

वर्ष	एयूएम (₹ करोड़)	सकल संसाधन जुटाना (₹ करोड़)	सकल मोचन (₹ करोड़)	शुद्ध संसाधन जुटाना (₹ करोड़)	फोलियो की संख्या
2016-17	17,54,619	1,76,15,549	1,72,72,500	3,43,049	5,53,99,631
2017-18	21,36,036	2,09,98,652	2,07,26,855	2,71,797	7,13,47,301
2018-19	23,79,663	2,43,94,362	2,42,84,661	1,09,701	8,24,56,411
2019-20	22,26,203	1,88,13,458	1,87,26,157	87,301	8,97,46,051
2020-21	31,42,764	86,39,167	84,24,424	2,14,743	9,78,65,529
अप्रैल-नवम्बर 2020	30,00,904	57,90,831	55,17,814	2,73,017	9,36,79,333
अप्रैल-नवम्बर 2021	37,33,702	58,64,573	56,10,534	2,54,039	11,69,91,489

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

[7] व्यक्तिगत निवेशकों में व्यक्तिगत घरेलू निवेशक, एनआरआई, एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म और एचयूएफ, अन्य: साझेदारी फर्म/एलएलपी, ट्रस्ट/सोसाइटी, डिपॉजिटरी रसीदें, वैधानिक निकाय, ओसीबी, एफएन, आदि शामिल हैं ।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा निवेश

4.42 अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय प्रतिभूतियों में ₹ 24,124 करोड़ का शुद्ध निवेश किया, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में किए गए निवेश की तुलना में 82.8 प्रतिशत कम था। नवंबर 2020 के अंत में एफपीआई (FPI) द्वारा संचयी शुद्ध निवेश 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 9.2 प्रतिशत बढ़कर नवंबर 2021 तक 288.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (तालिका 13)।

तालिका 13: भारतीय प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश

वर्ष /माह	सकल खरीद (₹ करोड़)	सकल बिक्री (₹ करोड़)	शुद्ध निवेश (₹ करोड़)	शुद्ध निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	संचयी शुद्ध निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2016-17	15,07,028	14,58,617	48,411	7,600	2,31,180
2017-18	17,28,360	15,83,679	1,44,681	22,466	2,53,645
2018-19	16,40,810	16,79,741	-38,931	-5,499	2,48,147
2019-20	19,05,517	19,33,046	-27,529	-3,042	2,45,105
2020-21	23,20,289	20,53,189	2,67,100	36,180	2,81,293
अप्रैल-नवम्बर 2020	13,75,673	12,35,286	1,40,387	18,896	2,64,008
अप्रैल-नवम्बर 2021	16,23,155	15,99,030	24,124	3,371	2,88,364

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(NSDL)

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक

4.43 भारत में बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक - सेंसेक्स और निफ्टी 50 में अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान क्रमश: 17.7 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छी कॉर्पोरेट आय होने, कोविड -19 टीकाकरण में तेज वृद्धि और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खोले जाने से 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक क्रमश: 61,766 और 18,477 पर अपने चरम पर पहुंच गए (चित्र 18) । उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क सूचकांक में गिरावट हुई, तथापि इनका फिर से बढ़ना शुरू हो गया और 14 जनवरी 2022 को क्रमश: 61,223 और 18,256 पर पहुँच गए हो।

चित्र 18: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों की चाल

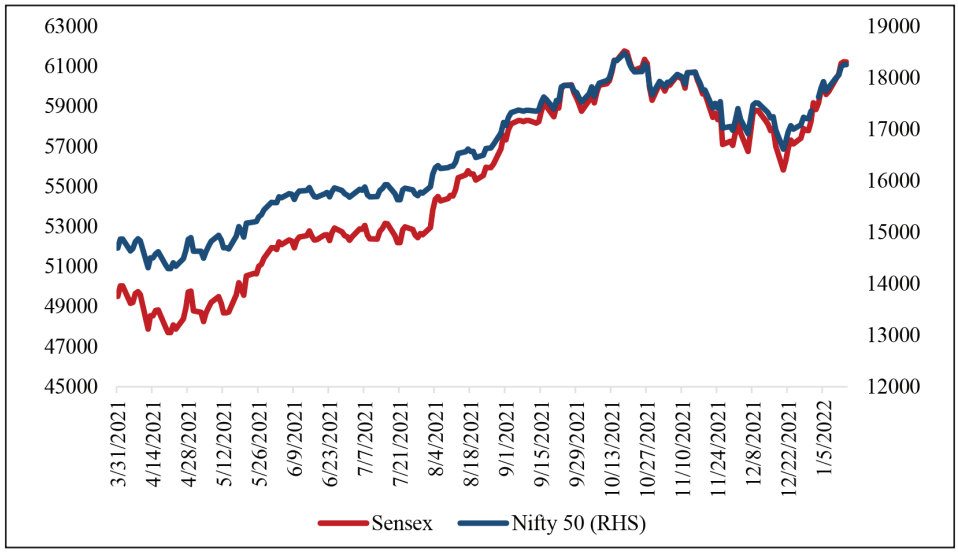

स्रोत: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संवेदनशील सूचकांक (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)

4.44 प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया। चुनिंदा विकसित बाजारों में, एसएंडपी 500 इंडेक्स और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स ने मजबूत लाभ दर्ज किया और इनमें क्रमश: 20.0 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 14)।

तालिका 14: दुनिया भर में 2021-22 में प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों का निष्पादन

सूचकांक	31/03/2021 तक	31/12/2021 तक	अप्रैल-दिसंबर 2020 में % परिवर्तन	अप्रैल-दिसंबर 2021 में % परिवर्तन
भारतीय बाजार				
निफ्टी 50	14,691	17,354	62.6	**18.1**
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स	49,509	58,254	62.0	**17.7**
उभरते बाजार				
ताइवान TAIEX	16,431	18,219	51.8	10.9
एफटीएसई/जेएसई ऑल शेयर इंडेक्स, दक्षिण अफ्रीका	66,485	73,709	33.5	10.9
MOEX रूस सूचकांक	3,542	3,787	31.1	6.9
शंघाई कम्पोजिट, चीन	3,442	3,640	26.3	5.7
कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स KOSPI दक्षिण कोरिया	3,061	2,978	63.8	-2.7
ब्राजील Ibovespa	1,16,634	1,04,822	63.0	-10.1
विकसित बाजार				
एस एंड पी 500, यूएस	3,973	4,766	45.3	20.0
नैस्डैक कम्पोजिट, यूएस	13,247	15,645	67.4	18.1

सीएसी 40, फ्रांस	6,067	7,153	26.3	17.9
डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यूएस	32,982	36,338	39.6	10.2
एफटीएसई 100, यूके	6,714	7,385	13.9	10.0
डैक्स, जर्मनी	15,008	15,885	38.1	5.8
स्ट्रेट्स टाइम्स, सिंगापुर	3,165	3,124	14.6	-1.3
Nikkei 225, जापान	29,179	28,792	45.1	-1.3
हैंग सेंग, हांगकांग	28,378	23,398	15.4	-17.6

स्रोत: रिफाइनिटिव डेटास्ट्रीम

4.45 अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, भारतीय वॉलेटिलिटी इंडेक्स (विक्स) (India VIX), जो निकट भविष्य में अर्थात अगले 30 कैलेंडर दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावनाओं को दर्शाता है, 3 मई 2021 को 23.7 पर पहुंच गया और बाद में कम होना शुरू हो गया द्य इसमें कुछ समय के लिए तेजी आई और नवंबर 2021 में यह फिर से कम हो गया। कुल मिलाकर, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान टप में 21.4 प्रतिशत की कमी हुई।

चित्र 19: भारतीय वॉलेटिलिटी इंडेक्स (भारतीय विक्स) (India VIX)

स्रोत: एनएसई

बीमा क्षेत्र

4.46 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बीमा क्षेत्र की क्षमता और निष्पादन का आकलन आम तौर पर दो मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे बीमा-व्यापन (insurance penetration) और बीमा-घनत्व (insurance density)। बीमा-व्यापन(insurance penetration) को सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है और बीमा-घनत्व(insurance density) की गणना, बीमा-प्रीमियम के जनसंख्या के अनुपात के रूप में की जाती है (अंतर्राष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए यूएस डॉलर्स में इनका मापान किया जाता है)।

4.47 भारत में, 2001 में बीमा-व्यापन (insurance penetration) 2.71 प्रतिशत था और लगातार बढ़कर 2020 में यह 4.2 प्रतिशत हो गया है। 2020 तक, भारत में जीवन बीमा-व्यापन 3.2 प्रतिशत है और गैर-जीवन बीमा-व्यापन 1 प्रतिशत है (तालिका 15 और 16) द्य यद्यपि भारत में 'जीवन बीमा' के लिए

बीमा-व्यापन(insurance penetration) अंतरराष्ट्रीय औसत के बराबर है, किंतु हम गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में अभी पीछे है। विश्व स्तर पर, 2020 में जीवन बीमा वर्ग के लिए बीमा-व्यापन(insurance penetration) 3.3 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा वर्ग के लिए 4.1 प्रतिशत था।

तालिका 15: भारत में जीवन बीमा का व्यापन(penetration) और घनत्व(density)

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
बीमा-व्यापन	3.40	3.17	3.10	2.60	2.72	2.72	2.76	2.74	2.82	3.20
बीमा-घनत्व	49.0	42.7	41.0	44.0	43.2	46.5	55.0	55.0	58.0	59.0

स्रोत: स्विस री इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, सिग्मा विभिन्न इश्यू

नोट: बीमा व्यापन (penetration) प्रतिशत में और बीमा घनत्व (density) अमेरिकी डॉलरों में है

तालिका 16: भारत में गैर-जीवन बीमा का व्यापन (penetration) और घनत्व (density)

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
बीमा-व्यापन	0.70	0.78	0.80	0.70	0.72	0.77	0.93	0.97	0.94	1.00
बीमा-घनत्व	10.0	10.5	11.0	11.0	12.0	13.2	18.0	19.0	20.0	19.0

स्रोत: स्विस री इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, सिग्मा विभिन्न इश्यू

नोट: बीमा-व्यापन (penetration) प्रतिशत में और बीमा-घनत्व (density) अमेरिकी डॉलरों में है

4.48 भारत में बीमा घनत्व 2001 में +11.5 (अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 2020 में +78 (अमेरिकी डॉलर) हो गया। 2020 में, भारत में जीवन बीमा के लिए बीमा-घनत्व (density) +59 है और गैर-जीवन बीमा के लिए बीमा-घनत्व (density) +19 है, जो वैश्विक मानकों से बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर, 2020 में जीवन वर्ग के लिए बीमा-घनत्व (insurance density) क्रमश: +360 और गैर-जीवन वर्ग के लिए +449 था (तालिका 17 और 18)।

तालिका 17: बीमा-व्यापन (penetration) की अंतर्राष्ट्रीय तुलना (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	देश*	2019			2020		
		जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल	जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल
	अमेरिका						
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	2.9	8.5	11.4	3.0	9.0	12.0
2	कनाडा	3.1	4.6	7.7	3.5	5.2	8.7
3	ब्राजिल	2.3	1.8	4.0	2.3	1.8	4.1
4	मेक्सिको	1.1	1.3	2.4	1.2	1.4	2.6
	यूरोप - मध्य पूर्वी देश - अफ्रीका						
5	फ्रांस	6.0	3.2	9.2	5.1	3.5	8.6
6	जर्मनी	2.6	3.7	6.3	2.8	4.0	6.8
7	इटली	6.2	2.2	8.3	6.3	2.3	8.6
8	नीदरलैंड	1.6	7.6	9.2	1.5	8.1	9.6
9	स्पेन	2.2	2.9	5.1	1.9	3.2	5.2

10	स्वीडन	5.4	1.8	7.2	5.8	1.8	7.6
11	स्विट्जरलैंड	4.3	4.1	8.4	4.3	4.1	8.4
12	यूनाइटेड किंगडम	8.0	2.3	10.3	8.8	2.3	11.1
13	पाकिस्तान	0.6	0.3	0.9	0.5	0.3	0.8
14	रूस	0.4	1.0	1.4	0.4	1.0	1.4
15	दक्षिण अफ्रीका	10.7	2.7	13.4	11.2	2.5	13.7
	एशिया प्रशांत						
16	भारत#	**2.8**	**0.9**	**3.8**	**3.2**	**1.0**	**4.2**
17	चीन	2.3	2.0	4.3	2.4	2.1	4.5
18	जापान#	6.7	2.3	9.0	5.8	2.4	8.1
19	इंडोनेशिया	1.4	0.6	2.0	1.4	0.5	1.9
20	मलेशिया#	3.4	1.4	4.7	4.0	1.5	5.4
21	सिंगापुर	6.0	1.6	7.6	7.6	1.9	9.5
22	दक्षिण कोरिया#	5.8	5.0	10.8	6.4	5.2	11.6
23	ताइवान	16.5	3.5	20.0	14.0	3.4	17.4
24	थाईलैंड	3.3	1.7	5.0	3.4	1.9	5.3
25	श्रीलंका	0.6	0.7	1.3	0.5	0.6	1.2
26	न्यूजीलैंड	0.9	4.3	5.1	0.8	4.1	4.9
27	ऑस्ट्रेलिया	1.5	3.4	5.0	1.1	3.6	4.7
	विश्व	**3.4**	**3.9**	**7.2**	**3.3**	**4.1**	**7.4**

स्रोत: स्विस री इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड सिग्मा वॉल्यूम 4/2020 और 3/2021

नोट: *डेटा कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित है, # डेटा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित है @ पूर्णांकित अंतर

तालिका 18: बीमा-घनत्व (insurance density) की अंतर्राष्ट्रीय तुलना (अमेरिकी डॉलर में)

क्रम संख्या	देश*	2019			2020		
		जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल	जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल
	अमेरिका						
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,915	5,580	7,495	1,918	5,754	7,673
2	कनाडा	1,421	2,128	3,548	1,532	2,243	3,775
3	ब्राजिल	196	155	351	151	120	271
4	मेक्सिको	111	128	239	99	116	214
	यूरोप - मध्य पूर्वी देश - अफ्रीका						
5	फ्रांस	2,413	1,306	3,719	1,959	1,359	3,317
6	जर्मनी	1,222	1,712	2,934	1,281	1,827	3,108
7	इटली	2,039	725	2,764	1,972	721	2,692
8	नीदरलैंड	832	3,990	4,822	799	4,223	5,022

9	स्पेन	654	854	1,508	525	871	1,396
10	स्वीडन	2,783	946	3,729	2,993	945	3,938
11	स्विट्जरलैंड	3,502	3,332	6,835	3,667	3,557	7,224
12	यूनाइटेड किंगडम	3,383	978	4,362	3,574	949	4,523
13	पाकिस्तान	8	4	12	6	3	10
14	रूस	43	113	157	41	105	146
15	दक्षिण अफ्रीका	643	160	803	560	124	684
	एशिया प्रशांत						
16	भारत#	**58**	**20**	**78@**	**59**	**19**	**78**
17	चीन	230	201	430	241	214	455
18	जापान#	2,691	930	3,621	2,329	951	3,280
19	इंडोनेशिया	58	24	82	54	21	75
20	मलेशिया#	380	156	536	415	153	568
21	सिंगापुर	3,844	1,028	4,872	4,528	1,110	5,638
22	दक्षिण कोरिया#	1,822	1,544	3,366	2,050	1,691	3,741
23	ताइवान	4,129	865	4,993	3,861	938	4,800
24	थाईलैंड	256	134	389	244	139	383
25	श्रीलंका	23	29	51	21	24	45
26	न्यूजीलैंड	354	1,790	2,144	349	1,678	2,027
27	ऑस्ट्रेलिया	827	1,875	2,702	568	1,880	2,448
	विश्व	**379**	**439**	**818**	**360**	**449**	**809**

स्रोत: स्विस रि इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड सिग्मा वॉल्यूम 4/2020 और 4/2021

नोट: *डेटा कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित है, # डेटा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित है@पूर्णांकित अंतर

4.49 2019-20 में ₹ 1,92,193 करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के भीतर और बाहर) ₹ 2,02,082 करोड़ था इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। मोटर और स्वास्थ्य वर्ग ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया द्य जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्त वर्ष के ₹ 5,72,910 करोड़ की तुलना में, 2020-21 के दौरान ₹ 6,28,731 करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की, इसमें 9.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा दिया गया नवीकरण प्रीमियम प्राप्त कुल प्रीमियम का 55.7 प्रतिशत था, शेष 44.3 प्रतिशत प्रीमियम नए ग्राहकों के बीमे से प्राप्त हुआ।

पेंशन क्षेत्र

4.50 नई पेंशन योजना (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत ग्राहकों की कुल संख्या सितंबर 2020 तक 374.32 लाख से बढ़कर सितंबर 2021 तक 463 लाख हो गई, इसमें वर्ष के दौरान 23.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत कुल अंशदान में 29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि आल सिटीजन मॉडल (51.29 प्रतिशत) के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र (42.13 प्रतिशत), एपीवाई (38.78 प्रतिशत), राज्य सरकार क्षेत्र, (28.90 प्रतिशत), और केंद्र सरकार क्षेत्र (22.04 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई। एनपीएस और एपीवाई की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 30 सितंबर, 2021 को 6.67 लाख करोड़ रुपये है, जबकि सितंबर, 2020 के अंत में यह 4.95 लाख करोड़ रुपये थी, इस प्रकार 34.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई (तालिका 19)।

तालिका 19: 30 सितंबर 2021 को नई पेंशन योजना(NPS) और अटल पेंशन योजना(APY) की स्थिति

	सब्सक्राइबर्स की संख्या (लाख में)		(वर्ष-दर-वर्ष)	अंशदान (₹ करोड़)		(वर्ष-दर-वर्ष)	एसेट अंडर मैनेजमेंट(AUM)		(वर्ष-दर-वर्ष)
	सितंबर-20	सितंबर-21	%	सितंबर-20	सितंबर-21	%	सितंबर-20	सितंबर-21	%
NPS									
केंद्र सरकार	21.3	22.3	4.5	1,11,293	1,35,820	22.0	1,60,606	2,04,227	27.2
राज्य सरकार	49.0	53.9	10.1	1,88,000	2,42,330	28.9	2,50,260	3,35,749	34.2
कॉर्पोरेट	10.5	12.7	21.0	37,788	53,707	42.1	50,730	77,041	51.9
आल सिटीजन मॉडल	13.6	18.4	35.3	17,282	26,145	51.3	16,224	27,089	67.0
एनपीएस लाइट	43.2	42.9	-0.7	2,776	2,931	5.6	4,068	4,624	13.7
अटल पेंशन योजना (APY)									
अटल पेंशन योजना	236.9	312.9	32.1	11,585	16,078	38.8	13,042	18,649	43.0
Total	**374.3**	**463**	**23.7**	**3,68,725**	**4,77,011**	**29.4**	**4,94,930**	**6,67,379**	**34.8**

स्रोत : पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
नोट: UOS-All citizen model - अटल पेंशन योजना।

4.51 12 अक्टूबर 2021 तक, 3.45 करोड़ से अधिक नामांकनों से अटल पेंशन योजना (APY) योजना में ₹16,109 करोड़ का अंशदान एकत्र किया गया था। अटल पेंशन योजना (APY) सभी बैंकों और डाकघरों सहित 250 से अधिक सक्रिय अटल पेंशन योजना (APY) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वितरित की जा रही है (तालिका 20)।

तालिका 20: अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत नामांकनों की संख्या (श्रेणी-वार)

बैंकों की श्रेणी	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	12th अक्टूबर 2021
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3,047,273	6,553,397	10,719,758	1,56,75,442	2,12,52,435	2,43,90,974
निजी बैंक	497,323	873,901	1,145,289	15,62,997	19,86,467	21,21,377
लघु वित्त बैंक	-	-	9,190	15,760	35,114	56,012
पेमेंट बैंक	-	-	48,182	3,44,001	8,18,800	10,93,602
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,115,257	1,987,176	3,171,152	43,30,190	57,10,770	64,15,150
जिला सहकारी बैंक	29,791	33,880	38,863	48,581	54,628	58,775
राज्य सहकारी बैंक	680	805	1,053	4,620	5,350	5,604
शहरी सहकारी बैंक	3,507	10,936	14,469	17,355	20,095	21,881
डाक विभाग	189,998	245,366	270,329	3,02,712	3,32,141	3,44,132
कुल	**48,83,829**	**97,05,461**	**1,54,18,285**	**2,23,01,658**	**3,02,15,800**	**3,45,07,507**

स्रोत: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

4.52 अटल पेंशन योजना(APY) में ग्राहकों की आयु प्रोफाइल से पता चलता है कि कम आयु के ग्राहक नामांकन के मामले बढ़ रहे हैं। मार्च 2016 को 29 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2021 तक 43 प्रतिशत से अधिक ग्राहक 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु के थे द्य इसके अलावा, अधिक लोग अब ₹ 1000 प्रति माह की पेंशन राशि का विकल्प चुन रहे है। मार्च 2016 तक 38 प्रतिशत ग्राहकों की तुलना में, सितंबर 2021 तक, लगभग 78 प्रतिशत ग्राहकों ने ₹ 1000 प्रति माह पेंशन राशि का विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2021 तक ₹ 2000/₹ 3000/₹ 4000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, जबकि 14 प्रतिशत ने ₹ 5000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुना।

4.53 अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत नामांकन में लैंगिक अंतर महिला ग्राहकों की बढ़ती भागीदारी के साथ कम हुआ है, महिला ग्राहकों की भागीदारी मार्च 2016 में 37 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 44 प्रतिशत हो गई है। नीचे दी गई तालिका-21 में उन राज्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके पास अटल पेंशन योजना (APY) खाता नामांकन 10 लाख या उससे अधिक है।

तालिका 21: अटल पेंशन योजना (APY) खातों की संख्या (12 अक्टूबर 2021 तक)

संख्या नं0	राज्य	ए पी वाई खातों की संख्या (लाख में)
1	उत्तर प्रदेश	51.9
2	बिहार	32.7
3	पश्चिम बंगाल	27.6

4	महाराष्ट्र	26.8
5	तमिलनाडु	25.5
6	आंध्र प्रदेश	20.5
7	कर्नाटक	20.5
8	मध्य प्रदेश	20.2
9	राजस्थान	17.2
10	गुजरात	14.3
11	ओडिशा	13.1

स्रोत: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

4.54 पेंशन फंड में विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल शेयर पूंजी(एग्रीगेट होल्डिंग) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में ,सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए वार्षिकीकरण (पूर्ण एकमुश्त) की आवश्यकता के बिना एनपीएस से बाहर निकलने की अनुमति की सीमा में उर्ध्वगामी संशोधन किया गया था, ग्राहक की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में ₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख तक, साथ ही एनपीएस से समय से पहले निकलने के मामले में ₹ 1 लाख से ₹ 2.5 लाख तक। 60 वर्ष की आयु के बाद शामिल होने वाले ग्राहक 75 वर्ष की आयु तक, जो पहले 70 वर्ष थी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेशक/सब्सक्राइबर बने रह सकते हैं। अपने कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन मूल निधि संचय करने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी सह-अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। इसका विस्तार बैंक कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CABs) के लिए किया गया है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान डिफॉल्ट रूप में लागू होने वाली योजना के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन फंड को चुनने के साथ-साथ अपने निवेश के स्वरुप को बदलने का विकल्प भी प्रदान किया है।

दिवाला और शोधन-अक्षमता

4.55 दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (IBC) ने एक समेकित और व्यापक दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (IBC) के अधिनियमन के साथ, भारत ने दो व्यवसायों का जन्म देखा है, अर्थात् 'दिवाला व्यवसाय' और 'मूल्यांकन व्यवसाय, जिन्होंने दिवाला सेवाओं को व्यावसायिक बनाया है। संहिता ने समाधान की संभावनाओं को खोल दिया है, जिसमें विलय, समामेलन और किसी भी प्रकार का पुनर्गठन शामिल है, जिसके लिए प्राय: व्यावसायिकों की सहायता की आवश्यकता होती है। इसने दिवाला व्यावसायिकों, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं, दिवाला व्यावसायिकों संस्थाओं की सेवाओं के लिए बाजार तैयार किया है और अधिवक्ताओं, लेखाकारों और अन्य पेशेवरों की सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है (तालिका 22)।

तालिका 22: संहिता के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र

अपील-प्राधिकारी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की दो न्यायपीठ (बेंच)					
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की 15 न्यायपीठ (बेंच)					
रेगुलेटर	भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड					
सेवा प्रदाता	As on					
	मार्च2017	मार्च2018	मार्च2019	मार्च2020	मार्च2021	सितम्बर 2021
इनफॉर्मेशन यूटिलिटी नेटवर्क	00	01	01	01	01	01

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां	03	03	03	03	03	03
दिवाला व्यावसायिक	977* + 96	1812	2456	3004	3504	3816
दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं	03	75	48	69	83	86
पंजीकृत मूल्यांकक संगठन	NA	NA	11	12	16	16
पंजीकृत मूल्यांकक	NA	NA	1186	3030	3967	4366
पंजीकृत मूल्यांकक संस्थाएं	NA	NA	0	20	40	52

स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड

नोट: *इन पंजीकरणों की वैधता छह महीने थी और यह 30 जून 2017 तक समाप्त हो गई थी

संहिता के अंतर्गत परिणाम

4.56 कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिवाला और शोधन-अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 5 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया था, जिसने 25 मार्च 2020 को या उसके बाद होने वाले किसी भी डिफॉल्ट के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार (CD) के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) की शुरुआत को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा, महामारी के कारण तनाव से गुजर रही फर्मों को सहायता देने के लिए कोड के निलंबन को 24 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 को प्रत्येक 3 महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया था। निरंतर समाधानों के साथ संयुक्त छूट के कारण 2020-21 के दौरान मामलों की संख्या में गिरावट हुई है, यह सितंबर 2021 तक थोड़ी बढ़कर 1640 हो गयी है (चित्र 20)।

चित्र 20: सीआईआरपी संचय (30 सितंबर, 2021 तक)

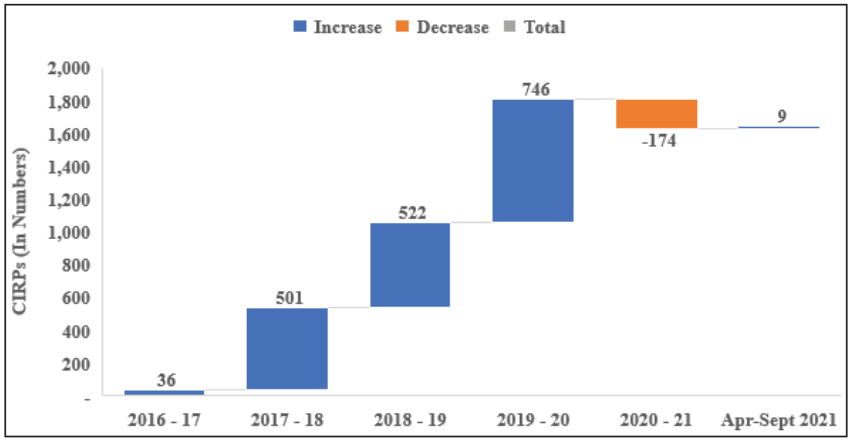

स्रोत: एनसीएलटी की वेबसाइट से संकलन और आईपी द्वारा फाइलिंग।

नोट: ये सीआईआरपी 4,593 कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) के संबंध में हैं, इसमें 1 सीडी शामिल नहीं है जो सीधे बीआईएफआर से संकल्प में स्थानांतरित हो गई है, इसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेटा शामिल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर आवेदन को कोड के वित्तीय सेवा प्रदाता (एफएसपी) नियमों के साथ पढ़े गए धारा 227 के तहत स्वीकार किया गया था।

(क) संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का बचाव

4.57 संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकट में फंसे कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) का समाधान करना है। सितंबर 2021 तक, कोड ने 421 सीडी को समाधान योजनाओं के माध्यम से बचाया और 1419 सीडी को परिसमापन के लिए भेज दिया। जब उन्हें कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में सम्मिलित/दाखिल किया गया

था तब बचाई गई सीडी में ₹ 1.48 लाख करोड़ की संपत्ति थी, जबकि परिसमापन के लिए संदर्भित सीडी में ₹ 0.52 लाख करोड़ की संपत्ति थी । यहां लगभग 74 प्रतिशत संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को बचाया गया था। परिसमापन के लिए भेजी गई सीडी में से तीन-चौथाई या तो बीमार थीं या निष्क्रिय थीं और बचाई गई फर्मों में से एक तिहाई या तो बीमार थीं या निष्क्रिय थीं। कुल सम्मिलित/दाखिल मामलों में से लगभग 65 प्रतिशत मामलों को या तो समाधान, निकासी या परिसमापन द्वारा बंद किया जा चुका है। चल रहे 1640 सीआईआरपी में से, लगभग 75 प्रतिशत मामले 270 दिनों से अधिक समय से जारी हैं (तालिका 23)।

तालिका 23: 30 सितंबर, 2021 तक सीआईआरपी की स्थिति

सीआईआरपी की स्थिति	सीआईआरपी की संख्या
सम्मिलित/दाखिल	4708
अपील / समीक्षा / निपटारे पर बंद	701
धारा 12। के अंतर्गत निकासी द्वारा बंद	527
समाधान द्वारा बंद	421
परिसमापन द्वारा बंद	1419
चल रहे/जारी सीआईआरपी	1640
> 270 days	1201
> 180 days ≤ 270 days	186
> 90 days ≤ 180 days	120
≤ 90 days	133

भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड

4.58 सीआईआरपी में प्रवेश करने पर बचाई गई 421 सीडी के पास उपलब्ध संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य केवल 1.48 लाख करोड़ रूपए था, हालांकि उन पर लेनदारों का 7.94 लाख करोड़ रूपए बकाया था। संकल्प योजनाओं से 2.55 लाख करोड़ रूपए की वसूली हुई, जो इन सीडी के वसूली योग्य मूल्य के 172 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि वसूली संहिता के तहत आकस्मिक है, वित्तीय लेनदारों (एफसी) ने अपने दावों का 32.11 प्रतिशत वसूल किया, जो सीडी के सीआईआरपी में प्रवेश करने के समय तक मूल्य क्षरण की सीमा को दर्शाता है, फिर भी यह वसूली के लिए लेनदारों के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों में सबसे अधिक है (तालिका 24)।

तालिका 24: 30 सितंबर, 2021 तक संकटग्रस्त संपत्तियों की स्थिति (राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	जिन कंपनियों को बचाया गया	जिन कंपनियों के परिसमापन का आदेश दिया गया	कुल
कंपनियों की संख्या	421	1419	1840
कुल दावे	794168	738631	1532799
परिसमापन मूल्य	147886	52036	199922
कुल दावों के प्रतिशत में उपलब्ध संपत्ति	18.62	7.04	13.04
समाधान मूल्य	254983	NA	254983
परिसमापन मूल्य के % के रूप में समाधान मूल्य	172.42	NA	NA
कुल दावों के % के रूप में समाधान मूल्य	32.11	NA	NA

लगने वाला औसत समय	495 days	375 days	435 days
समाधान मूल्य का लागत प्रतिशत	0.54	NA	NA

स्रोत: आई बी बी आई

(ख) परिसमापन

4.59 परिसमापन के आदेशों के साथ समाप्त होने वाली 1419 सीडी पर कुल 7.38 लाख करोड़ रूपए का दावा था। हालांकि, उनके पास वास्तव में केवल 0.52 लाख करोड़ रूपए की संपत्ति थी। सितंबर 2021 तक, 264 सीडी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, जिन पर 45790 करोड़ रूपए के बकाया दावे थे, लेकिन संपत्ति का मूल्य 2025 करोड़ रूपए था। इन कंपनियों के परिसमापन के माध्यम से 1983 करोड़ रूपए की वसूली की गई (सारणी 25)।

तालिका 25: 30 सितंबर, 2021 तक परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति

परिसमापन की स्थिति	संख्या
परिसमापन आरम्भ	**1419***
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत#	264
समाधान द्वारा बंद	151
गोइंग कंसर्न सेल द्वारा बंद	6
समझौता / व्यवस्था	7
परिसमापन प्रक्रिया चल रही है**	**1155**
> दो वर्ष	456
> एक वर्ष ≤ दो वर्ष	333
> 270 दिन ≤ 1 वर्ष	80
> 180 दिन ≤ 270 दिन	156
> 90 दिन ≤ 180 दिन	74
≤ 90 दिन	56

स्रोत: आईबीबीआई 2021

नोट: * इसमें 12 मामले शामिल नहीं हैं जहां एनसीएलटी / एनसीएलएटी / एचसी / एससी द्वारा परिसमापन आदेश को अलग रखा गया है; # इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां एनसीएलटी के पास जल्दी विघटन के लिए एक आवेदन दायर किया गया है; ** इसमें 3 मामले शामिल हैं जहां सीडी को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में बेचा गया है, हालांकि, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) समय और लागत

4.60 421 सीआईआरपी, जिन्होंने सितंबर 2021 के अंत तक समाधान योजनाएं प्राप्त की हैं, प्रक्रिया के समापन के लिए औसतन 428 दिन (निर्णायक प्राधिकारी द्वारा छोड़े गए समय को छोड़कर) लगे। इसमें से 388 सीआईआरपी के संबंध में लागत विवरण उपलब्ध है। 'लागत' परिसमापन मूल्य का औसतन 0.98 प्रतिशत और समाधान मूल्य का 0.54 प्रतिशत आती है।

4.61 1419 सीआईआरपी, जो परिसमापन के आदेश में समाप्त हुए, में औसतन 375 दिन लगे। इसके अलावा, 264 परिसमापन प्रक्रियाएं, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से बंद हो गई हैं, को बंद होने में औसतन 427 दिन लगे।

(ङ) व्यवहार परिवर्तन

4.62 संकटग्रस्त परिसंपत्ति का एक जीवन चक्र होता है और इसका मूल्य समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। तथ्य यह है कि संकट में एक कॉर्पोरेट देनदार व्यवसाय को किसी अलग स्वामी के हाथ में दे सकता है, जिससे देनदारों का व्यवहार बदल जाता है। हजारों कर्जदार संकट के शुरुआती चरणों में संकट का समाधान कर रहे हैं, या तो जब व्यतिक्रम निकट होता है, चुकौती के लिए एक नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदन दाखिल करने से पहले, आवेदन दाखिल करने के बाद लेकिन इसके प्रवेश से पहले, और आवेदन के प्रवेश के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जा रहा है । सितंबर 2021 तक, 5,89,516 करोड़ रुपये के अंतर्निहित डिफॉल्ट वाले सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 18,629 आवेदनों को उनके प्रवेश से पहले समाधान किया गया था। इसके अलावा, सितंबर 2021 तक संहिता की धारा 12A के अंतर्गत कुल 527 सीआईआरपी वापस ले लिए गए हैं। इनमें से लगभग तीन चौथाई सीआईआरपी में ₹ 10 करोड़ से कम के दावे थे और 701 सीआईआरपी मामलों को अपील/समीक्षा/निपटान पर बंद कर दिया गया है।

कॉरपोरेट एमएसएमई के लिए दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) और दिवाला समाधान प्रक्रिया (प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन)

4.63 तनाव के समाधान के लिए कई प्रतिस्पर्धी विकल्पों का प्रावधान अर्थव्यवस्था को व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। इस विचार के अनुरूप, दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016 को 4 अप्रैल, 2021 को एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधित किया गया था,जिससे वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के रूप में कॉर्पोरेट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP) प्रदान की जा सके और त्वरित परिणाम सुनिश्चित किए जा सके।

4.64 पीपीआईआरपी(PPIRP) में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) की कठोरता और अनुशासन है। यह एक बिंदु तक अनौपचारिक है और उसके बाद औपचारिक है। यह 'देनदार-का-कब्जा और नियंत्रण में लेनदार' का मिश्रण है। यह न तो पूरी तरह से निजी है और न ही पूरी तरह से सरकारी प्रक्रिया है - यह कंपनी को, यदि कंपनी धारा 29A के अंतर्गत पात्र है, मूल समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जो मूल्य अधिकतमकरण के लिए चुनौती के प्रभाव में है। यह दिवाला समाधान प्रक्रिया(CIRP) जितनी ही हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करता है और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त जाँच और संतुलन रखता है। इस प्रक्रिया में अदालतों और दिवाला पेशेवरों की सीमित भूमिका होती है।

4.65 प्रारंभ से पहले के चरण में अनौपचारिकता सीडी और उसके लेनदारों को व्यापार में तनाव को हल करने के सर्वोत्तम तरीके का तेजी से पता लगाने और बातचीत करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, जबकि प्रारंभ के बाद का चरण मूल्य को अधिकतम करता है और वैधानिक सुरक्षा के साथ समाधान योजना प्रदान करता है। शुरू होने की तारीख से, प्रक्रिया को 120 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है।पीपीआईआरपी के दौरान, सीडी के मामलों का प्रबंधन निदेशक-मंडल/सीडी के भागीदारों में निहित होता है, समाधान व्यावसायिक(रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) लेनदारों के मार्गदर्शन और निगरानी में प्रक्रिया का संचालन करता है।

बॉक्स 6: कॉर्पोरेट्स के लिए स्वेच्छया परिसमापन प्रक्रिया

दिवाला या शोधन-अक्षमता के मामले में परिसमापन अस्वैच्छिक हो सकता है; या स्वेच्छया जो व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है, इसमें सहायक कंपनियों का विलय आदि हो सकता है। एक कंपनी व्यवहार्य होने पर भी स्वेच्छा से अपना संचालन बंद करने का निर्णय ले सकती है। दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) की प्रारंभ के साथ दिवाला/शोधन-अक्षमता के कारण समापन की प्रक्रिया में एक बदलाव आया है। हालांकि, हाल की प्रगति के शीर्ष पर, व्यवसाय के स्वैच्छिक निकास की प्रक्रिया को अभी भी महत्वपूर्ण रूप से सरल बनाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, स्वेच्छया परिसमापन की दो मुख्य विधियाँ हैं, पहली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार(आरओसी) के माध्यम से है और दूसरी आईबीसी के अंतर्गत है। पहली विधि वर्तमान में अब तक की अधिक लोकप्रिय विधि है।

i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2)

कंपनी अधिनियम की धारा 248(2) के अंतर्गत, कंपनी अपनी सभी देनदारियों को समाप्त करने के बाद, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को विशेष समाधान या 75 प्रतिशत सदस्यों की सहमति से चुकता शेयर पूंजी के संदर्भ में एक निर्धारित तरीके से आवेदन दायर कर सकती है। कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए। अनुबंध 1 धारा 248(2) के अंतर्गत स्वेच्छया परिसमापन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है।

चरण 1 : कंपनी को बैंक खाते को बंद करने की मंजूरी देने के लिए सभी लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए एक बोर्ड बैठक बुलानी होगी, और बैंक खाता बंद होने के बाद कंपनी का नवीनतम वित्तीय विवरण तैयार करना होगा।

चरण 2: कंपनी संबंधित आरओसी में एसटीके (STK)-2 फॉर्म फाइल करती है

चरण 3: निदेशक ई-फॉर्म में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें कहा गया है कि कंपनी के पास किसी भी सरकारी विभाग (केंद्र, राज्य, वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण) के प्रति कोई बकाया नहीं है। इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

चरण 4: एमसीए वेबसाइट, राजपत्र और सबसे बड़े परिसंचारी समाचार-पत्र(एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में हो) में एक निर्धारित विधि से आरओसी द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। किसी भी दावे और आपत्ति को करने के लिए 30 दिनों का नोटिस समय प्रदान किया जाता है। यदि समापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनी विशेष अधिनियम (धारा 8 के तहत) के अंतर्गत विनियमित है, तो संबंधित नियामक निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं[8] है।

चरण 5: नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, आरओसी कंपनियों के नाम को काट सकता है और आधिकारिक राजपत्र में विघटन/समाप्ति नोटिस प्रकाशित कर सकता है।

इसे एक तेज समापन प्रक्रिया माना जाता है; तथापि, यह देखा गया कि बड़ी संख्या में लम्बित मामले थे। 13 जून 2021 तक, 28,536 लंबित मामलों में से, लगभग 10 प्रतिशत मामले 1000 दिनों से अधिक से लंबित थे और 54 प्रतिशत मामले (15,310) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, इसके बाद, सरकार द्वारा पिछले मामलों के ढेर(बैकलॉग) को दूर करने के प्रयास किए गए थे। आवेदनों की। परिणामस्वरूप, लंबित मामलों की संख्या 10 जनवरी 2022 तक 9,768 हो गई है, जिनमें से केवल 16.3 प्रतिशत ही एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, फिर भी इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है।

[8] ऐसी कंपनियाँ के लिये, जोकि व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निगमित की गई हैं जैसे कि एन बी एफ सी, असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, बीमा आदि, अपने विनियामक प्राधिकरणों जैसेकि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

ii. दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी)

दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 59 आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 (स्वैच्छिक परिसमापन विनियम) के साथ एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए तंत्र प्रदान करती है। आईबीसी की धारा 59 में कहा गया है कि 'एक कॉर्पोरेट व्यक्ति जो स्वेच्छा से खुद को समाप्त करने का इरादा रखता है और कोई चूक नहीं करता है, वह इस अध्याय के अंतर्गत स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है'। सितंबर 2021 तक इस योजना केअंतर्गत अब तक 1042 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें से 483 मामलों की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और 257 मामलों में निराकरण का अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, अर्थात लगभग 25 प्रतिशत मामलों को विघटित/भंग करके बंद कर दिया गया है। चल रहे मामलों में से। परिसमापन के लगभग 32 प्रतिशत मामले 2 वर्ष से अधिक और 19 प्रतिशत 1 से 2 वर्ष के बीच लंबित हैं (तालिका 6क)।

तालिका 6क: सितंबर 30,2021 तक स्वैच्छिक परिसमापन की स्थिति

स्थिति	परिसमापन की संख्या
आरंभ की गई	1042
वापसी	10
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	483
भंग/विघटन द्वारा बंद	257
जारी	549
> दो साल	177
> एक साल ≤ दो साल	104
> 270 दिन ≤ 1 वर्ष	61
> 180 दिन ≤ 270 दिन	107
> 90 दिन ≤ 180 दिन	35
≤ 90 दिन	65

स्रोत: आईबीबीआई

आई.बी.सी. के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया की चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1: स्वैच्छिक परिसमापन को मंजूरी देते हुए एक बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है। संहिता की धारा 59(3)(ए) में प्रावधान है कि कंपनी के अधिकांश निदेशक सॉल्वेंसी और किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए कंपनी का परिसमापन नहीं होने के संबंध में एक घोषणा पारित करेंगे। इस घोषणा के साथ 2 मदों को देना होगा:

(क) पिछले दो वर्षों के लिए या इसके निगमन के बाद से, जो भी बाद में हो, कंपनी के वित्तीय विवरण और कंपनी के व्यापार संचालन का लेखा-जोखा।

(ख) एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार कंपनी की संपत्ति, यदि कोई हो, के मूल्यांकन की एक रिपोर्ट।

चरण 2: शेयरधारक के संकल्प को पारित करना और एक परिसमापक की नियुक्ति करना। एक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों का एक संकल्प (या विशेष संकल्प) होगा जिसमें कंपनी को स्वेच्छा से परिसमाप्त करने और परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला पेशेवर की नियुक्ति की आवश्यकता होगी। कंपनी के ऋण के मूल्य में दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर उक्त संकल्प को मंजूरी देंगे।

चरण 3: परिसमापक स्वैच्छिक परिसमापन विनियमों के संहिता और विनियम 3 (2) के अनुसार सात दिनों के भीतर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) और आरओसी को संकल्प फाइल करता है। स्वैच्छिक

परिसमापन विनियमों के विनियम 14 में 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक घोषणा (अंग्रेजी और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में) करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हितधारकों को 30 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है (संहिता की धारा 38 (1))।

चरण 4: नकद और तरल निधियों के लिए एक निर्दिष्ट बैंक खाता खोलना और मौजूदा बैंक खाते को बंद करना और एक निर्दिष्ट बैंक खाते में धन का हस्तांतरण करना।

चरण 5: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और क्षेत्रीय नियामकों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करें (इन एनओसी का आईबीसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन लिया जाना निहित है)।

चरण 6: परिसमापक शेयरधारकों को अंतिम विप्रेषण देता है। इसके अलावा परिसमापक जमा करों को रोकते हैं और फिर परिसमापन के लिए खोले गए बैंक खाते को बंद कर देते हैं।

चरण 7: परिसमापक फिर शेयरधारकों, आरओसी, आईबीबीआई और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

चरण 8: एनसीएलटी द्वारा आदेश पारित किया जाता है।

चरण 9: आरओसी से कॉर्पोरेट देनदार के नाम को हटाने के लिए फॉर्म आईएनसी 28 और आरओसी के साथ आरओसी के साथ कॉर्पोरेट देनदार के विघटन के आदेश की फाइल कॉपी।

इस प्रक्रिया में पहला प्रमुख मुद्दा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य क्षेत्रीय नियामकों सहित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी है। एनओसी लेने के लिए निहित हैं, हालांकि संहिता में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इससे विभागों, परिसमापकों आदि के बीच पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सही प्रक्रिया के संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस प्रक्रिया में एक और मुद्दा यह है कि एनओसी देने के लिए विभागों में कोई अच्छी तरह से परिभाषित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं है। वर्तमान प्रथा के अनुसार, परिसमापक विभागों के प्रमुख को एक पत्र लिखते हैं जिसमें विभाग के कंपनी पर किसी भी दावे के लिए और एनओसी प्रदान करने के लिए कहा जाता है। विभाग तब आवेदन का आकलन करता है और जवाब देता है। चूंकि कोई एसओपी नहीं हैं, इसलिए विभागों द्वारा किए गए दावे विलंब से आते हैं और निर्धारित अवधि के भीतर नहीं होते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में देरी के कारण एक और समस्या यह है कि एनसीएलटी बेंच द्वारा आवश्यकताओं पर कोई मानक दिशानिर्देश नहीं हैं, प्रक्रियाओं में अंतराल पैदा कर रहा है क्योंकि कंपनी को एनसीएलटी द्वारा आवश्यक निर्दिष्ट मंजूरी लेने के लिए विभिन्न विभागों से संपर्क करना पड़ता है। एक अन्य मुद्दा मौजूदा बैंक खातों को बंद करने और परिसमापक द्वारा नया परिसमापन बैंक खाता खोलने के लिए बैंकों में झिझक है, जो परिसमापन कार्यवाही में एक अनिवार्य कदम है।

संक्षेप में, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में समस्याओं को सरल बनाने, व्यापार के लिए निकास की आसानी में सुधार करने का मामला है। प्रक्रियाओं में विभिन्न चरणों में मुद्दों को सरल बनाने के अलावा, पूरी प्रक्रिया के लिए एकल खिड़की के निर्माण की आवश्यकता है। एक पोर्टल जो परिसमापन प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरी तरह से जोड़ता है, कंपनियों द्वारा आवेदन से लेकर सभी विभागों द्वारा प्रसंस्करण तक बहुत उपयोगी साबित होगा।

सीमा पार दिवाला

4.66 सीमा पार दिवाला उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिसमें एक दिवालिया देनदार के पास एक से अधिक देशों में आस्तियों और/या लेनदार होते हैं। आमतौर पर, घरेलू कानून देनदारों की आस्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं; आस्तियों मांगना और उन्हें मौद्रिक रूप में परिवर्तित करना; घरेलू लेनदारों/देनदारों के लिए उचित प्राथमिकता आदि के अनुसार लेनदारों को वितरण करना। हालांकि, ऐसे कई दिवाला मामले हैं जिनमें निगमों पर एक से अधिक देशों में आस्ति और देनदारियां बकाया हैं।

4.67 वर्तमान में, शोधन-अक्षमता और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में दिवालिया उद्यम के प्रबंधन के लिए घरेलू कानूनों का प्रावधान है। वर्तमान में, आईबीसी के पास सीमा पार क्षेत्राधिकारों से जुड़ी फर्मों के पुनर्गठन के लिए कोई मानक लिखत नहीं है। सीमा पार प्रबंधन का स्व्वरूप नहीं होने की समस्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा मुंबई में एक भारतीय संस्थ्या से जुड़े सीमापार दिवाला मामले में भी जताई थी। [9]एनसीएलटी ने कहा कि नीदरलैंड की एक जिला अदालत के समक्ष कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है, *''आईबीसी में इस समय किसी भी विदेशी राष्ट्र की दिवालिया अदालत के फैसले को मान्य्यता देने का कोई प्रावधान और तंत्र नहीं है। इस प्रकार, भले ही विदेशी न्यायालय के निर्णय का सत्यापन किया जाता है और यह सही पाया जाता है, फिर भी, आईबीसी में प्रासंगिक प्रावधान के बिना, हम इस आदेश को रिकॉर्ड में नहीं ले सकते।''* मानकीकृत सीमा पार दिवाला ढांचा नहीं होने से जटिलताएं पैदा होती हैं और विभिन्न मुद्दे उठते हैं; जैसे:

- कोई शोधन-अक्षमता प्रशासक किसी विदेशी देश में रखी गई आस्तियों तक किस सीमा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है।
- भुगतान की प्राथमिकता - क्या विदेशी प्रशासन के पास निधियों के जाने से पहले स्थानीय लेनदारों को स्थानीय आस्तियों तक पहुंच हो सकती है या नहीं।
- एक विदेशी प्रशासन में स्थानीय लेनदारों के दावों की मान्यता।
- स्थानीय प्रतिभूतियों की मान्यता और प्रवर्तन, स्थानीय परिसंपत्तियों पर कराधान प्रणाली जहां एक विदेशी प्रशासक नियुक्त किया जाता है; आदि।

4.68 वर्तमान में, विदेशी लेनदार किसी घरेलू कंपनी के खिलाफ दावे कर सकते हैं, परंतु आईबीसी वर्तमान में अन्य देशों में किसी भी दिवाला कार्यवाही की स्वत मान्यता की अनुमति नहीं देता है। क्रॉस बॉर्डर इनसॉल्वेंसी को आईबीसी की धारा 234 और 235 (विवरण के लिए अनुलग्नक देखें) द्वारा विनियमित किया जाता है। धारा 234 केंद्र सरकार को सीमा पार शोधन-अक्षमता के बारे में स्थितियों को सुलझाने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण समझौते (धारा 234 के अंतर्गत) में शामिल देशों की संहिता के तहत दिवालिया कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य या कार्रवाई के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अदालत या प्राधिकरण (धारा 235 के तहत) को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है।

4.69 जैसा कि देखा जा सकता है, आईबीसी के तहत वर्तमान प्रावधान तदर्थ प्रकृति के हैं और उन प्रावधानों के तहत विलम्ब होने की बहुत अधिक संभावना होती है। पारस्परिक (व्युत्क्रम) समझौते करने के लिए प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत रूप से लंबी वार्ताओं की आवश्यकता होती है। इससे लेनदारों, देनदारों और अन्य हितध ारकों के दावों का क्ध्या परिणाम होगा, इसकी अनिश्चितता हो जाती है।

4.70 इसलिए सीमा पार शोधन-अक्षमता के लिए एक मानकीकृत संरचना की आवश्यकता है। यह मुद्दा नया नहीं है और वस्तुत: *इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी (आईएलसी)* (अक्टूबर 2018) की रिपोर्ट में एक सुदृढ़ सीमापार ऋणशोधन अक्षमता संरचना तैयार करने के प्रस्ताव पर पहले ही ध्य्यान दिलाया गया है। समिति ने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईट्राएल) को भारतीय संदर्भ में उपयुक्त बनाने के लिए कुछ संशोधनों के साथ अपनाने की सिफारिश की थी। वास्तव में, सीमापार शोधन-अक्षमता मुद्दे के समाधान के लिए सीमापार शोधन-अक्षमता, 1997 से संबंधित यूएनसीआईटीआरएएल सबसे बड़े पैमाने पर स्वीकार्य कानूनी

[9] भारतीय स्टेट बैंक ट जैट एयरवेज (इंडीया) लिमिटेड CP2205 (IB) / MB / 2019, CP1968 (IB) /MP/2019, CP1938 (IB)/MB/2019, आदेश दिनंक 20 जून 2019

संरचना के रूप में उभरा है। यह एक विधायी संरचना प्रदान करता है जिसे अधिनियमित क्षेत्राधिकार के घरेलू संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ देशों द्वारा अपनाया जा सकता है। इसे अब तक 49 देशों ने अपनाया है, जैसे सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया आदि। यह कानून चार मुख्य सिद्धांतों की मदद से सीमा पार शोधन-अक्षमता मामलों के मुख्य मुद्दों का समाधान करता है:

- **पहुंच:** यह विदेशी पेशेवरों और लेनदारों को घरेलू अदालतों तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है और उन्हें एक देनदार के खिलाफ घरेलू शोधन-अक्षमता कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाता है।
- **मान्यता:** यह विदेशी कार्यवाहियों की मान्यता की अनुमति देता है और अदालतों को तदनुसार राहत निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।
- **सहयोग:** यह दिवाला पेशेवरों और देशों की अदालतों के बीच सहयोग के लिए एक संरचना प्रदान करता है।
- **समन्वय:** यह विभिन्न नयायालयों में सहमत होने वाली 'समवर्ती कार्यवाहियों' को संचालित करने की अनुमति देता है।

05
अध्याय

कीमतें और मुद्रास्फीति

जैसे ही महामारी के दूसरे वर्ष में आर्थिक गतिविधियों ने तेजी के संकेत दिखाना शुरू किया, वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति की नई चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड़-19 से संबंधित प्रोत्साहन खर्च के साथ-साथ उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने वाली मांग ने कई उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) द्वारा अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और आपूर्ति में कटौती से मांग में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी वर्ष के दौरान तेजी देखी गई।

घरेलू मोर्चे पर, भारत में औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.2 प्रतिशत हो गई, जो 2020-21 की इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत थी और दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत पर दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में अधिक वृद्धि नहीं दर्ज की गई क्योंकि सरकार द्वारा आपूर्ति के संबंध में की गई त्वरित व्यवस्था के कारण खाद्य कीमतों में काफी कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान 2.9 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) पर अनुकूल बनी रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी। सब्जियों के मामले में, प्याज और आलू की कीमतें नियंत्रण में रहीं, हालांकि प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश के कारण सितंबर से नवंबर 2021 के दौरान टमाटर की खुदरा कीमतों में तेजी देखी गई। हालांकि, दिसंबर में बाजार में ताजा आवक के साथ, टमाटर की खुदरा कीमतों में भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। जबकि सब्जियों के मामले में मौसमीपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बेमौसम बारिश जैसे आकस्मिक झटके भी उनकी उपलब्धता और कीमतों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रभावी परिवहन बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित शीत भंडारण श्रृंखलाओं (कोल्डस्टोरेजचेंस) के एक मजबूत नेटवर्क की आवश्यकता है। प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा। दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए थे, जो इन वस्तुओं में आयातित मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाते हुए उच्च मुद्रास्फीति को इंगित करते थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी और बाद में अधिकांश राज्यों द्वारा वैट में की गई कटौती से भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने में मदद मिली है।

थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) पर आधारित थोक मुद्रास्फीति में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों के कमजोर होने, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आने और कमजोर मांग के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत ही अनुकूल रहने के बाद, वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 12.5 प्रतिशतकी दर से तेज वृद्धि देखी गई। यह आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल और अन्य आयातित आदानों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि और उच्च माल ढुलाई लागत

के कारण था। वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के बीच परिणामी विचलन चर्चा का विषय बना रहा। इस विचलन को आधार प्रभाव के कारण भिन्नता, दायरे में अंतर और दो सूचकांक कवरेज में अंतर, उनके मूल्य संग्रहण, सम्मिलित की गई वस्तुएं और वस्तु भार में अंतर जैसे कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अलावा, थोक मुद्रास्फीति-आयातित इनपुट द्वारा उत्प्रेरित लागत-वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील है। थोक मुद्रास्फीति में आधार प्रभाव के धीरे-धीरे कम होने के साथ, खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति में अंतर भी कम होने की उम्मीद है।

वैश्विक मुद्रास्फीति

5.1 2021 में, वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आई क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई। मुख्य रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवारों को विवेकानुदान वितरण/हैंडआउट्स के रूप में, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने वाली मांग के साथ, कोविड़-19 संबंधित प्रोत्साहन खर्च ने उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति दर वर्ष 2020 की 0.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में लगभग 3.1 प्रतिशत हो गई (चित्र 1)(आईएमएफ, 2022)। एनर्जी/ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन (ओपेक+) द्वारा अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और आपूर्ति में कटौती से मांग में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी वर्ष के दौरान तेजी देखी गई।

चित्र 1: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दरें

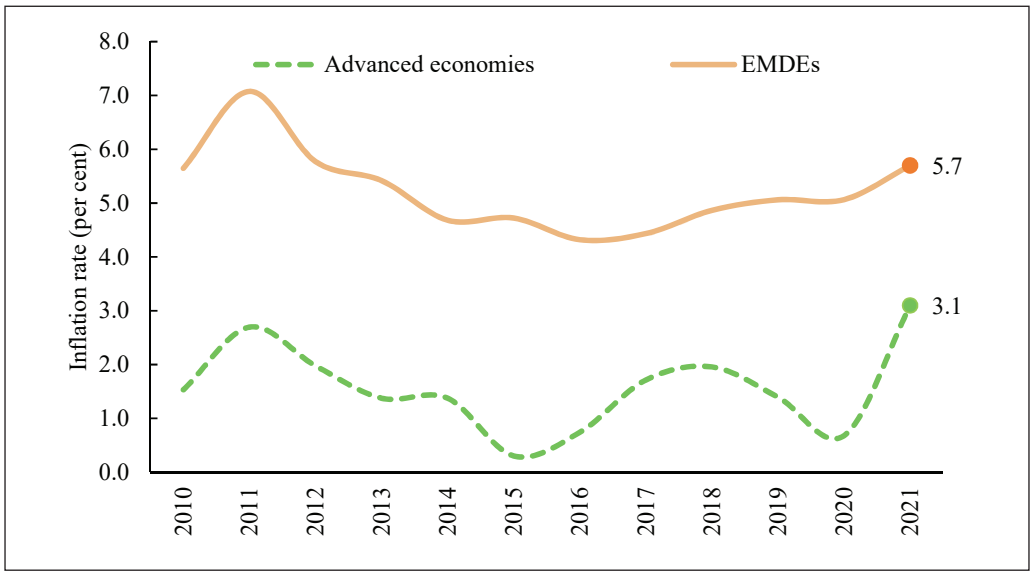

स्रोत: विश्व आर्थिक/वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, जनवरी-2022 अपडेट, आईएमएफ

नोट: 'आंकड़े वार्षिक औसत हैं;

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 40 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

5.2 हालांकि, कई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हाल के महीनों में, नवंबर 2021 में 4.9 प्रतिशत और दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत तक सीमाबद्ध तरीके से सक्रिय रही जिसका सारा श्रेय सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों को जाता है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 6.8 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 1982 के बाद सबसे अधिक है, जिसके लिए मुख्य रुप से पुराने वाहनों और ऊर्जा को जिम्मेदार माना गया। जबकि यूके में यह मुख्य रूप से ईंधन, पुरानी कारों, आवास और घरेलू सेवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण नवंबर 2021 में 10 साल के उच्च स्तर 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। उभरते बाजारों में, ब्राजील में भी 2021 के दौरान मुद्रास्फीति में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई जो दिसंबर 2021 में 10.1 प्रतिशत को छू गई। तुर्की में मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 36.1 प्रतिशत तक पहुंचकर दोहरे अंकों में रही है। (चित्र 2)। अर्जेंटीना ने पिछले छह महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी देखी है।

चित्र 2: चुनिंदा देशों और भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

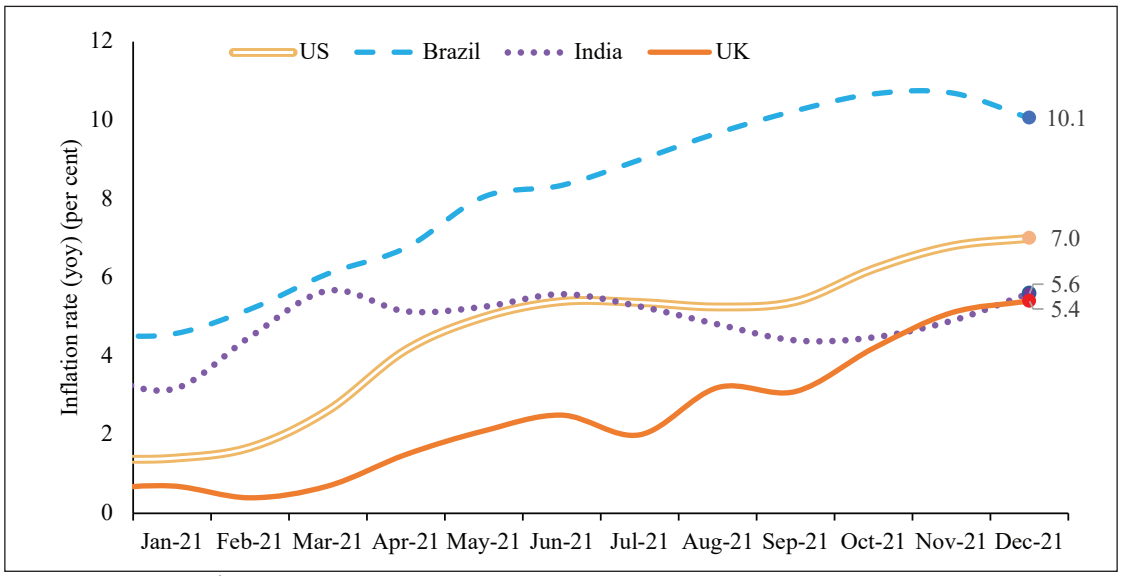

स्रोत: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

घरेलू मुद्रास्फीति

5.3 चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, कोविड-19 प्रतिबंधों, लॉक-डाउन और रात्रि कर्फ्यू के कारण उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की वजह से 2020-21 में 6 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत (तालिका 1) रही। थोक मूल्य सूचकांक पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अनुकूल रहने के बाद, 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान तेजी से बढ़ी। थोक मुद्रास्फीति में देखी गई वृद्धि के लिए पिछले वर्ष में निम्न आधार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, बढ़ती इनपुट लागत और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों ने भी थोक कीमतों में वृद्धि में काफी योगदान दिया।

तालिका 1: विभिन्न मूल्य सूचकांकों पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22*
डबल्यूपीआई	-3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	1.3	0.0	12.5
सीपीआई-सी (हेडलाइन मुद्रास्फीति)	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	6.6	5.2
सीपीआई - आई डबल्यूरु	5.6	4.2	2.9	5.6	7.3	5.2	5.2	5.0
सीपीआई - एएल	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	5.5	7.0	3.2
सीपीआई - आरएल	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	5.5	6.8	3.5

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग, और डबल्यूपीआई के लिए आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी), सीपीआई-सीके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सीपीआई-आईडबल्यू (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक), सीपीआई-एएल (कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और सी पी आई-आरएलके लिए श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: 2020-21 के लिए रुसीपीआई-आईडबल्यू मुद्रास्फीति नई श्रृंखला 2016=100 पर आधारित है; (पी) - अनंतिम; सी का अर्थ संयुक्त है, आई डबल्यू का अर्थ औद्योगिक श्रमिक है, एल का अर्थ कृषि श्रमिक है और आरएल का अर्थ ग्रामीण श्रमिक है। *2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल, आरएल (अप्रैल से नवंबर)

^2020-21 (अप्रैल से दिसंबर) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल, आरएल (अप्रैल से नवंबर)

मुद्रास्फीति और इसके चालकों में वर्तमान प्रवृत्तियाँ

खुदरा मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियाँ

5.4 औसत खुदरा मुद्रास्फीति जो 2019-20 में 4.8 प्रतिशत थी, 2020-21 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो कि कोविड़-19 से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और लॉकडाउन के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण थी। जुलाई 2021 से, खुदरा मुद्रास्फीति 1 अप्रैल, 2021-31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत +/- 2 प्रतिशत अंक की लक्षित सीमा के भीतर है। (तालिका 2)। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान 6.6 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई है।

5.5 2021-22 में, मुख्य रुप से खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति, 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) में औसतन 2.9 प्रतिशत के निचले स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी। जुलाई और सितंबर 2021 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई। हालांकि बढ़त के साथ, यह दिसंबर 2021 में बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गई।

5.6 चालू वित्त वर्ष के दौरान, खुदरा मूल मुद्रास्फीति ('खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' को छोड़कर मुद्रास्फीति-सूचकांक के अस्थायी घटक) में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है। अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के लिए औसत कोर मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.4 प्रतिशत के मुकाबले 5.9 प्रतिशत थी और अधिकांश महीनों के दौरान 6 प्रतिशत से नीचे रही। (चित्र 3)।

तालिका 2: सीपीआई-आधार 2012 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	वजन	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22#	अप्रैल-21	मई-21	जून-21	जुलाई-21	अगस्त-21	सितंबर-21	अक्तूबर-21	नवंबर-21	दिसंबर-21(पी)
समस्त समूह	100	4.8	6.2	6.6	5.2	4.2	6.3	6.3	5.6	5.3	4.3	4.5	4.9	5.6
सीएफपीआई*	39.1	6.7	7.7	9.1	2.9	2.0	5.0	5.1	4.0	3.1	0.7	0.8	1.9	4.0
खाद्य और पेय पदार्थ	45.9	6.0	7.3	8.4	3.5	2.6	5.2	5.6	4.5	3.7	1.6	1.8	2.6	4.5
अनाज और उत्पाद	9.7	2.8	3.8	5.2	-0.6	-3.0	-1.4	-1.9	-1.7	-1.4	-0.6	0.4	1.5	2.6
मांस मछली	3.6	9.3	15.4	16.3	8.0	16.7	9.1	4.8	8.3	9.2	8.0	7.1	5.5	4.6
अंडे	0.4	4.5	12.9	13.3	9.3	10.6	15.2	19.4	20.8	16.3	7.1	-1.4	-1.3	1.5
दुग्ध व दूध के उत्पाद	6.6	2.9	5.4	6.4	2.4	-0.1	0.6	1.9	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.8
तेल और वसा	3.6	2.9	16.0	14.0	30.9	25.9	30.9	34.8	32.5	33.1	34.2	33.6	29.7	24.3
फल	2.9	0.7	2.6	1.4	7.4	9.7	11.8	11.8	9.0	6.7	3.6	4.9	6.0	3.5
सब्जियाँ	6.0	21.3	5.8	11.0	-11.3	-14.5	-1.9	-0.7	-7.8	-11.7	-22.4	-19.4	-13.6	-3.0
दालें और उत्पाद	2.4	9.9	16.4	17.6	7.1	7.5	9.4	10.0	9.0	8.8	8.7	5.4	3.2	2.4
चीनी और कन्फेक्शनरी	1.4	0.8	2.5	3.5	1.3	-6.0	-1.5	0.8	-0.5	-0.6	3.0	5.4	6.2	5.6
ईंधन और प्रकाश	6.8	1.3	2.7	2.3	12.2	8.0	11.9	12.6	12.4	12.9	13.6	14.3	13.3	11.0
खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर (कोर) सीपीआई	47.3	4.0	5.5	5.4	5.9	5.3	6.6	6.1	5.8	5.8	5.9	5.9	6.2	6.0

स्त्रोत: सीएसओपी : अनंतिम *उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
^अप्रैल से दिसंबर 2020 #अप्रैल से दिसंबर 2021

चित्र 3: सीपीआई-सी हेडलाइन, मूल और खाद्य मुद्रास्फीति में रुझान/प्रवृत्तियाँ

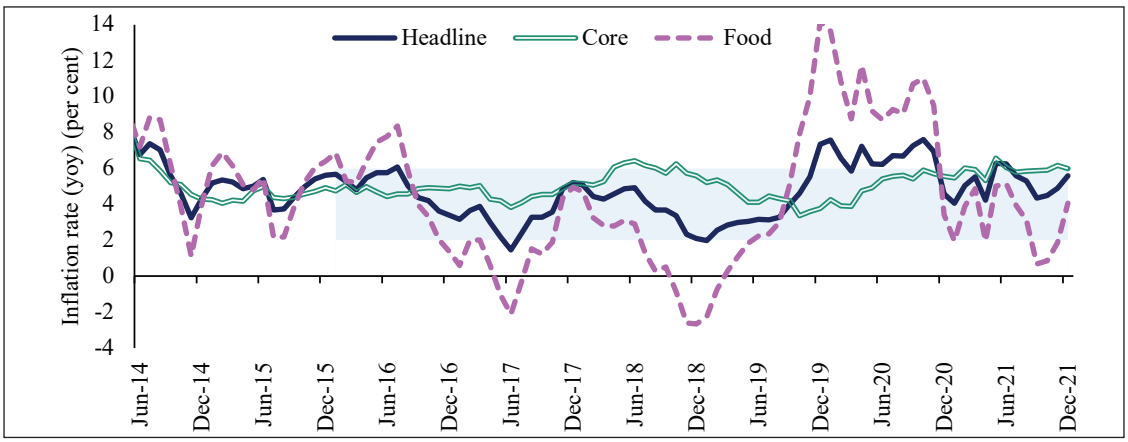

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

5.7 परंपरागत रूप से, मूल मुद्रास्फीति की गणना समग्र मुद्रास्फीति से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश'[1] समूहों को छोड़कर की जाती है। जबकि सीपीआई-सी में, 'वाहन के लिए पेट्रोल' और 'वाहन के लिए डीजल' जैसी प्रमुख ईंधन वस्तुएं, जिनका वजन अपेक्षाकृत अधिक होता है, उन्हें 'ईंधन और प्रकाश' में शामिल

[1]'ईंधन और प्रकाश' में मुख्य रूप से घरों द्वारा अपनी घरेलू ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली मदें शामिल हैं, जिसमें बिजली, एलपीजी, मिट्टी के तेल और खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य ईंधन जैसे वाहन शामिल नहीं हैं। दूसरी ओर, वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल विविध समूह के 'परिवहन और संचार' उप-समूह में शामिल हैं।

नहीं किया जाता है। इन ईंधन मदों को 'परिवहन और संचार' में शामिल किया जाता है जो कि 'विविध' समूह के तहत एक उपसमूह होता है। इसलिए, कोर मुद्रास्फीति से अस्थिर ईंधन वस्तुओं को बाहर करने के बजाय, खुदरा मूल मुद्रास्फीति की गणना करने का पारंपरिक तरीका, मूल मुद्रास्फीति में अस्थिर ईंधन वस्तुओं को शामिल करना जारी रखता है। नतीजतन, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित करती रहती है।

5.8 इस विसंगति को दूर करने के लिए 'खाद्य और पेय पदार्थ' तथा 'ईंधन और प्रकाश' के अलावा, 'वाहन के लिए पेट्रोल', 'वाहन के लिए डीजल' और 'वाहनों के लिए स्नेहक/लुब्रिकंट्स और अन्य ईंधन' हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति से निकालकर 'परिष्कृत' मूल मुद्रास्फीति का निर्माण किया गया है। पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति और परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति दोनों को चित्र 4 में प्रस्तुत किया गया है। जून 2020 से, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति से काफी नीचे रही है, जो पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति उपाय में ईंधन वस्तुओं में मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाती है।

चित्र 4: रिटेल कोर और 'रिफाइंड कोर' मुद्रास्फीति

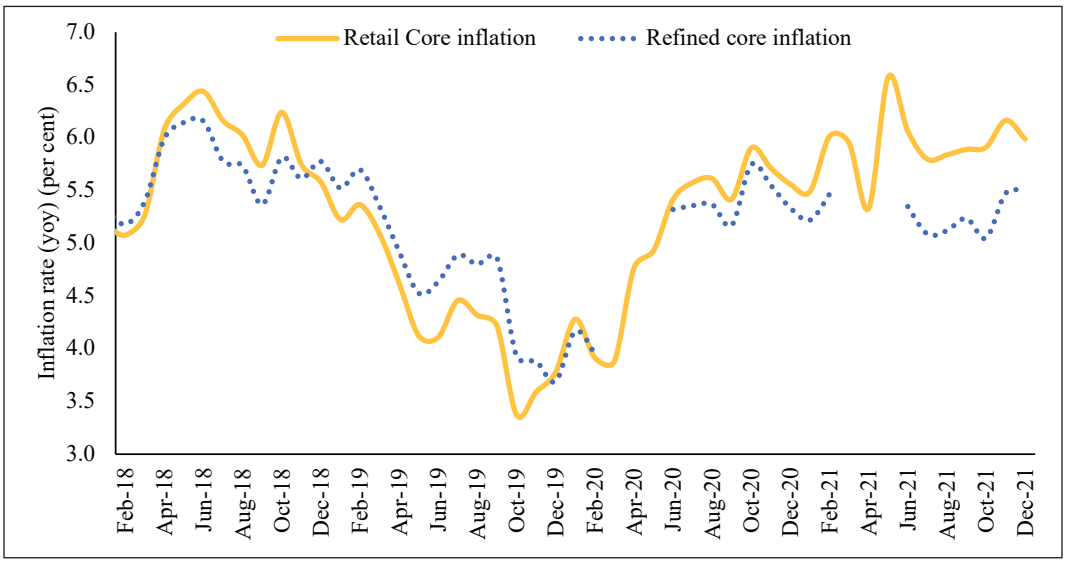

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

नोट: 'वाहन के लिए पेट्रोल', 'वाहन के लिए डीजल' और 'वाहनों के लिए स्नेहक/लुब्रिकंट्स और अन्य ईंधन' के लिए आइटम/मद स्तर सूचकांक मार्च-मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं थे।

खुदरा मुद्रास्फीति किससे प्रेरित है और क्यों?

5.9 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के विपरीत, जब 'खाद्य और पेय पदार्थों' ने मुद्रास्फीति उत्पन्न की, 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में 'विविध' और 'ईंधन और प्रकाश' समूह रहा है। 'विविध समूह' का योगदान 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 35 प्रतिशत हो गया है और 'ईंधन और प्रकाश' का योगदान 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 5) दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान, 'खाद्य और पेय पदार्थों' का योगदान 59 प्रतिशत से घटकर 31.9 प्रतिशत हो गया। 'विविध समूह' के भीतर, उप-समूह 'परिवहन और संचार' का सबसे अधिक योगदान रहा, उसके बाद स्वास्थ्य का योगदान रहा।

चित्र 5: 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) और 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में समग्र सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में समूहों का प्रतिशत में योगदान

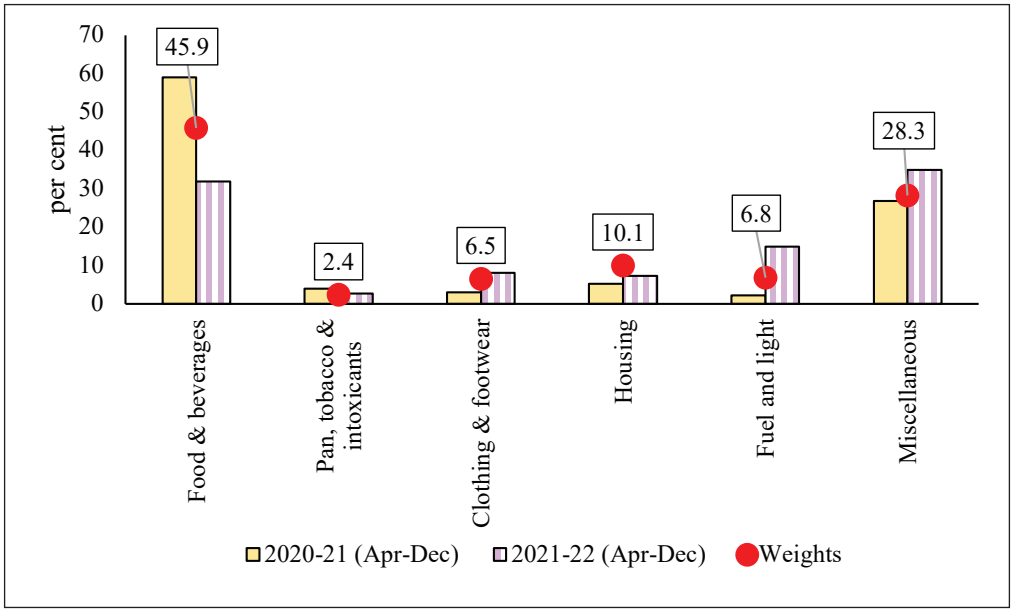

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

'ईंधन और प्रकाश' और 'परिवहन और संचार': 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में, 'ईंधन और प्रकाश' और 'परिवहन और संचार' में मुद्रास्फीति ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद की उच्च कीमतों और उच्च करों (चित्र 6) द्वारा संचालित थी। अप्रैल 2020 में, कोविड़-19 प्रेरित प्रतिबंधों के कारण वैश्विक मांग में कमी के प्र्युत्तर में, कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत 19.9 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई। हालांकि, इसके बाद, कीमतें बढ़ रही हैं (चित्र 7)। ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति में अभूतपूर्व कटौती के कारण कीमतों का ऊपर की ओर रुझान था। 2021 में भी ऊपर की ओर रुझान जारी रहा, क्योंकि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में कोविड़-19 प्रतिबंध में ढील के साथ मांग में तेजी आई। इसके अलावा, ओपेक+ देशों द्वारा पिछले साल किए गए उत्पादन में कटौती धीरे-धीरे की गई है और मांग में सुधार के साथ तालमेल नहीं रखा गया है। हालांकि, अक्टूबर 2021 की दूसरी छमाही के बाद से यूरोप में बढ़ते कोविड़-19 मामलों और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल की बहाली की संभावना सहित अन्य कारकों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी रही है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा वैट में की गई कटौती के कारण 2021 में भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में भी कमी आई है (चित्र 8)। हालांकि, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मंद होती आपूर्ति (टाइट सप्लाई) के कारण जनवरी 2022 में कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी देखी गई।

चित्र 6: 'ईंधन और प्रकाश/लाइट' और 'परिवहन और संचार' मुद्रास्फीति

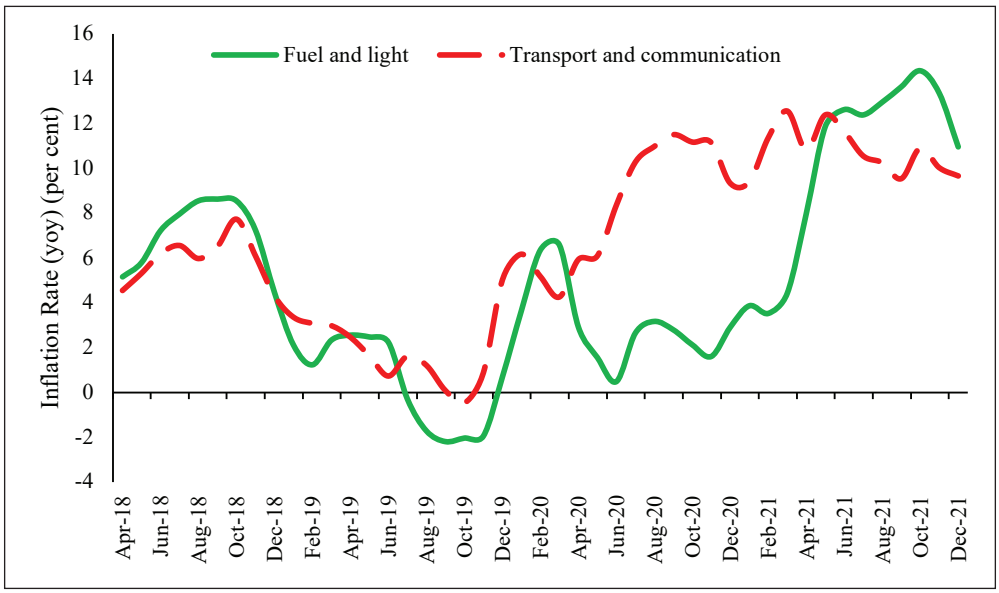

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

चित्र 7: कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत (भारतीय बास्केट)

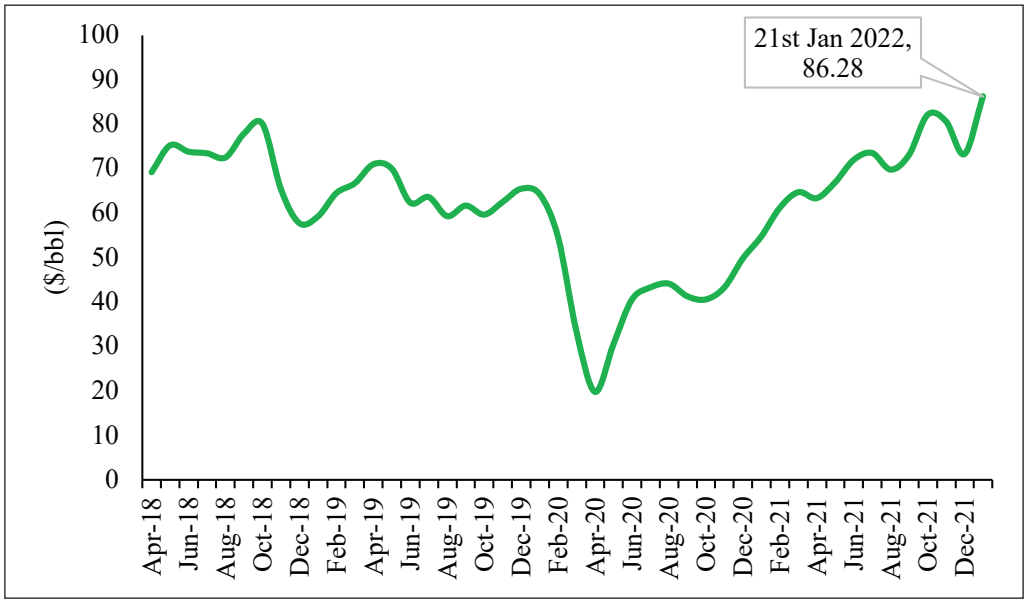

स्रोत: पीपीएसी, एमओपीएनजी

चित्र 8: चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी)

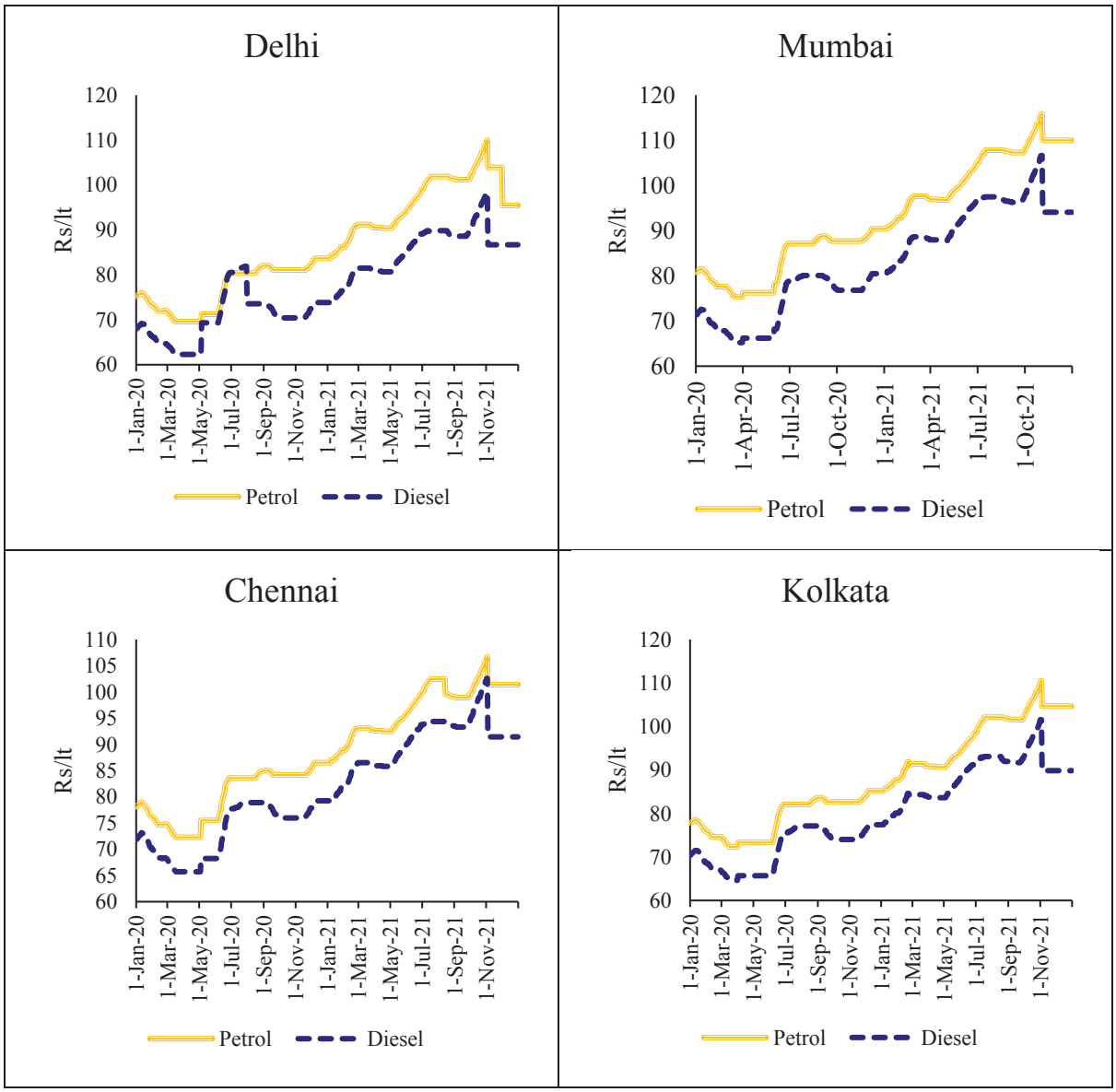

स्रोत: पीपीएसी, एमओपीएनजी

5.11 **विविध:** 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, 'विविध' समूह, जो समग्र मुद्रास्फीति का लगभग 35 प्रतिशत है, खुदरा मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इस समूह में भीतर, मुख्य रूप से वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल में मुद्रास्फीति जो उपसमूह 'परिवहन और संचार' में आते हैं। उच्च मुद्रास्फीति में ज्यादा योगदान दे रही है। 'कपड़े और जूते' से संबंधित मुद्रास्फीति में भी चालू वित्त वर्ष के दौरान एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई जो संभवत: उच्च उत्पादन और इनपुट लागत (आयातित इनपुट सहित) के साथ-साथ उपभोक्ता मांग में पुन: बढ़ोत्तरी की वजह से है।

5.12 **'खाद्य और पेय':** खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक 8 प्रतिशत से ऊपर रही, लेकिन उसके बाद इसमें 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति वृद्धि दर्ज करते हुए गिरावट आई।अनाज और उत्पादों में मुद्रास्फीति अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान नकारात्मक रही और अक्टूबर-दिसंबर 2021 में कम रही, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे

नीचे की 67 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित अनाज की पर्याप्त आपूर्ति इंगित करती है।

5.13 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान, 'सब्जियों' में मुद्रास्फीति (-)11.3 प्रतिशत पर नकारात्मक रही; जिसका समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में नकारात्मक योगदान रहा। हालांकि, टमाटर की कीमतें सितंबर 2021 के अंत के बाद भी बढ़ीं, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के उत्पादक राज्यों में बेमौसम भारी बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ और मंडी में उपज के आगमन में देरी भी हुई। प्याज और आलू की महंगाई पूरे साल नकारात्मक रही। उत्पादक राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश के कारण टमाटर की आपूर्ति बाधित होने के कारण टमाटर की कीमतों पर दबाव और बढ़ गया। दिसंबर 2021 में ताजा आपूर्ति के आने से टमाटर की कीमतों में नरमी आई है। प्याज और आलू की मुद्रास्फीति पूरे वर्ष नकारात्मक रही। मौसमी और अन्य बाहरी कारक टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं (बॉक्स 1)।

5.14 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान प्रोटीन आधारित वस्तुओं जैसे 'मांस और मछली' में मुद्रास्फीति काफी अधिक रही, क्योंकि कोविड़-19 संबंधित आपूर्ति में व्यवधान और सोयाबीन भोजन की उच्च कीमतों के कारण पोल्ट्रीफीड की ऊंची कीमतें थीं। जबकि 'मांस और मछली' की औसत मुद्रास्फीति 2020-21 में 15.4 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान 8.0 प्रतिशत कम रही है। सितंबर 2021 से 'मांस और मछली' की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, और दिसंबर 2021 में यह 4.6 प्रतिशत थी, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान सबसे कम थी। अंडे की मुद्रास्फीति में जुलाई 2021 से लगातार गिरावट देखी गई है, और अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में नकारात्मक बनी हुई है। 'दालों और उत्पादों' की मुद्रास्फीति पिछले वित्त वर्ष में उच्च बनी रही, हालांकि, सरकार के आपूर्ति व्यवस्था संबंधी सक्रिय प्रयासों के कारण जुलाई 2021 से इसमें लगातार गिरावट आई है।

बॉक्स 1: टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों में मौसमी अनियमितता

उत्पादन में मौसमी तत्व और अनियमित आघात/शॉक दो महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जो कृषि वस्तुए खासकर टमाटर और प्याज जैसी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव में योगदान करते हैं। कीमतों में बदलाव, एक वर्ष के विभिन्न महीनों के दौरान इन वस्तुओं के उत्पादन के अलग-अलग पैटर्न का परिणाम है। दूसरी ओर, आघात/शॉक अक्सर अनिश्चित मौसम की स्थिति और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। हालाँकि, इन दोनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति को कम से कम मूल्य वृद्धि के अधिक निश्चित मौसमी पैटर्न को समझने की दिशा में उन्मुख किया जा सकता है।

प्राय: एक समय श्रृंखला में चार घटक होते हैं: प्रवृत्ति, चक्र, मौसमीपन और अनियमितता। प्रवृत्ति, कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि या गिरावट का संकेत देती है। एक चक्र कीमतों में वृद्धि या गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निश्चित आवृत्ति के नहीं होते हैं जैसे कि व्यापार चक्र का प्रतिनिधित्व करना। मौसमीपन, निश्चित आवृत्ति का होता है और वर्ष के दौरान विशेष समय पर होता है। कीमतों में मौसमी कृषि वस्तुओं के उत्पादन के मौसमी पैटर्न या मांग में मौसमी जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण हो सकती है। प्रवृत्ति, चक्र और मौसमी घटकों को हटाने के बाद एक समय श्रृंखला में शेष राशि अनियमित घटक है। इसका परिमाण, प्रभाव और अवधि अप्रत्याशित एक प्राथमिकता है।

वर्तमान विश्लेषण के लिए, वर्ष के विभिन्न महीनों में इन वस्तुओं में मौसमीपनकी पहचान करने के लिए कीमतों का मौसमी घटक निकाला जाता है। दूसरी ओर, अनियमित घटक का उपयोग उस समय के बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जब विभिन्न बहिर्जातआघात/शॉक, वस्तुओं की कीमतों में उछाल का कारण बनते हैं। लोएस (एसटीएल) (क्लीवलैंडएटअल।, 1990) पर आधारित मौसमी-प्रवृत्ति अपघटन प्रक्रिया का उपयोग अपघटन

के लिए किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर मासिक खुदरा मूल्य के आंकड़े उपभोक्ता मामले विभाग से लिए गए हैं। चित्र-1ए टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों के रुझान को दर्शाता है।

चित्र 1ए: टमाटर और प्याज के खुदरा मूल्य

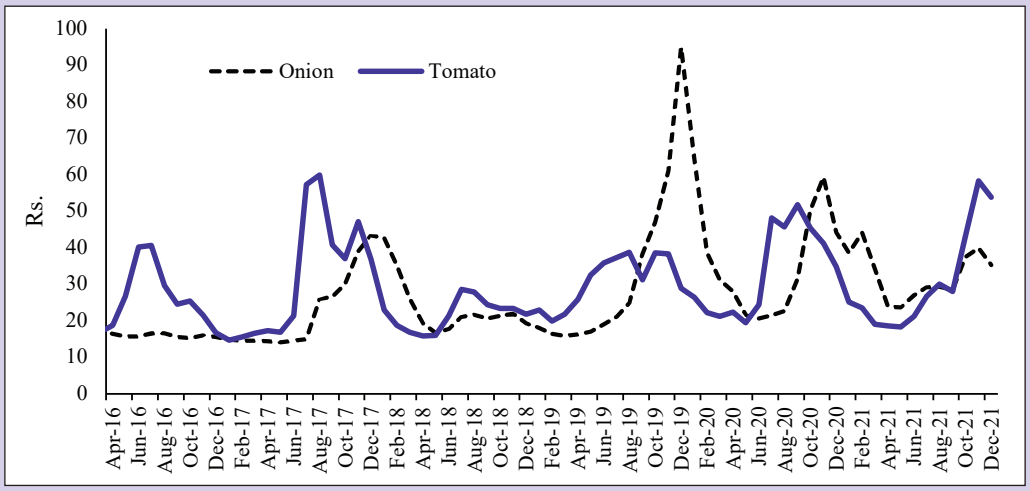

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग

1. टमाटर:

टमाटर में मौसमी तत्व:

मौसमी घटक हर साल जुलाई से नवंबर के दौरान टमाटर की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डालते हैं; जुलाई में ऊपर की ओर दबाव सबसे अधिक रहता है (चित्र 1बी)। दूसरी ओर, मौसमी कारक मार्च में कीमतों पर सबसे अधिक दबाव डालता है। कीमतों में यह मौसमीपन टमाटर के उत्पादन के मौसमी पैटर्न के परिणामस्वरूप आता है, क्योंकि टमाटर का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन रबी मौसम के दौरान ही होता है: अक्टूबर-फरवरी के दौरान रोपाई और दिसंबर-जून के दौरान फसल तैयार होती है। जुलाई-नवंबर के दौरान खरीफ उत्पादन आमतौर पर एक वर्ष में टमाटर के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत से भी कम योगदान देता है। आपूर्ति में यह भिन्नता हर साल जुलाई-नवंबर के दौरान टमाटर की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डालती है। अगर अनियमित आघात/शॉक नहीं होते तो मौसमीपन के कारण टमाटर की कीमतें लंबी अवधि के रुझान की तुलना में मार्च 2021 की तुलना में जुलाई 2021 में करीब 15 रूपये अधिक होती।

चित्र 1बी: टमाटर के खुदरा मूल्यों में मौसमीपन

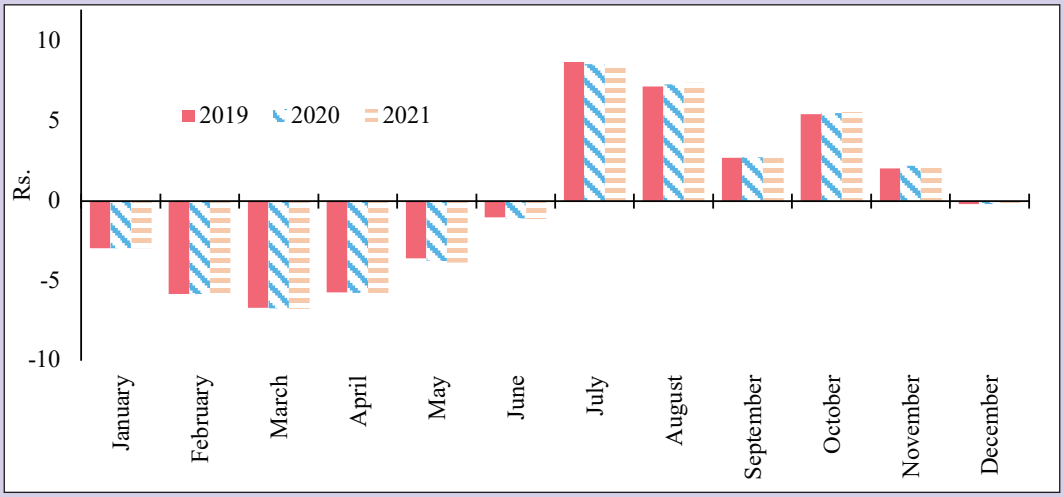

स्रोत: सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

टमाटर की कीमतों में अनियमित प्रभाव:

चित्र 1सी पिछले 5 वर्षों के दौरान टमाटर की खुदरा मूल्य श्रृंखला में अनियमित घटक प्रस्तुत करता है। चार्ट में बड़े उछाल का उपयोग कीमतों में झटके की घटनाओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। छह उदाहरणों की पहचान की गई है जब टमाटर के खुदरा मूल्य के मामले में अनियमित घटक ने एक बड़ी वृद्धि (10 रुपये के करीब या उससे अधिक) प्रदर्शित की है। कीमतों में उछाल के संभावित कारण तालिका 1ए में दिए गए हैं।

चित्र 1सी: टमाटर के खुदरा मूल्यों में अनियमित घटक

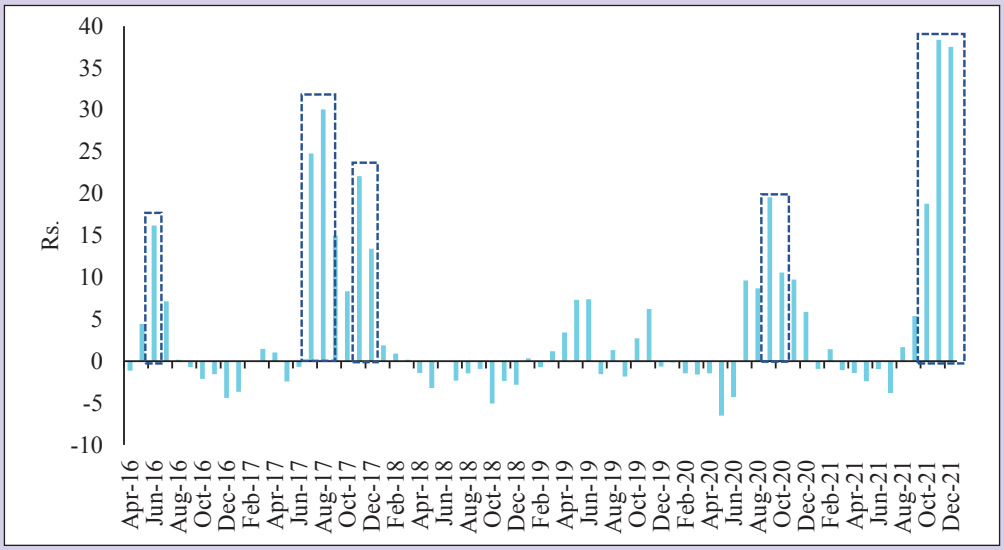

स्रोत: सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

तालिका 1ए: पिछले पांच वर्षों के दौरान टमाटर में मूल्य वृद्धि की घटनाएं

पहचानी गई घटनाएं	कारण
जून 2016	टमाटर की कम आपूर्ति, क्योंकि 2016 की रबी फसल दक्षिणी राज्यों में भीषण सूखे की स्थिति से क्षतिग्रस्त हो गई थी।
जुलाई-अगस्त 2017	मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश से फसल को कुछ नुकसान हुआ है। इसके अलावा, बारिश के कारण ट्रकों के सामान्य समय से अधिक समय लेने से परिवहन में समस्या आ रही है जिससे आवक में कमी आई है। बारिश के कारण जमा हुआ स्टॉक खराब हो गया।
नवंबर-दिसंबर 2017	कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बारिश।
मई 2019	महाराष्ट्र में देरी से कटाई के साथ-साथ कर्नाटक में फंगस से क्षतिग्रस्त फसलों ने कीमतों में शुरुआती तेजी की शुरुआत की, जो प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्यों-कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण आपूर्ति बाधित होने से बढ़ गई थी।
सितंबर 2020	भारी बारिश के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों से नई फसल की कम आवक।
नवंबर 2021	पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ और इन राज्यों से आने में देरी हुई। उत्तरी राज्यों से देरी से आवक के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश हुई जिससे आपूर्ति बाधित हुई।

2. प्याज:

प्याज में मौसमीपन:

रबी सीजन, जो दिसंबर-जनवरी में रोपाई और मार्च से मई के अंत में फसल देता है। - एक वर्ष में कुल प्याज उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है। रबी फसल की अवधि के साथ मेल खाने वाली कीमतों पर मौसमी घटक नीचे की ओर दबाव (चित्र 1डी में नकारात्मक मान) और अन्य महीनों में ऊपर की ओर दबाव (सकारात्मक मान) डालते हैं तथा यह दबाव दिसंबर में चरम पर पाया जाता है। अन्य दो उत्पादन मौसमनामत: खरीफ - जुलाई-अगस्त में रोपाई और अक्टूबर-दिसंबर में फसल - और देर से खरीफ - अक्टूबर-नवंबर में रोपाई और जनवरी-मार्च में फसल, में आपूर्ति की कमी रहती हैं।

चित्र 1डी: प्याज के खुदरा मूल्यों में मौसमीपन

स्रोत: सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

प्याज की कीमतों में उछाल:

प्याज के खुदरा मूल्य में अनियमित घटक जो चित्र 1ई में दिखाया गये है निरीक्षण के आधार पर कीमतों में वृद्धि की चार घटनाओं की पहचान की गई है। घटनाओं के संभावित कारण तालिका 1बी में सूचीबद्ध किए गए हैं।

चित्र 1ई: प्याज के खुदरा मूल्यों में अनियमित घटक

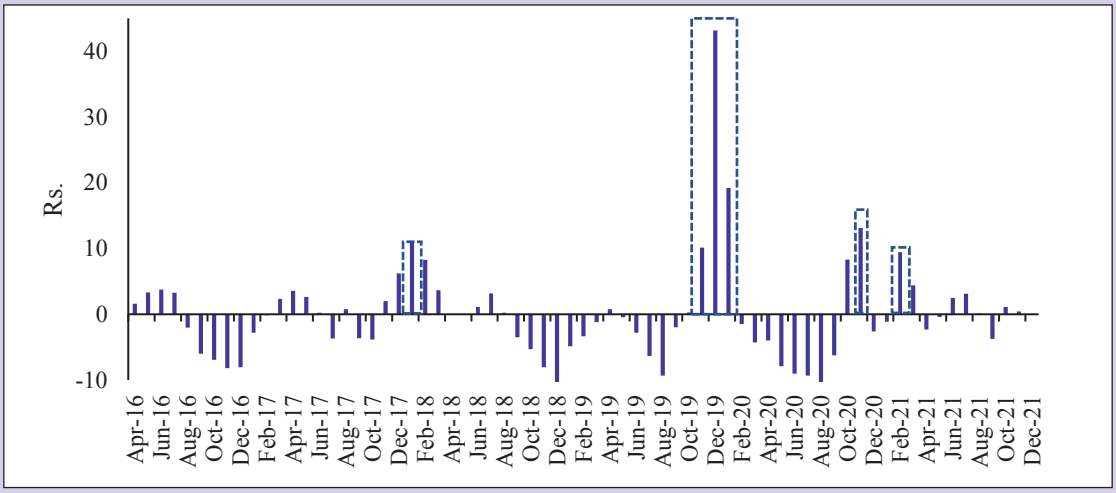

स्रोत: सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

तालिका 1बी: पिछले पांच वर्षों के दौरान प्याज की कीमतों में उछाल की घटनाएं

पहचानी गई घटनाएं	कारण
जनवरी 2018	पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र में मौसम की स्थिति में चक्रवात और पश्चिमी तट पर बनने वाले निम्न दबाव, शोलापुर, नासिक, अहमदनगर और लासलगांव जैसे क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।
नवंबर 2019-जनवरी 2020	सितंबर और अक्टूबर 2019 के महीने में बेमौसम और लंबी बारिश ने खरीफ प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाया जिससे इसकी आपूर्ति कम हो गई और इसकी कीमतों में वृद्धि हुई।
अक्तूबर- नवंबर 2020	कर्नाटक में सितंबर में भारी बारिश हुई जो कि अक्टूबर के अंत में महाराष्ट्र से खरीफ फसल से पहले थोक आपूर्ति के लिए जिम्मेदार थी ने सारा गणित खराब कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, सितंबर की बारिश ने न केवल कर्नाटक, बल्कि महाराष्ट्र से भी आपूर्ति को प्रभावित किया है, जहां अहमदनगर, नासिक और पुणे सहित प्याज बेल्ट में भारी बारिश ने पानी के रिसाव के साथ भंडारण को भी प्रभावित किया है।
फरवरी 2021	देर से आने वाली खरीफ फसल के आने में विलंब का कारण जनवरी 2021 में उत्पादक क्षेत्रों में बारिश का होना है।

निष्कर्ष

टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी में मौसमी और शॉक/आघात दोनों घटकों का योगदान रहा है। मौसमी उत्पादन पैटर्न के परिणामस्वरूप कीमतों में मौसमी नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खराब मौसम के दौरान उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए। टमाटर के अधिशेष उत्पादन के प्रसंस्करण और प्याज के प्रसंस्करण और भंडारण के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्पाद की बर्बादी में कटौती, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से भी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) बागवानी के समग्र विकास की परिकल्पना करता है और 25 टन क्षमता वाले कम लागत वाले प्याज भंडारण के प्रत्येक ढांचे के लिए 1.75 लाख रुपये प्रति यूनिट की कुल लागत के 50 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान करता है। सरकार बफर के लिए किसानों से सीधे फार्म गेट कीमतों पर प्याज भी खरीदती है। ग्रामीण गोदामों के लिए कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) जैसी योजनाएं छोटे किसानों को अपनी उपज को लाभकारी कीमतों पर बेचने और संकटपूर्ण बिक्री से बचने के लिए अपनी धारण क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। टमाटर, प्याज और आलू (टॉप/टीओपी) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए ष्ऑपरेशनग्रीन्सष भी है। यह अधिशेष उत्पादक क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करता है। उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से खपत या कमी वाले क्षेत्रों में फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी पालन, मत्स्य और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं की त्वरित आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा शुरू की गई थी।

5.15 समूह में केवल 7.8 प्रतिशत भार होने के बावजूद 'तेल और वसा' ने 'खाद्य और पेय पदार्थ' मुद्रास्फीति में 60 प्रतिशत का योगदान दिया। 2019 के मध्य से उप-समूह की मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है; अप्रैल 2020 से दोहरे अंकों में रहा और 2021-22 (चित्र 9) में और ऊपर की प्रवृत्ति देखी गई। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में इसकी महंगाई 30.9 फीसदी रही है, और दिसंबर 2021 में यह 24.3 फीसदी थी।

चित्र 9: तेल और वसा उपसमूह में मुद्रास्फीति

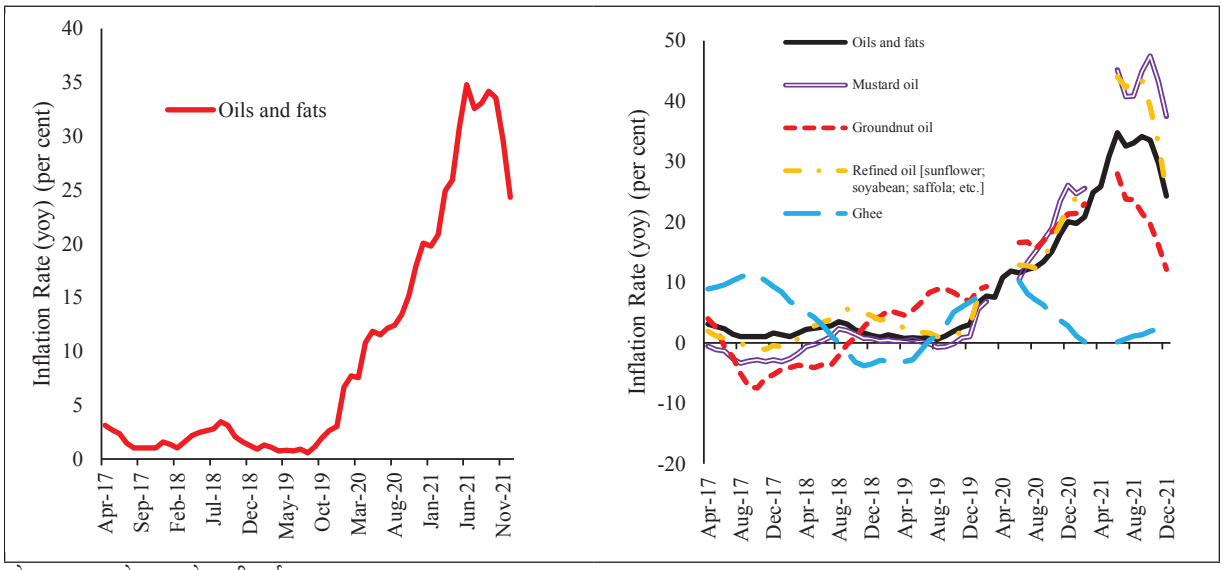

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

नोट: मार्च-मई 2020 के लिए 'सरसों का तेल', 'मूंगफली का तेल' 'रिफाइंड तेल' और 'घी' के आइटम स्तर सूचकांक उपलब्ध नहीं थे।

5.16 भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और खाद्य तेलों के आयात का लगभग 60 प्रतिशत, पामऑइल / ताड़ का तेल (कच्चा + परिष्कृत) (पीआईबी, 2021) है। नतीजतन, आयात और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव खाद्य तेल की घरेलू कीमतों को प्रभावित करता है। खाद्य तेलों की कीमतों में मौजूदा उछाल मुख्य रूप से खाद्य तेलों की उच्च और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण है। मई 2020 से खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक के तेल घटक में वृद्धि तेज रही है, और मलेशिया में उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रवासी श्रमिकों की कमी के बीच मजबूत वैश्विक आयात मांग के कारण 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है (चित्र 10; एफएओ, 2021)।

चित्र 10: एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक: खाद्य तेल घटक

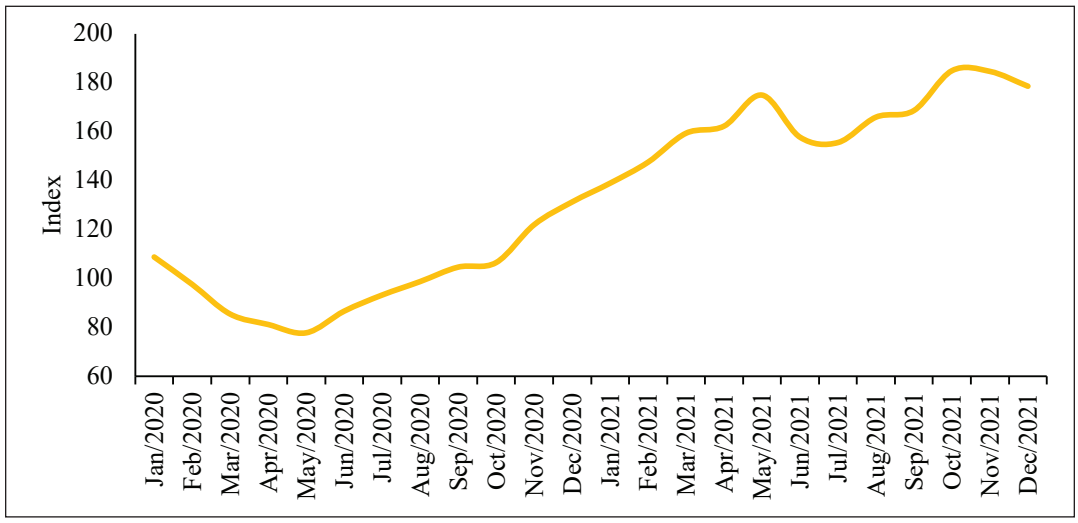

स्रोत: एफएओ

5.17 अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के साथ खाद्य तेलों के आयात में गिरावट आई। तेल वर्ष 2020-21 (नवंबर 2020-अक्टूबर 2021) के दौरान, भारत का खाद्य तेलों का आयात पिछले छह वर्षों में सबसे कम रहा है (चित्र 11)। हालांकि, मूल्य/वैल्यू के मामले में, खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को दर्शाते हुए, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में इसमें 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 11: खाद्य तेलों का आयात

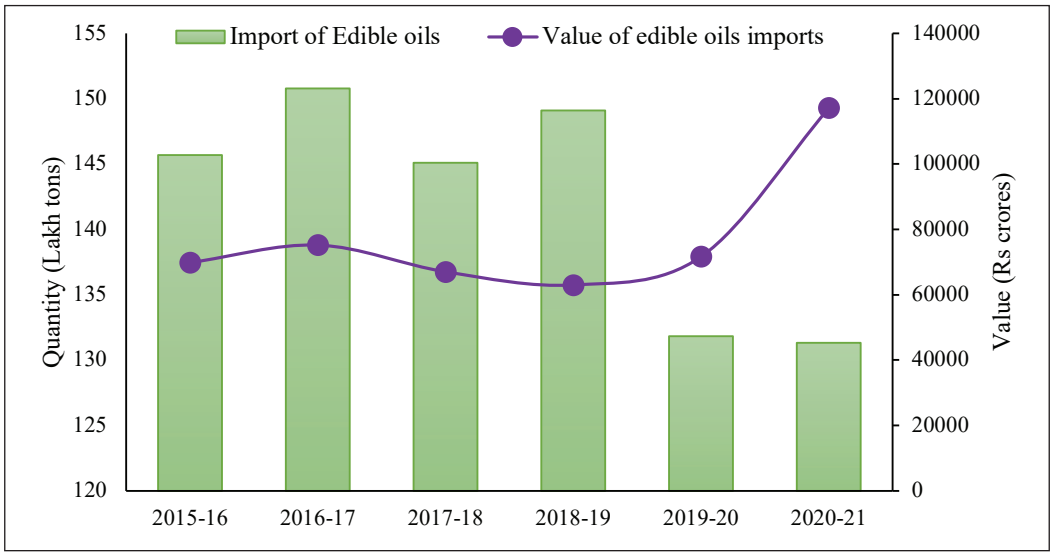

स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

5.18 दालों में मुद्रास्फीति, जो कि वर्ष 2020-21 में 16.4 प्रतिशत दर्ज की गई, 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 7.1 प्रतिशत और दिसंबर 2021 में 2.4 प्रतिशत रह गई। कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों और लॉकडाउन के दौरान परिवारों द्वारा दालों के भंडारण के परिणाम के रूप में आपूर्ति पक्ष व्यवधानों की वजह से वर्ष 2020 में मद्रास्फीती उच्च थी। प्रतिबंधों में ढील दिए जाने और खरीफ दलहनों के लिए बुवाई क्षेत्र में 142.4 लाख हेक्टेयर (1 अक्टूबर 2021 को) के एक नए उच्च स्तर पर वृद्धि के साथ, पिछले साल देखी गई उच्च कीमतों से प्रोत्साहन के साथ, दालों की मुद्रास्फीति अधोगामी/नीचे की ओर है (चित्र 12)।

चित्र 12: दालों और उत्पादों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति

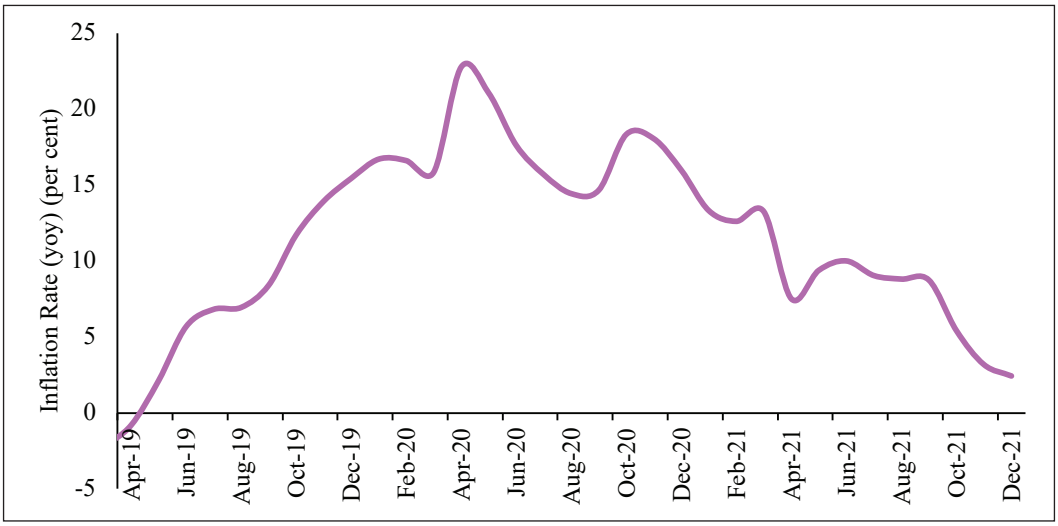

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

बॉक्स 2: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं:

दालें और प्याज

बफर बनाना

- बफर स्टॉक के उपयोग के माध्यम से मूल्य वृद्धि के दौरान प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने किसानों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से 2020-21 और 2021-22 में दालों की खरीद की है। 2021-22 में दाल बफर का लक्ष्य 23 एलएमटी है। 2021-22 में 2.08 एलएमटी का प्याज बफर बनाया गया है और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए एक कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी किया गया है।

आयात नीति

- दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, 31 मार्च 2022 तक अरहर और उड़द को 'मुक्त' आयात श्रेणी में रखा गया है।
- मसूर पर मूल आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को घटाकर क्रमशः शून्य और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 2.5 एलएमटी उड़द और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए म्यांमार के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और मलावी के साथ 0.50 एलएमटी तुअर के वार्षिक आयात के लिए समझौता किया गया है। 2 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए मोजाम्बिक के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

खाद्य तेल

- खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी के लिए, 14 अक्टूबर 2021 से खाद्य तेल पर शुल्क कम कर दिया गया है।
- 14 अक्टूबर 2021 से खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी के लिए, रिफाइंड पाम तेल/पामोलिन, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

अटकलें और जमाखोरी

- एनसीडीईएक्स पर सरसों के तेल में वायदा कारोबार को निलंबित कर दिया गया है और स्टॉक की सीमा लगा दी गई है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा लगा दी है। 8 अक्टूबर, 2021 से विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया गया है तथा स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने संबंधी (संशोधन) आदेश, 2021 जारी किया गया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से घोषित किया जाता है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है।

उत्पादन और विकल्प

- सरकार आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए द्वितीयक खाद्य तेलों, विशेष रूप से चावल की भूसी के तेल के उत्पादन में सुधार के लिए कदम उठा रही है।

सोयाबीन आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल

- 'सोया मील' की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। सोया मील पर स्टॉक की सीमा 23 दिसंबर, 2021 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए लगाई गई है।

जल्द खराब होने वाली (संवेदनशील) आवश्यक वस्तुएं

- जल्द खराब होने वाली/संवेदनशील वस्तुओं के लिए, नवंबर 2018 में ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को बाद में टीओपी/टॉप (टमाटर, प्याज, आलू) से बढ़ाकर टोटल/टीओटीएएल (41 खराब होने वाली वस्तुओं) तक विस्तारित कर दिया गया है। योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पादन समूहों और सम्मिलित किए गए लाभार्थियों के संदर्भ में व्यापक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में, 52 उत्पादन समूहों से 41 खराब होने वाली/संवेदनशील वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है। प्रारंभ से 15.12.2021 तक, अब तक 3.05 लाख मीट्रिक टन टीओपी फसलों के परिवहन/भंडारण के लिए सब्सिडी के रूप में 65.79 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप टीओपी के अलावा 51.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ 2.82 लाख मीट्रिक टन फसलों का अतिरिक्त परिवहन/भंडारण हुआ है।
- उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से उपभोग या कमी वाले क्षेत्रों में शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम करने के लिए किसान रेल ट्रेनों की शुरुआत की गई। 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल सेवा शुरू होने और 14 जनवरी 2022 तक, भारतीय रेलवे ने फलों और सब्जियों सहित लगभग 6.23 लाख टन शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को ढ़ोते हुए 1,900 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है।

बॉक्स 3: तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और मिट्टी के तेल (केरोसिन ऑयल) की कीमतों का रुझान

एलपीजी/घरेलू गैस

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमत से जुड़ी होती हैं। देश में एलपीजी की कीमतें सऊदी संविदा मूल्य (सीपी) पर आधारित हैं, जो एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के लिए बेंचमार्क/मानदंड है। सऊदी सीपी अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2021 (236 अमरीकी डालर से 846 अमरीकी डालर) तक लगभग 258 प्रतिशत बढ़ गया है।

एलपीजी सब्सिडी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) योजना के तहत संचालित होती है, जिसमें घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के रुझान की दिशा के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। मई, 2020 से घरेलू एलपीजी (दिल्ली मार्केट में) पर उपभोक्ताओं को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। हालांकि, दूर-दराज के क्षेत्रों और कुछ अन्य बाजारों में, कुछ सब्सिडी है जो मुख्य रूप से बंदरगाह से बॉटलिंग प्लांट तक उच्च अंतर्देशीय माल ढुलाई के कारण एक बाजार से दूसरे बाजार में भिन्न होती है।

गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करने के लिए, सरकार ने मई, 2016 में 5 करोड़ जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए ''प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना'' (पीएमयूवाई) योजना शुरू की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया था। स्कीम के लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से 7 माह पूर्व सितम्बर, 2019 में प्राप्त कर लिया गया। 01.04.2016 को पीएमयूवाई के कार्यान्वयन ने राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज को 61.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 01.04.2021 को 99.8 प्रतिशत करने में प्रमुख योगदान दिया। इसके अलावा, 1 फरवरी, 2021 को बजट स्पीच में, उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने की घोषणा की गई थी। अपने संशोधित संस्करण में, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना को अगस्त 2021 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उज्जवला 2.0 के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसमें लाभार्थियों की सभी मौजूदा पात्र श्रेणियों को शामिल किया गया है। उज्ज्वला 2.0 उन प्रवासियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करती है जो निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) के रुप में एक साधारण स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि प्रवासियों को निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) की व्यवस्था करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही उज्ज्वला 2.0 के सभी लाभार्थियों को मुफ्त फर्स्ट रिफिल और स्टोव प्रदान किया जा रहा है। 31.12.2021 तक, उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत प्रवासियों के लिए 2.2 लाख सहित कुल 96 लाख जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

मिटटी का तेल/केरोसिन

मिट्टी के तेल का उपयोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से प्रकाश और खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता रहा है। सरकार ने प्रकाश की जरूरतों के लिए बिजली की बढ़ती कवरेज और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग को देखते हुए खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजलीघर योजना) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद मिट्टी के तेल का उपयोग लगातार कम हो रहा है।

37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 11राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रो[2] केरोसिन मुक्त हैं अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) द्वारा इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई पीडीएस केरोसिन आवंटित नहीं किया गया है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को त्रैमासिक आधार पर एमओपी एंड एनजी द्वारा पीडीएस केरोसिन आवंटित किया जाता है। केरोसिन पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जाता है और शून्य केंद्रीय सब्सिडी के साथ बाजार मूल्य पर बेचा जाता है। एलपीजी पेनिट्रेशन, पीडीएस केरोसिन की नॉन-लिफ्टिंग आदि, सरेंडर/कमी के लिए स्वैच्छिक अनुरोध आदि जैसे कारकों के आधार पर आवंटन अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है। तमिलनाडु राज्य सरकार अभी भी राज्य सब्सिडी के माध्यम से मिट्टी के तेल पर सब्सिडी दे रही है।

1 मार्च, 2020 से प्रभावी, पीडीएस केरोसिन का खुदरा बिक्री मूल्य अखिल भारतीय आधार पर शून्य अंडर-रिकवरी स्तर पर स्थिर रखा जा रहा है और राज्यों को बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

चित्र 18: पीडीएसकेरोसिन की कीमतें/दरें

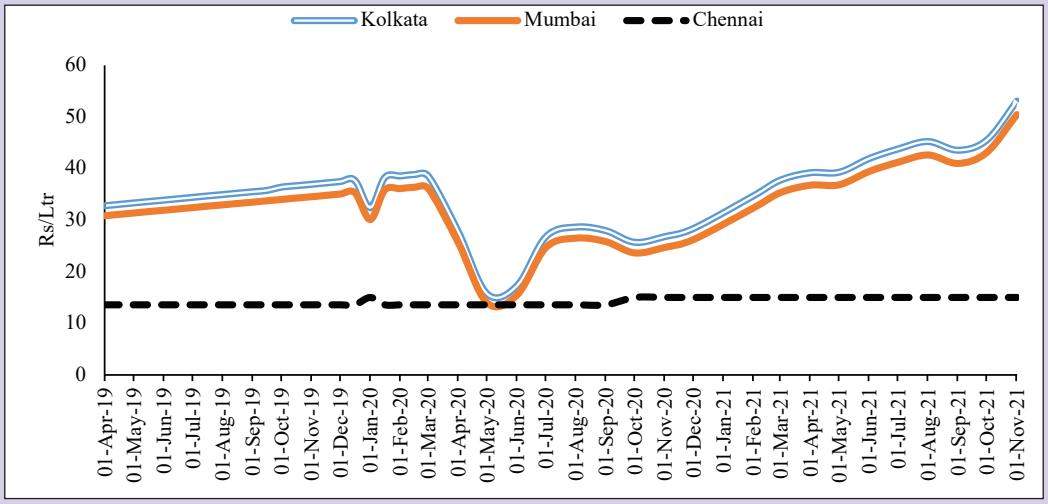

स्रोत: एमओपीएनजी

ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर

5.19 जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक ग्रामीण और शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच बड़ा अंतर मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति की दरों में अतंर के कारण था। हालांकि, 2020 में अंतर कम हो गया (चित्र 13)। 2020 में, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति के आस-पास/समान ही रही।

5.20 हम दो मुख्य विचलन बिंदुओं - नवंबर 2020 से मार्च 2021, और सितंबर 2021 से आगे का निरीक्षण करते हैं। विचलन पैटर्न में प्रमुख कारक 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह बन गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि सीपीआई ग्रामीण और शहरी दोनों में 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह को अधिक महत्व दिया गया है (चित्र 14)। ग्रामीण क्षेत्रों में 'ईंधन और प्रकाश' की मुद्रास्फीति मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में अलग-अलग ईंधन खपत पैटर्न के कारण शहरी क्षेत्रों से अलग रही है। हालांकि, यह मुख्य रूप से समग्र सूचकांक में कम भार के कारण सीपीआई-ग्रामीण और सीपीआई-शहरी के विचलन पैटर्न में प्रमुख कारक के रूप में नहीं उभरता है।

[2]आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, हरियाणा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

चित्र 13: सीपीआई ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

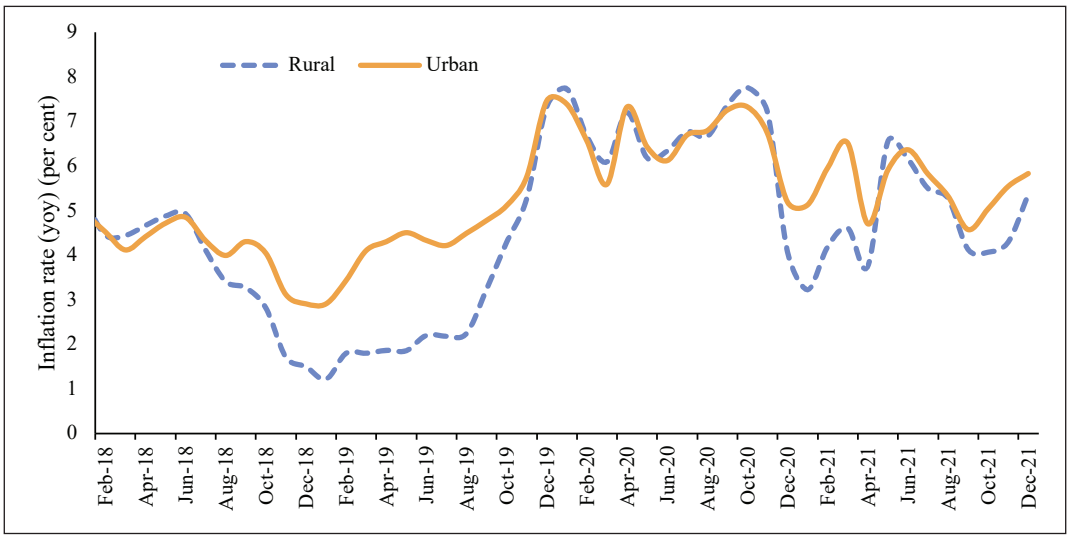

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

चित्र 14: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 'खाद्य और पेय पदार्थ' मुद्रास्फीति

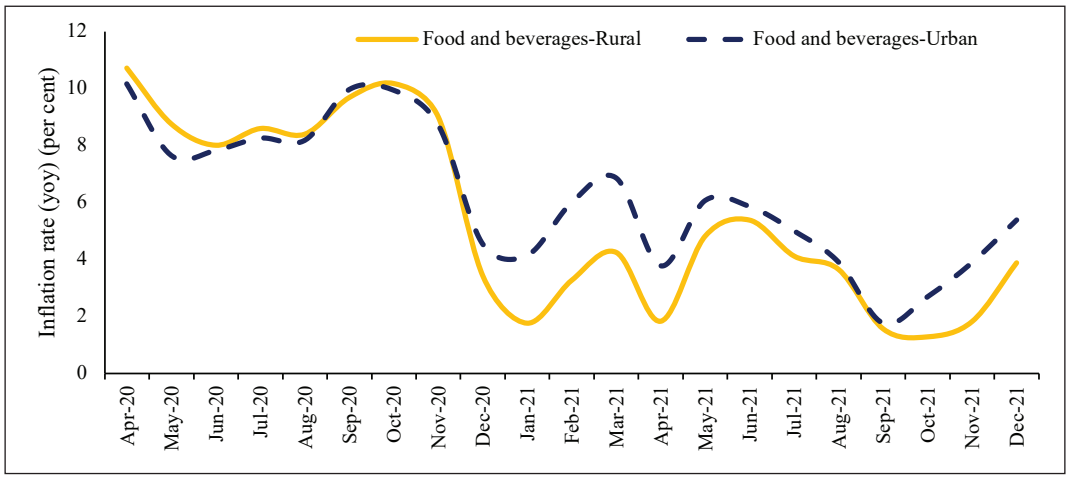

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में रुझान/प्रवृत्तियाँ

5.21 चालू वित्त वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में देखे गए रुझानों के विपरीत, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई गई है और यह उच्च बनी हुई है (चित्र 15)। थोक मुद्रास्फीति 2020-21 और 2019-20 के दौरान अनुकूल/सौम्य रही है जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में मध्यम या निम्न रही है। इसलिए, वर्तमान में देखी जा रही उच्च मुद्रास्फीति का एक हिस्सा पिछले वर्ष में निम्न आधार की वजह से हो सकता है।

5.22 हालांकि सभी तीन प्रमुख समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अधिक रही है, यह 'ईंधन और बिजली' समूह में 20 प्रतिशत से ऊपर थी, जो कि उच्च अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों को दर्शाता है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था (तालिका 3)। प्राथमिक वस्तु समूह के भीतर, 'कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस' उप-समूह में बहुत अधिक मुद्रास्फीति देखी गई है और दिसंबर 2021 में यह 55.7 प्रतिशत पर था। इसी तरह, खनिजों में पूरे वर्ष उच्च मुद्रास्फीति देखी गई है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का प्रभाव विशेष रूप से बुनियादी

धातुओं के निर्माण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था (बॉक्स 4)। बुनियादी धातुओं के निर्माण में 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 27.3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई। विनिर्मित खाद्य उत्पादों में, खाद्य तेलों का प्रमुख योगदान था। 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान डबल्यूपीआईमें खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति 36.4 प्रतिशत थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, खाद्य तेलों पर उच्च आयात निर्भरता का मतलब है कि इन उत्पादों में उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों में भी परिलक्षित होती हैं। इस अवधि के दौरान वस्त्र निर्माण में मुद्रास्फीति भी 15.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही, जो कपड़ा रेशों/टेक्सटाइल फाइबर की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी।

चित्र 15: डबल्यूपीआई में रुझान - समस्त पण्य, खाद्य और गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति

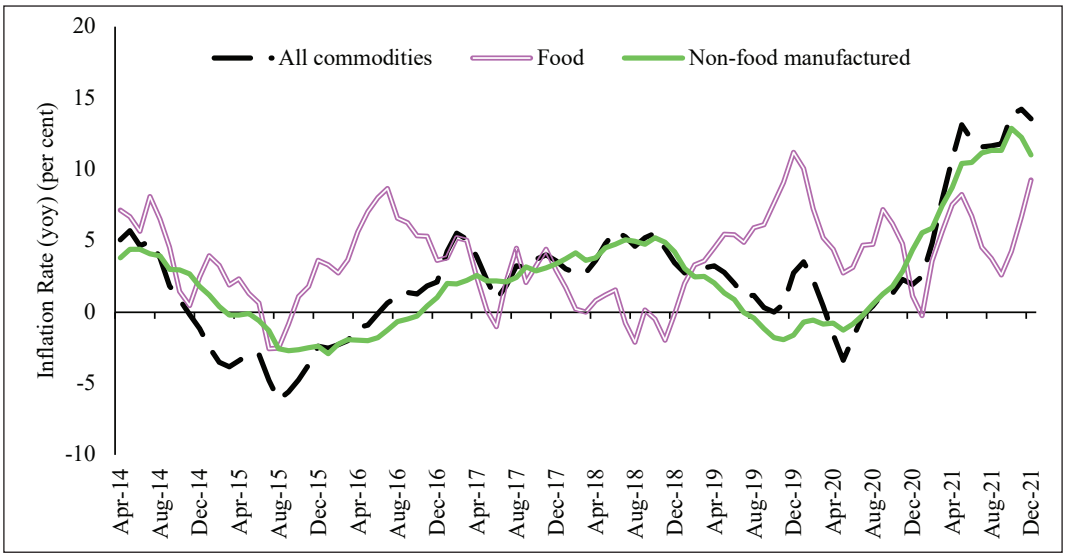

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

तालिका 3: डबल्यूपीआई-आधार 2011-12 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	भार/वजन	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22#	अप्रैल-21	मई-21	जून-21	जुलाई-21	अगस्त-21	सितंबर-21	अक्तूबर-21	नवंबर-21(पी)	दिसंबर-21(पी)
सभी कमोडिटी	100	1.7	1.3	0.0	12.5	10.7	13.1	12.1	11.6	11.6	11.8	13.8	14.2	13.6
प्राथमिक वस्तुएँ	22.6	6.8	1.7	1.3	8.6	9.9	9.4	8.6	6.3	5.9	6.0	7.4	10.3	13.4
खाद्य पदार्थ	15.3	8.4	3.2	4.0	2.5	4.6	4.2	3.3	0.1	-0.8	-2.6	1.0	4.9	9.6
अनाज	2.8	7.5	-2.6	-1.4	1.6	-3.1	-2.6	-2.8	-2.9	-1.1	1.3	3.2	4.0	5.1
दालें	0.6	15.9	11.6	12.1	8.1	10.7	12.1	11.6	8.4	9.5	9.3	5.0	2.9	3.9
सब्जियाँ	1.9	31.1	3.4	7.6	-6.6	-9.0	-7.2	-0.8	-8.3	-12.6	-32.3	-17.4	3.9	31.6
गैर-खाद्य पदार्थ	4.1	4.6	1.3	-0.4	20.4	15.6	18.4	18.6	22.9	28.7	29.5	18.4	13.8	19.0
खनिज पदार्थ	0.8	13.2	6.8	3.5	15.3	20.6	13.3	15.3	12.6	7.2	30.8	16.6	20.9	3.8
कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2.4	-7.6	-17.4	-25.2	57.9	80.8	59.5	47.0	42.3	34.5	49.0	86.4	76.6	55.7
ईंधन और पावर	13.2	-1.8	-8.0	-11.6	31.4	21.3	36.7	29.3	27.0	28.2	29.5	38.6	39.8	32.3
विनिर्मित उत्पाद	64.2	0.3	2.8	1.5	11.3	9.4	11.3	11.0	11.5	11.6	11.6	12.9	11.9	10.6
खाद्य पदार्थ	9.1	4.1	5.6	5.0	12.5	13.1	15.6	13.3	13.1	12.7	12.9	12.8	10.3	8.7
खाद्य तेल	2.6	1.5	20.3	17.5	36.4	44.5	51.9	43.6	42.7	40.7	37.4	33.2	23.2	16.8
खाद्य सूचकांक	24.4	6.9	4.0	4.3	5.9	7.5	8.2	6.7	4.5	3.8	2.6	4.3	6.7	9.2
गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	-0.4	2.2	0.8	11.1	8.7	10.4	10.5	11.1	11.3	11.3	12.9	12.3	11.0

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी पी: अनंतिम

^: अप्रैल से दिसंबर 2020; #: अप्रैल से दिसंबर 2021

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दरों के बीच विचलन

5.23 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-सी पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर में जून 2019 से विचलन दर्ज किया गया है। जून 2019 से फरवरी 2021 के बीच थोक महंगाई खुदरा महंगाई से कम रही, जबकि मार्च 2021 से दिसंबर 2021 के बीच थोक महंगाई खुदरा महंगाई से ऊपर रही। चालू वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सीपीआई से अधिक थी लेकिन विचलन भी बढ़ा (चित्र 16)। दिसंबर 2021 में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर खुदरा मुद्रास्फीति की तुलना में 8 प्रतिशत अंक अधिक थी। यह प्रवृत्ति संभावित प्रश्न उठाती है: डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति, सीपीआई मुद्रास्फीति से अधिक होने के बावजूद सीपीआई मुद्रास्फीति, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से अलग क्यों हो रही है?

5.24 कोविड़-19 महामारी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, उत्पादन गतिविधि 2020-21 में मंदित रही और मांग में कमी के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। इसलिए, 2020-21 में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर 1.3 प्रतिशत के निचले स्तर को छू गई। 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ, 2020-21 के निम्न आधार के कारण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 14.2 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 12.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। (अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान 0.04 प्रतिशत के मुकाबले)। इसलिए, 2021 में उच्च डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर काफी हद तक पिछले वर्ष के निम्न आधार के कारण है। दूसरी ओर, खुदरा मुद्रास्फीति जो आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 2020-21 के दौरान उच्च बनी हुई थी, प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के कारण 2021-22 में कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के बीच विचलन हुआ।

चित्र 16: सी पी आई और डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति के बीच अंतर

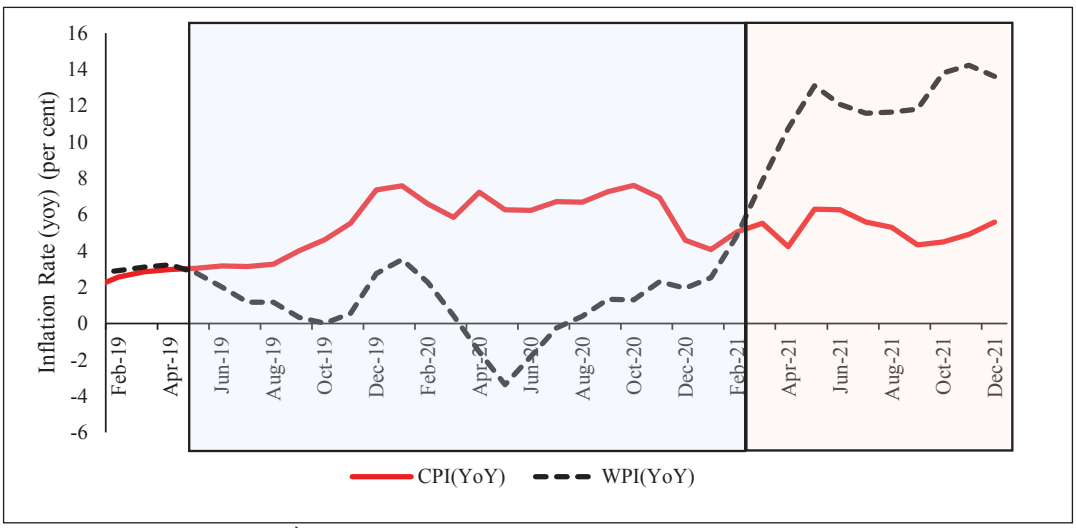

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआईऔर ओईए, डीपीआईआईटी

5.25 हालांकि डबल्यूपीआई और सीपीआई में विचलन के कारणों में से एक कारण आधार प्रभाव भी हो सकता है, दो सूचकांकों में वर्तमान विचलन को उनके उद्देश्य और डिजाइन में अंतर और दोनों के विभिन्न घटकों के मूल्य व्यवहार के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। सीपीआई उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार को दर्शाता है, जो एनएसएस घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए घरेलू खपत पैटर्न के आधार पर प्राप्त होता है, और खुदरा स्तर पर मूल्य उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। दूसरी ओर, डबल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर बिक्री के पहले बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक लेनदेन में संबंधित वस्तुओं की हिस्सेदारी पर आधारित है। इसलिए, हालांकि सीपीआई-सी में वस्तुओं का भार उपभोक्ताओं और घरों के उपभोग पैटर्न पर आधारित होता है,

डब्ल्यूपीआई श्रृंखला के मामले में, आइटम बास्केट के वजन को घरेलू उत्पादन में शुद्ध व्यापार मूल्य की गणना करके घरेलू उत्पादनमें शुद्ध आयात को जोड़कर निकाला जाता है।

5.26 विशिष्ट वस्तु समूहों के महत्व और मान/वजन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। सीपीआई में, खाद्य और पेय पदार्थों का वजन सबसे अधिक (45.9) होता है, डब्ल्यूपीआई में, विनिर्मित समूह का वजन सबसे अधिक (64.2) होता है। ईंधन समूह का भार थोक मूल्य सूचकांक (13.2) की तुलना में सीपीआई (6.8) में काफी कम है। सीपीआई में ईंधन भी आंशिक रूप से 'परिवहन और संचार' के तहत विविध समूह के तहत परिलक्षित होता है। सीपीआई में विविध समूह, में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सोने के आभूषण जैसे सामान शामिल हैं जो सूचकांक (28.3) का लगभग एक चौथाई बनाता है। डबल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं हैं।

5.27 आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण 2020 के दौरान खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई। चूंकि आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम किया गया और विशेष रूप से दालों और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं के लिए प्रभावी आपूर्ति पक्ष उपाय किए गए, जिनके लिए आयात अधिक रहा है। 2021 में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई और दिसंबर 2021 में 4.0 प्रतिशत थी। औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.1 प्रतिशत थी। सीपीआई में 45.9 के वजन के मुकाबले, डब्ल्यूपीआई में खाद्य वस्तुओं का वजन केवल 24.4 है (प्राथमिक समूह के साथ साथनिर्मित समूह में आने वाले में खाद्य पदार्थ)। सीपीआई में भोजन का उच्च भार सीपीआई को डब्ल्यूपीआई की तुलना में खाद्य कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

5.28 जैसा कि ऊपर कहा गया है, डब्ल्यूपीआई निर्मित उत्पादों और 'ईंधन और बिजली' समूह को एक बड़ा भार/मान प्रदान करता है। महामारी के कारण लंबे समय तक देश भर में औद्योगिक गतिविधियों के बंद रहने के कारण, ऊर्जा और इनपुट की मांग में तेज गिरावट देखी गई और इससे विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट आई। हालांकि, दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के साथ, ऊर्जा की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और औद्योगिक इनपुट लागत दबाव और उच्च माल ढुलाई लागत के कारण 2021 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में भी तेज वृद्धि हुई। यह वर्ष के दौरान निर्मित क्षेत्र और ईंधन समूह में उच्च डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में परिलक्षित हुआ। इस प्रकार, जहां एक ओर कम खाद्य मुद्रास्फीति ने सीपीआई को नीचे खींच लिया, वहीं दूसरी ओर उच्च ऊर्जा और इनपुट कीमतों ने डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर (चित्र 17) को बढ़ा दिया।

चित्र 17: खुदरा खाद्य और थोक ऊर्जा कीमतों में सालाना मुद्रास्फीति चक्र

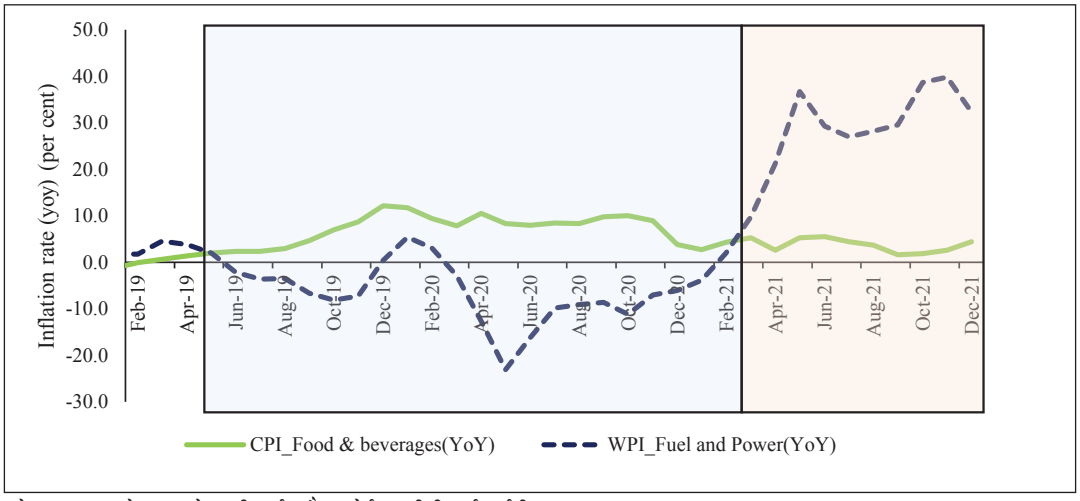

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

5.29 विनिर्माण क्षेत्र न केवल कच्चे तेल का उपयोग करता है बल्कि लौह अयस्क, एल्यूमीनियम, अन्य धातु और कपास जैसी कई अन्य आयातित मदों का भी इनपुट के रूप में उपयोग करता है। डब्ल्यूपीआई के ऐसे मध्यवर्ती और इनपुट मद जो कि सीपीआई का हिस्सा नहीं हैं सीपीआई से इसके विचलन में एक भूमिका निभाते हैं। ऐसी विभिन्न इनपुट मदों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, जिनका आयात हिस्सा अधिक है, डब्ल्यूपीआई (बॉक्स 4) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, न कि सीपीआई को।

5.30 हालांकि सीपीआई उपसमूह 'परिवहन और संचार' जिसमें वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल शामिल है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, डब्ल्यूपीआई का उप-समूह 'ईंधन और बिजली', जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है, बहुत अस्थिर रहा है (चित्र 18)। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में ईंधन समूह का योगदान सीपीआई में उपसमूह 'परिवहन और संचार' की तुलना में सूचकांक में उनके उच्च भार के कारण अधिक था। (चित्र 18)

चित्र 18: खुदरा और थोक ऊर्जा मुद्रास्फीति दरों के बीच विचलन

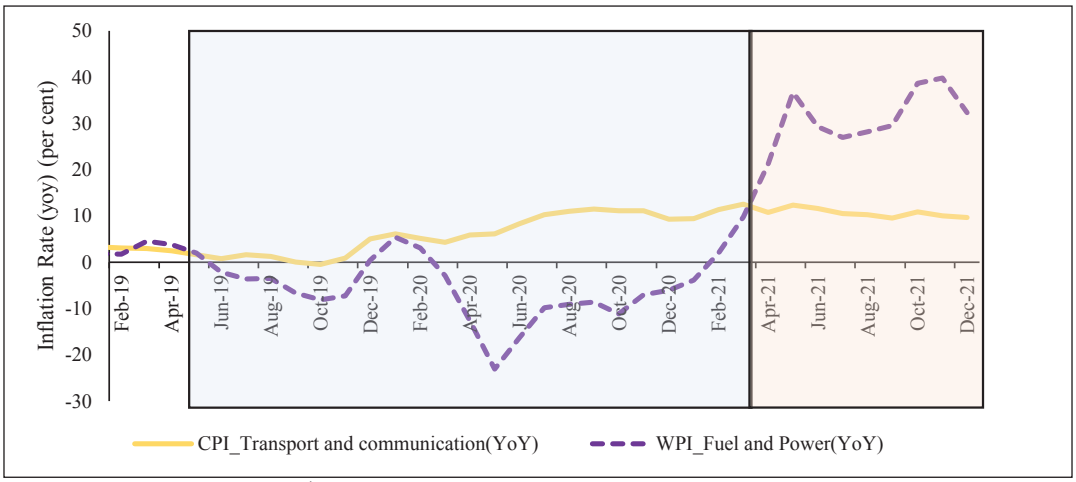

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

5.31 2020 में कच्चे तेल की मांग में गिरावट के कारण वर्ष पेट्रोल और डीजल की थोक कीमतों में गिरावट ने (इसमें कर और शुल्क शामिल नहीं हैं), 2021 के दौरान थोक मुद्रास्फीति के लिए निम्न आधार बनाया, जबकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा मुद्रास्फीति कर तथा शुल्क से प्रभावित हुई। यह उत्पाद शुल्क जो अन्य स्रोतों से राजस्व कम होने के कारण लगाए गए थे, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के कारण कम हो गए। 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने लगी। नवंबर 2021 में डीजल और पेट्रोल के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में इस कटौती और बाद में अधिकांश राज्यों द्वारा वैट में कमी का डीजल और पेट्रोल की खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ा, परंतु फिर भी थोक मूल्य उच्च स्तर पर ही बने रहे जिसके परिणामस्वरूप विचलन का विस्तार हुआ (चित्र 19 और 20)।

चित्र 19: पेट्रोल की खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दर

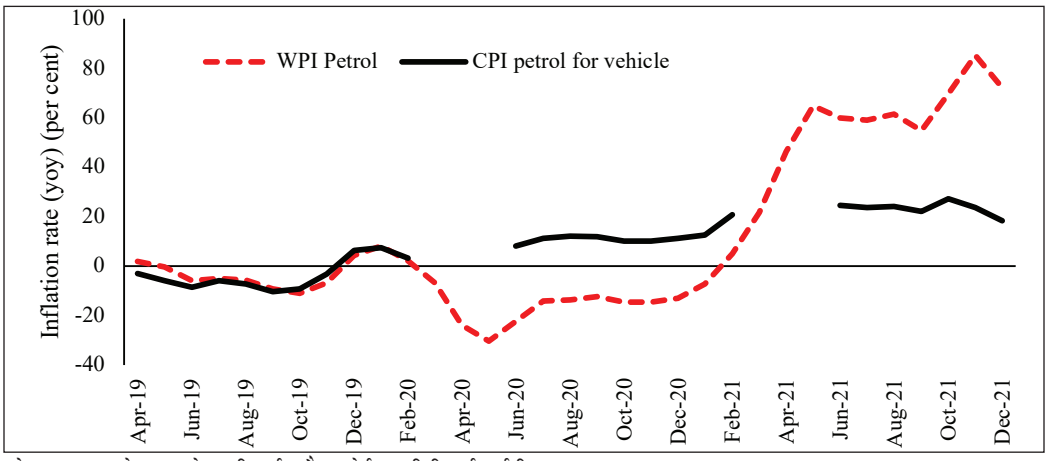

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

नोट: वाहन के लिए सीपीआई पेट्रोल का आइटम लेवल इंडेक्स मार्च-मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं था।

चित्र 20 : डीजल की खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दर

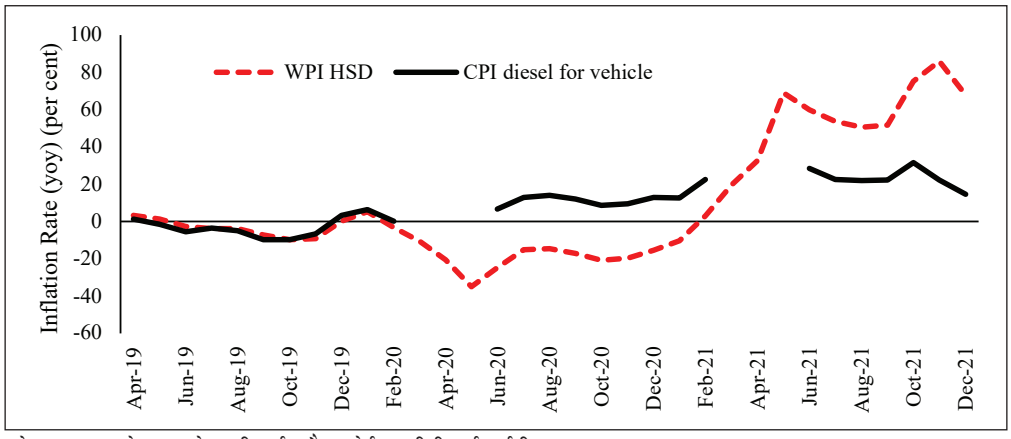

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

नोट: वाहन के लिए सीपीआई पेट्रोल का आइटम लेवल इंडेक्स मार्च-मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं था।

5.32 विचलन का एक अन्य कारण मांग में कमी होना है। हालांकि महामारी पूर्व स्तर तक पहुंचने के लिए 2021-22 में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा है, खपत की मांग अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। कमजोर हस्तांतरण होने के साथ, डबल्यूपीआई और सीपीआई के बीच का अंतर बढ़ रहा है लेकिन आधार प्रभाव के कमजोर होने के साथ इसके धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

बॉक्स 4: वैश्विक कमोडिटी की कीमतें और घरेलू मुद्रास्फीति

2020 और 2021 की दूसरी छमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक रहा है। कोविड-19 अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद, ऊर्जा सूचकांक ने जनवरी 2021 से 12 महीनों में से 5 में तीन अंकों की वृद्धि दर्ज की है (चित्र 4ए) । चालू वर्ष के दौरान खाद्य और धातु और खनिज कीमतों में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

चित्र 4ए: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मूल्य सूचकांकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

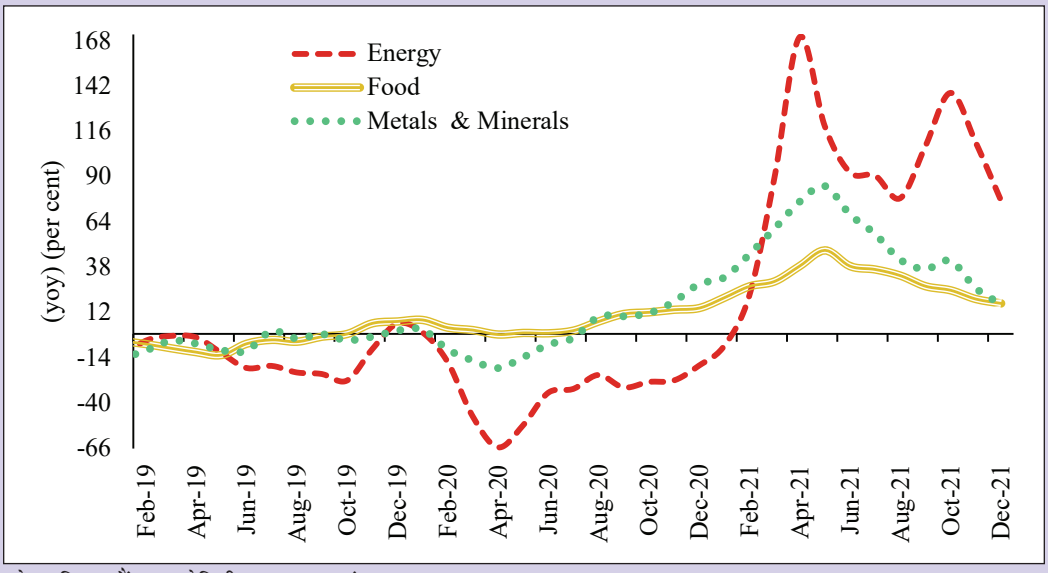

स्रोत: विश्व बैंक कमोडिटी मूल्य सूचकांक

हालांकि भारत में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन के कारण नियंत्रण में रही, विनिर्माण वस्तुओं की उच्च वैश्विक कीमतों का घरेलू कीमतों, विशेष रूप से मूल धातुओं पर प्रभाव पड़ा है। वाहनों, विनिर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि और निर्माण गतिविधियों में तेजी के कारण वैश्विक एल्युमीनियम की कीमतों में वृद्धि हुई है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते एल्युमीनियम के एक प्रमुख निर्यातक चीन ने अपने उत्पादन में कटौती की है।

तांबे की कीमतों में 2021 के शुरुआती महीनों में वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं में असाधारण वैश्विक उठाव और चीन से बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में अपने बढ़े हुए निवेश के कारण मांग की वजह से भी है। कम होती मांग और चिली और पेरू में स्ट्राइक के खतरों ने उत्पादन जोखिम बढ़ा दिया है और तांबे की कीमतों पर दबाव बनाया है (विश्व बैंक, 2021)।

लौह अयस्क की कीमतों में शुरुआती उछाल काफी हद तक चीन में इस्पात उत्पादन की मजबूत मांग को दर्शाता है, जिससे लौह अयस्क के आयात में वृद्धि हुई है। हालांकि, हाल ही में कीमतों में गिरावट देखी गई है। शीर्ष निर्यातक ऑस्ट्रेलिया में पहले के मौसम की गड़बड़ी और नंबर दो शिपर ब्राजील[3] में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद हाल के महीनों में लौह अयस्क की आपूर्ति में सुधार हुआ है।

[3]https://www.reuters.com/world/americas/iron-ore-makes-unruly-retreat-more-normal-price-levels-russell-2021-09-20/

पहली तिमाही में टिन की कीमतों में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जो मार्च 2021 में 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में टिन सोल्डर की बढ़ती मांग के साथ-साथ बोलीविया, पेरू और मलेशिया में लॉकडाउन, ब्राजील और इंडोनेशिया में स्वैच्छिक उत्पादन में कटौती और म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आपूर्ति में व्यवधान से कीमतों में वृद्धि हुई (विश्व बैंक, 2021क)।

मई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतें ऊपर की ओर रुझान दिखा रही हैं और पिछले दस वर्षों में देखी गई तुलना में उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। कपास सूचकांक की कीमत जो अप्रैल 2020 में 1.40 डॉलर प्रति किलोग्राम थी, नवंबर 2021 में तेजी से बढ़कर 2.79 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई, हालांकि दिसंबर 2021 में यह घटकर 2.65 डॉलर प्रति किलोग्राम रह गया है। कपास की कीमतों में मजबूती की वजह, वर्ष 2020 में कोविड़-19 संबंधित संकुचन के बाद कपास की मांग में सुधार मानी जा सकती है (विश्व बैंक, 2021ख)।

संबंधित वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापी गई घरेलू मुद्रास्फीति इन वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के साथ अत्यधिक सह-संबधित रही है। घरेलू एल्युमीनियम और तांबे की कीमतों में मुद्रास्फीति सकारात्मक है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है (चित्र 4बी)।

चित्र 4बी: एल्युमीनियम, कॉपर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति और संबंधित वस्तुओं में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (जनवरी 2018-दिसंबर 2021)

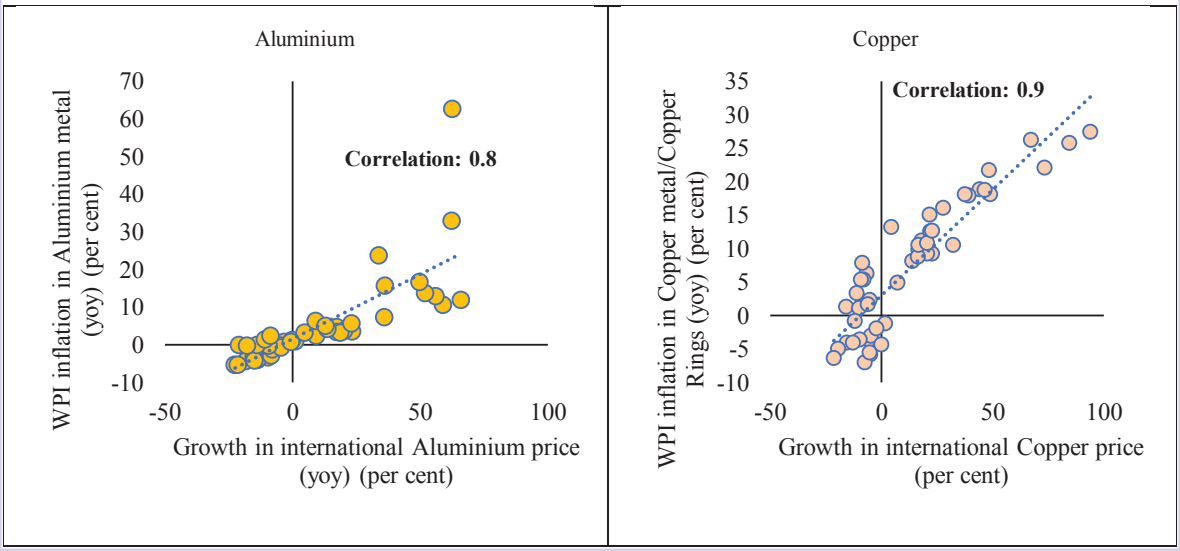

स्रोत: विश्व बैंक और ओईए, डीपीआईआईटी

भारत अपने कच्चे तेल की खपत का सबसे ज्यादा आयात करता है। जैसा कि अपेक्षित था, घरेलू कच्चे तेल बास्केट की कीमतें विशेष रूप से भारतीय कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित हैं (चित्र 29)। कच्चे तेल में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत में साल-दर-साल वृद्धि के साथ 0.98 का सहसंबंध है।

चित्र 4सी: कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति और कच्चे पेट्रोलियम में डबल्यूपीओआई मुद्रास्फीति (जनवरी 2018-दिसंबर 2021)

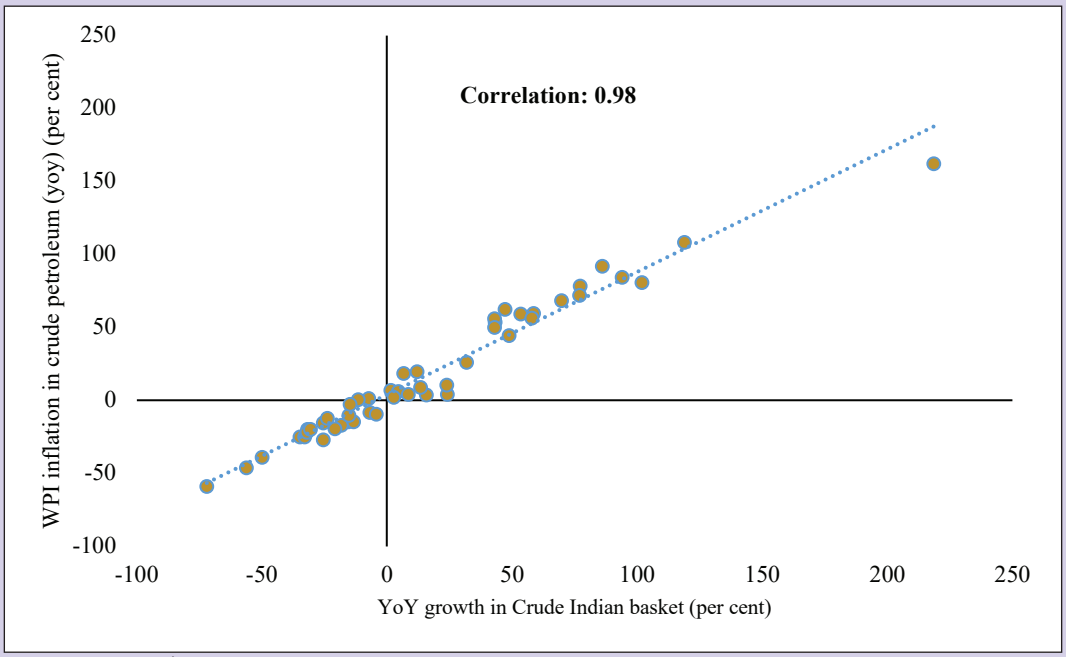

स्रोत: पीपीएसी और ओईए, डीपीआईआईटी

भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का पर्याप्त हिस्सा भी आयात करता है। पामऑइल /ताड़ के तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कोई भी बदलाव घरेलू कीमतों में भी संचारित हो जाता है क्योंकि उनका सह संबंध लगभग 0.9 है। (चित्र 4डी)।

चित्र 4डी: पामऑइल/ताड़ के तेल में थोक मूल्य सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति (जनवरी 2018 - दिसंबर2021)

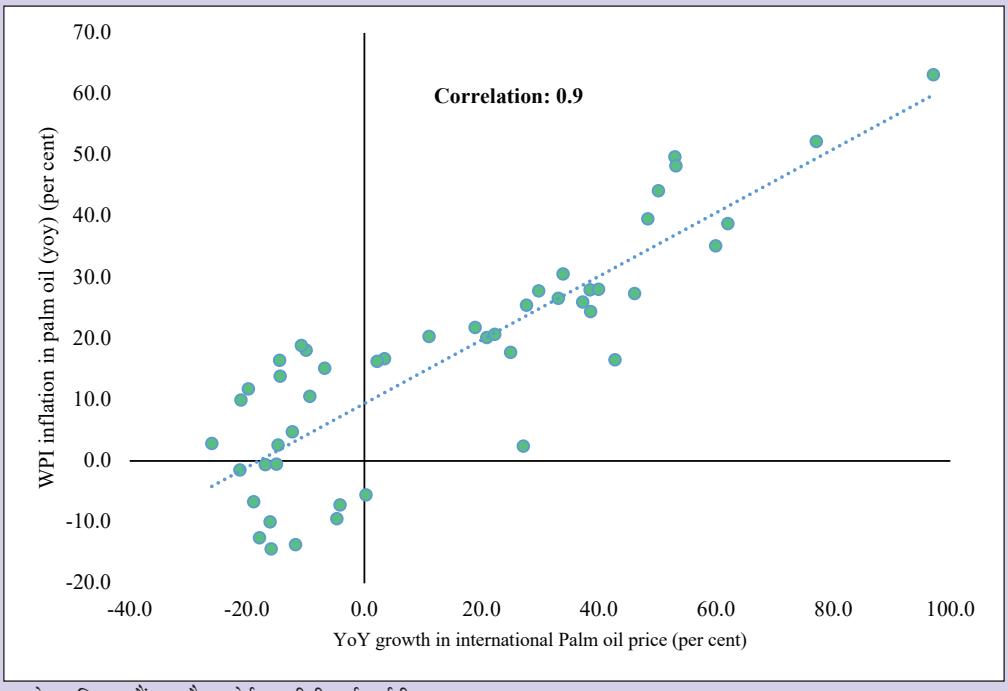

स्रोत: विश्व बैंक और ओईए, डीपीआईआईटी

भारत कपास का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इसलिए, घरेलू कपास की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय कीमतें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों के रुझान को दर्शाता है। चित्र 4एफ सूती धागे/कॉटनयार्न में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति और कच्चे कपास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के बीच उच्च सह संबंध (0.9) दर्शाता है ।

चित्र 4ई: अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य (एक सूचकांक)

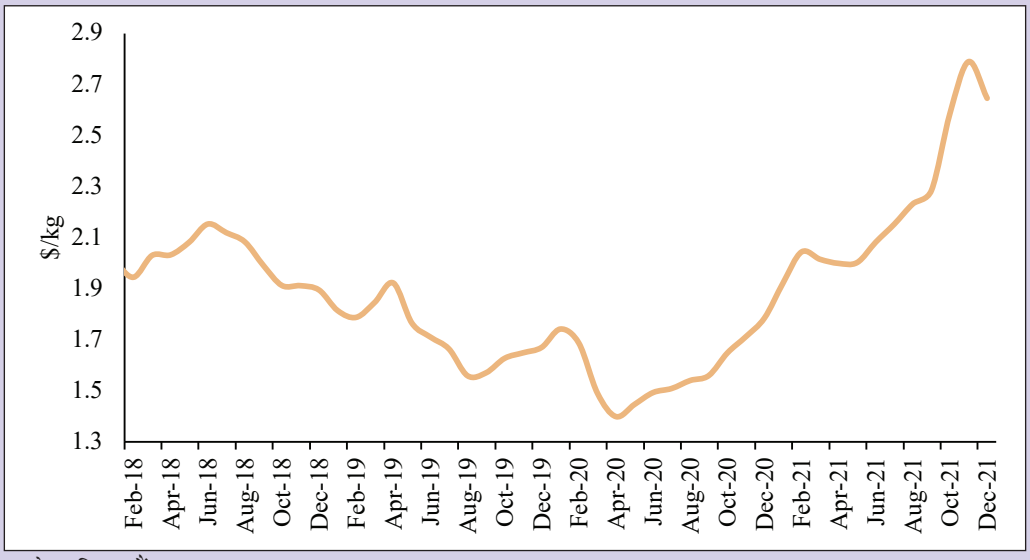

स्रोत: विश्व बैंक

चित्र 4एफ: सूती धागे में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति और कपास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति (जनवरी 2018 - दिसंबर 2021)

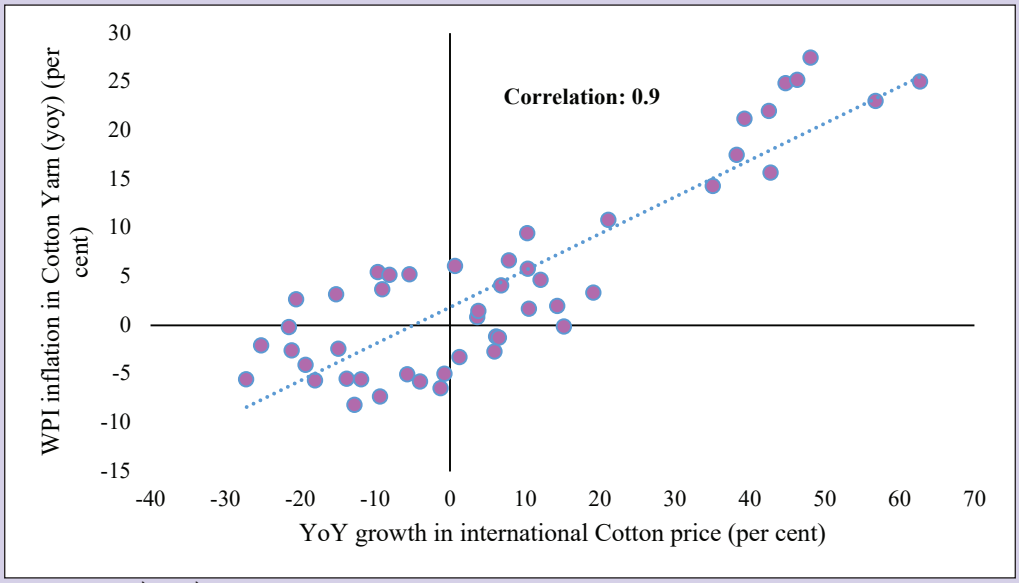

स्रोत: विश्व बैंक और ओईए, डीपीआईआईटी

इसलिए डबल्यूपीआई में निर्मित समूह में रिपोर्ट की गई उच्च मुद्रास्फीति दर आयातित इनपुट की उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप ''आयातित मुद्रास्फीति'' के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उच्च माल ढुलाई लागत और लंबी डिलीवरी अवधि ने आयातित इनपुट पर कीमत के दबाव को और बढ़ा दिया।

आवास दरें

5.33 आवासन क्षेत्र/हाउसिंग सेक्टर भी कोविड़-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से आपूर्ति और मांग दोनों चौनलों के माध्यम से प्रभावित था। प्रारंभिक कोविड़ -19 प्रतिबंधों के बीच, न केवल नए घरों का निर्माण धीमा हुआ, बल्कि नई आवास परियोजनाओं के शुभारंभ में भी देरी हुई। आय में कमी, भविष्य की आय के बारे में अनिश्चितता और घर पर रहने के आदेश की वजह से घर खरीदारों ने अपनी खरीदारी में देरी की। प्रारंभिक कोविड़ -19 प्रेरित प्रतिबंधों को हटा दिए जाने के बाद, आवास संपत्तियोंकी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ऐसा संभवत: महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपायों के जवाब में मांग और सामर्थ्य में सुधार जैसे कम ब्याज दरों, सर्कल दरों में कमी, और स्टांप शुल्क में कटौती, के कारण हुआ जिससे खरीदारों के लिए घर किफायती हो गए (बाक्स 5)। इसके अलावा, कई प्रमुख बैंकों, मोर्टगेज कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन पर अपनी ब्याज दरों में काफी कमी की है, जिससे आवास की मांग में सुधार हुआ है। दूसरी कोविड़-19 लहर (अप्रैल-जून, 2021) के दौरान, आवास संपत्तियों के लेन-देन पर एक बार फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन उतना नहीं जितना पहली कोविड़-19 लहर (अप्रैल-जून, 2020) के दौरान देखा गया था।

5.34 नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) रेजिडेक्स एचपीआई/असेसमेंट प्राइस इंडेक्स (बेस 2017-18) प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से लेनदेन के लिए आवासीय संपत्तियों की कीमतों को दर्ज करता है। 12 शहरों में आवासीय मकानों के लेनदेन और कीमतों पर पहली और दूसरी कोविड-19 लहर के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एनएचबी से प्राप्त मूल्यों और लेन-देन के रिकॉर्ड के समग्र सूचकांक संबंधी डेटा का उपयोग किया गया है।

बॉक्स 5: आवास की वहनीयता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय

- आवास बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि जैसी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्किल दरों और स्टाम्प शुल्क में कमी।

कर लाभ

- किफायती आवास परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 तक कर छूट/रियायत।
- किफायती आवास के लिए 2019-20 के बजट में घोषित कर कटौती की पात्रता मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। यह कर कटौती 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है और यह स्व-अधिकृत मकान मालिकों के लिए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर प्रदान की जाएगी।

योजनाएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)

- पीएमएवाई-यू का उद्देश्य वर्ष-2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी

[4]एनएचबी रेजिडेक्स तिमाही आधार पर चुनिंदा शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है। अप्रैल-जून, 2018 तिमाही से आधार वर्ष को वित्त वर्ष 2017-18 में स्थानांतरित कर दिया गया है। संशोधित एनएचबी रेजिडेक्स अपने भौगोलिक कवरेज में व्यापक है और इसमें दो आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) सम्मिलित हैं जेसे 50 शहरो में /निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए एचपीआई आकलन मूल्य और एचपीआई बाजार मूल्य। वर्तमान डेटा स्रोत एचपीआई / आकलन कीमतों के लिए बैंकों और एचएफसी के मूल्यांकन डेटा और एचपीआई के लिए प्राथमिक और सेकेण्डरी बाजार डेटा हैं। निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए बाजार मूल्य। यह कवरेज भारत के 21 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां और 33 स्मार्ट शहर शामिल हैं। शहर के स्तर पर आवास की कीमतों को कारपेट एरिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मुख्यत: तीन तरह के उत्पाद होते हैं ढ=60 वर्गमीटर, झ60 और ढ=110 वर्ग मीटर, और झ 110 वर्ग मीटर। सूचकांकों की गणना लास्पेयर्स पद्धति का उपयोग करके की जाती है, इसके बाद उत्पाद श्रेणी स्तर पर गतिशील भार के अनुप्रयोग के साथ चार तिमाही भारित चलती औसत की गणना की जाती है और नए आधार वर्ष से शुरू होने वाली सभी तिमाहियों में भारित चलती औसत उत्पाद श्रेणी स्तर की कीमतों पर स्थिर आधार वर्ष भार होता है।

वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है।

- शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक उप-योजना के रूप में किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एएचआरसी)। मौजूदा खाली सरकारी वित्त पोषित आवास परिसरों को 25 वर्षों के लिए रियायत करार-समझौतों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित किया जाएगा। रियायत ग्राही परिसरों को मरम्मत/रिट्रोफिट और कमरों के रखरखाव और पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि जैसे बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरने के द्वारा रहने योग्य बना देगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पारदर्शी बोली के माध्यम से छूट ग्राही का चयन करेंगे। 25 साल बाद कॉम्प्लेक्स शहरी स्थानीय निकायों में वापस आ जाएंगे ताकि अगले चक्र को पहले की तरह फिर से शुरू किया जा सके या अपने आप चलाया जा सके। इसके अलावा, विशेष प्रोत्साहन जैसे उपयोग की अनुमति, 50 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर)/फ्लोरस्पेस इंडेक्स (एफएसआई), प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार दर पर रियायती ऋण, किफायती आवास के बराबर कर राहत आदि की पेशकश की जाएगी। सार्वजनिक संस्थाएं 25 वर्षों के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी विकसित करेंगी।

मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिटलिंक्ड सब्सिडी योजना

- मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिटलिंक्डसब्सिडी योजना (6-18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय) जनवरी 2017 से लागू की जा रही है, जिसे मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है ताकि आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के लक्षित निवेश वाले 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को मई 2020 में घोषित किए गए आत्म निर्भर कार्यक्रम के तहतलाभ मिल सके। इससे स्टील, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने की भी उम्मीद थी।

5.35 यह मोटे तौर पर चित्र 21 क और 21 ख से देखा जा सकता है कि आवास की कीमतों की प्रतिक्रिया की तुलना में कोविड -19 शॉक के लिए आवास लेनदेन की प्रतिक्रिया बहुत अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि कीमतों की तुलना में आवासीय क्षेत्र में लगे झटके को लेनदेन में बदलाव के माध्यम से अधिक समायोजित किया गया। चूंकि मूल्य प्रतिक्रिया लेनदेन की प्रतिक्रिया से अपेक्षाकृत कम रहती है इसलिए आवासीय बाजार में सेंटीमेंट को मापने के लिए लेन-देन बेहतर संकेतक हैं। जबकि कोविड-19 झटके के दौरान आवास के लेन-देन में ज्यादातर गिरावट आई, अधिकांश चुनिंदा शहरों में उनकी कीमतों में गिरावट नहीं आई, बल्कि कुछ शहरों में तो आवासीय कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई ।

5.36 इसके अलावा, पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान गिरावट की तुलना में दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान आवास लेनदेन में गिरावट भी बहुत कम रही है। चित्र 21क, पहले कोविड-19 लहर में और दूसरी- कोविड़ -19 लहर के दौरान पूर्व-महामारी स्तरों (अप्रैल-जून, 2019) से लेनदेन में परिवर्तन की तुलना करता है। लगभग सभी चयनित शहरों में पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान आवास लेनदेन में गिरावट आई। हालाँकि, कोविड़ -19 की दूसरी लहर के दौरान, मुंबई, ठाणे, पुणे, नोएडा, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में आवास लेनदेन पूर्व-महामारी के स्तर के सापेक्ष बढ़ गया। गांधीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, रांची, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में पूर्व-महामारी के स्तर पर दूसरी कोविड़ -19 लहर के दौरान आवास लेनदेन में गिरावट आई। हालांकि, यह गिरावट पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान हुई गिरावट से काफी कम रही है।

5.37 पहली और दूसरी कोविड़ -19 लहरों के दौरान तिमाही आवास लेनदेन में गिरावट के विपरीत, आवासीय संपत्तियों की कीमतों पर कोविड़ -19 के झटके का प्रभाव पूरे शहरों में एक समान नहीं था। चित्र 21ख पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान और पूर्व-महामारी के स्तर पर दूसरी- कोविड़ -19 लहर के दौरान मूल्य सूचकांक में बदलाव की तुलना करता है। पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान, गांधीनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, ठाणे,

मुंबई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में पूर्व-महामारी के स्तर पर आवास की कीमतों में वृद्धि हुई, और दिल्ली, नोएडा और रांची में आवास की कीमतों में कमी आई। पूर्व-महामारी के स्तर पर दूसरी कोविड़ -19 लहर के दौरान भी इसी तरह के रुझान दिखाई दे रहे थे। अहमदाबाद, हैदराबाद, गांधीनगर और रांची जैसे शहरों में आवास की कीमतें कोविड़ -19 झटके के बावजूद बढ़ती रहीं।

चित्र 21(क): Q1 FY21 (पहली COVID-19 लहर) और Q1 FY22 (दूसरी COVID-19 लहर) में Q1 FY20 के पूर्व-महामारी स्तरों पर आवास लेनदेन में परिवर्तन

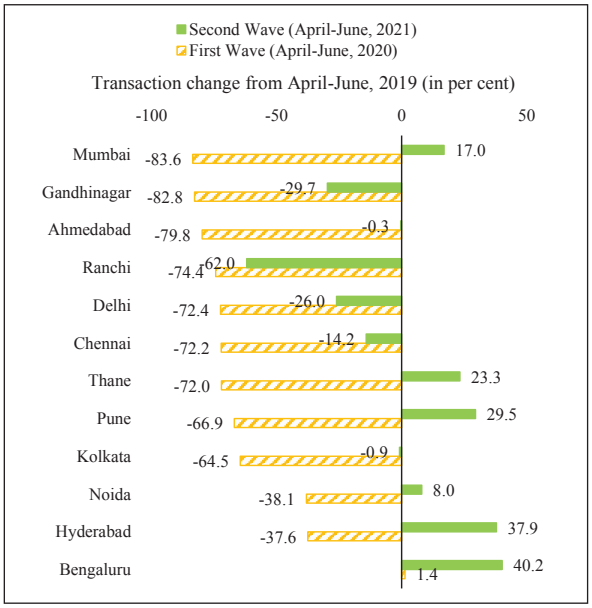

चित्र 21(ख): Q1 FY21 (पहली COVID.19 लहर) और Q1 FY22 (दूसरी COVID-19 लहर) में Q1 FY20 के पूर्व-महामारी स्तरों पर आवास मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

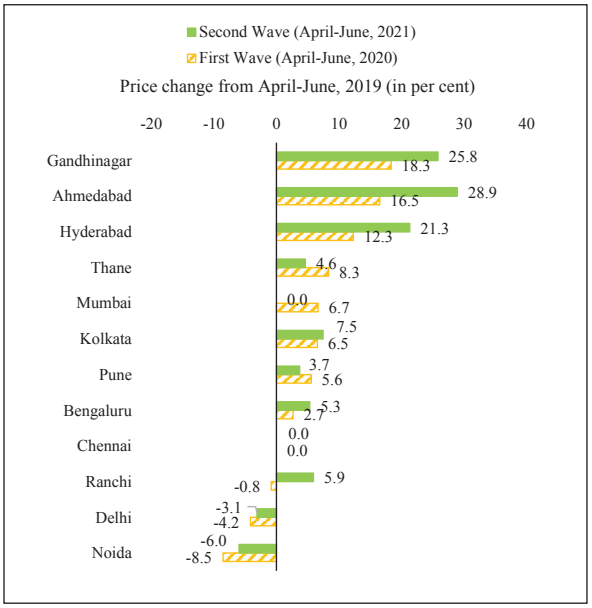

स्रोत: एनएचबी

5.38 दो कोविड़ -19 तरंगों के बीच, जून 2020 से अप्रैल 2021 तक, आवास लेनदेन में तेजी से सुधार हुआ, क्योंकि त्रैमासिक खरीद सभी चयनित शहरों के लिए पूर्व-महामारी के स्तर को भी पार कर गई (चित्र 22)। आवास की मांग में यह वृद्धि संभवत: रुकी हुई मांग और सरकार द्वारा वहनीयता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के कारण है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिना बिकी आवासीय इकाइयों की संख्या में भी महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। चित्र 23 चयनित शहरों में आवासीय संपत्तियों के आकार अर्थात कारपेट एरिया के आधार पर कीमतों को दर्शाता है।

चित्र 22: कोविड़-19 महामारी की दो लहरों के बीच 12 प्रमुख शहरों में रिकॉर्ड संख्या में परिलक्षित रिकवरी

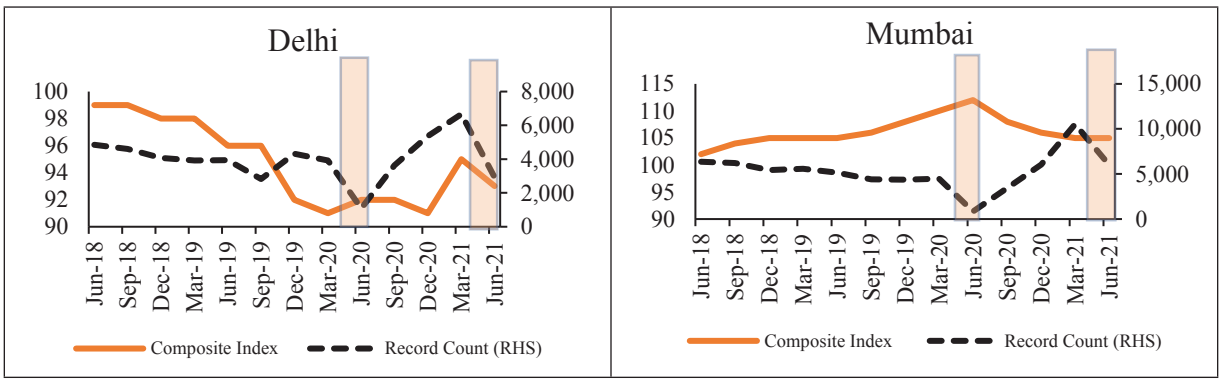

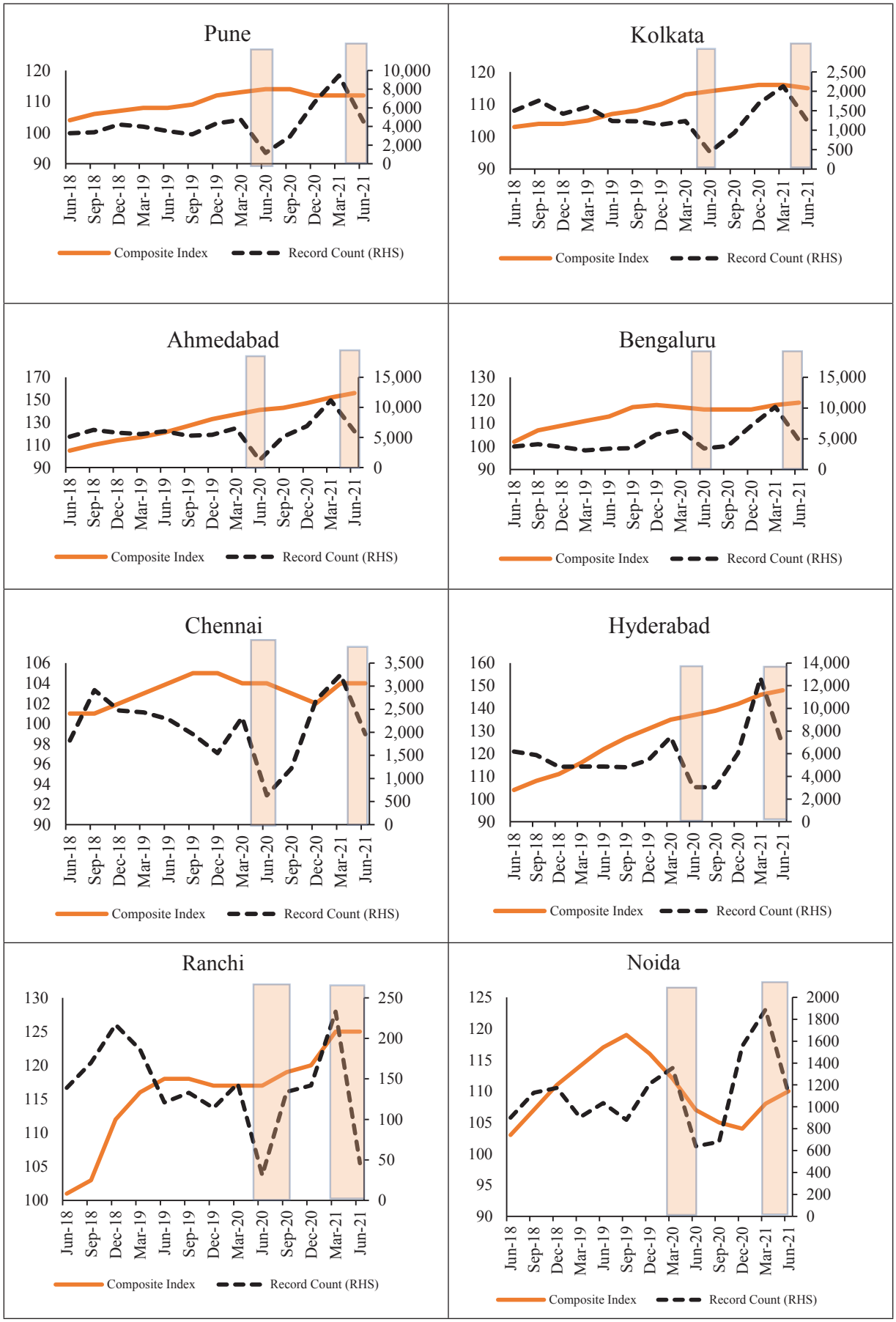
Pune
120
110
100
90
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Kolkata
120
110
100
90
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Ahmedabad
170
150
130
110
90
15,000
10,000
5,000
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Bengaluru
130
120
110
100
90
15,000
10,000
5,000
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Chennai
106
104
102
100
98
96
94
92
90
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Hyderabad
160
150
140
130
120
110
100
90
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Ranchi
130
125
120
115
110
105
100
250
200
150
100
50
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Noida
125
120
115
110
105
100
95
90
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Dec-19
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Dec-20
Mar-21
Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)

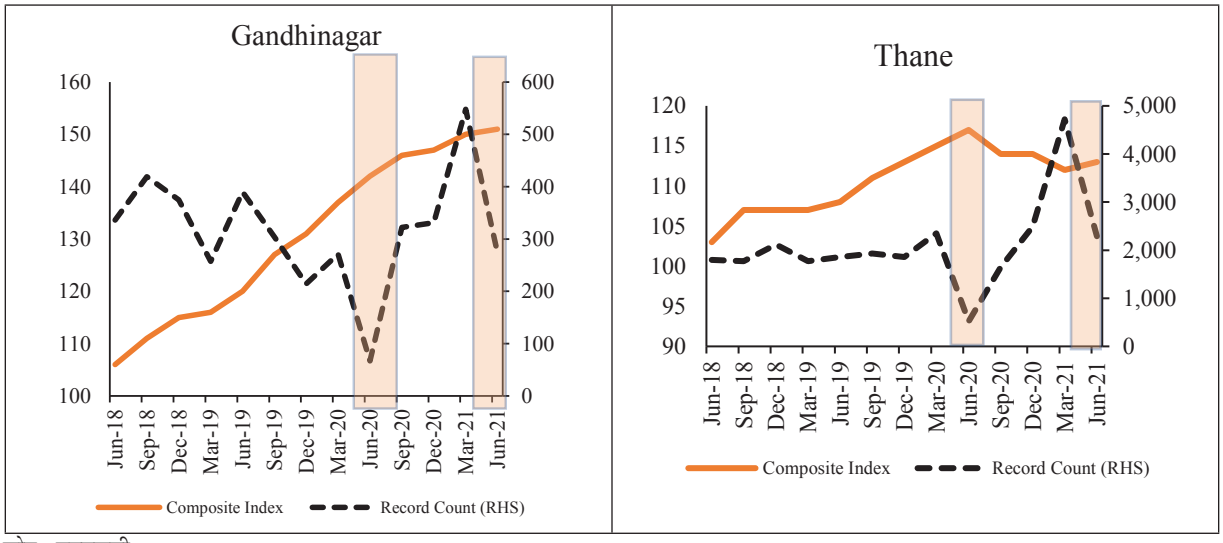

स्रोत: एनएचबी

चित्र 23: आवासीय संपत्तियों के आकार अर्थात कारपेट एरिया के आधार पर कीमतें

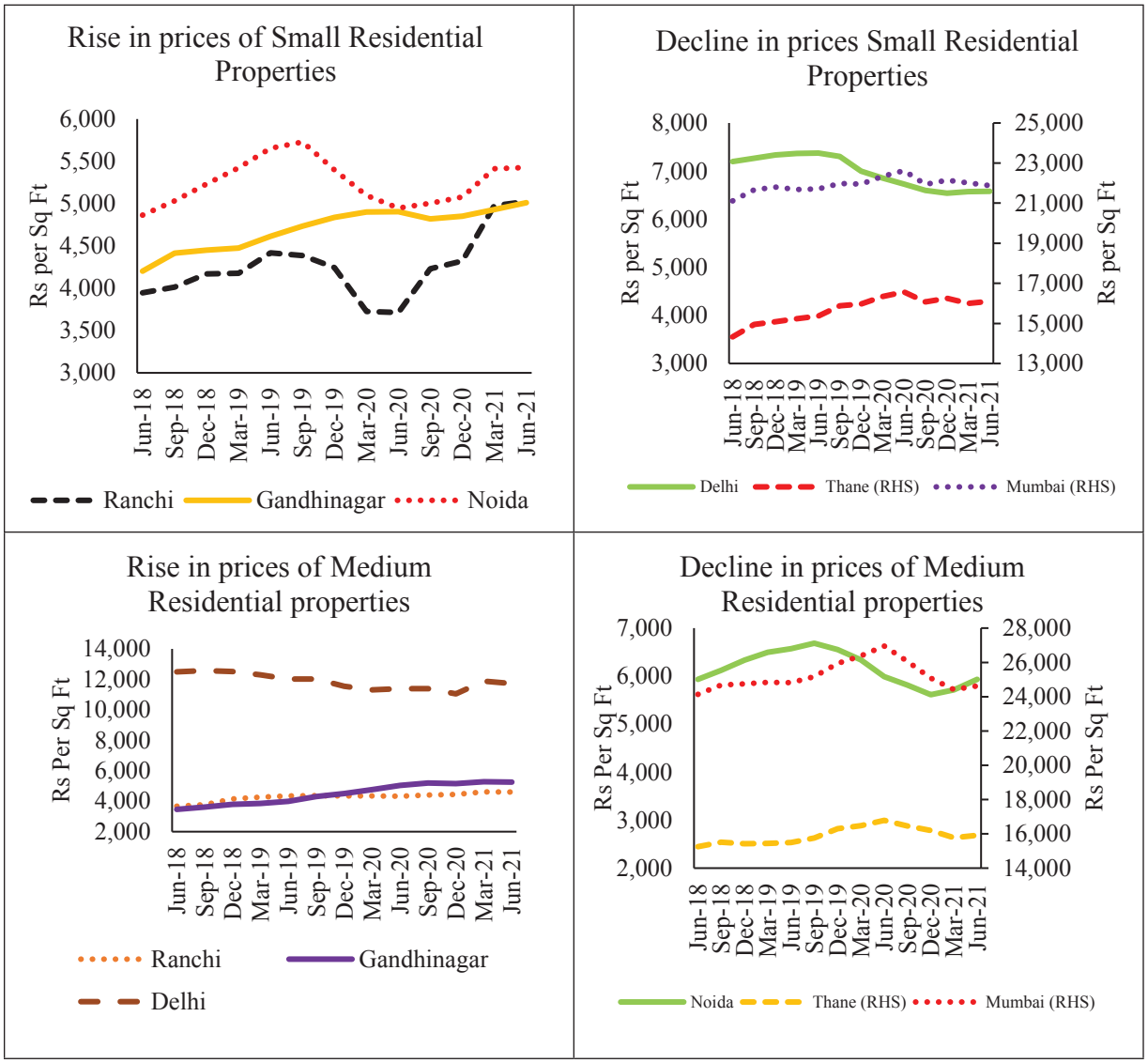

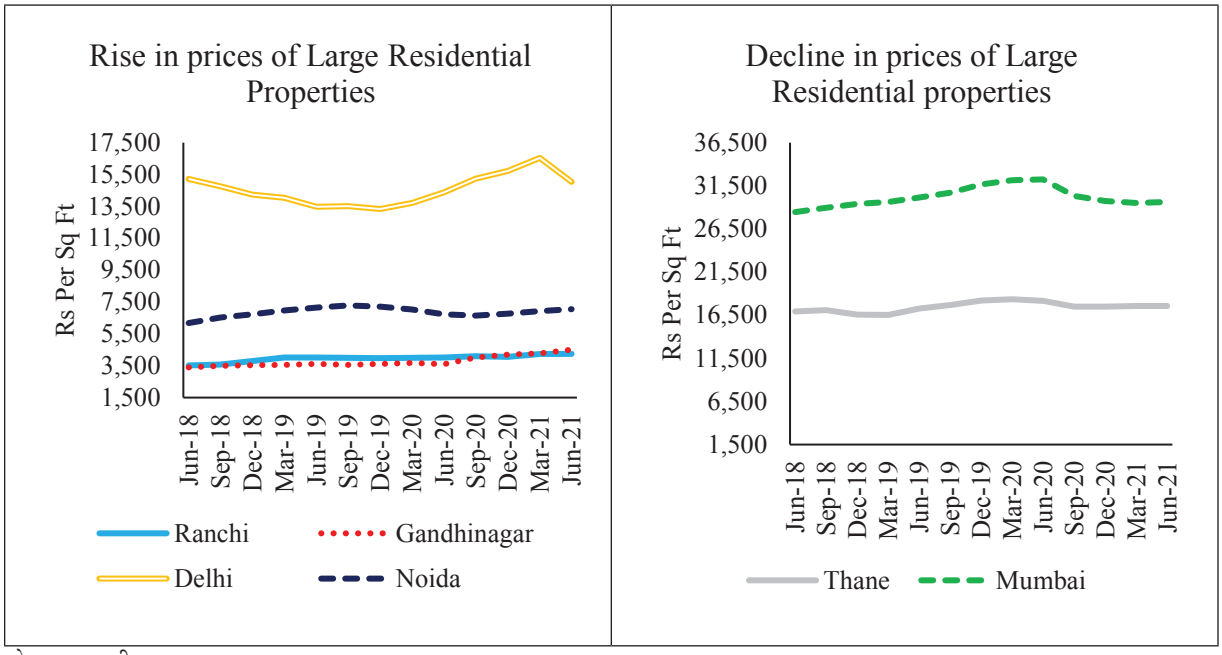

स्रोत: एनएचबी

नोट: छोटा आकार = [<=60 वर्ग मीटर (646 वर्ग फुट)]; मध्यम= [>60 वर्ग मीटर (646 वर्ग फुट) और <=110 वर्ग मीटर (1184 वर्ग फुट)]; बड़ी संपत्तियां (>110 वर्ग मीटर (1184 वर्ग फुट))।

दवा मूल्य निर्धारण

5.39 सरकार सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दवाओं के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करती है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए), फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) का एक संलग्न कार्यालय है जिसे दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए अधिदिष्ट किया गया है।

5.40 दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 355 दवाओं और 886 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2015 (औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अनुसूची-I) के तहत 31 दिसम्बर 2021 तक तय की गई थीं। इसके बाद, डीपीसीओ, 2013 के तहत 31 दिसम्बर 2021 को 1798 फॉर्मूलेशन/संविन्यासों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए थे। हाल ही के वर्षों के दौरान, जनहित में डीपीसीओ, 2013 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोरोनरी स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें भी तय की गई हैं। एनपीपीए ने फरवरी, 2019 में पायलट आधार पर चयनित 42 कैंसर रोधी गैर-अनुसूचित दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।

कोविड़-19 प्रयास/पहल

- एनपीपीएने 3 जून 2021 को अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड हेल्थप्रोडक्ट्स (एससीएएमएचपी), पर नीति आयोग की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर (पीटीडीके स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स के लिए ट्रेडमार्जिन को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।
- 13 जुलाई, 2021 को पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर पर व्यापार मार्जिन भी सीमित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, इन उपकरणों के अधिकांश ब्रांडों की कीमतों में 89 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

- कोविड़ प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश दवाएं अनुसूचित दवाएं हैं, जिनकी अधिकतम कीमत एनपीपीए द्वारा दी गई है। यहां तक कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं जैसे रेमेडिसविर के मामले में, जो कि कोविड़-19 प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, सरकारी हस्तक्षेप पर प्रमुख निर्माताओं/विपणकों द्वारा रेमडेसिविर के विभिन्न ब्रांडों के एमआरपी स्वेच्छा से कम कर दिए गए हैं।
- रेमेडिसविर, टोसीलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन के समान वितरण की निगरानी और समन्वय के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण का पालन किया जाता है।
- डीसीजी(आई) द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर केमिस्ट की दुकानों पर किए जा रहे नियमित सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी भी की जा रही है। इसे मई 2021से मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा आयोजित कोविड-19 प्रबंधन दवाओं के साप्ताहिक उपलब्धता सर्वेक्षण के माध्यम से भी संपूरितकिया जा रहा है।

आपूर्ति संबंधी कारकों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य

भारत में मुद्रास्फीति के निर्धारण में आपूर्ति पक्ष के कारकों के महत्व को देखते हुए, लंबी अवधि की नीतियों से मदद मिलने की संभावना है।

1. **उत्पादन के पैटर्न में बदलाव:** किसानों को चावल और गेहूं की खेती से दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि देश दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर है और आयात निर्भरता को कम करने में भी मिलेगी। दलहन की ओर शिफ्ट होने से सरकार चावल और गेहूं के वास्तविक बफर स्टॉक को बनाए रखने में सक्षम होगी। हाल ही में, सरकार क्षेत्र विस्तार, एच वाई वी के माध्यम से उत्पादकता, एमएसपी (न्यूनतम मूल्य समर्थन) और खरीद के माध्यम से दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है।

2. **अंशांकित आयात नीति:** हालांकि बार-बार आयात शुल्क / टैरिफ संशोधन के माध्यम से दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए अनपेक्षित प्रतिक्रिया, उपभोक्ताओं को कम कीमतों के माध्यम से तत्काल राहत प्रदान करती है लेकिन इससे घरेलू उत्पादकों को गलत संकेत जाता है और एक अनिश्चितता का वातावरण तैयार होता है। अत: एक दीर्घकालिक सुसंगत दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा इस दिशा में एक कदम उठाया गया है, जहां म्यांमार के साथ 2.5 एलएमटी उड़द और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए पांच साल के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मलावी के साथ 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए और मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एमओयू विदेशों में उत्पादित दालों और भारत को निर्यात की जाने वाली दालों की मात्रा में पूर्वानुमान सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार भारत को और दाल निर्यातक देश दोनों को लाभ होगा।

3. **जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन और भंडारण अवसंरचना पर ध्यान:** खराब मौसम में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि कृषि संबंधी उत्पादों और और अन्य खराब होने वाली आवश्यक वस्तुओं की बर्बादी को कम किया जा सके और खराब मौसम के चलते कीमतों में होने वाली उछाल से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके । इसके साथ ही किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विपणन संबंधी अवसंरचना की कमी को दूर करने की आवश्यकता है ताकि पैदावार ठीक होने पर या जरुरत से ज्यादा फसल तैयार होने पर किसानों मजबूरन/आपात बिक्री नहीं करना पड़े। खराब होने वाली वस्तुओं के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन संबंधी अवसंरचना के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने और कृषि अवसंरचना कोष का प्रभावी उपयोग करने पर देश

में कृषि के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में मदद मिल सकती है। किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऑपरेशन ग्रीन और किसान रेल जैसी योजनाओं का और अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. FAO. 2021. "FAO Food Price Index rises further in September". Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Accessed from:https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-further-07-10-2021/en
2. IMF. 2022. "World Economic Outlook, January, 2022". International Monetary Fund.
3. PIB. 2021. "In order to reduce the edible oil prices, Center reduces the duty on Crude Palm Oil (CPO) by 5%. Press Information Bureau, Government of India". Accessed from: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1731715
4. World Bank. 2021a. "Commodity Markets Outlook, April 2021"
5. World Bank. 2021b. "Commodity Markets Outlook, October 2021"
6. Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., &Terpenning, I. J. (1990). "STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess.", Journal of Official Statistics, 6(1), 3-33.
7. Reserve Bank of India. Monthly Bulletins

संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

06
अध्याय

भारत ने वर्ष 2020-21 में, संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक प्रगति की। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2018-19 में 57 से बढ़कर 2019-20 में 60 और वर्ष 2020-21 में 66 हो गया। फ्रंट रनर (65-99 स्कोरिंग वाले) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या वर्ष 2019-20 में 10 थी, 2020-21 में बढ़कर 22 हो गई। 2020-21 में एसडीजी प्रदर्शन पर केरल और चंडीगढ़ क्रमशः शीर्ष राज्य और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश थे। पूर्वोत्तर भारत में, नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में 64 जिले फ्रंट रनर थे और 39 जिले परफॉर्मर जिले थे।

भारत में विश्व का दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वर्ष 2020 में, भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, जो वर्ष 2020 में दुनिया के कुल वन क्षेत्र का दो प्रतिशत था। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में तीन प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से इसका अधिकतर श्रेय सघन वन क्षेत्र में वृद्धि को जाता है, जो इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

अगस्त 2021 में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व पर मसौदा विनियमन को अधिसूचित किया गया है। यह विनियमन, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की सर्क्युलर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, प्लास्टिक और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

इस अध्याय में भूजल संसाधन प्रबंधन पर भी चर्चा की गई है और निष्कर्ष बताते हैं कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अपने भूजल संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिसमें पुनर्भरण और अति-दोहन को रोकना भी शामिल है। गंगा नदी के मुख्य स्टेम और उसकी सहायक नदियों में स्थित सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति 2017 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 81 प्रतिशत हो गई है। इसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट निर्वहन में कमी आई। वर्ष 2017 में 349.13 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) अपशिष्ट निर्वहन होता था जो 2020 में घटकर 280.20 एमएलडी रह गया है।

भारत, वर्ष 2015 में पेरिस करार के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) की घोषणा कर चुका है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पार्टियों के 26वें सम्मेलन (सीओपी/ कॉप-26) में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय वक्तव्य के एक भाग के रूप में उत्सर्जन में और अधिक कमी लाने के लिए वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की थी। 'लाइफ' - एक वन वर्ड मूवमेंट को शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, जिसका आशय - पर्यावरण के विचारहीन और विनाशकारी दोहन करने के बजाय सोद्देश्यपूर्ण तथा सावधानीपूर्वक जीवन शैली का उपयोग किए जाने का आग्रह करना है।

भारत ने 2021 में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन/इंटरनेशनल सोलर अलायेंस (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (लीड आईटी समूह) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जलवायु नेतृत्व करना जारी रखा। इस अध्याय में संधारणीय वित्त के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण प्रयासों पर भी चर्चा की गई है।

संधारणीय विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति

6.1 सितंबर 2015 में, भारत सहित 193 देशों ने संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, ''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट'' में वर्णित प्रतिबद्धता जाहिर की। एसडीजी व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को कवर करते हैं और सहस्राब्दी के ऐसे विकास लक्ष्यों (एमडीजी) का निर्माण भी करते हैं, जिसमें वर्ष 2000 से 2015 तक की पंद्रह-वर्ष की अवधि सम्मिलित है।

6.2 भारत एसडीजी के अंतर्गत आने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। यह उपलब्धि कोविड़-19 महामारी द्वारा लगाए गए काफी मानवीय और आर्थिक लागतों के संबंध में और अधिक महत्व पूर्ण हो जाती है, जिसने देशों को उनके विकास लक्ष्यों पर वापस लाकर खड़ा कर दिया है और एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में दुनिया भर में गंभीर बाधाएं उत्पन्न की हैं।

समग्र रूप से भारत का लक्ष्यवार प्रदर्शन: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2020-21

6.3 नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर जो 2019-20 में 60 और 2018-19 में 57 था, 2020-21 में बढ़कर 66 हो गया, जो एसडीजी हासिल करने की दिशा में भारत की यात्रा में प्रगति को दर्शाता है (नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में विवरण के लिए बॉक्स 1 देखें))। 2020-21 एक महामारी वर्ष होने के बावजूद, भारत ने नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स द्वारा मापे गए 15 एसडीजी में से आठ एसडीजी पर अच्छा प्रदर्शन किया। इनमें - लक्ष्य 3 (आरोग्य/स्वास्थ्य और कल्याण), लक्ष्य 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता), लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), लक्ष्य 10 (कम होती असमानता), लक्ष्य 11 (संधारणीय शहर और समुदाय), लक्ष्य 12 (जिम्मेदार खपत और उत्पादन), लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) और लक्ष्य 16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थान) शामिल हैं।

बॉक्स 1: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21

भारत के संघीय ढांचे का तात्पर्य है कि देश के एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को सक्षम करने के लिए राज्यों को भी आगे आना चाहिए। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी प्रगति की दिशा में दुनिया का पहला सरकारी उप-राष्ट्रीय उपाय है। इसे एसडीजी हासिल करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रयासों में प्रगति को जाँचने के लिए विकसित किया गया है। यह सूचकांक मानता है कि सभी स्तरों पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित है।

नीति आयोग वर्ष 2018 से सालाना एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2020-21) का तीसरा संस्करण प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर और लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन की गणना करता है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है :-

एसडीजी 1: कोई गरीब/निर्धन नहीं
एसडीजी 2: जीरो हंगर/कोई भूखा नहीं
एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण
एसडीजी 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
एसडीजी 5: लैंगिक समानता
एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता
एसडीजी 7: वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा
एसडीजी 8: अच्छा काम और आर्थिक विकास
एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई
एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा
एसडीजी 10: असमानता में कमी
एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय
एसडीजी 12: जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन
एसडीजी 14: पानी के नीचे जीवन (केवल नौ तटीय राज्यों – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए गणना की गई)
एसडीजी 15: भूमि पर जीवन
एसडीजी 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं
एसडीजी 17: वैश्विक भागीदारी

कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कोर 16 एसडीजी में इसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से उत्पन्न होते हैं। ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर एस्पिरेंट (स्कोर 0-49), परफॉर्मर (स्कोर 50-64), फ्रंट रनर (65-99) और अचीवर (स्कोर 100) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नीचे दिया गया आंकड़ा 2018 में अपनी पहली बेसलाइन रिपोर्ट के बाद से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स के विकास को दर्शाता है। 2018 बेसलाइन मूल्यांकन के लक्ष्यों और संकेतकों के कम कवरेज के कारण बाद के आकलन के साथ कड़ाई से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स का विकास

Goal-wise ranking of States/ UTs and overall ranking based on performance on all goals

Promotes competition among the States/ UTs in line with NITI Aayog's approach of competitive federalism

Enable States/ UTs to learn from peers

Supports States/ UTs in identifying priority areas

Highlights gaps in statistical systems

Baseline report – 2018	V2.0 report – 2019-20	V3.0 report – 2020-21
13 goals	16 goals + qualitative analysis on goal 17	16 goals + qualitative analysis on Goal 17
39 targets	54 targets	70 targets
62 indicators	100 indicators	115 indicators
Goal-wise ranking on States/ UTs	Goal-wise ranking on States/ UTs + State/ UT profiles	Goal-wise ranking on States/ UTs + State/ UT profiles
Preceded National Indicator Framework (NIF)	Aligned with NIF: 68 indicators completely aligned, 20 refined, 12 new to cover goals 12, 13, and 14	Aligned with NIF: 76 indicators completely aligned, 31 refined, 8 in consultation with the line ministries

स्रोत: नीति आयोग
नोट: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी के लिए 306 सांख्यिकीय संकेतकों से युक्त राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) विकसित किया है।

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2021 पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन

6.4 चित्र 1 से पता चलता है कि फ्रंट रनर (65-99 स्कोरिंग) की संख्या 2020-21 में बढ़कर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो गई, जो 2019-20 में 10 थी। शेष सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निष्पादक थे (स्कोरिंग 50-64) । 2020-21 में फ्रंट रनर/अग्रणी श्रेणी राज्यों में शामिल होने वालों में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, फ्रंट रनर/अग्रणी श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं।

चित्र 1: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2019 व 2020) पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन

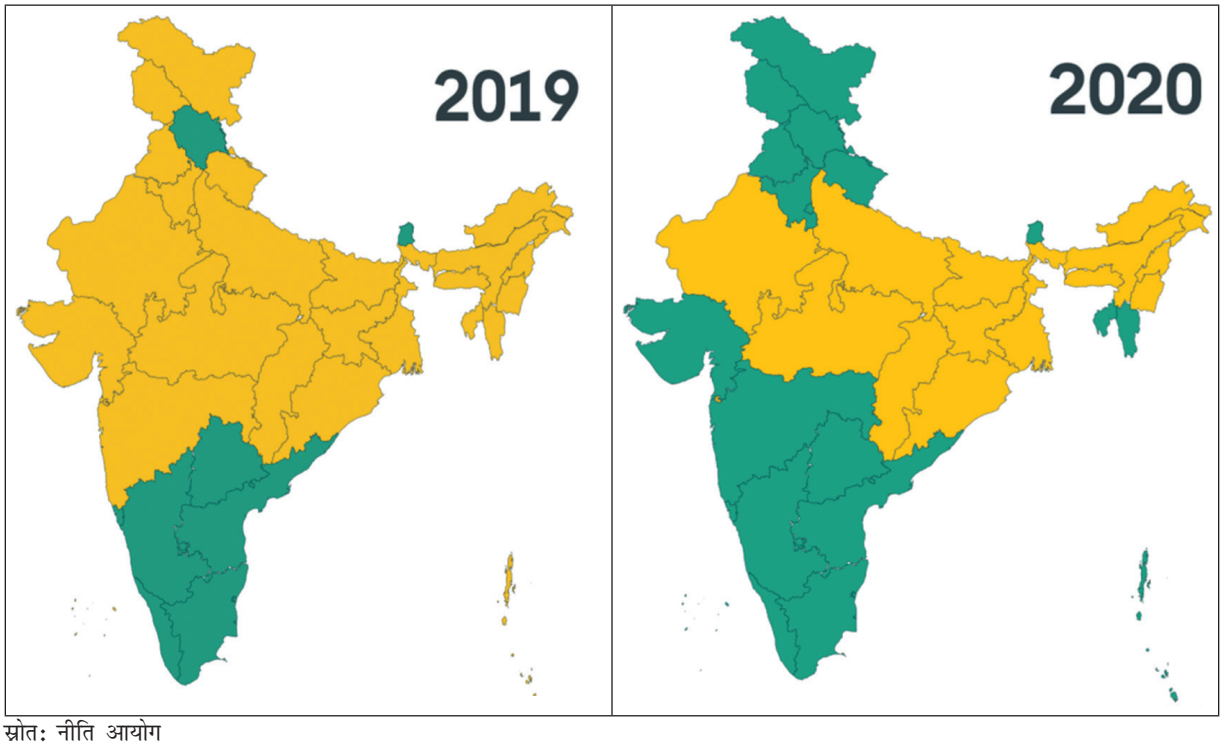

स्रोत: नीति आयोग

नोट: पीला रंग प्रदर्शन करने वाले को इंगित करता है (स्कोर 50-64), हरा वर्ण फ्रंट रनर/अग्रणी राज्यों को इंगित करता है (स्कोर 65-99)।

6.5 चित्र 2, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर राज्यों द्वारा हासिल किए गए स्कोर और 2019-20 के स्कोर में बदलाव को दर्शाता है। 2020-21 में, राज्यों ने 52-75 के बीच स्कोर हासिल किया और केंद्र शासित प्रदेशों ने 62-79 के बीच स्कोर किया, जबकि राज्यों के लिए 50-70 और 2019-20 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 59-70 थे। सभी राज्यों ने अपने समग्र स्कोर में 1-12 अंक का सुधार किया है। केरल (75 का स्कोर) ने 2020-21 में राज्यों के बीच अपनी शीर्ष रैंक बरकरार रखी। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं जबकि गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर हैं। 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में शीर्ष स्थान पर हैं।

चित्र 2: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर राज्यों का प्रदर्शन

(i) फ्रंट रनर्स /अग्रणी राज्य

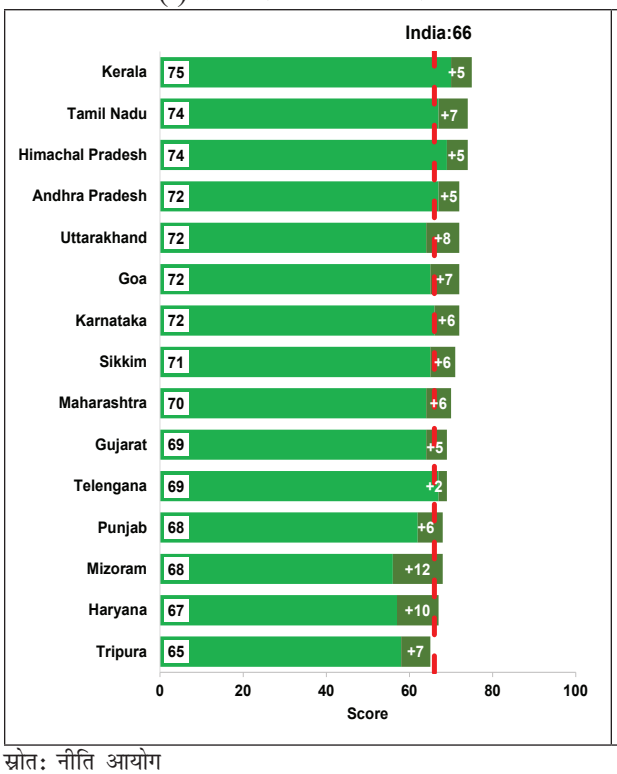

(ii) फ्रंट रनर्स /अग्रणी राज्य

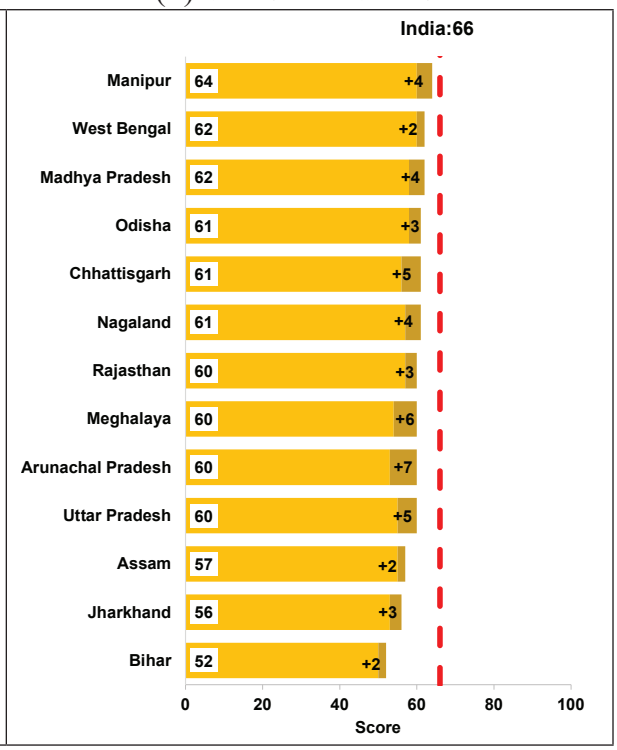

स्रोत: नीति आयोग

6.6 चित्र 3, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन और 2019-20 के स्कोर में बदलाव को दर्शाता है। चंडीगढ़ (79 का स्कोर) ने 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी शीर्ष रैंक बरकरार रखी, जबकि पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली (68 का स्कोर) दूसरे स्थान पर रहे। पुडुचेरी ने 2020-21 में सबसे अधिक बढ़त (नौ अंक) हासिल की, उसके बाद दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (प्रत्येक में सात अंक) का स्थान रहा।

चित्र 3: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन

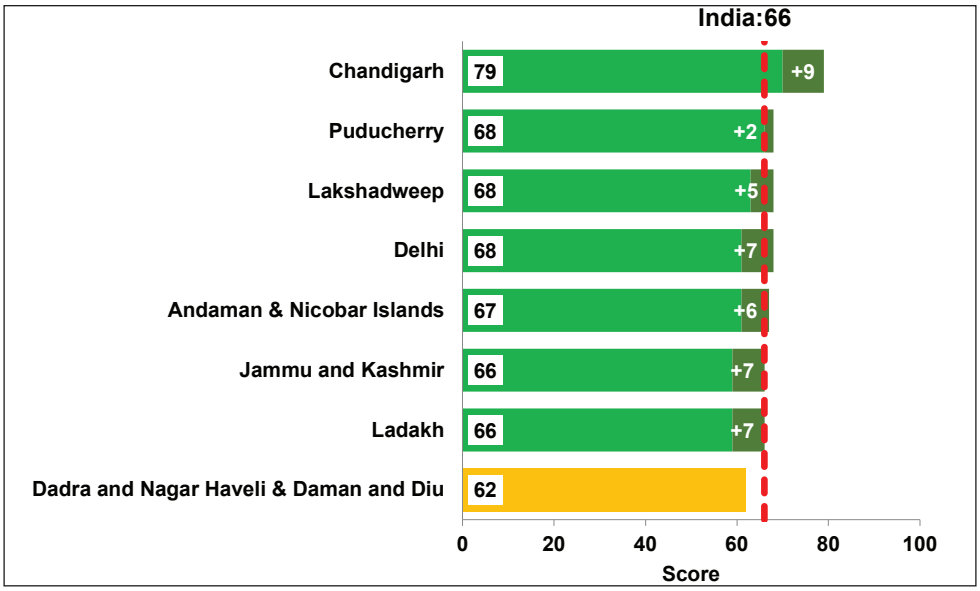

स्रोत: नीति आयोग

नोट: पीला रंग उभरते राज्यों को इंगित करता है (स्कोर 50-64), हरा रंग अग्रणी/फ्रंट रनर को इंगित करता है (स्कोर 65-99)।

तालिका 1: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का लक्ष्य-वार प्रदर्शन

States	SDG7	SDG6	SDG12	SDG16	SDG11	SDG3	SDG10	SDG1	SDG15	SDG8	SDG4	SDG2	SDG13	SDG5	SDG9	Composite SDG
Kerala	100	89	65	80	75	72	69	83	77	62	80	80	69	63	60	75
Himachal Pradesh	100	85	77	73	79	78	78	80	68	78	74	52	62	62	61	74
Tamil Nadu	100	87	78	71	79	81	74	86	63	71	69	66	61	59	71	74
Andhra Pradesh	100	92	84	77	78	77	74	81	69	67	50	52	63	58	52	72
Goa	100	100	47	63	89	72	75	83	59	76	71	78	44	55	68	72
Karnataka	100	85	89	76	78	78	67	68	67	66	64	53	62	57	64	72
Uttarakhand	100	85	82	86	76	77	77	74	64	63	70	61	60	46	56	72
Sikkim	100	89	76	72	85	62	61	80	73	71	58	69	65	58	52	71
Maharashtra	100	90	82	69	87	83	71	66	52	62	64	44	58	51	66	70
Gujarat	94	93	50	82	87	86	64	66	61	64	52	46	67	49	72	69
Telangana	100	96	73	71	76	67	67	68	81	73	63	50	43	41	59	69
Mizoram	100	85	87	81	61	79	64	80	48	51	60	72	66	54	32	68
Punjab	100	66	71	76	91	77	68	69	48	57	60	73	51	45	69	68
Haryana	100	80	77	71	81	72	68	69	48	59	64	58	51	43	66	67
Tripura	83	82	99	80	67	67	85	82	69	57	42	52	41	39	35	65
Manipur	96	87	89	69	65	68	70	60	60	36	63	64	57	41	35	64
Madhya Pradesh	86	88	78	66	81	62	51	44	84	60	45	43	49	55	37	62
West Bengal	98	81	79	81	45	76	71	59	53	57	54	46	39	41	53	62
Chhattisgarh	78	89	64	71	78	60	72	49	65	64	55	37	38	64	36	61
Nagaland	69	87	91	79	48	61	46	73	63	48	39	64	69	48	30	61
Odisha	80	86	73	59	70	67	66	41	83	48	45	42	70	46	46	61
Arunachal Pradesh	85	67	77	64	39	64	69	54	93	50	41	66	58	37	31	60
Meghalaya	50	75	73	72	51	70	88	77	64	63	48	37	62	51	25	60
Rajasthan	100	54	74	73	81	70	45	63	43	57	60	53	49	39	45	60
Uttar Pradesh	100	83	79	79	77	60	41	44	61	53	51	41	39	50	42	60
Assam	98	64	66	62	55	59	65	51	78	50	43	41	53	25	39	57
Jharkhand	77	83	55	70	71	74	65	36	71	54	45	19	25	51	37	56
Bihar	78	91	59	73	67	66	48	32	62	50	29	31	16	48	24	52
UNION TERRITORIES	SDG7	SDG6	SDG12	SDG16	SDG11	SDG3	SDG10	SDG1	SDG15	SDG8	SDG4	SDG2	SDG13	SDG5	SDG9	Composite SDG
Chandigarh	100	99	78	73	98	74	100	75	85	70	79	97	61	58	45	79
Delhi	100	61	50	62	65	90	72	81	81	65	75	63	55	33	66	68
Lakshadweep	83	100	63	77	56	78	75	61	67	62	62	74	68	58	40	68
Puducherry	98	91	66	86	76	70	62	75	50	68	70	59	23	66	59	68
Andaman and Nicobar Islands	100	87	73	46	85	68	67	71	72	59	57	45	77	68	23	67
Jammu and Kashmir	100	88	95	74	57	70	65	69	52	47	49	71	63	46	42	66
Ladakh	100	84	95	74	57	70	65	79	27	59	49	71	66	46	48	66
Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu	71	95	62	75	89	80	66	65	62	57	56	27	18	53	47	62
India	92	83	74	74	79	74	67	60	66	61	57	47	54	48	55	66
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Aspirant (0-49) Performer (50-64) Front Runner (65-99) Achiever (100)

The heatmap displays the performance of each State/UT on each of the Goals. The States/UTs are arranged in a descending order according to their composite scores. The State/UT with the highest composite score is in the top of their respective list while the one with the lowest score is at the bottom of the list. The columns are arranged according to the average performance of all States/UTs in a certain Goal, with the Goal where all States/UTs have on an average performed well (i.e. Goal 7) being in the left-most column and the Goal where all States/UTs have on an average performed relatively poorly (i.e. Goal 9) being in the right-most column (before the composite score).

स्रोत: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21

नोट: एसडीजी 1: कोई गरीबी नहीं; एसडीजी 2: जीरो हंगर; एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण; एसडीजी 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; एसडीजी 5: लैंगिक समानता; एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता; एसडीजी 7: वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा; एसडीजी 8: अच्छा काम और आर्थिक विकास; एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा; एसडीजी 10: असमानता में कमी; एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय; एसडीजी 12: जिम्मेदार खपत और उत्पादन; एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई; एसडीजी 15: भूमि पर जीवन; एसडीजी 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं।

6.7 तालिका 1 – नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में 15 एसडीजी पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को दर्शाती है। लक्ष्यों के भीतर, 15 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लक्ष्य 7 प्राप्त किया गया है (स्कोर: 100), लक्ष्य 6 एक राज्य (गोवा) और एक केंद्र शासित प्रदेश (लक्षद्वीप) द्वारा प्राप्त किया गया है, और लक्ष्य 10 एक केंद्र शासित प्रदेश (चंडीगढ़) द्वारा प्राप्त किया गया है। . राज्यों में, लक्ष्य 6 में सबसे अधिक फ्रंट रनर (25 राज्य) हैं, लक्ष्य 8 में सबसे अधिक संख्या में प्रदर्शन करने वाले (18 राज्य) हैं, और लक्ष्य 5 और लक्ष्य 9 में उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है (प्रत्येक में 14 राज्य)। लक्ष्य 3 में सभी केंद्र शासित प्रदेश सबसे आगे हैं, लक्ष्य 8 में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले हैं और लक्ष्य 9 में उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है।

6.8 चित्र 4, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) पर नौ तटीय राज्यों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश फ्रंट रनर हैं, इसके बाद छह पर्फोर्मर राज्य हैं – कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु एक आकांक्षी राज्य है और तटीय राज्यों में एसडीजी 14 पर सबसे कम स्कोर वाला राज्य है।

चित्र 4: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर एसडीजी 14 पर तटीय राज्यों का प्रदर्शन

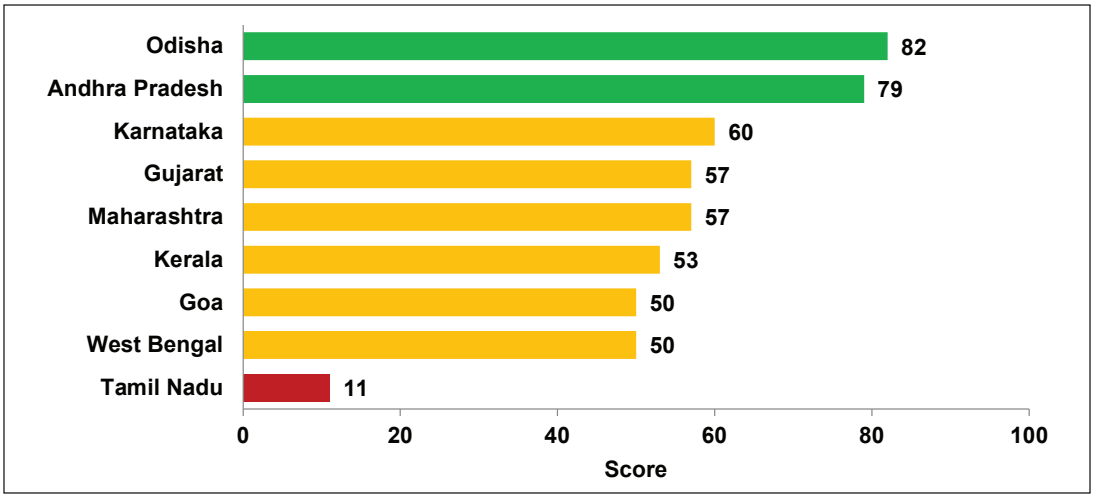

स्रोत: नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21

नोट: एसडीजी 14: पानी के नीचे का जीवन। लाल आकांक्षी (स्कोर 0-49) को इंगित करता है, पीला प्रदर्शनकर्ता (स्कोर 50-64) को इंगित करता है, हरा रंग अग्रणी राज्यों/फ्रंट रनर (स्कोर 65-99) को इंगित करता है;

6.9 नीति आयोग द्वारा विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में एसडीजी की उपलब्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूचकांक का निर्माण 84 संकेतकों से किया गया है और इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों में 15 वैश्विक लक्ष्य, 50 एसडीजी लक्ष्य और 103 जिले शामिल हैं। सूचकांक महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान करने में मदद करेगा और क्षेत्र में एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए हस्तक्षेपों को सूचित करेगा। चित्र 5 नीति आयोग एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में जिलेवार समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है। 103 जिलों के लिए स्कोर पूर्वी सिक्किम (सिक्किम) में 75.87 से किफिर (नागालैंड) में 53.00 तक है। फ्रंट रनर कैटेगरी में 64 जिले और परफॉर्मर कैटेगरी में 39 जिले हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं।

चित्र 5: नीति आयोग एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 पर जिला-वार समग्र प्रदर्शन

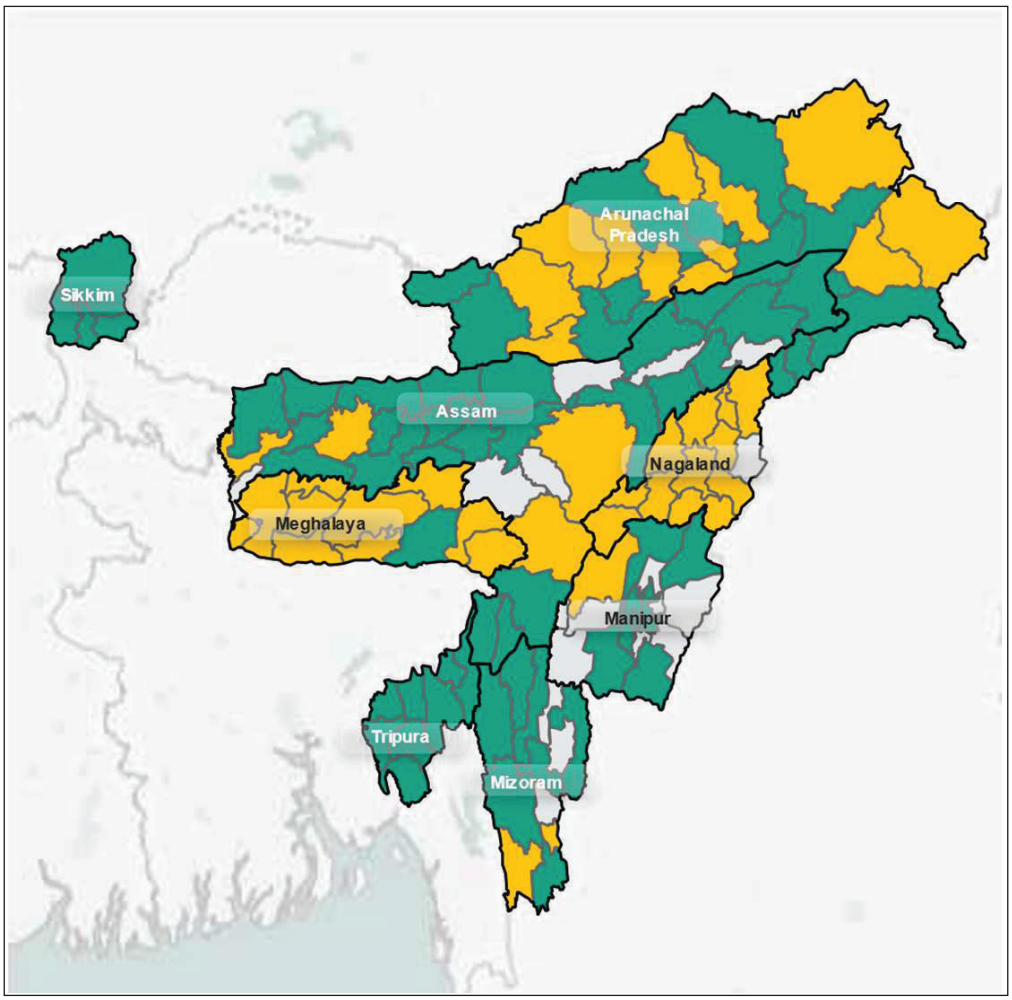

स्रोत: नीति आयोग

नोट: पीला रंग परफॉर्मर (स्कोर 50-64) को दर्शाता है, ग्रीन कलर, फ्रंट रनर (स्कोर 65-99) को दर्शाता है। बेरंग क्षेत्र ऐसे जिले हैं जिन्हें कवर नहीं किया गया है।

पर्यावरण की स्थिति

6.10 संधारणीय विकास के लिए संरक्षण, पारिस्थितिक सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तीव्र आर्थिक विकास के संतुलन की आवश्यकता है। यह खंड भूमि, जल और वायु में पर्यावरण की स्थिति की पड़ताल करता है।

भूमि वन

6.11 वन क्षेत्र का आशय सरकारी अभिलेखों में वन/जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र से है और इसे ष्अभिलेखित वन क्षेत्रष् भी कहा जाता है। चित्र 6 से पता चलता है कि वर्ष 2020 में रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन, वन क्षेत्र के हिसाब से शीर्ष पांच सबसे बड़े देश थे, जबकि भारत वन क्षेत्र के हिसाब से दसवां सबसे बड़ा देश था।

चित्र 6: वर्ष-2020 में वन क्षेत्र के अनुसार दस शीर्ष देश

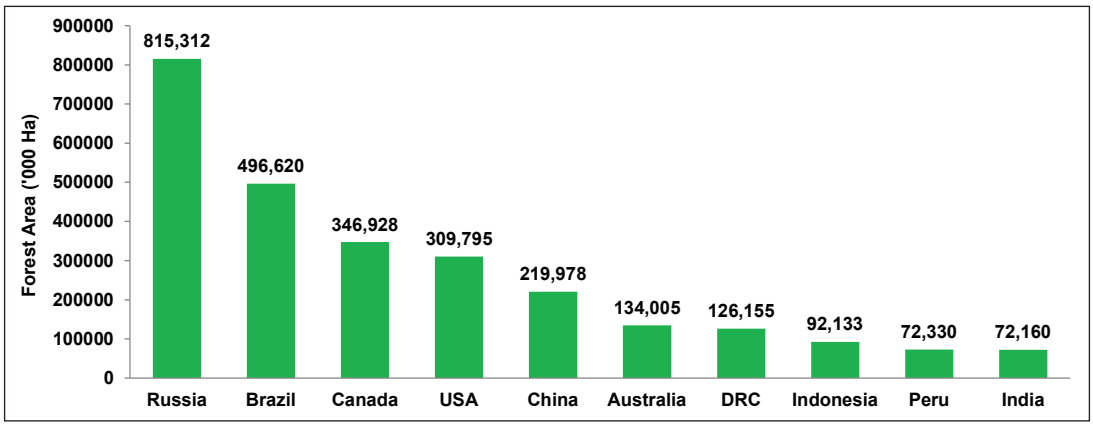

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन 2021
नोट: डीआरसी: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो

6.12 वर्ष 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24 प्रतिशत एरिया वनों से आच्छादित था जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का दो प्रतिशत है। चित्र- 7, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत और वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व वन क्षेत्र के हिसाब से शीर्ष दस देशों को दर्शाता है। शीर्ष 10 देशों में विश्व के वन क्षेत्र का 66 प्रतिशत हिस्सा है। इन देशों में से ब्राजील (59 प्रतिशत), पेरू (57 प्रतिशत), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के (56 प्रतिशत) और रूस (50 प्रतिशत) में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का आधा या अधिक भाग वनों के अधीन है।

चित्र 7: 2020 में देश और विश्व वन क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र के अनुसार शीर्ष दस देश

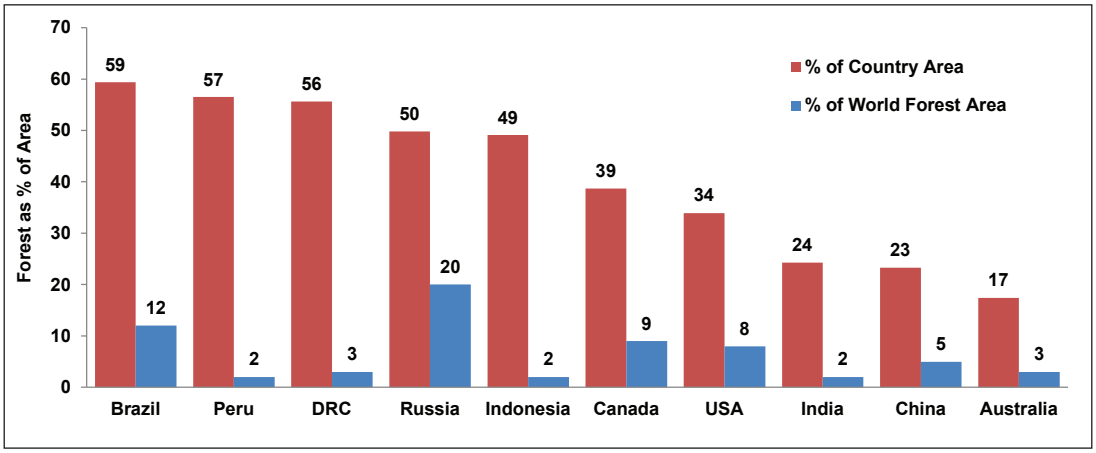

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति प्रतिवेदन 2021
नोट: डीआरसी: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो

6.13 भारत ने पिछले एक दशक में अपने वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, इस अवधि के दौरान हर साल औसतन 2,66,000 हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र जुड़ा है, या 2010 से 2020 के बीच हर साल 2010 के वन क्षेत्र का लगभग 0.38 प्रति शत अधिक हुआ है (चित्र 8)।

चित्र 8: वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ के आधार पर शीर्ष दस देश (2010-20)

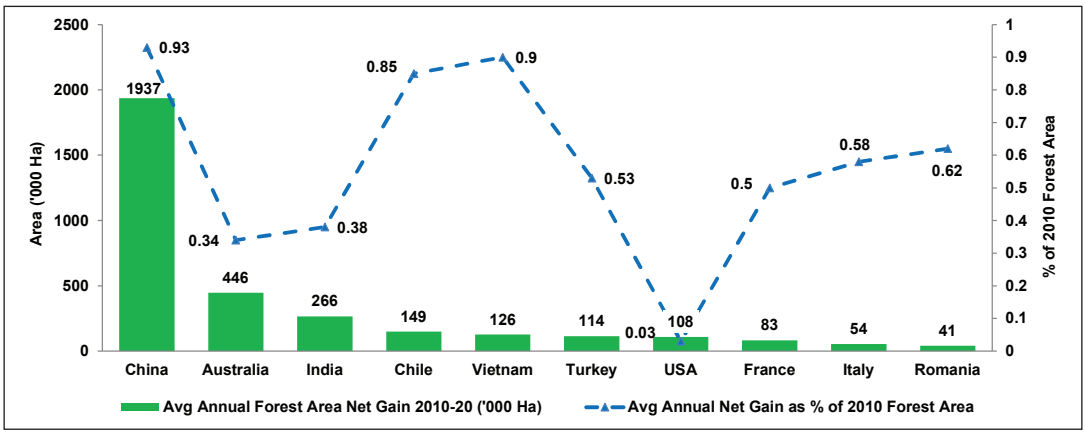

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन 2021

6.14 वन आच्छादन में समस्त ऐसी भूमि क्षेत्र शामिल हैं जहां पर एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनावरण के साथ 10 प्रतिशत से अधिक भूमि वनाच्छादित हो भले ही उस भूमि की कानूनी स्थिति कुछ भी हो या उसका स्वामी कोई भी हो। ऐसी भूमि जरूरी नहीं कि एक इंदराज वन क्षेत्र ही हो और इसमें बाग, बांस और ताड़ के बागान भी शामिल हों। चित्र-9, से पता चलता है कि 2021 में भारत का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किमी था, जो 2011 में देश के भौगोलिक क्षेत्र के 21.05 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 21.71 प्रतिशत था तथा यह 2011 के वन क्षेत्र की तुलना में 2021 में 3.14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि वन आवरण मुख्य रूप से बहुत घने जंगल (70 प्रतिशत और उससे अधिक की वृक्ष छत्र घनत्व वाली सभी भूमि) में वृद्धि के की वजह से ही है, जो 2011 और 2021 के बीच 19.54 प्रतिशत तक बढ़ गया। खुला जंगल (10-40 प्रतिशत के बीच वृक्ष चंदवा घनत्व वाली सभी भूमि) में भी 6.71 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि मध्यम घने जंगल (40-70 प्रतिशत के बीच वृक्षों के छत्र घनत्व वाली सभी भूमि) में 2011 और 2021 के बीच 4.32 प्रतिशत की गिरावट आई।

चित्र 9: भारत का वन आवरण (2011 और 2021)

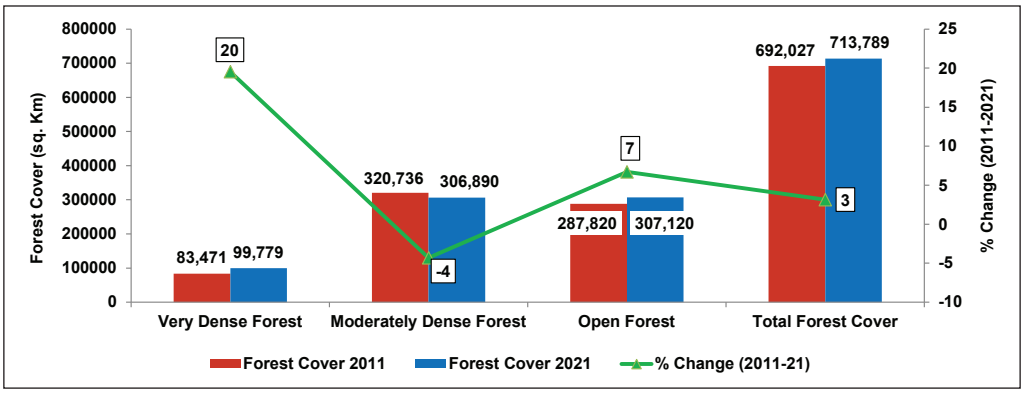

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति प्रतिवेदन-2021 व 2011

नोट: बहुत घना जंगल: 70 प्रतिशत और उससे अधिक के पेड़ के छत्र घनत्व वाली सभी भूमि); मध्यम घने जंगल: 40-70 प्रतिशत के बीच वृक्ष चंदवा घनत्व वाली सभी भूमि; और खुला जंगल: 10-40 प्रतिशत के बीच वृक्ष छत्र घनत्व वाली समस्त भूमि।

6.15 भारत के राज्यों में, मध्य प्रदेश (भारत के कुल वन क्षेत्र का 11 प्रतिशत) वर्ष 2021 में सबसे बड़ा वन क्षेत्र था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (9 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (8 प्रतिशत), ओडिशा (7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र

(7 प्रतिशत) आते हैं। चित्र 10, इन पांच राज्यों में बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल की संरचना के साथ-साथ 2021 में वन कवर के तहत राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत दर्शाता है।

चित्र 10: वन आवरण के अनुसार भारत के शीर्ष पांच राज्य, 2021

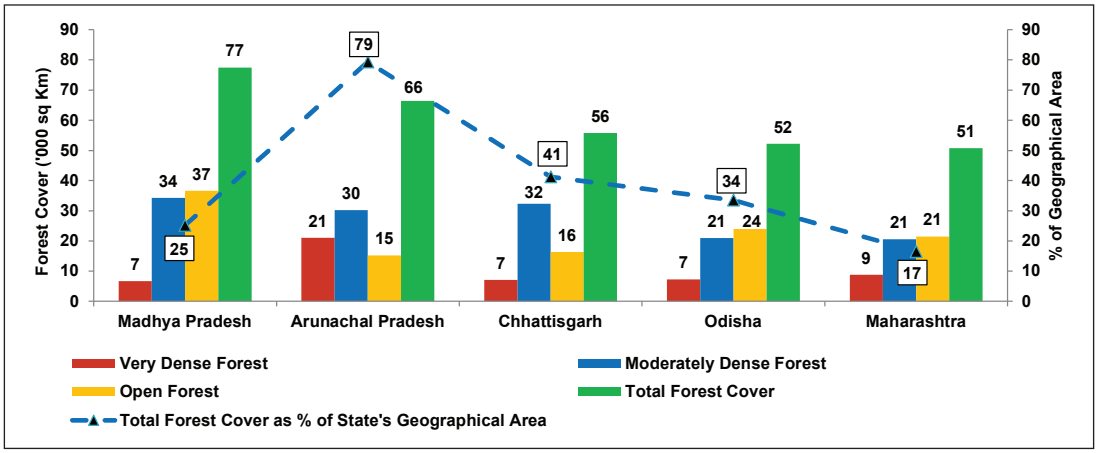

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन-2021

नोट: बहुत घना जंगल: 70 प्रतिशत और उससे अधिक के पेड़ के छत्र घनत्व वाली सभी भूमि); मध्यम घने जंगल: 40-70 प्रतिशत के बीच वृक्ष चंदवा घनत्व वाली सभी भूमि; और खुला जंगल: 10-40 प्रतिशत के बीच वृक्षों के छत्र घनत्व वाली सभी भूमि।

6.16 वर्ष 2021 में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वन क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत के अनुसार मिजोरम (85 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (79 प्रतिशत), मेघालय (76 प्रतिशत), मणिपुर (74 प्रतिशत) और नागालैंड (74 प्रतिशत) शीर्ष पांच राज्य थे (चित्र 11)।

चित्र 11: वन आवरण के अंतर्गत राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार शीर्ष पांच राज्य, 2021

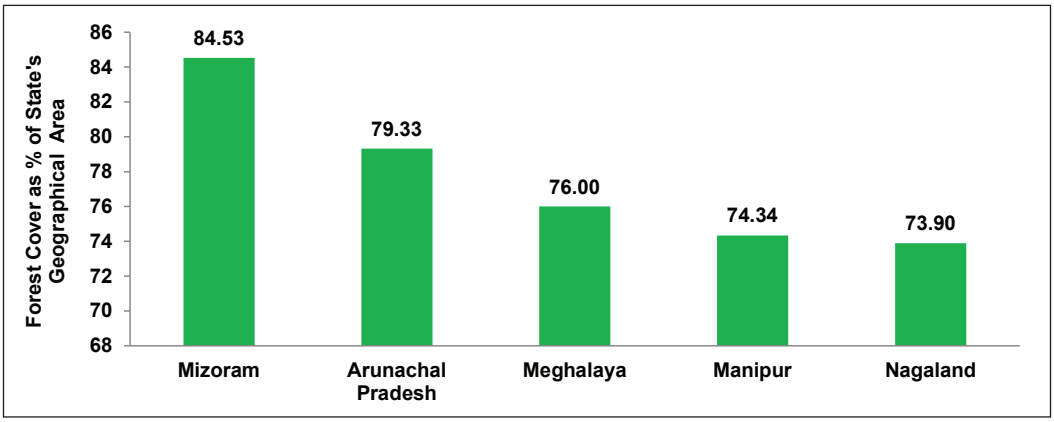

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन-2021

6.17 चित्र-12, वर्ष 2021 में अत्यंत घने जंगल के मामले में शीर्ष पांच राज्यों को दर्शाता है। 2021 में अरूणाचल प्रदेश में भारत के कुल सघन वन क्षेत्र का 21 प्रतिशत क्षेत्र आता था। इसके बाद महाराष्ट्र (9 प्रतिशत), ओडिशा (7 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ (7 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (7 प्रतिशत) आते हैं।

चित्र 12: अति सघन वन क्षेत्र वार शीर्ष पांच राज्य, 2021

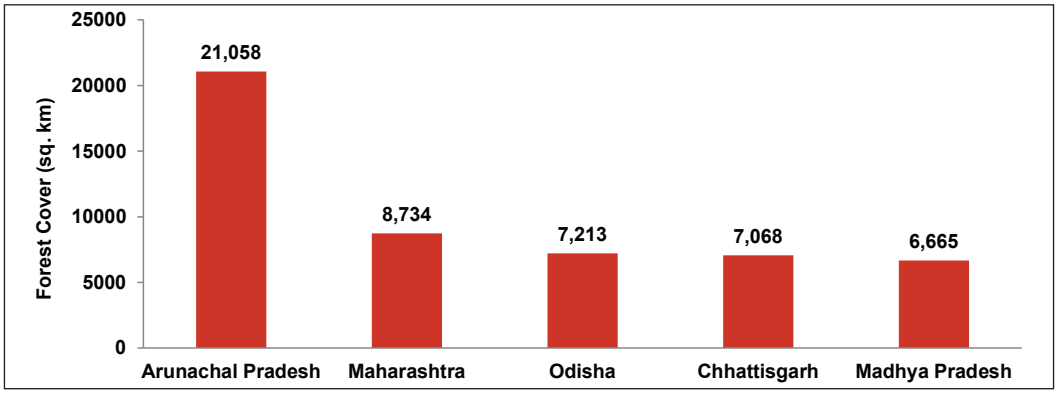

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन-2021

6.18 चित्र-13, वर्ष 2021 में मध्यम घने जंगल के मामले में शीर्ष पांच राज्यों को दर्शाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2021 में भारत के मध्यम घने जंगल का 11 प्रतिशत हिस्सा आता था, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (10 प्रतिशत), ओडिशा (7 प्रतिशत) और कर्नाटक (7 प्रतिशत) आते थे।

चित्र 13: मध्यम घने वन क्षेत्र के अनुसार शीर्ष पांच राज्य, 2021

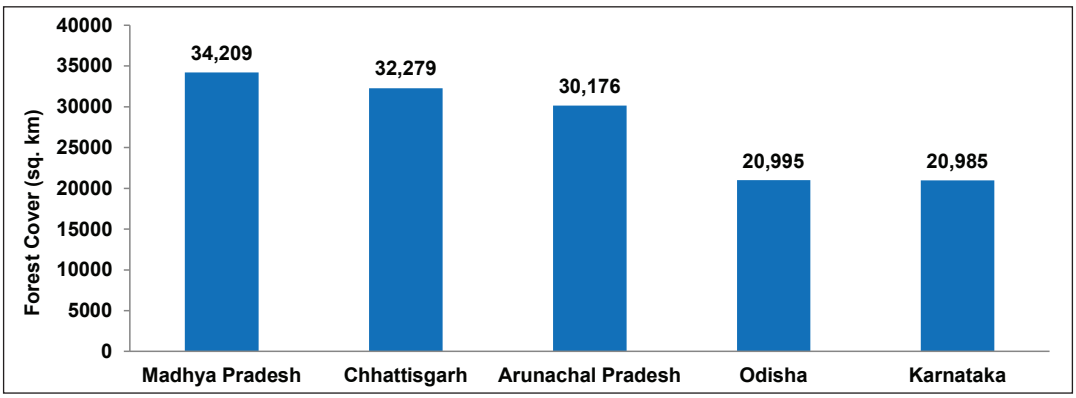

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन-2021

6.19 चित्र 14, वर्ष 2021 में खुले वन क्षेत्र के मामले में शीर्ष पांच राज्यों को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में 2021 में भारत के मध्यम घने जंगल का 12 प्रतिशत हिस्सा आता था, इसके बाद ओडिशा (8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (5 प्रतिशत) और असम (5 प्रतिशत) का स्थान आता है।

चित्र 14: खुले वन क्षेत्र के अनुसार शीर्ष पांच राज्य, 2021

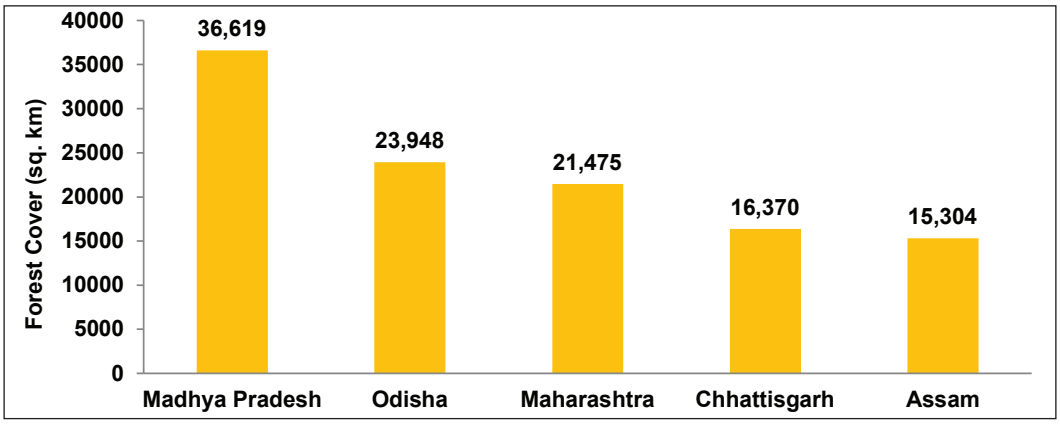

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन-2021

6.20 चित्र 15 सात प्रमुख शहरों – अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 2011 और 2021 में वन क्षेत्र को दर्शाता है। चित्र 16, वर्ष 2021 में सात प्रमुख शहरों – अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वन आवरण की संरचना को दर्शाता है। 2021 में इन सात प्रमुख शहरों में कुल वन क्षेत्र 509.72 वर्ग किमी था, जो इन शहरों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.21 प्रतिशत और भारत के वन क्षेत्र का 0.07 प्रतिशत था।

चित्र 15: सात प्रमुख शहरों में वनावरण (2011 और 2021)

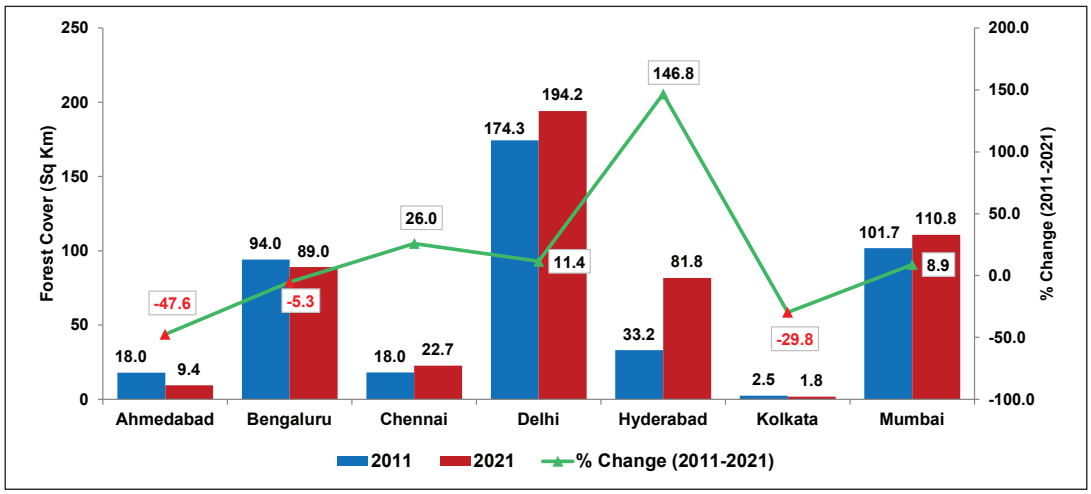

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन–2021

चित्र 16: सात प्रमुख शहरों में वनावरण की संरचना, 2021

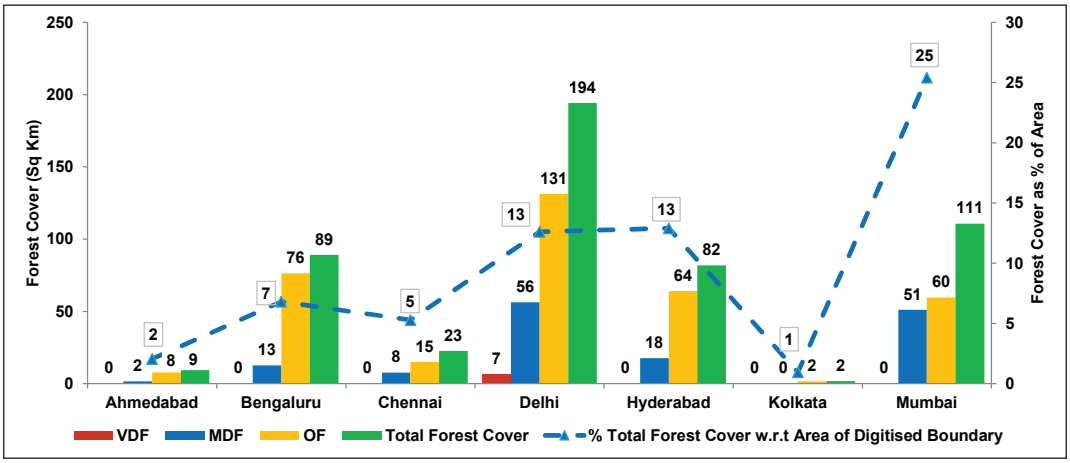

स्रोत: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट/भारत में वनों की स्थिति पर प्रतिवेदन–2021
नोट: वीडीएफ: बहुत घना जंगल; एमडीएफ: मध्यम घने जंगल; ओएफ: खुला जंगल

प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन तथा एकल उपयोग वाली चिन्हित प्लास्टिक का उन्मूलन

6.21 भारत सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018 में, माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त/फेज-आउट कर देगा। परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार एसईजेड और ईओयू द्वारा देश भर में ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात को संशोधित किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट आयात के विनियमित कर दिए जाने से देश में अन्य देशों द्वारा प्लास्टिक कचरे के डंपिंग की रोकथाम हुई है और देश में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण को अनुमति मिली है।

6.22 भारत ने "एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण" से निपटने के लिए एक संकल्प पारित किया जिसे 2019 में आयोजित चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। इस संकल्प में एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक संप्रदाय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की आवश्यकता के महत्व का आभास हुआ। इस प्रस्ताव को अंगीकृत करना एक महत्वपूर्ण कदम था।

6.23 वर्ष 2021 में निम्नलिखित घरेलू नियामक कार्रवाइयां की गई हैं:-

i. अगस्त 2021 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें 2022 तक चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली ऐसी प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनकी उपयोगिता कम है और जिनसे ज्यादा कचरा उत्पन्न होने की अधिक संभावना है। दिनांक 1 जुलाई, 2022 से, पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित चिन्हित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं /उत्पादों के आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

ii. हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग के कारण उत्पन्न होने वाले कूड़े को रोकने के लिए, 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई पचास माइक्रोन से बढ़ाकर पचहत्तर माइक्रोन और दिसंबर 31, 2022 से एक सौ बीस माइक्रोन तक कर दी गई है। प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई बढ़ने से इनका पुनः उपयोग भी किया जा सकेगा।

iii. प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक (पीआईबीओ) की विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से एकत्र और प्रबंधित किया जाएगा जिन्हें पहचाने गए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के चरण के तहत कवर नहीं किया गया है।

iv. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम, 2021 के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए दिशानिर्देशों को कानूनी बल दिया गया है।

v. अक्टूबर 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समय-समय पर यथासंशोधित प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा विनियमनों को भारत के राजपत्र में जीएसआर संख्या 722 (ई) के तहत अधिसूचित किया है। इस विनियम में प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनः उपयोग, अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग के न्यूनतम स्तर, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री का उपयोग और प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रबंधन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, प्लास्टिक और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।

6.24 स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन और समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को खत्म

करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यबल का गठन किया गया है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय इस राष्ट्रीय कार्य बल के सदस्य हैं। नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक 31 अगस्त 2021 को हुई थी। सरकार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता पैदा करने के उपाय भी कर रही है।

जल

भू-जल

6.25 भू-जल भारत की कृषि, उद्योग और पेयजल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हालांकि, अरक्षण ीय निकासी, यानी वार्षिक पुनर्भरण से अधिक निकासी या उसके करीब निकासी, भूजल संसाधनों को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती है।

चित्र 17: भूजल संसाधन आकलन (2004-2020)

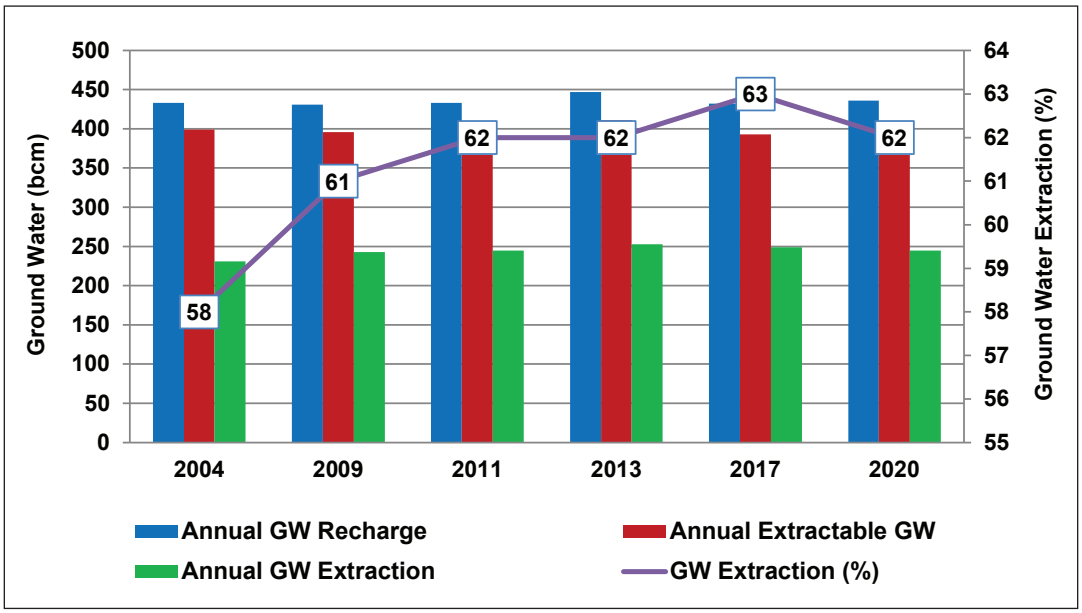

स्रोत: भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन, 2020

6.26 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के भूजल विभागों और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय-समय पर संयुक्त रूप से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के भूजल संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मूल्यांकित भूजल संसाधनों का संकलन करके भारत के गतिशील भूजल संसाधनों/डाइनैमिक ग्राउंड वॉटर रिसौर्सेस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया जाता है। इस तरह के भू-जल मूल्यांकन, वर्ष 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 और 2020 में किए गए हैं। चित्र-17, भारत में वर्ष 2004-2020 के दौरान वार्षिक भूजल पुनर्भरण, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन, वार्षिक भूजल निष्कर्षण और कुल भूजल निष्कर्षण के चरण (वार्षिक भू जल निष्कर्षण तथा वार्षिक निष्कर्षण योग्य संसाधनों का अनुपात अर्थात उपलब्धता बनाम उपयोगिता का प्रतिशत) दर्शाता है। । यह देखा जा सकता है कि वार्षिक भूजल पुनर्भरण (वर्ष 2013 को छोड़कर) 2004-2020 के दौरान समान ही रहा है। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान वार्षिक भूजल निष्कर्षण 58-63 प्रतिशत की सीमा में ही रहा है।

चित्र 18: भू-जल संसाधन मूल्यांकन इकाइयों का वर्गीकरण (2004-2020)

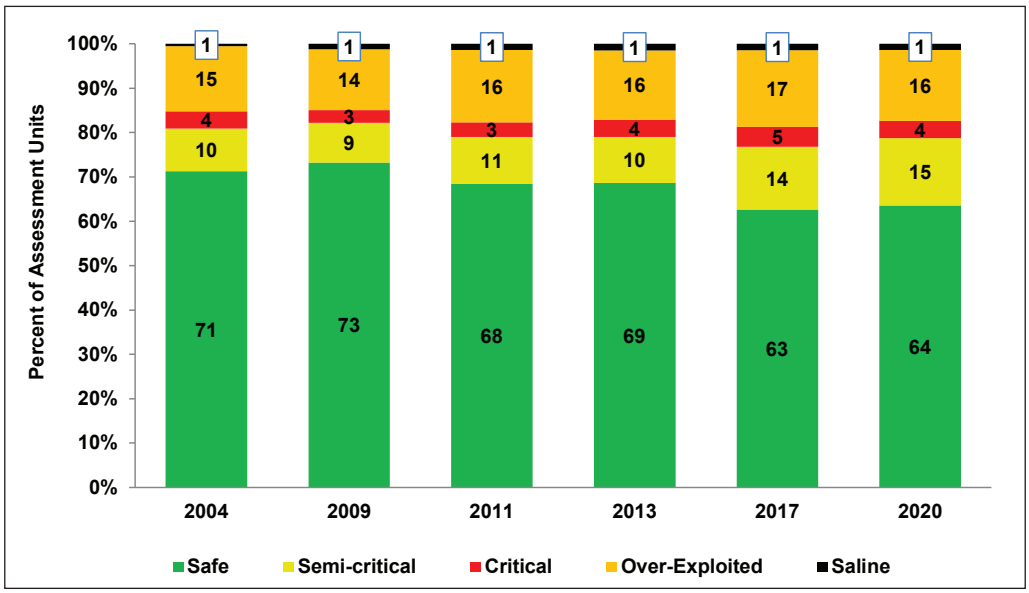

स्रोत: भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन, 2020

6.27 देश के विभिन्न भागों में भूजल निष्कर्षण की सीमा अलग-अलग है। भूजल मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल/तहसील/फिरका आदि) को निष्कर्षण के 40 चरण (एसओई) के चित्र 18 के आधार पर 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि एसओई <70%; अर्ध-महत्वपूर्ण'' यदि SoE > 70 और <= 90%; गंभीर'' यदि एसओई>90 और <=100% और अति-शोषित'' यदि एसओई> 100%। आकलन इकाई जिसमें भूजल संसाधन पूरी तरह से खारा है, को 'लवण' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चित्र 18, वर्ष 2004-2020 के दौरान विभिन्न श्रेणियों (सुरक्षित, अर्ध-महत्वपूर्ण, गंभीर, अति-शोषित और खारा) के तहत भारत की मूल्यांकन इकाइयों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, ''सुरक्षित'' के रूप में वर्गीकृत इकाइयाँ 2009 (73 प्रतिशत) से घटकर 2020 (64 प्रतिशत) हो गई हैं। ''सेमी-क्रिटिकल'' इकाइयां 2009 में 9 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 15 प्रतिशत हो गई हैं। 2004-2020 के दौरान ''क्रिटिकल'' इकाइयों की हिस्सेदारी 3-5 प्रतिशत की सीमा में रही है। 2004-20 के दौरान ''अति-शोषित'' इकाइयों का हिस्सा, कुल मूल्यांकन इकाइयों का 14-17 प्रतिशत था। इसके अलावा, लगभग एक प्रतिशत मूल्यांकन इकाइयों को ''खारा'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.28 चित्र-19, सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2020 में भूजल संसाधन मूल्यांकन इकाइयों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करता है। यह देखा जा सकता है कि भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी वार्षिक पुन: पूर्ति योग्य भूजल पुनर्भरण से अधिक निकासी उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में अधिक हुई है।

चित्र 19: सम्पूर्ण भारत में भूजल संसाधन आकलन इकाइयों का वर्गीकरण, 2020

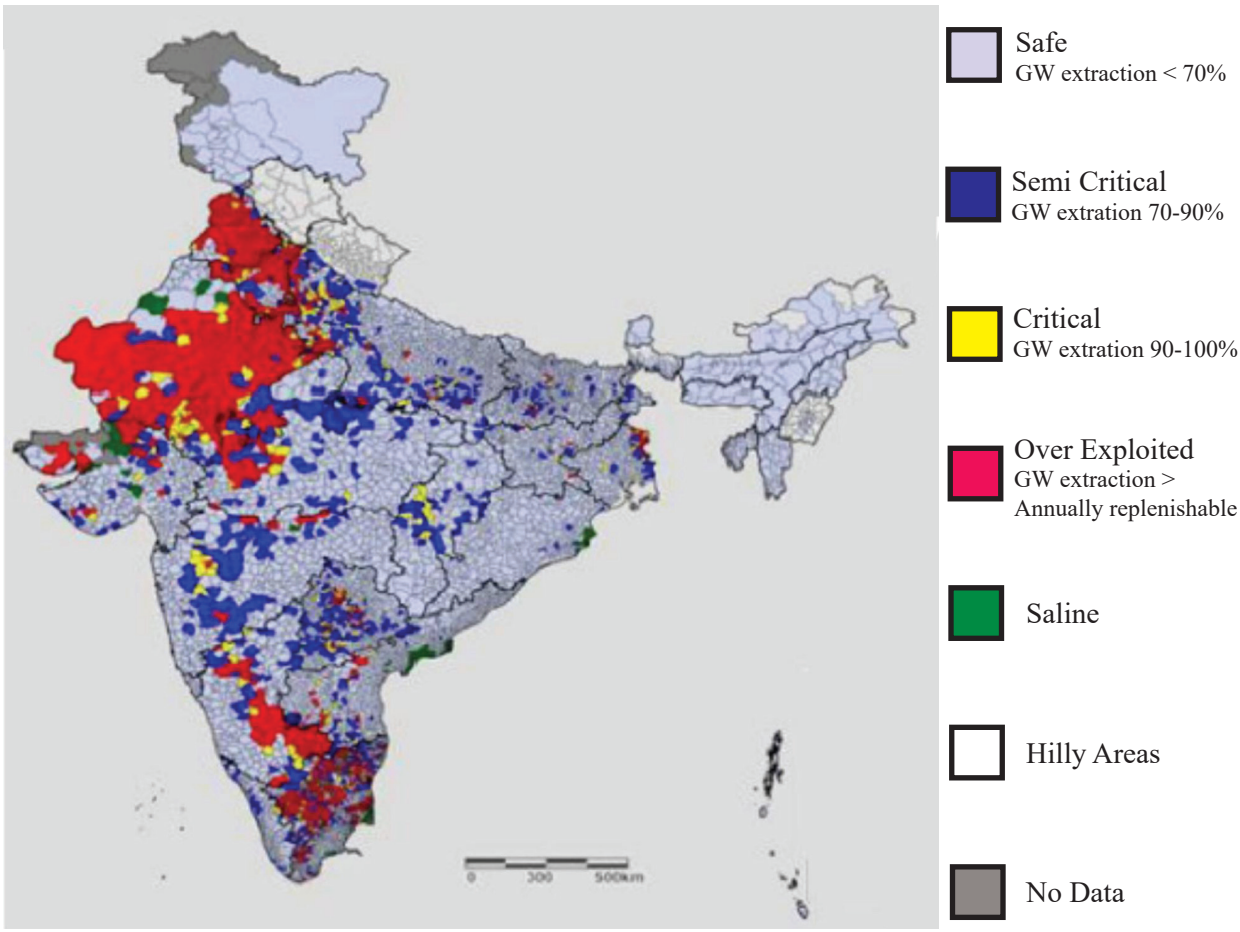

भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन, 2020

जलाशय

6.29 जलाशय देश के लिए जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि, वे विशेष रूप से मौसमी तत्वों पर निर्भर होते हैं और वर्षा और तापमान पैटर्न से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं।

चित्र 20: जलाशय क्षमता और लाइव भंडारण (बीसीएम)

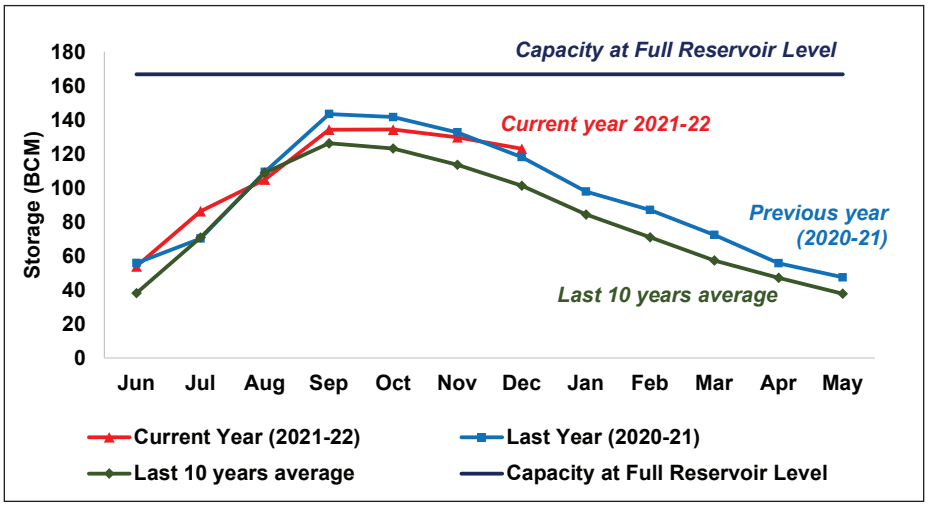

स्रोत: भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, जल शक्ति मंत्रालय

6.30 चित्र 20, जून-दिसंबर 2021, जून 2020-मई 2021 के दौरान और जून-मई के महीनों के दौरान दस साल के औसत के साथ-साथ भारत के निगरानी वाले 138 जलाशयों में पूर्ण जलाशय स्तर की क्षमता को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि मानसून के महीनों के दौरान जलाशय का लाइव भंडारण अपने चरम पर होता है और गर्मियों के महीनों में सबसे कम होता है, जिसके लिए जलाशयों के भंडारण, रिलीज और उपयोग की सावधानीपूर्ण योजना तैयार किए जाने और समन्वय की आवश्यकता होती है। यह चित्र 21 में भी परिलक्षित होता है।

चित्र 21: जलाशय भरण (कुल क्षमता का प्रतिशत), 2021

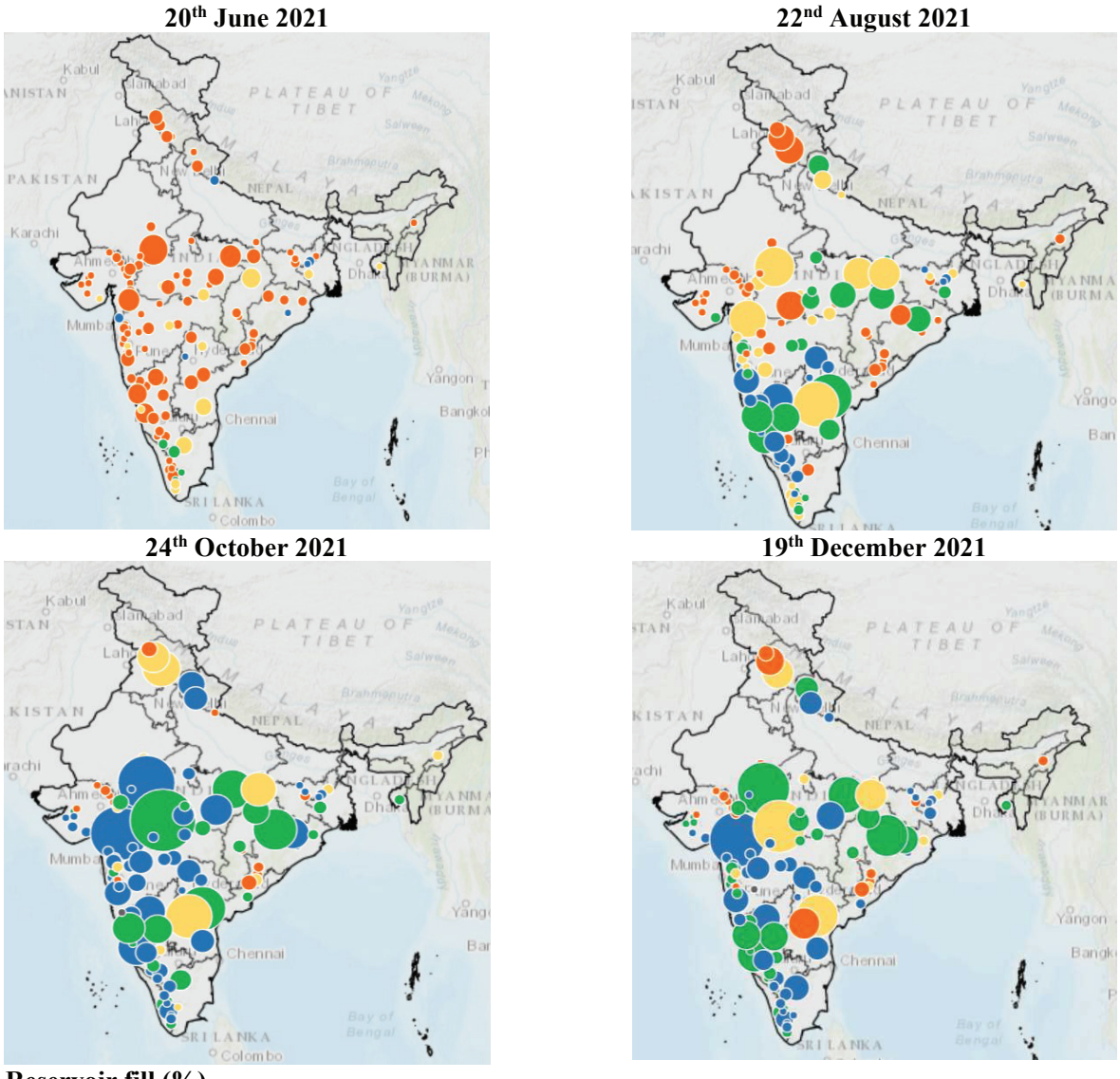

स्रोत: भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, जल शक्ति मंत्रालय

नदियाँ

6.31 भारत में कई बारहमासी और मौसमी नदियाँ मौजूद हैं। गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो देश के एक चौथाई से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करता है तथा इसकी आबादी का लगभग 43 प्रतिशत और भारत के जल संसाधनों का 28 प्रतिशत योगदान देता है। हुए भारत सरकार ने गंगा नदी के महत्वपूर्ण

आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की मान्यता को ध्यान में रखते वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2014 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय मिशन के रूप में नमामि गंगे मिशन शुरू किया।

नमामि गंगे मिशन

6.32 नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य गंगा नदी बेसिन की रक्षा, संरक्षण और कायाकल्प करना है। वर्ष 2015 में, कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ पांच साल (2015-2020) की अवधि के लिए इस मिशन को मंजूरी दी। इसके बाद, 7 अक्टूबर 2016 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो नमामिगंगे मिशन को लागू करने के साथ साथ इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी भी है। इस मिशन के हिस्से के रूप में की गई गतिविधियां 4 स्तंभों पर टिकी हुई हैं - निर्मल गंगा (अप्रदूषित प्रवाह), अविरल प्रवाह (निरंतर प्रवाह), जन गंगा (पीपल-रिवर कनेक्ट) और ज्ञान गंगा (अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन)। दिसंबर 2021 तक, इस मिशन के तहत 30,841.53 करोड़ रुपये की कुल 363 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

6.33 चित्र 22, वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2021 तक नमामि गंगे मिशन के तहत किए गए कुल व्यय (करोड़ रुपये) को दर्शाता है। 2020-21 और 2021-22 में किए गए कम व्यय को कोविड महामारी और हाल ही में लेखांकन मानदंडों में किए गए बदलाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

चित्र 22: 2014-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक नमामि गंगे मिशन के तहत किया गया व्यय (करोड़ रुपये)

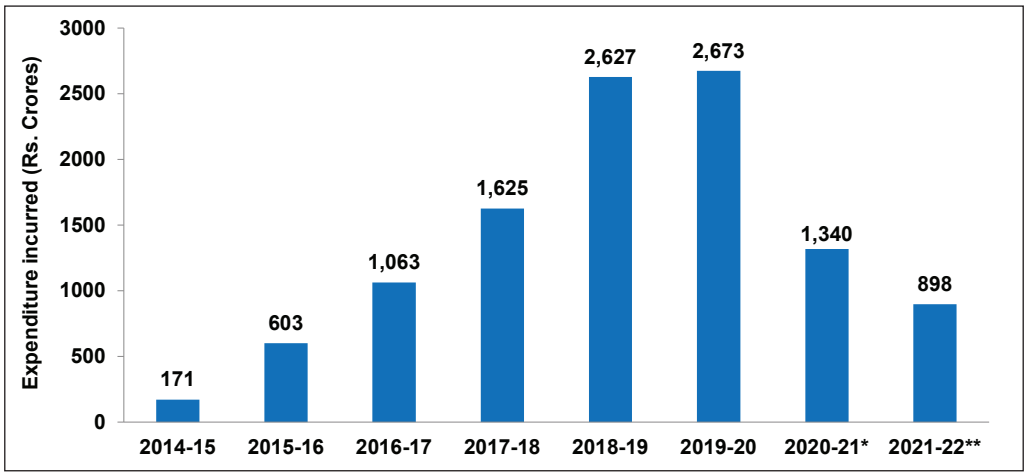

*कोविड 19 महामारी के कारण'

** ग्राफ में दिया गया डेटा दिसंबर 2021 तक का है।

स्रोत: स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)

6.34 इसके अलावा, स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ) की स्थापना 2014 में देश के निवासियों, एनआरआई/पीआईओ, कॉरपोरेट्स और संगठनों से प्राप्त योगदान के साथ गंगा नदी की स्वच्छता में सुधार के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी। 31 दिसंबर 2021 तक सीजीएफ के तहत कुल 561.58 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

6.35 मिशन के निर्मल गंगा (अप्रदूषित प्रवाह) घटक के तहत, 31 दिसंबर, 2021 को 24,568 करोड़ रुपये की लागत से 160 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 5,024 एमएलडी की संचयी उपचार क्षमता का निर्माण किया गया है, जो 2014 में 28 परियोजनाओं के माध्यम से एमएलडी 463 से दस गुना वृद्धि को

दर्शाता है। चित्र 23 , नमामि गंगे मिशन के तहत शुरू की गई सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के राज्य-वार वितरण को दर्शाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश (43), बिहार (29) और उत्तराखंड (26) के बाद सबसे अधिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

चित्र 23: 31 दिसंबर, 2021 तक नमामि गंगे मिशन के तहत बनाई गई सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

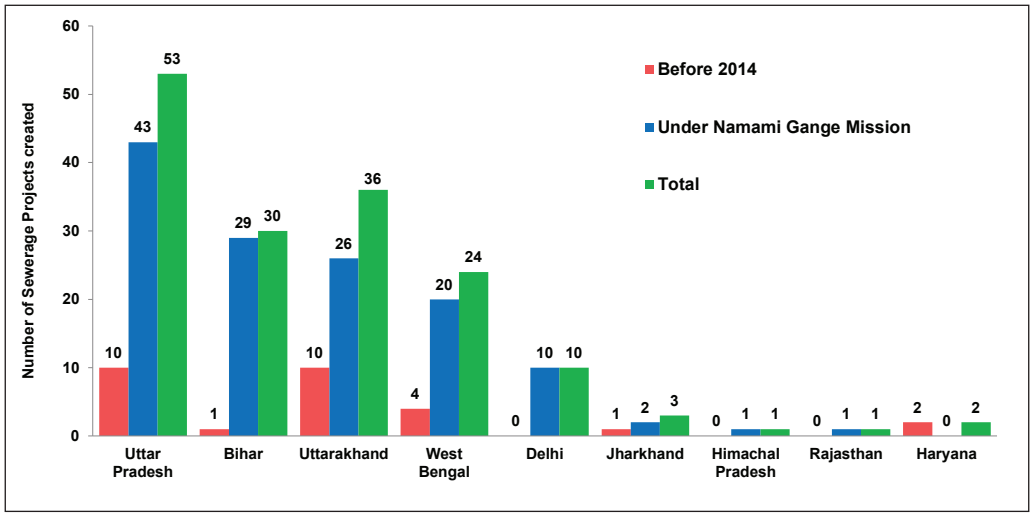

स्रोत: स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)

6.36 इसके अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे घोर प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का आविष्कार किया गया है। वर्ष 2015 से, विभिन्न हितधारकों को शामिल करके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे लुगदी और कागज, डिस्टिलरी, चीनी और कपड़ा में क्लीनर प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन, उपचार सुविधा के उन्नयन और अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रथाओं के अनुकूलन के लिए क्षेत्र विशिष्ट चार्टर लागू किए गए हैं। इन कार्यों के परिणामस्वरूप अपशिष्ट जल के निर्वहन और प्रदूषण भार में उल्लेखनीय कमी आई है। चित्र 24, स्वतंत्र तकनीकी संस्थानों द्वारा वार्षिक निरीक्षणों के माध्यम से इन उद्योगों की नियमित निगरानी के कारण गंगा के मुख्य तने और उसकी सहायक नदियों में स्थित जीपीआई की अनुपालन स्थिति को दर्शाता है जिसमें 2017 के 39 प्रतिशत से 2020 में 81 प्रतिशत तक का सुधार आया है। चित्र- 25, अपशिष्ट निर्वहन में 2017 के 349.13 एमएलडी से 2020 में 280.20 एमएलडी तक की परिणामी कमी को दर्शाता है।

चित्र 24: गंगा के किनारे अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति (2017-20)

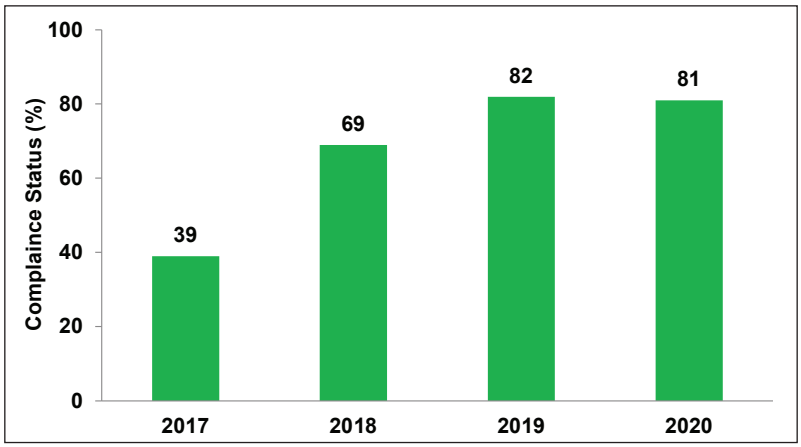

स्रोत: स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)

चित्र 25: गंगा की मुख्य धारा और सहायक नदियों के साथ बहि:स्राव निर्वहन में परिवर्तन (2017-20)

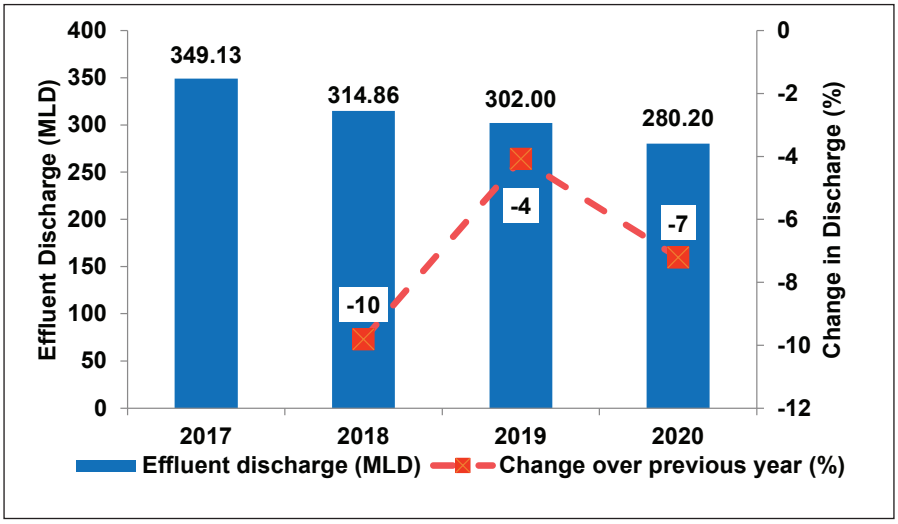

स्रोत: स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)

6.37 गंगा के अविरल प्रवाह (निरंतर प्रवाह) को सुनिश्चित करने के लिए, गंगा नदी के न्यूनतम प्रवाह को अनिवार्य करने वाली ऐतिहासिक पारिस्थितिक प्रवाह अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी, जिसमें नदी के अपने पानी पर अधिकार को मान्यता दी गई थी। इस दिशा में अन्य कदमों में 29,000 हेक्टेयर में वनरोपण, संरक्षण के लिए 279 आर्द्रभूमियों की पहचान; और 118 आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करना है जो गंगा नदी की 2,200 किमी से अधिक मुख्य धारा के लिए अपनी तरह का पहली नदी जैव-विविधता मूल्यांकन है।

6.38 जन गंगा (पीपल-रिवर कनेक्ट) घटक मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लोगों और नदी के बीच के संबंध को मजबूत करने के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार करता है। गंगा क्वेस्ट 2021 को 113 देशों के 1 मिलियन से अधिक प्रतिभागियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। गंगा उत्सव 2021 को पहली बार गंगा बेसिन शहरों से परे नदी उत्सव के रूप में मनाया गया। नवंबर 2021 में रिवर सिटी एलायंस को भारत में नदी शहरों के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था ताकि शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए विचार-विमर्श, चर्चा और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

6.39 अंतत: ज्ञान गंगा (अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन) घटक के तहत, एनएमसीजी का समर्थन करने और गंगा पर एक व्यापक ज्ञान आधार बनाने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र बनाने के लिए गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, आईआईटी कानपुर में लंबी अवधि के बेसिन अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए गंगा प्रबंधन और अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया था।

वायु

6.40 वायु प्रदूषण सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। भारत सरकार ने 2019 में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सांद्रता की तुलना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष के रूप में लेते हुए वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी हासिल करना है। । एनसीएपी को 132 शहरों में लागू किया गया है, जिनमें से 124 शहरों की पहचान लगातार पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर की गई है। इसमें पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) द्वारा पहचाने गए 34 मिलियन से अधिक शहर / शहरी समूह शामिल हैं। इसके अलावा, एनसीएपी आठ अन्य मिलियन से

अधिक शहरों को भी कवर करता है, जो वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आते हैं। चित्र 26, वर्ष 2019-20 और 2020-21 में एनसीएपी के तहत जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये) को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 में, सबसे अधिक धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है, जबकि वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक धनराशि आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल को जारी की गई।

चित्र 26: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये)

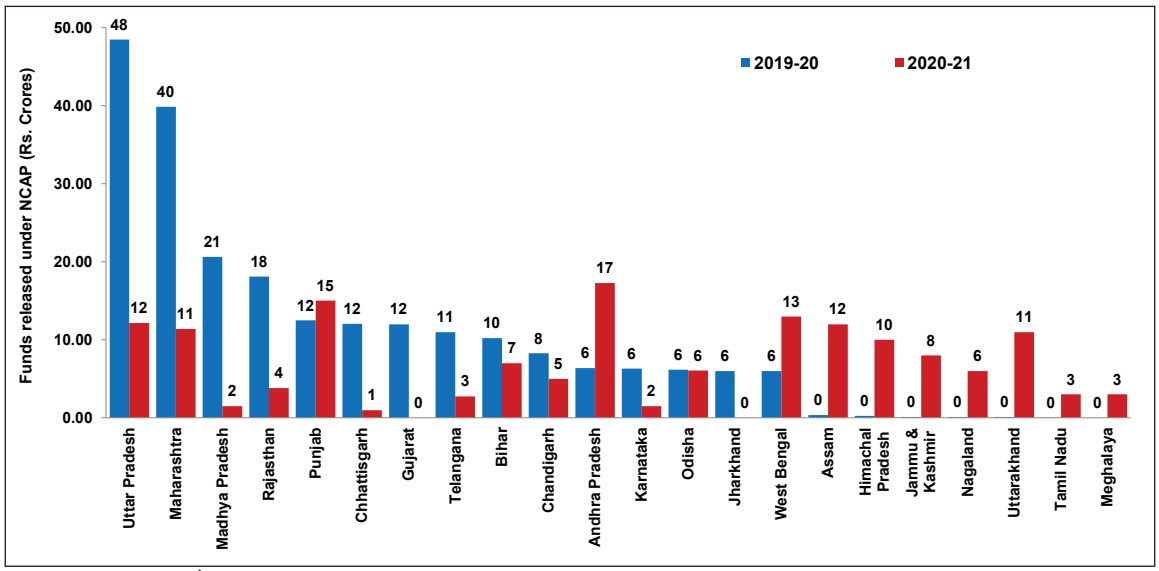

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

6.41 देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. **वाहन उत्सर्जन:** भारत ने अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए मानदंडों में परिवर्तन करते हुए भारत स्टेज-IV के स्थान पर बीएस-VI मानक लागू कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाया गया है और अधिक शहरों को कवर किया गया है। पेट्रोल में सीएनजी, एलपीजी और इथेनॉल सम्मिश्रण जैसे स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत की गई है। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ फेम योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। । कुल बजटीय सहायता में से, लगभग 86 प्रतिशत फंड मांग प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया है ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके। इस चरण का उद्देश्य 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 पहिया वाहनों, 55,000 ई-4 पहिया यात्री कारों (मजबूत हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-2 पहिया वाहनों को सपोर्ट करके मांग उत्पन्न करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है।

ii. **औद्योगिक उत्सर्जन:** कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जुलाई 2018 से केवल अनुमत प्रक्रियाओं को छोड़कर, देश में आयातित पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए ईंट भट्टों को जिग-जैग तकनीक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

iii. **धूल और कचरे के जलने से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण:** ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-कचरा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को कवर करते

हुए छह अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं। अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। प्लास्टिक और ई-कचरा प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी शुरू की गई है। बायोमास/कूड़ा-कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

iv. **परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी:** राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के तहत मैनुअल के साथ-साथ निरंतर निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया गया है। वैकल्पिक परिवेश निगरानी प्रौद्योगिकियों जैसे कम लागत वाले सेंसर और उपग्रह आधारित निगरानी का आकलन करने के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में तात्कालिक कार्रवाई करने के लिए अलर्ट प्रदान करने वाली वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू की जा रही है।

6.42 इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 96 शहरों में वर्ष 2019-2020 की तुलना में 2020-2021 में पीएम 10/पार्टिकुलेट मैटर-10 सांद्रता की घटती प्रवृत्ति दर्शाई। निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (पीएम10/पार्टिकुलेट मैटर-10 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम) के भीतर शहरों की संख्या भी 2019-20 में 18 से बढ़कर 2020-21 में 27 हो गई। हालाँकि, वायु प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें 36 शहरों में 2019-2020 की तुलना में 2020-2021 में पीएम-10 पार्टिकुलेट मैटर (पीएम-10) सांद्रता में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

6.43 दिल्ली/एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपर्युक्त उपायों के अलावा कुछ अन्य प्रमुख उपाय भी किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं:-

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आस पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की परिवेशी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए दिनांक 13 जुलाई 2021 को अध्यादेश के माध्यम से वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर एक आयोग प्रख्यापित किया गया था।

ii. पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना 'पंजाब, हरियाण ा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना', कृषि मशीनों और इन-सीटू फसल के लिए उपकरण व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है।

iii. दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

iv. दिल्ली से दूर गैर-नियत यातायात को हटाने के लिए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों को चालू किया गया है।

v. दिल्ली-एनसीआर में रेड श्रेणी के तहत आने वाले उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करने और औद्योगिक उत्सर्जन और अपशिष्ट प्रणालियों की ऑनलाइन निगरानी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

6.44 इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2016 से दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में कुछ सुधार हुआ है, जैसा कि तालिका-2 में देखा जा सकता है। 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' दिनों की संख्या 2016 के 108 दिनों के मुकाबले 2021 में बढ़कर 197 हो गई है तथा 'खराब', 'बहुत खराब' और श्गंभीरश दिनों की संख्या 2016 के 246 दिनों के मुकाबले 2021 में घटकर 168 रह गई है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' दिनों की कम संख्या और 'खराब', 'बहुत खराब' और 'गंभीर' दिनों की अधिक संख्या को 2020 के कोविड़-19 लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

तालिका 2: औसत वार्षिक वायु गुणवत्ता सूचकांक, दिल्ली (2016-2021)

Year (no. of days) / Category	2016 (354)	2017 (365)	2018 (365)	2019 (365)	2020 (366)	2021 (365)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Good (0–50)	0	2	0	2	5	1						
Satisfactory (51–100)	25	45	53	59	95	72	108	152	159	182	227	197
Moderate (101–200)	83	105	106	121	127	124						
Poor (201–300)	120	115	113	103	75	80						
Very Poor (301–400)	101	89	73	56	49	64	246	213	206	183	139	168
Severe (>401)	25	9	20	24	15	24						

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

6.45 इसके अलावा, दिल्ली के लिए निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 के बाद से पीएम की वार्षिक सांद्रता में धीरे-धीरे कमी आई है। दिल्ली ने वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2021 में पीएम 2.5 में लगभग 22 प्रतिशत और पीएम 10 में 27 प्रतिशत की कमी हासिल की।

6.46 चित्र-27, वर्ष 2017-21 के दौरान दिल्ली की औसत मासिक वायु गुणवत्ता (पीएम 2.5) को दर्शाता है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021 में नौ महीनों के दौरान सुधार दर्ज किया गया, जिसमें सबसे बड़ा सुधार अक्टूबर (54 प्रतिशत), मई (50 प्रतिशत) और सितंबर (48 प्रतिशत) माह में देखा गया। वर्ष 2021 में, दिल्ली में औसत मासिक वायु गुणवत्ता में जनवरी में (17 प्रतिशत), फरवरी में (15 प्रतिशत) और मार्च में (एक प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई जो कि वर्ष 2017 में इसी अवधि की तुलना में एक चिंता का विषय है।

चित्र 27: दिल्ली का औसत मासिक सीएएक्यूएम (2017-2021)(पीएम2.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर में)

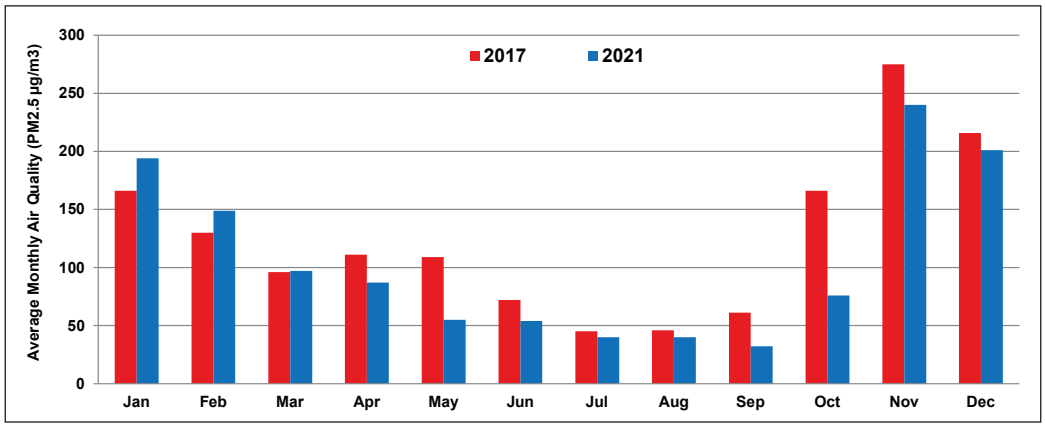

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

6.47 चित्र 28, वर्ष 2017-21 के दौरान दिल्ली की औसत मासिक वायु गुणवत्ता (पीएम 10) दर्शाता है। 2017 की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान नौ महीनों में सुधार दर्ज किया गया, जिसमें सितंबर (66 प्रतिशत), अक्टूबर (49 प्रतिशत) और मई (48 प्रतिशत) में सबसे बड़ा सुधार देखा गया। वर्ष 2021 में, दिल्ली की औसत मासिक वायु गुणवत्ता में जनवरी (पांच प्रतिशत), फरवरी (सात प्रतिशत) और मार्च (चार प्रतिशत) माह में कमी दर्ज की गई जो कि वर्ष 2017 में इसी अवधि की तुलना में एक चिंता का विषय है।

चित्र 28: दिल्ली का औसत मासिक सीएएक्यूएम (2017-2021) (पीएम10 माइक्रोग्राम/घनमीटर में)

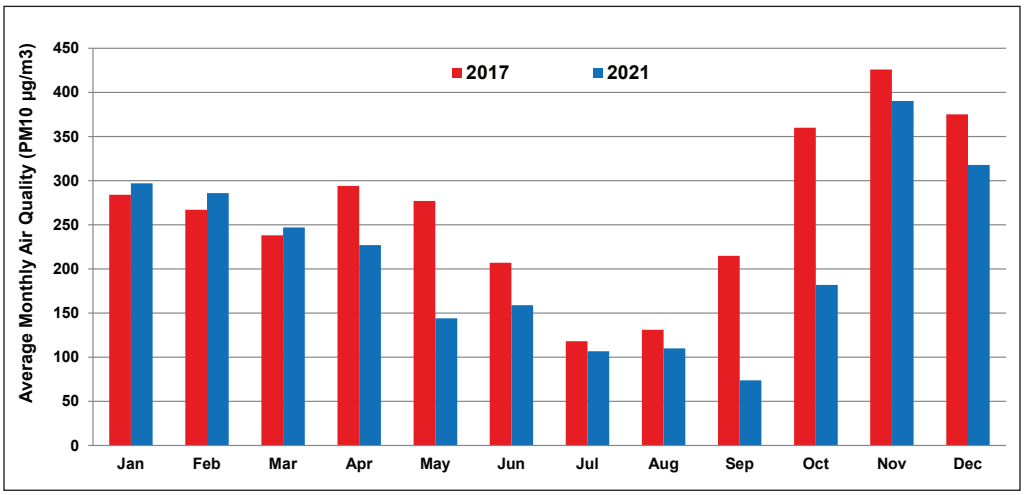

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

जलवायु परिवर्तन

6.48 भारत ने देश की जलवायु प्राथमिकताओं पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आठ राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना करते हुए, वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरूआत की। तालिका-3 में एनएपीसीसी के तहत प्रमुख घटनाक्रम प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 3: एनएपीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन

मिशन	प्रमुख उद्देश्य / लक्ष्य	प्रगति
1. राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम)	2014-15 से शुरू होकर सात वर्षों में 100 GW सौर ऊर्जा प्राप्त करना।	31 दिसंबर 2021 तक, देश में 49.35 GW की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
2. संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)	- पारिस्थितिक संधारणीयता के साथ विकास हासिल करना। - बड़े ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में ऊर्जा खपत में कमी आज्ञापक/अनिवार्य करना। - नगरपालिका, भवनों और कृषि क्षेत्रों में मांग-पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा खपत को कम करने के लिए पीपीपी के लिए वित्तपोषण करना। - ऊर्जा कुशल उपकरणों पर कम कर सहित ऊर्जा प्रोत्साहन प्रदान करना।	मार्च 2012 में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना शुरू की गई थी। - पीएटी साइकिल I (2012-2015) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 8 क्षेत्रों से 8.67 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई। 31 मिलियन टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी हासिल की गई। - पीएटी साइकिल II (2016-17 से 2018-19) के तहत, 11 क्षेत्रों से 14.08 एमटीओई की वार्षिक ऊर्जा बचत हासिल की गई। 66.01 मिलियन टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी हासिल की गई।

		– पीएटी साइकिल III (2017-18 से 2019-20) 31 मार्च 2020 को संपन्न हुई। इस चक्र के परिणाम अभी आने बाकी हैं। – वर्तमान में, पीएटी साइकिल IV को लागू किया जा रहा है। इससे लगभग 26 एमटीओई की ऊर्जा बचत हासिल होने की उम्मीद है।
3. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम)	वन/वृक्ष आच्छादन को 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाकर और 5 मिलियन हेक्टेयर (कुल 10 मिलियन हेक्टेयर) पर वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करके पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में सुधार लाना।	– 2015-16 से 2020-21 के दौरान 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 455.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। – 1,17,757 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियां शुरू की गई। – 33,099 घरों में वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा उपकरण वितरित किए गए हैं।
4. राष्ट्रीय संधारणीय आवास मिशन (एनएमएसएच)	– स्थायी आवास मानकों का विकास। – मौजूदा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का विस्तार करके शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। – ऑटोमोटिव ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के प्रवर्तन को मजबूत बनाना। – कुशल वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए मूल्य निर्धारण उपायों का उपयोग करना।	– एनएमएसएच को तीन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: कायाकल्प और शहरी परिवर्तन पर अटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। – 100 किलोवाट या इससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले व्यावसायिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन नियम 2018 अनिवार्य कर दिया गया है। – देश में 702 किलोमीटर पारंपरिक मेट्रो चालू है। 27 शहरों में अतिरिक्त 1,016 किलोमीटर मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माणाधीन है। – स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन उपायों के माध्यम से स्पष्ट रोडमैप प्रदान करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2019 लॉन्च किया गया है। – वर्ष 2021-2026 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा।

5. राष्ट्रीय जल मिशन (एनडबल्यूएम)	– भूजल की निगरानी, जलभृत मानचित्रण, क्षमता निर्माण, जल गुणवत्ता निगरानी और अन्य आधारभूत अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करता है। – जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना। – अतिशोषित क्षेत्रों पर ध्यान देना। – बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।	– राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, 19 चयनित राज्यों के लिए जल क्षेत्र के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एसएसएपी) प्राप्त करने वाली नोडल एजेंसी है। पांच राज्यों ने एसएसएपी का पहला चरण पूरा कर लिया है। – केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 15640 भूजल अवलोकन कुओं की निगरानी की जा रही है।
6. संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाकर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना।	– मिशन के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक नेटवर्क परियोजना, – "जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार/ नवोन्मेष" का गठन हुआ है। – वित्त वर्ष 2021-2025 के प्रमुख लक्ष्यों में जैविक खेती के तहत 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, सटीक सिंचाई के तहत 87 लाख हेक्टेयर, चावल गहनता के लिए 2.10 लाख हेक्टेयर, कम पानी की खपत वाली फसल के लिए विविधीकरण के तहत 6 लाख हेक्टेयर, 1.19 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि में वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र शामिल हैं।
7. हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को संपोषित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन	– हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करना। – नीति निकायों को उनके नीति निर्माण कार्यों में सक्षम बनाना। – हिमालयी राज्यों में मौजूदा संस्थानों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित नए केंद्रों की स्थापना। – ग्लेशियोलॉजी में पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग।	– वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में ग्लेशियोलॉजी केंद्र की स्थापना की गई है। – 12 हिमालयी राज्यों में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किए गए हैं – 12 हिमालयी राज्यों में से 11 में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। – 40 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 40,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ग्लेशियोलॉजी में इंडो-स्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत ग्लेशियोलॉजिस्ट को प्रशिक्षित किया गया है। – हिमालयी क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन पर 4 विश्वविद्यालयों का एक अंतर-विश्वविद्यालय संघ का

		गठन किया गया है। – सिक्किम के लिए भेद्यता मूल्यांकन हेतु हिमनद झील विस्फोट बाढ़ अनुसंधान एवं विकास अध्ययन आयोजित किए गए हैं।
8. जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी)	– अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में लगे मौजूदा ज्ञान संस्थानों के बीच जलवायु विज्ञान और ज्ञान नेटवर्क के गठन की बेहतर समझ हासिल करना। – देश के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभाव की मॉडलिंग के लिए राष्ट्रीय क्षमता का विकास करना।	– मिशन ने जलवायु परिवर्तन के लिए 11 उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया है। – 12 हिमालयी राज्यों में से 11 और 11 गैर-हिमालयी राज्यों में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। – अब 6 प्रमुख संस्थान अपने मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन विज्ञान, प्रभाव और अनुकूलन पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। – संशोधित मिशन दस्तावेज का उद्देश्य, सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में उत्कृष्टता के 20 केंद्र, राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित करना, प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना है।

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय

6.49 क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम (सीसीएपी) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे शुरू में 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें पांच साल की अवधि के लिए कुल 290 करोड़ रुपये का परिव्यय था। इस योजना को अब 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, और इसमें आठ व्यापक उप-घटक हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) समन्वय, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्य संस्थान, नेशनल कार्बोनेसियस एरोसोल्स प्रोग्राम (एनसीएपी), लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन (एलटीईओ), अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

6.50 भारत की जलवायु कार्रवाइयों, विशेष रूप से अनुकूलन प्रयासों को बड़े पैमाने पर घरेलू रूप से वित्तपोषित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) 2015 में शुरू किया गया था, और 2015-19 (चित्र 29) से कुल 847.5 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं कृषि, जल, वानिकी के साथ-साथ तटीय और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और हमारी आबादी और पारिस्थितिक तंत्र के सबसे कमजोर वर्गों की अनुकूली क्षमता को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही हैं।

चित्र 29: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

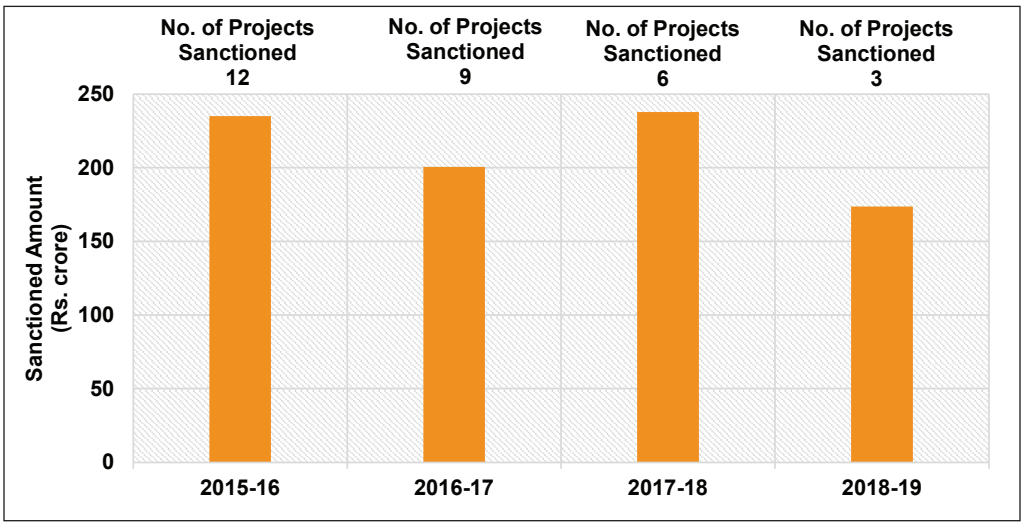

नोट: 2018-19 के बाद कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।
स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

6.51 एनएएफसीसी के तहत स्वीकृत 30 परियोजनाओं में से, दो परियोजनाएं – एक परियोजना हरियाणा में और एक क्षेत्रीय परियोजना (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए) - बंद हो गई हैं। चित्र 30, एनएएफसीसी के तहत 26 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही 28 परियोजनाओं (जिनमें से तमिलनाडु में दो परियोजनाएं हैं) और एक बहु-राज्य परियोजना (महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना को कवर करते हुए) की लागत को दर्शाता है।

चित्र 30: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लागत

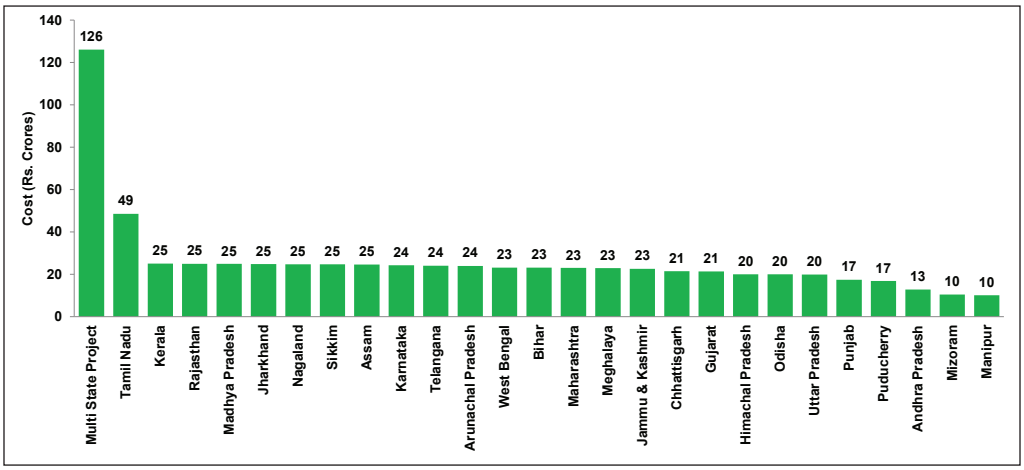

नोट: तमिलनाडु को छोड़कर उपर्युक्त सभी राज्यों में 1-1 परियोजना कार्यान्वयनाधीन है, तमिलनाडु में दो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, बहु-राज्य परियोजना में महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं।
स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

बॉक्स-2: प्रमुख पहल और उपलब्धियां

भारत ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। प्रौद्योगिक प्रोन्नयन के माध्यम से, परिवहन ईंधन के साथ-साथ रिफाइनरियों के लिए एक औद्योगिक इनपुट के रूप में उपयोग के लिए हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिश्रित किया जा रहा है।

5 जून, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण किए जाने की घोषणा की थी। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो इस सम्मिश्रण लक्ष्य को 2030 की बजाय 2025 में ही हासिल कर लेना चाहता है, अर्थव्यवस्था-व्यापी ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख तत्व है। देश पहले ही सितंबर 2021 तक, 8.5 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण तक का लक्ष्य हासिल कर चुका है और 2025 तक 20 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। इथेनॉल सम्मिश्रण से देश को आयात में प्रति वर्ष 4 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा की बचत, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और कचरे के उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार और निवेश के अवसर पैदा करना जैसे काफी लाभ मिल सकते हैं। सरकार 2022 तक 10 प्रतिशत और 2025 तक 20 प्रतिशत के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारत में 5,541 मिलियन अमरीकी डालर तक के निवेश की उम्मीद कर रही है।

भारतीय रेलवे ने मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की सोर्सिंग के माध्यम से, वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए रेलवे द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों में दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाना, पुनर्योजी ब्रेकिंग के लिए तीन चरण वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, अलग डीजल ईंधन वाली बिजली कारों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए "हेड ऑन जेनरेशन" प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (133.26 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन स्थापित क्षमता) का उपयोग, सभी रेलवे प्रतिष्ठानों पर एलईडी रोशनी का प्रावधान और वनीकरण द्वारा अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण शामिल है। नीचे दिया गया चित्र अक्षय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से भारतीय रेलवे द्वारा अपेक्षित सीओ2 उत्सर्जन में कमी को दर्शाता है।

अक्षय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से भारतीय रेलवे द्वारा सीओ2 उत्सर्जन में अपेक्षित कमी

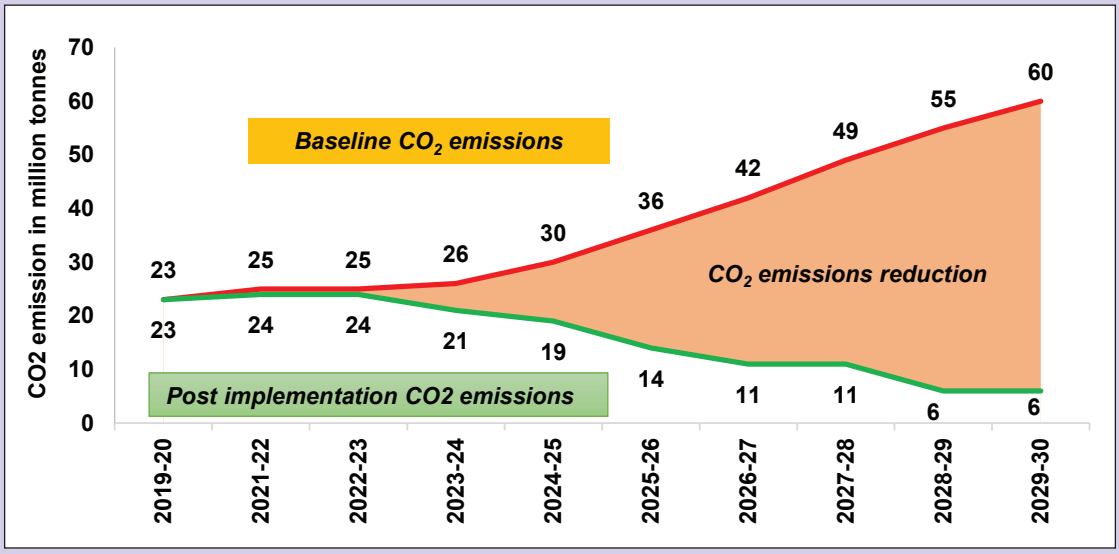

स्रोत: रेल मंत्रालय

भारत ने ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और सौर-ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा करने के लिए प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य 34,000 करोड़ रुङ्क से अधिक की केंद्रीय वित्तीय सहायता से 30.8 गेगा वॉट सौर क्षमता को जोड़ना है। इसके तीन घटक हैं - (क) 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, जिनमें से प्रत्येक ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 2 मेगावाट तक है, (ख) 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना, और (ग) ग्रिड से जुड़े 15 लाख मौजूदा कृषि पंपों का सौरकरण। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन घटकों को वित्तीय उपलब्धता आसान बनाने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण संबंधी दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया है। 31 दिसंबर, 2021 तक 77000 से अधिक स्टैंड अलोन सोलर पंप, 25.25 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट और 1026 से अधिक पंपों को अलग-अलग पंप सोलराइजेशन वैरिएंट के तहत सोलराइज किया गया था। दिसंबर 2020 में ग- घटक के तहत जिस फीडर लेवल सोलराइजेशन वैरिएंट की शुरूआत की गई थी उसका भी कई राज्यों में कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

मार्च 2024 तक ग्रिड से जुड़ी वृहद सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के लिए, 40 गीगावॉट क्षमता की लक्ष्य क्षमता के साथ ष्सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकासष की एक योजना लागू की जा रही है। अब तक, 14 राज्यों में 33.82 गीगावॉट की संयुक्त क्षमता के साथ 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पार्कों में लगभग 9.2 गीगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं।

दिसंबर 2022 तक 40 गीगावाट स्थापित क्षमता के लक्ष्य के साथ रूफ टॉप सोलर सिस्टम के त्वरित परिनियोजन के लिए रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II भी कार्यान्वयन के अधीन है। यह योजना आवासीय क्षेत्र के लिए 4 गीगावाट तक की सौर छत/सोलर रूफ टॉप क्षमता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और वितरण कंपनियों को पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिशील उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रावधान है। अब तक, देश में कुल 5.87 गीगावॉट सोलर रूफ टॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

सरकारी संस्थाओं (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) द्वारा 12 गीगावाट ग्रिड-कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी एक योजना लागू की जानी है। इस योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार अब तक लगभग 8.2 गीगावाट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर चुकी है।

सौर स्ट्रीट लाइट, सौर अध्ययन लैंप और सौर ऊर्जा पैक के लिए ऑफ-ग्रिड सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम का चरण-III, दिनांक 31.03.2021 तक मौजूद था। राज्य नोडल एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक 1.45 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी, 9.14 लाख सोलर स्टडी लैंप वितरित किए गए और लगभग 2.5 मेगावाट सोलर पावर पैक स्थापित किए गए।

भारत सरकार ने भारत की तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अधिसूचित किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, गुजरात और तमिलनाडु के तट पर अपतटीय पवन परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति बना रहा है और रोडमैप भी तैयार कर रहा है। मंत्रालय ने विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी/सौर-पवन हाइब्रिड नीति अधिसूचित की है, जिसमें बड़े ग्रिड से जुड़ी पवन-सौर पीवी हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है ताकि पारेषण बुनियादी ढांचे और भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम किया जा सके और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त की जा सके। 31 दिसंबर 2021 तक, लगभग 4.25 गीगावाट पवन-सौर हाइब्रिड की क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें से 0.2 गीगावाट पहले ही चालू हो चुकी है और 1.2 गीगावाट पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं की अतिरिक्त क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में है।

सीओपी/कॉप-26 जलवायु शिखर सम्मेलन, ग्लासगो में लिए गए प्रमुख निर्णय

6.52 यूएनएफसीसीसी में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी/कॉप-26) का 26वां सत्र, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में यूके प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित किया गया था। पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र क्योटो प्रोटोकॉल (सीएमपी-16), पार्टियों के सम्मेलन का तीसरा सत्र पेरिस समझौते (सीएमए 3) के लिए पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत, वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय (एसबीएसटीए) के सत्र 52-55 और कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय (एसबीआई) भी सीओपी 26 के संयोजन में आयोजित किए गए थे। ये सत्र वैश्विक कोविड़-19 महामारी को देखते हुए वर्ष 2020 में एक वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किए गए थे।

6.53 कॉप/ सीओपी-26 ने "पेरिस रूल बुक" के सभी लंबित मुद्दों पर परिणामों को अपनाया, जो कि पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है, जिसमें बाजार तंत्र, पारदर्शिता और एनडीसी के लिए सामान्य समय-सीमा शामिल है। भारत ने विकासशील देशों के लिए पर्याप्त समय सीमा के साथ न्यायसंगत परिवर्तन की मांग की ताकि हरित अर्थव्यवस्था के लाभ सभी के साथ साझा किए जा सकें।

6.54 ''ग्लासगो जलवायु करार'' अनुकूलन, शमन, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, हानि और क्षति पर जोर देता है। यह निर्णय विकसित देशों से 2025 तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के जुटाव लक्ष्य को पूरी तरह से पूर्ण करने का आग्रह करता है और अपनी प्रतिज्ञाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देता है। यह विकसित देशों से 2025 तक 2019 के स्तर से विकासशील देशों के लिए कम से कम दोगुने अनुकूलन वित्त प्रदान करने का आग्रह करता है। इसके अलावा, यह विकासशील देशों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, जलवायु वित्त पर एक नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य पर संरचित विचार-विमर्श की शुरुआत का स्वागत करता है और इस लक्ष्य की दिशा में 2022 से 2024 तक पेरिस समझौते के तहत स्थापित तदर्थ कार्यक्रम/वर्क प्रोग्राम के लिए तत्पर हैं। इसके अलावा, अब वित्त संबंधी स्थायी समिति (जो यूएनएफसीसीसी के तहत एक तकनीकी समिति है) को जलवायु वित्त की परिभाषाओं को तय करने की दिशा में काम करने के लिए आज्ञापक बना दिया गया है।

6.55 सीओपी/कॉप-26 ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य पर एक व्यापक दो वर्षीय ग्लासगो-शर्म अल-शेख कार्य कार्यक्रम के शुभारंभ का भी स्वागत किया। नुकसान और क्षति पर पार्टियों, संबंधित संगठनों और हितधारकों के बीच ग्लासगो वार्ता की स्थापना जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति के वित्तपोषण के तरीकों का पता लगाने के लिए की गई थी। इसने पेरिस समझौते के लिए पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत पार्टियों के सम्मेलन के चौथे सत्र से शुरू होने वाली पूर्व -2030 महत्वाकांक्षा पर एक वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया।

भारत की एनडीसी और संवर्धित जलवायु कार्रवाई पर इसकी स्वैच्छिक प्रतिबद्धता।

6.56 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताएं, राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समानता, सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों को दर्शाती हैं। भारत की जलवायु संबंधी दूर दृष्टि भी भारत के विकास के दृष्टिकोण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है जो गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती को पूरा करने के लिए तत्काल आवश्यकता के रूप में बुनियादी कल्याण की गारंटी भी देती है।

6.57 भारत ने अपनी विकासात्मक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए ष्सर्वोत्तम प्रयास के आधारष् पर पेरिस समझौते के तहत अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया। भारत (i) 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने; (ii) 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ 2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करने; और (iii) 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन लक्ष्यों के अनुसार, 2021 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत की गई भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) में सूचित किया गया है कि देश ने 2005-2016 के दौरान, अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 24 प्रतिशत तक कम कर दिया था। जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में जंगल में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 31 दिसंबर 2021 को बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 40.20 प्रतिशत थी।

6.58 भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में सीओपी/कॉप--26 में दिए गए अपने राष्ट्रीय वक्तव्य के एक भाग के रूप में उत्सर्जन में और अधिक कमी लाने के लिए 2030 तक पूरे किए जाने योग्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की।

6.59 जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिक्रिया से समन्वय स्थापित करने के लिए, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी शीर्ष समिति (एआईपीए) का एक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। यह समिति जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत के संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। एआईपीए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर एक समन्वित प्रतिक्रिया उत्पन्न करना और यह सुनिश्चित करना है कि भारत, पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2021, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत का प्रतीक है और एआईपीए का गठन किया जाना, जलवायु संबंधी कार्रवाई के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

संधारणीय विकास के लिए वित्त

जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों से निपटना

6.60 जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिम, सूक्ष्म और वृहत विवेक पूर्ण दोनों तरह की चिंताएं पैदा करते हैं। मई 2021 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और स्थायी वित्त और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में नियामक प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अपने नियामक विभाग में ही एक नई यूनिट- "संधारणीय वित्त समूह" (एसएफजी) का गठन किया है। यह एसएफजी अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग / सहयोग निकायों, अन्य केंद्रीय बैंकों, अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और भारत सरकार के साथ स्थायी वित्त या जलवायु जोखिम से संबंधित मुद्दों में समन्वय और भाग ले रहा है। यह समूह ऐसे जलवायु-संबंधी खुलासों सहित रणनीतियों का सुझाव देने और एक नियामक ढांचा विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए स्थायी पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करने और भारतीय संदर्भ में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

6.61 भारतीय रिजर्व बैंक जलवायु जोखिम के प्रबंधन में अपनी विनियमित संस्थाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) शासन, (ii) रणनीति, (iii) जोखिम प्रबंधन, और (iv) प्रकटीकरण को कवर करते हुए एक परामर्शक चर्चा दस्तावेज तैयार कर रहा है। यह चर्चा दस्तावेज विनियमित संस्थाओं को उनकी व्यावसायिक रणनीतियों, शासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु-संबंधी और पर्यावरण संबंधी जोखिमों को शामिल करने के प्रति संवेदनशील बनाएगा। बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए एक दूरंदेशी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

संधारणीय विकास के लिए वित्त संवर्धन

6.62 जनवरी 2021 में, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संधारणीय वित्त पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों में भारत में स्थायी वित्त के लिए ढांचे को परिभाषित करना, एक स्थायी वित्त रोडमैप के लिए स्तंभ स्थापित करना, स्थायी गतिविधियों के मसौदा वर्गीकरण का सुझाव देना और वित्तीय क्षेत्र द्वारा जोखिम मूल्यांकन की रूपरेखा शामिल है।

6.63 भारत हरित वित्त/ग्रीन फाइनेंस की दिशा में वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। 23 अप्रैल, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक एक सदस्य के रूप में वित्तीय प्रणाली (एनजीएफएस) को हरित करने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क में शामिल हुआ और इसने एनजीएफएस की कार्य धाराओं में भाग लेना शुरू कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 नवंबर, 2021 को, 'भारत की वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए प्रतिबद्धता का वक्तव्य-एनजीएफएस' प्रकाशित किया और निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई :-

i. यह पता लगाना कि आरबीआई पर्यवेक्षित संस्थाओं की बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए उनकी क्षमताओं में कमियों की पहचान करने के लिए जलवायु परिदृश्य अभ्यास का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

ii. जलवायु संबंधी जोखिमों को वित्तीय स्थिरता निगरानी में एकीकृत करना।

iii. विनियमित वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जलवायु परिवर्तन और तदनुसार उनसे निपटने के तरीको से संबंधित मुद्दों के बारे में ज्ञान का प्रसार करना।

6.64 आरबीआई के उदारीकृत बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों ने भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनियों और अन्य फर्मों को वित्त संसाधन जुटाने के लिए इस मार्ग के बढ़ते आकर्षण को दर्शाते हुए, ग्रीन बॉन्ड और टिकाऊ बॉन्ड के माध्यम से वित्त जुटाने के लिए ईसीबी मार्ग का दोहन करने में सक्षम बनाया है।

6.65 भारत कई द्विपक्षीय और वैश्विक संधारणीय वित्त पहलों का भी हिस्सा है। आरबीआई बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति और संधारणीय वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा स्थापित जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर एक टास्क फोर्स का सदस्य है। यह 17 देशों के सार्वजनिक प्राधिकरणों का एक मंच है, जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रकटीकरण और एक संधारणीय वित्त वर्गीकरण पर काम कर रहा है। आरबीआई को अक्टूबर 2021 में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित सस्टेनेबल फाइनेंशियल रेगुलेशन और सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज पर पहली वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है।

संधारणीय विकास के लिए तन्यकता में निवेश

6.66 एक बढ़ती हुई मान्यता है कि ईएसजी संबंधी मामले कंपनियों के प्रदर्शन को जोखिम में डाल सकते हैं।

इस संबंध में, सेबी सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए स्थिरता रिपोर्टिंग के शुरुआती अनुयायियों में से एक रहा है और 2012 से शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण द्वारा) के लिए व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) के हिस्से के रूप में अनिवार्य ईएसजी संबंधित प्रकटीकरण की आवश्यकता है। बीआरआर दाखिल करने की उपरोक्त आवश्यकता को बाद में शीर्ष 500 संस्थाओं (वित्तीय वर्ष 2016-17 से) और तत्पश्चात शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (वित्तीय वर्ष 2019-20 से) तक विस्तारित कर दिया गया था। सेबी ने फरवरी 2017 में, शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं को स्वैच्छिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद द्वारा जारी एकीकृत रिपोर्टिंग के ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था।

6.67 सेबी ने मई 2021 में, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) के अनुसार नई स्थिरता रिपोर्टिंग आवश्यकताएं जारी कीं, जो मौजूदा बीआरआर को ईएसजी से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के माध्यम से और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और बाजार सहभागियों को संधारणीयता- संबंधित जोखिम और अवसरों की पहचान और आकलन करने में सक्षम बनाती हैं। बीआरएसआर अधिक परिणामोन्मुखी है और यह 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों' के नौ सिद्धांतों के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं से उनके प्रदर्शन पर प्रकटीकरण की मांग करते हुए, ग्रैन्यलर और मात्रात्मक मीट्रिक रखने पर केंद्रित है। इन सिद्धांतों में से प्रत्येक के तहत प्रकटीकरण को आज्ञापक (अनिवार्य) और नेतृत्व (स्वैच्छिक) संकेतकों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2022-23 से बीआरएसआर वित्त अनिवार्य आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण द्वारा) पर लागू होगा; हालांकि, संस्थाएं इसे वित्त वर्ष 2021-22 से स्वैच्छिक आधार पर अपनाने का विकल्प भी चुन सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयास

पर्यावरण के लिए जीवन शैली (जीवन)

6.68 माननीय प्रधान मंत्री ने नवंबर 2021 में, ग्लासगो में आयोजित सीओपी/कॉप-26 सम्मेलन में जलवायु के संदर्भ में एक वन-वर्ड मूवमेंट: लाइफ(जीवन) - पर्यावरण के लिए जीवन शैली का प्रस्ताव दिया। यह आंदोलन सामूहिक भागीदारी के साथ सभी को एक-साथ मिलकर साथ आने का आह्वान करता है, ताकि पर्यावरण के लिए जीवन शैली को एक अभियान के रूप में और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के लिए एक जन आंदोलन के रूप में कुछ इस ढंग से अपनाया जा सके कि कई क्षेत्रों और मत्स्यपालन, कृषि, स्वस्थ-देखभाल(वेलनेस), आहार विकल्प, पैकेजिंग, आवास, आतिथ्य, पर्यटन, वस्त्र, फैशन, जल प्रबंधन और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों भी क्रांतिकारी बदलाव आए।

अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग/इंटरनेशनल सोलर अलायेंस (आईएसए)

6.69 माननीय प्रधान मंत्री जी ने नवंबर 2021 में, ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर्स समिट में संयुक्त ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव-वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (जीजीआई-ओएसओडबल्यूओजी) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य मौजूदा क्षेत्रीय ग्रिड बुनियादी ढांचे के स्थान पर एक ऐसे वैश्विक रूप से इंटर-कनेक्टेड ग्रीन ग्रिड का निर्माण करना है, जो उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन करेगा और मांग केंद्रों तक इसका निर्वातन सुगम बनाएगा। इसके लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने और इस पहल के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आईएसए सचिवालय में एक संयुक्त जीजीआई-ओएसओडबल्यूओजी सचिवालय की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है।

6.70 आईएसए ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसने पेरिस करार के तहत अपने संबंधित एनडीसी के लिए एक रोडमैप तैयार करने और कार्यान्वित करने में आईएसए सदस्यता का समर्थन करने के लिए सीओपी/कॉप-26 में यूएनएफसीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6.71 आईएसए को सौर ऊर्जा परिनियोजन के बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए वर्ष 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का अधिकार पत्र दिया गया है। आईएसए की वर्ष 2021-2026 के लिए तैयार की गई रणनीतिक योजना में तीन प्रमुख वैश्विक मुद्दों की पहचान की गई है - ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण। इस संबंध में, आईएसए ने उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए आठ विषयगत कार्यक्रम शुरू किए हैं और आईएसए सदस्यता में सौर ऊर्जा की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए किफायती वित्त संसाधन जुटाने की सुविधा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया है। आईएसए चार स्तंभों में अपनी सदस्यता का समर्थन करता है जिसमें प्रोग्रामेटिक समर्थन, क्षमता निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारी, जोखिम शमन उपकरण और विश्लेषण और पक्ष-समर्थन शामिल है।

आपदा सह्य आधारिक संरचना के लिए समूह

6.72 भारत द्वारा आपदा सह्य आधारिक संरचना (सीडीआरआई) के माध्यम से आधारिक ढांचे की आपदा तन्यक्ता को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान पर वैश्विक ध्यान दिया जा रहा है। सितंबर 2019 में सीडीआरआई की शुरुआत के बाद से, इसकी सदस्यता 28 देशों और सात बहुपक्षीय संगठनों तक विस्तारित हो गई है, जिसमें कई सदस्य देश तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारत के 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सीड फंडिंग के अलावा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड ने सीडीआरआई के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए क्रमशः जीबीपी 1 मिलियन, 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 100,000 यूरो देने का वादा किया है।

6.73 भारत, ब्रिटेन, इटली और फिजी के माननीय प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2021 में, डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई) का शुभारंभ किया जिसमें महत्वपूर्ण आधारिक संरचनात्मक क्षेत्रों जैसे बिजली, दूरसंचार और स्वास्थ्य के साथ-साथ शहरी बुनियादी ढांचा प्रणालियों और आपदा जोखिम वित्तपोषण की तन्यक्ता के आसपास के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई।

6.74 नवंबर 2021 में, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्रियों ने रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (आईआरआईएस) के लिए आधारिक संरचना का शुभारंभ किया। यह छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के लिए एक समर्पित पहल है जो एसआईडीएस की आधारिक संरचना को जलवायु परिवर्तन और आपदा घटनाओं के लिए लचीला बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। भारत ने आईआरआईएस पहल के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और यूके ने क्रमशः एयूडी 10 मिलियन जीबीपी 7.3 मिलियन देने का वादा किया है।

6.75 इसके अलावा, सीडीआरआई ने दो अन्य पहलकदमी की हैं। जलवायु और आपदा सह्य आधारिक संरचना पर सीडीआरआई की वैश्विक प्रमुख रिपोर्ट का उद्देश्य जलवायु और आपदा सह्य आधारिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण और बहुआयामी चुनौतियों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और ध्यान केंद्रित करना है। डीआरआई कनेक्ट एक ''नेटवर्कों का नेटवर्क'' है जो हितधारक को अपने साथियों और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञान संसाधनों और सहयोगपूर्ण अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। ये प्रयास ओडिशा में बिजली क्षेत्र के

लचीलेपन को बढ़ाने और हवाई अड्डों के आपदा लचीलापन पर वैश्विक अध्ययन पर सीडीआरआई के पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं।

उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (लीड-आईटी ग्रुप)

6.76 लीड-आईटी को भारत और स्वीडन द्वारा सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, पेरिस समझौते को लागू करने के लिए जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं और कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा पहचाने गए नौ एक्शन ट्रैक में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2021 में, लीडरशिप समिट में जारी की गई संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य/घोषणा ने समस्त देशों और कंपनियों को आने वाले दशक में सभी भारी उद्योगों और मूल्य श्रृंखलाओं से होने वाले उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया था।

निष्कर्ष

6.77 नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर भारत का प्रदर्शन 2019-20 के 60 के समग्र स्कोर से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया है। भारत अपने वन क्षेत्र की वृद्धि करने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत इस दशक (2010-20) के दौरान वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ/वृद्धि में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 2011-21 के दौरान भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि का सारा श्रेय बहुत घने वन आवरण में वृद्धि को दिया जाता है, जो इस अवधि के दौरान लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ गया। इस अवधि के दौरान खुले वन क्षेत्र में भी सात प्रतिशत का सुधार हुआ। भविष्य में भी वन और वृक्षों के आवरण में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक वानिकी भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

6.78 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने भूजल संसाधनों के पुनर्भरण में सुधार करके और इसके अति-दोहन को रोककर, अपने महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण मूल्यांकन इकाइयों को और अधिक विकृत होने से रोकने के लिए अपने भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है।

6.79 भारत द्वारा वर्ष 2070 तक नेट जीरो बनने के लक्ष्य की घोषणा के बाद से ही जलवायु कार्रवाई पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भारत सहित अन्य विकासशील देशों द्वारा सफल जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण बना रहेगा।

संदर्भ

Forest Survey of India. 2021. India State of Forest Report 2021. https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details

Forest Survey of India. 2011. India State of Forest Report 2011. https://fsi.nic.in/forest-report-2011

Ministry of Jal Shakti. 2021. National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2020.http://cgwb.gov.in/documents/2021-08-02-GWRA_India_2020.pdf

NITI Aayog. 2021. North Eastern Region District SDG Index & Dashboard Baseline Report 2021-22. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-08/NER_SDG_Index_NITI_26082021.pdf

NITI Aayog. 2021. SDG India Index & Dashboard 2020-21 Partnerships in the Decade of Action. https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.03.2021_Web_Spreads.pdf

NITI Aayog. 2019. SDG India Index & Dashboard 2019-20.https://www.niti.gov.in/sites/default/files/SDG-India-Index-2.0_27-Dec.pdf

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

07
अध्याय

पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। यह क्षेत्र, जो कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ने देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 18.8 प्रतिशत (2021-22) की अंश के साथ वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख संचालक रहे हैं।

तिलहन तथा खाद्य तेलों के उत्पादन और घरेलू आपूर्ति में वृद्धि, चीनी क्षेत्र में किए गए भागीदारी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा किया गया। सिंचाई एवं प्राकृतिक खेती में जल संरक्षण के माध्यम से स्थायी कृषि की आवश्यकता और फसल उत्पादकता, मशीनीकरण आदि में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह इस बात पर भी चर्चा करता है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का उपयोग कैसे किया जाए। इसके अलावा, नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। वर्ष 2014 की पिछली एसएएस रिपोर्ट की तुलना में अकेले फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि किसानों की आय के स्रोतों में विविधता दिखाई दी है।

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्र लगातार उच्च विकास वाले क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। वर्ष 2019-20 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। जैसा कि नवीनतम एसएएस द्वारा पता चला है, यह क्षेत्र कृषि परिवारों के समूहों में आय का एक स्थिर स्रोत रहा है, जो उनकी औसत मासिक आय का लगभग 15 प्रतिशत है। संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में यह सुधार किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसने किसानों की आय में सुधार के लिए संबद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया है। हाल के कार्यक्रमों और इसकी क्षमता का दोहन करने की पहल के साथ संबद्ध क्षेत्रों की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जो न केवल कृषि उपज का एक प्रमुख बाजार है, बल्कि कृषि में लगे अधिशेष कार्यबल का एक महत्वपूर्ण नियोक्ता भी है। इसलिए सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, रियायती परिवहन तथा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की औपचारिकता के लिए समर्थन के विभिन्न उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक का संचालक है। सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रावधानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क के कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया है। खाद्य खरीद, आवंटन, भंडारण तथा खाद्य सब्सिडी के मुद्दे सहित भारत के खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ प्रभावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी उपायों को भी अध्याय में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। अध्याय उर्वरक क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ समाप्त होता है।

परिचय

7.1 वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में 3.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर से वृद्धि हुई। यह अच्छे मानसून तथा ऋण उपलब्धता में वृद्धि, निवेश में सुधार, बाजार सुविधाएं बनाने, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्र में गुणवत्ता साधन के प्रावधान को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी उपायों के कारण संभव हो गया। अन्य विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं (एएनबी तथा अन्य योजनाओं पर संबंधित वर्गों के तहत चर्चा की गई) के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) अभियान के रूप में समय पर भागीदारी ने कृषि को वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की बेहतर वृद्धि हासिल करने में मदद की है। चित्र 1 पिछले साढ़े पांच वर्षों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है।

चित्र 1: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि (प्रतिशत में)

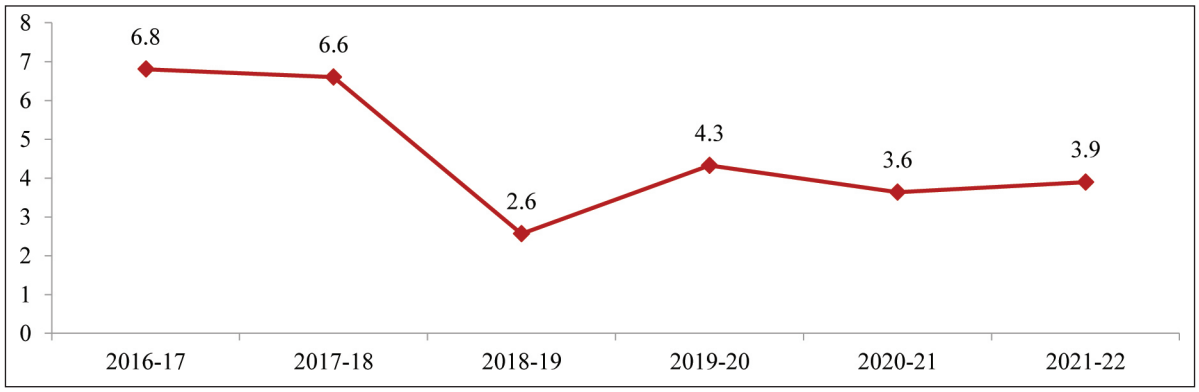

स्रोत: राष्ट्रीय आय का प्रथम अग्रिम अनुमान, 2021-22

7.2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि जैसा कि चित्र-1 में दर्शाया गया है, को चित्र-2 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के चार घटकों जैसे फसल, पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग तथा मछली पकड़ने और मत्स्य पालन में वृद्धि दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि पशुधन एवं मत्स्य पालन में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे इस क्षेत्र को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए, 2018-19 में कृषि में वृद्धि पशुधन एवं मत्स्य पालन के प्रदर्शन से उत्साहित थी, भले ही फसलों के लिए जीवीए वृद्धि -1.6 प्रतिशत थी।

चित्र 2: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए वृद्धि (2011-12 की मूल्यों पर)

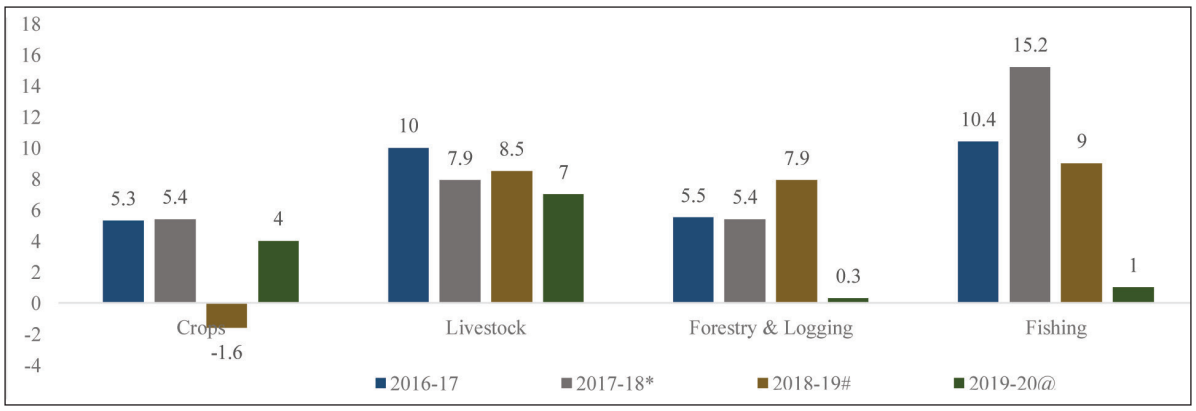

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।
'तीसरा संशोधित अनुमान, दूसरा संशोधित अनुमान, / पहला संशोधित अनुमान 29 जनवरी, 2021 को जारी किया गया।

कृषि में वर्धित सकल मूल्य (जीवीए)

7.3 पिछले दस वर्षों के लिए वर्तमान मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में प्रवृत्ति चित्र 3 में प्रस्तुत की गई है। अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है। हालांकि, कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में बढ़कर 20.2 प्रतिशत और 2021-22 में 18.8 प्रतिशत हो गई।

चित्र 3: कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का प्रतिशत हिस्सा (मौजूदा मूल्य पर)

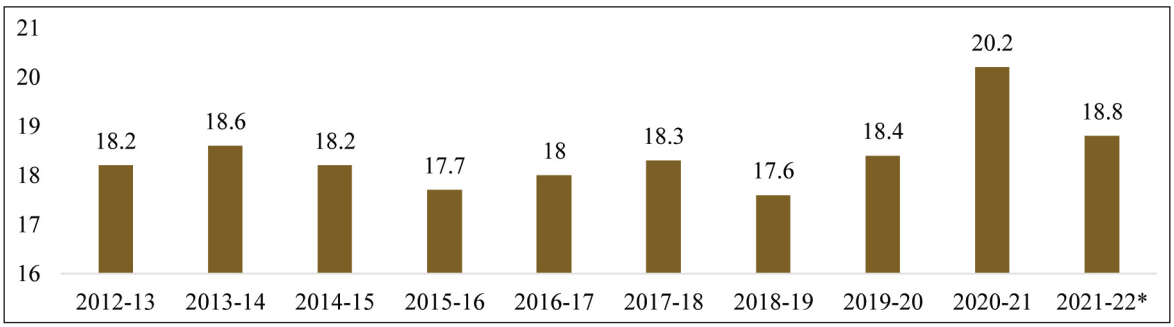

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू के आंकड़ों पर आधारित।

*राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2021-22 के अनुसार।

7.4 इसके घटकों के बीच कृषि के जीवीए के हिस्से के वितरण में प्रवृत्ति चित्र 4 में प्रस्तुत की गई है। फसल क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्रों में उच्च विकास के बाद के कुल कृषि जीवीए में पूर्व के बढ़ते महत्व के संदर्भ में स्पष्ट निहितार्थ हैं। यह देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान कुल कृषि जीवीए में पशुधन और मछली पकड़ने और मत्स्य पालन की हिस्सेदारी में सुधार हुआ है। संबद्ध क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति (डीएफआई 2018) डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी को उच्च विकास के इंजन के रूप में मानती है और एक सहवर्ती समर्थन प्रणाली के साथ एक केंद्रित नीति की सिफारिश की है।

चित्र 4: कुल कृषि जीवीए में फसल एवं संबद्ध क्षेत्रों के जीवीए का प्रतिशत हिस्सा (मौजूदा मूल्य पर)

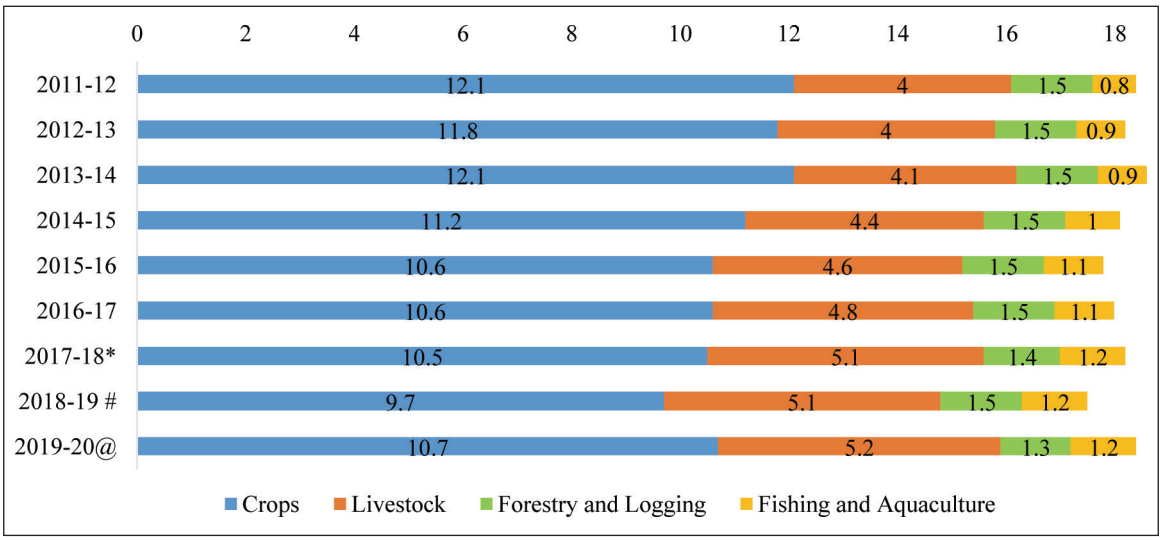

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू डेटा पर आधारित

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निवेश

7.5 किसी क्षेत्र के विकास के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) क्षेत्र में जीवीए के सापेक्ष उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिख रहा है जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया है। क्षेत्र में जीसीएफ में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश में व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि चित्र 5 में देखा जा सकता है, जबकि सार्वजनिक निवेश पिछले कुछ वर्षों में 2-3 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा है, निजी निवेश में उतार-चढ़ाव आया है और कुल कृषि जीसीएफ निजी निवेश में भिन्नता के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है।

7.6 यह स्वीकार करते हुए कि कृषि में पूंजी निवेश एवं इसकी विकास दर के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, इस क्षेत्र में उच्च सार्वजनिक एवं निजी निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित एवं लक्षित दृष्टिकोण होना चाहिए। किसानों को रियायती संस्थागत ऋण तक उच्च पहुंच तथा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की अधिक भागीदारी, जिनकी निवेश दरें वर्तमान में कृषि1 में 2 से 3 प्रतिशत तक कम हैं,[1] कृषि में निजी निवेश को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। संपूर्ण कृषि मूल्य प्रणाली के साथ-साथ एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे की पेशकश तथा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके निजी कॉर्पोरेट निवेशों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

चित्र 5: इसके जीवीए के सापेक्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ का प्रतिशत हिस्सा (2011-12 मूल कीमत पर)

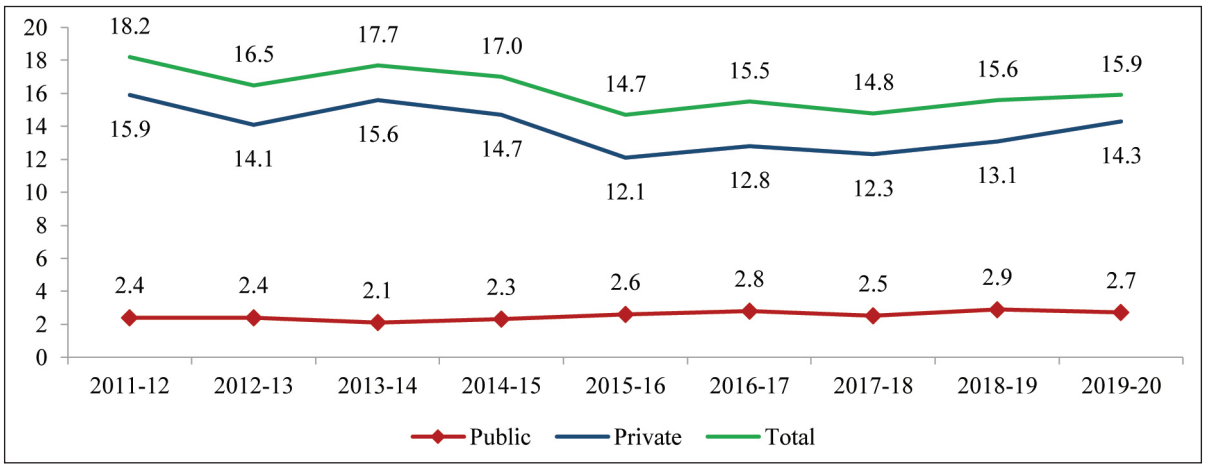

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू एवं कृषि सांख्यिकी पर एक नजर, 2020 के आंकड़ों पर आधारित।

कृषि-संबंधी उत्पादन

7.7 वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान की तुलना में 11.15 मिलियन टन अधिक है। पिछले छह वर्षों यानी 2015-16 से 2020-21 के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उत्पादन क्रमशः 2.7, 2.9 और 4.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान दलहन, तिलहन और कपास के लिए सीएजीआर क्रमशः 7.9, 6.1 और 2.8 प्रतिशत रहा है। चित्र 6 पिछले छह वर्षों में कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

[1]किसानों की आय दोगुनी करने की रिपोर्ट, 2018

चित्र 6: कृषि उत्पादन में प्रवृत्ति (मिलियन टन)

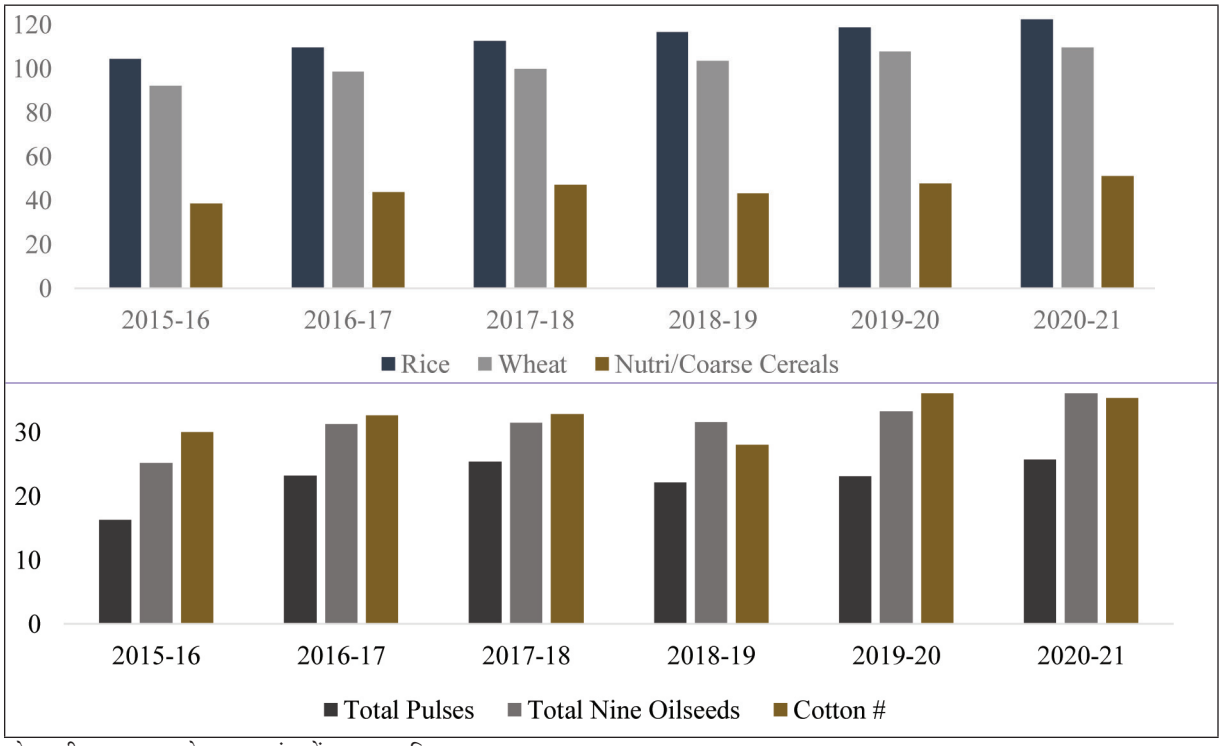

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित
#170 किग्रा प्रत्येक की मिलियन गांठें।

7.8 वर्ष 2021-22 (केवल खरीफ) के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 150.50 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2020-21 के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से 0.94 मिलियन टन अधिक है।

खाद्य तेल

7.9 भारत प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों में से एक है। जैसा कि चित्र-7 से देखा जा सकता है कि निरंतर उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाने के बाद भारत में तिलहन उत्पादन में 2016-17 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक लगभग 43 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि भारत में तेल उत्पादन अपनी खपत से पिछड़ गया है जिसके कारण खाद्य तेलों का आयात आवश्यक हो गया है (चित्र 8)।

7.10 भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं वनस्पति तेल का नंबर एक आयातक है। जैसे-जैसे विकासशील देशों में शहरीकरण बढ़ता है, आहार संबंधी आदतों एवं पारंपरिक भोजन पैटर्न के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ने की उम्मीद होती है, जिनमें वनस्पति तेल की मात्रा अधिक होती है। इसलिए, भारत में वनस्पति तेल की खपत उच्च जनसंख्या वृद्धि एवं परिणामी शहरीकरण के कारण उच्च रहने की उम्मीद है। ओईसीडी-एफएओ एग्रिकल्चरल आउटलुक 2021-2030 के अनुसार भारत को प्रति-व्यक्ति वनस्पति तेल की खपत में 2.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि को बनाए रखने का अनुमान है, जो 2030 तक 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 3.4 प्रतिशत की उच्च आयात वृद्धि की आवश्यकता होगी।

चित्र 7: तिलहन के उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन)

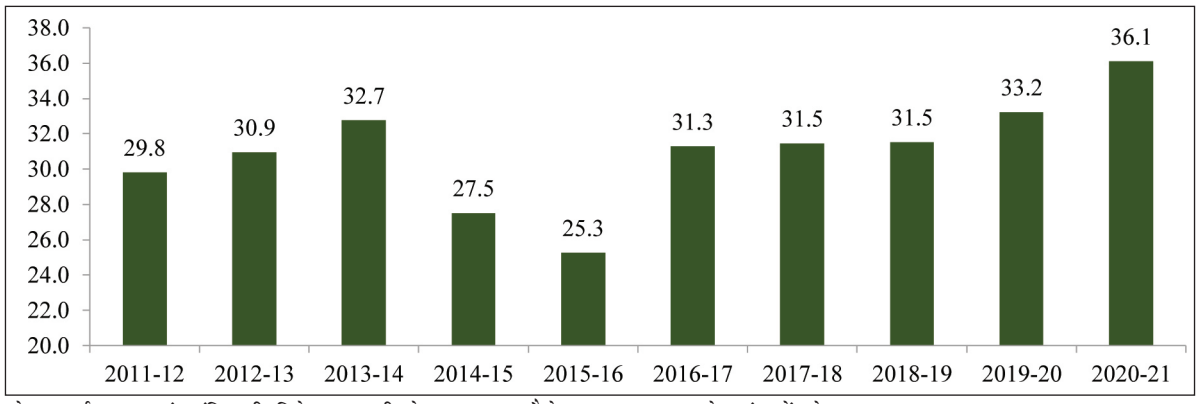

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट पर चौथे उन्नत अनुमान के आंकड़ों के आधार पर।

चित्र 8: तेल का उत्पादन एवं आयात (मिलियन टन)

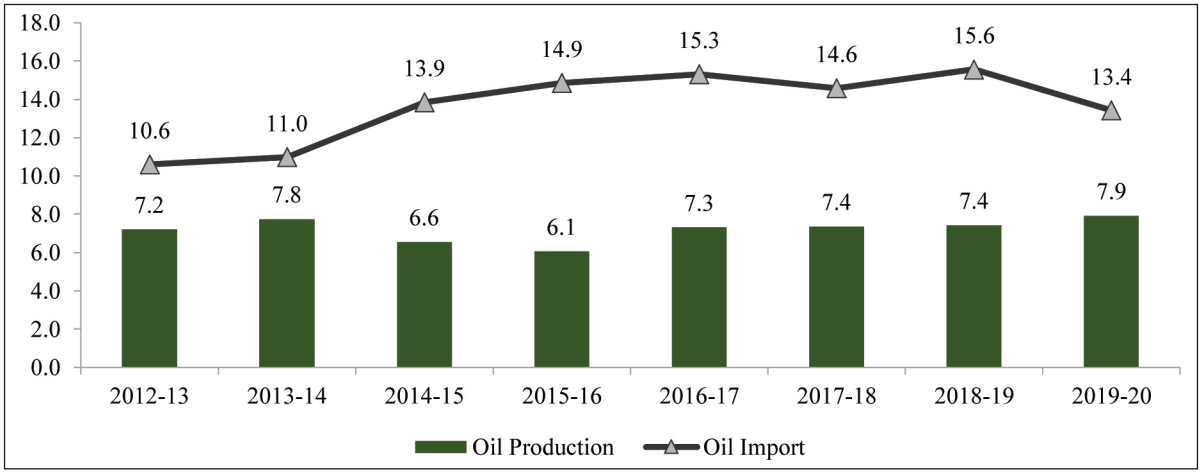

स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2020, के आंकड़ों पर आधारित

7.11 खाद्य तेल के लगातार उच्च आयात को देखते हुए तेल उत्पादन में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार भारत के सभी जिलों में 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: तिलहन (एनएफएसएम-तिलहन) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, मूल एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन तथा प्रमाणित बीजों का वितरण एवं नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनीकिटों का प्रबंधन किया जाता है। एनएफएसएम (तिलहन) के तहत भारत सरकार ने उच्च उपज गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान 36 तिलहन बीज केंद्र स्थापित किए हैं। खरीफ 2021 के लिए, सभी प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में वितरण के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के कुल 9.25 लाख तिलहन मिनीकिट आवंटित किए गए हैं। साथ ही, सरकार एमएसपी व्यवस्था के माध्यम से तिलहन के उत्पादन के लिए फसल विविधीकरण के लिए मूल्य संकेत प्रदान कर रही है (जिसकी चर्चा बाद में अध्याय में की गई है)।

7.12 इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2021 में क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके तथा मूल्य प्रोत्साहनों के माध्यम से देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पामऑयल (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, सरकार पहली बार ताड़ के तेल किसानों को ताजे फलों के गुच्छे (एफएफबी) के लिए मूल्य आश्वासन देगी। इसे व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) के रूप में जाना जाएगा जो किसानों को अंतरराष्ट्रीय कच्चे पाम तेल (सीपीओ) की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाएगा।

7.13 भारत में पाम तेल की खेती और सीपीओ के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में केवल 3.70 लाख हेक्टेयर में ही पाम तेल की खेती होती है। अन्य तिलहन फसलों की तुलना में पाम ऑयल प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक तेल का उत्पादन करता है और प्रति हेक्टेयर लगभग 4 टन तेल की उपज होती है। इस तथ्य को देखते हुए कि आज भी लगभग 98 प्रतिशत सीपीओ आयात किया जा रहा है (ताड़ के तेल का उत्पादन एवं आयात चित्र 9 में दर्शाया गया है); एनएमईओ-ओपी को सरकार की एक बड़ी पहल माना जा सकता है। इस योजना का लक्ष्य 2025-26 तक ताड़ के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करना है और इस तरह अंततः 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचना है। साथ ही, इस योजना का लक्ष्य सीपीओ का उत्पादन 2025-26 तक 11.20 लाख टन एवं 2029-30 तक 28 लाख टन तक प्राप्त करने का है।

चित्र 9: पाम तेल का उत्पादन और आयात (लाख टन)

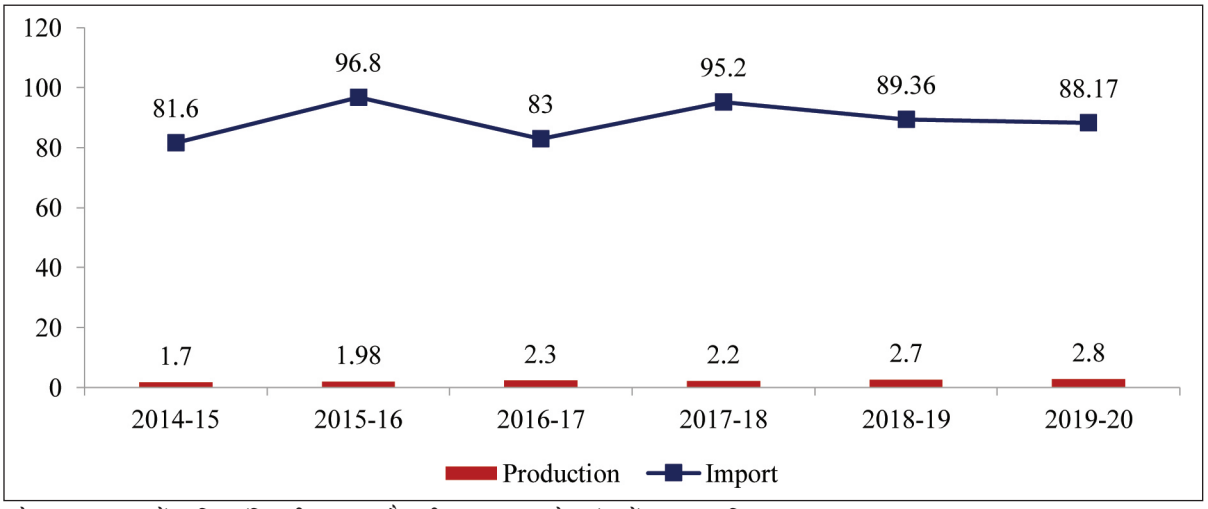

स्रोत: एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2020 और डीएएफडब्ल्यू के आंकड़ों पर आधारित।

चीनी क्षेत्र

7.14 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गन्ना एवं चीनी उद्योग के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह 5 करोड़ से अधिक किसानों एवं उनके आश्रितों की आजीविका को प्रभावित करता है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 35.5 करोड़ टन है जिसका उपयोग लगभग 3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-21 में घरेलू खपत लगभग 2.6 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत चीनी आधिक्य राष्ट्र बन गया है, जैसा कि चित्र-10 में चीनी उत्पादन एवं खपत की प्रवृत्ति से परिलक्षित होता है। वर्ष 2010-11 के बाद से, उत्पादन वर्ष 2016-17 को छोड़कर खपत से अधिक हो गया है।

7.15 यह सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, किसानों के हितों की रक्षा उचित तथा लाभकारी मूल्य (एफआरपी)[2] द्वारा की जाती है जो दस वर्षों की अवधि में दोगुनी हो गई है (चित्र 11)। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें एफआरपी से अधिक स्तरों पर राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा करती हैं। इसके अतिरिक्त, गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों को गन्ना आरक्षित क्षेत्र के रूप में ज्ञात एक निर्दिष्ट दायरे के भीतर किसानों से फसल खरीदने के लिए अनिवार्य है। इस तरह, गन्ना किसानों का बीमा किया जाता है तथा मूल्य जोखिम से बचाया जाता है।

[2]एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को गन्ना किसानों से खरीदना होता है।

चित्र 10: चीनी का उत्पादन एवं खपत स्तर (मिलियन टन)

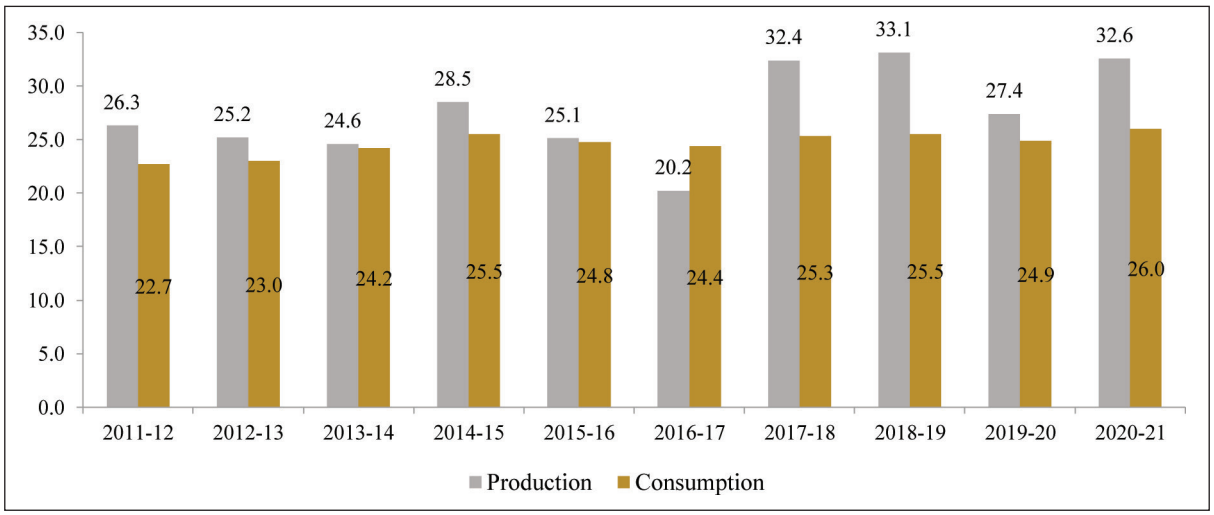

स्रोत: गन्ना पर सीएसीपी रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर।

7.16 इसके अलावा, आधिक्य उत्पादन को संभालने और मिलों की कोष(नकदी) बढ़ाने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ना / चीनी को इथेनॉल उत्पादन में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना, चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी मिलों को परिवहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। चीनी सीजन 2020-21 में चीनी सीजन 2019-20 में 59.60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की तुलना में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है। इसके अलावा, चीनी मौसम वर्ष 2021-22 में चीनी के निर्यात के लिए लगभग 30 लाख मीट्रिक टन के अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 को समाप्त होने वाले पिछले चार चीनी मौसमों में, चीनी मिलों/ डिस्टिलरी द्वारा तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की बिक्री से लगभग 35000 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया को चुकाने में मदद मिली है।

चित्र 11: उचित और लाभकारी मूल्य में प्रवृत्ति (₹/क्विंटल)

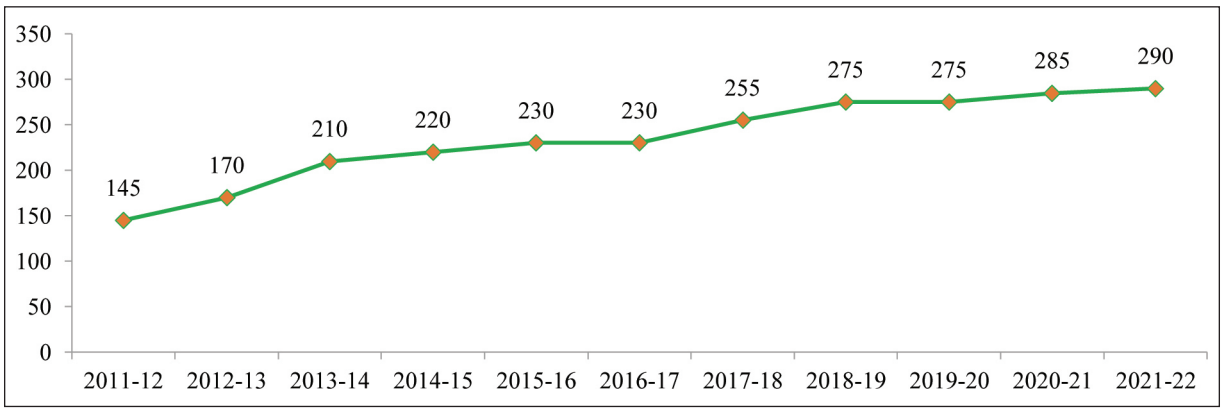

स्रोत: सीएसीपी वेबसाइट के आंकड़ों के आधार पर

मूल्य नीति: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

7.17 प्रमुख कृषि उत्पादित वस्तुओं के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है ताकि उच्च निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और इस तरह उचित कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद 22 अनिवार्य कृषि फसलों का एमएसपी तय करती है। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें शामिल हैं – जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (पीला), सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 रबी फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर (मसूर), रेपसीड और सरसों, कुसुम और 2 व्यावसायिक फसलें जैसे जूट और खोपरा। इसके अलावा, तोरिया और छिलके वाले नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः रेपसीड और सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है।

7.18 अर्थव्यवस्था, भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग तथा उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने के अलावा एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन की लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

7.19 वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी, जिसमें अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी हुई थी।

7.20 इसी सिद्धांत के अनुरूप, सरकार ने वर्ष 2021-22 की सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल (₹ 452 प्रति क्विंटल) तथा उसके बाद अरहर एवं उड़द (₹ 300 प्रति क्विंटल) के लिए की गई है। मूंगफली तथा नाइजरसीड के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 275 प्रति क्विंटल और ₹ 235 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरे (85 प्रतिशत) के मामले में उत्पादन लागत से अधिक किसानों को अपेक्षित प्रतिफल सबसे अधिक होने का अनुमान है। उड़द तथा तूअर के लिए, उत्पादन लागत से अधिक किसानों को वापसी क्रमशः 65 प्रतिशत और 62 प्रतिशत अनुमानित है। शेष फसलों के लिए, किसानों को कम से कम 50 प्रतिशत (चित्र 12) की वापसी का अनुमान है।

चित्र 12: वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों की लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रतिफल

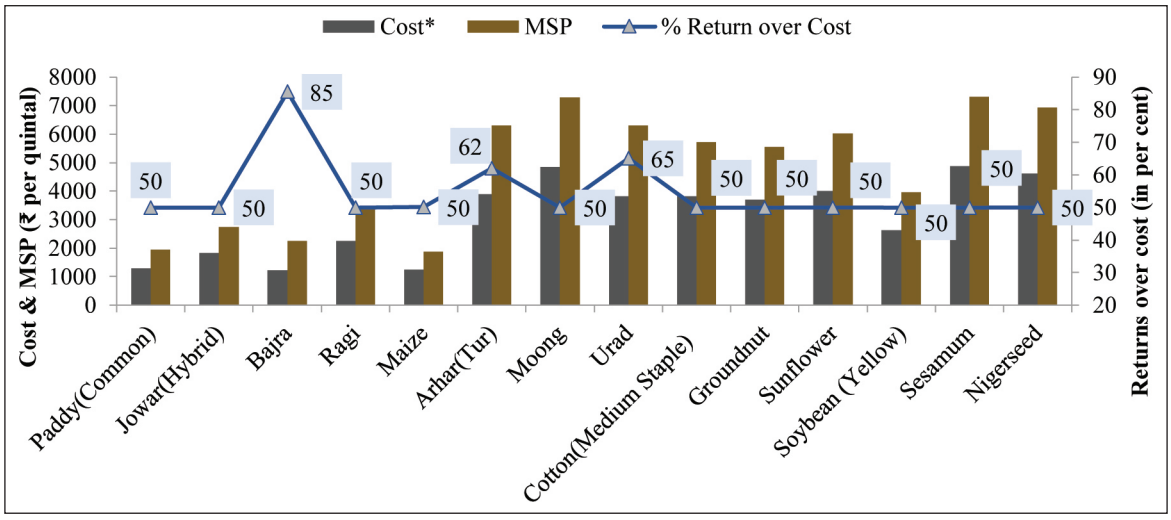

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू

7.21 सरकार ने रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी की भी घोषणा की। पोषण संबंधी आवश्यकताओं, बदलते आहार पैटर्न और दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, सरकार ने इन फसलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक एमएसपी तय किया है (चित्र 13)। मसूर और रेपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में उच्चतम वृद्धि की सिफारिश की गई है, प्रत्येक में 400 रुपये प्रति क्विंटल है, इसके बाद चना 130 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के लिए 114 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित प्रतिफल गेहूं और रेपसीड और सरसों के मामले में 100 प्रतिशत प्रत्येक के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। मसूर और चना के लिए, उत्पादन लागत से अधिक किसानों को वापसी का अनुमान क्रमशः 79 प्रतिशत और 74 प्रतिशत है और जौ तथा कुसुम के लिए यह क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत है। अंतर पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

चित्र 13: वर्ष 2021-22 की रबी फसलों की लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रतिफल

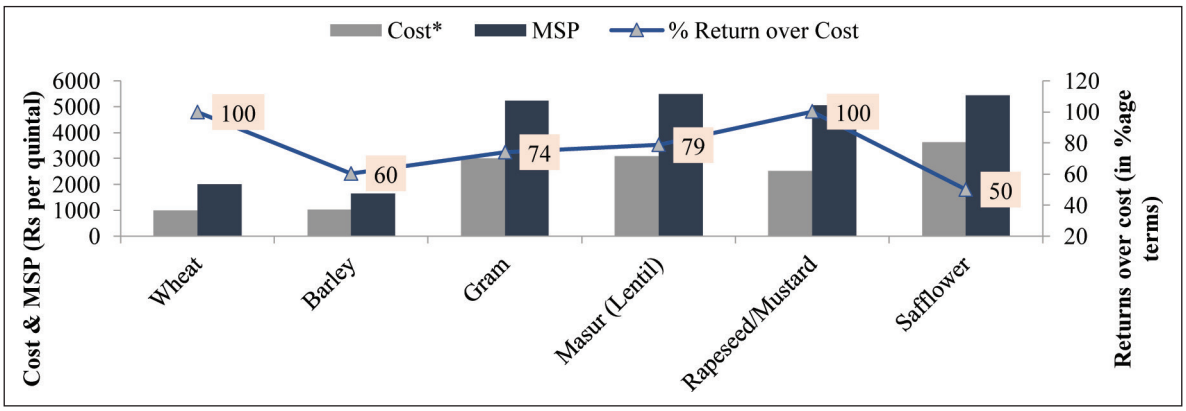

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू

स्रोत: सीएसीपी के आंकड़ों पर आधारित।

फसल विविधीकरण

7.22 फसल विविधीकरण स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों के लिए उच्च आय को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डीएफआई समिति की रिपोर्ट बताती है कि कुछ क्षेत्र को प्रधान अनाज से उच्च मूल्य की उपज में स्थानांतरित करने से किसानों के लिए रिटर्न में काफी वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य की स्थिरता भी आएगी। मौजूदा फसल पैटर्न गन्ना, धान और गेहूं की खेती की ओर झुका हुआ है जिसके कारण हमारे देश के कई हिस्सों में ताजे भूजल संसाधनों की व्यापक दर से कमी आई है। मानचित्र 1 भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आधारभूत जल दबाव[3] को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जिन क्षेत्रों में धान, गेहूं और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं, उनमें उच्च से लेकर अत्यधिक उच्च तनाव स्तर होते हैं।

[3]आधारभूत जल दबाव का तात्पर्य कुल वार्षिक जल निकासी का कुल उपलब्ध वार्षिक नवीकरणीय आपूर्ति से अनुपात है

मानचित्र 1: 2015 में भारत के विभिन्न हिस्सों में आधारभूत जल अभाव

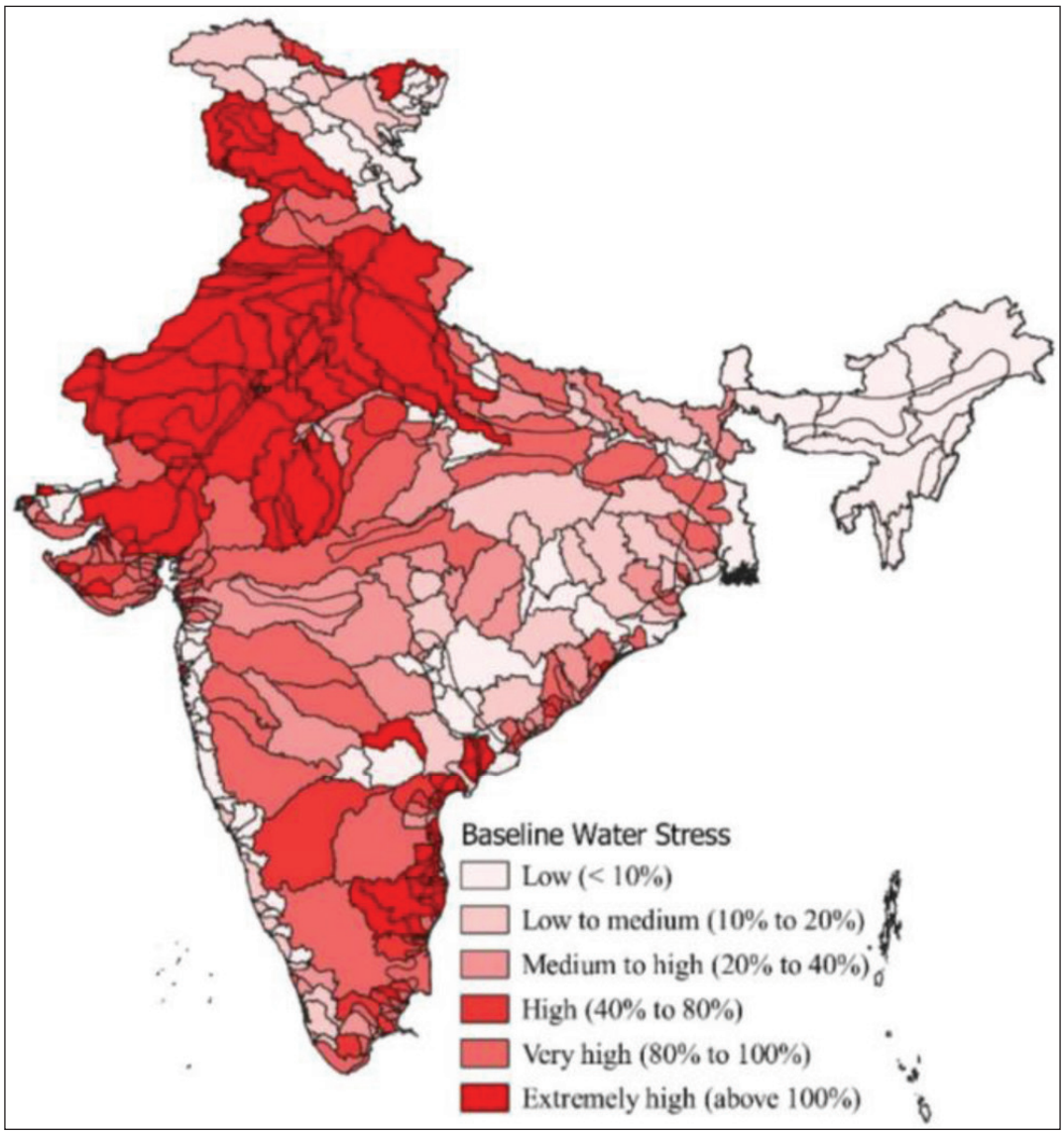

स्रोत: विश्व संसाधन संस्थान

7.23 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) मूल हरित क्रांति राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी यूपी में वर्ष 2013-14 से धान के स्थान पर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि की खेती को स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उप-योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से लागू सीडीपी तंबाकू उगाने वाले राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली में तंबाकू की खेती के तहत क्षेत्रों को स्थानांतरित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 120 करोड़ की राशि केंद्रीय हिस्से के रूप में (मूल हरित क्रांति राज्यों में सीडीपी के लिए 110 करोड़ और तंबाकू की खेती को बदलने के लिए सीडीपी को ₹ 10 करोड़) निर्धारित की गई है।

7.24 भारत में फसल विविधीकरण को मूल्य नीति के माध्यम से भी लक्षित किया गया है। एमएसपी व्यवस्था के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन संरचना से फसलों की लागत पर वापसी में भिन्नता का फसल

विविधीकरण पर भी असर पड़ता है। चित्र 14 और 15 खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए चयनित फसलों में बदले में अंतर-अस्थायी भिन्नता दिखाते हैं।

चित्र 14 : खरीफ विपणन मौसमों में फसलों के लिए लागत से अधिक लाभ (प्रतिशत) में भिन्नता

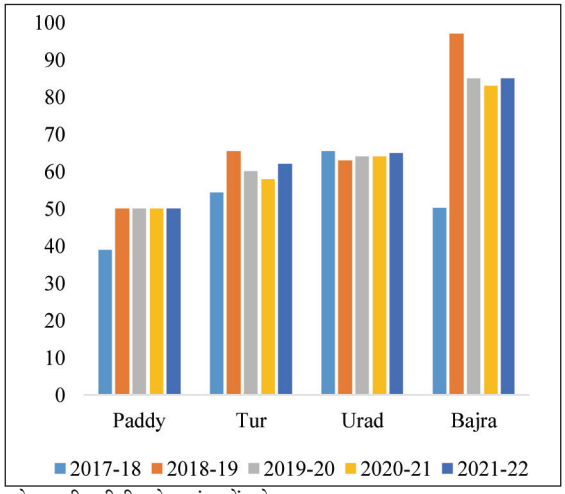

चित्र 15 : रबी विपणन मौसमों में फसलों के लिए अधिक लाभ (प्रतिशत) में भिन्नता

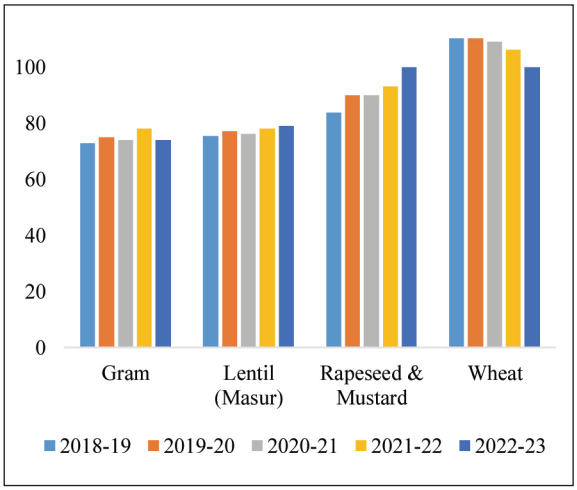

स्रोत: सीएसीपी के आंकड़ों के आधार पर

कृषि-संबंधी ऋण

7.25 वर्ष 2020-21 के लिए कृषि संबंधी ऋण वर्ष के लिए ₹ 15,00,000 करोड़ के लक्ष्य के तुलना में ₹ 15,75,398 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि संबंधी ऋण लक्ष्य ₹ 16,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया है और 30 सितंबर 2021 तक इस लक्ष्य के समक्ष ₹ 7,36,589.05 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, एएनबी घोषणा के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन की घोषणा की है । इसके अनुसरण में बैंकों ने 17 जनवरी 2022 तक 2.70 करोड़ योग्य किसानों को केसीसी जारी किया है। इसके अलावा, पशुपालन एवं मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए केसीसी की सुविधा प्रदान की। इसके अनुसरण में, 17 दिसंबर, 2021 तक मछुआरों एवं मछली पालन करने वाले किसानों को कुल 67,581 केसीसी जारी किए गए हैं और 10 दिसंबर, 2021 तक पशुपालन तथा डेयरी किसानों के लिए 14 लाख से अधिक नए केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

जल एवं सिंचाई

7.26 जल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो देश में वर्तमान जल उपयोग का लगभग 80 प्रतिशत है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से लगभग 40 प्रतिशत नहर प्रणाली के माध्यम से और 60 प्रतिशत भूजल के माध्यम से सिंचित है।

7.27 देश में भूजल विकास का समग्र चरण (वार्षिक भूजल ड्राफ्ट और शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता का अनुपात) 63 प्रतिशत[4] है। यह अनुपात जो भूजल के निष्कर्षण की दर को दर्शाता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में बहुत अधिक (100 प्रतिशत से अधिक) है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी 70-100 प्रतिशत के बीच के अनुपात के साथ मध्यम श्रेणी में आते हैं

[4]भूजल वार्षिकी, 2019-20

(मानचित्र 2)। इन राज्यों को मध्यम तथा दीर्घकालिक भूजल पुनर्भरण और संरक्षण योजनाओं दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मानचित्र 2: वर्ष 2020 में भूजल निकासी की स्थिति (प्रतिशत में)'

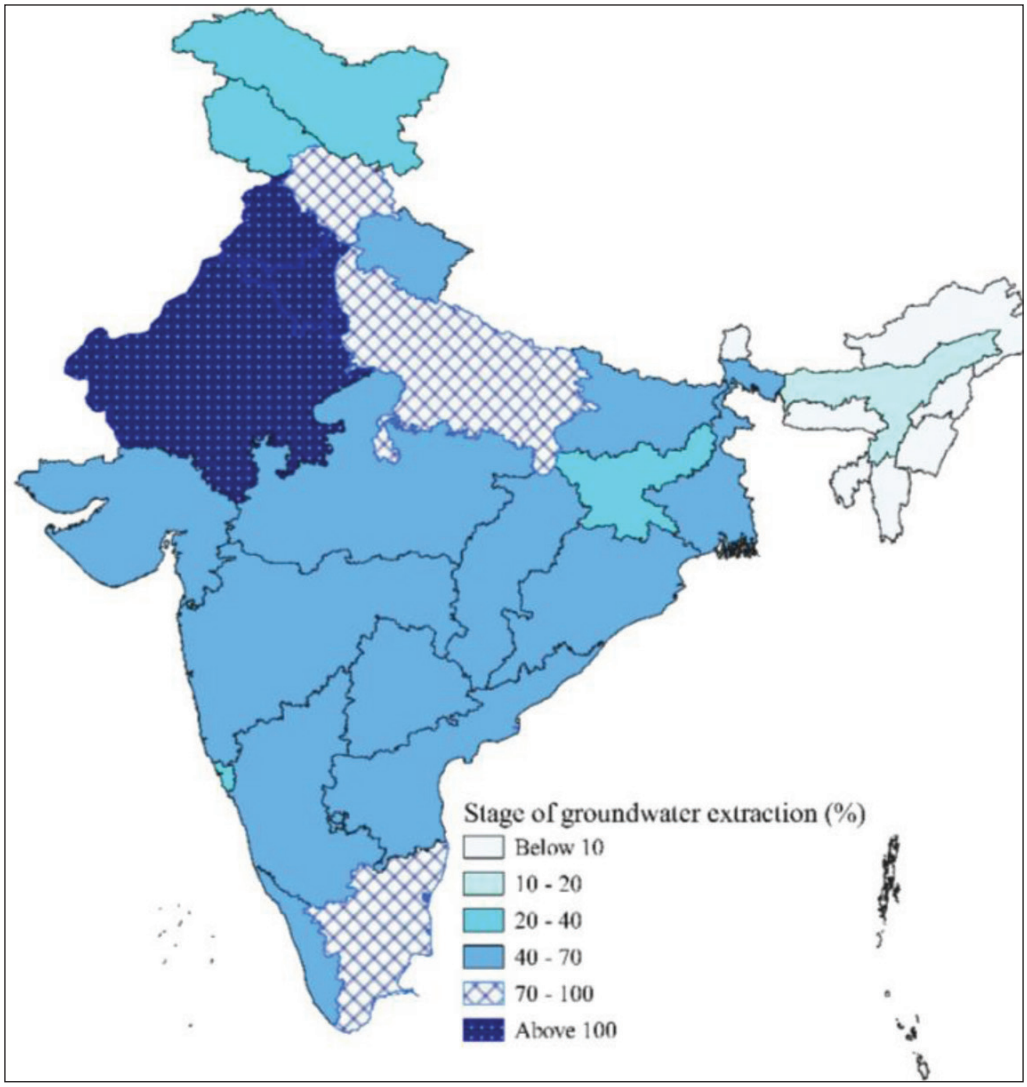

स्रोत: भूजल वार्षिकी, 2019-20

' पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 2013 तक के आकलन पर विचार किया गया है और जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के डेटा का उपयोग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया जाता है।

7.28 सूक्ष्म सिंचाई के तहत बढ़ा हुआ आवृत क्षेत्र जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ 5000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) गठित किया गया । दिनांक 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार, एमआईएफ के तहत ऋण वाली परियोजनाएं 12.81 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के लिए 3970.17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से भारत सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए देश में सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम

को बढ़ावा दे रही है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत, दिनांक 14.12.2021 तक, वर्ष 2015-16 से देश में कुल 59.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया गया है।

कृषि-संबंधी विपणन

7.29 थोक कृषि विपणन संबंधित राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम के प्रावधान के तहत स्थापित 6946 विनियमित थोक बाजारों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए, एपीएमसी को एपीएमसी मंडियों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत योग्य संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। एआईएफ के तहत सभी ऋणों पर ₹ 2 करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज छूट है। यह आर्थिक सहायता अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। एपीएमसी अपने निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर कई परियोजनाओं (विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकार) के लिए योग्य हैं। ऐसे मामलों में, एपीएमसी के निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एवं परख इकाइयों, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

7.30 इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाना है। ई-एनएएम योजना के तहत, सरकार गुणवत्ता परख उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और कंपोस्ट यूनिट आदि जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए प्रति एपीएमसी मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और ₹ 75 लाख की सहायता प्रदान कर रही है। दिनांक 1 दिसंबर 2021 तक, 18 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

7.31 भारत सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए ''10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन'' की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। योजना के तहत, एफपीओ का गठन तथा बढ़ावा उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र तथा विशेष वस्तु-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, एफपीओ का गठन उत्पाद विशेषज्ञता को सक्षम करने के लिए ''एक जिला एक उत्पाद'' पर केंद्रित है। योजना का उद्देश्य कुशल, लागत प्रभावी एवं स्थायी संसाधनों के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और उनकी उपज के लिए बेहतर कोष और बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च प्रतिफल प्राप्त करना और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्थायी बनना है। जनवरी, 2022 तक, कुल 1963 एफपीओ पंजीकृत इस योजना के तहत किए गए। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में एक पूर्ण सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है।

बॉक्स 1: मीठी क्रांति

देश में एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के लिए तीन साल (2020-21 से 2022-23) के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी। मिशन की घोषणा एएनबी योजना के एक भाग के रूप में की गई थी। एनबीएचएम का लक्ष्य 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के माध्यम से लागू किया जा रहा है। दिनांक 17.12.2021 तक एनबीएचएम के तहत 88.87 करोड़ रुपये की सहायता के लिए कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी/स्वीकृत किया गया है।

मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो आईएफएस के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों/भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जा रही है। मधुमक्खी पालन फसलों के परागण में उपयोगी रहा है, जिससे फसल की उपज बढ़ाने और शहद और अन्य उच्च मूल्य मधुमक्खी उत्पादों को उपलब्ध कराने के माध्यम से किसानों/मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि हुई है, जैसे; मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी का जहर, आदि। भारत की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियाँ मधुमक्खी पालन/शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए काफी संभावनाएं और अवसर प्रदान करती हैं। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 के बीच भारत के शहद के निर्यात में लगभग 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्थिति आकलन सर्वेक्षण

7.32 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अपने 77वें दौर में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की भूमि और पशुधन जोत और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन पर एक सर्वेक्षण किया (अब से इस अध्याय में एसएएस के रूप में संदर्भित) । रिपोर्ट सितंबर 2021 में जारी की गई। पिछला एसएएस 2014 में प्रकाशित हुआ था।

7.33 एसएएस रिपोर्ट, कृषि परिवारों के विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के अलावा, उनकी आय और इसके स्रोतों पर अंतर्दृष्टि भी प्रकट करती है। एसएएस 2021 से पता चलता है कि भुगतान किए गए खर्च के दृष्टिकोण के अनुसार प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय ₹ 10218 है। इसी दृष्टिकोण से अनुमानित 2014 की अंतिम एसएएस रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय ₹ 6426 थी। दो एसएएस रिपोर्टों के अनुसार आय के स्रोत चित्र 16 में प्रस्तुत किए गए हैं।

चित्र 16: कृषि आधारित उत्पाद की औसत मासिक आय की संरचना

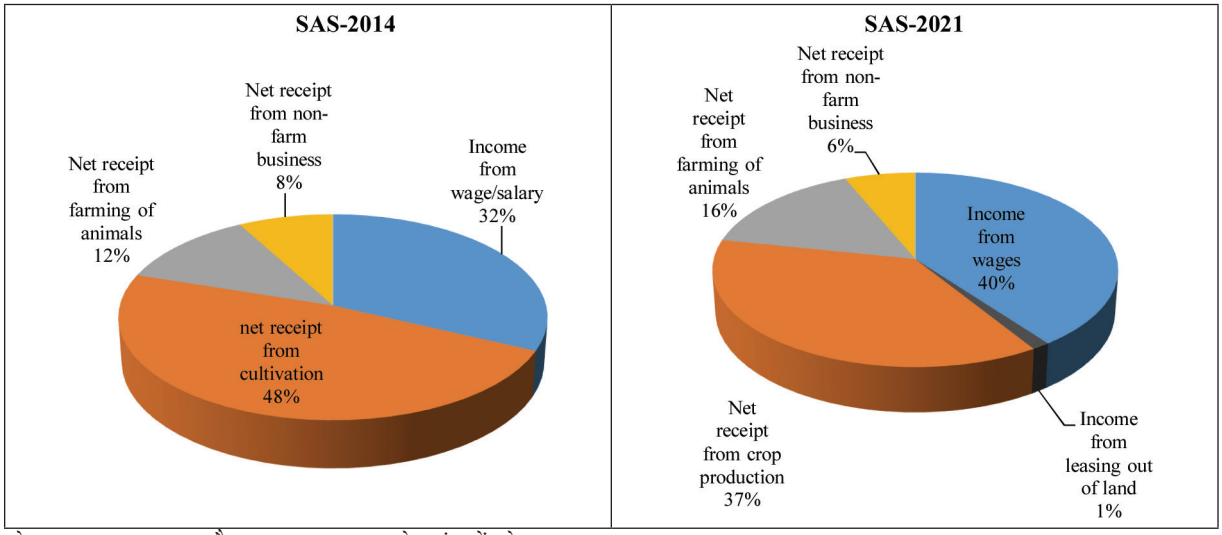

स्रोत: एसएएस, 2014 और एसएएस, 2021 के आंकड़ों के आधार पर।

7.34 एसएएस रिपोर्ट, 2021 कृषि परिवारों के बीच आय के स्रोतों (चित्र 17) के श्रेणी-वार वितरण को भी दर्शाती है। वर्ष 2014 की पिछली एसएएस रिपोर्ट की तुलना में अकेले फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य स्रोतों से शुद्ध प्राप्तियों में 59 प्रतिशत की कुल शुद्ध प्राप्तियों में वृद्धि के साथ 92.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ फसल आय किसान की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है, हालांकि किसानों की आय के स्रोतों में विविधता दिखाई दे रही है।

चित्र 17: श्रेणी-वार औसत मासिक आय के स्रोत (प्रतिशत)

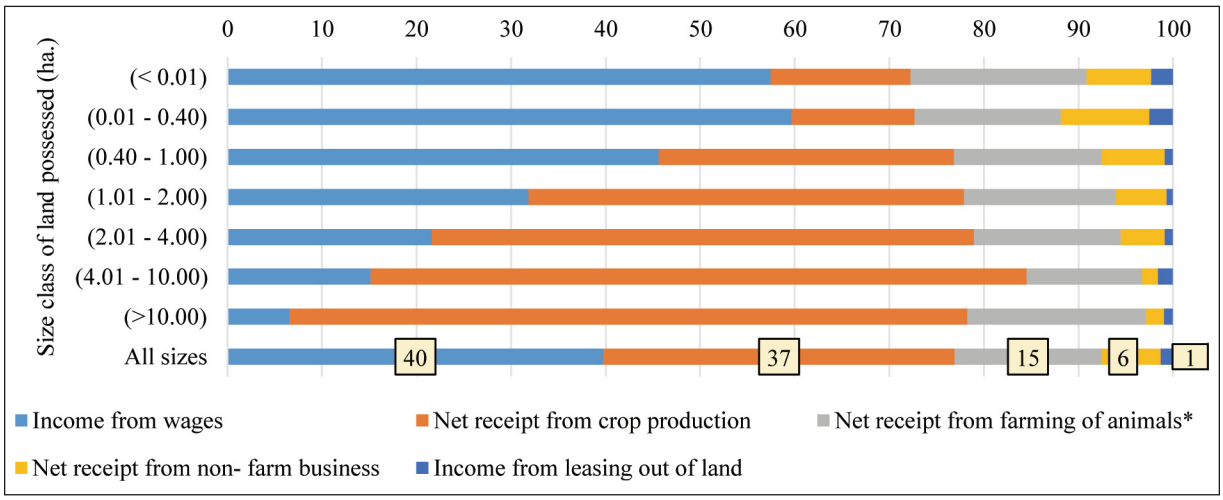

स्रोत: एसएएस, 2021 के आंकड़ों के आधार पर।

7.35 एसएएस रिपोर्ट, 2021 भी जोत के बढ़ते विखंडन को दर्शाती है जैसा कि चित्र 18 में छोटे किसानों की बढ़ती हिस्सेदारी से स्पष्ट है। घरेलू स्वामित्व वाले जोत का औसत आकार वर्ष 2003 में 0.725 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2013 में 0.592 हेक्टेयर और आगे 0.512 हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2019 छोटे किसानों की बढ़ती संख्या और पशुधन क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिए छोटे कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, गैर-कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध गतिविधियों के विकास जैसे उपायों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 18: स्वामित्व वाले जोत के आकार श्रेणी के अनुसार परिवारों का वितरण (प्रतिशत)

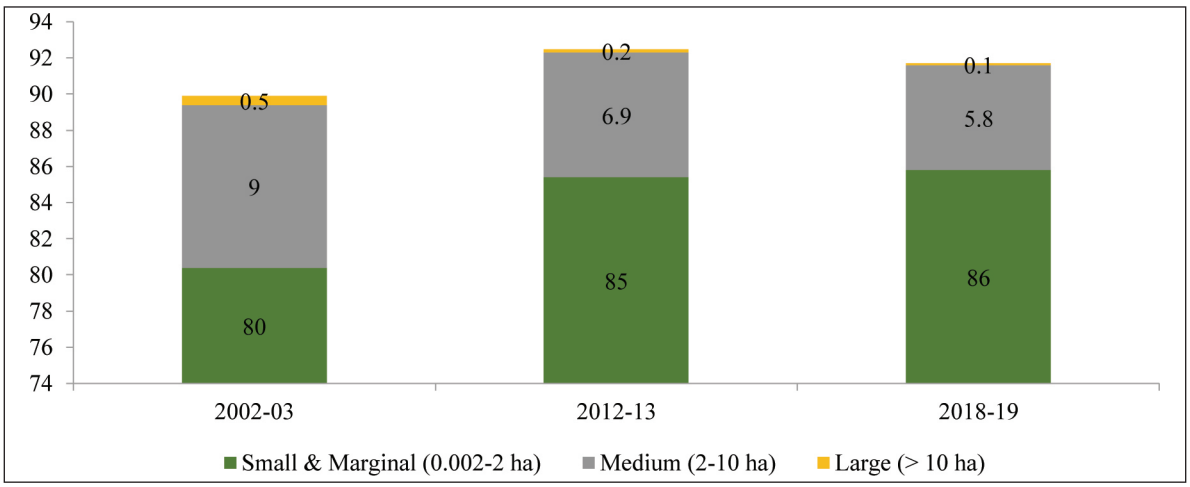

स्रोत: एसएएस, 2021 के आंकड़ों के आधार पर।

प्राकृतिक खेती

7.36 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करना और अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य प्रकृति के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ कृषि उत्पादन को बनाए रखना है ताकि कृषि उत्पादों को रसायनों से मुक्त किया जा सके। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों द्वारा मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बहाल किया जाता है। प्राकृतिक कृषि प्रणालियों में कम पानी की आवश्यकता होती है और ये जलवायु के अनुकूल होती हैं।

7.37 भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (बीपीकेपी) की एक समर्पित योजना के माध्यम से भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना बायोमास मल्चिंग, ऑन-फार्म गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग, आवधिक मिट्टी वातन और सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर प्रमुख तनाव के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। बीपीकेपी के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर हैंडहोल्डिंग, प्रमाणन एवं अवशेष विश्लेषण के लिए 3 साल के लिए 12200 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत शामिल राज्यवार क्षेत्र चित्र 19 में दर्शाया गया है।

चित्र 19: 07.12.2021 को बीपीकेपी के तहत शामिल क्षेत्र (000 हेक्टेयर में)

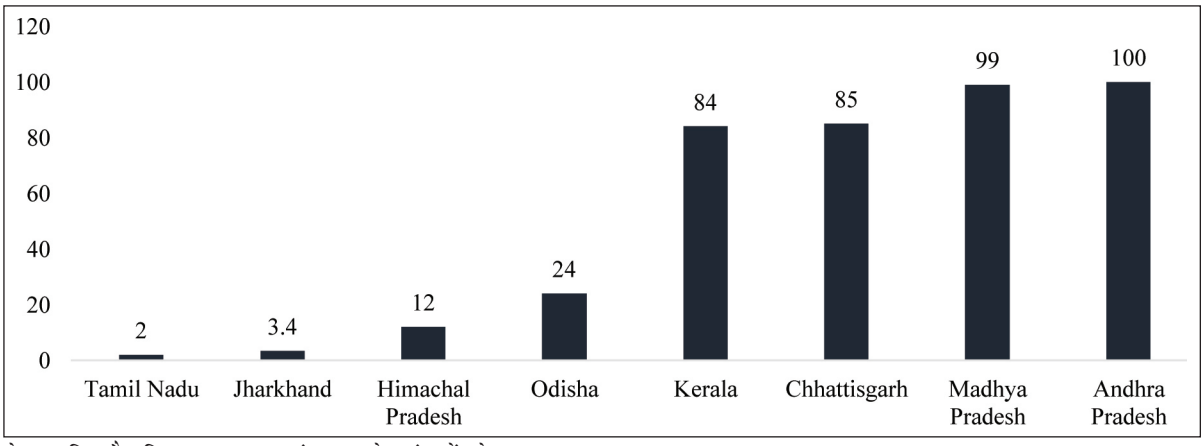

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन और डेयरी

7.38 भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। यह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 (स्थिर मूल्यों पर) के दौरान 8.15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी है । कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रवार जीवीए के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमान के अनुसार, कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीवीए (स्थिर मूल्यों पर) में पशुधन का योगदान 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 29.35 प्रतिशत (2019-20) तक हो गया है। 2019-20 में पशुधन क्षेत्र ने कुल जीवीए का 4.35 प्रतिशत योगदान दिया है। पशुधन क्षेत्र के विकास से दूध, अंडे एवं मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है (चित्र 20)।

चित्र 20: प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता (ग्राम/दिन), मांस (किलो प्रति वर्ष) और अंडे (प्रति वर्ष संख्या)

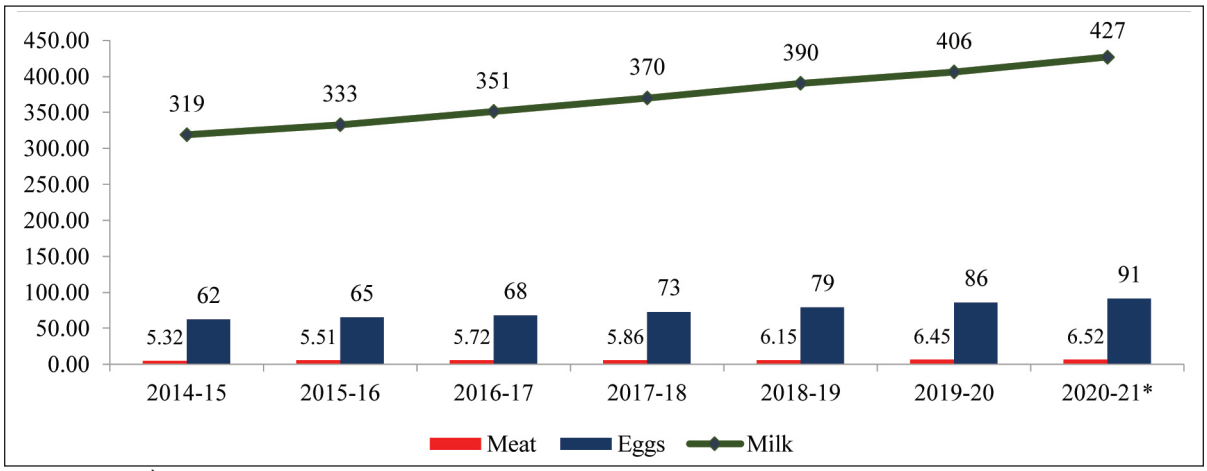

स्रोत: पशुपालन और डेयरी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

डेयरी क्षेत्र

7.39 डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का योगदान करने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है। देश में दूध उत्पादन लगभग 6.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 209.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 2014-15 में 146.31 मिलियन टन था (चित्र 21)।

चित्र 21: भारत में दूध उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन)

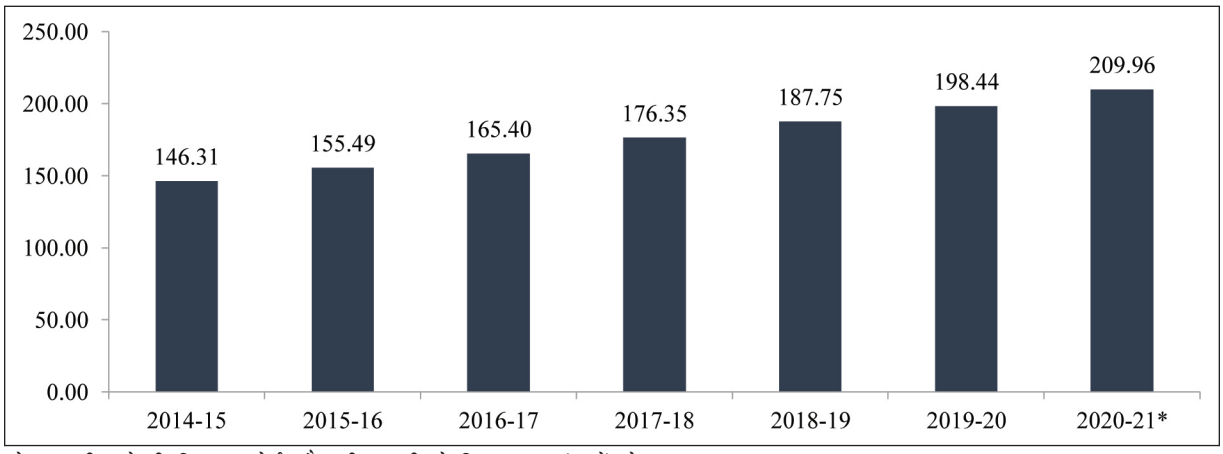

स्रोत: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डीएएचडी से लिए गए आंकड़ों के आधार पर।
'डेटा अनंतिम है

7.40 वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 427 ग्राम प्रति दिन है। वर्ष 2020-21 के दौरान दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में अंतर्राज्यीय परिवर्तनशीलता चित्र 22 में दर्शाई गई है।

चित्र 22: वर्ष (2020-21') के दौरान दूध उत्पादन में अंतर-राज्यीय परिवर्तनशीलता (मिलियन टन में)और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)।

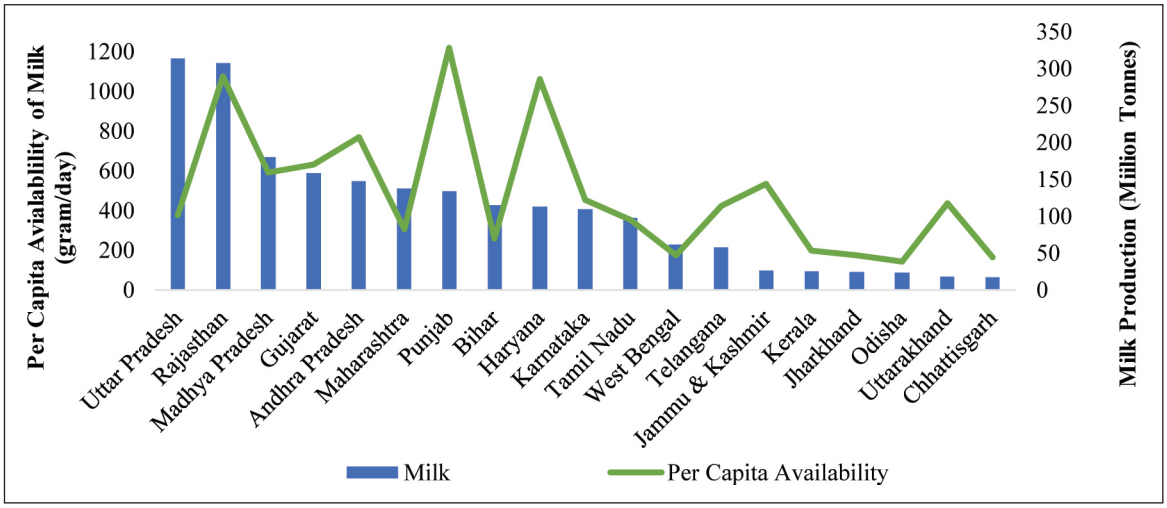

स्रोत: डीएएचडी।
रु दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के लिए तेलंगाना का आंकड़ा भी शामिल है।

अंडा एवं मांस उत्पादन

7.41 खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (एफएओएसटीएटी) उत्पादन डेटा (2020) के अनुसार, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन वर्ष 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2020-21 में 122.11 बिलियन (अनंतिम) हो गया है। वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 91 अंडे प्रति वर्ष है। देश में मांस उत्पादन वर्ष 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 (अनंतिम) में 8.80 मिलियन टन हो गया है।

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में हाल की पहल

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

7.42 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), जो कि दुनिया में मानव या पशु टीकाकरण के लिए किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, को पैर एवं मुंह की बीमारी (एफएमडी) तथा ब्रुसेलोसिस को वर्ष 2030 तक नियंत्रित करने और अंततः उन्मूलन के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

7.43 एनएडीसीपी के तहत टीकाकरण दिनांक 31 जनवरी 2020 से शुरू किया गया था और देश में लॉकडाउन के कारण बाधित हो गया। एफएमडी टीकाकरण मई 2020 में फिर से शुरू किया गया था और 11 राज्यों में एफएमडी टीकाकरण का पहला दौर पूरा हो चुका है। वर्ष 2021-22 के दौरान, टीकाकरण का दूसरा चरण जुलाई, 2021 से शुरू हुआ और दिसंबर, 2021 तक 5 करोड़ पशुओं को एफएमडी और 27.8 लाख पशुओं को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया गया है। इसके अलावा, बीमारी के प्रकोप के प्रबंधन पर सलाह और दिशानिर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)

7.44 एएनबी प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) को वर्ष 2020 में प्रारम्भ किया गया था। एएचआईडीएफ एफपीओ, व्यक्तिगत उद्यमी, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियों तथा निजी कंपनियों द्वारा डेयरी एवं मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और कुल उधार के 25 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। दिनांक 17.12.2021 तक, इस योजना के तहत कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 1802.28 करोड़ रुपये की परियोजना लागत शामिल है। योजना के तहत जारी ब्याज अनुदान की राशि वर्ष 2020-21 के दौरान 12.74 करोड़ रुपए और 2021-22 के दौरान 6.40 करोड़ रुपए (17.1.2022 को) थी।

मत्स्य पालन

7.45 भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 7.56 प्रतिशत हिस्सा है। यह देश के जीवीए में लगभग 1.24 प्रतिशत और कृषि जीवीए में 7.28 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। मत्स्य पालन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 (अनंतिम) में 145 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ वर्ष 2014-15 से 10.87 प्रतिशत की उत्कृष्ट दोहरे अंकों की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। रोजगार के मामले में, विशेष रूप से उपेक्षित तथा कमजोर समुदायों के लिए यह क्षेत्र भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का पूर्ति करता है । वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य क्षेत्र से निर्यात आय 46,662.85 करोड़ रुपये थी।

7.46 मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के

लिए विगत वर्षों में कई पहल की हैं। मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में पशुपालन किसानों के अलावा मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी की सुविधा का विस्तार किया ताकि उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए, कार्यशील पूंजी में ईंधन, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग/लैंडिंग शुल्क आदि की लागत शामिल है। मौजूदा केसीसी धारकों के लिए क्रेडिट सीमा ₹ 3 लाख है, जबकि मत्स्य पालन के लिए नए केसीसी धारकों की सीमा केवल ₹ 2 लाख है। दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक, मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों को कुल 1,04,157 केसीसी जारी किए गए हैं और मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों के अतिरिक्त 5.04 लाख आवेदन जारी करने के विभिन्न चरणों में बैंकों के पास हैं।

7.47 इसके अलावा, सरकार ने एएनबी पैकेज के एक हिस्से के रूप में मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक ₹ 20,050 करोड़ की एक नई प्रमुख योजना शुरू की। पीएमएमएसवाई के तहत, प्रमुख भागीदारी में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, मत्स्य पालन और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा मजबूत मत्स्य प्रबंधन एवं नियामक ढांचे का विकास करना शामिल है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी संचार, 'प्रति बूंद अधिक फसल' प्राप्त करने के लिए अधिकतम जल प्रबंधन, मछली और मछली उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और स्वच्छता, बीमा, मूल्यवर्धन, मांग-आधारित ब्रांडिंग तथा विपणन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने और हितधारकों के लिए आर्थिक लाभ लाने वाली पहलों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना मत्स्य निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए 'कैच टू कंज्यूमर' से स्थिरता और पता लगाने की क्षमता को प्राथमिकता देती है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में नवीन उद्यमशीलता उद्यमों और व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल के गतिशील विकास को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2021 तक, पीएमएमएसवाई के तहत, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 11295.12 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमे से 5584.74 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों को पहले ही केंद्र के हिस्से के रूप में 1975.63 करोड़ रुपए के साथ अनुमोदित किया जा चुका है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण

7.48 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण पर्यावरणीय रूप से स्थायी वैश्विक खाद्य प्रणाली के विकास में, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में तथा लागत को कम करके उपज को अधिकतम करके कृषि आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है । इन उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए, भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने कृषि के मशीनीकरण एवं जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) आदि के मामले में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कुल 731 नई किस्मों/क्षेत्र फसलों की संकर और 98 बागवानी फसलों को अधिसूचित/जारी किया। प्राकृतिक खाद्य प्रणाली के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) ने वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्र और बागवानी फसलों की बायोफोर्टिफाइड और तनाव-सहनशील किस्मों सहित 35 विशेष किस्में विकसित की हैं, जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों की संख्या को 87 तक ले जाती है। आईसीएआर ने 1,29,266 केडबल्यूएच वार्षिक बिजली उत्पादन की औसत फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादन और लगभग 6 लाख रुपए के कुल राजस्व के साथ एकल भूमि उपयोग प्रणाली से फसल उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए 105 किलोवाट की एक कृषि-वोल्टाइक प्रणाली को भी डिजाइन और विकसित किया है। कृषि-वोल्टाइक प्रणाली ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन (598 टन सीओ2 बचत/वर्ष/हेक्टेयर) को भी कम करती है।

यंत्रीकरण

7.49 कृषि यंत्रीकरण से खेती की लागत कम होती है और अन्य साधनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि होती है। विभिन्न कृषि गतिविधियों में संचालित मशीनों की पैठ का आकलन 40 से 45 प्रतिशत (नाबार्ड, 2018) के बीच किया गया है। भारत में वर्ष 2019-20 में प्रमुख फसलों के लिए कृषि कार्यों में मशीनीकरण, बीज क्यारी तैयार करने, बुवाई/रोपण/रोपाई, निराई-अंतर-खेती और पौधा संरक्षण और कटाई और गहाई में क्रमशः 70, 38, 31 और 32 प्रतिशत रहा है। देश में कृषि मशीनीकरण के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर एक उप-मिशन (एसएमएएम) वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करने और विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद में किसानों की सहायता के साथ-साथ कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान कुल 27828 सीएचसी तथा अकेले वर्ष 2020-21 के दौरान एसएमएएम योजना के तहत 9432 सीएचसी स्थापित किए गए है । सरकार ने फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस नामक बहुभाषी मोबाइल ऐप भी विकसित एवं प्रारम्भ किया है जो किसानों को अपने क्षेत्र में सीएचसी के माध्यम से कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर लेने में मदद करता है।

7.50 ट्रैक्टरों एवं पावर टिलर की बिक्री को कृषि यंत्रीकरण के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है (चित्र 23)। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का एक तिहाई है। भारत में कृषि उपकरण बाजार वर्ष 2017 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और वर्ष 2022 तक इसके 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ट्रैक्टर बाजार वर्ष 2022 तक 7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र 23 : भारत में ट्रैक्टर और पावर टिलर की बिक्री (हजार संख्या में)

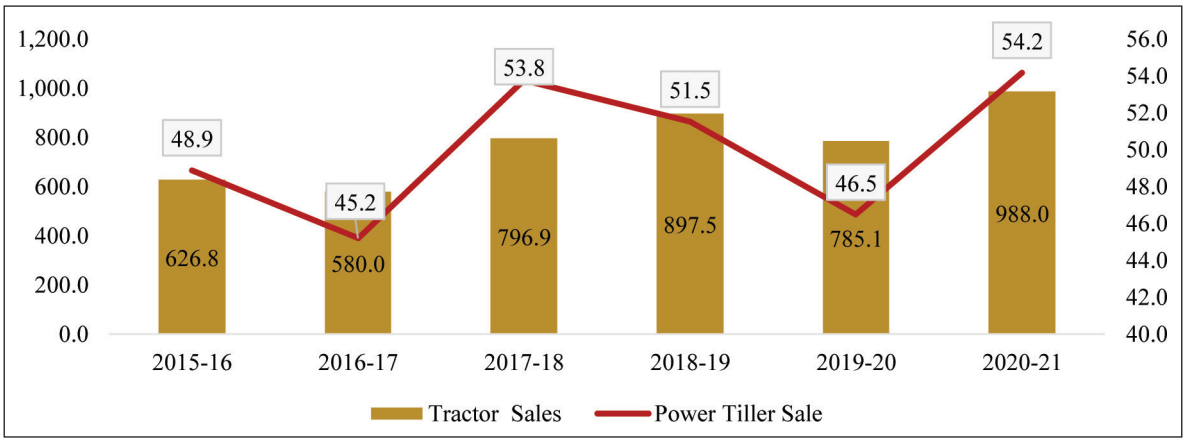

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

फसल अवशेष प्रबंधन

7.51 हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। इसलिए, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए और किसानों के लिए फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने' (सीआरएम) पर एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना ₹ 1791.80 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया

गया है । इस योजना के तहत, वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न कृषि मशीनरी की संख्या 51988 वितरित की गई और 15106 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए।

कृषि में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका

7.52 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और इसका अनुप्रयोग स्थायी कृषि प्रचलन की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है जो पोषण सुरक्षा एवं कृषि आय में सुधार के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का लगभग पांचवां हिस्सा योगदान देती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्यों में से आधे को पूरा करने की कुंजी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गरीबी और भूख को खत्म करने और असमानताओं को कम करने के लक्ष्य शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कई कीटों और रोगों के प्रतिरोधी और अजैविक तनाव के साथ जलवायु-लचीला किस्में कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

7.53 अनुसंधान[5] से पता चलता है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया उर्वरक सब्सिडी (0.88), बिजली सब्सिडी (0.79), शिक्षा (0.97) या सड़कों (1.10) पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर प्रतिफल की तुलना में बेहतर प्रतिफल (11.2) देता है। इसलिए, कृषि पर अनुसंधान एवं विकास खर्च बढ़ाना न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

7.54 वर्ष 2019-20 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) क्षेत्र लगभग 11.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए का 9.87 प्रतिशत तक का गठन किया है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2017-18 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार में 12.38 प्रतिशत (एनआईसी वर्गीकरण के 3-अंकों पर) की हिस्सेदारी वाले प्रमुख रोजगार गहन क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2017-18 के नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 19.33 लाख थी। अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एनएसएसओ 73वें दौर, वर्ष 2015-16 के अनुसार 51.11 लाख श्रमिकों को रोजगार का समर्थन करता है और इस प्रकार अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में 14.18 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण में एफपीआई की हिस्सेदारी एवं एफपीआई (जीवीए-एफपीआई) के जीवीए में वृद्धि को चित्र 24 में देखा जा सकता है।

चित्र 24 : विनिर्माण जीवीए में एफपीआई का हिस्सा (प्रतिशत में)

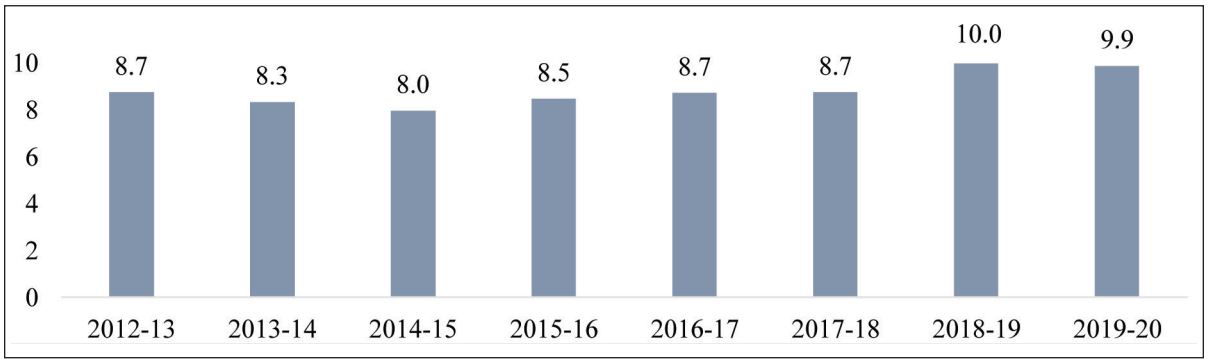

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

[5]गुलाटी, ए., झोउ, वाई. और फेरोनी एम. (2018), ''सपोर्टिंग इंडियन फार्म्स: द स्मार्ट वे'', एकेडमिक फाउंडेशन आईसीआरआईईआर के सहयोग से।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई

7.55 एफपीआई में स्व-अनुमोदित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। हालांकि, ई-कॉमर्स सहित भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में व्यापार के मामले में, सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। अप्रैल 2014 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह देखा गया है। अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान एफपीआई क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 410.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछली समान अवधि में यह 220.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। एफपीआई में वर्ष-वार एफडीआई अंतर्वाह को चित्र 25 में देखा जा सकता है।

चित्र 25: वर्ष-वार (अप्रैल-मार्च) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

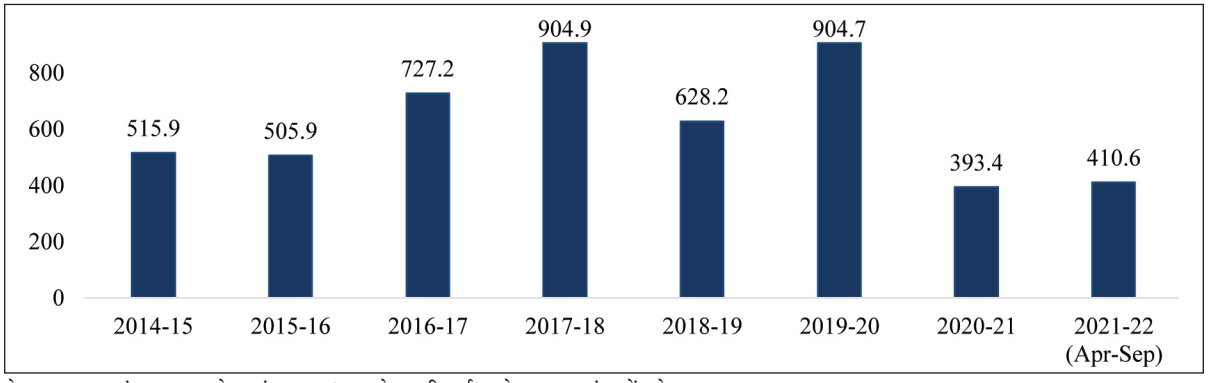

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

प्रधानमंत्री-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पीएम-एफएमई)

7.56 एएनबी मिशन के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2020-2025 की अवधि में ₹ 10,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम-एफएमई शुरू की है। इस योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 710 जिलों में 137 विशिष्ट उत्पादों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की स्थिति को मंजूरी दी गई है। ₹ 200.30 करोड़ के परिव्यय के साथ 75 प्रस्तावों को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 52 प्रस्तावों को वर्ष 2020-21 में और 23 को वर्ष 2021-22 में अनुमोदित किया गया।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

7.57 अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम पीएमकेएसवाई के तहत, मंत्रालय विभिन्न घटक योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मेगा फूड पार्क, (ii) इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, (iii) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (v) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार, (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स और (vii) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। दिनांक 28.12.2021 को स्वीकृत और पूर्ण/परिचालन परियोजनाओं की स्थिति चित्र 26 में देखी जा सकती है।

चित्र 26: पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत और पूर्ण/परिचालन परियोजनाओं की स्थिति

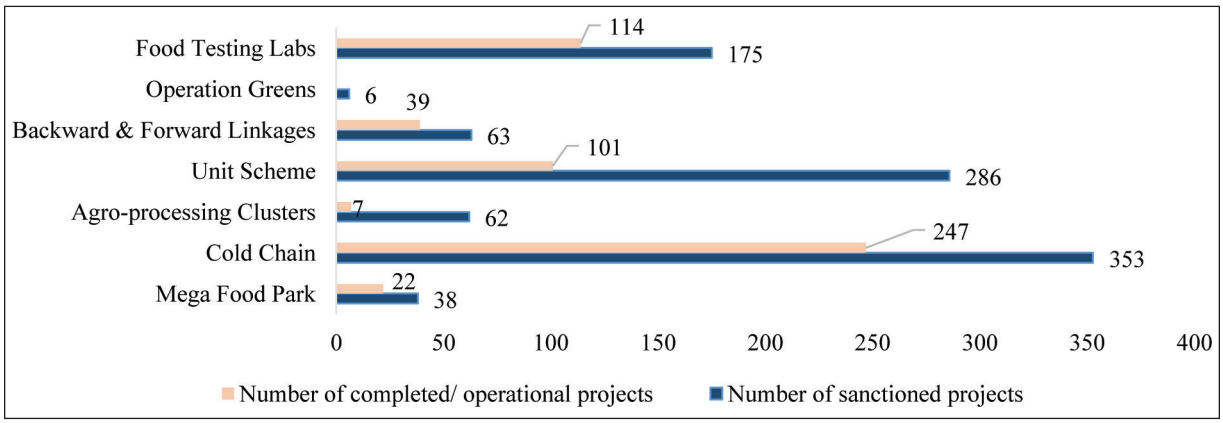

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

टॉप योजना

7.58 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-उपस्कर, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) फसलों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना दो घटकों के साथ शुरू की गई थी:

(i) **दीर्घकालिक :** वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स - इसके तहत टॉप फसलों के लिए पूंजी निवेश परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसरण में, इस योजना के दायरे को टॉप से बाईस नष्ट होने वाले उत्पादों तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) **अल्पकालीन :** मूल्य स्थिरीकरण के उपाय - इसके अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्रों तक टॉप फसलों के आधिक्य उत्पादन की निकासी के लिए कटाई के समय परिवहन तथा भंडारण पर 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को भी दिनांक 12.10.2020 से किसान रेल योजना तक बढ़ा दिया गया था। एएनबी घोषणा के एक भाग के रूप में योजना के तहत अल्पकालिक उपायों का दायरा दिनांक 11.06.2020 से टॉप से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था। दिनांक 15.12.2021 तक लगभग 5.68 लाख मीट्रिक टन फलों एवं सब्जियों के परिवहन के समक्ष 115.01 करोड़ रुपये की परिवहन सब्सिडी जारी की गई है।

खाद्य प्रबंधन

7.59 खाद्य प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को कम कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण एवं खाद्य सुरक्षा तथा मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव है। ये सभी किसानों से एमएसपी पर खरीद एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर विक्रय पर उपयोग किए जाते हैं। खाद्यान्नों की खरीद, वितरण एवं भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) है। खाद्यान्न का वितरण मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाता है।

खाद्यान्नों की खरीद

7.60 खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, 642.58 एलएमटी के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले 601.85 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की खरीद की गई। केएमएस 2021-22 में, 16.01.

2022 तक कुल 566.58 एलएमटी धान (379.98 एलएमटी चावल के बराबर) की खरीद की गई। आरएमएस 2021-22 के दौरान, आरएमएस 2020-21 के दौरान खरीदे गए 389.92 एलएमटी के मुकाबले 433.44 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई। इसके अलावा, खरीफ और रबी विपणन सीजन 2020-21 के दौरान, लगभग 11.87 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद की गई है जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

खाद्यान्नों का आवंटन

7.61 कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की। हालांकि, निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता, योजना को विभिन्न चरणों में विस्तारित और कार्यान्वित किया गया है। वर्तमान में पीएमजीकेएवाई का पांचवां चरण दिसंबर, 2021 से मार्च 2022 तक चल रहा है। इस योजना के तहत, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न सभी चरणों में एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 322 एलएमटी खाद्यान्न और वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई योजना के तहत लगभग 437.37 एमएमटी खाद्यान्न मुफ्त आवंटित किया गया है।

7.62 वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने 2020-21 में 948.48 लाख टन की तुलना में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1052.77 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया।

चावल का दृढ़ीकरण और उसका वितरण

7.63 भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित पायलट योजना 'चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण' को दिनांक 14.02.2019 को 3 साल की अवधि के लिए वर्ष 2019-20 से शुरू करने की मंजूरी दी है । पायलट योजना 15 जिलों (प्रति राज्य 1 जिला) में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित ग्यारह राज्यों ने पायलट योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। पायलट योजना के तहत दिसंबर 2021 तक लगभग 3.38 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा चुके हैं।

7.64 सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों आदि में कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ने के लिए देश में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को बढ़ाने के प्रयास में वर्ष 2021-22 के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना तथा पीएम पोषण योजनाओं के तहत देश में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना शुरू की है। देश भर में आईसीडीएस तथा पीएम पोषण के तहत वितरण के लिए एफसीआई और विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों द्वारा लगभग 19.79. एलएमटी (04.01.2022 को) फोर्टिफाइड चावल की खरीद की गई है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

7.65 "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" योजना के तहत जो वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू की गई थी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली शुरू की गई है। योजना की वैधता मौजूदा 31.03. 2022 से बढ़ाकर 31.03.2023 कर दी गई। इस प्रणाली के माध्यम से प्रवासी लाभार्थी एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपनी खाद्य सुरक्षा पात्रता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में, लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों (कुल एनएफएसए आबादी का 94.3 प्रतिशत)

को शामिल करते हुए 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय/अंतर्राजीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा सक्षम है। शेष दो राज्यों के लाभार्थियों तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पहुंच का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

खुला बाजार विक्रय प्रणाली

7.66 बफर स्टॉक बनाए रखने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने का प्रावधान करने के अलावा, एफसीआई सरकार के निर्देश पर खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक का विक्रय करता है, जो [ओएमएसएस (डी)] समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर आरक्षित मूल्य कहलाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत खुले बाजार में केंद्रीय पूल से खुदरा बिक्री सहित एफसीआई द्वारा बिक्री के लिए 75 एलएमटी गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही एफसीआई द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत खुले बाजार में केंद्रीय पूल से 50 एलएमटी चावल बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।

7.67 दिनांक 08.04.2020 से ओएमएसएस (डी) वर्ष 2020-21 नीति के तहत, वर्तमान लॉक डाउन की स्थिति के कारण प्रवासी मजदूरों / कमजोर समूहों के लिए राहत या सामुदायिक रसोई चलाने में लगे सभी धर्मार्थ या गैर-सरकारी संगठनों आदि को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए एक विशेष व्यवस्था शुरू की गई थी। इस योजना के तहत धर्मार्थ संस्थानों/एनजीओ को एक समान दर पर गेहूं 21 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जारी किया जाता है। किसी भी एफसीआई डिपो से ऐसे प्रत्येक संगठन को खाद्यान्न के आवंटन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह विशेष छूट प्रारंभ में जून 2020 तक थी जिसे शेष वर्ष 2020-21 के लिए समान दर, नियम और शर्तों पर बढ़ा दिया गया था। कोविड महामारी के फिर से उभरने के मद्देनजर उक्त विशेष छूट को 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी बाद में हो, उसी दर, नियम और शर्तों पर बढ़ा दिया गया था। इस योजना के तहत, 1126 संगठनों ने 10422 मीट्रिक टन चावल और 230 संगठनों ने 25.03.2021 तक 1,246 मीट्रिक टन गेहूं उठाया था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 में, 34 संगठनों ने 847 मीट्रिक टन चावल उठाया है और 6 संगठनों ने दिनांक 13.01.2022 तक 10 मीट्रिक टन गेहूं उठाया है। पिछले पांच वर्षों और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा चित्र 27 में दी गई है।

चित्र 27: पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत बेचे गए गेहूं एवं चावल की बिक्री (मात्रा एलएमटी)

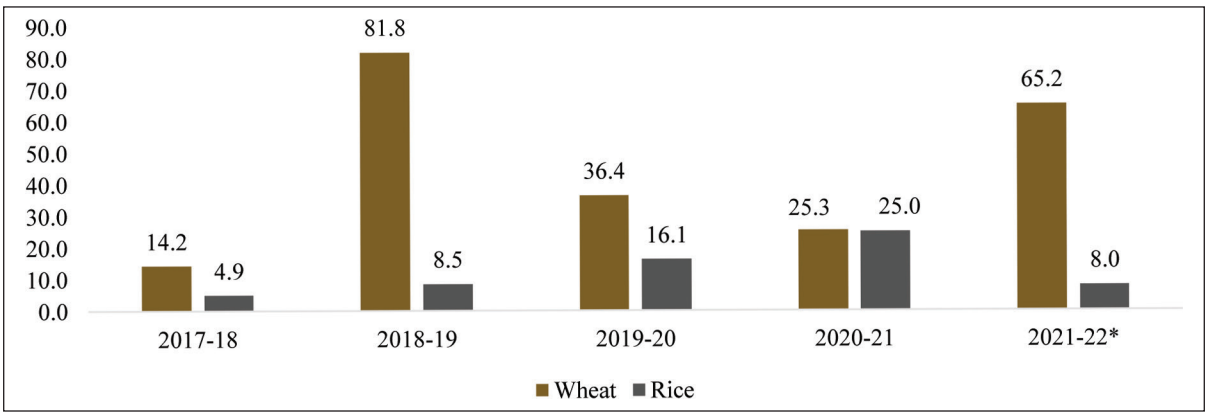

स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

*जनवरी 2022 तक की तीसरी साप्ताहिक ई-नीलामी

खाद्य सब्सिडी

7.68 प्रति क्विंटल आर्थिक लागत एवं प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच का अंतर प्रति क्विंटल खाद्य सब्सिडी की मात्रा बताता है। गेहूं की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 में 1908.32 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2993.80 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह चावल की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 में 2615.51 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4293.79 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। हालांकि, गरीबों के मदद करने वाले उपाय के रूप में, एनएफएसए लाभार्थियों के लिए सीआईपी को एनएफएसए के प्रारंभ होने के बाद से संशोधित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच के अंतर को कम करने के लिए खाद्य प्रबंधन की दक्षता में सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। खाद्य सब्सिडी बिल में एक प्रवृत्ति चित्र 28 में देखी जा सकती है।

चित्र 28: खाद्य सब्सिडी (₹ हजार करोड़ में) और खाद्य सब्सिडी में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

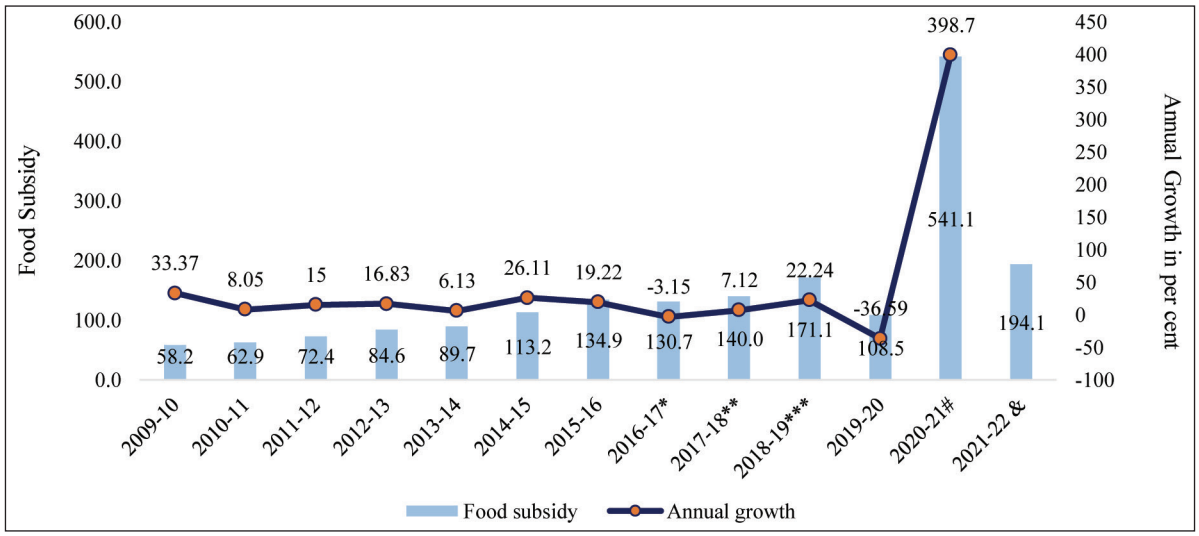

स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

*इसमें एफसीआई को ₹ 25000 करोड़ का एनएसएसएफ ऋण शामिल है। ** इसमें एफसीआई को ₹ 40000 करोड़ का राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) ऋण शामिल है। ***इसमें एफसीआई को ₹ 70000 करोड़ का एनएसएसएफ ऋण शामिल है। वित्त वर्ष 2019-20 में एमओएफ के निर्देश के अनुसार एफसीआई को स्वीकृत अप्रयुक्त एनएसएसएफ ऋण से डीसीपी राज्य को ₹ 11436 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई है। दिनांक 31.10.2021 को ₹ 11436 करोड़ में से ₹ 10000 करोड़ एफसीआई को चुका दिए गए हैं। & 18.01.2022 तक

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम

7.69 सरकार ने अब 2025 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने के लिए 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है। अनुमान है कि वर्ष 2022 के दौरान 10 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने चीनी मिलों या स्टैंडअलोन से जुड़ी भट्टियों द्वारा विभिन्न फीड स्टॉक जैसे बी-हाई और सी-हाइ शीरा, गन्ने का रस, चीनी सिरप, चीनी और अधिशेष एफसीआई चावल, मक्का, आदि सहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है । देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए योग्य आसवनियों को ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ईबीपी कार्यक्रम के तहत इथेनॉल आपूर्ति, जो इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में केवल 38 करोड़ लीटर थी, ईएसवाई 2019-20 के दौरान बढ़कर 173.3 करोड़ लीटर हो गई है और ईएसवाई 2020-21 लगभग 8.1 प्रतिशत सम्मिश्रण

प्राप्त करने के लिए वर्ष के अंत तक 302 करोड़ लीटर से अधिक होने की उम्मीद है। ईएसवाई वर्ष 2021-22 के लिए एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य 10 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2025 तक उत्तरोत्तर बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है।

भंडारण

7.70 एफसीआई के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का एक हिस्सा और निजी क्षेत्र से किराए पर ली गई क्षमता का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है। दिनांक 31.12.2021 को खाद्यान्न के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 961.73 एलएमटी थी, जिसमें 792.81 एलएमटी के आच्छादित गोदाम और 168.92 एलएमटी की कवर्ड एवं प्लिंथ (सीएपी) सुविधाएं शामिल थीं। 961.73 एलएमटी की कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता में से 463.24 एलएमटी की क्षमता एफसीआई के पास और 498.49 एलएमटी राज्य एजेंसियों के पास थी। इसके अलावा, 31.12.2021 तक, निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत 144.34 एलएमटी की क्षमता बनाई गई है जिसमें गोदामों का निर्माण पीपीपी मोड में किया जाता है।

7.71 सरकार पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए गोदामों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, एफसीआई को भूमि अधिग्रहण एवं भंडारण गोदामों के निर्माण और रेलवे साइडिंग, विद्युतीकरण, वेटब्रिज की स्थापना आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए इक्विटी के रूप में प्रत्यक्ष निधि जारी किया जाता है। इन राज्यों में भंडारण अंतराल के साथ-साथ कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में भी धनराशि जारी की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में कुल 1,84,175 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण किया गया था। इस योजना को आगे पांच साल के लिए 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.04.2017 से 31.12.2021 तक कुल 82,760 मीट्रिक टन (एफसीआई द्वारा 65,870 मीट्रिक टन और राज्य सरकारों द्वारा 16,890 मीट्रिक टन) की कुल क्षमता बनाई गई है।

7.72 भारत सरकार ने भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा भंडारित खाद्यान्न के शेल्फ जीवन में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में देश में स्टील साइलो के निर्माण के लिए एक कार्य योजना/रोड मैप को भी मंजूरी दी है। साइलो विकास योजना के तहत दिनांक 31.12.2021 तक देश भर के विभिन्न स्थानों में 29.25 एलएमटी क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें से 11.125 लाख मीट्रिक टन की क्षमता पूरी हो चुकी है और शेष विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

उर्वरक

7.73 सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर यूरिया तथा 24 ग्रेड पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां तक फास्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों का संबंध है, सरकार दिनांक 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना लागू कर रही है। उक्त योजना के तहत, सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटासिक (पी एंड के) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर इसकी पोषक सामग्री के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। चित्र 29 उर्वरकों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा वर्षों से प्रदान की गई उर्वरक सब्सिडी को दर्शाता है। चित्र 30 तथा 31 उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन और आयात को दर्शाते हैं।

चित्र 29: उर्वरक सब्सिडी (₹ हजार करोड़ में)

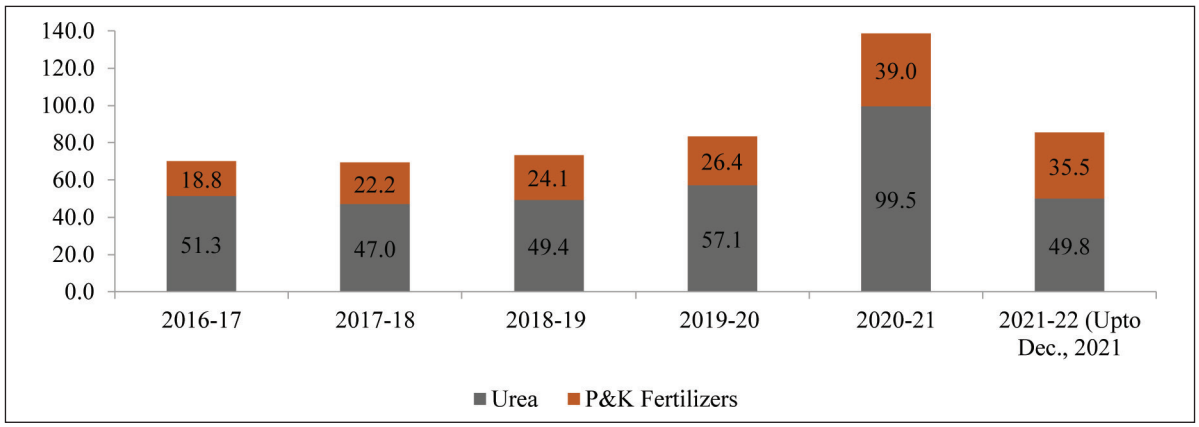

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

चित्र 30: उर्वरकों का उत्पादन (एलएमटी)

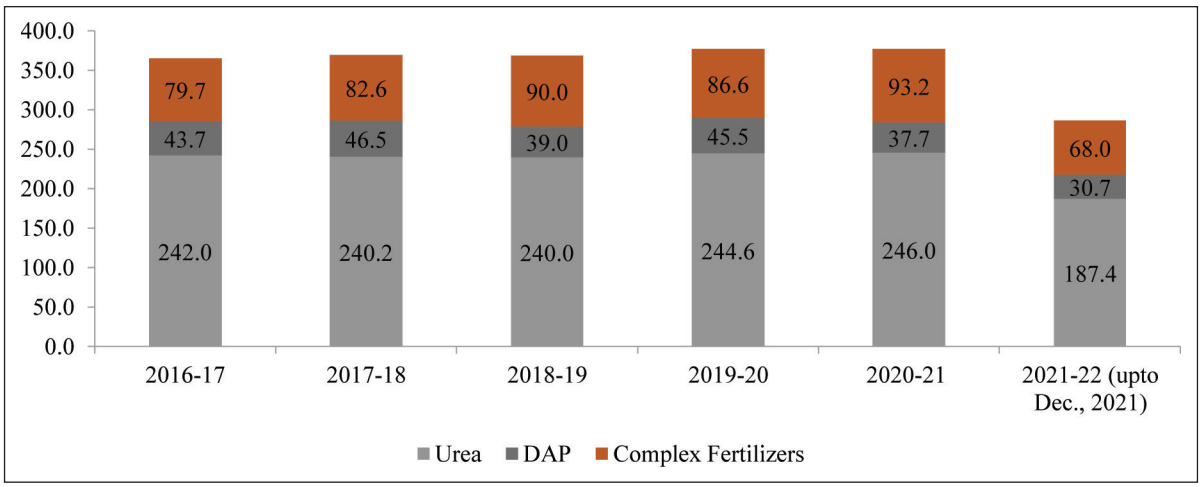

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

चित्र 31: उर्वरकों का आयात (एलएमटी)

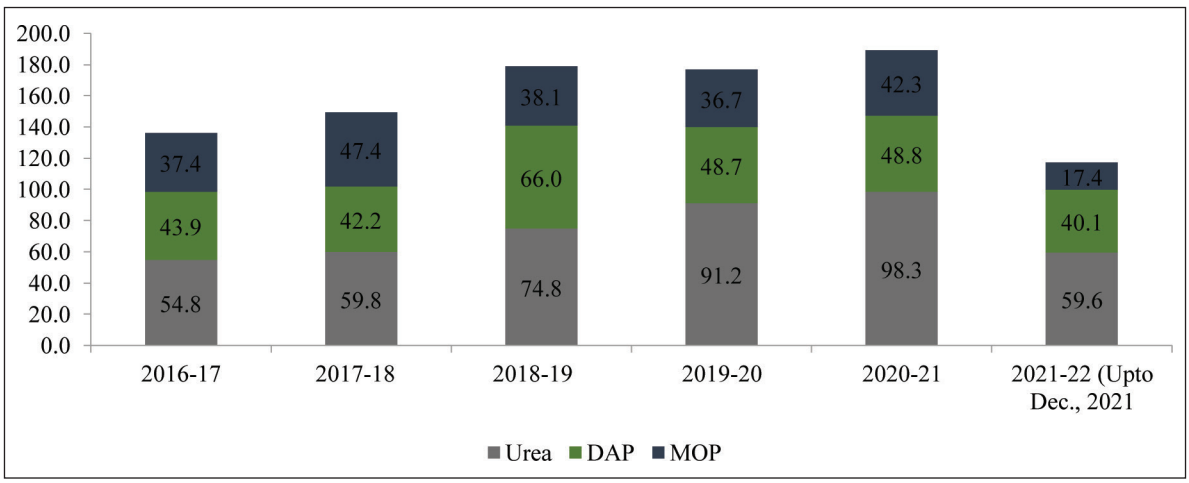

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

7.74 आयात पर निर्भरता से निपटने और सब्सिडी व्यवस्था को अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, नई यूरिया नीति-2015 को स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने, उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया गया है। सरकार ने यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों के लिए केवल नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने चीनी मिलों द्वारा उप-उत्पाद के रूप में इसके निर्माण को बढ़ावा देने और इसकी आयात निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत मोलासिस (पीडीएम) से व्युत्पन्न पोटाश लाया है। कोयला गैसीकरण जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियां; प्वाइंट ऑफ सेल मशीन आदि के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

7.75 कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन कोविड-19 के प्रभाव के प्रति लचीला रहा है। यह क्षेत्र वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा और वर्ष 2021-22 में सुधरकर 3.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि, जैसा कि नवीनतम एसएएस रिपोर्ट द्वारा दिखाया गया है, जोत के विखंडन ने वैकल्पिक स्रोतों जैसे पशुधन, मत्स्य पालन और मजदूरी श्रम को कृषि परिवार के लिए उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। किसानों की वृद्धि और आय में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों का बढ़ता महत्व इंगित करता है कि संबद्ध गतिविधियों की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लघु जोत कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

7.76 तिलहन, दलहन और बागवानी की ओर फसल विविधीकरण को सिंचाई, निवेश, ऋण और उनकी खेती में बाजार के मुख्य मुद्दों को संबोधित करके प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संकेत के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपयोग को अपनाया है, वहीं किसानों की आय स्थायी तरीके से दोगुना करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए उच्च मूल्य और कम पानी की खपत वाली फसलों को स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से समन्वित कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

7.77 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास स्थायी कृषि अभ्यास की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं जो पोषण सुरक्षा और कृषि आय में सुधार के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। अनुसंधान से पता चलता है कि कृषि अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया, सब्सिडी पर खर्च किए गए धन या साधन पर अन्य व्यय की तुलना में बेहतर प्रतिफल प्रदान करता है। इसलिए कृषि अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि से फसल और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हो सकता है।

7.78 विकल्पों का पता लगाने और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो मिट्टी की रक्षा करते हैं, अधिक उत्पादक हैं और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता में योगदान करते हैं। ड्रोन और एआई-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी और कम लागत वाले जैविक साधन के उपयोग और नवाचार समर्थित स्टार्ट-अप सहित नई तकनीक के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

08

अध्याय

उद्योग एवं अवसंरचना

कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों से वैश्विक औद्योगिक गतिविधि प्रभावित होती रही। यद्यपि भारतीय उद्योग इन व्यवधानों का अपवाद नहीं था, वर्ष 2021-22 में इसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे खुलने, रिकॉर्ड टीकाकरण, उपभोक्ता मांग में सुधार, आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में सरकार द्वारा उद्योगों के प्रति निरंतर नीति सहयोग तथा वर्ष 2021-22 में आगे सुदृढ़ीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में तेजी आई है। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, 2020-21 की इसी अवधि की तुलना में 22.9 प्रतिशत थी और इस वित्तीय वर्ष में 11.8 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि आईआईपी के संचयी विकास में परिलक्षित होता है, औद्योगिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2021-22 के अप्रैल-नवंबर दौरान वर्ष 2020-21 के अप्रैल-नवंबर में (-)15.3 प्रतिशत की तुलना में आईआईपी 17.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा। आरबीआई के अनुसार-कॉरपोरेट प्रदर्शन पर अध्ययन, जो निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में चुनिंदा सूचीबद्ध कंपनियों के परिणामों पर आधारित है, बड़े कॉरपोरेट्स का शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात महामारी के बावजूद सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। समग्र कारोबारी धारणा में सुधार के बीच त्वरित एफडीआई अंतर्वाह उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की भविष्यवाणी करता है।

उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की शुरूआत तथा आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए - भौतिक तथा साथ ही डिजिटल दोनों - लेनदेन की लागत को कम करने तथा व्यापार की सुगमता में सुधार के लिए निरंतर उपायों के साथ, पुन:प्राप्ति की गति को सहयोग करेगा। आधारभूत संरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) जैसी कई पहलें की गई हैं। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय वर्ष 2009-14 के दौरान 45980 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 155181 करोड़ रुपये हो गया और इसे वर्ष 2021-22 में 215058 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इसका तात्पर्य वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में पांच गुना वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा वर्ष 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 36.5 किलोमीटर प्रति दिन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.4 प्रतिशत की वृद्धि है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर तथा दूरसंचार क्षेत्र में संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधार लाए गए है।

परिचय

8.1 कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा किया जिससे न केवल जीवन अपितु आजीविका भी प्रभावित हुई। भारतीय उद्योग ने व्यावसायिक गतिविधि में बाधा का अनुभव किया जिससे इसके प्रदर्शन में मंदी आई। देश के धीरे-धीरे अनलॉक होने के साथ-साथ सहायक नीतिगत पहलों में

शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से क्रेडिट तक आसान पहुंच के माध्यम से आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करना, एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, 14 चौंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन तथा अन्य प्रत्यक्ष कर उपायों, औद्योगिक विकास की वसूली शुरू हुई। पिछले कुछ महीनों में, रिकॉर्ड टीकाकरण के साथ-साथ उपभोक्ता मांग में सुधार और व्यावसायिक विश्वास का औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस अवधि में डिजिटल अवसंरचना, दूरसंचार में संरचनात्मक सुधारों तथा एयर इंडिया में बड़े-टिकट विनिवेश को भी बढ़ावा मिला। उद्योगों को सहयोग देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) जैसे उपायों/योजनाओं के अतिरिक विभिन्न संरचनात्मक, वित्तीय और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों के कारण इस पुन:प्राप्ति की गति में और आगे वृद्धि जारी रहने की संभावना है।

8.2 औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2019-20 के बीच 4.53 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जबकि इसी अवधि में कुल जीवीए 5.63 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। नाम मात्र जीवीए (मौजूदा कीमतों पर) में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 25.9 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग के द्वारा वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार और 11.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने तथा भागीदारी बढ़कर 28.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है (चित्र 1)।

8.3 पिछले दशक में नाममात्र जीवीए में 16.3 प्रतिशत की औसत भागीदारी के साथ विनिर्माण, औद्योगिक क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख उपस्थिति है। 2020-21 में विनिर्माण की हिस्सेदारी गिरकर 14.4 फीसदी पर आ गई, लेकिन वर्ष 2021-22 में इसके सुधरकर 15.3 फीसदी होने की उम्मीद है। बिजली की हिस्सेदारी 2012-13 से बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखा रही है तथा वर्ष 2020-21 में 2.7 प्रतिशत थी। चित्र 1 और 2 क्रमश: औद्योगिक क्षेत्र तथा विकास में मूल्यवर्धन को दर्शाते हैं। वर्ष 2020-21 में, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं एकमात्र उप-क्षेत्र था, जिसने 1.9 प्रतिशत (तालिका 1) की सकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया। वर्ष 2021-22 में, विनिर्माण क्षेत्र में 12.5 प्रतिशत, खनन तथा उत्खनन में 14.3 प्रतिशत, निर्माण में 10.7 प्रतिशत और बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह सुधार पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में औद्योगिक संकुचन के कारण हुआ है।

चित्र 1: सकल मूल्य वर्धन में उद्योग तथा उसके घटकों का भागीदारी

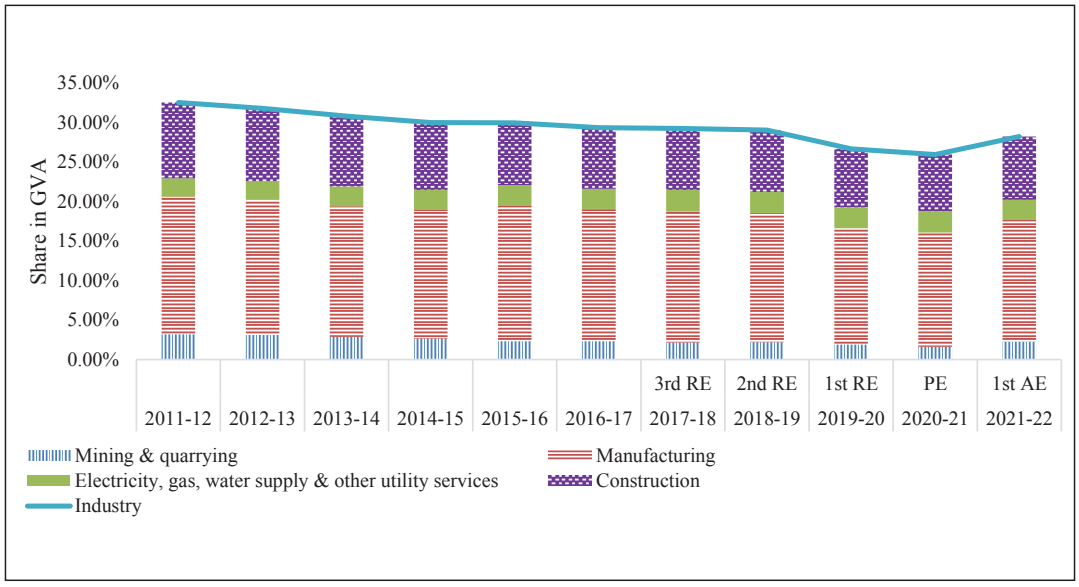

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना। चालू कीमतों पर डेटा।

तालिका 1: उद्योग में सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि

क्षेत्र	वर्ष									
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
						3rdआरई	2ndआरई	1stआरई	पीई	1st एई
खनन और उत्खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.8	-5.6	0.3	-2.5	-8.5	14.3
उत्पादन	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	7.5	5.3	-2.4	-7.2	12.5
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	10.6	8.0	2.1	1.9	8.5
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	5.9	5.2	6.3	1.0	-8.6	10.7
उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	5.9	5.3	-1.2	-7.0	11.8

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना। आरई – संशोधित अनुमान, पीई–अनंतिम अनुमान, एई – उन्नत अनुमान

चित्र 2 : उद्योग के मूल्यवर्धन और उसके घटकों में वृद्धि की प्रवृत्तियां

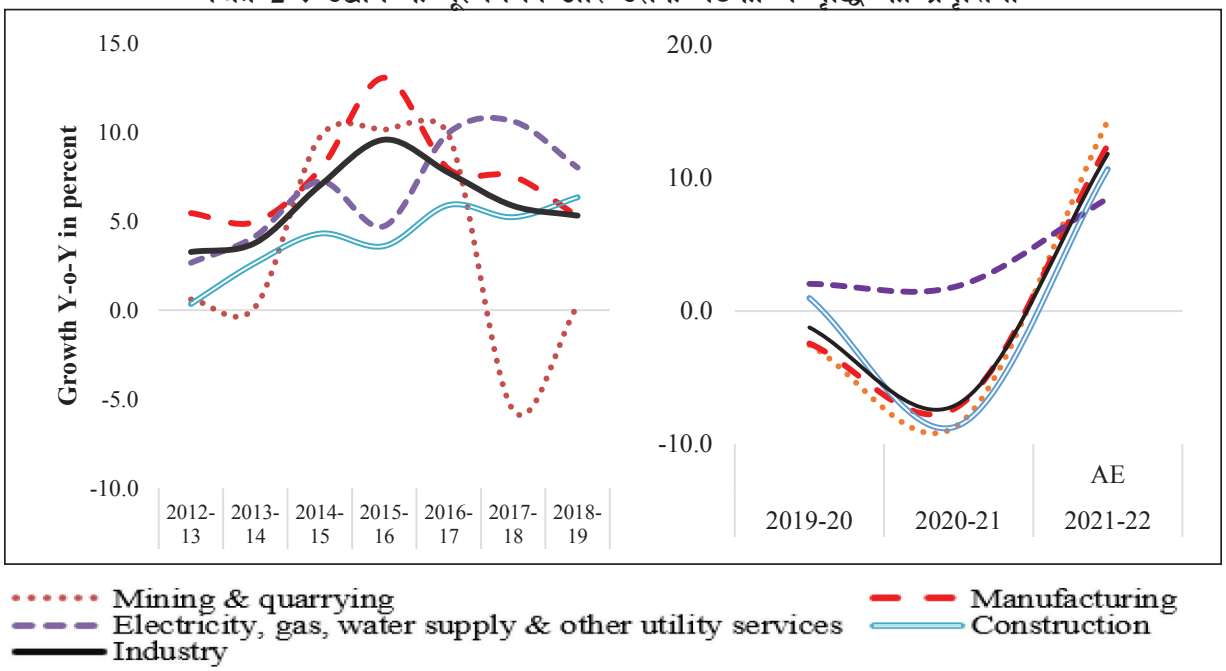

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

8.4 औद्योगिक क्षेत्र पर महामारी का प्रभाव वर्ष 2020-21 में आईआईपी में 8.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि में परिलक्षित होता है। वर्ष 2021-22 के अप्रैल-नवंबर में, आईआईपी पिछले वर्ष की इसी अवधि में (-)15.3 प्रतिशत की तुलना में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपूर्ति पक्ष के उपाय, साथ ही संकुचन को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की मांग, वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र के उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं। नवंबर 2021 में, आईआईपी सूचकांक में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें खनन क्षेत्र में

5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद बिजली में 2.1 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में भी, सूचकांक सभी क्षेत्रों में व्यापक-आधारित सुधार को दर्शाता है (तालिका 2)। प्राथमिक वस्तुओं में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि, 3.8 प्रतिशत के साथ आधारभूत संरचना के सामान, 0.8 प्रतिशत के साथ उपभोक्ता अस्थायी वस्तुओं तथा 2.5 प्रतिशत के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं में वृद्धि ने प्रयुक्त आधारित वर्गीकरण के तहत सुधार की अग्रसर हुआ।

चित्र 3: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मूल्य - लंबी श्रृंखला

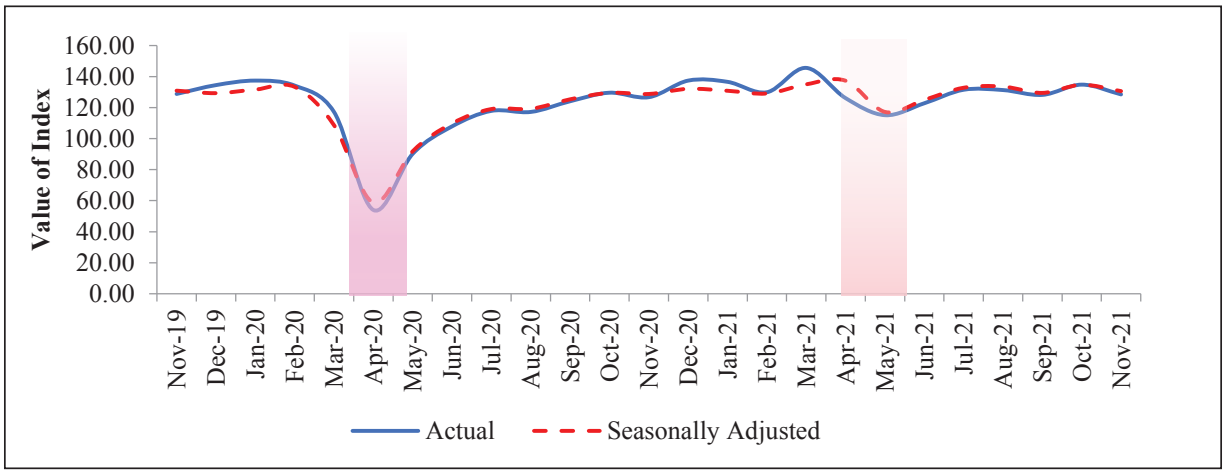

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना

तालिका 2 : क्षेत्रवार आईआईपी - प्रतिशत में वृद्धि

	भार	नवंबर -20	दिसंबर -20	जनवरी -21	फरवरी -21	मार्च -21	अप्रैल -21		मई -21	जून -21	जुलाई - 21	अगस्त -21	सितंबर -21	अक्टूबर -21	नवंबर -21
क्षेत्रवार															
खनन	14.4	-5.4	-3	-2.4	-4.4	6.1		#	23.6	23.1	19.5	23.3	8.6	11.5	5
उत्पादन	77.6	-1.6	2.7	-0.9	-3.4	28.4		#	32.1	13.2	10.5	11.1	3	3.1	0.9
बिजली	8	3.5	5.1	5.5	0.1	22.5		#	7.5	8.3	11.1	16	0.9	3.1	2.1
सामान्य	100	-1.6	2.2	-0.6	-3.2	24.2		#	27.6	13.8	11.5	13	3.3	4	1.4
प्राथमिक सामान	34	-1.8	0.4	0.7	-4.6	7.9		#	15.8	12	12.4	16.9	4.6	9	3.5
पूंजीगत माल	8.2	-7.5	2.2	-9	-4.2	50.4		#	74.9	27.3	30.3	20	2.4	-1.5	-3.7
सहायक सामग्री	17.2	-1.8	2.3	2	-5.3	22.4		#	54.2	22.6	14.6	11.8	5	3.8	2.5
विनिर्मान/ निर्माण	12.3	2.1	3.1	2.3	-3.5	35.1		#	46.5	20	12.3	13.5	7.8	6.6	3.8
उपभोक्ता के लिए स्थायी वस्तुएँ	12.8	-3.2	6.5	-0.1	6.6	59.9		#	80.4	28	19.4	11.1	-1.9	-3.6	-5.6
उपभोक्ता के लिए अस्थायी वस्तुएं	15.3	-0.7	1.9	-5.4	-3.8	29.2		#	0.2	-3.9	-2.3	5.9	0.2	0.9	0.8

लाल - नकारात्मक वृद्धि, पीली- वृद्धि दर सकारात्मक किन्तु 5 प्रतिशत से कम, हरा - सकारात्मक दर और 5 प्रतिशत से अधिक

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना। # आईआईपी के लिए 11 जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए, अप्रैल 2021 के सूचकांकों की तुलना अप्रैल 2020 के सूचकांकों से नहीं की जा सकती ख़ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चित्र 4: आईआईपी में व्यापक क्षेत्रों के लिए सूचकांक

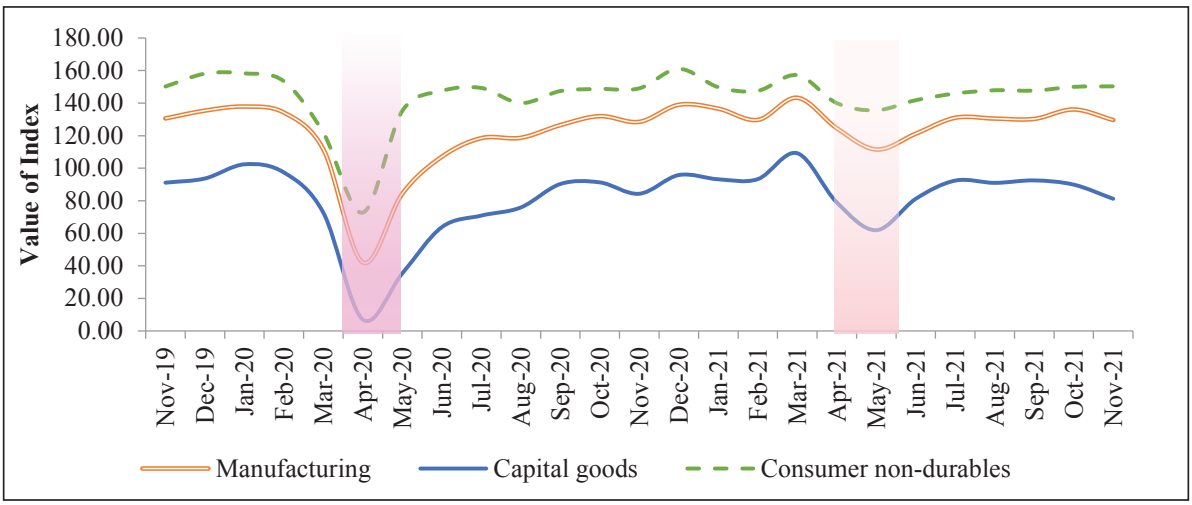

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

8.5. आईआईपी विनिर्माण क्षेत्र के 23 उपसमूहों के लिए डेटा भी प्रदान करता है। 2021-22 के अप्रैल-नवंबर की अवधि में, सभी 23 क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वस्त्र, परिधान, बिजली के उपकरण, मोटर वाहन जैसे प्रमुख औद्योगिक समूहों ने एक सशक्त सुधार हुआ (चित्र 5)। वस्त्रों तथा परिधानों के प्रदर्शन में सुधार, जो एक श्रम प्रधान उद्योग है, का रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

चित्र 5 विनिर्माण वृद्धि में उत्पाद समूहों का योगदान - प्रतिशत

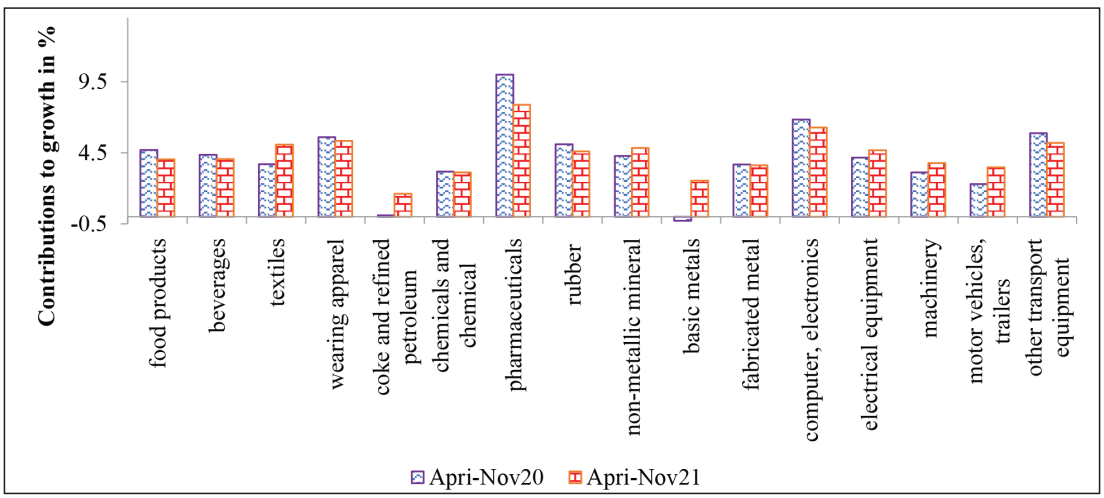

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

तालिका 3: विनिर्माण क्षेत्रों में प्रतिशत में वृद्धि

समूह	भार	नवंबर -20	दिसंबर -20	जनवरी -21	फरवरी -21	मार्च-21	अप्रैल -21	मई-21	जून-21	जुलाई -21	अगस्त -21	सितंबर -21	अक्टूबर -21	नवंबर -21
खाद्य उत्पाद	5.3	7.6	-1.7	-1.8	-0.3	17.1	#	13.7	8.4	4.7	9.5	0.5	4.8	-1.3
पेय पदार्थ	1.0	-15.3	-7.7	-7.6	-12.9	26.5	#	-0.2	-2.3	14.3	12.4	2	5.6	0.8
तंबाकू उत्पाद	0.8	-7.5	-2.1	-4.3	-7.8	24.6	#	77.9	-19.2	-22.2	3.2	7.5	8.9	2.5
कपड़ा	3.3	-9	-7	-5.6	-2.7	19.2	#	161.9	76.4	25.5	24.4	13.5	11.2	8
परिधान	1.3	-26.9	-18	-20.3	-14.9	24.4	#	33.9	3.9	3.8	26.6	-0.6	36.7	33.4

चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद	0.5	-8.7	-5.6	-4.4	-7.5	22.4	#	28.1	-5.6	3.6	0.5	-11.1	-11	-8.4
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कॉर्क	0.2	3.6	-4.2	7.5	-6.4	46.1	#	85.4	32.3	24.2	28.9	-5.8	-2.4	-4.3
कागज और कागज उत्पाद	0.9	-22.2	-17	-12.6	-10.9	29.6	#	56.5	-8	27	4.8	19.9	21.6	11.9
रिकॉर्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन	0.7	-17.4	-19.9	-25.4	-28.5	2.2	#	17.7	-2.1	-0.1	5.7	2.2	7.1	3
कोक एवं परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	11.8	-3.3	-0.7	-0.5	-9.4	-1.1	#	18.7	5.4	7.8	11.4	5.1	13.3	3.3
रसायन उत्पाद	7.9	0.2	7.2	5.4	-2.2	26.5	#	13.8	-0.9	4.7	5	-1.8	-2.4	-1.9
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	5.0	-1	6.7	-8.8	-5	36.8	#	-7.3	-4.3	-6	5.4	1.1	-1.1	2.7
रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद	2.4	6.4	8.9	6	2.3	47.4	#	39.1	8.5	8	9.9	0.3	-7.1	-5.5
अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद	4.1	-3.8	-4.8	-6.1	-6.8	30.9	#	20.7	8	20.4	27	11.6	10.4	-2.8
मूल धातु	12.8	3.1	6.3	6.6	-3.5	29.2	#	54.8	24.3	11.8	9.8	6.2	7	7.3
मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद	2.7	-6.6	3.3	-1	-2.3	39.5	#	45.7	18.4	10.1	12	-3.6	-8	-2.1
कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद	1.6	-15.3	21.4	-1.7	20.9	105	#	47.6	9.4	-4.5	-4.6	-2.2	0.1	8.5
विद्युत उपकरण	3.0	-0.3	9.6	-2.9	3.4	54.2	#	94.9	36.5	43.3	36.3	13.9	-4.2	-6.6
मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	4.8	-2.7	9.6	-7.2	-1.6	50.2	#	71.1	20.1	27.5	17.6	3.4	-6.8	-13.9
मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर	4.9	0	6.8	-0.6	5.6	79	#	186	63.5	37.7	10	-9.1	-11.7	-9.2
अन्य परिवहन उपकरण	1.8	-0.1	-8	6	2.7	34.8	#	128.9	43	18.3	-6.3	-17.1	-15.7	-22.4
फर्नीचर	0.1	-26.8	-10.1	-19.3	-19.4	1.4	#	95.9	9.1	2.5	-8.5	2.6	9.4	23.1
अन्य निर्माण	0.9	0.2	-3.2	-3.3	4.1	50.8	#	135	46.4	69.4	69.6	57.9	38	4.7

लाल – नकारात्मक वृद्धि, पीली – वृद्धि दर सकारात्मक किन्तु 5 प्रतिशत से कम, हरा – सकारात्मक दर और 5 प्रतिशत से अधिक
स्रोत: डीपीआईआईटी डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना # आईआईपी के लिए 11 जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए, अप्रैल 2021 के सूचकांकों की तुलना अप्रैल 2020 के सूचकांकों से नहीं की जा सकती है।

आठ प्रमुख सूचकांक (आईसीआई)

8.6 आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) का मासिक सूचकांक कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट तथा बिजली जैसे चयनित आठ प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ सबसे बुनियादी औद्योगिक क्षेत्रों का सूचकांक है और आईआईपी में भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।

चित्र 6 : आठ प्रमुख उद्योगों एवं आईआईपी का सूचकांक

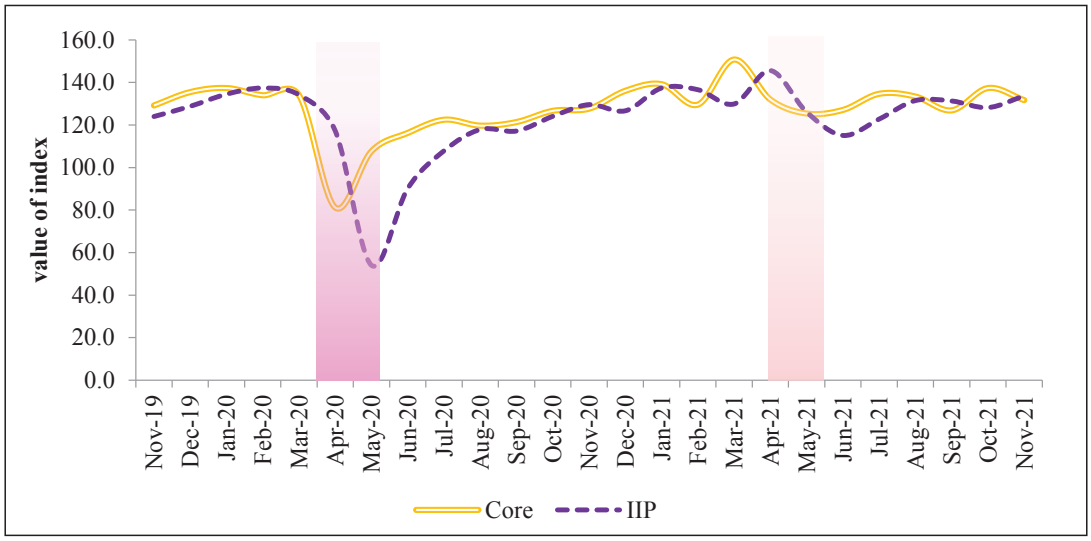

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डीपीआईआईटी डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

8.7. वर्ष 2021-22 अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान आईसीआई सूचकांक की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में (-)11.1 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत थी। आईसीआई में यह तेजी मुख्यत: स्टील, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली में बेहतर प्रदर्शन से प्रेरित है। उर्वरक तथा कच्चे तेल में क्रमश: 0.6 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

चित्र 7 : आठ प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि - प्रतिशत में

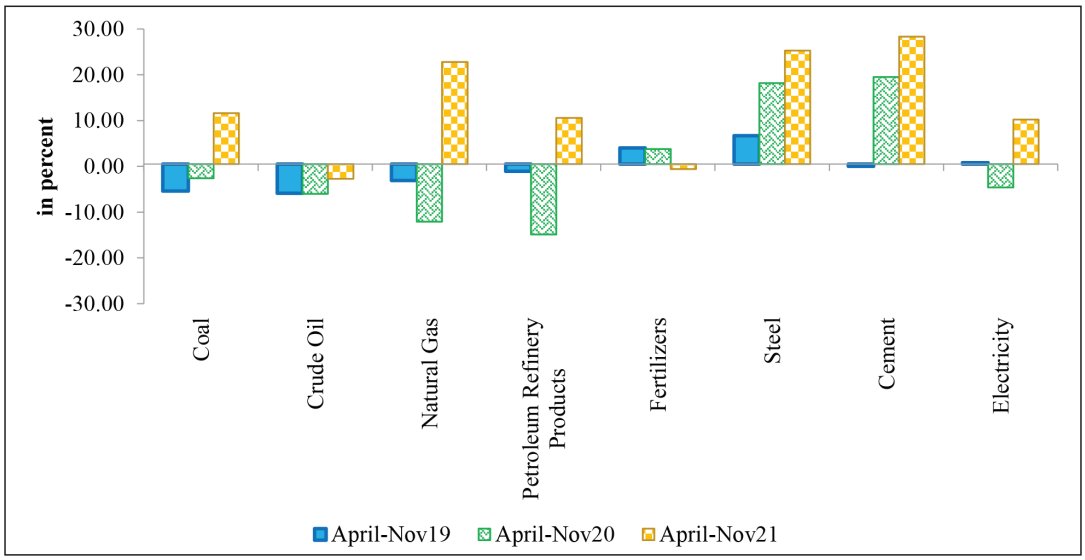

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डीपीआईआईटी डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

8.8 आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ने वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में वर्ष 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में कच्चे तेल तथा उर्वरक को छोड़कर इसके लगभग सभी घटकों में वृद्धि दिखाई है (चित्र 7)। चित्र 8 फरवरी 2020 एवं नवंबर 2019 में मूल्यों के प्रतिशत के रूप में नवंबर 2021 में मुख्य उद्योगों की सुधार को दर्शाता है। फरवरी 2020 के स्तर की तुलना में स्टील, कच्चा तेल, उर्वरक, बिजली और प्राकृतिक गैस में सुधार हुआ है। इसके अलावा, स्टील, उर्वरक, बिजली, प्राकृतिक गैस और कोयले के सूचकांक का मूल्य भी लॉकडाउन के पूर्व के स्तर (नवंबर 2019) से अधिक है।

चित्र 8: फरवरी 20 तथा नवंबर 19 के प्रतिशत के रूप में अक्टूबर 21 में आठ कोर सूचकांक

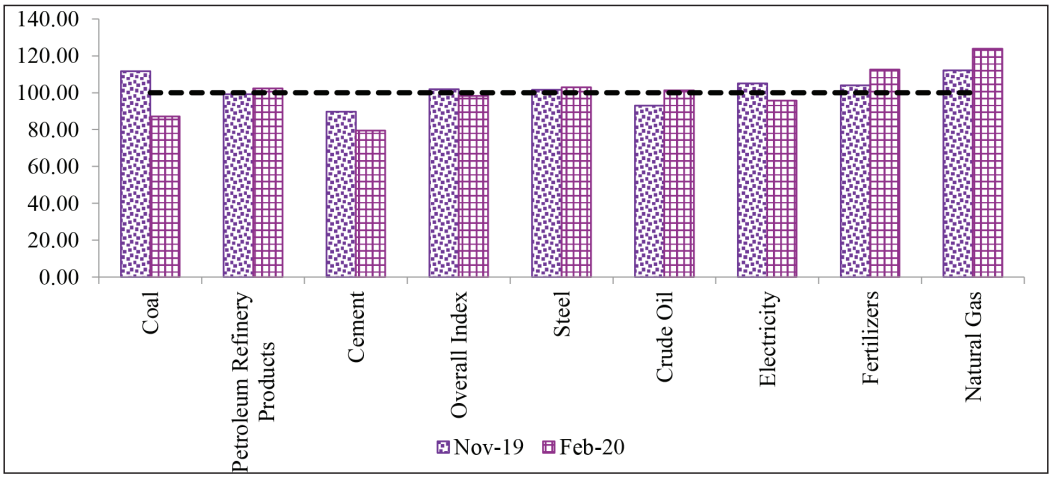

स्रोत: डीपीआईआईटी डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

8.9 क्षमता उपयोग (सीयू) अर्थव्यवस्था की मांग तथा निवेश संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। सीयू दरें काफी हद तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण गतिविधियों की गति को पता लगाने में सक्षम हैं। आईआईपी-विनिर्माण सूचकांक तथा क्षमता उपयोग की वृद्धि दर भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए मांग की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है (चित्र 9)। यह स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान सीयू की सीमा में काफी कमी आई क्योंकि देश में कड़ा प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, कोविड-19 (वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही) की दूसरी लहर के दौरान यह कम गंभीर था। कुल स्तर पर, विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्षमता उपयोग वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 40 प्रतिशत तक गिर गया और फिर वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में बढ़कर 69.4 हो गया। हालांकि यह वित्तीय वर्ष 2022 के पहली तिमाही में गिरकर 60.0 पर आ गया।

चित्र 9 क्षमता उपयोग और आईआईपी (विनिर्माण)

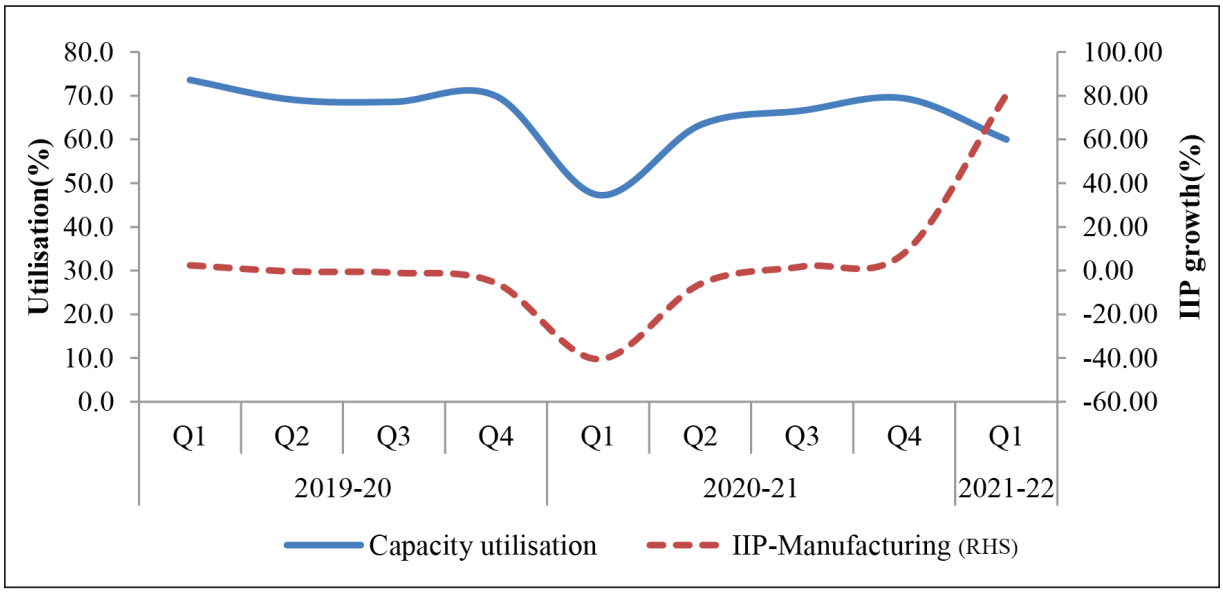

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना

8.10. आर्थिक प्रदर्शन के बारे में आशावाद का एक और संकेत भारतीय रिजर्व बैंक का व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक (बीईआई) है। यह सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थिति की एक झलक देता है जिसमें समग्र व्यावसायिक स्थिति, उत्पादन, ऑर्डर बुक, कच्चे माल की सूची और निर्मित वस्तु, लाभ मार्जिन, रोजगार, निर्यात तथा क्षमता उपयोग शामिल हैं। वर्ष की पहली तिमाही में महामारी की शुरुआत के कारण वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में केवल मामूली गिरावट के साथ बीईआई स्थिर रहा (चित्र 10)। उसके बाद यह तेजी पर है। यह उसी वर्ष की पहली तिमाही में 119.6 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में बढ़कर 124. 1 तथा वित्तीय वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 135.7 हो गया। डेटा में वृद्धि से पता चलता है कि निर्माता वित्तीय वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में समग्र व्यावसायिक स्थिति में और सुधार हुआ और वित्तीय वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के लिए आशावाद प्रदर्शित करता है । क्षमता उपयोग तथा रोजगार की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

चित्र 10 विनिर्माण सूचकांक तथा व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक

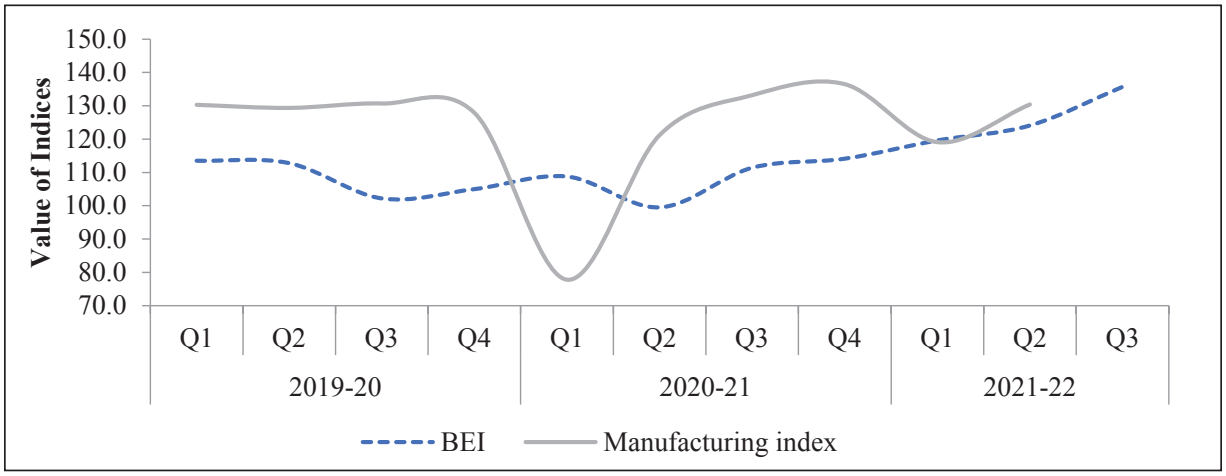

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना

सकल अचल पूंजी निर्माण

8.11 सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) मशीनरी एवं उपकरण, अमूर्त संपत्ति जैसी अचल संपत्तियों का सकल जोड़, तथा अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थिति को इंगित करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, अर्थव्यवस्था में कुल जीएफसीएफ में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी (चालू कीमतों पर) 30.1 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 31 प्रतिशत से थोड़ा कम है (चित्र 11)। औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, जीएफसीएफ में विनिर्माण का हिस्सा 51 प्रतिशत था, इसके बाद बिजली 23 प्रतिशत, निर्माण 21 प्रतिशत तथा खनन 5 प्रतिशत था। जबकि कुल जीएफसीएफ (स्थिर कीमतों पर) वर्ष 2018-19 में 9.9 प्रतिशत तथा औद्योगिक जीएफसीएफ में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2019-20 में क्रमशः 5.4 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चित्र 12) । वर्ष 2019-20 के दौरान, खनन तथा बिजली क्षेत्रों में जीएफसीएफ ने क्रमशः 12.9 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, लेकिन जीएफसीएफ में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्र में 10.2 और 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चित्र 11 औद्योगिक क्षेत्रों में जीएफसीएफ

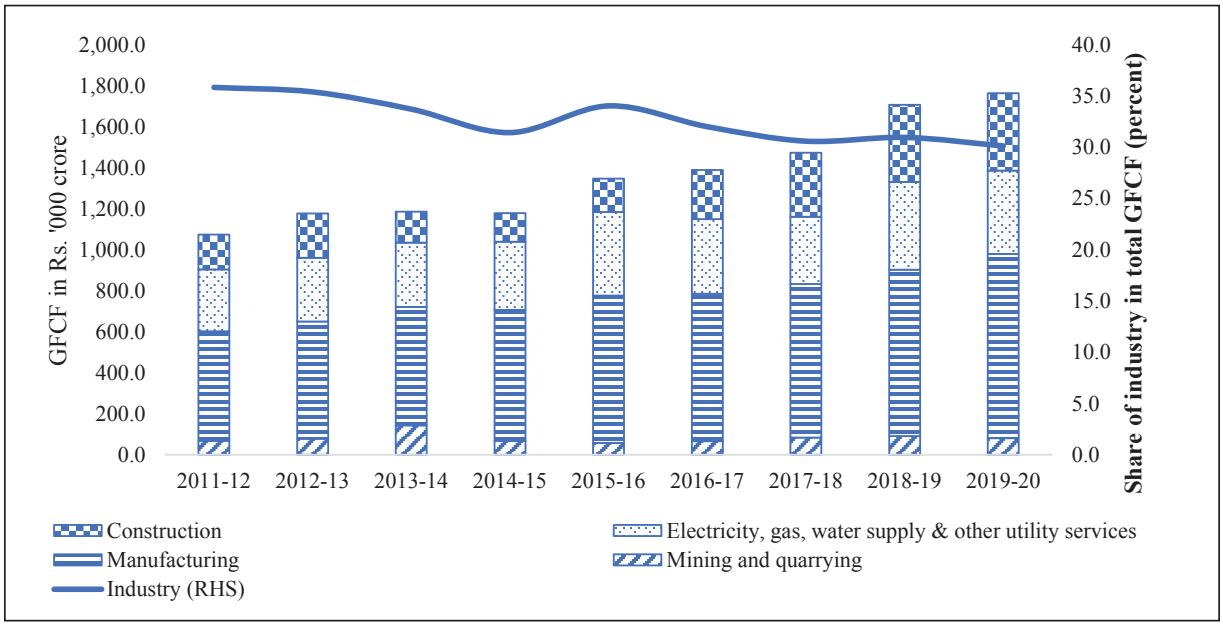

स्रोत: स्थिर कीमतों पर जीएफसीएफ के आधार पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

चित्र 12 : कुल और औद्योगिक जीएफसीएफ - प्रतिशत में वृद्धि

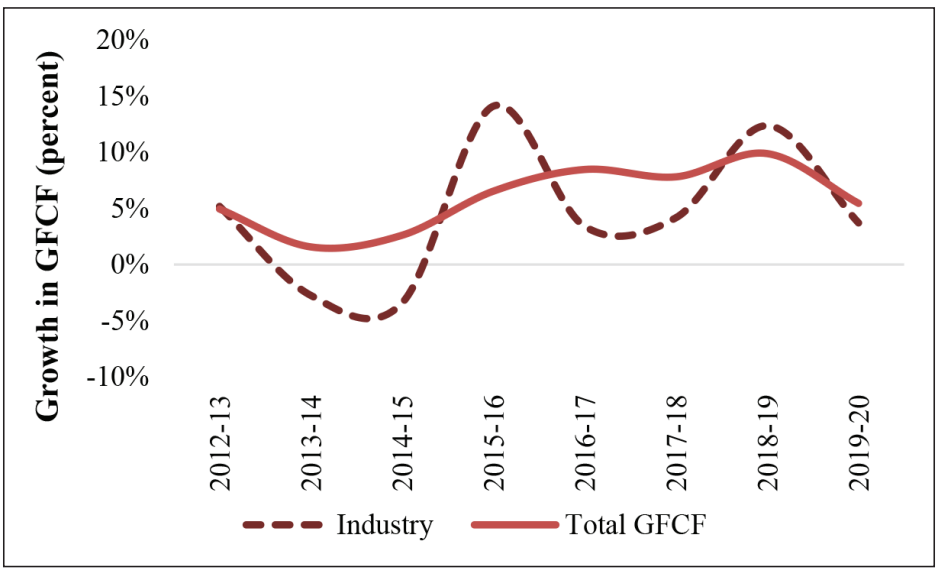

स्रोत: स्थिर कीमतों पर जीएफसीएफ के आधार पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना।

उद्योग में ऋण

8.12 औद्योगिक क्षेत्र को सकल बैंक ऋण, अक्टूबर 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर 2020 में 0.7 वृद्धि की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। गैर-खाद्य ऋण में उद्योग की हिस्सेदारी अक्टूबर 2021 में 26 प्रतिशत थी। खनन, कपड़ा, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद तथा परमाणु ईंधन, रबर, प्लास्टिक तथा आधारभूत संरचना जैसे कुछ उद्योगों ने ऋण वृद्धि में लगातार सुधार दिखाया है।

तालिका 4 सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार परिनियोजन - निवारण में भिन्नता (वर्ष-दर-वर्ष)

उद्योग	अक्टूबर-20	मार्च-21	अक्टूबर-21
खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	4.2	4.9	16.5
खाद्य प्रसंस्करण	5.1	7.8	6.5
पेय और तंबाकू	2.5	-3.6	0.5
कपड़ा	-0.2	4.7	7.0
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	6.3	1.8	-3.3
लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	7.0	8.6	6.1
कागज तथा कागज उत्पाद	10.2	14.7	9.9
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन	14.9	-8.1	13.1
रसायन और रासायनिक उत्पाद	-2.3	-6.5	7.1
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	5.4	6.2	23.8
कांच और कांच के बने पदार्थ	1.4	-5.1	-15.8
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-4.6	-10.1	-21.5
मूल धातु और धातु उत्पाद	-4.7	-6.1	-16.3
सभी इंजीनियरिंग	-16.8	-6.3	6.6
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	7.1	1.3	-6.1
रत्न और आभूषण	-3.4	-1.6	9.2
निर्माण	4.1	-8.2	-6.0
आधारभूत संरचना	0.1	3.7	8.9
अन्य उद्योग	0.6	4.5	10.9
इंडस्ट्रीज	**-0.7**	**0.5**	**4.1**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना

चित्र 13: उद्योग को ऋण और कुल गैर-खाद्य ऋण में उसका हिस्सा (प्रतिशत)

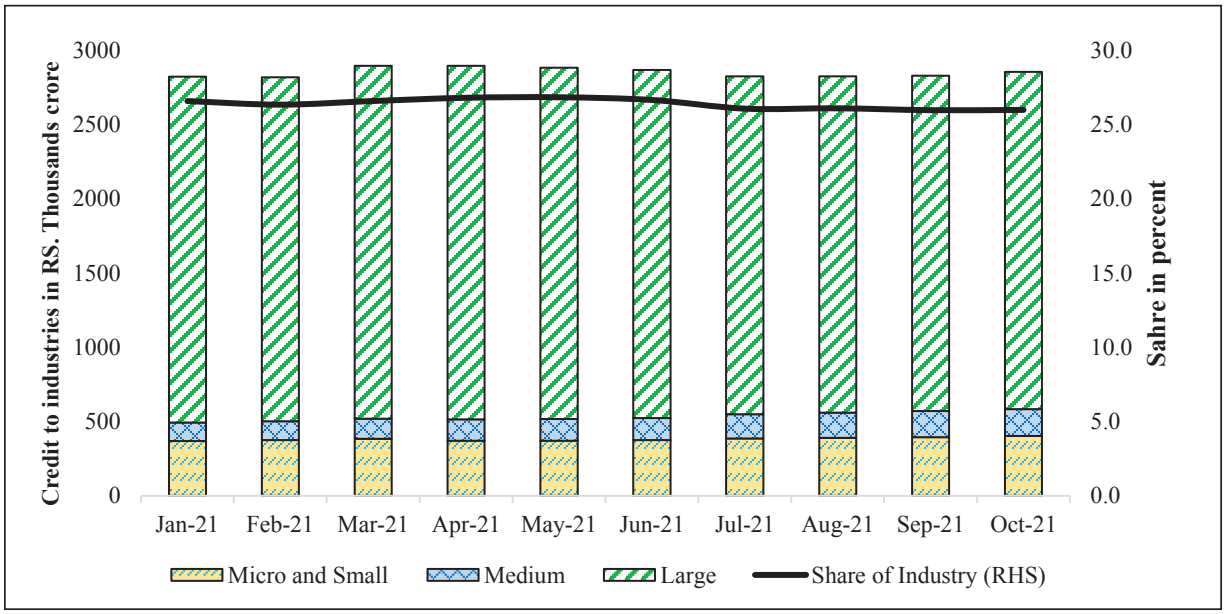

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना

उद्योगों में एफडीआई

8.13 सक्षम निवेशक-अनुकूल एफडीआई नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाले एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में भारत में

एफडीआई अंतर्वाह 45.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से इसमें लगातार वृद्धि हुई है। भारत ने वर्ष 2020-21 में 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम) का अपना उच्चतम वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वर्ष 2019-20 में 20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 2021-22 में, पहले छह महीनों में एफडीआई अंतर्वाह 4 प्रतिशत से बढ़कर 42.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 41.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

8.14 पिछले सात वित्तीय वर्षों (2014-21) में, भारत को 440.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ, जो पिछले 21 वर्षों में देश द्वारा प्राप्त एफडीआई का लगभग 58 प्रतिशत (763.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है।

8.15 अवसरवादी अधिग्रहण के विरुद्ध सुनिश्चित करने के लिए एफडीआई नीति ढांचे में और सुधार करने के लिए अप्रैल 2020 से सरकार द्वारा कई पहल (बॉक्स 1) की गई। इन क्षेत्रों के विकास में सहयोग करने के लिए लंबी अवधि की पूंजी, वैश्विक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रचलनों के बढ़ते अंतर्वाह की सुविधा प्रदान करते हुए अधिग्रहण किया गया है।

चित्र 14 : कुल एफडीआई अंतर्वाह

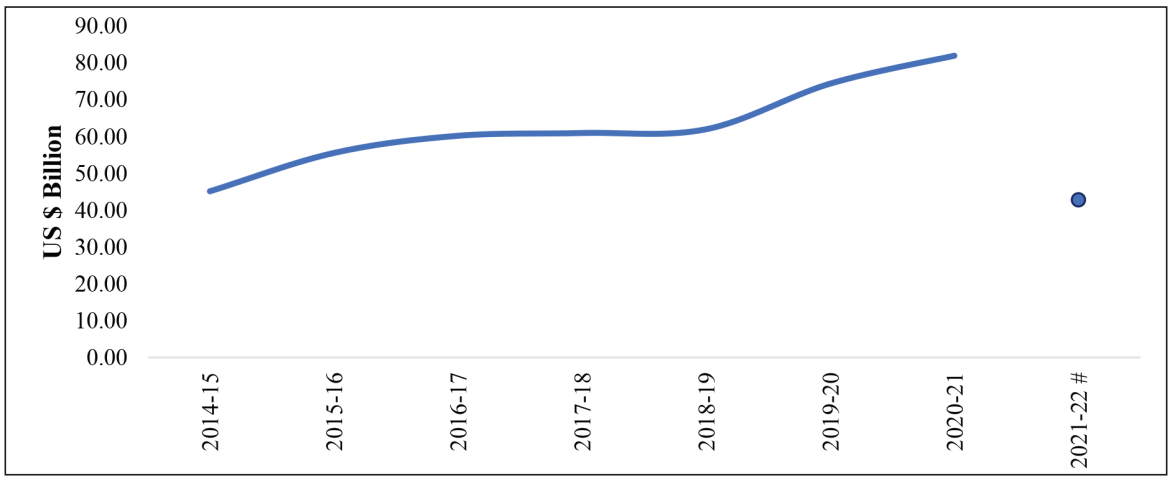

स्रोत: डीपीआईआईटी के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। #अप्रैल से सितंबर 2021

चित्र 15 : विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

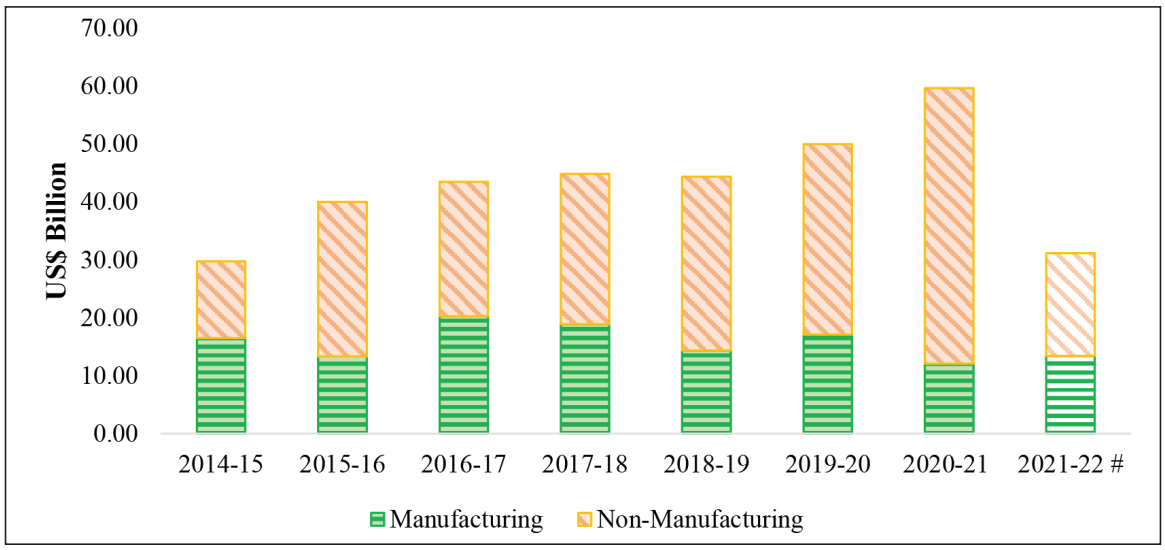

स्रोत: डीपीआईआईटी के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। #अप्रैल से सितंबर 2021

बॉक्स 1: कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान एफडीआई नीति में सुधार तथा अन्य उपाय

एफडीआई नीति में परिवर्तन को बड़े पैमाने पर भारतीय उद्योग को अवसरवादी अधिग्रहण से बचाने के लिए विदेशी भागीदारी में सुधार के लिए किए गए उपायों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ताकि पारदर्शिता एवं प्रक्रियाओं के युक्तिकरण को बढ़ाया जा सके और कार्यान्वयन की निगरानी और तेजी से कदम उठाए जा सके।

क. अधिक विदेशी भागीदारी की स्वीकृति देने के लिए किए गए उपाय

i) रक्षा क्षेत्र: प्रेस नोट 4 (2020 श्रृंखला) दिनांक 17.09.2020 के माध्यम से अधिसूचित एफडीआई नीति संशोधन, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किए गए हैं। अब, नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वचालित (पहले 49 प्रतिशत से) के माध्यम से 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। सरकारी मार्ग के तहत 74 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति होगी। मौजूदा एफडीआई स्वीकृत धारकों/रक्षा लाइसेंसधारियों के लिए, 49 प्रतिशत तक के नए विदेशी निवेश के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप इक्विटी/शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन 30 दिनों के भीतर घोषणा करके किया जा सकता है।

ii) बीमा क्षेत्र: सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत बीमा कंपनियों में अनुमेय एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए प्रेस नोट 2(2021) दिनांक 14.06.2021 जारी किया।

iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र: प्रेस नोट 3 (2021) दिनांक 29.07.2021 को उन मामलों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए जारी किया गया है जहां सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के रणनीतिक विनिवेश के लिएश्सैद्धांतिकश अनुमोदन प्रदान किया है।

iv) दूरसंचार क्षेत्र: दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्वचालित के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए प्रेस नोट 4 (2021) दिनांक 06.10.2021 को जारी किया गया।

ख. अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाना: प्रेस नोट 3 (2020) दिनांक 17.04.2020 के द्वारा, सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन किया, जिसके अनुसार एक देश की एक इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश के लाभकारी स्वामित्व स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है। इसके अलावा, भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मौजूदा या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी स्वामित्व उक्त नीति संशोधन के प्रतिबंध/क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, लाभकारी स्वामित्व में इस तरह के बाद में परिवर्तन होगा सरकार की मंजूरी की भी जरूरत है।

ग. पारदर्शिता में सुधार और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के उपायों में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन शामिल है ताकि एफडीआई प्रस्तावों को संसाधित करने में आसानी हो सके।

घ. एफडीआई निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो आवेदक/निवेशक के साथ एफडीआई प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए पहचान तथा बाधाओं को देखते हुए किया गया है, यदि कोई हो। विलंबित प्रस्तावों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा आगे बढ़ाए गए प्रस्तावों पर उचित निर्णय लेने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रदर्शन

8.16 सीपीएसई भारतीय उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 31.03.2020 तक, 256 सीपीएसई चालू थे। वर्ष 2019-20 के दौरान सीपीएसई के संचालन का कुल शुद्ध लाभ 93,295 करोड़ रुपये रहा। उत्पाद शुल्क, जीएसटी, कॉर्पोरेट कर, लाभांश आदि के माध्यम से सभी सीपीएसई का केंद्रीय खजाने में योगदान 3,76,425 करोड़ रुपये रहा। सभी क्षेत्रों के सीपीएसई में 14,73,810 व्यक्ति कार्यरत थे, जिनमें से 9,21,876 नियमित कर्मचारी थे। 8.2 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ 31.03.2020 तक 58 सूचीबद्ध सीपीएसई थे। वर्ष 2021-22 (31 अक्टूबर 2021 तक) में सीपीएसई ने वार्षिक लक्ष्य 2,69,742 करोड़ की तुलना में 1,06,749 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया। । वर्ष 2020-21 के दौरान, 2,20,249 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की तुलना में केपेक्स के रूप में कुल 2,04,243 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

8.17 केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी है जो सभी गैर-रणनीतिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेगी। सीपीएसई के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 13 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किए गए। इससे सरकार को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र और विकासात्मक कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग करने में मदद मिलेगी, जबकि विनिवेश से विनिवेशित सीपीएसई में निजी पूंजी, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का संचार होगा। सरकार ने दिनांक 4 फरवरी 2021 को नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति को अधिसूचित किया। नई पीएसई नीति में सीपीएसई के रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकरण की परिकल्पना की गई है और कुछ सीपीएसई जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गैर-लाभकारी कंपनियों के रूप में स्थापित या समाज के कमजोर और कमजोर वर्गों का सहयोग करने वालों को नीति के कार्यक्षेत्र से छूट दी गई है। नीति के अनुसार सामरिक क्षेत्र परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत हैं; अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन और दूरसंचार; विद्युत; पेट्रोलियम; कोयला और अन्य खनिज; बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। रणनीतिक क्षेत्रों को वर्गीकृत करने वाले 4 व्यापक बास्केट के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना, ऊर्जा और खनिज और वित्तीय सेवाएं - केवल सीपीएसई की न्यूनतम उपस्थिति को बनाए रखा जाना है। गैर-रणनीतिक सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा या अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नीति सभी गैर-रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है और न्यूनतम सरकार - अधिकतम शासन के विचार को मजबूत करती है।

कॉर्पोरेट प्रदर्शन

8.18 आर्थिक सुधार के साथ, मांग में सहवर्ती सुधार तथा बेहतर व्यावसायिक भाव का कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, अनुकूल आधार प्रभाव के उत्तर में, 1,687 सूचीबद्ध निर्माण कंपनियों की बिक्री ने वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) आधार पर वित्तीय वर्ष 2021 के दूसरी तिमाही में (-)4.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 के दूसरी तिमाही में 34.0 प्रतिशत की स्थिर तथा वृहद-आधारित वृद्धि दर्ज की। इन कंपनियों में व्यय भी वित्तीय वर्ष 2022 के दूसरी तिमाही में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 के दूसरी तिमाही में 7.7 प्रतिशत की कमी थी। चालू वित्त वर्ष में इन कंपनियों के लिए बेहतर लाभ की संभावनाओं को दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 2022 के दूसरी तिमाही में 10.6 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने के लिए महामारी के आघात के बावजूद इन कंपनियों के बिक्री अनुपात का शुद्ध लाभ बढ़ रहा था। कुल मिलाकर बड़े कॉरपोरेट्स की लाभप्रदता में सुधार यह दर्शाता है कि कंपनियों ने महामारी के आघात को अच्छी तरह से सहन किया है और कई कंपनियों ने वापसी की है।

चित्र 16 निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियां - विकास (वर्ष-दर-वर्ष)

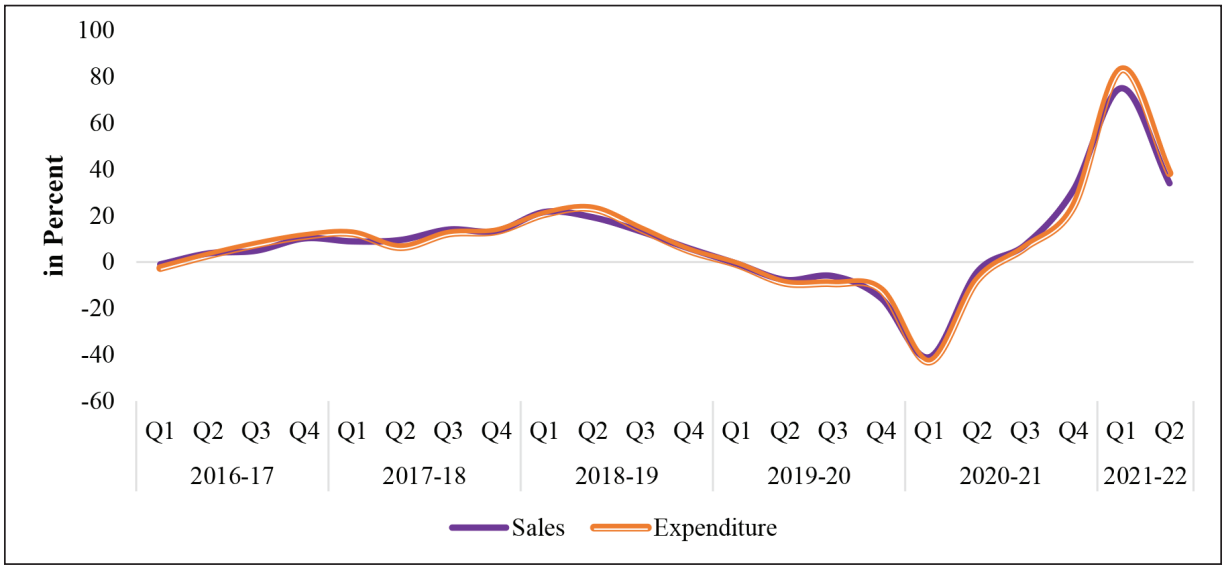

स्रोत: आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना

चित्र 17 : सूचीबद्ध विनिर्माण निजी कंपनियों का बिक्री अनुपात का शुद्ध लाभ

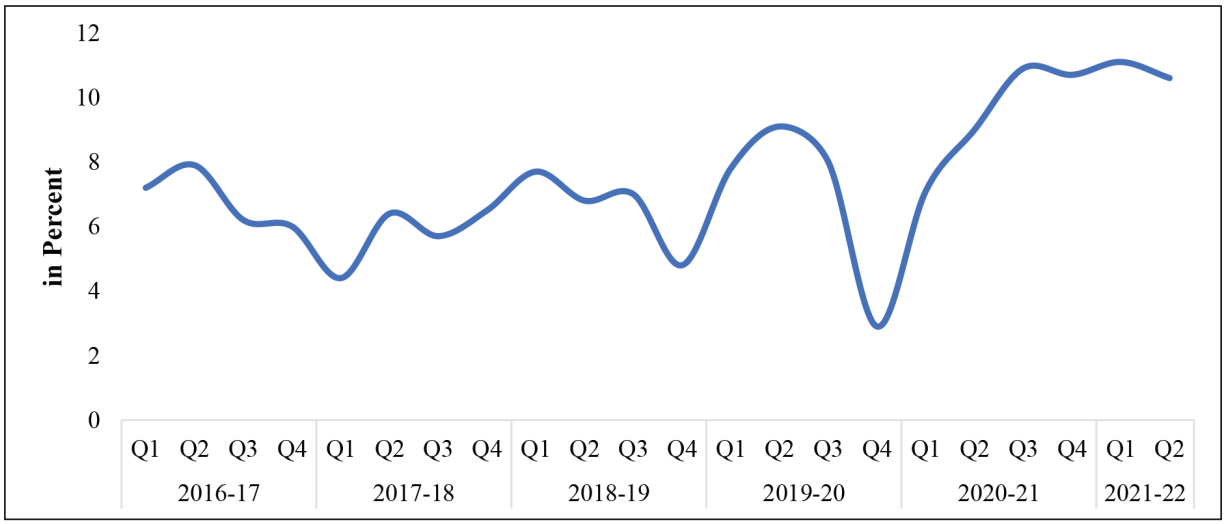

स्रोत: आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना

क्षेत्रवार प्रदर्शन और उद्योग में मुद्दे

इस्पात

8.19 अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के चपेट में आने के बावजूद, इस्पात उद्योग ने वापस उछाल दिखाया है। कच्चे और निर्मित इस्पात का संचयी उत्पादन 2021-22 (अप्रैल-अक्तूबर) में 66.91 (एमटी) और 62.37 (एमटी) रहा, जहां पिछले वर्ष के मुकाबले 25 प्रतिशत और 28.9 प्रतिशत क्रमशः बढ़ोतरी रही (चित्र 18)। इसी अवधि में निर्मित इस्पात का उपभोग 57.39 (एमटी) रहा जोकि 25 प्रतिशत बढ़ा।

चित्र 18 : उत्पादन और क्षमता उपयोग

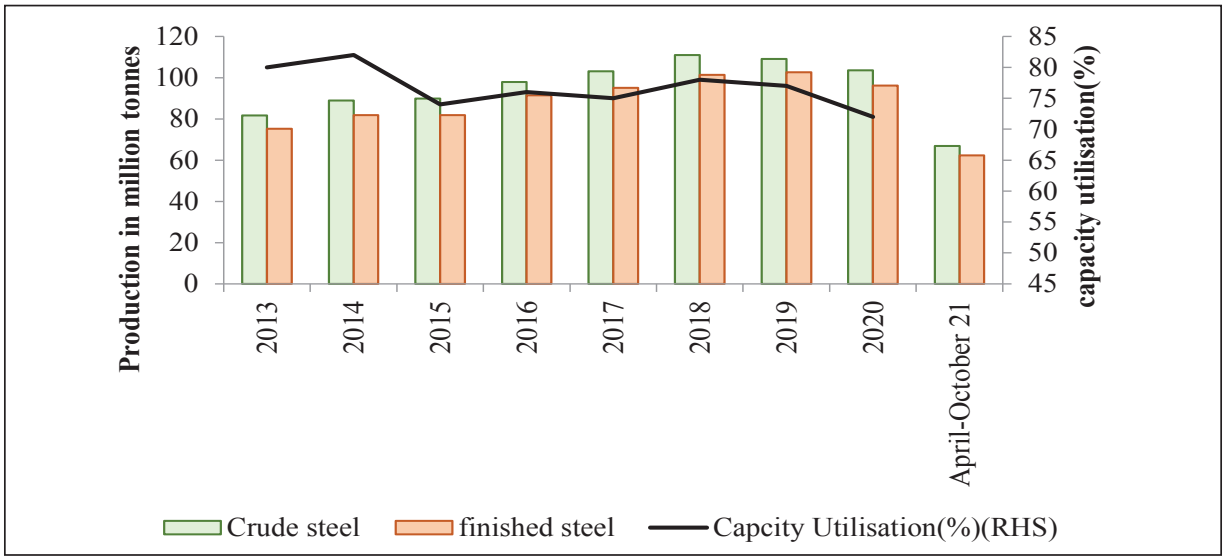

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना 'अनंतिम आंकड़े दर्शाती है

चित्र 19 उत्पादन और खपत - स्टील

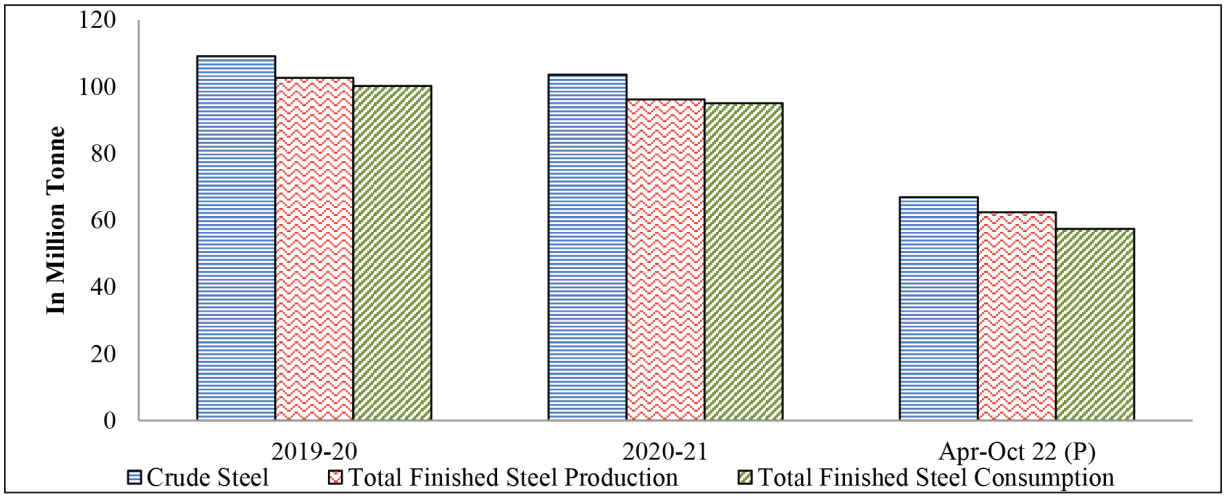

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। पी-अनंतिम

8.20 यह बताना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन मंद हो गया है। इस्पात के विश्व उत्पादन में कमी वैश्विक उत्पादन में कमी के कारण है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (नवंबर 2021) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 143.3 मिलियन टन (एमटी) था, जो नवंबर 2020 की तुलना में 9.9 प्रतिशत कम है। आर्थिक सुधार के साथ, इस वर्ष तथा अगले वर्ष भी इस्पात की वैश्विक मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस्पात उद्योग को अगले वित्त वर्ष में भी मांग में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। यह मुख्यत: सड़कों, रेलवे और रक्षा उत्पादन सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत सरकार के ध्यान केन्द्रित करने के कारण है। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना मूल्य वर्धित इस्पात में निवेश के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उचित समय पर है, जो आंतरिक खपत के साथ-साथ निर्यात के लिए इसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। अतिरिक्त उपाय जैसे घरेलू निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जिसमें कार्बन इस्पात, मिश्र धातु इस्पात, टिन प्लेट, टिन मुक्त स्टील और स्टेनलेस स्टील शामिल हैं, और अनुसंधान तथा विकास योजना जैसे ''लौह एवं इस्पात क्षेत्र'' और अनुसंधान तथा विकास में बढ़ावा देना और इस क्षेत्र के समक्ष आने वाले तकनीकी मुद्दों का समाधान करने

के लिए उद्योग को सशक्त करने और यह सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखता है कि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि स्थायी तरीके से हासिल की जाए।

कोयला

8.21. कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन है और देश की ऊर्जा आवश्यकता का 55 प्रतिशत हिस्सा है। अप्रैल-अक्टूबर 2020 में (-) 3.91 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2021 में कोयला उत्पादन में 12.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 730.87 मिलियन पिछले वर्ष 2019-20 में टन की तुलना में 716.08 मिलियन टन (अनंतिम) था। (चित्र 20)।

चित्र 20 कोयले का उत्पादन, मांग और आयात

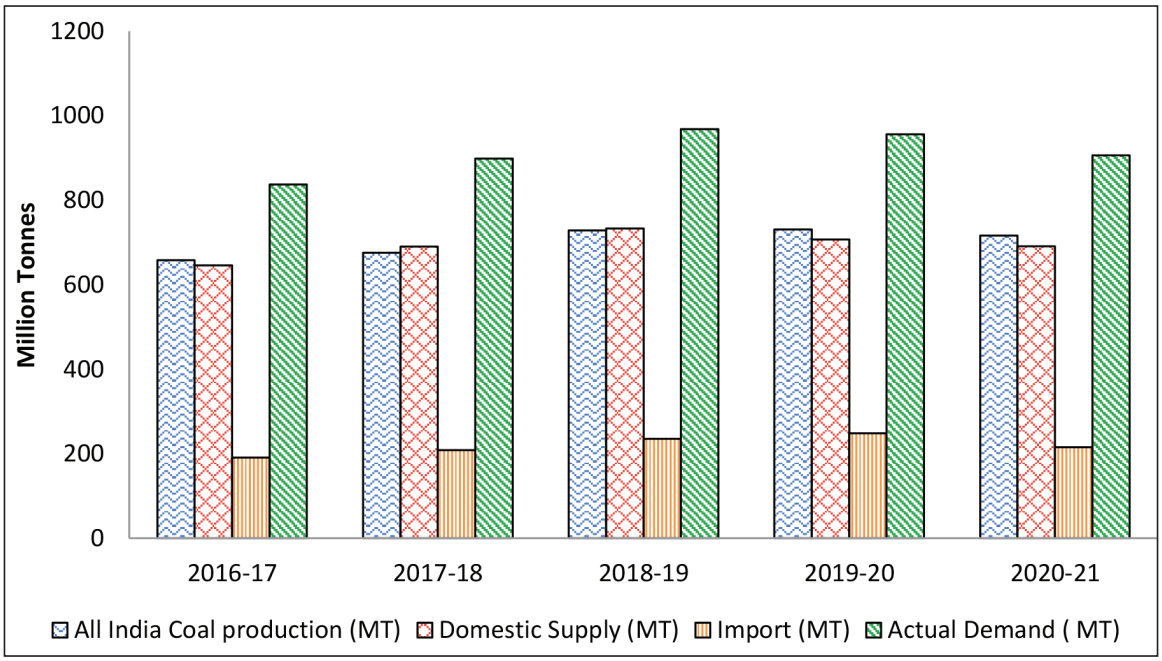

स्रोत: कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना

8.22 नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद, नीति आयोग की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे के अनुसार, कोयले की मांग वर्ष 2030 तक 1.3-1.5 बिलियन टन के बीच रहने की उम्मीद है। बहरहाल, कोयला लिग्नाइट उत्पादक सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। वर्ष 2020-21 तक, सार्वजनिक उपक्रमों ने 56000 हेक्टेयर भूमि को हरित आवरण के तहत लाया था, जिससे लगभग 5.0 लाख टन CO_2 समकक्ष/वर्ष का कार्बन सिंक बन गया था। वर्ष 2030 तक लगभग 75 मिलियन वृक्ष लगाकर लगभग 30000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि (कोयला खनन क्षेत्रों में और आसपास) को हरित आवरण के तहत लाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2021 तक, सार्वजनिक उपक्रमों ने 1496 मेगावाट की अक्षय क्षमता स्थापित की है और अगले 5 वर्षों के दौरान पर्याप्त कार्बन ऑफसेट क्षमता के साथ अतिरिक्त 5560 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने की योजना है।

8.23. निजी क्षेत्र के लिए कोयला खनन को खोलना कोयला क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार है। यह कोयला उत्पादन में दक्षता और प्रतिस्पर्धा लाएगा, निवेश और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा, और कोयला क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने में मदद करेगा। अब तक 28 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इनमें से 27 कोयला खदानों की नीलामी निजी कंपनियों को की जा चुकी है। 88 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम

8.24 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्यमिता को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमई के सापेक्ष महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019-20 के लिए कुल जीवीए (चालू मूल्य) में एमएसएमई जीवीए की हिस्सेदारी 33.08 प्रतिशत थी।

8.25 सरकार ने एमएसएमई को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में दिनांक 1 जुलाई 2020 से प्रभावी एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन ने निवेश और वार्षिक कारोबार और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र (तालिका 5) के लिए समान सीमाओं का एक समग्र-मानदंड पेश किया। एमएसएमई की संशोधित परिभाषा इन उद्यमों के विस्तार और विकास को सुगम बनाएगी। पैमाने की परिणामी अर्थव्यवस्थाएं एमएसएमई के बिना बाजार के सहयोग के, निर्यात प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर खरीद और सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के माध्यम से प्रोत्साहन सहित कई सरकारी प्रोत्साहनों के बिना उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (एसएफयूआरटीआई) और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना है। यह सक्षम वातावरण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और एमएसएमई के बीच हीनता से बच जाएगा। एमएसएमई के लिए व्यवसाय सुगमता में सुधार के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में जुलाई 2020 में नए उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इसके तहत पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, डिजिटल, कागज-रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकरण के लिए किसी दस्तावेज या प्रमाण को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए आधार और पैन की आवश्यकता होती है और उद्यमों के निवेश और कारोबार पर विवरण संबंधित सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से लिया जाता है। नई पंजीकरण प्रक्रिया ने लेनदेन के समय और लागत को कम करके एमएसएमई के लिए व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा दिया है। दिनांक 17.01.2022 तक, 66,34,006 उद्यमों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 62,79,858 सूक्ष्म, 3,19,793 लघु, और 34,355 मध्यम उद्यम हैं। इसके अलावा, नए उपायों में, खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल किया गया था और उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति है। हालाँकि, खुदरा और थोक व्यापार एमएसएमई का लाभ केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने तक ही सीमित रखा जाना है। इस संबंध में, अब, स्ट्रीट वेंडर्स उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल पर खुदरा व्यापारियों के रूप में भी पंजीकरण कर सकते हैं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लाभ उठा सकते हैं।

तालिका 5 : एमएसएमई की परिभाषा ख़ पुरानी तथा नई

	पुरानी परिभाषा		नई परिभाषा	
	विनिर्माण	सेवा	विनिर्माण	सेवा
सूक्ष्म	संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश: 25 लाख रुपये से कम ।	उपकरण में निवेश: 10 लाख रुपये से कम ।	संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण और कारोबार में निवेश: संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	
लघु	संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश: 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम।	उपकरण में निवेश: 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम ।	संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण और कारोबार में निवेश: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	

मध्यम	संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश: 5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम। ,	उपकरण में निवेश: 2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम ।	संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण और कारोबार में निवेश: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

8.26 चौम्पियन पोर्टल (www.champions.gov.in) एक आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो लघु इकाइयों को उनकी मदद करके बड़ी बनाने के लिए है। हब एंड स्पोक मॉडल में नियंत्रण कक्षों का एक नेटवर्क बनाया गया है जिसका हब एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्ली में स्थित है, जबकि 68 स्पोक मॉडल के विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में देश भर में स्थित हैं। दिनांक 16.01.2022 तक 42,304 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 41,965 (99.1%) शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है।

पोर्टल की प्रमुख विशेषतायेँ इस प्रकार हैं:

• सूचना प्रसार: एमएसएमई क्षेत्र में हाल के विकास पर नियमित अद्यतन।

• शिकायतों का तेजी से समाधान करने की दृष्टि से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, बड़ी संख्या में निजी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और सीपीएसई को पोर्टल पर जोड़ा गया है।

• शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की योजना/कार्यक्रमवार मैपिंग।

• एमएसएमई समाधान, उद्यम पंजीकरण, सीपीजीआरएम आदि जैसे विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकरण।

कपड़ा

8.27 कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है। पिछले एक दशक में इस उद्योग में लगभग 105 मिलियन लोगों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ लगभग 203,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाएं हैं। लॉकडाउन से उद्योग बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद, इसने अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान विकास में 3.6 प्रतिशत की सकारात्मक योगदान के साथ उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, जैसा कि आईआईपी द्वारा दर्शाया गया है।

8.28 भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए सितंबर 2021 में अधिसूचित मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) भाग और तकनीकी वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 40 एमएमएफ परिधान तथा 10 तकनीकी वस्त्र लाइनों को बढ़ावा देने और वैश्विक चौंपियन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह अनुमान है कि पांच वर्षों की अवधि में, कपड़ा के लिए पीएलआई योजना से 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा, इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी कारोबार हासिल किया जाएगा और इस क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

8.29 इसके अलावा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख सहयोग में, सरकार ने अक्टूबर 2021 में 4,445 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 7 पीएम मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क (मित्र) की स्थापना को अधिसूचित किया। इस योजना से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की उम्मीद है। पीएम मित्र 5एफ के फार्म से फाइबर तक प्रेरित; कारखाने के लिए फाइबर; फैशन के लिए कारखाना; फैशन टू फॉरेन-टेक्सटाइल उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत वृहद पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे की सुविधा विकसित करके कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करेगा। इससे रसद लागत कम होने की उम्मीद है और भारत को निवेश आकर्षित

करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पीएम मित्र पार्क को ₹300 करोड़ की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) भी प्रदान की जाएगी। एक नई परियोजना के लिए इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण है जो हानि-रहित व्यापार करने में सक्षम है और जब तक यह उत्पादन को बढ़ाने और अपनी व्यवहार्यता स्थापित करने में सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक सहयोग अपेक्षित होती है। पीएम मित्र पार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में राज्य एवं भारत सरकार के पास होगा।

इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग

8.30 विश्व में, इलेक्ट्रॉनिक्स को 'मेटा-संसाधन' के रूप में मान्यता प्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी से मांग प्राप्त कर रहा है। आधारभूत संरचना के विकास, उत्पादकता बढ़ाने, सेवा वितरण में दक्षता बढ़ाने और सामाजिक परिवर्तन को सक्षम करने में इसके प्रभाव के साथ, इसे देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

8.31 सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण को उच्च प्राथमिकता देती है। इसलिए सरकार ने 25.02.2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 (एनपीई 2019) पर राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया है ताकि भारत को चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करके इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एनपीई 2019 (i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, (ii) आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के माध्यम से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करने का प्रयास; (iii) इलेक्ट्रॉनिक घटकों तथा सेमी-कंडक्टर (एसपीईसीएस) के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना; और (iv) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 (ईएमसी 2.0)। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई को 01 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया है जो मोबाइल फोन निर्माण और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयां (पीएलआई योजना के विवरण के लिए बॉक्स 3 देखें) सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में शामिल योग्य कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4 से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान करता है। जून 2021 के तिमाही राजस्व वसूली (क्यूआरआर) के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप रुपये का निवेश हुआ है। 2,595 करोड़ रुपये और उत्पादन 67,275 करोड़ रुपये, जिसमें से 31 प्रतिशत या 20,568 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को 03 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जो भारत में निर्मित और लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाले माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 1 से 4 प्रतिशत की सीमा में प्रोत्साहन प्रदान करती है। चार (4) वर्ष की अवधि। पीएलआई योजना के तहत लक्षित खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के क्यूआरआर के अनुसार, लक्षित खंड में विनिर्मित वस्तुओं की कुल बिक्री रु. 503 करोड़ रुपये के साथ। 16.50 करोड़ का निवेश इसके अलावा, सरकार ने SPECS योजना और इएमसी 2.0 के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में और प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से प्लग एंड प्ले सुविधाओं का निर्माण करके एक सक्षम वातावरण प्रदान किया है। जून 2021 की तिमाही राजस्व वसूली (क्यूआरआर) के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप 2,595 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 67,275 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 31 प्रतिशत या 20,568 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को 03 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया, जो चार वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्षित भाग के अंतर्गत आने वाले माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 1 से 4 प्रतिशत की सीमा में प्रोत्साहन प्रदान करती है। पीएलआई योजना के तहत लक्षित भाग में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दूसरी तिमाही के क्यूआरआर के अनुसार, लाक्षित भाग में विनिर्मित वस्तुओं की कुल बिक्री 16.50 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 503 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, सरकार ने स्पेक्स योजना के माध्यम से और ईएमसी 2.0 ने पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में

और प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से प्लग एंड प्ले सुविधाओं का निर्माण करके एक सक्षम वातावरण प्रदान किया है।

8.32 हाल ही में, सरकार ने सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये (>अमेरिकी डॉलर 10 बिलियन) के परिव्यय को मंजूरी दी है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भागीदारी ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था आपूर्ति श्रृंखलाओं में गंभीर व्यवधानों के कारण सेमीकंडक्टर की भारी कमी का सामना कर रही है। आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने के प्रतिक्रिया में विविध उद्योगों की कई कंपनियों को या तो उत्पादन बंद करने या उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया। सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई और अन्य योजनाएं न केवल घरेलू कंपनियों को कोविड-19 की चुनौतियों से पार पाने में मदद करेंगी, बल्कि उन्हें विशेष रूप से चिप बनाने में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में भी मदद करेंगी। सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल और इसके घटकों, इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा उपकरणों में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक का अभिन्न अंग हैं। सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे व्यापक भागीदारी एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता करेंगे जो भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देगा।

बॉक्स 2 - "परख" - एक एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क

यह स्वीकार करते हुए कि परीक्षण और प्रमाणीकरण भारतीय वस्तु एवं सेवा की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जून 2021 में "परख" नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया है, जिसमें देश में सभी मान्यता प्राप्त, प्रमाणित और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर मापा जाएगा। यह संयुक्त प्रयोगशाला नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, गुजरात (बिसाग) और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से विकसित किया गया। एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं सहित 6,580 से अधिक प्रयोगशालाओं को पहले ही पोर्टल पर मैप किया जा चुका है। इनमें 477 बीआईएस पैनलबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। एफएसएसएआई, ईआईसी, एपीईडीए एवं सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भी पोर्टल पर मैप किया गया है। पोर्टल किसी राज्य या शहर में किसी विशेष उत्पाद, मानक, परीक्षण पद्धति के लिए प्रयोगशालाओं की खोज करना और आस-पास की प्रयोगशालाओं को खोजना संभव बनाता है। यह एक प्रयोगशाला की मान्यता और परीक्षण विधियों के दायरे को खोजने में भी सक्षम बनाता है। पोर्टल नई निजी प्रयोगशालाओं को जोड़ने और इसके माध्यम से परीक्षण की बुकिंग की अनुमति देता है।.

बॉक्स 3 - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं

मार्च 2020 में शुरू की गई पीएलआई योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयास की आधारशिला हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व हासिल करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार-चढ़ाव और आघात सहने के लिए अधिक तैयार रहना है - जैसा कि 1991 के पूर्व के संरक्षणवादी दृष्टिकोण के विपरीत था। इस योजना का उद्देश्य नवोदित एवं रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, घरेलू क्षमता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय कंपनियों की पैठ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ नवीनतम तकनीक को पेश करने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए क्षेत्रों की क्षमताओं के आधार पर क्षेत्रों का चयन किया गया है।

इस योजना से घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विनिर्माण में वैश्विक चौंपियन बनने की उम्मीद है। सरकार ने पहले ही 13 क्षेत्रों में 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है। हाल ही में 14वें सेक्टर में पीएलआई - ड्रोन और ड्रोन घटकों को 120 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ शामिल किया गया है। प्रारंभिक 13 क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, दवा मध्यस्थ और एपीआई, मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, फार्मास्युटिकल दवाएं, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, दूरसंचार, खाद्य उत्पाद, सफेद सामान (एसी और एलईडी), उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स : मैन मेड फैब्रिक सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स और स्पेशलिटी स्टील शामिल हैं। अब तक, 13 प्रारंभिक योजनाओं को अधिसूचित किया गया है और जहां आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अधिसूचित पहली तीन योजनाएं मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों, एपीआई/ड्रग इंटरमीडिएट और चिकित्सा उपकरणों के लिए थीं। मोबाइल फोन और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मामले में, पहले दौर में 36440 करोड़ रुपये के 16 आवेदनों को मंजूरी दी गई और दूसरे दौर में 483 करोड़ रुपये के 18 आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। एपीआई/ड्रग इंटरमीडिएट और चिकित्सा उपकरणों के मामले में, 4347.26 करोड़ रुपये के 42 आवेदन और 798.93 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश वाले 13 आवेदनों को अब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

दवाइयां

8.33 भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्युटिकल उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल फार्मा निर्यात 7.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (चित्र 21) के कुल फार्मा आयात के मुकाबले 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार आधिक्य पैदा हुआ। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता तथा अच्छी गुणवत्ता ने भारतीय दवा उत्पादकों को विश्व बाजार में प्रमुख उत्पादक बनने में सक्षम बनाया है, जिससे देश "Pharmacy of the world" बन गया । दवा क्षेत्र में एफडीआई में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में अचानक 200 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) में एफडीआई अंतर्वाह 4143 करोड़ रुपये पर बना रहा, जो वर्ष 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में 53 प्रतिशत की दर से बढ़ा । फार्मा क्षेत्र में विदेशी निवेश की असाधारण वृद्धि मुख्यत: कोविड-19 से संबंधित चिकित्सीय तथा टीकों की मांगों को पूरा करने के लिए किए गए निवेश के कारण है।

8.34 यद्यपि फॉर्मूलेशन में प्रमुख उत्पादक देश दवाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली थोक दवा के आयात पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है। कुछ मामलों में, आयात निर्भरता 80-100 प्रतिशत के बीच भिन्न होती है। महत्वपूर्ण थोक दवा के लिए आयात निर्भरता के इस मुद्दे की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई तथा थोक दवा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई का एक समग्र सेट शुरू किया गया है

चित्र 21 दवा उद्योग का व्यापार

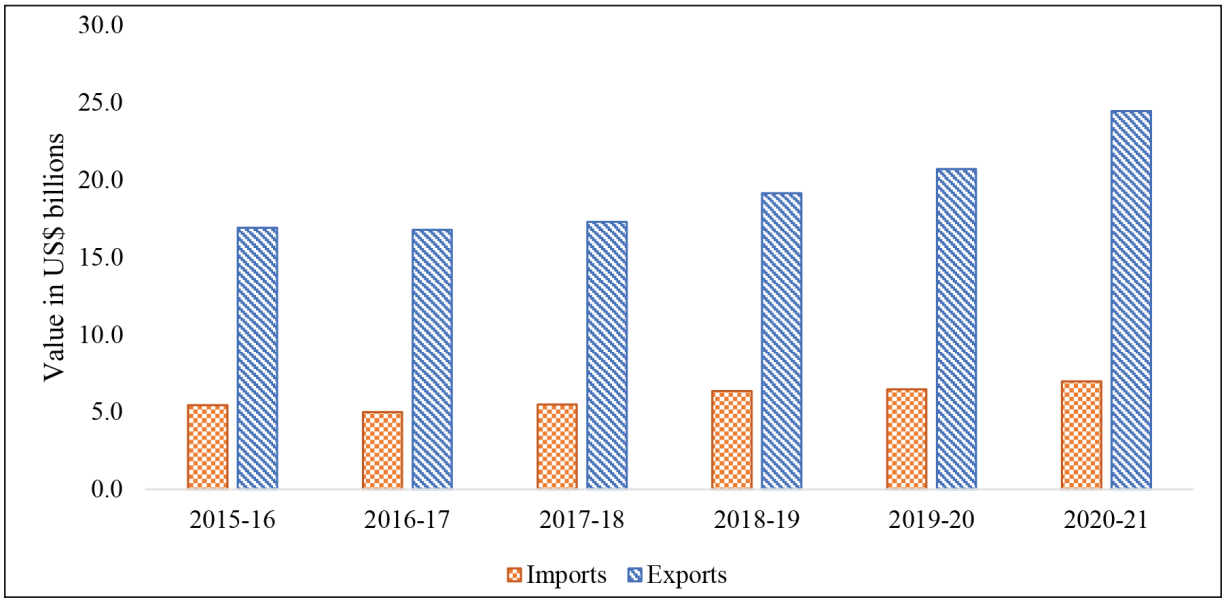

स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। डेटा में आयुष और हर्बल उत्पादों में व्यापार शामिल है; थोक दवाएं, दवा मध्यवर्ती; दवा निर्माण, जैविक; शल्य चिकित्सा।

चित्र 22 : फार्मा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

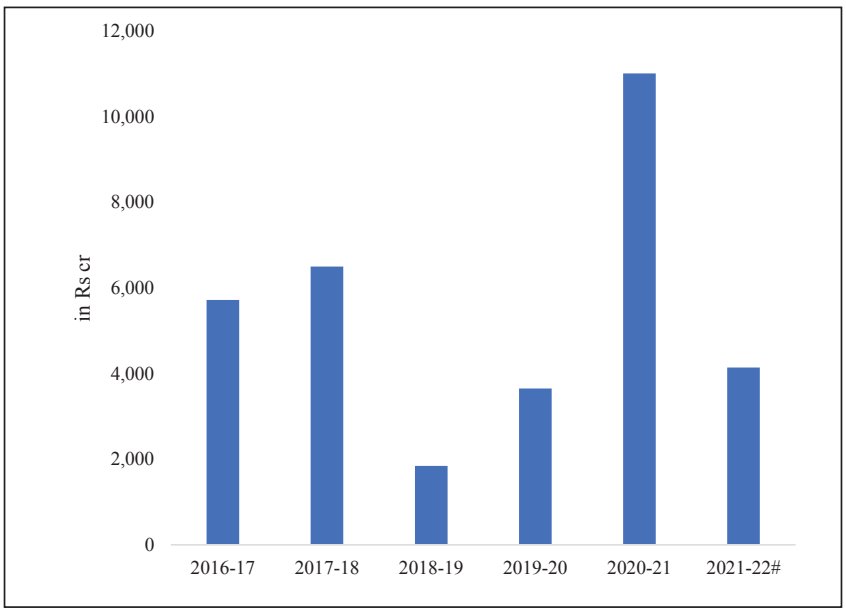

स्रोत: फार्मा विभाग और डीपीआईआईटी के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। #अप्रैल–सितंबर

8.35 दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:

क. थोक दवा पार्कों को बढ़ावा देने की योजना, जिसमें भारतीय थोक दवा उद्योग को वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना की गई है, को भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई। विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना तक आसान पहुंच, इन पार्कों में स्थित थोक दवा इकाइयों की सुविधाओं में घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की क्षमता है।

ख. अगले आठ वर्षों के लिए 6,940 करोड़ रुपये के बजट के साथ देश में 41 महत्वपूर्ण एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए थोक दवाओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी गई।

ग. फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये तथा तीन श्रेणियों (बायोफार्मास्युटिकल्स, एपीआई/केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स और ड्रग्स जो कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के तहत शामिल नहीं हैं) को 6 वर्ष के लिए उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत तीन चिन्हित उत्पाद श्रेणियों (जैसा कि ऊपर उल्लेखित है) में से थोक दवा के लिए पीएलआई के तहत शामिल 41 थोक दवाएं शामिल नहीं हैं।

घ. चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को दिनांक 20 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है। यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने का इरादा रखती है। चिकित्सा उपकरणों के चार लक्षित भाग कैंसर उपचार/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण, रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग चिकित्सा उपकरण, परमाणु इमेजिंग उपकरण; एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-श्वसन चिकित्सा उपकरण; गुर्दे उपचार चिकित्सा उपकरण और प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रत्यारोपण।

अवसंरचना

8.36 अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। अवसंरचना की सीमा तथा गुणवत्ता देश की तुलनात्मक लाभ का उपयोग करने और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को सक्षम करने की क्षमता को निधारित करती है। सशक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तथा अवसंरचना से उत्पन्न सकारात्मक बाहरीताओं को देखते हुए, यह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए एक वाहन हो सकता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

8.37 अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस क्षेत्र में निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। अवसंरचना में निजी भागीदारी पर विश्व बैंक के डेटाबेस के अनुसार, भारत पीपीपी परियोजनाओं की संख्या के साथ-साथ संबद्ध निवेशों में विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर है। पीपीपी में अधिकांश भारतीय सफलता सशक्त संस्थागत संरचना के विकास, वित्तीय सहायता और मानकीकृत दस्तावेजों के उपयोग के लिए उत्तरदायी है, दोनों प्रक्रिया दस्तावेज - जैसे पात्रता के लिए मॉडल अनुरोध और प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध के साथ-साथ अवसंरचना क्षेत्र में मॉडल रियायत समझौते जैसे मूल दस्तावेज।

8.38 पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) ने वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक 137218 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने आर्थिक रूप से अव्यवहार्य लेकिन सामाजिक/आर्थिक रूप से वांछनीय पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू की। इस योजना के तहत परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दिया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर, डीईए द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 के बीच वितरित की गई कुल वीजीएफ राशि 2943 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, भारत सरकार ने नवंबर 2020 में इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय सहायता योजना को वर्ष 2024-25 तक जारी रखने और उसमें सुधार करने की मंजूरी दी है। संशोधित वीएफजी योजना से अधिक पीपीपी परियोजनाओं को आकर्षित करने और स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निजी निवेश की सुविधा की उम्मीद है।

8.39 वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने के लिए, भारत को आधारभूत संरचना पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2008-17 के दौरान, भारत ने आधारभूत संरचना पर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया। हालांकि, आधारभूत संरचना निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की चुनौती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, देश भर में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन का गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपये (अमेरिकन डॉलर 1.5 ट्रिलियन) के अनुमानित आधारभूत संरचना के निवेश के साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की गई। यह परियोजना की तैयारी में सुधार और आधारभूत संरचना में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करने की भी परिकल्पना करता है। एनआईपी को 6,835 परियोजनाओं के साथ शुरू किया गया था, जिसका विस्तार 9,000 से अधिक परियोजनाओं तक हो गया है, जिसमें 34 आधारभूत संरचना उप-क्षेत्र शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान, ऊर्जा (24 प्रतिशत), सड़क (19 प्रतिशत), शहरी (16 प्रतिशत), और रेलवे (13 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में भारत में आधारभूत संरचना में अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लिए पाइपलाइन का क्षेत्र-वार ब्रेक-अप चित्र 23 में दिया गया है। एनआईपी ने भारत में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया है ताकि अल्पकालिक विकास और संभावित सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके।

चित्र 23 : पाइपलाइन का उद्योग-वार ब्रेकअप

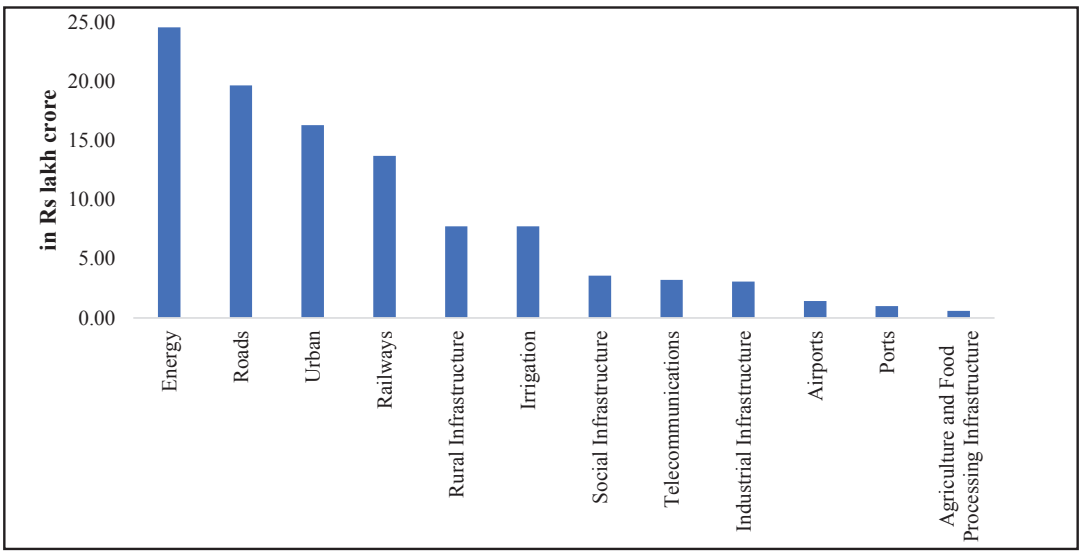

स्रोत: वर्ष 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)

8.40 नीति आयोग ने अवसंरचना संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी खंड 1 एवं 2)' विकसित किया है। संपत्ति मुद्रीकरण, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक सीमित अवधि का लाइसेंस/पट्टा, निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए शामिल करता है। निजी क्षेत्र की इकाई से अनुबंध/रियायत की शर्तों के आधार पर परिसंपत्ति का संचालन और रखरखाव, उच्च परिचालन क्षमता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न करने की उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धन को नए अवसंरचना में पुनर्निवेश किया जाता है, या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। इस तरह के अनुबंधों में अवधि के अंत में संपत्ति को वापस प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रावधान शामिल है।

8.41 अवसंरचना में निवेश मार्ग के बारे में निवेशकों और डेवलपर्स को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक मजबूत परिसंपत्ति पाइपलाइन तैयार की गई है। पाइपलाइन में स्थिर राजस्व सृजन प्रोफाइल (या लंबे अधिकार) के साथ जोखिम रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का चयन शामिल है, जो निवेश के लिए आकर्षक विकल्प बनाएगा। केंद्र सरकार की मूल संपत्तियों के लिए एनएमपी का कुल सांकेतिक मूल्य 4 वर्ष की अवधि में 6.0 लाख करोड़ रुपये (एनआईपी के तहत परिकल्पित कुल बुनियादी निवेश का 5.4 प्रतिशत) का अनुमान लगाया गया है।

सड़क परिवहन

8.42 सड़क परिवहन भारत में माल ढुलाई और यात्रियों दोनों के लिए परिवहन के सबसे किफायती और सुविधाजनक साधनों में से एक है क्योंकि इसमें घर-घर डिलीवरी के साथ उच्च प्रवेश स्तर है। सड़क अवसंरचना के महत्व को व्यापक रूप से सामाजिक-आर्थिक एकीकरण के एक शक्तिशाली साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देश के सड़क नेटवर्क में 31 मार्च 2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य-राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें और 63.71 (अनंतिम) लाख किमी से अधिक की परियोजना सड़कें शामिल हैं, जो 66.45 लाख किमी सड़कों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों के निर्माण में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2020-21 में 13327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि वर्ष 2019-20 में 10237 किलोमीटर का निर्माण किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021-22 (सितंबर तक) में 3824 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया। प्रति दिन सड़क निर्माण की सीमा वर्ष 2020-21 में 36.5 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रति दिन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.4 प्रतिशत अधिक है (चित्र 24)। वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक व्यय में 29.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है, जो भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन का प्रतिबिंब है जो रोजगार पैदा करता है और महामारी वर्ष के दौरान अवसंरचना का सहयोग करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई के अलावा, सरकार ने अध्याय 9 में चर्चा की गई ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्राम स्तर के सड़क नेटवर्क को संबोधित करने के उपाय किए हैं। देश में वर्ष 2011 तथा वर्ष 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की तुलना अध्याय 10 में देखी जा सकती है।

चित्र 24 सड़क निर्माण

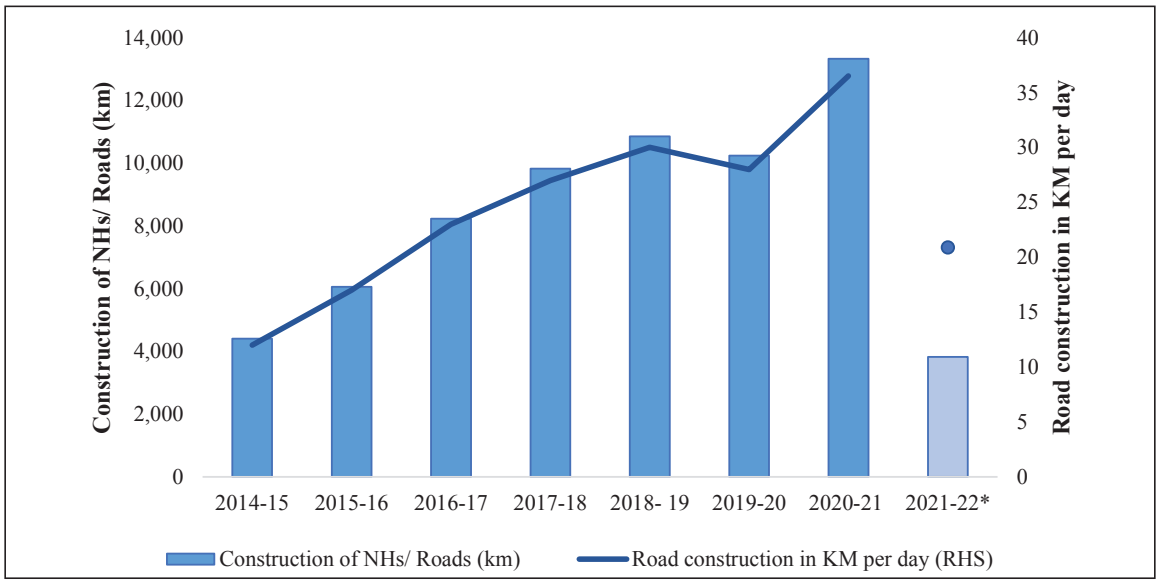

स्रोत: आरटीएच मंत्रालय के डेटा के आधार पर सर्वेक्षण गणना। वर्ष 2021-22 के लिए, 30.09.2021 तक

चित्र 25 : सड़क क्षेत्र में निवेश

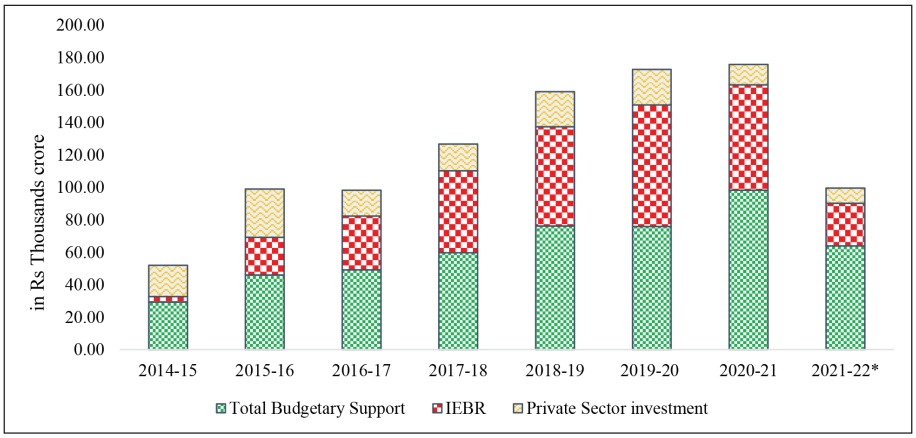

स्रोत: आरटीएच मंत्रालय के डेटा के आधार पर सर्वेक्षण गणना। वर्ष 2021-22 के लिए, 30.09.2021 तक

रेलवे

8.43 कोविड से संबंधित अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय रेलवे (आईआर) न केवल लाखों लोगों को स्थानांतरित करने में सक्षम है, बल्कि राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने में भी सक्षम है। एकल प्रबंधन के तहत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क होने के नाते और 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेल सुरक्षित, कुशल, प्रतिस्पर्धी और विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करता है। वर्ष 2009-14 के दौरान प्रति वर्ष औसतन 720 ट्रैक किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2014-2021 के दौरान नई-लाइन और मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के माध्यम से नई ट्रैक लंबाई का औसतन 1835 ट्रैक किमी प्रति वर्ष जोड़ा गया। भारतीय रेलवे स्वदेशी नई तकनीक जैसे कवच, वंदे भारत ट्रेनों और स्टेशनों के पुनर्विकास को भी सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए अपना रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 1.23 बिलियन टन माल और 1.25 बिलियन यात्रियों को ढोया। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के बावजूद राजस्व अर्जन माल ढुलाई (कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा लदान को छोड़कर) वर्ष 2019-20 के दौरान 1208.4 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 1230.9 मिलियन टन थी (चित्र 26)। वर्ष 2019-20 में 8086 मिलियन की तुलना में 2020-21 में आने वाले यात्रियों की संख्या 1250 मिलियन थी (चित्र 27)।

चित्र 26 राजस्व अर्जन माल लदान से आरंभिक यातायात (मिलियन टन)

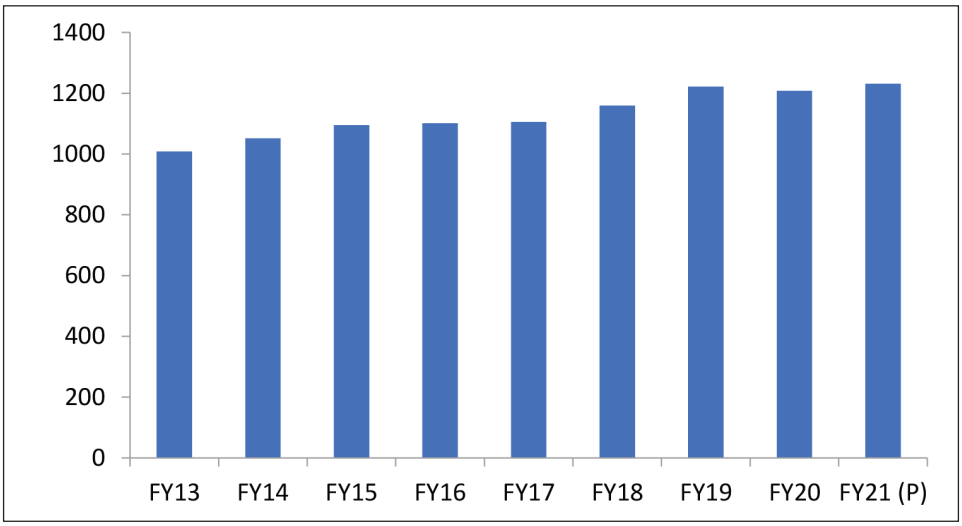

स्रोत: रेल मंत्रालय। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा लोडिंग शामिल नहीं है। पी-अनंतिम

चित्र 27 : यात्री की संख्या (लाखों में) और यात्रियों से आय (करोड़ रुपये)

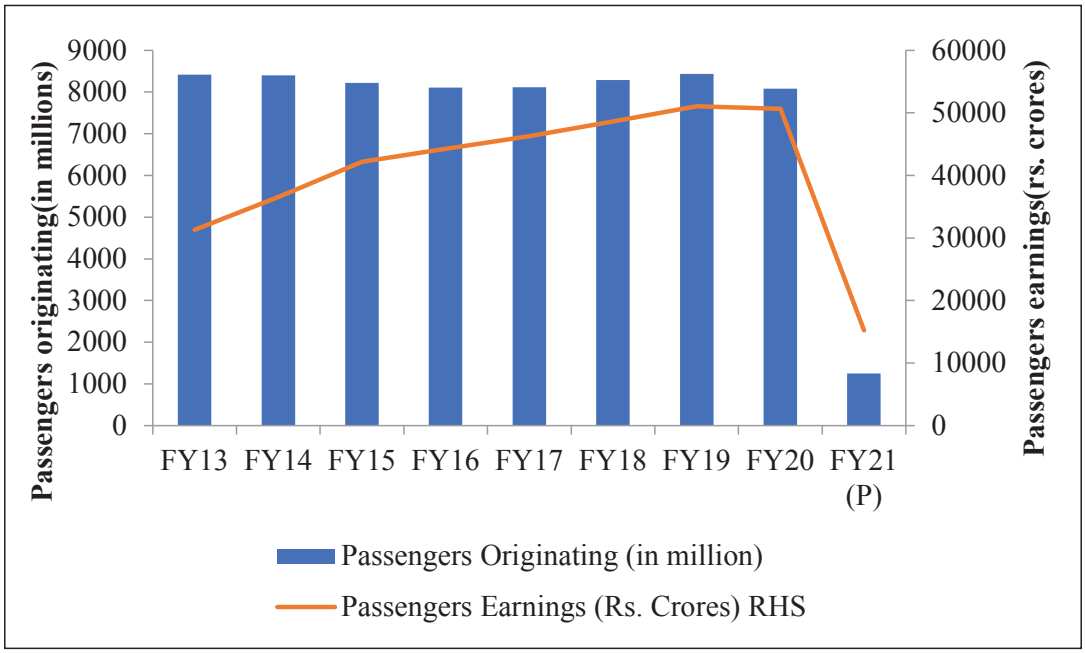

स्रोत: रेल मंत्रालय। मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित।

8.44 यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति का सुरक्षित रखरखाव भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रियों की सुरक्षा पर निरंतर ध्यान देने के साथ परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2018-19 में 59 से घटकर 2019-20 में 55 (प्री-कोविड) और पिछले वर्ष 2020-21 में 22 हो गई। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, 31 दिसंबर 2021 तक, भारतीय रेलवे ने 1,841 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है, जिसमें फलों और सब्जियों सहित लगभग 6.0 लाख टन कम समय में खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया गया है।

चित्र 28 भारतीय रेल में प्रमुख पूंजीगत व्यय

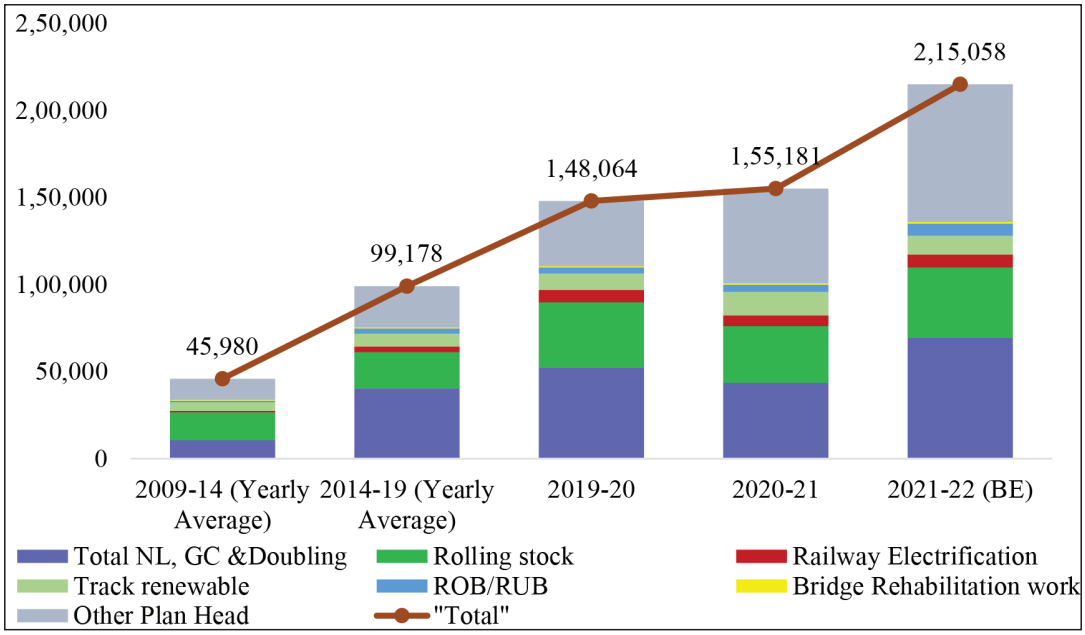

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.45 भारतीय रेलवे के लिए केपेक्स को वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक केपेक्स से 45,980 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक केपेक्स से वर्ष 2021-22 (बीई) के दौरान 2,15,058 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया (चित्र 28)। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है (चित्र 29)।

चित्र 29 : विद्युतीकृत मार्ग किमी कुल मार्ग किमी. के प्रतिशत के रूप में

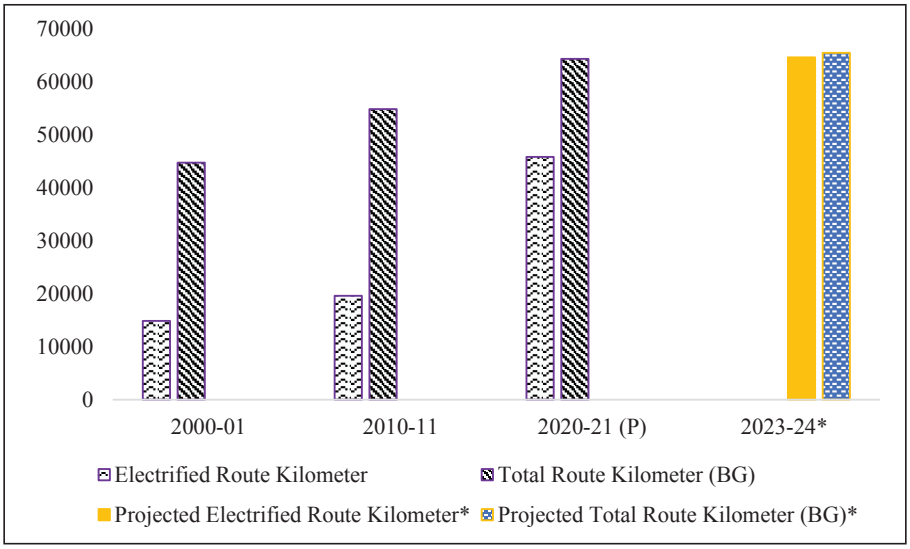

स्रोत: रेल मंत्रालय। * अनुमान

8.46 बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेल ने सभी स्टेशनों (हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर) पर वाई-फाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत की है। दिनांक 5 दिसंबर 2021 तक, कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई सुविधा से लैस किया गया है (चित्र 30)।

चित्र 30 : वाई-फाई से लैस स्टेशनों की संख्या

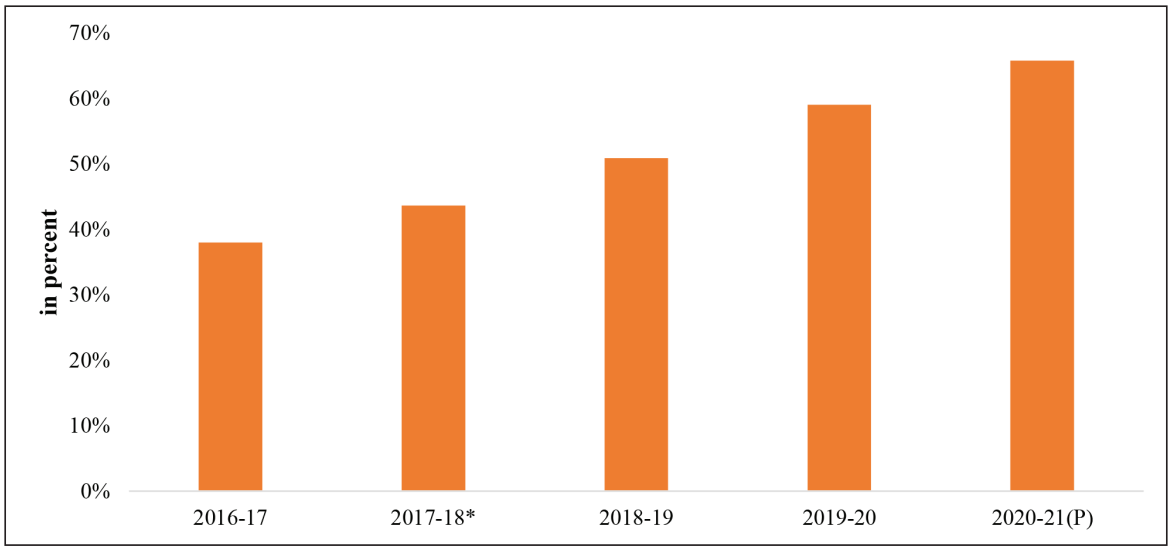

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.47 उपर्युक्त के अलावा, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग लाइन के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क जैसे कठिन इलाकों को जोड़ने वाली परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा, भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) में कई बुनियादी ढांचा विकास पहलों की परिकल्पना की गई है (बॉक्स 5)।

बॉक्स 5 : राष्ट्रीय रेलवे योजना

राष्ट्रीय रेल योजना वर्ष 2030 तक रेलवे नेटवर्क के क्षमता विस्तार के लिए रोड मैप तैयार करती है ताकि वर्ष 2050 तक की वृद्धि को पूरा किया जा सके। यह भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना करता है जो न केवल यात्रियों की मांग को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 26-27 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 40-45 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। रेलवे के लिए 40-45 प्रतिशत मॉडल शेयर का लक्ष्य स्थिरता के दृष्टिकोण से और उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लिए विश्व स्तर पर की गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से भी अपेक्षित है। (सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन पर अध्याय 6 देखें)।

विकास के विपरीत, जो रैखिक है, क्षमता वृद्धि (सॉटूथ कर्व) होती है जो परियोजना के पूरा होने की समयसीमा पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार, वर्ष 2030 तक फ्रेट इकोसिस्टम के 4700 मीट्रिक टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 8200 हो जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, रेलवे की क्षमता अधिकतम 1220 मीट्रिक टन जो कि मॉडल शेयर का लगभग 26-27 प्रतिशत है, वहन करने में सक्षम है। यह योजना परियोजनाओं की एक पाइपलाइन प्रदान करती है, जिसके पूरा होने पर रेलवे की क्षमता में 45 प्रतिशत माल ढुलाई पर अधिकृत करने की क्षमता बढ़ जाएगी। चूंकि रेलवे के पास पहले से ही बड़ी संख्या में स्वीकृत परियोजनाएं हैं जिन्हें नई परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व पूरा करना अपेक्षित है, इसलिए रेलवे की क्षमता को दो बार बढ़ाने की योजना बनाई गई। पहला तेजी 'विजन 2024 योजना' द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और पूरा करने के लिए प्रदान किया जाना है ताकि रेलवे क्षमता लक्षित मॉडल शेयर से बहुत पीछे न रह जाए, जैसे कि समय क्षमता के अंत तक, यातायात दूसरे मोड में स्थानांतरित हो गया होगा। मॉडल शेयर में और अधिक प्रवाह को रोकने के लिए, रेलवे की क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं को सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 58 परियोजनाओं को सुपर क्रिटिकल के रूप में पहचाना गया है और दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 68 परियोजनाओं को महत्वपूर्ण के रूप में पहचाना गया है और मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजनाएं बंदरगाहों और प्रमुख खपत केंद्रों के साथ-साथ प्रमुख खनिज, औद्योगिक केंद्रों की सेवा करने वाले मार्गों पर क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा, रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर को 160 किमी प्रति घंटे तक अपग्रेड करने और स्वर्णिम चतुर्भुज/स्वर्ण विकर्ण मार्गों पर लेवल-क्रॉसिंग को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा है। विजन 2024 परियोजनाओं के पूरा होने पर, दशक के उत्तरार्ध में, नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और हाई-स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर को चालू करने के अलावा, भीड़भाड़ वाले मार्गों के मल्टीट्रैकिंग और सिग्नलिंग अपग्रेडेशन का लक्ष्य है।

अगले 10 वर्षों में रेलवे क्षेत्र में केपेक्स का उच्च स्तर देखने को मिलेगा क्योंकि क्षमता वृद्धि को इस तरह से तेज करना होगा कि वर्ष 2030 तक यह मांग से आगे रहे। वर्ष 2014 तक, रेलवे पर केपेक्स मुश्किल से 45,980 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था और इसके परिणामस्वरूप रेलवे की अक्षमता के उच्च स्तर और बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मार्गों की विशेषता थी। वर्ष 2014 के बाद, केपेक्स में काफी वृद्धि करके रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए एक सचेत प्रयास किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए केपेक्स परिव्यय 2,15,000 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2014 के स्तर से पांच गुना अधिक है। जैसे-जैसे अधिक परियोजनाओं को कार्य में लिया जाता है और पूंजीगत वित्त पोषण के कई स्रोत विकसित किए जाते हैं, आने वाले वर्षों में केपेक्स में और वृद्धि होगी और रेलवे प्रणाली वास्तव में राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में उभरेगी।

नागरिक उड्डयन

8.48 भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। भारत में घरेलू यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन से दोगुना से अधिक होकर वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया है, जो प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।

8.49 भारत सरकार ने उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें घरेलू क्षेत्र को महामारी की पहली लहर के बाद में खोलना, हवाई परिवहन बबल की शुरूआत या विशिष्ट देशों के साथ हवाई यात्रा व्यवस्था, एयर इंडिया का विनिवेश, हवाई अड्डों का निजीकरण और आधुनिकीकरण/विस्तार, क्षेत्रीय संपर्क योजना को बढ़ावा देना - उड़ान, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) संचालन आदि को प्रोत्साहन देना शामिल है (बॉक्स 6)।

8.50 उड़ान भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है और कम सेवा वाले हवाई मार्गों के उन्नयन की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) का हिस्सा है। वर्ष 2016 में उड़ान के शुरू होने तक, भारत में 74 हवाई अड्डों का संचालन निर्धारित था। लेकिन, उड़ान के तहत 4 वर्षों के भीतर, आरसीएस-उड़ान के तहत चार दौर की बोली हो चुकी है और आरसीएस उड़ानों के संचालन के लिए 12 वाटर एयरोड्रोम और 36 हेलीपैड सहित 153 आरसीएस हवाई अड्डों की पहचान की गई है। योजना के शुरू होने के बाद पिछले चार वर्षों के दौरान, विभिन्न एयरलाइनों को 948 वैध्यता-प्राप्त मार्ग आवंटित किए गए हैं और जिनमें से 62 असेवित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों (6 हेलीपोर्ट और 02 वाटर एयरोड्रोम सहित) को जोड़ने वाले 389 आरसीएस मार्ग अब तक चालू हो गए हैं।

8.51 इन सहायक उपायों की मदद से, भारत का विमानन क्षेत्र कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न मुश्किल से धीरे-धीरे उबरने की राह पर है। इसके अलावा मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस), जिसे ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ प्रदान करता है और अपनी पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा और उपयोग में आसानी के कारण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणोदक बन सकता है, विशेष रूप से भारत के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में। इस प्रकार, सरकार ने अगस्त 2021 को ड्रोन नियम 2021 को उदार बनाया है और 15 सितंबर 2021 को ड्रोन के लिए पीएलआई योजना जारी की है। इसलिए नीतिगत सुधार आगामी ड्रोन क्षेत्र में सुपर-सामान्य विकास को उत्प्रेरित करेंगे। सरकार और उद्योग द्वारा अपनाए गए त्वरित उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के पुनरुत्थान की संभावना है।

8.52 वैक्सीन रोल-आउट की त्वरित गति और विश्व स्तर पर यात्रा प्रतिबंधों में ढील के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र ने पुनः कार्यशील होना शुरू कर दिया है। यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद, अक्टूबर 2021 में कुल यात्रियों की संख्या 99.58 लाख तक पहुंच गई, जो पूर्व-कोविड स्तर (146.25 लाख) के 68 प्रतिशत के करीब थी (चित्र 31)।

चित्र 31 : माह-वार कुल यात्रियों की ढुलाई (लाख में)

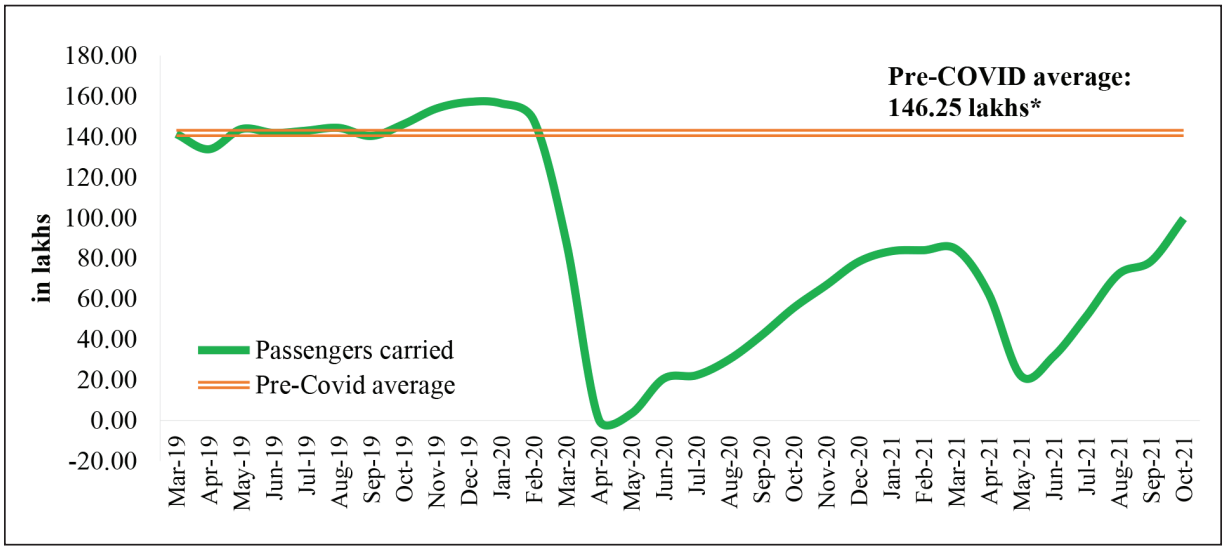

स्रोत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय। * प्री-कोविड औसत की गणना अप्रैल, 2019 से फरवरी, 2020 तक 2019-20 के 11 महीनों के लिए की जाती है।

8.53 महीने-दर-महीने बढ़ने के अलावा, एयर कार्गो संचालन पहले से ही अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो व्यापार विश्वास में एक मजबूत पलटाव द्वारा समर्थित है, और ई-कॉमर्स के माध्यम से लचीला घरेलू मांग द्वारा बढ़ाया गया है। अक्टूबर 2021 में किया गया कुल एयर कार्गो टन भार 2.88 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पूर्व कोविड स्तर (2.81 लाख मीट्रिक टन) को पार कर गया (चित्र 32)।

चित्र 32 : माह-वार कुल हवाई कार्गो टनभार (लाख मीट्रिक टन में)

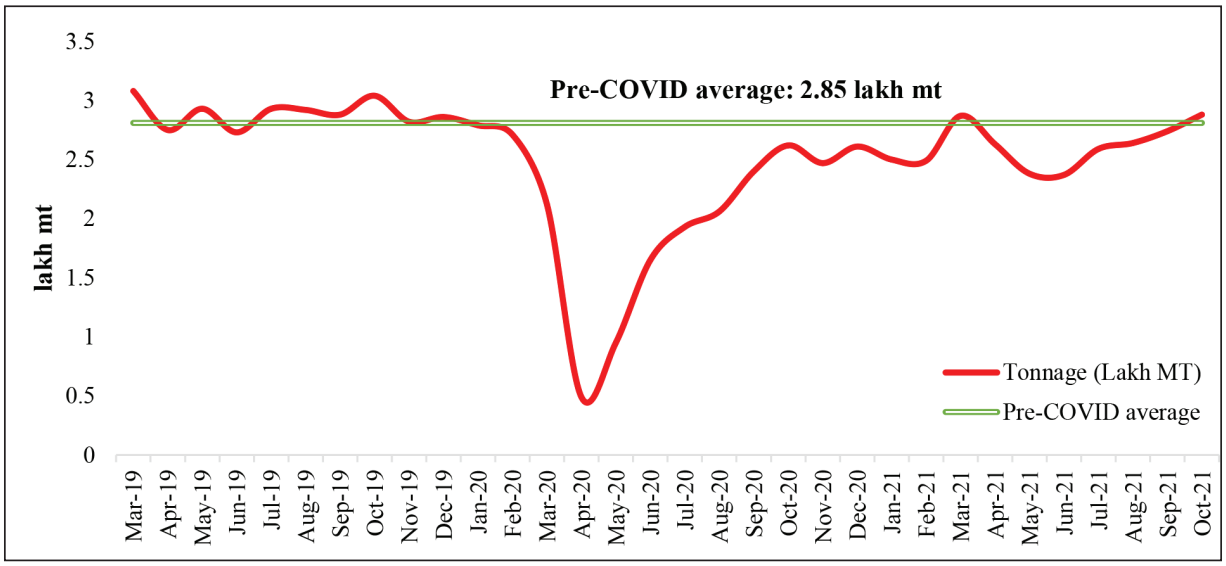

स्रोत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ' प्री-कोविड औसत की गणना अप्रैल, 2019 से फरवरी, 2020 तक 2019-20 के 11 महीनों के लिए की जाती है

बॉक्स 6-विमानन क्षेत्र में निजीकरण

एयर इंडिया का विनिवेश : एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया जून 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की 'सैद्धांतिक' मंजूरी के साथ शुरू हुई। सीसीईए ने विनिवेश प्रक्रिया के लिए एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्माण को भी मंजूरी दी। एआईएसएएम ने एयर इंडिया में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ-साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयर इंडिया एसएटीएस (एयर इंडिया (एआई) और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज (एसएटीएस) के बीच संयुक्त उद्यम) में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का फैसला किया।

इसके बाद, मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाली थी, को एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एईएक्सएल) और एआईएसएटीएस में एयर इंडिया की इक्विटी शेयरधारिता के साथ एयर इंडिया में 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता से सम्मानित किया गया। जीतने वाली बोली एआई के लिए एंटरप्राइज वैल्यू (ईवी) के रूप में 18,000 करोड़ रुपये (एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस में एआई की हिस्सेदारी के साथ एआई के 100 प्रतिशत शेयर) के लिए थी। शेयर - खरीद समझौता 25 अक्टूबर 2021 को निष्पादित किया गया है और लेनदेन दिसंबर 2021 - जनवरी 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

हवाई अड्डों का निजीकरण: दक्षता और प्रदर्शन, सेवा की गुणवत्ता में सुधार, अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने और सरकारी प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु नामक छह हवाई अड्डों को सम्मानित किया है। संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए उच्चतम बोलीदाता यानी मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 50 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया है। इसके अलावा, एएआई ने 2006 में दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को 30 साल की अवधि के लिए पीपीपी मोड के तहत संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए क्रमशः मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मैसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पट्टे पर दिया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार, 25 एएआई हवाई अड्डों को वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक संपत्ति मुद्रीकरण के लिए निर्धारित किया गया है, अर्थात् भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची , जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी।

एनएमपी के तहत हवाईअड्डा संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) 0.4 मिलियन यात्रियों की सीमा से अधिक वार्षिक यातायात वाले हवाई अड्डे (वर्ष 2019 और 2020 में);

(ii) राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के अनुसार एक बड़ी चालू/प्रस्तावित.

बंदरगाह

8.54 किसी अर्थव्यवस्था में बंदरगाह का प्रदर्शन उस अर्थव्यवस्था की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। सुविचारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा बंदरगाह क्षमता के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 13 प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता जो मार्च 2014 के अंत में 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष थी, मार्च 2021 के अंत तक 79 प्रतिशत बढ़कर 1560.61 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई। वर्ष 2020-21 के दौरान इन बंदरगाहों पर यातायात 672.68 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वव्यापी व्यवधान के कारण 4.6 प्रतिशत कम था। व्यापार सुगमता में आसानी में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इन प्रमुख बंदरगाहों पर औसत आवागमन समय वर्ष 2019-20 में 62.11 घंटे से घटकर वर्ष 2020-21 में 55.99 घंटे हो गया (चित्र 33)।

8.55 दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक, भारत के पास 2019 के अंत में 1429 जहाजों और 12,746 हजार जीटी की तुलना में 13,011 हजार के सकल टन भार (जीटी) के साथ 1463 जहाजों का बेड़ा था। हालांकि, भारतीय बेड़े में दुनिया के बेड़े का सिर्फ 1.2 प्रतिशत है। क्षमता की दृष्टि से और भारत के एक्जिम व्यापार का केवल 7.8 प्रतिशत (2018-19 के लिए) वहन करता है। विदेशी शिपिंग कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने की लागत स्थानीय शिपिंग कंपनी की तुलना में कम है, विदेशी जहाजों में अधिकांश माल ढुलाई से विदेशी मुद्रा का एक बड़ा बहिर्वाह होता है। भारतीय फ्लैगशिप्स को होने वाले लागत नुकसान को दूर करने के लिए, जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में मर्चेंट जहाजों के फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता प्रदान करने वाली एक योजना को मंजूरी दी है।

8.56 बंदरगाह प्रशासन में सुधार, क्षमता उपयोग में वृद्धि, बंदरगाह दक्षता और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सागरमाला जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा और 14,500 किमी संभावित जलमार्ग की क्षमता का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति देना है। सागरमाला परियोजनाओं में बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास, कनेक्टिविटी वृद्धि, बंदरगाह के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल हैं। वर्तमान में, 2035 तक सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश की 802 परियोजनाएँ हैं। इनमें से 94,712 करोड़ रुपये की 181 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 2.11 लाख करोड़ रुपये की 223 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसके अलावा, 2.48 लाख करोड़ रुपये की 398 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को 18.2.2021 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और योजना का प्रावधान करता है और ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के बोर्ड में निहित करता है।

- रियायत अवधि के नवीनीकरण, विस्तार के दायरे और गतिशील कारोबारी माहौल की चुनौतियों का समाधान करने के लिए पोर्ट आश्रित उद्योगों के लिए एक नई कैप्टिव नीति तैयार की गई है।

8.57 वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत को सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य से, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक खाका मार्च 2021 को जारी किया गया था। उद्देश्य विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करना और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करना है। एमआईवी 2030 का अनुमान है कि भारतीय बंदरगाहों के विकास से निर्यात-आयात ग्राहकों के लिए प्रति वर्ष 6,000-7,000 करोड़ रुपये की लागत बचत होगी। इसके अलावा, संवर्धित परिचालनों से इस क्षेत्र में अतिरिक्त ~700,000-1,000,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। एमआईवी 2030 का अनुमान है कि भारतीय बंदरगाहों पर क्षमता वृद्धि और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,00,000 - 1,25,000 करोड़ रुपये की निवेश आवश्यकता होगी।

चित्र 33 प्रमुख बंदरगाहों का प्रदर्शन

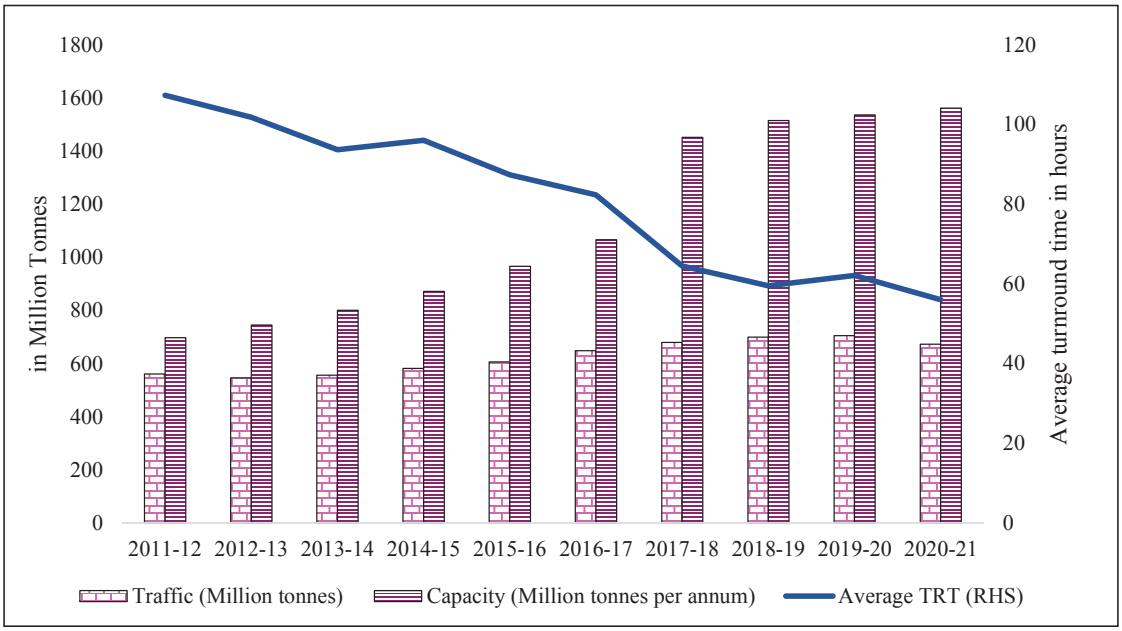

स्रोत: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना। [2020-21 के दौरान औसत टीआरटी डी-बोर्डिंग तक पायलट बोर्डिंग पर आधारित है] बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना। [2020-21 के दौरान औसत टीआरटी डी-बोर्डिंग तक पायलट बोर्डिंग पर आधारित है]। बंदरगाह क्षमता का पुनर्मूल्याकंन बर्थिंग नीति अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार था। मुख्य बंदरगाह का पुनर्मूल्याकंन अवधि 2016-17 में 1359 एम.टी.पी.ए. था।

चित्र 34 : भारतीय नौवहन का विकास

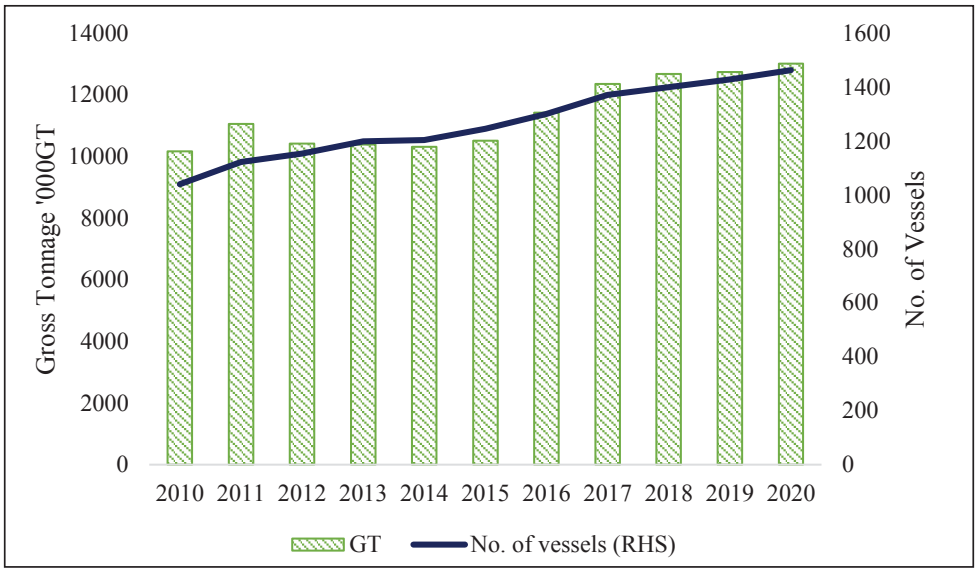

स्रोत: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना।

अंतर्देशीय जलमार्ग

8.58 अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के माध्यम से विनियामक संशोधन ने 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 (1917 का 1) को प्रतिस्थापित किया और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। अधिनियम का उद्देश्य अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती, सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देना है। यह अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित

करेगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।

8.59 राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की नौवहन क्षमता में वृद्धि 2018 से वाराणसी से गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया खंड तक जल मार्ग विकास परियोजना के माध्यम से लागू की जा रही है ताकि बड़े जहाजों की आवाजाही को सक्षम बनाया जा सके। वाराणसी और साहिब गंज में मल्टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण पूरा हो चुका है और हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक ने पर्याप्त प्रगति हासिल की है। अन्य परियोजनाएं जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग-2 और राष्ट्रीय जलमार्ग -16 और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का व्यापक विकास, वर्ष 2020-21 से 2024-25 से क्रमशः ₹ 461 करोड़ और ₹ 145.29 करोड़ की लागत से 5 वर्षों की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।

8.60 यातायात में लगातार वृद्धि हुई है और प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि हुई है (चित्र 33)। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात में 2019-20 और 2020-21 के बीच 4.57 प्रतिशत की गिरावट आई है, हालांकि हाल के वर्षों में धीमी गति से प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता बढ़ रही है।

बॉक्स 7 - भारत के स्तंभों को जोड़ना पीएम-गति शक्ति

एक और मील का पत्थर जिसने शासन में एक नया अध्याय शुरू किया है, पीएम गति शक्ति एक एकीकृत योजना है जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए बहु-मोडल और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। इसमें 16 मंत्रालय और बुनियादी ढांचे जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि शामिल हैं। इसमें अस्पतालों और विश्वविद्यालयों जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी शामिल करने की उम्मीद है। टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन, गति-शक्ति जैसे आर्थिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार के साथ, गति-शक्ति कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यह भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफॉरमैटिक्स द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक योजना उपकरण सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। यह जीवन की सुगमता के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का एक निरंतर प्रयास है।

दूरसंचार

8.61 भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। दूरसंचार क्षेत्र किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक है। एक मजबूत और उत्तरदायी नियामक ढांचे ने उचित कीमतों पर सेवा की पहुंच बनाए रखी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सेवा प्रदाताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए और उपाय किए हैं (बॉक्स 8)।

8.62 दूरसंचार क्षेत्र की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 933.02 मिलियन से बढ़कर मार्च 2021 में 1200.88 मिलियन हो गई है। मार्च 2021 में, 45 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में आधारित थे। चित्रा 36)। देश में इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ रही है और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2015 में 302.33 मिलियन से बढ़कर जून 2021 में 833.71 मिलियन हो गई है। जबकि 67.2 प्रतिशत इंटरनेट उपभोक्ताओं के पास नैरो-बैंड कनेक्शन थे और 32.8 प्रतिशत के पास 2015 में ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, फिर भी कंपोजीशन उलट गया था। जून 2021 में केवल 4 प्रतिशत ग्राहकों के पास नैरोबैंड और 96 प्रतिशत ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं (चित्र 36)।

चित्र 35 टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या और संरचना (लाखों में)

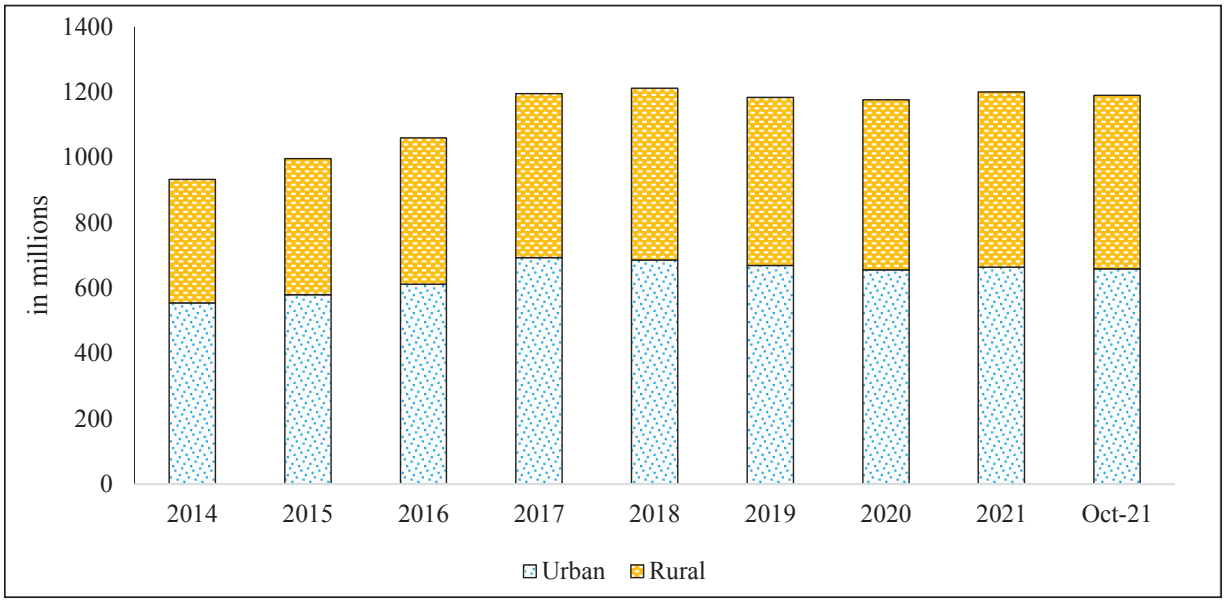

स्रोत: दूर संचार विभाग प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने में

चित्र 36 : इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या और संरचना

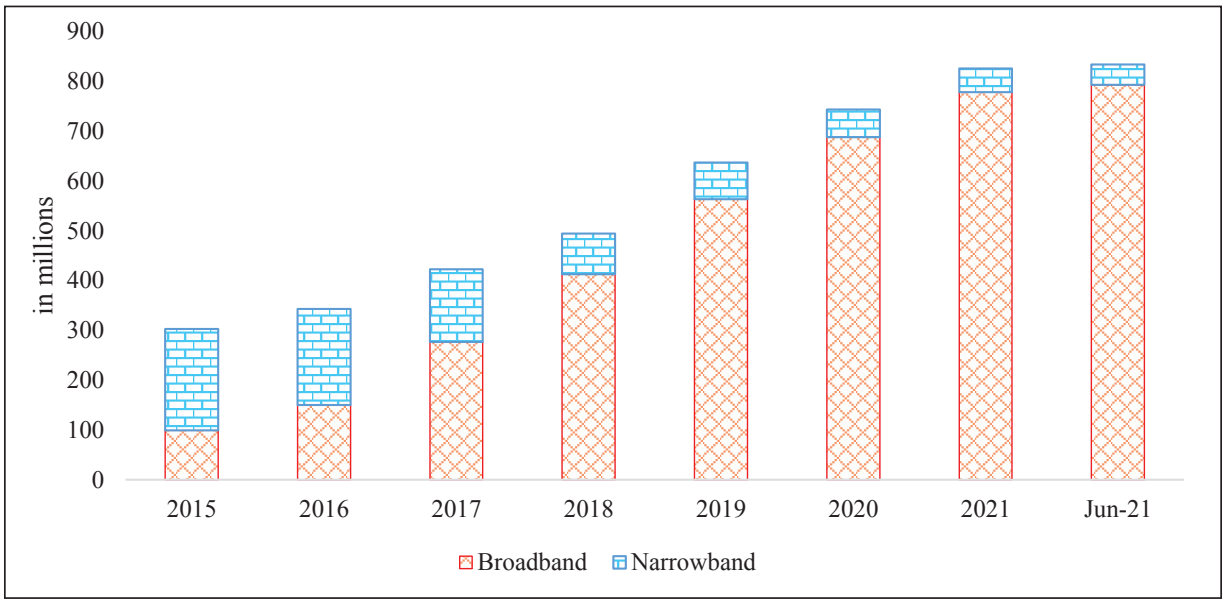

स्रोत: ट्राई प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने में

चित्र 37 : कुल और औसत वायरलेस डेटा उपयोग

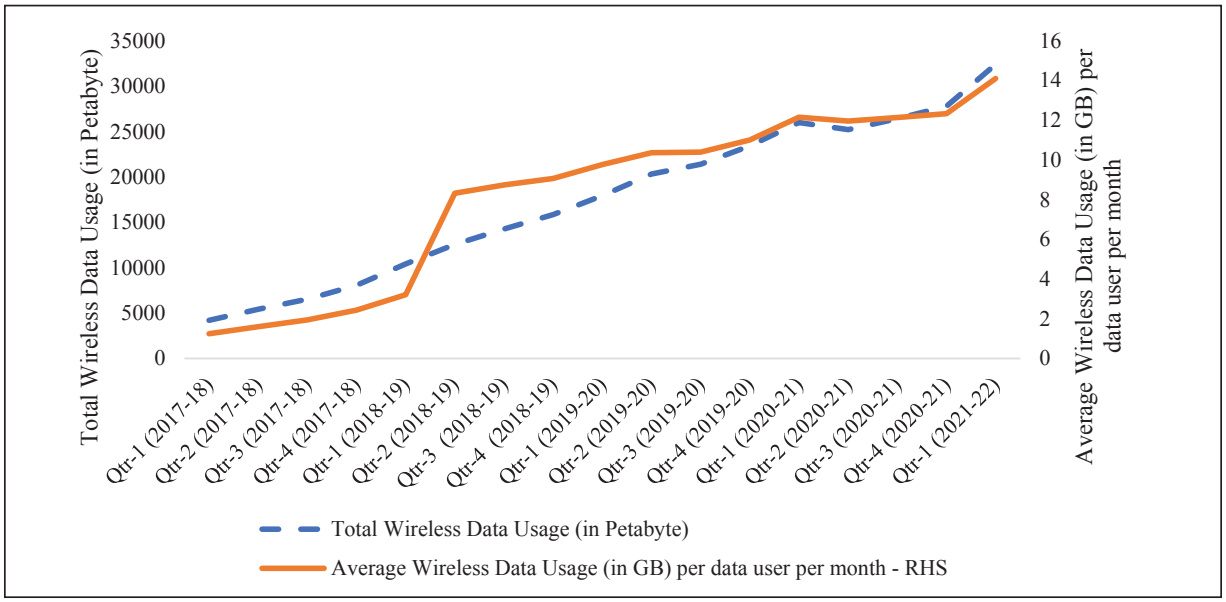

स्रोत: ट्राई

8.63 पिछले कुछ वर्षों में, भारत में दूरसंचार क्षेत्र डेटा संचालित हो गया है और इस क्षेत्र में भयंकर प्रतिस्पर्धा के कारण डेटा की लागत कम हो गई है। इसने डेटा उपयोग को और भी बढ़ा दिया है। वायरलेस डेटा उपयोग की कुल मात्रा वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही में 4206 पेटाबाइट से 7 गुना से अधिक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 32397 पेटाबाइट हो गई। प्रति माह प्रति डेटा उपयोगकर्ता गीगाबाइट में औसत वायरलेस डेटा उपयोग भी वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही में केवल 1.24 गीगाबाइट प्रति माह से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में प्रति माह में काफी अधिक 14.1 गीगाबाइट हो गया है (चित्र 37)।

8.64 सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान से मोबाइल टावरों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है (चित्र 38)। दिसंबर 2021 में 6.93 लाख टावरों तक पहुंच गया, यह दर्शाता है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने इस क्षेत्र में क्षमता का अच्छी तरह से एहसास किया है और एक बुनियादी ढांचे के निर्माण के अवसर को अधिग्रहण कर लिया है जो कि बढ़ावा देने में मौलिक होगा।

चित्र 38 मोबाइल टावरों की संख्या (लाख)

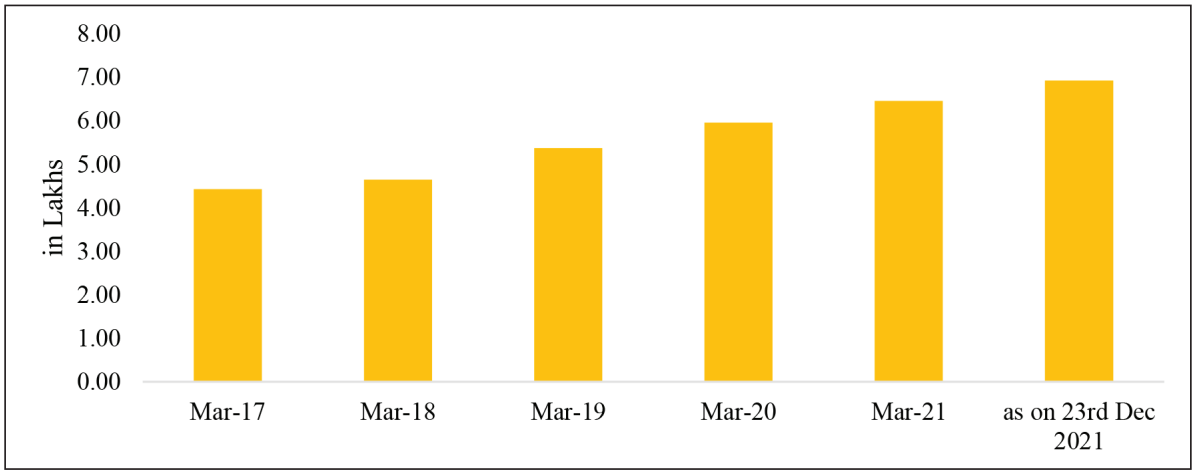

स्रोत: दूर संचार विभाग प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने में

8.65 फ्लैगशिप भारतनेट परियोजना के तहत 27.09.2021 तक 5.46 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, कुल 1.73 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ा गया है और 1.59 लाख ग्राम पंचायतें ओएफसी पर सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, 4173 ग्राम पंचायतों को उपग्रह मीडिया के माध्यम से जोड़ा गया है। 1.04 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 0.64 लाख ग्राम पंचायतों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो प्रति माह 5670.42 टीबी के डेटा उपयोग के साथ 16.17 लाख से अधिक ग्राहकों को पूरा करती हैं। भारतनेट का दायरा अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30.06.2021 को, सरकार ने देश के 16 राज्यों में लगभग 3.61 लाख गांवों (1.37 लाख जीपी सहित) को शामिल करते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित रणनीति को मंजूरी दी। अन्य परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के 354 गांवों में कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है। 27.9.2021 तक, 354 गांवों में से लगभग 161 गांवों को मोबाइल सेवा से शामिल किया गया। आकांक्षी जिला योजना के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

8.66 भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) और द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना लागू कर रही है ताकि उत्तर-पूर्व में और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ खुले गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। 30.08.2021 तक, 1,358 स्थलों पर टावर स्थापित किए जा चुके हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच 2,313 किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर-आधारित दूरसंचार कनेक्टिविटी का उद्घाटन अगस्त 2020 में किया गया था। सरकार ने कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच लगभग 1891 किमी केबल बिछाकर पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लागू होने से लक्षद्व ीप द्वीपसमूह में हाई-स्पीड इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी।

8.67 दूरसंचार बुनियादी ढांचे में विस्तार के अलावा, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं (विवरण के लिए बॉक्स 8 देखें)। कोविड-19 चुनौतियों का सामना करने में दूरसंचार क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में और ऑनलाइन शिक्षा, घर से काम करने, सोशल मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संपर्क, वर्चुअल मीटिंग आदि के कारण डेटा की खपत में भारी वृद्धि के साथ, सुधार उपायों को और बढ़ावा मिलेगा। ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी का प्रसार और पैठ। सुधारों से 4जी प्रसार को बढ़ावा देने, नकदी बढ़ाने और 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की भी उम्मीद है।

बॉक्स 8 - दूरसंचार क्षेत्र में सुधार

संरचनात्मक सुधार

1. समायोजित सकल राजस्व का युक्तिकरण: गैर-दूरसंचार राजस्व को एजीआर की परिभाषा से संभावित आधार पर बाहर रखा जाएगा
2. लाइसेंस शुल्क (एलएफ) के लिए बैंक गारंटी (बीजी) को युक्तिसंगत बनाया गया है। देश में विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) क्षेत्रों में एक बीजी को अनुमति दी गई है।
3. ब्याज दरों को युक्तिसंगत/दंड हटाया गया: 1 अक्टूबर, 2021 से, लाइसेंस शुल्क (एलएफ)/स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के विलंबित भुगतान पर एसबीआई के एमसीएलआर की ब्याज दर प्लस एमसीएलआर प्लस

4 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत; मासिक के बजाय सालाना चक्रवृद्धि ब्याज; जुर्माने पर जुर्माना और ब्याज हटाया गया।

4. अब से आयोजित नीलामी के लिए, किश्त भुगतान सुरक्षित करने के लिए किसी बीजी की आवश्यकता नहीं होगी।

5. स्पेक्ट्रम की अवधि: भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई।

6. भविष्य की नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए 10 साल बाद स्पेक्ट्रम के समर्पण की अनुमति दी जाएगी।

7. भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं।

8. स्पेक्ट्रम शेयरिंग को बढ़ावा- स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए 0.5 फीसदी का अतिरिक्त एसयूसी हटाया गया।

9. नवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी सुरक्षा उपायों को लागू करते हुए, दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।

प्रक्रियात्मक सुधार

10. नीलामी कलैण्डर नियत - स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाती है।

11. व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा दिया गया - वायरलेस उपकरणों के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस की बोझिल आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसे स्व-घोषणा के साथ बदल दिया गया है।

12. अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) सुधार: स्व-केवाईसी (ऐप आधारित) की अनुमति है। ई-केवाईसी दर केवल एक रुपये में संशोधित की गई। प्रीपेड से पोस्ट-पेड और इसके विपरीत में स्थानांतरण के लिए नए केवाईसी की आवश्यकता नहीं है।

13. भौतिक रूप में ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (सीएएफ) को डेटा के डिजिटल भंडारण से बदल दिया जाएगा। यह एक लागत बचत उपाय है क्योंकि यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को कई गोदामों को जारी करने की अनुमति देगा, जिन्हें 300-400 करोड़ पेपर सीएएफ स्टोर करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, इस उपाय के साथ, सीएएफ के वेयरहाउस ऑडिट की भी आवश्यकता नहीं होगी।

14. रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति दूरसंचार टावरों के लिए मंजूरी में ढील दी गई। दूरसंचार विभाग स्व-घोषणा के आधार पर एक पोर्टल पर डेटा स्वीकार करेगा, जिसे अन्य एजेंसियों (जैसे नागरिक उड्डयन) के पोर्टलों से जोड़ा जाना है।

टीएसपी की नकदी आवश्यकताओं को संबोधित करना: सरकार ने सभी टीएसपी के लिए निम्नलिखित को मंजूरी दी:

15. देय राशियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की रक्षा करते हुए, एजीआर निर्णय से उत्पन्न होने वाले देय राशि के वार्षिक भुगतान में चार वर्ष तक की मोहलत/आस्थगन।

16. संबंधित नीलामियों में निर्धारित ब्याज दर पर संरक्षित एनपीवी के साथ चार साल तक के लिए पिछली नीलामियों (2021 की नीलामी को छोड़कर) में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के देय भुगतान पर अधिस्थगन/आस्थगन।

17. टीएसपी को मूलधन का भुगतान करने का विकल्प और उक्त अधिस्थगन के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज राशि / इक्विटी के माध्यम से भुगतान को स्थगित करना।

पेट्रोलियम, कच्चा और प्राकृतिक गैस

8.68 वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल और संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो 2019-20 में 32.17 एमएमटी के उत्पादन स्तर से कम और 2020-21 के लिए 32.32 एमएमटी के लक्ष्य का 94.3 प्रतिशत (चित्र 40) था। भारत अपनी आवश्यकताओं के 80 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है।

चित्र 39 : कच्चे तेल का उत्पादन

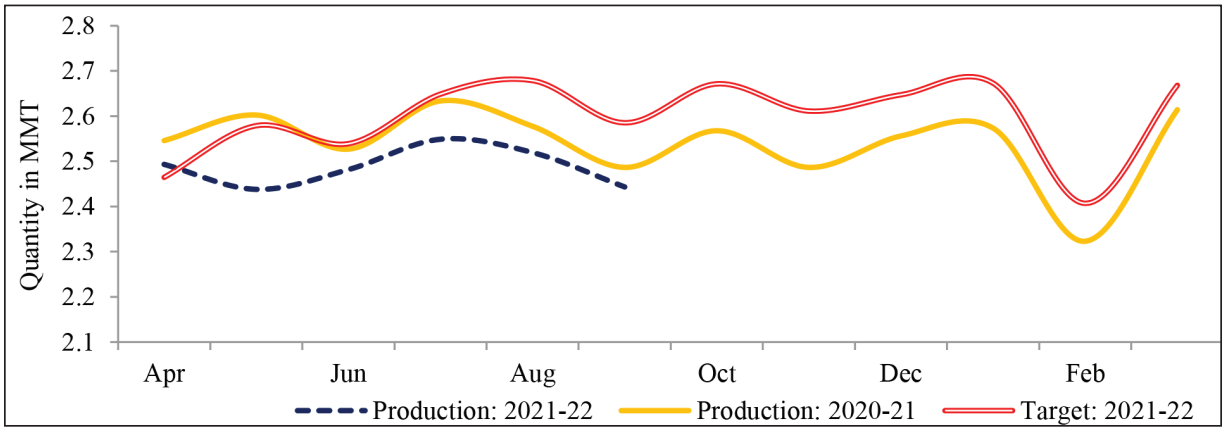

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

8.69 वर्ष 2020-21 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) था, जो कि 2019-20 में 31.18 बीसीएम और 2020-21 के लिए 33.57 बीसीएम के लक्ष्य की तुलना में 85.4 प्रतिशत था। 2020-21 में कम घरेलू तेल और गैस उत्पादन के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुराने और सीमांत क्षेत्रों से उत्पादन में गिरावट, अनियोजित बंद और कुछ उत्पादक कुओं से परिचालन नुकसान शामिल हैं (चित्र 40)।

चित्र 40 प्राकृतिक गैस का उत्पादन

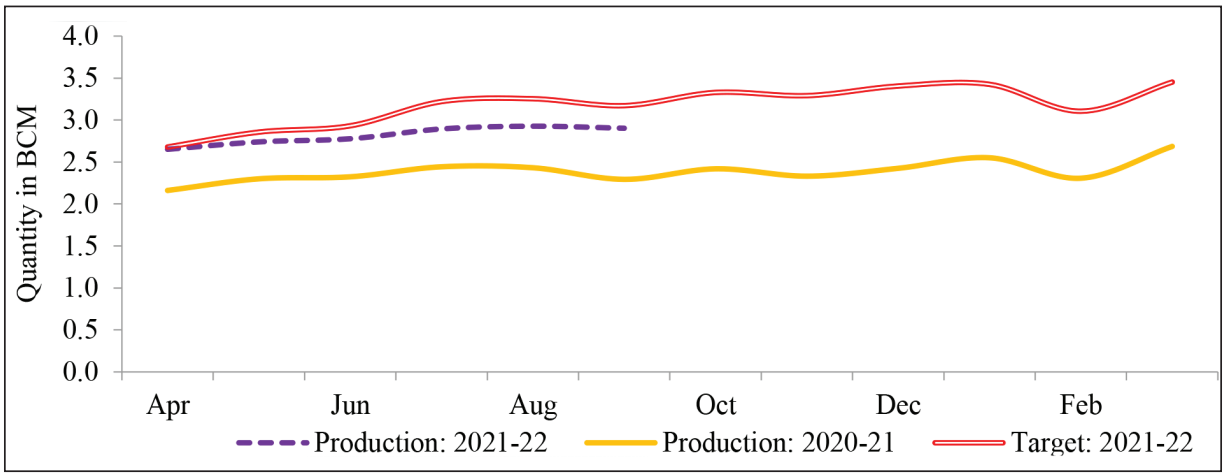

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

8.70 वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल का प्रसंस्करण 221.77 एमएमटी था, जबकि 2019-20 में 254. 39 एमएमटी था, जो 2020-21 के लिए 251.66 एमएमटी के लक्ष्य का 88.1 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है (चित्र 42)। कच्चे तेल के प्रसंस्करण में कमी मुख्य रूप से 2020-21 के दौरान कोविड-19 के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कम मांग के कारण थी।

चित्र 41 कच्चे प्रसंस्कृत तेल का उत्पादन

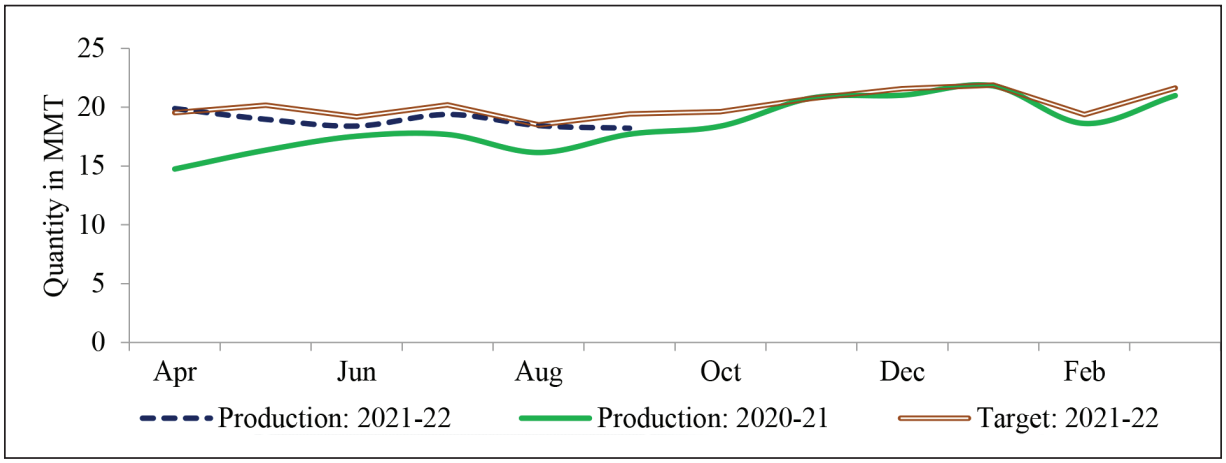

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

8.71 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 233.51 एमएमटी था, जबकि 2019-20 में 258.18 एमएमटी था, जो 2020-21 के लिए 259.02 एमएमटी के लक्ष्य की 90.2 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 194.30 एमएमटी थी, जो 2019-20 के दौरान 214.13 एमएमटी की खपत की तुलना में 9.3 प्रतिशत कम थी। कोविड (चित्र 42)।

चित्र 42 : पेट्रोलियम, कच्चे और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

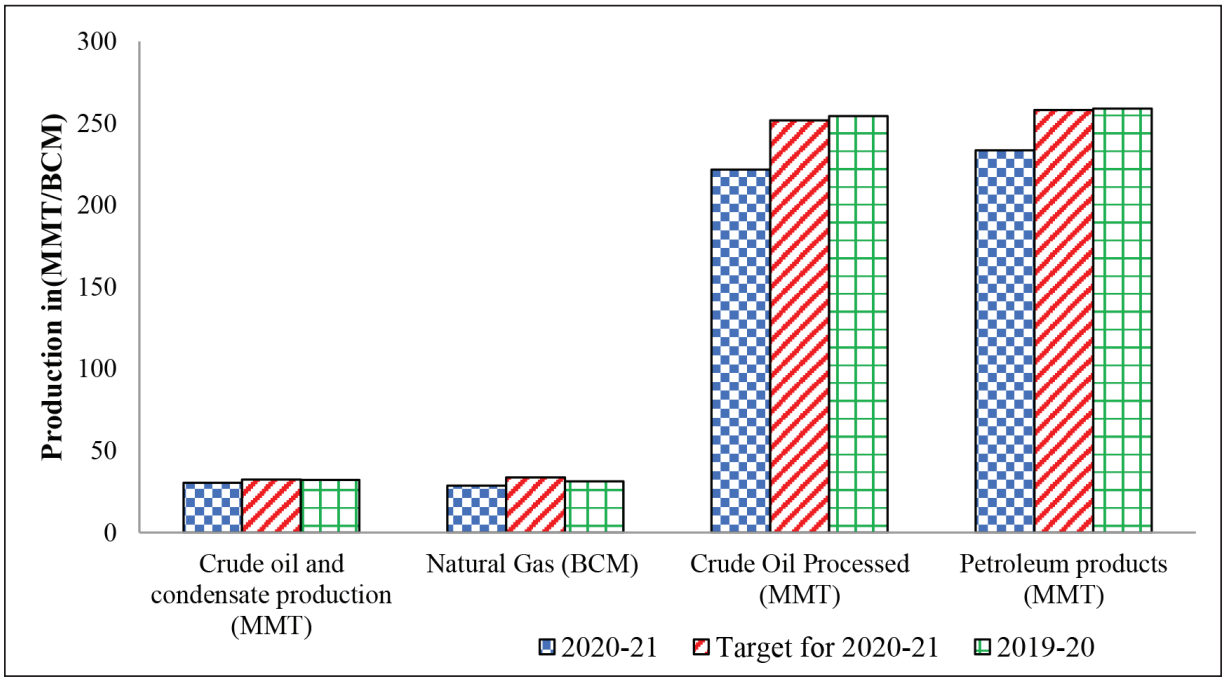

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

8.72 सरकार ने यह सुनिश्चित करके पारदर्शिता लाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं कि उद्योग की अनुमानित आवश्यकताओं को विधिवत अपलोड किया गया है, इस क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश के माध्यम से लेनदेन की लागत कम करें और कमजोर वर्गों को लाभ प्रदान करें। सितंबर, 2021 में लॉन्च किए गए ''लक्ष्य भारत पोर्टल'' के लिए सभी तेल और गैस संगठनों को भविष्य की आवश्यकताओं सहित उनके द्वारा खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं का विवरण अपलोड करने की आवश्यकता है। पोर्टल को तेल और गैस कंपनियों की वस्तुओं के पूंजीगत सामान और एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) की

सोर्सिंग के लिए एक केंद्रीय सूचना पूल में परिपक्व होने की योजना है, जो बदले में स्पष्ट मांग अनुमान प्रदान करने की उम्मीद है ताकि निर्माताओं को उनकी क्षमता और दायरा वृद्धि करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पोर्टल, जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है, ''आत्मनिर्भर भारत'' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गैस ग्रिड पर निवेश बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का विवरण बॉक्स 9 में दिया गया है।

8.73 पेट्रोलियम क्षेत्र ने बिना किसी रुकावट के देश भर में ईंधन की आपूर्ति को बनाए रखते हुए कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उज्ज्वला लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर की योजना ने गरीब परिवारों को कोविड के समय में बहुत जरूरी राहत प्रदान की। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण, उज्ज्वला 2.0, 10 अगस्त, 2021 को अखिल भारतीय आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन मुफ्त पहले रिफिल और स्टोव के साथ प्रदान किए गए थे। 25.10.2021 तक जहां इस चरण में 1 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहीं कुल 54.01 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उज्जवला 2.0 कम एलपीजी कार्यक्षेत्र वाले क्षेत्रों के प्रवासियों और गरीब महिलाओं पर केंद्रित है।

बॉक्स 9- राष्ट्रीय गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए किए गए उपाय

राष्ट्रीय गैस ग्रिड : राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड बनाने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 31.03.2021 तक देश भर में लगभग 33,764 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को अधिकृत किया है। नेशनल गैस ग्रिड भारत में सभी प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ेगा। यह सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और संभावित रूप से समान आर्थिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने में मदद करेगा। 31 मार्च 2021 तक, 19,998 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन चालू हैं और 15,369 किमी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (2016): राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करने के लिए, सरकार ने 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 5176 करोड़ रुपये (अर्थात 12,940 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत का 40 प्रतिशत) का पूंजीगत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य के 50 जिलों से होकर गुजरेगा।

नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (2020): सरकार ने 9,265 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 60 प्रतिशत (5,559 करोड़ रुपये) पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) / कैपिटल ग्रांट के साथ इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) की नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड परियोजना को मंजूरी दे दी है। 1,656 किलोमीटर लंबी नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड आठ पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगी।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (सीजीडी): पीएनजीआरबी ने देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 232 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है, जिसमें 27 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 400 से अधिक जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की आबादी का लगभग 71 प्रतिशत और 53 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है। 31.07.2021 तक, देश में कुल लगभग 79.47 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन और 3323 सीएनजी स्टेशनों को चालू किया गया है।

बिजली

8.74 भारत ने पूरी तरह से बिजली की कमी वाले देश से मांग को पूरी तरह से पूरा करने की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। भारत ने हर घर में बिजली की सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी उल्लेखनीय प्रगति की है। 31.03.2021 को कुल स्थापित बिजली क्षमता और कैप्टिव पावर प्लांट (1 मेगावाट

और उससे अधिक की मांग वाले उद्योग) 459.15 गीगावाट थे, जबकि 31.03.2020 को 446.35 गीगावाट की तुलना में 2.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। उपयोगिताओं में स्थापित क्षमता 31.03.2021 को 382.15 गीगावाट थी, जबकि 31.03.2020 को 370.11 गीगावाट की तुलना में - 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा के थर्मल स्रोत उपयोगिताओं में कुल स्थापित क्षमता का सबसे बड़ा - 61.42 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, इसके बाद अक्षय ऊर्जा संसाधन (आरईएस) 24.7 प्रतिशत और हाइड्रो 12.09 प्रतिशत के साथ आता है। अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता का मोड-वार और स्रोत-वार विवरण तालिका 6 में दिया गया है।

8.75 वर्ष 2020-21 के दौरान कैप्टिव संयंत्रों सहित कुल बिजली का उत्पादन 15.73 लाख गीगावाट आवर्स था, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान 16.23 लाख गीगावाट आवर्स, जिसमें से 13.73 लाख गीगावाट आवर्स उपयोगिताओं द्वारा और 2 लाख गीगावाट आवर्स कैप्टिव संयंत्रों में उत्पन्न हुआ। 2020-21 और 2019-20 के बीच, उपयोगिताओं के लिए डीजल आधारित तापीय ऊर्जा और कैप्टिव संयंत्रों के लिए आरइएस में बिजली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। मोड वार स्रोत के अनुसार बिजली उत्पादन का विवरण तालिका 7 में दिया गया है। चित्र 44, वर्ष 2020-21 के लिए कुल स्थापित क्षमता और बिजली उत्पादन की संरचना देता है।

नवीकरणीय ऊर्जा - सौर, पवन लघु जल ऊर्जा

8.76 भारत ने पिछले 7.5 वर्षों के दौरान सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में सबसे तेज वृद्धि देखी है, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 2.9 गुना और सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) देश की स्थापित बिजली क्षमता का 24.71 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लगभग 10.7 प्रतिशत है। 31 अक्टूबर 2021 तक, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (25 मेगावाट से अधिक जल विद्युत को छोड़कर) 103.05 गीगावॉट से अधिक हो गई है। पिछले 7.5 वर्षों के दौरान, यदि बड़े जलविद्युत को शामिल किया जाता है, तो विद्युत स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 38.27 प्रतिशत (अक्टूबर 2021 तक) होने का अनुमान है और विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 26.96 प्रतिशत (अगस्त 2021 के लिए) होने का अनुमान है। स्थापित क्षमता और बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में अंतर इसलिए है क्योंकि धूप के घंटों या हवा की सीमा में परिवर्तनशीलता जो बदले में स्थापित क्षमता के उपयोग को निर्धारित करेगी।

8.77 नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की सुविधा के लिए और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को फिर से आकार देने के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जीईसी परियोजना का उद्देश्य अक्षय स्रोतों जैसे सौर और पवन से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रनाइज करना है। योजना का पहला घटक, 3200 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनों और दूसरा घटक - इंट्रा-स्टेट जीईसी की लक्ष्य क्षमता के साथ 17,000 एमवीए क्षमता उप-स्टेशनों की लक्ष्य क्षमता के साथ अंतर-राज्य जीईसी, मार्च 2020 में पूरा किया गया था। । 9700 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन और 22,600 एमवीए क्षमता के सब-स्टेशन के जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है (बॉक्स 10 ऑन ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी)।

तालिका 6 अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता मोड-वार

Year	Thermal							Total (2+3+7+8)
in GW	Hydro	Steam	Diesel	Gas	Total Thermal (3+4+5)	Nuclear	RES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) Utilities								
2019-20	45.70	205.13	0.51	24.96	230.60	6.78	87.03	370.11
2020-21	46.21	209.30	0.51	24.92	234.73	6.78	94.43	382.15
% change	***1.12***	***2.03***	***0.00***	***-0.13***	***1.79***	***0.00***	***8.51***	***3.25***
(2) Non-Utilities (Industries having demand of 1 MW & above)								
2019-20	0.13	51.54	12.77	7.32	71.63	0.00	4.48	76.24
2020-21@	0.13	52.06	12.90	7.39	72.35	0.00	4.52	77.00
% change	***1.00***	***1.00***	***1.00***	***1.00***	***1.00***	***0***	***1.00***	***1.00***
(3) Installed Capacity : (1+2)								
2019-20	45.83	256.68	13.28	32.27	302.23	6.78	91.50	446.35
2020-21	46.34	261.35	13.41	32.31	307.08	6.78	98.95	459.15
% change	***1.12***	***1.82***	***0.96***	***0.13***	***1.60***	***0.00***	***8.14***	***2.87***

Source: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। @ Estimated

Table 7: All India Gross Generation Mode-Wise

Year	Thermal							Total (2+6+7+8)
(Lakhs GWh)	Hydro	Steam	Diesel	Gas	Total Thermal) (3+4+5)	Nuclear	RES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) Utilities Gross Electrical Energy Generation								
2019-20	1.56	9.94	0.00199	0.48	10.43	0.46	1.38	13.83
2020-21	1.50	9.81	0.00216*	0.51	10.33	0.43	1.47	13.73
% change	***-3.5***	***-1.3***	***9.0***	***5.2***	***-1.0***	***-7.4***	***6.4***	***-0.7***
(2) Non-Utilities Gross Electrical Energy Generation (Industries having capacity 1 MW & Above)								
2019-20	0.00	2.06	0.02	0.25	2.33	0.00	0.06	2.40
2020-21 @	0.00	1.69	0.02	0.21	1.92	0.00	0.07	2.00
% change	***0.7***	***-17.7***	***4.3***	***-16.5***	***-17.4***	***0.0***	***15.2***	***-16.5***
(3) Total Gross Electrical Energy Generation (1+2)								
2019-20	1.56	12.00	0.02	0.74	12.76	0.46	1.45	16.23
2020-21	1.51	11.51	0.02	0.72	12.25	0.43	1.55	15.73
% change	***-3.5***	***-4.1***	***4.8***	***-2.3***	***-4.0***	***-7.4***	***6.8***	***-3.1***

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। @ Estimated, * Provisional

Figure 44: Source of Installed Capacity and electricity generation 2020-21

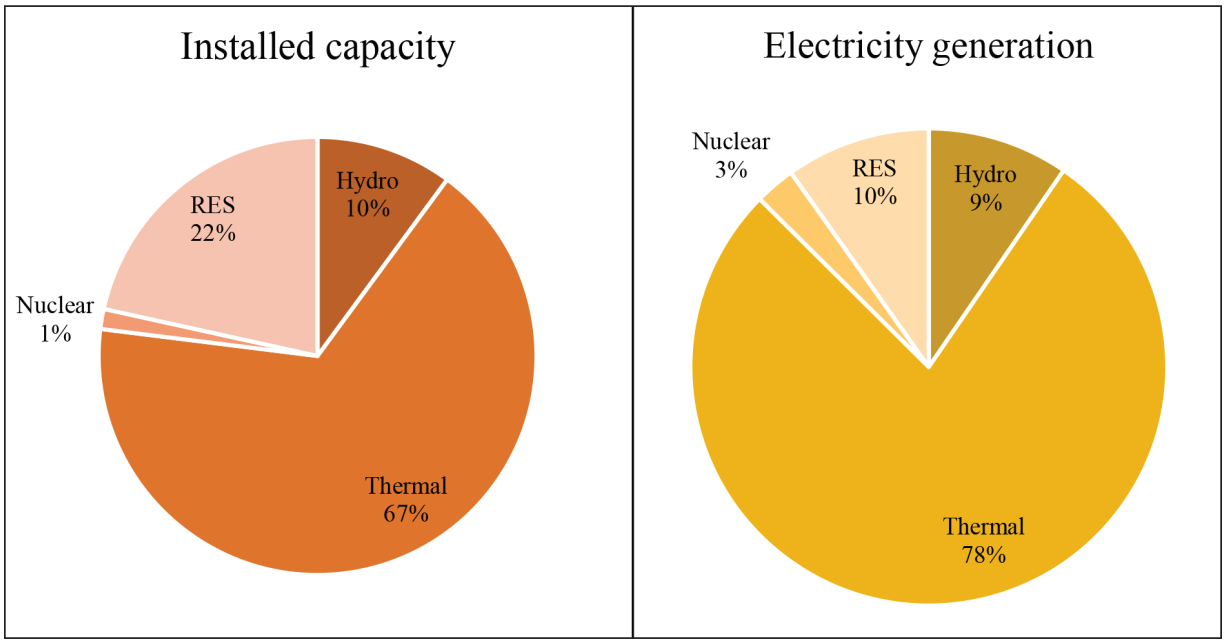

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण गणना। यूटिलिटीज और कैप्टिव प्लांट दोनों शामिल हैं। थर्मल में गैस, भाप और डीजल शामिल हैं।

चित्र 45: परिवर्तन, पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि और आपूर्ति के लिए उपलब्ध शुद्ध ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में लेखा जोखा न किया गया हो - 2019-20

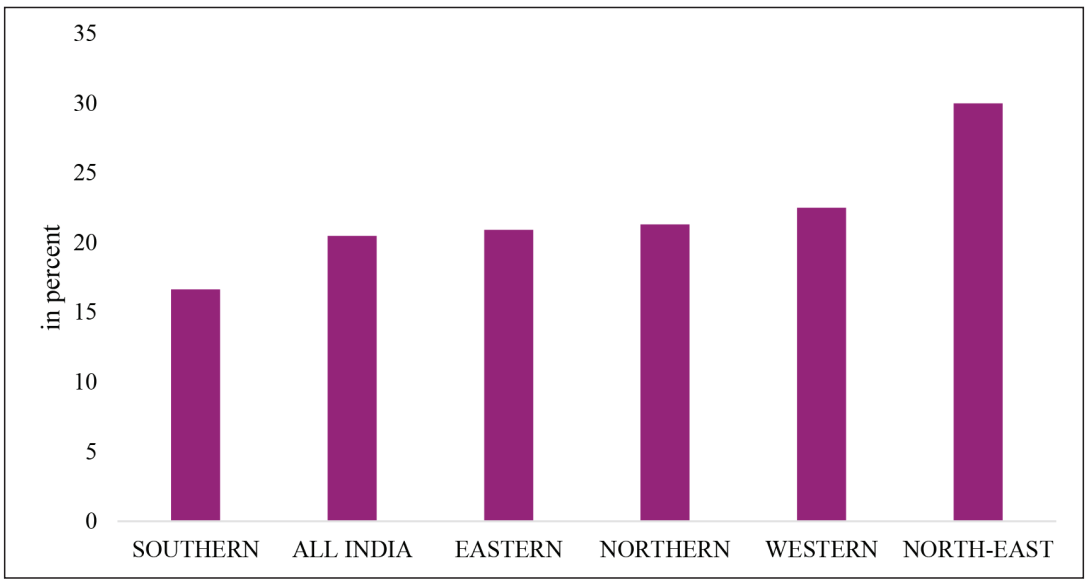

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

8.78 वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्तन, पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि पूरे भारत के लिए 20.46 प्रतिशत थी जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए सबसे अधिक थी - 29.98 प्रतिशत (चित्र 45)। इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को एक प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के माध्यम से त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन करने के लिए अनिवार्य किया है जो विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत और विभिन्न क्षेत्रों में संचरण और वितरण हानियों के बारे में विस्तृत जानकारी देगा और सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम करेगा।

बॉक्स 9- स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन काल

शुद्ध-शून्य कार्बन महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए शमन कार्रवाई के दो मुख्य स्तंभ ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों और इस ऊर्जा के भंडारण के लिए संक्रमण हैं। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट मिनरल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ बैटरी भंडारण के लिए यह संक्रमण अधिक खनिज गहन होगा। खनिज और धातु जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा, मैंगनीज, निकल आदि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर पीवी, पवन, परमाणु के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जबकि लिथियम और ग्रेफाइट जैसे खनिज ऊर्जा भंडारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए नीति के मोर्चे पर इसके लिए तैयारी करना संभव है। इस संबंध में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं-

- जिस गति से पारंपरिक जीवाश्म-ईंधन आधारित स्रोतों से बदलाव किया जाता है। गति ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में निवेश की सीमा और मिश्रण को निर्धारित करेगी।
- विकसित देशों के साथ शुद्ध-शून्य उत्सर्जन योजनाओं के अग्रदूत के रूप में, देर से आने के जोखिम से बचना महत्वपूर्ण है। खनिजों की अकुशल आपूर्ति पहले से ही खनिजों की कीमतों में वृद्धि कर रही है जो भविष्य में और भी अधिक बढ़ने की संभावना है।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करें। इसमें विकासशील प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल हो सकता है जो खनिजों का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और पुनः उपयोग करता है।

यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतों में हाल ही में उच्च ऊर्जा की मांग के कारण पूरे क्षेत्र में ठंडे मौसम और पवन टरबाइन चलाने के लिए धीमी हवाओं के कारण कम बिजली उत्पादन हुआ है। यूरोप द्वारा अनुभव किया जा रहा ऊर्जा संकट ऊर्जा के स्रोतों के विविध मिश्रण की आवश्यकता को सामने लाता है जिसमें जीवाश्म ईंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। साथ ही मांग पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर पीवी और पवन खेतों से रुक-रुक कर बिजली उत्पादन के लिए भंडारण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। .

निष्कर्ष

8.79 संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की शुरूआत, रिकॉर्ड टीकाकरण, विभिन्न पीएलआई योजनाएँ, जो मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई हैं, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम, कॉर्पोरेट कर की दर में कमी, सहित आत्म निर्भर भारत के तहत पहल आदि और परिचालन दक्षता में सुधार के कदमों ने औद्योगिक क्षेत्र को अपनी प्रगति बनाए रखने में मदद की है। इस क्षेत्र में तेजी से सुधार होना शुरू हो गया है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2021-22 में 11.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रदर्शन नवंबर 2021 में 1.4 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम रहा। पिछले वर्ष में इसी महीने को अप्रैल-नवंबर 2021 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देखा जाना चाहिए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में -15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आईआईपी के अधिकांश घटक लॉकडाउन के पूर्व स्तर पर वापस आ गए हैं।

8.80 सरकार ने औद्योगिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। आपूर्ति पक्ष के उपायों पर जोर देने के साथ, सुधार अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, मंद व्यापार प्रक्रियाओं और श्रम बाजार सुधारों की लंबे समय

से ज्ञात बाधाओं को दूर करते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की शुरूआत का उद्देश्य उन उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करना है जो प्रकृति में रणनीतिक हैं या प्रौद्योगिकी गहन हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करने की क्षमता का निर्माण करना है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए लेनदेन लागत को कम करने के साथ–साथ उद्योगों में पूंजी, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। नई सीपीएसई नीति विनिवेश के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है, जिससे सरकार को देश की विकासात्मक जरूरतों पर अपने संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हुए उनकी आगे की वृद्धि और दक्षता में सुधार के मार्ग खुलते हैं।

8.81 औद्योगिक क्षेत्र की बहाली, व्यापक सुधारों और बेहतर उपभोक्ता मांग से प्रेरित सकारात्मक व्यावसायिक अपेक्षाएं बताती हैं कि औद्योगिक प्रदर्शन में और सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

सेवा क्षेत्र

09
अध्याय

मार्च-मई 2020 के दौरान लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तथा अप्रैल-मई 2021 में दूसरी कोविड लहर के दौरान स्थानीयकृत लॉकडाउन के प्रभाव से सेवा क्षेत्र लगभग पूरी तरह से उबर चुका है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) पूर्व-महामारी स्तर को पार कर जाने के कारण सुधार अधिक स्पष्ट है। यद्यपि, संपर्क गहन उप-क्षेत्र होने के कारण, 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं' का जीवीए अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर से नीचे है। वर्ष 2021-22 में समग्र सेवा क्षेत्र का जीवीए 8.2 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि ओमीक्रोन वेरियंट का प्रसार निकट अवधि के लिए अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मानव संपर्क अपेक्षित है।

उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे कि सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक, हवाई माल भाड़ा एवं रेल भाड़ा वर्ष 2020 में नीचे आ गया। इन संकेतकों पर अप्रैल-मई 2021 में दूसरी कोविड लहर का प्रभाव मार्च-मई 2020 में सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान की तुलना में बहुत अधिक कम था। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, रेल माल भाड़ा अपने पूर्व-महामारी स्तर को पार कर गया, जबकि हवाई माल भाड़ा तथा बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व-महामारी स्तर पर पहुंच गया। घरेलू हवाई एवं रेल यात्री यातायात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। निर्यात में तेजी के बावजूद कंटेनर की कमी का मुद्दा बंदरगाह यातायात को प्रभावित कर रहा है।

सेवा निर्यात, वर्ष 2020-21 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान शुरुआती मंदी के बाद, वर्ष 2020-21 की चौथे तिमाही में अपने पूर्व-महामारी स्तर को पार कर गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान, सॉफ्टवेयर तथा आईटी सेवाओं के निर्यात की वैश्विक मांग से मजबूती प्राप्त करते हुए, सेवा निर्यात में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त, आईटी-बीपीएम सेवाओं का राजस्व वर्ष 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, इसी अवधि के दौरान 1.38 लाखकर्मचारियों को जोड़ा गया। सरकार ने आईटी-बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार नियमों को हटाने के लिए एक प्रमुख सुधार किया। नैसकॉम (NASSCOM) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, इन सुधारों ने अनुपालन भार को कम किया है, उत्पादकता में वृद्धि की है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है तथा भारत में व्यापार करने की लागत को कम किया है। इसी तरह, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर-सरकारी संस्थानों के लिए खोल दिया है, जिससे अंतरिक्ष संपत्तियों एवं गतिविधियों की सामाजिक-आर्थिक उपयोग में वृद्धि होगी। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान, सेवा

क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाह का लगभग 54 प्रतिशत है।

विगत छह वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स का उल्लेखनीय विकास हुआ है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2016-17 में केवल 733 थी। परिणामस्वरूप, भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इसके अतिरिक्त, 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जो एक रिकॉर्ड है, जिससे भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई, और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं।

परिचय

9.1 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। जबकि कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ क्योंकि भारत के जीवीए में इसकी भागीदारी वर्ष 2019-20 में 55 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22[1] में 53 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र के भीतर, कोविड-19 का प्रभाव विविध रहा। जबकि गैर-संपर्क सेवाएं जैसे सूचना, संचार, वित्तीय, पेशेवर एवं व्यावसायिक सेवाएं लचीली बनी रही। संपर्क आधारित सेवाएँ जैसे पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, आतिथ्य तथा मनोरंजन आदि पर बहुत गंभीर प्रभाव रहा।

कोविड-19 का प्रभाव तथा क्रमबद्ध सुधार

9.2 सेवा क्षेत्र वर्ष 2020-21 में वर्ष-दर-वर्ष 8.4 प्रतिशत संकुचित हुआ (तालिका 1)। यह गिरावट उप-क्षेत्र 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं' में वार्षिक 18.2 प्रतिशत के तेज संकुचन से प्रभावित थी। संपर्क-गहन प्रकृति के कारण, इस उप-क्षेत्र में शामिल सेवाओं को विद्यमान महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों का सबसे अधिक आघात सहना पड़ा। सेवा उप-क्षेत्र जैसे 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं' जिसमें एक तरफ सरकार द्वारा व्यय और दूसरी ओर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं, वर्ष में 2020-21 में 4.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष संकुचित हुआ। अपेक्षाकृत कम संपर्क गहन उप-क्षेत्र 'वित्तीय, अचल संपत्ति तथा पेशेवर सेवाएं वर्ष 2020-21 के दौरान इसके जीवीए में 1.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ सबसे कम प्रभावित हुई (तालिका 1)।

9.3 चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने लगातार सुधार दर्ज किया। कुल मिलाकर, सेवा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के पहली छमाही में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 1)। तिमाही अनुमानों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र (निर्माण को छोड़कर) में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर[2] को पार कर गया (तालिका 2, जो वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में जीवीए पर तिमाही जीवीए के प्रदर्शन की तुलना करती है)। उप-क्षेत्र श्व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, जो पिछले वर्ष सबसे अधिक प्रभावित हुई, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालाँकि, इस उप-क्षेत्र का त्रैमासिक जीवीए अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर से नीचे है (तालिका 2)। दूसरी ओर, श्लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओंश उप-क्षेत्र के जीवीए में जबरदस्त सुधार देखा गया। वर्ष 2021-22 के पहली छमाही के दौरान, उप-क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में अपने पूर्व-महामारी स्तर को पार कर गया

[1] वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार।

[2] पूर्व-महामारी स्तर, वर्ष 2019-20 के तीसरी छमाही के जीवीए को दर्शाता है

(तालिका 2)। कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी खर्च्च में बढ़ोतरी ने इस उप-क्षेत्र की सुधार में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, उप-क्षेत्र वित्तीय, अचल संपत्ति तथा पेशेवर सेवाओंश में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में वर्ष-दर-वर्ष 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका जीवीए पूरे समय लचीला रहा (तालिका 2)।

तालिका 1: सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

क्षेत्र	जीवीए में भागीदारी (प्रतिशत में)	वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) (प्रतिशत में)						
	2021-22 (एई)	2018-19 (दूसरी आरई)	2019-20 (पहली आरई)	2020-21 (पीई)	2021-22 (एई)	2021-22		
						पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	पहली छमाही
कुल सेवाएँ (निर्माण को छोडकर)	**53**	**7.2**	**7.2**	**-8.4**	**8.2**	**11.4**	**10.2**	**10.8**
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाएं	16.9	7.1	6.4	-18.2	11.9	34.3	8.2	18.4
वित्तीय, रियल एस्टेट तथा पेशेवर सेवाएं	20.9	7.2	7.3	-1.5	4.0	3.7	7.8	5.8
लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएं'	15.2	7.4	8.3	-4.6	10.7	5.8	17.4	12.0

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

नोट: जीवीए में भागीदारी वर्तमान मूल्य में है तथा जीवीए में वृद्धि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर है;

*: अन्य सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं अन्य व्यक्तिगत सेवाएं शामिल हैं

आरई: संशोधित अनुमान, पीई: अनंतिम अनुमान, एई: अग्रिम अनुमान

तालिका 2: सेवा उप-क्षेत्रों में वर्धित सकल मूल्य

पूर्व-महामारी स्तर से संबंधित (वर्ष 2019-20 तीसरी तिमाही जीवीए = 100)

क्षेत्र	2020-21 पहली तिमाही	2020-21 दूसरी तिमाही	2020-21 तीसरी तिमाही	2020-21 चौथी तिमाही	2021-22 पहली तिमाही	2021-22 दूसरी तिमाही
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	52	81	92	108	70	87
संचार, अस्पताल, संचार और संचार से संबंधित	123	126	107	107	127	136
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	78	88	98	103	83	104

कुल सेवाएं	84	99	99	106	94	109
कुल जीवीए	78	92	101	106	92	100

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

9.4 प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्ष 2021-22 में 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। उप-क्षेत्रों 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण सेवाओं', वित्तीय, अचल संपत्ति तथा पेशेवर सेवाओं और 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' में वर्ष 2021-22 में क्रमशः 11.9 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। यह वृद्धि होने का एक कारण वर्ष 2020-21 में कम आधार होना है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण लिखने के समय, ओमिक्रोन वेरियंट के कारण देश और दुनिया भर में नए प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, जो हो रहे सुधार के लिए नया जोखिम पैदा कर रहे थे, विशेष रूप से संपर्क गहन क्षेत्रों में।

उच्च-आवृत्ति संकेतकों में प्रवृत्ति

9.5 सेवा जीवीए में वृद्धि, जब क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), सेवा सूचकांक, माल यातायात तथा यात्री यातायात जैसे उच्च-आवृत्ति संकेतकों में प्रवृत्ति के साथ देखा जाता है, तो आर्थिक गति में वृद्धि का संकेत मिलता है।

सेवाएं क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

9.6 मार्च 2020 से लगातार पांच महीनों तक संकुचित पीएमआई सेवाओं द्वारा मापी गई भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधि में अक्टूबर 2020 में तेजी से सुधार हुआ। यह लगातार तीन महीनों (मई, जून और जुलाई 2021) के लिए दूसरी कोविड-19 लहर के परिणामस्वरूप फिर से नीचे आया। विशेष रूप से, मई-जुलाई 2021 के दौरान संकुचन उतना तेज नहीं था जितना पहले लॉकडाउन के दौरान देखा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्च 2020 में सम्पूर्ण लॉकडाउन के बजाय, सरकार ने दूसरी कोविड लहर के दौरान स्थानीय प्रतिबंधों की रणनीति अपनाया।

9.7 प्रतिबंधों में ढील के साथ, पीएमआई सेवाओं ने अगस्त 2021 से एक बार फिर से बढ़ना शुरू किया, जो अक्टूबर 2021 में 10 वर्षों में सबसे मजबूत छलांग लगाकर 58.4 हो गई (चित्र 1 (ए))। दिसंबर 2021 में पीएमआई सूचकांक 55.5 पर आ गया।

माल यातायात

9.8 मार्च 2020 में सम्पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप माल यातायात (रेल, हवाई और बंदरगाह) में तेजी से गिरावट आई [चित्र 1 (ख, ग तथा घ)]। जून 2020 से जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे खुली, माल यातायात में भी सुधार होने लगा। अप्रैल-जून 2021 के दौरान माल यातायात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो आंशिक रूप से पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान निम्न आधार से वापसी को दर्शाती है। मार्च-मई 2020 में सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान की तुलना में इन संकेतकों पर अप्रैल-मई 2021 में दूसरी कोविड लहर का प्रभाव बहुत अधिक कम था।

9.9 वर्ष 2021-22 (दिसंबर तक) में, भारतीय रेलवे द्वारा कुल माल ढुलाई 1,029.94 मिलियन टन (एमटी) थी जो वर्ष 2020-21 में इसी अवधि के दौरान 870.08 मीट्रिक टन से 18.37 प्रतिशत अधिक है। वास्तव में, भारतीय रेलवे ने पूर्व-महामारी वर्ष (2019-20) के दौरान इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जहां माल ढुलाई 888.88 मीट्रिक टन थी।

9.10 भारतीय हवाई अड्डों ने वर्ष 2021-22 (नवंबर तक) में 20.97 लाख टन माल ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.44 लाख टन माल ढुलाई हुई थी, जिसमें 45.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह अप्रैल-नवंबर 2019 की पूर्व-महामारी अवधि के दौरान 22.88 लाख टन के हवाई माल ढुलाई से थोड़ा कम है।

9.11 अप्रैल-नवंबर 2021 के बीच, भारतीय बंदरगाहों ने वर्ष 2020 में इसी अवधि के दौरान 779.1 मीट्रिक टन की तुलना में 857.3 मीट्रिक टन का कुल माल यातायात संभाला, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021 में अब तक दर्ज किया गया कार्गो यातायात अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान लगभग 864.3 मीट्रिक टन के पूर्व-महामारी स्तर तक पहुंच गया।

चित्र 1(क): सेवाएँ पीएमआई सूचकांक

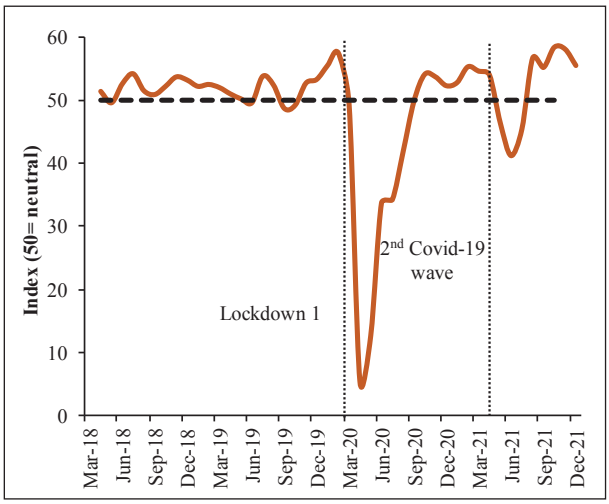

चित्र 1(ख): रेल माल यातायात

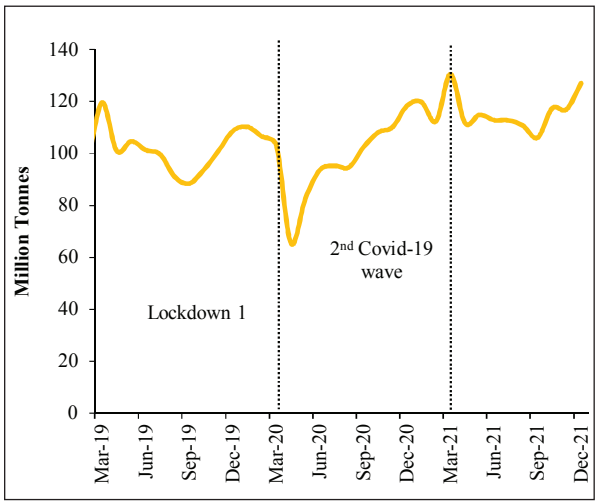

चित्र 1(ग): हवाई माल यातायात

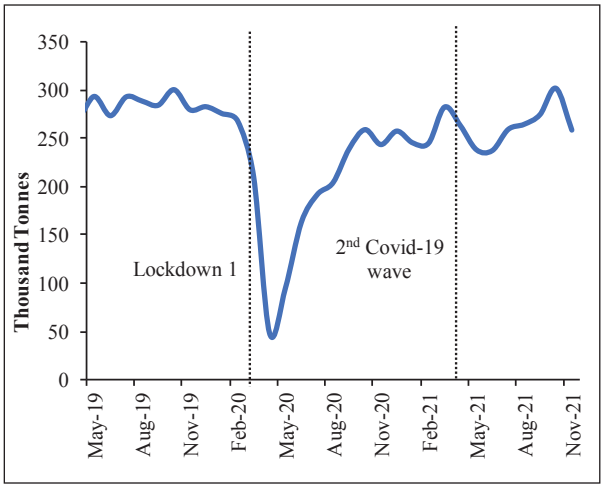

चित्र 1(घ): कार्गो यातायात

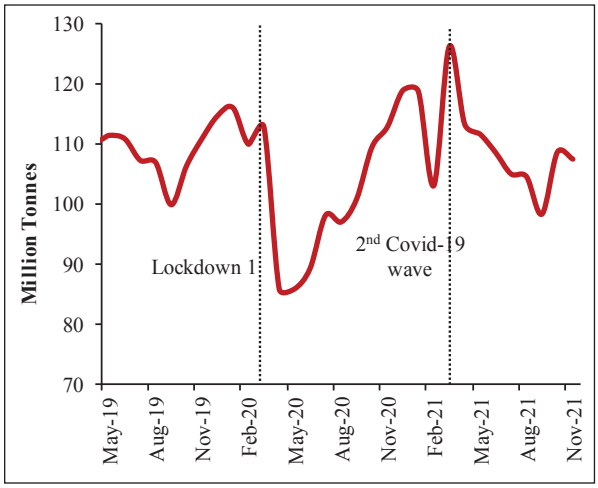

चित्र 1(ङ): घरेलू हवाई यात्री यातायात

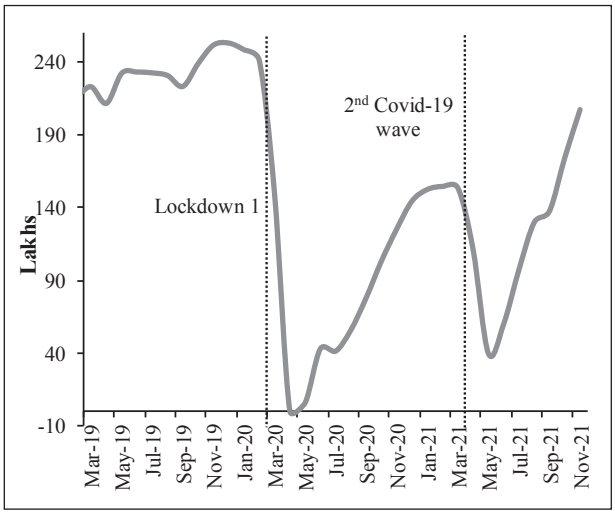

चित्र 1(च): रेल यात्री यातायात

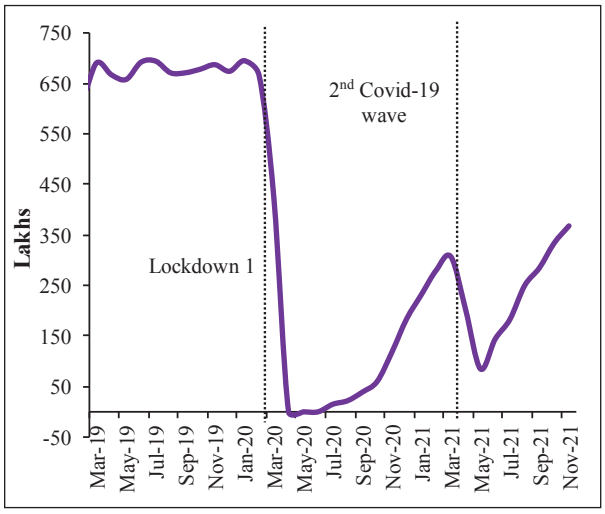

स्रोत: आईएचएस मार्किट अर्थशास्त्र, भारतीय रेलवे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

यात्री यातायात

9.12 वर्ष 2020-21 की शुरुआत में यात्रा प्रतिबंधों ने भारतीय विमान सेवाओं तथा रेलवे की आवाजाही को अवरोधित किया, जिससे विमान एवं रेल यात्री यातायात में भारी गिरावट आई [चित्र 1 (च और छ)]। घरेलू यात्री यातायात (विमान तथा रेल दोनों) मासिक आधार पर अगस्त 2020 से उतरोतर ठीक होना शुरू हुआ, लेकिन अप्रैल-मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों से फिर से नीचे गिर गया। उसके बाद से सुधार हुआ है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, विमान सेवाओं ने 9.56 करोड़ से अधिक घरेलू यात्रियों का परिवहन किया। मासिक आंकड़ा बताता है कि विमान यात्री यातायात धीरे-धीरे पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच रहा है। दूसरी ओर, रेलवे यात्री यातायात अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से काफी नीचे है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 185.1 करोड़ से अधिक घरेलू यात्रियों का परिवहन किया। ओमिक्रॉन वेरियंट के उद्भव तथा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों ने निकट अवधि में घरेलू यात्री यातायात के लिए जोखिम उत्पन्न किया है।

सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण

9.13 सेवा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण वृद्धि, जो वर्ष 2019 में काफी कम हो गई थी, वर्ष 2020 में बढ़ना शुरू हुई, जो दिसंबर 2019 के 6.2 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2020 के अंत में बढ़कर 8.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई (चित्र 2)। इस गति ने वर्ष 2021-22 में अपनी गतिक्रम खो दी। नवंबर 2021 के अंत में, बैंक ऋण वृद्धि अपने एक वर्ष पूर्व के 8.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कॉरपोरेट्स ने अब तक वर्ष 2021-22 में बैंकिंग पूंजी की तुलना में पूंजी बाजार के माध्यम से अधिक धन जुटाया है (विवरण के लिए अध्याय 4 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता देखें)।

चित्र 2: सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में वृद्धि

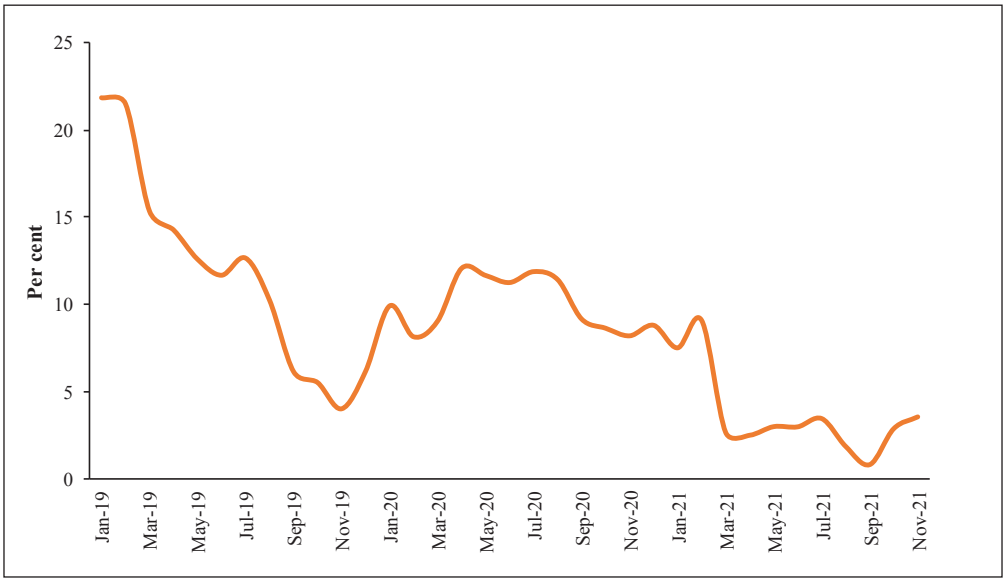

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 3: सेवा उप-क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

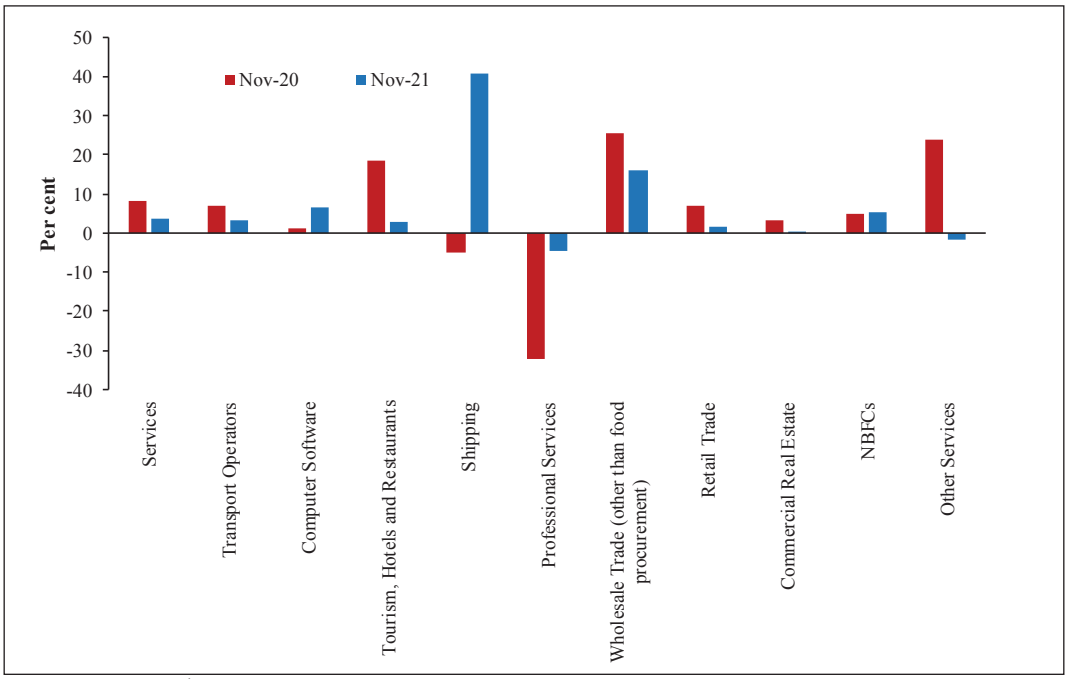

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: आंकड़ा नवंबर 2020 तथा 2021 तक ऋण को दर्शाता है।

9.14 सेवा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण में नवंबर 2021 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 8.2 प्रतिशत थी (चित्र 3)। विकास में मंदी मुख्य रूप से 'पर्यटन, होटल एवं रेस्तरां', 'परिवहन

संचालकों' तथा खुदरा खुदरा के साथ-साथ थोक व्यापार के ऋण में कम वृद्धि के कारण है। दूसरी ओर, 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर', 'नौवहन' और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' में बैंक ऋण में वृद्धि हुई।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी

9.15 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान है (तालिका 3)। चंडीगढ़ जीएसवीए में 74 प्रतिशत पर सेवाओं की विशेष रूप से उच्च हिस्सेदारी के साथ खड़ा है, जबकि सिक्किम का हिस्सा 24.25 प्रतिशत पर सबसे कम है। विशेष रूप से, सिक्किम के जीएसवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 24 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

9.16 इसी तरह, पिछले तीन वर्षों में, हिमाचल प्रदेश तथा ओडिशा के लिए जीएसवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सेवा जीएसवीए में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक शीर्ष दो योगदानकर्ता हैं, जिसमें क्रमशः वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र द्वारा 15.1 लाखकरोड़ रुपये और 9.71 लाखकरोड़ रुपये का सकल मूल्य जोड़ा गया है।

9.17 कोविड-9 महामारी तथा आवाजाही में प्रतिबंधों के कारण, सेवा क्षेत्र में जीएसवीए में पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के सापेक्ष 2020-21 में गिरावट आई। यह 20 में से 13 राज्यों के लिए सही है, जिसका आंकड़ा उपलब्ध है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान में सेवा जीएसवीए में लगभग 11 प्रतिशत तथा झारखंड और पंजाब में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई। दूसरी ओर, सिक्किम ने वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा जीएसवीए में 11.71 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की।

तालिका 3: राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश स्तर पर सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

राज्य	जीवीए में सेवा का हिस्सा (प्रतिशत)			सेवा जीवीए में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	64.09	64.82	64.82	5.05	5.66	-
आंध्र प्रदेश	42.25	41.86	41.64	8.24	6.20	-6.71
अरुणाचल प्रदेश	47.84	46.82	-	-1.19	12.22	-
असम	39.20	42.37	-	-1.64	8.08	-
बिहार	54.78	56.20	57.14	13.94	7.30	-0.11
चंडीगढ़	73.47	74.00	-	2.66	5.50	-
छत्तीसगढ	30.02	30.64	31.18	8.32	7.71	0.75
दिल्ली	67.84	68.22	68.58	6.20	7.30	-5.48
गोवा	26.54	28.69	-	2.15	6.43	-
गुजरात	25.18	25.73	-	11.03	8.01	-
हरियाणा	40.74	41.98	42.83	7.36	9.02	-5.67
हिमाचल प्रदेश	30.68	32.62	35.45	5.68	7.75	0.50
जम्मू और कश्मीर	53.39	54.66	57.15	10.58	3.04	2.08

झारखंड	34.50	37.28	36.19	9.51	8.23	-9.99
कर्नाटक	52.83	54.83	56.08	8.72	6.73	-3.05
केरल	52.24	53.29	-	7.78	4.09	-
मध्य प्रदेश	33.30	32.94	31.14	9.96	8.70	-8.94
महाराष्ट्र	45.19	47.10	-	7.24	8.29	-
मणिपुर	60.31	59.77	-	6.62	5.53	-
मेघालय	56.55	58.33	59.62	10.89	8.19	-8.67
मिजोरम	49.61	50.82	-	6.63	16.49	-
नगालैंड	57.56	57.45	-	8.59	7.92	-
उड़ीसा	30.27	32.70	34.37	2.24	8.43	-1.01
पुदुचेरी	33.91	34.57	-	6.68	7.95	-
पंजाब	40.43	42.34	41.83	6.95	5.60	-9.40
राजस्थान	43.43	44.01	43.07	11.18	4.43	-10.95
सिक्किम	18.20	21.82	24.25	11.54	20.92	11.71
तमिलनाडु	40.80	41.21	41.81	5.65	5.40	1.11
तेलंगाना	53.89	54.90	54.53	7.91	5.69	-3.94
त्रिपुरा	45.45	45.87	47.95	8.98	13.78	1.78
उतार प्रदेश	40.77	42.32	42.35	7.64	7.72	-8.50
उत्तरखंड	27.99	28.58	-	6.41	6.03	-
पश्चिम बंगाल	46.15	47.81	49.77	5.87	7.74	0.59

स्रोत: भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक।

नोट: - सर्वेक्षण लिखते समय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह

9.18 भारत में सेवा-क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जो वर्ष 2019 के नौवें स्थान से चार स्थानों का सुधार किया है। वर्ष 2020-21 में, भारत ने 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया है। देश को वर्ष 2021-22 के पहली छमाही में 43.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ। अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह, अर्थात एफडीआई अंतर्वाह से पुन:निवेशित अर्जन को घटाने के बाद, 31.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक थी।

9.19 वर्ष 2021-22 के पहली छमाही के दौरान, सेवा क्षेत्र को 16.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में सेवा में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की तुलना में 29 प्रतिशत कम है। यह गिरावट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उप-क्षेत्र के कारण थी। वर्ष 2020-21 के पहली छमाही में, 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर' उप-क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 17.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट के साथ 7.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यद्यपि, यह अभी भी वर्ष 2019-20 के पहली छमाही

के दौरान इस उप-क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह से 77 प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर, शिक्षा उप-क्षेत्र में अप्रैल-सितंबर 2021 में 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मजबूत अंतर्वाह देखी गई। फिर भी, इस अवधि के दौरान भारत में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का भागीदारी अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक है (तालिका 4)।

तालिका 4: सेवा क्षेत्र में सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

सेवा उप-क्षेत्र	वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में भागीदारी (प्रतिशत में)'	(मिलियन अमेरिकी डॉलर)					
		2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल-सितंबर 2019	अप्रैल-सितंबर 2020	अप्रैल-सितंबर 2021
वित्तीय, व्यापार, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान तथा विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण	18.84	9,158	7,854	5,060	4,455	2,252	3,152
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर	42.59	6,415	7,673	26,145	4,025	17,554	7,124
व्यापार	12.27	4,462	4,574	2,608	2,143	949	2,052
दूरसंचार	2.25	2,668	4,445	392	4,280	7	376
सूचना एवं प्रसारण	0.54	1,252	823	314	196	161	91
होटल एवं पर्यटन	2.21	1,076	2,938	369	859	283	370
अस्पताल एवं नैदानिक केंद्र	1.97	1,045	635	501	376	163	329
शिक्षा	13.44	777	3,245	1,250	216	604	2,248
खुदरा व्यापार	1.38	443	472	1,338	243	1,230	231
परामर्शदात्री सेवाएं	0.91	411	1,047	938	473	110	153
समुद्री परिवहन	2.22	279	199	294	173	144	372
विमान परिवहन	1.14	191	918	204	114	97	190
कृषि सेवाएं	0.25	88	46	124	23	60	42
सेवा क्षेत्र में सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)		28,265	34,868	39,539	17,577	23,612	16,727
पिछले वर्ष से परिवर्तन (प्रतिशत)		-2.4	23.4	13.4	33.1	34.3	-29.2
भारत में सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)		44,366	49,977	59,636	26,096	30,004	31,153

सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत में)	63.7	69.8	66.3	67.4	78.7	53.7

स्रोत: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

नोट: ': सितंबर 2021 तक

सेवा क्षेत्र में व्यापार

9.20 कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक सेवाओं में मंदी मुख्यत: यात्रा एवं पर्यटन पर प्रतिबंध तथा परिवहन सेवा मुख्य रूप से यात्रियों की कमी के कारण थी (डब्ल्यूटीओ, 2021)। अब तक 2021 में, विश्वव्यापी व्यापक टीकाकरण और वैश्विक आर्थिक गतिविधि में फिर से शुरू होने के परिणामस्वरूप सेवाओं के वैश्विक व्यापार में सुधार के संकेत मिले हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, वैश्विक सेवा व्यापार अप्रैल-जून 2021 में सकारात्मक विकास क्षेत्र में लौट आया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से काफी हद तक पलटाव को दर्शाता है, वह तिमाही जिसमें कोविड-19 के कारण सबसे मजबूत प्रभाव महसूस किया गया। वस्तुओं की बढ़ती मांग, कम क्षमता के नौवहन तथा उच्च माल ढुलाई लागत से बल मिला, परिवहन सेवा में वर्ष-दर-वर्ष सुधार हुआ। हालांकि, यात्रा सेवाएं पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे हैं। सुधार के संकेतों के बावजूद, विश्व व्यापार संगठन को उम्मीद है कि वर्ष 2021 में वैश्विक सेवाओं के व्यापार में वस्तु व्यापार की तुलना में धीमी गति से वृद्धि होगी, विशेष रूप से यात्रा तथा मनोरंजन से संबंधित क्षेत्रों में।

सेवा निर्यात

9.21 वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की प्रमुख स्थान है (चित्र 4)। यह वर्ष 2020 में शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में बना रहा, विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी भागीदारी वर्ष 2019 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 4.1 प्रतिशत हो गई।

चित्र 4: विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी

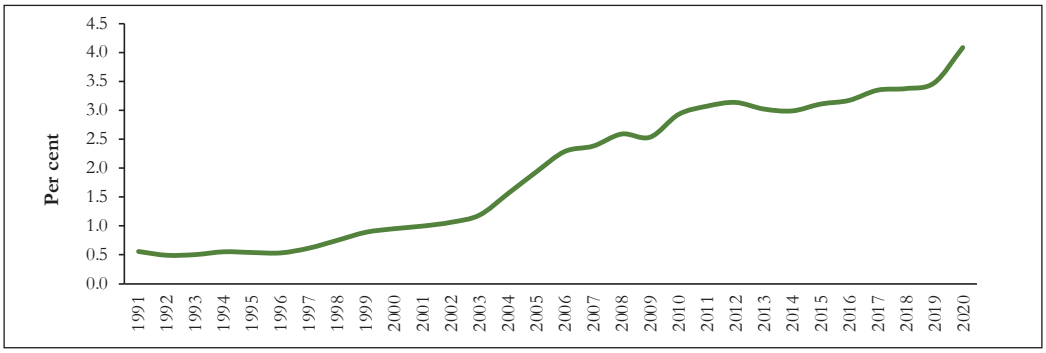

स्रोत: विश्व बैंक

नोट: वाणिज्यिक सेवा निर्यात कुल सेवा निर्यात हैं, सरकारी सेवाओं के निर्यात को घटाकर अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है। सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (1993) द्वारा परिभाषित किया गया है, जो अमूर्त वस्तुओं के आर्थिक प्रतिफल के रूप में है जो एक ही समय में उत्पादित, स्थानांतरित एवं उपभोग किया जा सकता है।

9.22 व्यापारिक निर्यात की तुलना में भारत के सेवाओं का निर्यात पर कोविड-19 प्रेरित वैश्विक लॉकडाउन का प्रभाव कम गंभीर था। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत के माल निर्यात (बीओपी आधार) में 7.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जबकि सेवा निर्यात में केवल 3.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई। यात्रा निर्यात में प्रभाव बहुत गंभीर था, जो वर्ष 2020-21 में लगभग 72 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2021-22 के पहली छमाही के दौरान, व्यापक टीकाकरण अभियान तथा वैश्विक मांग में तेजी के साथ, भारत के सेवा निर्यात में एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 7.8 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 5)। निर्यात में सुधार लगभग सभी सेवा उप-क्षेत्रों में देखा गया, यात्रा सेवाओं को छोड़कर, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा तथा पर्यटन पर लगातार प्रतिबंधों के कारण संकुचन मोड में रही (तालिका 5)।

तालिका 5: उप-क्षेत्र द्वारा सेवा व्यापार प्रदर्शन

वस्तु समूह	भागीदारी (प्रतिशत में)		मूल्य (बिलियन अमेरिक डॉलर)				वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)			
	2010-11	2020-21	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-सितंबर)	2021-22 (अप्रैल-सितंबर)	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-सितंबर)	2021-22 (अप्रैल-सितंबर)
कुल सेवा निर्यात	100	100	213.19	206.09	96.75	117.64	2.5	-3.3	-7.8	21.6
यात्रा	12.7	4.1	30.00	8.48	4.01	3.74	5.5	-71.7	-72.5	-6.6
परिवहन	11.4	10.6	20.99	21.85	10.17	14.32	7.8	4.1	-3.3	40.7
बीमा	1.6	1.2	2.43	2.38	1.15	1.57	-8.7	-2.2	-3	35.9
जीएनआईई'	0.4	0.3	0.66	0.63	0.29	0.42	8.0	-4.5	-8.8	43.7
सॉफ्टवेयर सेवा	42.6	48.5	93.10	100	47.41	57.57	11.50	8.6	2.9	21.4
व्यापार सेवा	19.3	23.9	45.72	49.16	22.91	26.82	16.90	7.5	2.5	17.1
वित्तीय सेवा	5.2	2.1	4.73	4.34	2.01	2.50	-2.60	-8.3	-20.3	24.4
संचार	1.3	1.4	2.72	2.80	1.37	1.57	6.30	2.9	2.4	15.0
कुल सेवा आयात	100	100	128.27	117.52	54.9	66.24	1.80	-8.4	-14.2	20.7
यात्रा	13.7	9.8	22.01	11.51	5.53	6.80	1.40	-47.7	-54.8	23.1
परिवहन	17.2	16.8	24.28	19.76	8.98	14.80	18.30	-18.7	-25.9	64.9
बीमा	1.7	1.8	1.74	2.06	0.92	1.00	-2.90	18.4	19.9	9.6
जीएनआईई'	1.0	0.9	1.11	1.02	0.52	0.43	-0.70	-7.7	-14	-16.6
सॉफ्टवेयर सेवा	2.7	8.7	8.46	10.26	4.62	5.65	45.50	21.2	15.6	22.4
व्यापार सेवा	34.4	42.1	46.88	49.52	23.87	24.09	16.00	5.6	4.1	0.9
वित्तीय सेवा	9.3	4.1	2.92	4.76	2.17	2.58	-16.30	63.2	94.8	19.0
संचार	1.4	1.2	1.30	1.44	0.66	0.58	14.70	11.0	3.2	-11.3

सेवा व्यापार संतुलन	100	100	84.92	88.57	41.84	51.40
माल व्यापार संतुलन			−157.51	−102.15	−25.81	−75.13

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक
नोट: *: सरकार अन्यत्र शामिल नहीं है।

9.23 भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात, कुल सेवा के निर्यात में 48.5 प्रतिशत की भागीदारी के साथ, नई महामारी चुनौतियों के लिए डिजिटल सहयोग, क्लाउड सेवा एवं आधारभूत अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च मांग के साथ कोविड-19 अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लचीला रहा। शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपने विनिर्माण, वित्तीय, बैंकिंग तथा बीमा, संचार, खुदरा-व्यापार, जीवन विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बढ़े हुए राजस्व के कारण वर्ष 2021-22 के पहली छमाही में 21 प्रतिशत (+ के संदर्भ में) से अधिक की औसत राजस्व वृद्धि दर दर्ज की।

9.24 वर्ष 2019-20 तक, भारत यात्रा सेवा-क्षेत्र का बेहतरीन निर्यातक था। हालाँकि, दुनिया भर में लगाए गए आवागमन प्रतिबंधों के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन में गिरावट के बीच, यात्रा पर प्राप्त राजस्व पूर्व-महामारी स्तर से नीचे रहीं। अप्रैल-सितंबर 2021 में, यात्रा निर्यात 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-सितंबर 2020 में यूएस डॉलर 4 बिलियन से थोड़ा कम है और वर्ष 2019 में इसी अवधि (अर्थात पूर्व-महामारी समय) के दौरान यूएस डॉलर 14.6 बिलियन से कहीं अधिक कम है। वर्ष 2020-21 में व्यापार गतिविधि में मंदी तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण परिवहन सेवा के निर्यात से प्राप्त राजस्व में वृद्धि 4.1 प्रतिशत तक कम हो गई। हालांकि, सीमा पार व्यापार गतिविधि को फिर से शुरू करने तथा परिवहन लागत को प्रभावित करने वाले शिपिंग कंटेनरों में कमी के साथ, परिवहन से प्राप्त राजस्व में 2021-22 की पहली छमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 40.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 5)।

9.25 अन्य क्षेत्रों में, व्यावसायिक सेवा के निर्यात में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहां तक कि मुख्यत: पेशेवर एवं प्रबंधन परामर्श से संबंधित आमदानी में वृद्धि के कारण पूर्व-महामारी के स्तर को भी पार कर गया।

सेवा आयात

9.26 मुख्यत: यात्रा एवं परिवहन भुगतान में गिरावट के कारण सेवा निर्यात की तुलना में वर्ष 2020-21 में भारत की सेवा आयात में 8.4 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई।

9.27 वर्ष 2021-22 के पहली छमाही के दौरान, लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट तथा घरेलू आर्थिक गतिविधियां पुनरारंभ होने के कारण सेवा आयात में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि थी। प्रमुख क्षेत्रों में, विदेशी यात्रा के भुगतान में वर्ष-दर-वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, हालांकि, यह अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर से काफी नीचे है। नौवहन जहाजों की अंतर्राष्ट्रीय कमी के कारण परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जो अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान परिवहन सेवा के कारण खर्च में 64.9 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है। भारत की सेवा आयात में सबसे बड़ी श्रेणी व्यावसायिक सेवा में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यावसायिक सेवा के भुगतान में वृद्धि तकनीकी, व्यापार संबंधित, अन्य व्यावसायिक सेवा, विदेशों में कार्यालयों के रखरखाव के लिए उच्च बहिर्गामी प्रेषण के कारण हुई।

9.28 वर्ष 2020-21 में यात्रा तथा परिवहन सेवा निर्यात को प्रभावित करने वाले कोविड-19 महामारी के बावजूद, सेवा के सकल निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई, सॉफ्टवेयर, व्यापार तथा परिवहन सेवा के निर्यात से सहायता प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के पहली छमाही में सेवा के शुद्ध निर्यात में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रमुख सेवाएं: उप-क्षेत्रवार प्रदर्शन तथा नवीनतम नीतियां

9.29 सेवा क्षेत्र के अधिकांश उप-क्षेत्र, विशेषत: विमानन, पर्यटन तथा बंदरगाह यातायात वर्ष 2020-21 में कोविड-19 से संबंधित वैश्विक बंद तथा आवागमन में प्रतिबंधों के कारण मंद पड़ गए। वर्ष 2021-22 में अब तक, इन उप-क्षेत्रों ने सुधार के संकेत दिखाए हैं, जो काफी हद तक पिछले वर्ष की इसी अवधि से पलटाव को दर्शाता है।

9.30 मार्च 2020 से सभी वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे विदेशी पर्यटक यात्रा प्रभावित हुई और फलस्वरूप पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय प्रभावित हुई। दूसरी ओर, घरेलू यात्री यातायात में सुधार के कुछ संकेत देखे गए। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, 95.63 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 45.2 मिलियन थी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान बंदरगाहों पर कार्गो यातायात लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 857.31 मिलियन टन (एमटी) हो गया, जबकि अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान 779.16 मीट्रिक टन था (तालिका 6)। यह भाग सेवा क्षेत्र के कुछ प्रमुख उप-क्षेत्रों के विकास पर विस्तार से चर्चा करता है।

तालिका 6: भारत के सेवा क्षेत्र में प्रमुख उप-क्षेत्रों का प्रदर्शन

उप-क्षेत्र	संकेतक	इकाई	वर्ष				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आईटी-बीपीएम (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर को छोड़कर)	आईटी-बीपीएम राजस्व	अमेरिकी डॉलर बिलियन	151.4	161.8	174.3	177.9 (E)	-
	निर्यात	अमेरिकी डॉलर बिलियन	125.1	135.5	146.6	149.1 (E)	-
	घरेलू	अमेरिकी डॉलर बिलियन	26.3	26.3	28	28.9 (E)	-
विमानन	एयरलाइन यात्री	मिलियन		344.7	340.9	115.7	106.5#
	घरेलू	मिलियन		275.2	274.4	105.6	95.6#
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन		69.4	66.5	10.1	10.9#
दूरसंचार	वायरलेस फोन सब्स्क्रिप्शन[a]	मिलियन	1,183.4	1,161.8	1157.8	1181	1,180.8##
	वायरलेस इंटरनेट सब्स्क्रिप्शन[a]	मिलियन	472.7	582.8	720.8	799.3	810.1##
पर्यटन	विदेशी पर्यटकों का आगमन[b]	मिलियन	10.0	10.6	10.9	2.74###	-
	पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय[b]	अमेरिकी डॉलर बिलियन	27.3	28.6	30.1	6.96###	-

शिपिंग	शिपिंग का सकल टन भार	मिलियन टन	12.6	12.8	12.7	13	12.96^
	जहाजों की संख्यां	संख्या	1,382	1,405	1,431	1,463	1,488^
बंदरगाह	बंदरगाह यातायात	मिलियन टन	1,208.6	1,277.3	1317.7	1246.1 (P)	857.3#
	कार्गो क्षमता (प्रमुख बंदरगाह)	मिलियन टन	1,451.2	1,514.1	1,514.9	1,510.6	–

स्रोत: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), दूरसंचार विभाग, पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नैसकॉम।

नोट: [a]: आगामी वित्तीय वर्ष के मार्च तक; [b]: कैलेंडर वर्ष के आधार पर; #अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए; ##: जून 2021 तक; ###: जनवरी-जून 2020; @: जून 2021 तक; ^अगस्त 2021 तक। पी = अनंतिम। E= नैसकॉम अनंतिम अनुमान

पर्यटन क्षेत्र

9.31 सामान्य समय में, जीडीपी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आय तथा रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण भारत सहित हर जगह वैश्विक यात्रा तथा पर्यटन को कमजोर करने वाला प्रभाव पड़ा है।

9.32 संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (जनवरी 2021) के विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, यात्रा पर प्रतिबंध, कम उपभोक्ता विश्वास तथा कोविड-19 प्रसार को अवरोधित करने हेतु वैश्विक संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन कुल 1.5 बिलियन तक पहुंच गया था, और वर्ष 2020 में घटकर 381 मिलियन हो गया, जिससे निर्यात राजस्व में अमेरिकी डॉलर 1.3 ट्रिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में यह गिरावट वर्ष 2021 में भी जारी है। जनवरी-सितंबर 2021 के दौरान, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन वर्ष 2020 में इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत कम और वर्ष 2019 के स्तर से 64 प्रतिशत नीचे था।

9.33 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की पुनरारंभ बड़े पैमाने पर यात्रा प्रतिबंधों, सामंजस्यपूर्ण सुरक्षा तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल तथा उपभोक्ताओं के विश्वास को बहाल करने में मदद करने के लिए प्रभावी संचार के संदर्भ में देशों के बीच एक समन्वित प्रतिक्रिया पर निर्भर करती रहेगी। यह ऐसे समय में विशेषत: महत्वपूर्ण है जब कुछ क्षेत्रों में मामले बढ़ रहे हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नए कोविड-19 वेरियंट सामने आ रहे हैं।

9.34 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, भारतीय हवाई क्षेत्र नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मार्च 2020 में सभी वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया। इस प्रतिबंध को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मई 2020 से विभिन्न देशों के साथ विशेष राजनयिक व्यवस्था (हवाई यात्रा व्यवस्था) के तहत स्वदेश वापसी में मदद करने के लिए संचालित हो रही हैं। वर्तमान में, भारत में 35 देशों के साथ परिवहन बबल हैं। इस मिशन के तहत,

[3] ''परिवहन बबल'' या ''हवाई यात्रा व्यवस्था'' दो देशों के बीच अस्थायी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है जब कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। वे पारस्परिक प्रकृति के हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों देशों की एयरलाइनों को समान लाभ प्राप्त होना।

[4] अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूस, रवांडा, सऊदी अरब , सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, तंजानिया, यूक्रेन, यूएई, यूके, यूएसए, उज्बेकिस्तान।

जो वर्तमान में अपने 15वें चरण में है, 31 दिसंबर, 2021 तक 47,000 से अधिक इनबाउंड और आउटबाउंड उड़ानें संचालित की गई हैं, जिसमें 63.55 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।

9.35 लेखन के समय, कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रसार के कारण विश्व भर में नए प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। इस प्रकार, पर्यटन क्षेत्र, विशेषत: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रक्षेपवक्र अनिश्चित बना हुआ है।

आईटी बीपीएम सेवाएं

9.36 सूचना प्रौद्योगिकी-व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन (आईटी-बीपीएम) क्षेत्र भारत की सेवाओं का एक प्रमुख भाग है। वर्ष 2020-21 के दौरान, नैसकॉम के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, आईटी-बीपीएम राजस्व (ई-कॉमर्स को छोड़कर) 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.38 लाखकर्मचारियों को जोड़ता है।

आईटी-बीपीएम उप-क्षेत्रों की भागीदारी

9.37 आईटी-बीपीएम क्षेत्र के भीतर, आईटी सेवाओं का अधिकांश भागीदारी (झ 51 प्रतिशत) है (चित्र 5)। इसका भागीदारी पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ है। आईटी-बीपीएम क्षेत्र में सॉफ्टवेयर तथा इंजीनियरिंग सेवाओं की भागीदारी, जो प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही थी, वर्ष 2020-21 में मामूली गिरावट के साथ 20.78 प्रतिशत रह गई। बीपीएम सेवाओं की भागीदारी 19.8 प्रतिशत पर समान रहा, जबकि हार्डवेयर सेवाओं की भागीदारी थोड़ा सुधरकर 8.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 में, आईटी सेवा, सॉफ्टवेयर तथा इंजीनियरिंग सेवा, बीपीएम सेवा तथा हार्डवेयर सेवा ने क्रमश: अमेरिकी डॉलर 99.1 बिलियन, अमेरिकी डॉलर 40.3 बिलियन, अमेरिकी डॉलर 38.5 बिलियन और अमेरिकी डॉलर 16.1 बिलियन का राजस्व अर्जित किया।

चित्र 5: आईटी-बीपीएम राजस्व में उप-क्षेत्रों की भागीदारी (हार्डवेयर एवं ई-कॉमर्स को छोड़कर)

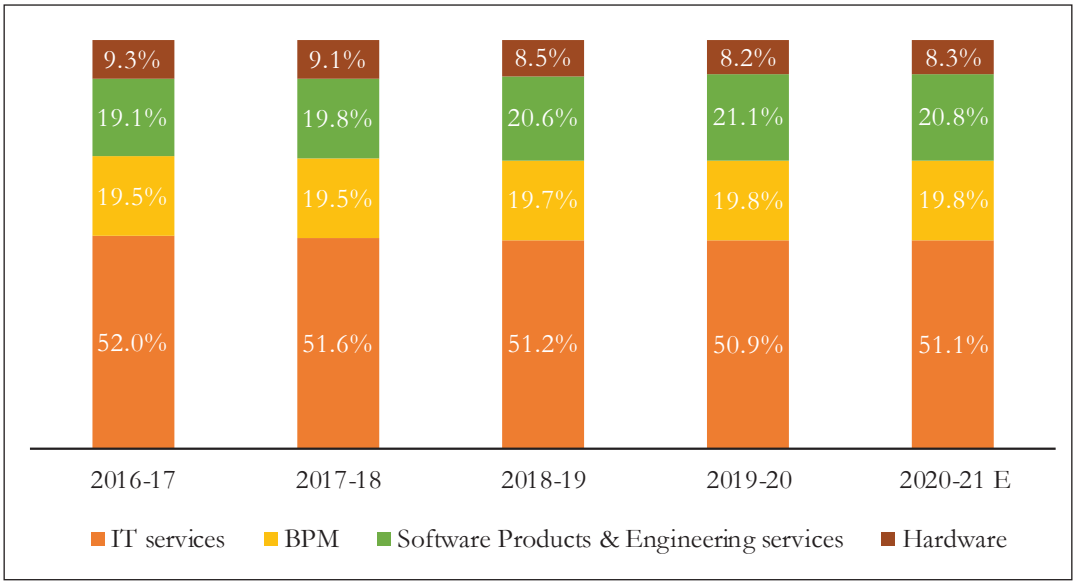

स्रोत: नैसकॉम। नोट: ई: अनुमान।

आईटी-बीपीएम क्षेत्र में निर्यात का भागीदारी

9.38 वर्ष 2020-21 के दौरान, आईटी-बीपीएम क्षेत्र (हार्डवेयर एवं ई-कॉमर्स को छोड़कर) में कुल राजस्व 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ा। इस राजस्व का एक बड़ा भाग निर्यात से आता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, निर्यात राजस्व 1.93 प्रतिशत बढ़कर 149.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया (तालिका 7)।

तालिका 7: भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग का निर्यात तथा घरेलू बाजार का आकार (हार्डवेयर एवं ई-कॉमर्स को छोड़कर)

वर्ष	राजस्व (अमेरिकी डॉलर बिलियन)			प्रतिशत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)		
	घरेलू	निर्यात	कुल	घरेलू	निर्यात	कुल
2016-17	23.8	116.1	139.9	10.45	7.64	8.11
2017-18	26.3	125.1	151.4	10.44	7.77	8.22
2018-19	26.3	135.5	161.8	-0.27	8.34	6.84
2019-20	28.0	146.3	174.3	6.70	7.93	7.73
2020-21E	28.9	149.1	177.9	3.01	1.93	2.11

स्रोत: नैसकॉम। नोट: ई: अनुमान।

9.39 वर्ष 2020-21 में आईटी-बीपीएम क्षेत्र (हार्डवेयर तथा ई-कॉमर्स को छोड़कर) के निर्यात में कुल 149.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से, बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) का 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान रहा, जो निर्यात का 41 प्रतिशत से अधिक है। हाई-टेक/दूरसंचार तथा विनिर्माण सेवाओं ने 26.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो क्रमश: 17.65 तथा 16.28 प्रतिशत की भागीदारी है (चित्र 6)। सभी तीन उप-क्षेत्रों में 2020-21 वर्ष-दर-वर्ष में निर्यात राजस्व में मामूली वृद्धि देखी गई, जिसमें बीएफएसआई में 3 प्रतिशत, हाई-टेक/दूरसंचार सेवा में 2 प्रतिशत तथा विनिर्माण सेवाओं में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चित्र 6: भारतीय आईटी-बीपीएम निर्यात राजस्व का क्षेत्र-वार विवरण (हार्डवेयर तथा ई-कॉमर्स को छोड़कर) (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

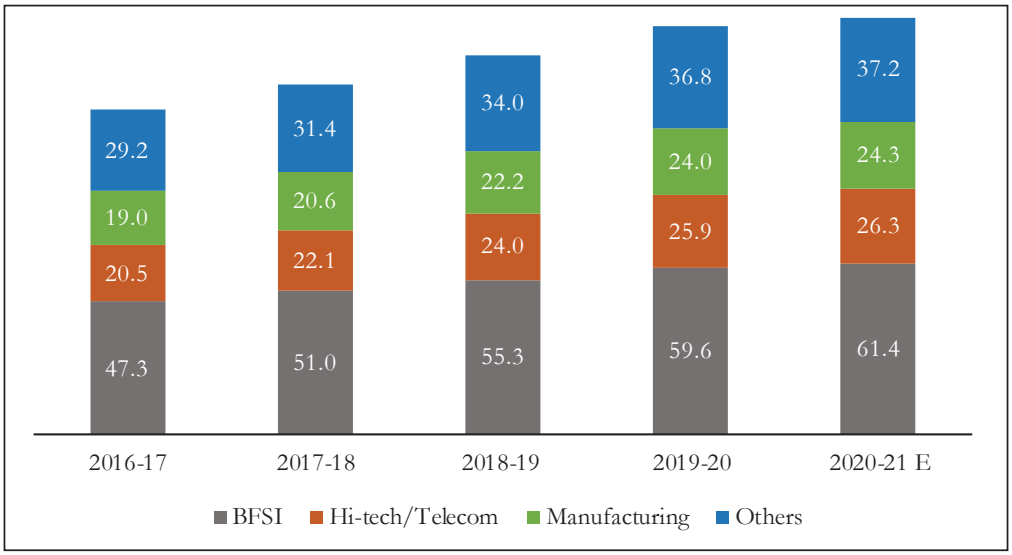

स्रोत: नैसकॉम। नोट: ई: अनुमान।

नोट: अन्य में खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया आदि जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं।

निर्यात राजस्व का वितरण

9.40 संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2020-21 में 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात राजस्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा (चित्र 7)। यह कुल आईटी-बीपीएम निर्यात (हार्डवेयर तथा ई-कॉमर्स को छोड़कर) का लगभग 62 प्रतिशत है। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का स्थान है, जो लगभग 17 प्रतिशत की भागीदारी के साथ आईटी-बीपीएम सेवाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ग्रेट ब्रिटेन को निर्यात से होने वाला राजस्व वर्ष 2020-21 में 25.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत की निर्यात आय में यूरोप (ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर) और एशिया-प्रशांत का क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत भागीदारी है।

चित्र 7: भारत के आईटी-बीपीएम निर्यात (हार्डवेयर तथा ई-कॉमर्स को छोड़कर) का भौगोलिक विवरण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

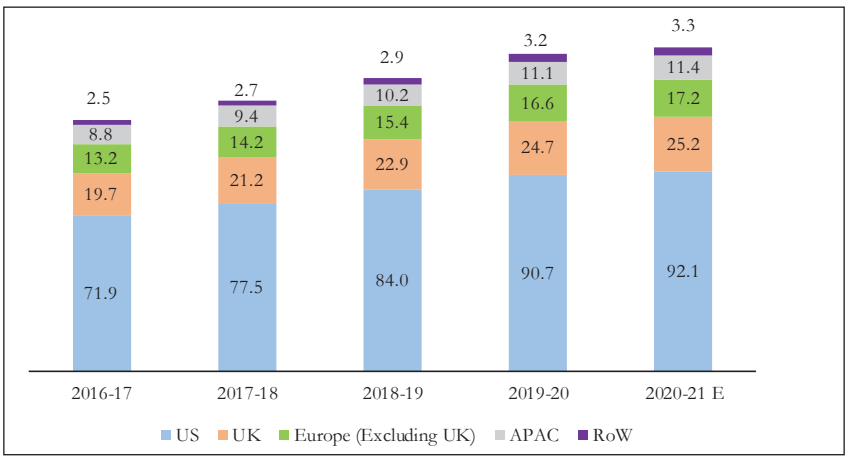

स्रोत: नैसकॉम। नोट: ई: अनुमान।

9.41 पिछले वर्ष के दौरान, अन्य सेवा प्रदाता विनियमों (अधिक विवरण के लिए बॉक्स 1 देखें), और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 सहित इस क्षेत्र में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कई नीतिगत पहल की गई। इससे प्रतिभा तक अभिगम का विस्तार होगा, रोजगार सृजन बढ़ेगा और इस क्षेत्र को विकास एवं नवाचार के अगले स्तर तक पहुंचाएगा।

बॉक्स 1: आईटी-बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार विनियमों को हटाना

पिछले वर्ष, सरकार ने आईटी-बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार नियमों को उदार बनाने के लिए एक बड़ा सुधार किया। विधिक भाषा में, इन्हें अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) कहा जाता है। नए संशोधित एवं सरलीकृत ओएसपी दिशानिर्देश पहले नवंबर 2020 में तथा आगे जून 2021 में जारी किए गए। इससे पहले, ओएसपी को संशोधित नियम एवं शर्तें - अन्य सेवा प्रदाता 2008 के तहत विनियमित किया गया था।

अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके टेलीमेडिसिन, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और अन्य आईटी सक्षम जैसी सेवाओं को चलाने वाली आईटी एवं आईटी-सक्षम सेवा कंपनियों को अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) के रूप में पंजीकृत होना तथा ओएसपी विनियमों के सख्त दायित्वों का पालन करना आवश्यक था। आवेदन और अनुमोदन प्रक्रियाएं जटिल थीं तथा अनुपालन दायित्व जैसे कि अवसंरचना को साझा करने के संबंध में, घर से काम करने की व्यवस्था, ईपीएबीएक्स का उपयोग एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि कठिन थे जो अनुपालन को चुनौतीपूर्ण बना दिया।

इन मुद्दों का समाधान करने वाले संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

- ओएसपी की स्पष्ट परिभाषा: नए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता उन संस्थाओं तक सीमित है जो अपने ग्राहकों को ''वॉयस-आधारित बीपीओ सेवाएं'' प्रदान करती हैं। वॉयस-आधारित बीपीओ सेवा को कॉल सेंटर सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। नए दिशानिर्देशों ने स्पष्ट किया है कि नॉन-वॉयस-आधारित संस्थाएं ओएसपी व्यवस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होंगी।
- पंजीकरण आवश्यकता को हटाना। भारत में ओएसपी केंद्रों के लिए किसी पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाना: इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सुविधा या व्यवस्था के लिए किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
- घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के बीच के अंतर को समाप्त करना: ओएसपी का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है और एक एकल ओएसपी श्रेणी को उनके घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन की परवाह किए बिना पेश किया गया है।
- घर तथा दूरस्थ स्थानों से कार्य करने की अनुमति: घर/कहीं भी प्रतिनिधियों को ओएसपी केंद्र के दूरस्थ प्रतिनिधि के रूप में माना जाएगा। वायरलाइन/वायरलेस पर ब्रॉडबैंड सहित किसी भी तकनीक का उपयोग करके दूरस्थ प्रतिनिधियों के बीच इंटरकनेक्शन की अनुमति है। दूरस्थ प्रतिनिधि अब ओएसपी केंद्र से जुड़े बिना सीधे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ईपीएबीएक्स)/केंद्रीकृत ईपीएबीएक्स से जुड़ सकता है।
- ओएसपी के बीच इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति: एक या असंबंधित कंपनी के दो या दो से अधिक ओएसपी केंद्रों के बीच इंटरकनेक्शन की अब अनुमति है।
- अवसंरचना को साझा करना: ओएसपी के बीच अवसंरचना को साझा करने की अब अनुमति है। दिशानिर्देश विदेशी स्थानों पर ईपीएबीएक्स के उपयोग की अनुमति देता हैं।

यह सुधार भारत में आईटी-बीपीओ उद्योग के विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा तथा अधिक आय और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा।

नैसकॉम ने आईटी-बीपीओ क्षेत्र पर ओएसपी सुधारों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अक्टूबर से नवंबर 2021 के बीच एक सर्वेक्षण किया। इसके निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- 92 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि ओएसपी सुधारों ने अनुपालन भार को कम करने में मदद की है। जबकि 28 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि उनका अनुपालन भार 50 प्रतिशत से अधिक कम हो गया, 20 प्रतिशत प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि अनुपालन में 40-50 प्रतिशत की कमी आई है। 15 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया दिया कि अनुपालन में 30-40 प्रतिशत की कमी (चित्र 1क)।
- 24 प्रतिशत उतरदाताओं को उम्मीद है कि ओएसपी सुधारों से रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, 10 प्रतिशत को उम्मीद है कि इससे भारत में व्यापार करने की लागत कम होगी, जबकि 64 प्रतिशत इन सभी लाभों के अर्जित होने की उम्मीद करते हैं (चित्र 1 ख)।
- इसके अतिरिक्त, 83 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि इन सुधारों से वित्तीय भार को कम करने में मदद मिलेगी; 24 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा कि इन सुधारों ने उनके संगठन की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है; और 94 प्रतिशत ने कहा कि इन सुधारों से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

चित्र 1 क: अनुपालन भार में कमी?

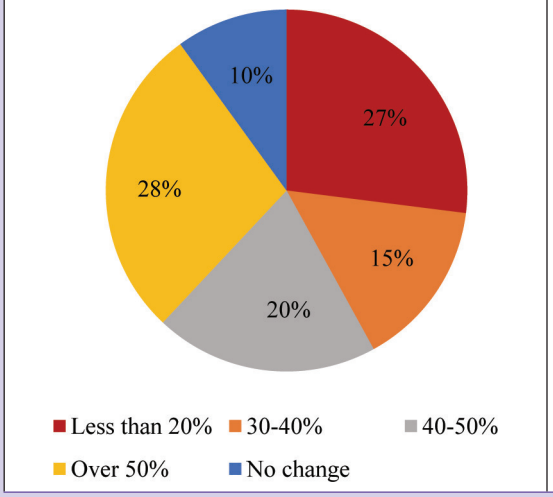

चित्र 1 ख: ओएसपी सुधार: उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव

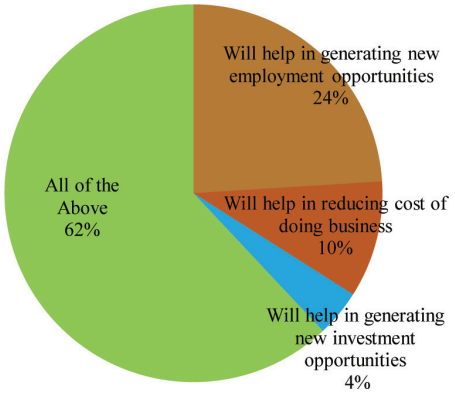

- लगभग सभी प्रतिभागी घर से कार्य/कहीं से भी कार्य करने की छुट से संतुष्ट थे।
- 62 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि वे अगले 5 वर्षों में अपने रोजगार में 5-10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करेंगे; तथा लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नए स्थानों में विस्तार करने का संकेत दिया।

बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग सेवाएं

9.42 बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बंदरगाह भारत में आयात-निर्यात कार्गो का लगभग 90 प्रतिशत तथा मूल्य के हिसाब से 70 प्रतिशत संभालते हैं। मार्च 2021 तक सभी बंदरगाहों की कुल कार्गो क्षमता बढ़कर 1,246.86 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हो गई, जबकि मार्च 2014 में 1,052.23 एमटीपीए थी।

9.43 कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों से प्रभावित, भारतीय के बंदरगाहों पर कार्गो यातायात वर्ष 2020-21 के दौरान 5.4 प्रतिशत घटकर 1,246.86 मीट्रिक टन हो गया, जो वर्ष 2019-20 के दौरान 1,317.73 मीट्रिक टन था। अब तक वर्ष 2021-22 में बंदरगाह यातायात में वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 10.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है (चित्र 8)। वर्ष 2021-22 के पहले आठ महीनों के दौरान, बंदरगाहों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 779.2 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 858.3 मीट्रिक टन का कुल यातायात का संचालन किया।

चित्र 8: सभी बंदरगाहों पर यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

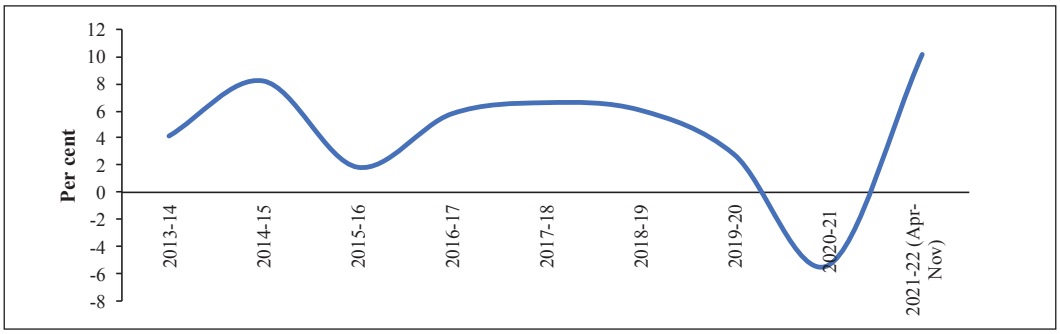

स्रोत: बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

9.44 प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान लगभग 465.4 मिलियन टन यातायात का संचालन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। लगभग सभी प्रमुख बंदरगाहों ने (एसएमपी कोलकाता, विजाग और मोरमुगोआ बंदरगाहों को छोड़कर) यातायात में उच्च वृद्धि दर्ज की, जो आंशिक रूप से पिछले वर्ष के समान समय के दौरान कम आधार से पलटाव को दर्शाता है। चेन्नई में कामराजर बंदरगाह ने 70.9 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, उसके बाद जेएनपीटी बंदरगाह ने 27.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दीनदयाल पोर्ट ने अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान अधिकतम 85.12 मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया।

9.45 बंदरगाह क्षेत्र की दक्षता का प्रमुख संकेतक शिपिंग टर्नअराउंड टाइम (टीआरटी) है। पिछले सात वर्षों में, प्रमुख बंदरगाहों पर टीआरटी वर्ष 2015-16 में लगभग 3.64 दिनों से घटकर 2021 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.25 दिन हो गया है। अब टर्नअराउंड टाइम जेएनपीटी बंदरगाह पर सबसे कम (1.16 दिन) तथा विशाखापत्तनम एवं मोरमुगाओ बंदरगाहों पर सबसे अधिक है (तालिका 8)। कामराजार बंदरगाह ने वर्ष 2015-16 में औसत टर्नअराउंड टाइम को 6.5 दिन से कम करके 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 2 दिन से भी कम समय करने में सबसे बड़ा सुधार दिखाया है।

9.46 यूएनसीटीएडी के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नौवहन का औसत टर्नअराउंड टाइम वर्ष 2020 में 1 दिन था। यह वर्ष 2019 की तुलना में थोड़ा अधिक है जब टर्नअराउंड टाइम 0.97 दिन था। वर्ष 2020 के दौरान, वायरस प्रसार को रोकने के लिए, टर्मिनल संचालकों, अधिकारियों तथा इंटरमॉडल परिवहन प्रदाताओं ने सामाजिक संपर्क को कम करने के लिए कदम उठाए। इसने बंदरगाह के संचालन को धीमा कर दिया, जिससे बंदरगाह पर जहाजों द्वारा व्यतीत समय में वृद्धि हुई।

तालिका 8: प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जहाजों का औसत टर्नअराउंड टाइम (दिनों में)

बंदरगाह	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21@	2021-22 (अप्रैल-दिसम्बर)
कोलकाता	3.98	4.73	4.11	3.84	4.21	3.18	2.87#
हल्दिया	3.27	3.45	3.76	3.04	3.62	3.09	2.46#
पारादीप	4.50	4.99	3.31	2.51	2.98	2.42	2.28
विशाखापत्तनम	3.84	3.75	2.58	2.51	2.48	2.75	3.15
कामराजार (एन्नोर)	6.53	2.70	2.20	1.97	1.85	1.79	1.95
चेन्नई	2.53	2.51	2.21	1.98	2.00	2.14	2.24
वीओ चिदंबरनारी	3.73	4.40	2.69	1.96	2.01	1.92	2.02
कोचीन	2.18	1.99	1.54	1.47	1.51	1.49	1.44
न्यू मैंगलोर	2.63	2.35	2.04	1.93	1.91	1.91	1.94
मोरमुगाओ	3.65	4.51	2.63	2.63	2.69	3.15	3.15
मुंबई	4.61	3.27	3.72	2.52	2.56	2.46	3.10
जेएनपीटी	2.44	2.01	2.24	2.13	2.00	1.19	1.16
दीनदयाल (कांडला)	4.66	4.40	2.51	3.01	2.94	2.83	2.48
सभी प्रमुख बंदरगाह	**3.64**	**3.43**	**2.68**	**2.48**	**2.59**	**2.33**	**2.25**

स्रोत: बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

नोट: @: वर्ष 2020-21 के दौरान औसत टर्नअराउंड टाइम डी-बोर्डिंग तक पायलट बोर्डिंग पर आधारित है

#: प्रचलित संशोधित फॉर्मूले के अनुसार टर्नअराउंड टाइम की गणना (लॉक टू लॉक)

9.47 वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण सक्रिय शिपिंग में कंटेनरों का अंतर्वाह कम हो गया। विश्व भर में बंदरगाहों के लंबे समय तक आंशिक रूप से बंद रहने से कुछ बंदरगाहों में कंटेनरों की अधिकता हो गई तथा कुछ में भारी कमी हो गई। उसी समय, बड़े पैमाने पर विनिर्माण में देरी के कारण, पर्याप्त कंटेनरों का निर्माण नहीं किया जा सका। जैसा कि वर्ष 2021 की शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हुआ, विभिन्न भंडारण बिंदुओं पर फंसे कंटेनरों की वापसी तीव्रता से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप शिपिंग कंटेनरों के लिए मांग-आपूर्ति में कमी आई, जिससे शिपिंग दरों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान, भारत ने परिवहन सेवा के आयात पर 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 64.9 प्रतिशत अधिक है।

9.48 कंटेनरों की कमी तथा उच्च मालभाड़ा दरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई। इसमें खाली कंटेनरों का उच्च आयात, निर्यातकों तथा शिपिंग लाइनों के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा द्वारा बेहतर परिचालन योजना, परित्यक्त/निरुद्ध/जब्त कंटेनरों की वापसी, कंटेनरों का शुल्क-रहित प्रवास बढ़ाने जैसे उपायों के माध्यम से अतिरिक्त शिपिंग/कंटेनर क्षमता को सेवा में शामिल करना शामिल है। अन्य उपायों में रेलवे द्वारा खाली जगह के लिए माल भाड़ा छूट, कंटेनर की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए ट्रैकिंग एवं निगरानी के माध्यम से कंटेनरों के टर्नअराउंड टाइम में सुधार के उपाय तथा जहां भी संभव हो, निर्यातकों द्वारा थोक/ब्रेक-बल्क गति के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल हैं।

सागरमाला कार्यक्रम

9.49 सागरमाला कार्यक्रम भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर लंबी संभावित नौगम्य जलमार्ग तथा प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित सामरिक स्थानों का लाभ उठाकर देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। वर्तमान में, 5.53 लाख करोड़ रुपये की कुल 802 परियोजनाएं सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इनमें से 94,712 करोड़ रुपये की 181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 2.48 लाखकरोड़ रुपये की 398 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र

9.50 1960 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफी विकास हुआ है। अंतरिक्ष विभाग (डॉस) द्वारा प्रबंधित और मुख्यत: इसकी अनुसंधान तथा विकास शाखा द्वारा निष्पादित, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के क्षमताओं को अंतरिक्ष क्षेत्र के समस्त डोमेन में विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली; अंतरिक्ष संपत्ति जिसमें पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा नेविगेशन की जरूरतों को पूरा करने वाले उपग्रहों का बेड़ा, भू-अवसंरचना तथा समाज के सामान्य उपयोग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से संबंधित कई परिचालन कार्यक्रम शामिल है।

9.51 विश्व भर में, अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रवृत्ति परिवर्तन की अवस्था में है। प्राथमिक रूप से सरकार द्व ारा संचालित गतिविधि होने के कारण, इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी देखी जा रही है - न केवल पारंपरिक विक्रेता भूमिका में बल्कि इंड-टू-इंड अंतरिक्ष गतिविधि को शुरू करने में भी। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए, जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र को वाहघ्य अंतरिक्ष की खोज तथा अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने में एक सह-यात्री के रूप में कार्य करने की परिकल्पना

की गई है।

9.52 इसरो के परिचालन प्रक्षेपण वाहनों तथा अंतरिक्ष संपत्तियों को ''स्वयं'' करने के लिए तथा इन सुधारों के एक भाग के रूप में, इस क्षेत्र में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को सशक्त बनाने के लिए पहला कदम उठाया गया।

9.53 इसके अलावा, वर्तमान आपूर्ति-आधारित मॉडल को मांग-संचालित मॉडल में बदल दिया गया, जो एनएसआईएल उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करेगा तथा प्रतिबद्धता प्राप्त करेगा। इस संबंध में पहला परिणाम हाल ही में सामने आया जब टाटा स्काई ने 'इसरो' द्वारा निर्मित तथा एरियनस्पेस द्व ारा प्रारंभ किए जाने वाले आगामी संचार उपग्रह जीसैट-24 पर क्षमता का उपयोग करने के लिए एनएसआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

9.54 दूसरा महत्वपूर्ण कदम अंतरिक्ष विभाग, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी का निर्माण करना था, जो एनजीपीई (गैर-सरकारी/निजी संस्था) द्वारा भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रमोटर तथा नियामक के रूप में कार्य करेगा। इस निकाय को एनएसआईएल, इसरो तथा एनजीपीई की आवश्यकताओं के अनुसार लॉन्च मैनिफेस्ट को प्राथमिकता देने का कार्य सौंपा गया। यह निजी क्षेत्र द्वारा उचित लागत पर पूंजी गहन डॉस-स्वामित्व वाली सुविधाओं के उपयोग की भी अनुमति देगा। एजेंसी की घोषणा के एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय में ही, अंतरिम इन-स्पेस बोर्ड को बड़े उद्योग, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स तथा शिक्षाविदों से करीब 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक गतिविधियां - ऊर्ध्वप्रवाह (प्रक्षेपण वाहन/उपग्रह निर्माण) के साथ-साथ अनुप्रवाह (ईओ अनुप्रयोग, संचार, आदि) दोनों को शामिल किया गया।

9.55 तीसरा महत्वपूर्ण कदम देश में अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक पूर्वानुमेय, दूरंदेशी, स्पष्ट एवं सक्षम नियामक व्यवस्था प्रदान करना है। सबसे पहले अद्यतन की जाने वाली स्पेसकॉम एवं स्पेसआरएस नीतियां थीं, जो क्रमशः पारंपरिक उपग्रह संचार और रिमोट सेंसिंग क्षेत्र को और उदार बनाती हैं, इस प्रकार उद्यमियों/उद्योगों को इन डोमेन में इंड-टू-इंड गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाती हैं।

9.56 उद्यमियों द्वारा इन पहलों को बहुत उत्साह तथा जोश के साथ स्वीकार किया गया है। इसरो सुविधाओं में पांच गैर-सरकारी उपग्रहों का परीक्षण किया गया, चार छात्र उपग्रहों को पीएसएलवी सी-51 पर प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण क्रियाविधि लागू किया गया, जिसमें पांच उपग्रह पंजीकृत हैं। तकनीकी विशेषज्ञता तथा सुविधाओं को साझा करने के लिए गैर-सरकारी/शैक्षणिक संस्थाओं के साथ कुल छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

9.57 अंतरिक्ष क्षेत्र में संलग्न स्टार्ट-अप की संख्या में प्रवृत्ति भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास की गति को दर्शाता है (तालिका 9)। सिर्फ पिछले तीन वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2019 में 11 से बढ़कर वर्ष 2021 में 47 हो गई है।

तालिका 9: अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट-अप की संख्या

वर्ष	स्टार्ट-अप की संख्या
2012	1
2013	1
2014	1
2015	3
2016	1
2017	8
2018	7
2019	11
2020	21
2021	47
कुल	**101**

स्रोत: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

नोट: इसरो/अं.वि. किसी भी स्टार्ट-अप को पंजीकृत नहीं करता है। हालांकि, स्टार्टअप्स डीपीआईआईटी के तहत स्टार्टअप-इंडिया के साथ पंजीकृत हैं। स्टार्टअपइंडिया पोर्टल में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत लगभग 75 स्टार्ट-अप दिखाए गए हैं। लेकिन ये संख्या संपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि अन्य श्रेणियों के तहत पंजीकृत कुछ स्टार्ट-अप भी अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल हैं।

9.58 हाल ही में शुरू की गई इन नीतिगत पहलों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के साथ, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की उम्मीद है, जो वर्ष 2020 में 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था। वर्तमान में, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान केवल 2 प्रतिशत है, जो प्रमुख देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन से बहुत पीछे है।

बॉक्स 2: ड्रोन नियम 2021

मार्च 2021 में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यूए एसनियम, 2021 को प्रकाशित किया। इन नियमों को बहुत सख्त एवं प्रतिबंधात्मक माना गया क्योंकि इनमें काफी कागजी कार्रवाई, प्रत्येक ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति तथा बहुत कम ष्फ्री टू फ्लाईष् ग्रीन जोन उपलब्ध थे। फीडबैक के आधार पर, सरकार ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 को निरस्त करने और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 से बदलने का निर्णय लिया, जिसे 25 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया। ड्रोन नियम 2021 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- कई स्वीकृतियां समाप्त कर दी गई; भरे जाने वाले कुल फॉर्म 25 से घटाकर 5 कर दिए गए: विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, निर्माण का प्रमाण पत्र, तथा ऑपरेटर परमिट आदि जैसे विभिन्न अनुमोदनों को समाप्त कर दिया गया। नैनो/माइक्रो ड्रोन के लिए भी कुछ छूट दी गई।

चित्र 3ए: नए ड्रोन नियम 2021 के तहत समाप्त की गई अनुमोदन

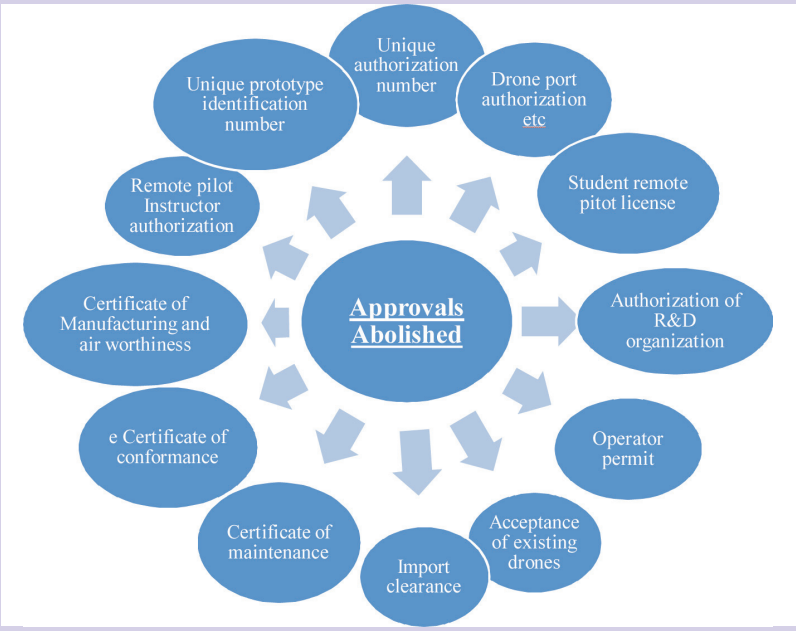

स्रोत: पीआईबी

- शुल्क के प्रकार 72 से घटाकर 4 किया गया: शुल्क की संख्या को 72 से घटाकर 4 करने के अलावा, भुगतान की जाने वाली फीस की मात्रा को काफी कम कर दिया गया है और ड्रोन के आकार के साथ अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क 3000 रुपये (बड़े ड्रोन के लिए) से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है।
- नियमों की विस्तारित प्रयोज्यता: 500 किग्रा तक के ड्रोन, जो पहले 300 किग्रा की सीमा की तुलना में थे अब नियमों के अधीन हैं। यह ड्रोन टैक्सियों और भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन को नियमों के दायरे में लाता है। 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन के लिए, विमान नियम 1937 के प्रावधान लागू होंगे।
- सरलीकृत और सुलभ प्रमाणीकरण प्रक्रिया: ड्रोन स्वामित्व और संचालन के लिए वन-स्टेप और वन-टाइम क्लीयरेंस के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को विकसित किया जा रहा है। निर्माता और आयातक स्व-प्रमाणन के माध्यम से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न कर सकते हैं।
- पूर्व सुरक्षा मंजूरी को हटाना: पंजीकरण से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- ड्रोन संचालन का विस्तारित क्षेत्र: डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरेक्टिव मानचित्र, उस पर रंग-कोडित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है अर्थात हरा, पीला और लाल, मुक्त क्षेत्रों को दर्शाता है, जिन्हें क्रमशः पूर्व अनुमति और नो-फ्लाई जोन की आवश्यकता होती है। हरित श्रेणी के तहत मुक्त रूप से सुलभ हवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों की परिधि को भी उदार बनाया गया है। इस मानचित्र को मशीन-पठनीय एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से सुलभ बनाया जाएगा।

- विदेशी कंपनियों को छूट: विदेशी स्वामित्व वाली और नियंत्रित भारतीय कंपनियां भारत में ड्रोन संचालन कर सकती हैं। ड्रोन के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकृत ड्रोन स्कूल से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा रिमोट पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- अनुसंधान और विकास के लिए छूट (आर एंड डी): हरित क्षेत्र में स्थित परिसरों में अनुसंधान एवं विकास करने वाले ड्रोन निर्माताओं के लिए टाइप प्रमाणन जैसी कुछ आवश्यकताओं को हटा दिया गया है।
- कम किया गया जुर्माना: नए नियमों के तहत अधिकतम जुर्माना 5 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकृत ड्रोन स्कूल से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा रिमोट पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- कम किया गया दंड: नए नियमों के तहत अधिकतम जुर्माना 5 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

बॉक्स 3: भू-स्थानिक डेटा प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश

दिनांक 15 फरवरी 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा के निर्माण, अधिग्रहण और उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए। भारत में मानचित्रण गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण, भू-स्थानिक डेटा को पहले भारी विनियमित किया गया और ऐसे डेटा के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता थी। स्वतंत्र रूप से तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भू-स्थानिक डेटा एवं सेवा में वृद्धि को देखते हुए, पूर्ववर्ती प्रतिबंध अनावश्यक हो गए थे और इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को गंभीर रूप से बाधित कर दिया था, जिसने विशेष रूप से घरेलू ग्राहकों को प्रभावित किया था। नए जारी किए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक अधिक अनुमेय व्यवस्था का निर्माण करना है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही भारतीय कंपनियों का मदद करते हुए उद्योग को सहयोग और प्रगति के लिए खोलती है।

दिशानिर्देशों के तहत कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

- स्व-प्रमाणन व्यवस्था का शुरुआत: सभी संस्थाओं को अब भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन या लाइसेंस प्राप्त करने एवं दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक स्व-प्रमाणन प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में छूट: पिछली शासन व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों के विपरीत, अत्यधिक संवेदनशील स्थानों की विशिष्ट विशेषताओं के लिए केवल मानचित्रण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।

- भारतीय संस्थाओं के लिए विशिष्ट अनुमति: केवल भारतीय स्वामित्व वाली और नियंत्रित संस्थाओं को (प) एक निश्चित विशेष सटीकता से ऊपर भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करने की अनुमति है; (पप) जमीनी सच्चाई और सत्यापन जैसी विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करना; और (पपप) भारतीय क्षेत्रीय जल में सड़क दृश्य सर्वेक्षण और सर्वेक्षण जैसी गतिविधियों का संचालन करना। जबकि गैर-भारतीय कंपनियों को उपरोक्त में से कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं है, वे केवल अपने भारतीय ग्राहकों की सेवा के उद्देश्य से एपीआई के उपयोग के माध्यम से भारतीय संस्थाओं से इस डेटा को लाइसेंस दे सकते हैं।
- निर्यात प्रतिबंधों पर छूट: दिशानिर्देश 1:100 रिजॉल्यूशन तक के रिजॉल्यूशन वाले मानचित्रों के निर्यात की अनुमति देते हैं, जिससे 1:250000 की पिछली सीमा में ढील दी जाती है। मानचित्र जो निर्दिष्ट रिजॉल्यूशन सीमा से बेहतर हैं उन्हें स्थानीयकृत किया जाना चाहिए, और केवल भारत के भीतर स्थित सर्वर पर संग्रहीत और संसाधित करने की अनुमति है।
- सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित डेटा तक खुली पहुंच: दिशानिर्देशों में सार्वजनिक निधि का उपयोग करके उत्पादित सभी भू-स्थानिक डेटा की आवश्यकता होती है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण द्वारा उत्पादित डेटा भी शामिल है, वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए सभी भारतीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ होना चाहिए। वर्गीकृत भू-स्थानिक डेटा की कुछ श्रेणियों को इस आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

स्टार्टअप

9.59 भारत में स्टार्टअप पिछले छह वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं, इनमें अधिकांश सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। सरकार ने वर्ष 2021 के दौरान 14,000 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता दी, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान केवल 733 नए स्टार्टअप की तुलना में सरकार ने 14,000 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता दी। परिणामस्वरूप, दिनांक 10 जनवरी 2022 तक, भारत में 61,400 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई। चित्र 9 और चित्र 10 भारतीय जिलों में स्टार्टअप प्रसार को दर्शाते हैं। वर्ष 2021 के दौरान, 555 जिलों में कम से कम एक नया स्टार्टअप था। दूसरी ओर, वर्ष 2016-17 में केवल 121 जिलों में कम से कम 1 नया स्टार्टअप था।

चित्र 9: वर्ष 2016-17 में मान्यता प्राप्त नए स्टार्टअप्स

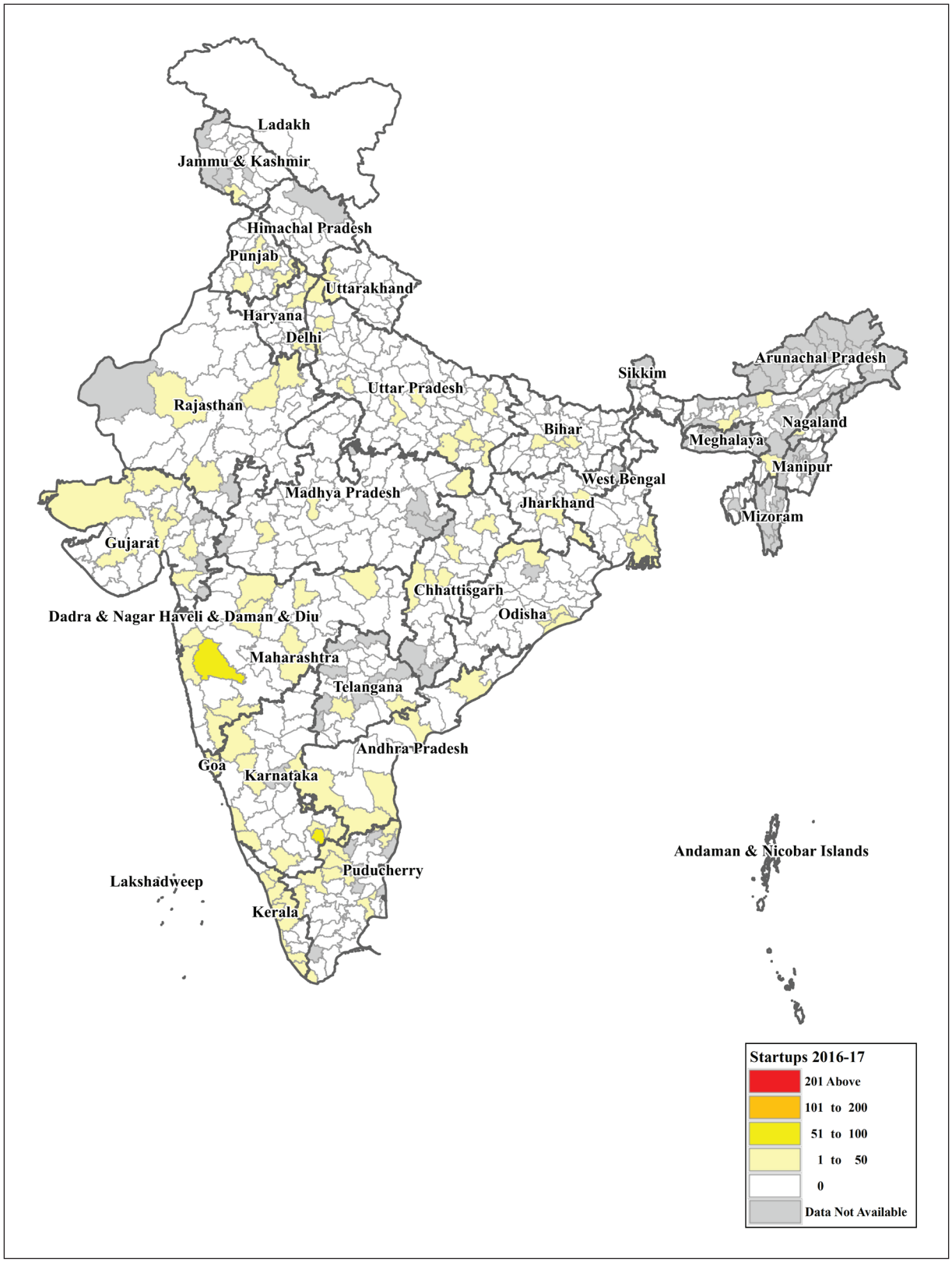

स्रोत: डीपीआईआईटी

*22 दिसंबर 2021 तक

चित्र 10: वर्ष 2021-22 में मान्यता प्राप्त नए स्टार्टअप'

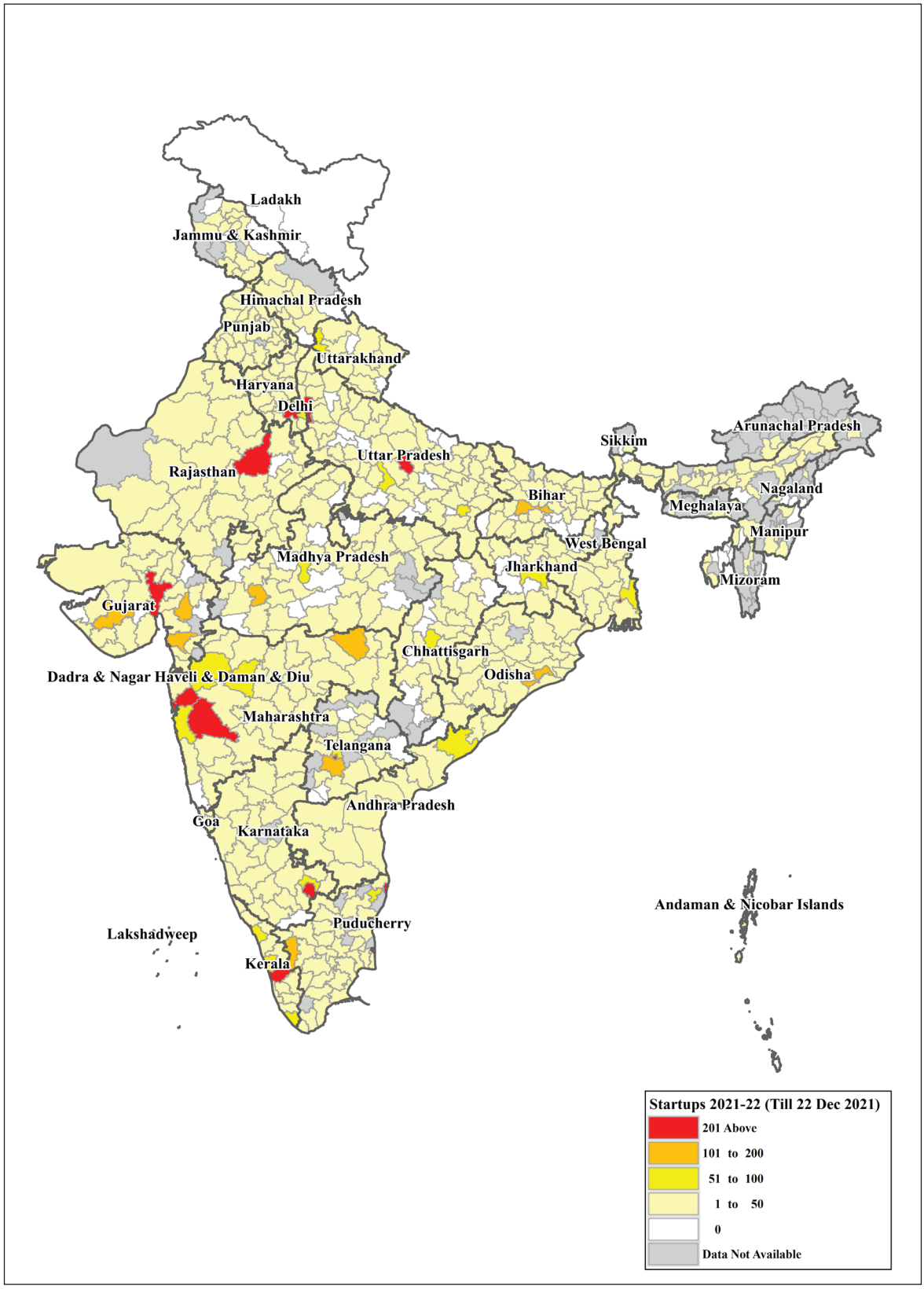

स्रोत: डीपीआईआईटी

*22 दिसंबर 2021 तक

9.60 हाल के वर्षों में, बैंगलोर की जगह दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी के स्थान ले लिया है। दिल्ली में 5,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जोड़े गए, जबकि अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच बैंगलोर में 4,514 स्टार्टअप जोड़े गए। कुल 11,308 स्टार्टअप के साथ, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।

9.61 भारत में वर्ष 2021 में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्ट-अप (44) यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंच गया। इसने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया, जिसने वर्ष 2021 में क्रमशः 487 और 301 जोड़े। दिनांक 14 जनवरी 2022 तक, भारत में 277.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ 83 यूनिकॉर्न हैं।

पेटेंट

9.62 भारत के अधिकांश स्टार्टअप आईटी/ज्ञान आधारित क्षेत्र में हैं। बौद्धिक संपदा, विशेष रूप से पेटेंट इस ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की कुंजी हैं। भारत में पेटेंट दाखिल करने और देने में क्रमिक वृद्धि हुई है। भारत में दायर पेटेंट की संख्या वर्ष 2010-11 में 39,400 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 45,444 हो गई है, जो वर्ष 2020-21 में 58,502 हो गई है और इसी अवधि के दौरान भारत में दिए गए पेटेंट 7,509 से बढ़कर 9,847 से 28,391 हो गए हैं। इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजाय भारतीय निवासियों से पेटेंट आवेदनों की संख्या तेजी से आ रही है। कुल आवेदनों में भारतीय निवासियों की हिस्सेदारी वर्ष 2010-11 में 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में लगभग 30 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में 40 प्रतिशत हो गई है। परिणामस्वरूप, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 35 रैंक हुई है, जो वर्ष 2015-16 में 81वें से वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर है।

9.63 यह एक उल्लेखनीय प्रगति है, लेकिन चीन, अमेरिका, जापान और कोरिया में दिए गए पेटेंट की तुलना में भारत में दिए गए पेटेंट की संख्या अभी भी एक अंश है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के अनुसार, चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया में दिए गए पेटेंट की संख्या 2020 के लिए क्रमशः 5.30 लाख, 3.52 लाख, 1.79 लाख, 1.35 लाख थी।

9.64 संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, आदि की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत कम पेटेंट का एक प्रमुख कारण अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर भारत का कम खर्च है, जो वर्ष 2020 में इसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत था। हालांकि, यह एकमात्र ऐसा कारण नहीं है। प्रक्रियात्मक देरी और प्रक्रिया की जटिलता भारत में कम पेटेंट का एक और कारण है। भारत में पेटेंट प्राप्त करने में अंतिम निर्णय के लिए औसत पेंडेंसी वर्ष 2020 तक 42 महीने है। यह यूएसए, चीन, कोरिया और जापान के लिए क्रमशः 20.8, 20, 15.8 और 15 महीने से बहुत अधिक है (चित्र 11)। ध्यान दें कि पेटेंट प्राप्त करने में अंतिम निर्णय के लिए औसत लंबित कार्य वर्ष 2017 में 64 महीने से घटकर 2019 में 52 महीने और 2020 में 42 महीने हो गई है। बॉक्स 4 पेटेंट आवेदन में अपनाई जाने वाली चरण-दर-चरण प्रक्रिया को दर्शाता है और निर्धारित समय सीमा की तुलना वास्तविक समय से करता है।

चित्र 11: वर्ष 2020 में अंतिम निर्णय के लिए लंबित औसत समय

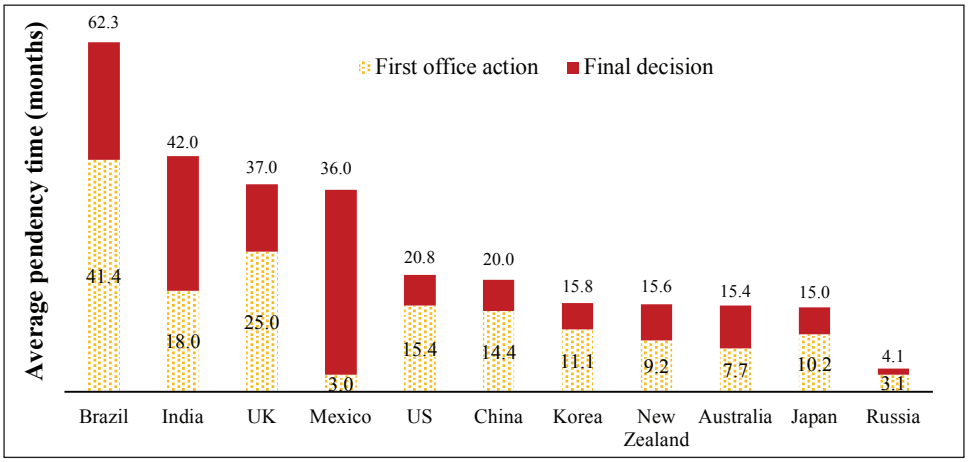

स्रोत: विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, 2021

बॉक्स 4: भारत में पेटेंट आवेदन प्रक्रिया

	आवेदन चरण	निर्धारित समय सीमा	वास्तविक समय लिया गया और निर्गत किया गया
एक बार पेटेंट आवेदन दायर करने के बाद, जांच के लिए अनुरोध दाखिल करने की तारीख से 48 महीनों के भीतर कभी भी दायर किया जा सकता है, हालांकि यह आमतौर पर आवेदन के साथ दायर किया जाता है।			
1.	प्रकाशन: एक बार आवेदन दायर करने के बाद, इसे नियंत्रक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।	18 महीने इतना समय देने का कारण आवेदक को इसे वापस लेने का समय देना है।	18 उवदजी तिवउ जीम कंजम वि पिसपदह.
2.	जांचकर्ता के लिए संदर्भ: जांचकर्ता एक औपचारिक और साथ ही अनुसन्धान की एक वास्तविक जांच आयोजित करने के लिए नियंत्रक द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं।	प्रकाशन की तारीख से 1 महीने।	पूरी प्रक्रिया में सामान्यत: 12 महीने लगते हैं। जांचकर्ता की नियुक्ति के चरण में देरी होती है। यह मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट की जांच करने के लिए योग्य जांचकर्ता की कमी के कारण है, जिससे बैकलॉग बन रहा है।
3.	प्रथम जांच रिपोर्ट: जांचकर्ता को नियंत्रक को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद नियंत्रक द्वारा आवेदक को प्रथम जांच रिपोर्ट (एफईआर) जारी की जाती है।	3-5 महीने जांचकर्ता को एफईआर प्राप्त होने की तारीख से 1-3 महीने के भीतर नियंत्रक को जमा करना होगा। फिर नियंत्रक को 2 महीने के भीतर आवेदक को एफईआर जारी करना होगा।	
एफईआर जारी होने के बाद, आवेदक के पास नियंत्रक को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 6 महीने का समय होता है।			
4.	सुनवाई: नियंत्रक को एफईआर के जवाबों की वैधता और आवेदक द्वारा पर्याप्त रूप से निपटान नहीं की गई किसी भी बकाया आपत्तियों की वैधता निर्धारित करने के लिए सूचित और सुनवाई करनी चाहिए।	इस चरण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है	सुनवाई आमतौर पर एफईआर के प्रति प्रतिक्रिया प्राप्त करने की तारीख से 6-9 महीनों के भीतर पूरी हो जाती है।

5.	अनुदान पूर्व विरोध: नियंत्रक आवेदन के संबंध में प्राप्त विरोध के आवेदक को सूचित करता है	इस चरण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपत्तियों की अनुमति देने के लिए, पेटेंट दिए जाने से पहले प्रकाशन के बाद कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है।	अधिसूचना आमतौर पर तुरंत प्रदान की जाती है।
सुनवाई के बाद, आवेदक को सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर लिखित प्रस्तुतियाँ और संबंधित दस्तावेज (किसी भी अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण, सबूत और सुनवाई के अनुसार आवश्यक संशोधन सहित) प्रस्तुत करना होगा।			
6.	विपक्ष की सुनवाई: नियंत्रक पक्षों को सुनने के बाद (यदि अनुरोध किया जाता है) सबूतों पर विचार करता है और विपक्ष की वैधता के बारे में निर्णय लेता है।	कार्यवाही के पूरा होने से 1 महीने	आमतौर पर, इसमें लगभग 3-4 महीने लगते हैं।
7.	अनुदान: एक बार पेटेंट दिया और प्रकाशित किया जाता है (प) सभी एफईआर प्रतिक्रियाएं स्वीकार की जाती हैं और (पप) कोई पूर्व-अनुदान विरोध लंबित नहीं है.	इस चरण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है	सभी कार्यवाही के पूरा होने से 4-6 महीने। जहां कोई सुनवाई नहीं होती है, अनुदान आमतौर पर एफईआर को प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की तारीख से 12 महीनों के भीतर जारी किए जाते हैं

स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान

9.65 बॉक्स 4 और चित्र 11 दिखाते हैं कि पहले चरण के लिए लिया गया समय, अर्थात नियंत्रक द्वारा आवेदन को प्रकाशित करने में वर्तमान में क्रमश: 5.4, 14.4, 11.1, 10.2 महीने की तुलना में अमेरिका, चीन, कोरिया और जापान में 18 महीने का समय लगता है। पेटेंट की आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए, पहले स्टेल्प के लिए निर्धारित समय सीमा को घटाकर 14-15 महीने किया जा सकता है, जिससे इसे अमेरिका और चीन के अनुरूप लाया जा सके।

9.66 दूसरे, भारत के पेटेंट आवेदन में देरी भारत में पेटेंट परीक्षकों की कम संख्या के कारण भी है। 2020 में भारत में पेटेंट परीक्षकों की संख्या 615 थी, जबकि चीन में 13,704, संयुक्त राज्य अमेरिका में 8,132 और जापान में 1,666 थी (चित्र 12)। इससे पहली परीक्षा रिपोर्ट (एफईआर) प्राप्त करने में भारी देरी होती है जिससे पूरी प्रक्रिया में देरी होती है। यह भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था (2021) की वाणिज्य की समीक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी नोट किया गया था। इसलिए, पेटेंट परीक्षकों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

चित्र 12: 2020 में पेटेंट जांचकर्ताओं की संख्या

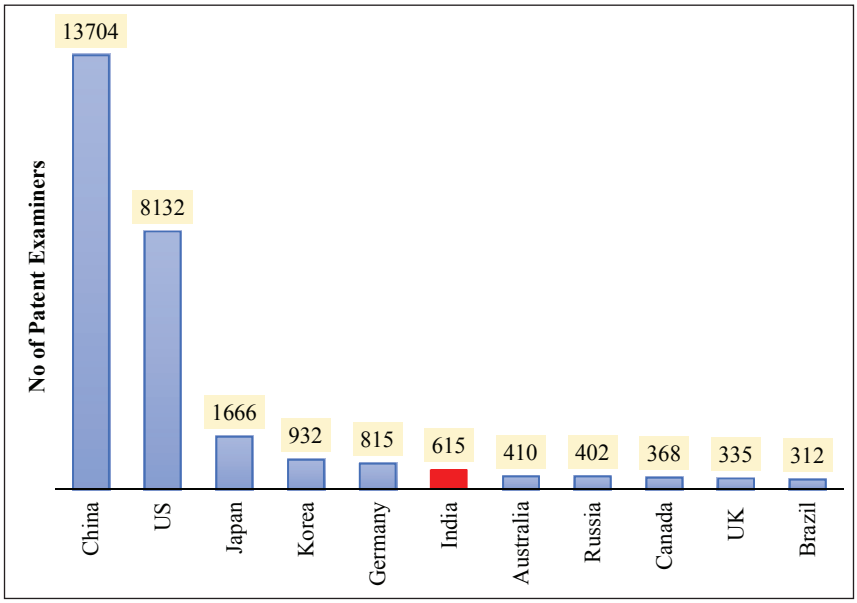

स्रोत: विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, 2021

9.67 एक अन्य मुद्दा जिसकी वजह से प्रक्रिया में देरी होती है वह यह है कि एफईआर के जवाबों की वैधता और किसी भी बकाया आपत्तियों को निर्धारित करने के लिए नियंत्रक के पास सुनवाई करने के लिए कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, जिसे आवेदक द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है। यह पाया गया कि इसमें आमतौर पर लगभग 6-9 महीने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक द्वारा विपक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय जो आमतौर पर 1 महीने में होना चाहिए, उसमें भी आमतौर पर लगभग 3-4 महीने लगते हैं। इसलिए विपक्ष की सुनवाई के बाद अनुदान की एक निश्चित समय-सीमा तय की जानी चाहिए।

सामाजिक अवसंरचना तथा रोजगार

10

अध्याय

पिछले दो वर्षों के दौरान, जब भारत ने शेष विश्व के साथ महामारी के प्रकोप का सामना किया, भारत सरकार का मुख्य ध्यान समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के साथ-साथ महामारी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए एक सुसंगत प्रतिक्रिया प्रदान करने पर रहा। भारत पहले से ही दो कोविड-19 लहरों का सामना कर चुका है, पहली लहर सितंबर 2020 के मध्य में तथा दूसरी मई 2021 के अंत में आई और अब वर्तमान में ओमीक्रोन वेरियंट वाली तीसरी लहर का सामना कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक, भारतीय राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम ने न केवल घरेलू स्तर पर कोविड-टीकों के उत्पादन में सहयोग किया, बल्कि इसने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को निःशुल्क टीके भी सुनिश्चित किए। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका खरीदने के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। दिनांक 16 जनवरी 2021 से 16 जनवरी 2022 तक, कोविड-19 टीकों की कुल 156.76 करोड़ खुराकें दी की गई हैं : 90.75 करोड़ पहली खुराक तथा 65.58 करोड़ दूसरी खुराक। इनमें 18 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के 93 प्रतिशत व्यक्तियों को पहली खुराक एवं लगभग 70 प्रतिशत को दूसरी खुराक का टीका लगाया गया। इतनी तेजी से टीककरण ने लाखों लोगों का जीवन बचाने के साथ-साथ आजीविका भी बचाया है।

त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2021 तक महामारी से प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व-महामारी के स्तर तक पहुंच गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों से पता चलता है कि न केवल दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान नौकरियों का औपचारिका जारी रहा, बल्कि नौकरियों की औपचारिकता पर दूसरी लहर का प्रभाव भी पहली कोविड-लहर की तुलना में बहुत कम रहा।

महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों के लिए आवश्यक रोजगार प्रदान करने के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए धन के आवंटन को वर्ष के दौरान और बढ़ाया गया।

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल अवसंरचना जैसे मान्यता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों की संख्या एवं स्कूलों में बुनियादी सुविधायें और छात्र-शिक्षक अनुपात में परिलक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ। वर्ष 2019-20 में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में नामांकन दरों में सुधार और सभी स्तरों पर स्कूल ड्रॉपआउट दर में भी सुधार देखा गया।

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 ने स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के उत्साहजनक परिणाम दिखाए। कुल जन्म दर (टीएफआर) वर्ष 2015-16 में 2.2 से घटकर वर्ष 2019-21 में 2 हो गई। स्वास्थ्य अवसंरचना तथा जनता तक पहुंचने वाली सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत देश के 83 जिले पहले ही 'हर घर जल' जिले बन चुके हैं। सरकार ने न केवल मौजूदा कार्यक्रमों की डिलीवरी एवं आउटरीच को त्वररित किया, बल्कि विभिन्न बेहतर लक्षित तथा समय पर नवीन भागीदारी द्वारा इन्हें पूरक करके, महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का समाधान किया। परिणामस्वरूप, सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय में वर्ष 2020-21 की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, महामारी के दौरान उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई।

परिचय

10.1 कोविड-19 महामारी के दौरान एक सशक्त एवं स्थिति-स्थापक सामाजिक अवसंरचना की अनिवार्यता और भी महत्वपूर्ण हो गई, जिसने सभी देशों में सामाजिक अवसंरचना की खामियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। विशेषत: महामारी ने जीवन बचाने के साथ-साथ आजीविका को संतुलित करने की चुनौती प्रस्तुत की। कोविड-संकट के बीच जीवन और आजीविका को बचाने के लिए सभी देशों ने रणनीतियां अपनाई है। दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या तथा बड़ी बुजुर्ग आबादी वाले देश भारत ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया। महामारी की प्रकृति को देखते हुए, टीकाकरण रणनीति सहित स्वास्थ्य प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत जो दुनिया के युवा राष्ट्रों में से एक है को भी स्कूलों में पढ़ाई के परिणामों को बनाए रखने, कौशल निर्माण तथा आबादी को फिर से तैयार करने और दुनिया के सबसे बड़े श्रम बलों में से एक को रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' पैकेज एवं अन्य क्षेत्र विशिष्ट पहलों के माध्यम से सरकार की कार्यकलाप ने महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की है।

10.2 यह अध्याय महामारी के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का एक संक्षिप्त विवरण देता है, सामाजिक सेवाओं के व्यय पर तथ्यों को बताता है, शिक्षा के आधारभूत ढांचे एवं परिणामों की समीक्षा करता है, कौशल विकास के प्रयासों को सूचीबद्ध करता है, रोजगार के प्रवृत्तियों की जांच करता है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का जायजा लेता है और नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 वर्ष 2019-21 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की जांच करता है, पेयजल एवं स्वच्छता पहुंच की भी समीक्षा करता है तथा देश में ग्रामीण आवास अभिगम की अवस्था के बारे में बताता है।

कोविड-19 के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रतिक्रिया

10.3 अन्य देशों की तरह, भारत को भी दो कोविड-19 लहरों का सामना करना पड़ा : पहली 2020 में तथा दूसरी 2021 में (चित्र 1)। पहली लहर के दौरान, कोविड-19 मामलों की संचयी संख्या मई 2020 के महीने से उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और सितंबर 2020 के मध्य में चरम पर पहुंच गई। इसके बाद, देश को मार्च 2021 के दौरान कोविड-19 मामलों में भारी उछाल का सामना करना पड़ा, मई 2021 में चार लाख से अधिक दैनिक मामलों[1] और मई 2021 के अंत में 4400 से अधिक दैनिक मौतों के साथ का प्रकोप सहना पड़ा। मामलों का

[1]टीडबल्यूसी इंडिया एडिट टीम, (19 दिसंबर 2020)। जैसा कि आंकड़ा सुधार के स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाता है। भारत में 323 दिनों में एक करोड़ कोविड-19 मामले दर्ज किए गए।

एक नया उछाल तथा एक नया वेरियंट ओमीक्रोम दिसंबर 2021 में सामने आया और लेखन के समय इसका प्रसार हो रहा था।

चित्र 1: भारत में दैनिक कोविड-19 मामले एवं मृत्यु

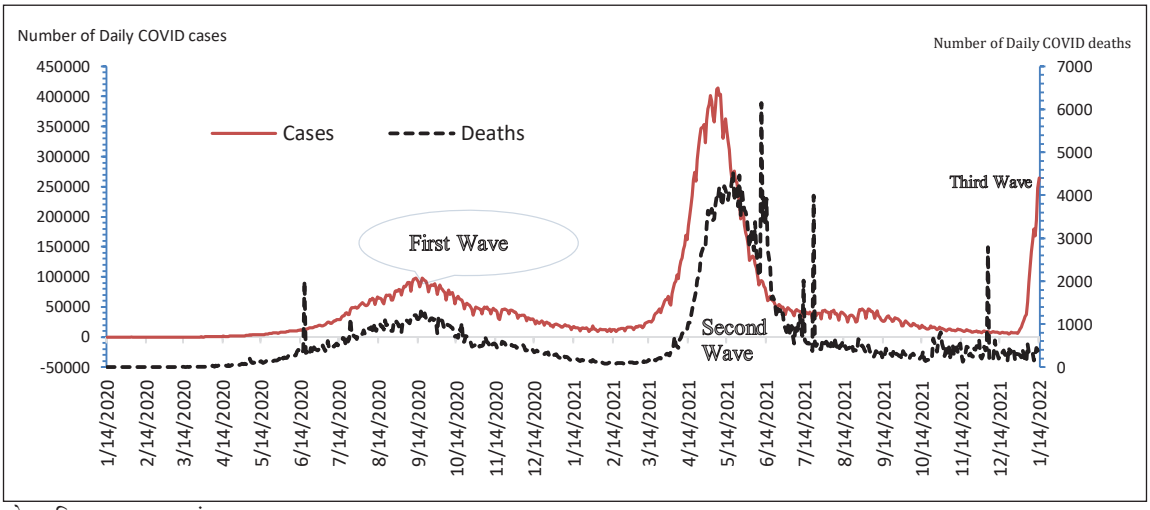

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन

10.4 सरकार ने जीवन बचाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया, जैसे (i) प्रतिबंध/आंशिक लॉकडाउन, (ii) स्वास्थ्य के आधारभूत संरचना में क्षमता निर्माण, (iii) कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, और (iv) टीकाकरण अभियान चलाना। कंटेनमेंट तथा बफर जोन के संदर्भ में संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के उपाय किए गए; परिधि नियंत्रण; संपर्क अनुरेखण; संदिग्ध मामलों और उच्च जोखिम वाले संपर्कों का अलगाव और परीक्षण, और पृथकवास सुविधाओं का निर्माण। वास्तविक-समय आंकड़ों तथा साक्ष्य के आधार पर देखी गई बदलती स्थिति के अनुरूप निवारक रणनीति बदल गई। देश में परीक्षण क्षमता में त्वरित वृद्धि हुई। सभी सरकारी केंद्रों में कोविड-19 के नि:शुल्क जांच किए गए। तीव्र जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट शुरू की गई। मिशन मोड में एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट, सैनिटाइजर की निर्माण क्षमता को बढ़ाया गया। आइसोलेशन बेड, डेडिकेटेड इंटेंसिव केयर यूनिट बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए व्यापक अवसंरचना तैयार किया गया। दूसरी कोविड लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की त्वरित मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने रेलवे, वायु सेना, नौसेना तथा उद्योग को भी शामिल किया। कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में, कोविड टीके जीवन बचाने तथा आजीविका बनाए रखने के लिए बीमारी के खिलाफ सबसे अच्छी कवच बनकर उभरे।

कोविड टीकाकरण रणनीति

10.5 वैज्ञानिक तथा महामारी विज्ञान के साक्ष्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देश एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रचलनों द्वारा निर्देशित, भारत का राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों[2] में से एक रहा है। समवर्ती वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोविड-19 (नेगवेक) के लिए टीकाकरण अभियान पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम की परिकल्पना 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के सभी पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम संभावित समय में टीकाकरण करने के लिए की गई।

[2]15-18 वर्ष के बीच के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए दिशानिर्देश तथा स्वास्थ्य कर्मी-(एचसीडबल्यू), अग्रिम-पंक्ति के कार्यकर्ता (एफएलड. बल्यू) तथा सह रुग्णता-वाले 60+ जनसंख्या के लिए एहतियाती खुराक

10.6 ''उदारीकृत मूल्य निर्धारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति'', दिनांक 1 मई 2021 से 20 जून 2021 तक लागू की गई। रणनीति के तहत, राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों (यूटी) तथा निजी अस्पतालों को निर्माताओं से सीधे कोविड-19 टीका खरीदने की स्वीकृत दी गई। भारत सरकार ने घरेलू निर्माताओं द्वारा मासिक टीका उत्पादन का 50 प्रतिशत खरीदा, जबकि शेष 50 प्रतिशत खुराक राज्य सरकारों एवं निजी अस्पतालों द्वारा खरीदा गया। हालाँकि, वास्तविक-समय प्रतिक्रिया के आधार पर, दिनांक 21 जून 2021 से लागू ''राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश'' प्रभाव में आया, जिससे भारत सर. कार ने मासिक टीका उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदा, जबकि बाकी की खरीद निजी अस्पताल द्वारा की जा सकती थी।

10.7 **वैक्सीन की उपलब्धता :** भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जो कोविड टीके का उत्पादन कर रहा है। देश ने दो भारत-निर्मित कोविड टीकों के साथ शुरुआत किया। भारत का पहला घरेलू कोविड-19 टीका, होल विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन (कोवैक्सीन), भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित एवं निर्मित किया गया। आईसीएमआर ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित कोविशील्ड टीका का क्लिनिकल परीक्षणों को वित्त पोषित किया। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन भारत में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले टीके हैं। प्रत्येक माह कोविशील्ड की लगभग 250-275 मिलियन खुराक तथा कोवैक्सीन की 50-60 मिलियन खुराक का उत्पादन किया गया। कोविड-19 टीकों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य टीके जैसे, स्पुतनिक-वी, जीकोव-डी, रिकोम्बिनेंट (एडी26.कोव2-एस) को भी नियामक प्राधिकरण द्वारा आपातकालीन उपयोग का प्राधिकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य कोविड-19 टीकों जैसे - स्पुतनिक-वी, मोडेरना तथा रिकोम्बिनेंट (एडी26.कोव2-एस) के आयात की भी स्वीकृति दी गई।

10.8 **मूल्य-निर्धारण तथा समानता :** सभी सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) में, सभी पात्र नागरिकों के लिए कोविड-19 टीका नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई। देश में दी गई कुल खुराक के लगभग 4-5 प्रतिशत को छोड़कर, बाकी को सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों द्वारा ही दिया गया। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बिना किसी भेदभाव के सभी को कोविड टीका का वितरण भी टीकाकरण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। कोविड-19 टीकों की कुल दी गई खुराक में से, 49 प्रतिशत महिलाओं को दिया गया है; टीके की 70 प्रतिशत से अधिक खुराक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सीवीसी द्वारा दी गई है।

10.9 **कार्यक्षेत्र (कवरेज):** पहले चरण में (16 जनवरी 2021 से 1 मार्च 2021 तक) कोविड-19 के टीके सभी स्वास्थ्य-कर्मी तथा अग्रिम-पंक्ति के कार्यकर्ता को दिए गए। दूसरे चरण में (1 मार्च 2021 से), कोविड टीके विशेष सह-रुग्णता वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को तथा सभी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को लगाया गये। दिनांक 1 अप्रैल 2021 से, इस कवरेज को 45 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया। दिनांक 1 मई 2021 से, 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के सभी 94 करोड़ व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए पात्र बनाया गया। दिनांक 3 जनवरी 2022 से, कोविड-19 टीका कवरेज को 15-18 वर्ष के आयु वर्ग तक विस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10 जनवरी 2022 से, सभी स्वास्थ्य-कर्मी, अग्रिम-पंक्ति के कार्यकर्ता तथा सह-रुग्णता वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को, उनकी दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होने के बाद, कोविड-19 टीका का एहतियाती-खुराक प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया।

[3]कोविड-19 टीका निर्माण क्षमता पर अपडेट (PIB: 14 दिसंबर 2021), https://plb.gov.in/PressRelease/framePage.aspx?PRID=17812678 पर देखा जा सकता है।

10.10 **टीका हिचकिचाहट:** कोविड-19 टीका के बारे में गलतफहमियां लोगों को टीका लेने से हिचकिचाती हैं। टीका हिचकिचाहट को समाप्त करने के लिए, सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जिसमें मीडिया चैनल, रेडियो जॉकी, ऑप-एड तथा लेखों के माध्यम से जाने-माने विशेषज्ञों द्वारा जागरूकता तथा प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा सच्चा एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए तथ्य-परख वीडियो का प्रसार शामिल है। दिनांक 3 नवंबर 2021 से, एक अभियान, 'हर घर दस्तक', उन लोगों की पहचान करने तथा टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया, जो घर-घर की सक्रिय कार्यकलाप के कारण पहली खुराक से चूक गए तथा उनकी दूसरी खुराक लेना बाकी था। लाभार्थियों को उनके घरों पर मोबाइल टीमों जैसे 'टीकाकरण टोली' के साथ-साथ 'प्रचारटोली' द्वारा टीकाकरण भी किया गया। कवरेज के लिए अंतर्राजीय प्रतियोगिता, बाजार हाट में टीकाकरण शिविर का आयोजन, टीकाकरण विरोधी अफवाहों का सामना करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से संदेश तथा अन्य नवीन दृष्टिकोणों ने टीकाकरण में मदद की है।

10.11 **प्रौद्योगिकी संचालित :** 'आरोग्य-सेतु' मोबाइल ऐप लोगों को स्वयं का कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रारंभ किया गया। यह ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम तथा कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग करके लोगों के साथ परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर संक्रमण के जोखिम की गणना करता है।

10.12 **को-विन 2.0 (ई-वीआईएन के साथ)**, एक विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय टीकाकरण कार्यकलाप में सहयोग करता है, जैसे कि टीका पंजीकरण, प्रत्येक लाभार्थी की कोविड-19 टीका स्थिति पर नजर रखना, टीके का स्टॉक, भंडारण, वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया तथा डिजिटल प्रमाणपत्रों का सृजन इत्यादि।

10.13 **दिनांक 16 जनवरी 2022 तक,** कोविड-19 टीकों की कुल 156.76 करोड़ खुराक दिया जा चुका हैं : 90.75 करोड़ पहली खुराक तथा 65.58 करोड़ दूसरी खुराक। 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच की आबादी को अनुमति मिलने के बाद टीकाकरण की गति में काफी वृद्धि हुई (चित्र 2)। दिए गए कुल खुराक में से, सबसे अधिक 60 प्रतिशत 18-45 आयु वर्ग, इसके बाद 25 प्रतिशत 45-59 आयु वर्ग तथा 15 प्रतिशत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं (चित्र 3)।

चित्र 2: भारत में उम्र के अनुसार साप्ताहिक कोविड-19 टीका की खुराक

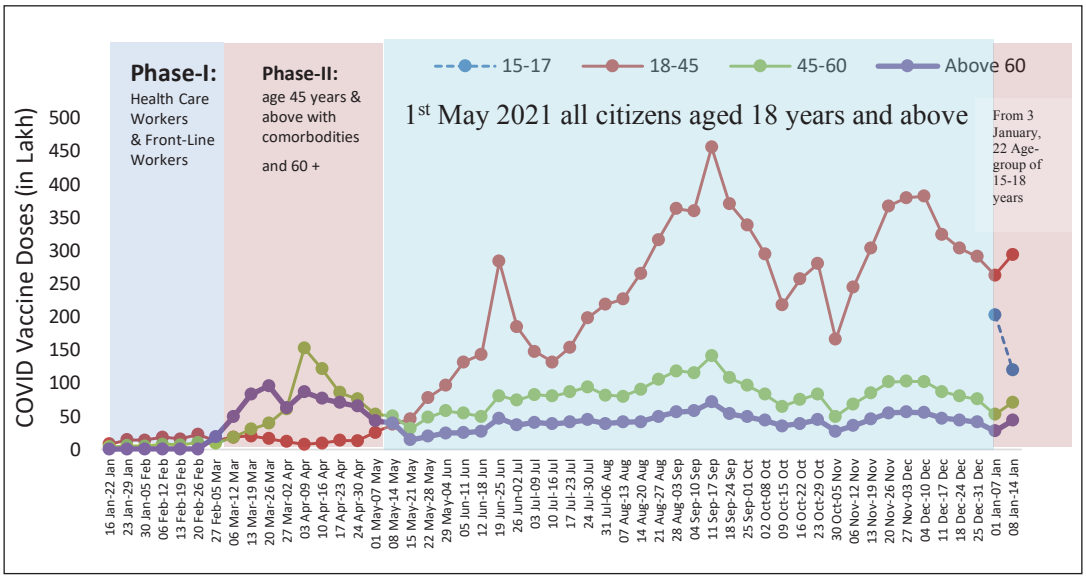

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

चित्र 3: आयु वर्ग के अनुसार टीकों का वितरण (16 जनवरी, 2022 तक)

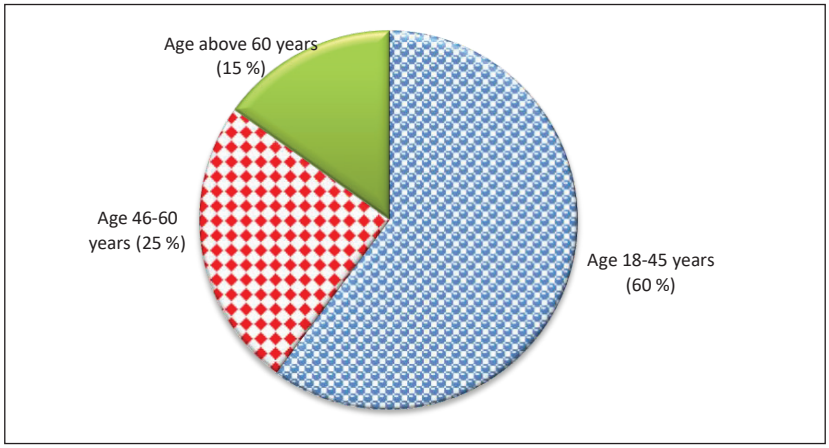

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: ोजचेरूधधकोइवंतकण्बवूपदण्हवअण्पदध

मानचित्र 1: वयस्क आबादी का प्रतिशत जिन्हें कोविड-19 टीका की पहली खुराक दी गई (31 दिसंबर 2021 तक)

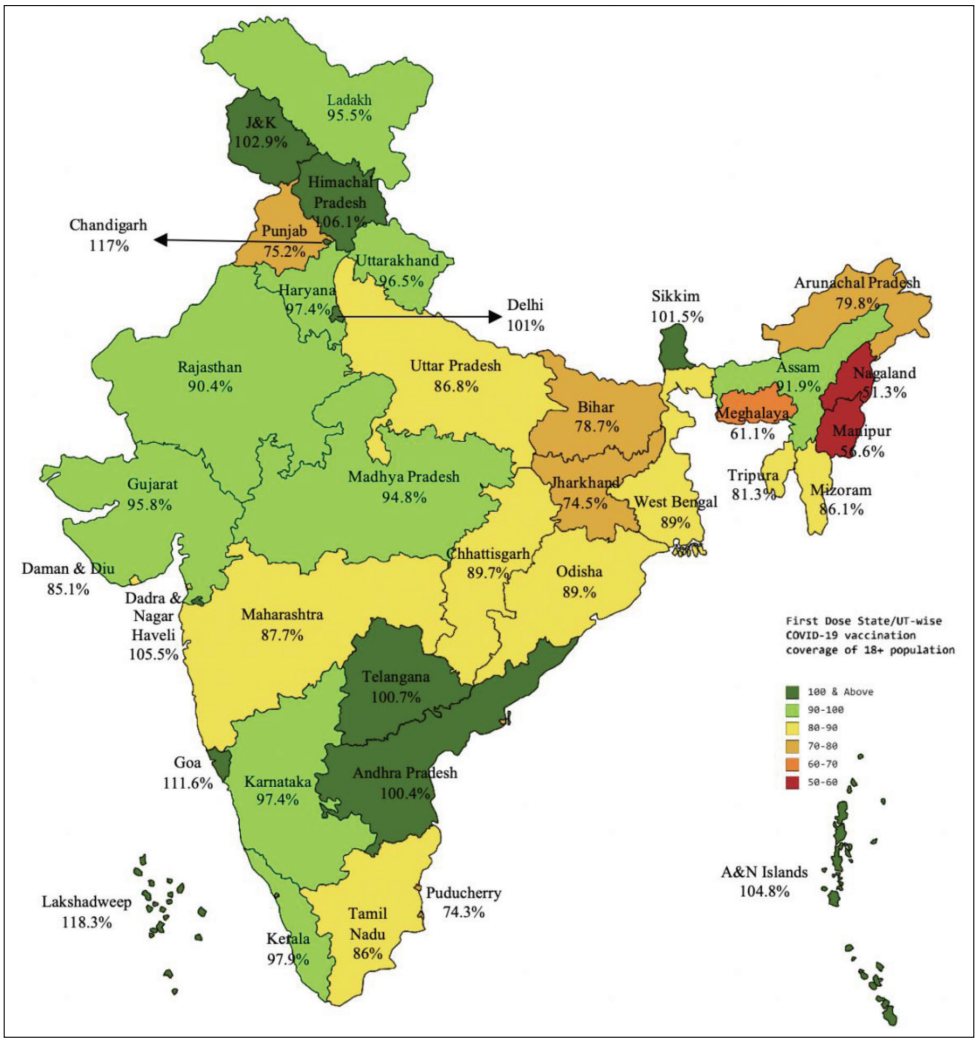

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट: ये राज्यों में दी गई खुराकों की संख्या है, न कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें खुराक दी गई है।

मानचित्र 2: वयस्क आबादी का प्रतिशत जिन्हें कोविड-19 टीका की दूसरी खुराक दी गई (31 दिसंबर 2021 तक)

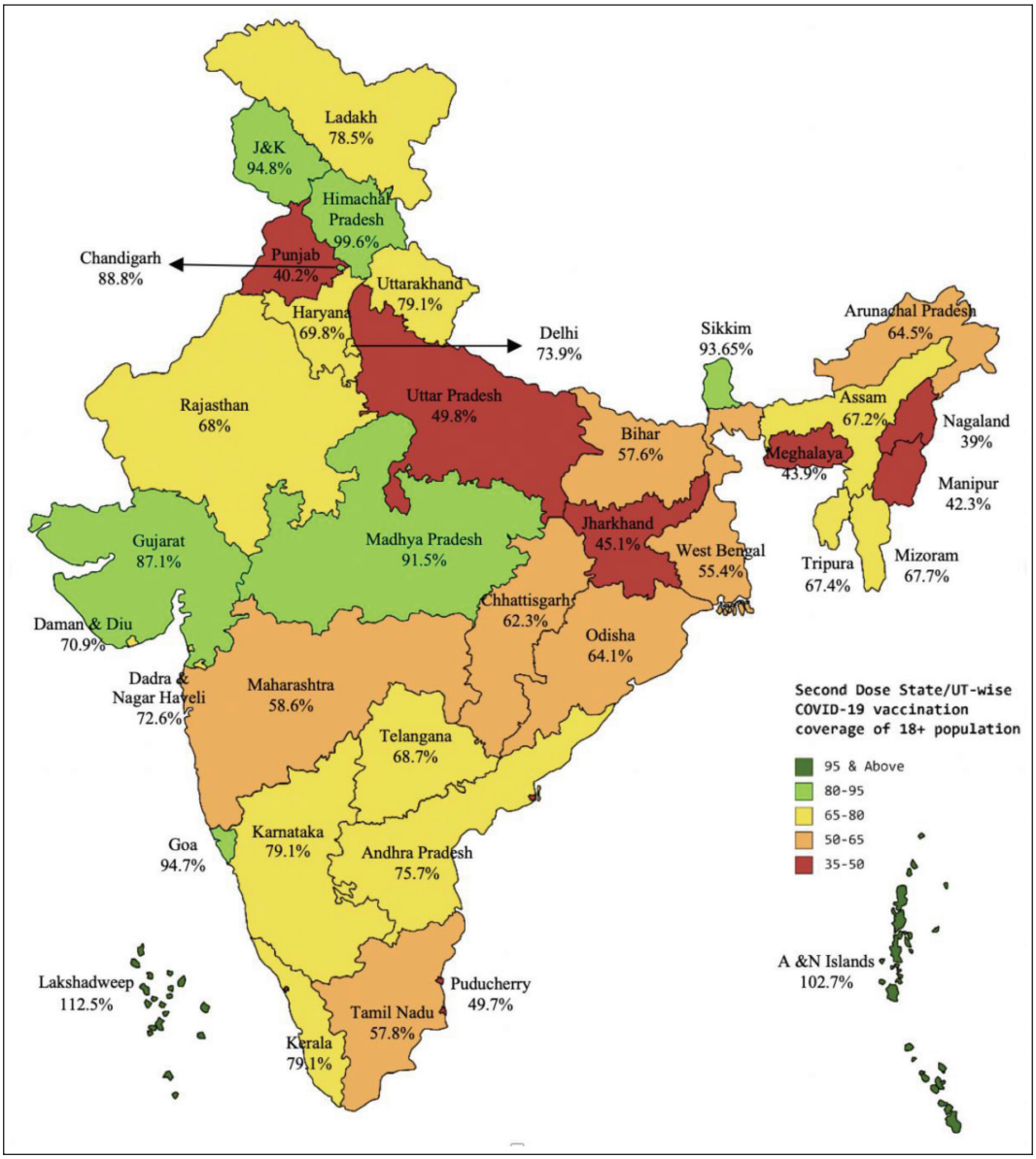

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
नोट: ये राज्यों में दी गई खुराकों की संख्या है, न कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें खुराक दी गई है।

10.14 दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक, राज्यों की वयस्क जनसंख्या का टीकाकरण कवरेज मानचित्र-1 (पहली खुराक) तथा मानचित्र-2 (दूसरी खुराक) में दिया गया है। भारत उन कुछ बड़े देशों में शामिल है, जिन्होंने अपनी आबादी के बड़े भाग को कोविड-19 टीका लगाया है। दिनांक 16 जनवरी 2022 तक, भारत में पहली खुराक के साथ पात्र आबादी (18 वर्ष एवं अधिक) का टीकाकरण 93 प्रतिशत और दूसरी खुराक के साथ 69.8 प्रतिशत (चित्र 4) था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह तक आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल जनसंख्या का 66.3 प्रतिशत तथा 48.3 प्रतिशत क्रमशः पहली खुराक तथा दूसरी खुराक का टीकाकरण किया गया। इंडोनेशिया में, पहली खुराक के साथ टीकाकरण की जनसंख्या 64.9 प्रतिशत और दूसरी खुराक के साथ 44.3 प्रतिशत है, जबकि चीन में, पहली खुराक के साथ टीकाकरण की जनसंख्या 86 प्रतिशत और दूसरी खुराक के साथ 83.3 प्रतिशत है (चित्र 5)।

चित्र 4: कोविड-19 टीका के साथ वयस्क जनसंख्या का संचयी प्रतिशत

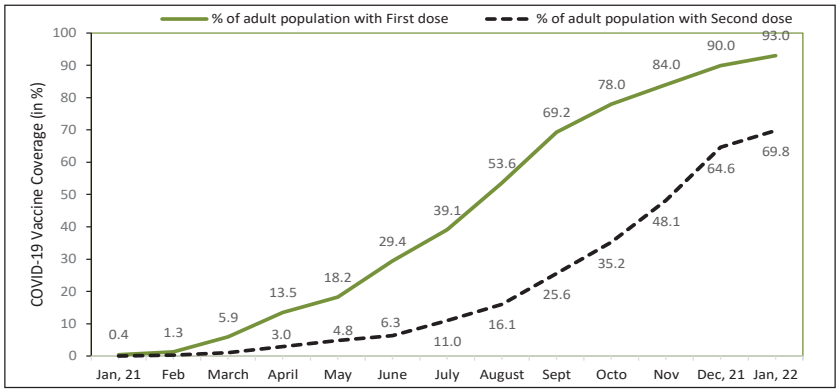

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (16 जनवरी 2022 तक)
नोट: भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमान के अनुसार, लक्ष्य: 93,90,39,000.

चित्र 5: देशों द्वारा टीकाकरण की गई जनसंख्या (प्रतिशत में)

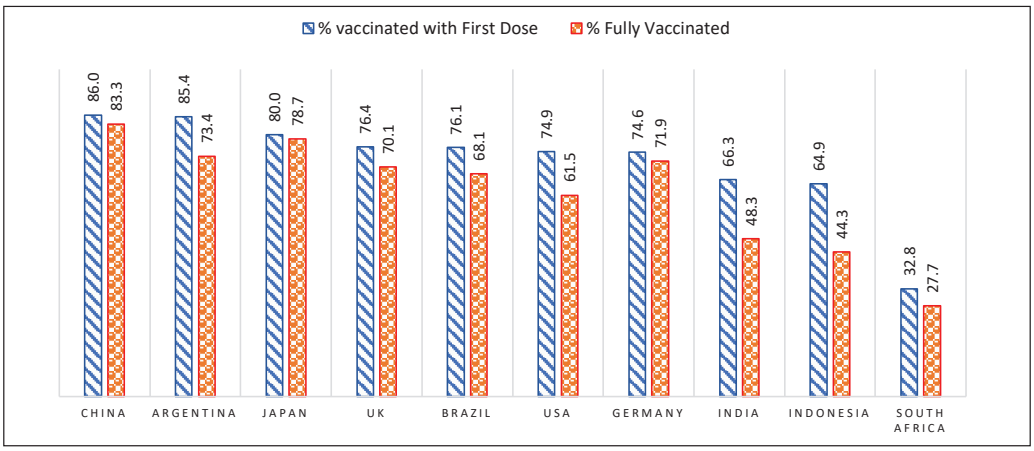

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन
नोट: स्थिति जनवरी 2022 के प्रथम 2 सप्ताह के अनुसार है।

बॉक्स 1: कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए की गई कुछ पहल

प्रयोगशाला नेटवर्क : दिनांक 24 नवंबर 2021 तक, कुल 1346 सरकारी प्रयोगशाला और 1701 गैर-सरकारी प्रयोगशाला (कुल 3047 प्रयोगशालाएँ) कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। दिनांक 20.01.2022 तक, भारत ने कुल 70.93 करोड़ कोविड परीक्षण किए। दिनांक को 20.01.2022 को, भारत ने 19.35 लाख कोविड परीक्षण किए।

मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र : रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) को छह महीने के भीतर देश भर के 869 अस्पतालों में 931 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने तथा चालू करने का कार्य सौंपा गया था, जिसे पीएम-केयर फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। इन संयंत्रों को भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जेनरेशन सिस्टम (ओबीओजीएस) की स्पिन-ऑफ तकनीक के आधार पर डिजाइन तथा विकसित किया गया है।

ऑक्सी-केयर सिस्टम : रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने कोविड-19 रोगियों के लिए उपलब्ध मेडिकल ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग करने के लिए एसपीओ2 आधारित ऑक्सीजन सिलेंडर कंट्रोलर (एसपीओसीसी)

आधारित मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर विकसित किए। यह प्रणाली व्यक्ति के एसपीओ[2] स्तरों के आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा की आपूर्ति करती है। यह तकनीक मेसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड और मेसर्स यूफ्लो ऑटोमेशन को हस्तांतरित कर दी गई। उन्होंने देश भर के सरकारी अस्पतालों में 1.5 लाख ऐसी प्रणालियों की आपूर्ति की है।

एंटी-कोविड ड्रग: डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, हैदराबाद के सहयोग से 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) दवा का एक एंटी-कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग तैयार किया गया। दूसरे तथा तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के परिणामों के आधार पर, भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों में सहायक चिकित्सा के रूप में 2-डीजी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी। दवा पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लिया जाता है। डीआरडीओ ने अपनी पेटेंट प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को 13 प्रमुख फार्मा उद्योगों को हस्तांतरित किया है।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय में प्रवृत्ति

10.15 महामारी के दौरान सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय काफी बढ़ गया। वर्ष 2021-22 (बीई) में, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने वर्ष 2020-21 की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय करने के लिए कुल 71.61 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए [तालिका 1]। पिछले वर्ष (2020-21) का संशोधित खर्च भी बजटीय राशि से 54,000 करोड़ रुपये बढ़ गया। वर्ष 2021-22 (बीई) में, इस क्षेत्र के लिए राशि बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 8.6 प्रतिशत (2020-21 में 8.3 प्रतिशत) हो गयी। जबकि पिछले पांच वर्षों के दौरान, सामाजिक सेवाओं का कुल सरकारी व्यय (केंद्र तथा राज्यों को मिलाकर) का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2021-22 (बीई) में यह 26.6 प्रतिशत हो गया।

10.16 हालांकि, महामारी ने लगभग सभी सामाजिक सेवाओं को प्रभावित किया, फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय वर्ष 2019-20 (पूर्व-कोविड-19) में 2.73 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 (बीई) में 4.72 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि है। शिक्षा क्षेत्र के लिए इसी अवधि के दौरान वृद्धि 20 प्रतिशत रही।

10.17 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2021-22, ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने तथा नई उभरती बीमारियों का पता लगाने और उसका उपचार के लिए नए संस्थानों का निर्माण करने के लिए लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएम-एएसबीवाई) की घोषणा की। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2021-22 ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया।

10.18 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में वर्ष 2025 तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र तथा राज्य सरकारों का बजट व्यय वर्ष 2019-20 में 1.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत तक पहुंच गया।

तालिका 1: सामान्य सरकार (संयुक्त केंद्र तथा राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय में प्रवृत्ति

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
(रुपए लाख करोड़ में)								
कुल बजटीय व्यय	32.85	37.61	42.66	45.16	50.41	54.11	65.24	71.61
सामाजिक सेवाओं पर व्यय:	7.68	9.16	10.41	11.40	12.78	13.65	16.34	19.06
i) शिक्षा	3.54	3.92	4.35	4.83	5.26	5.80	6.21	6.97
ii) स्वास्थ्य	1.49	1.75	2.13	2.43	2.66	2.73	3.50	4.72
iii) अन्य	2.65	3.48	3.93	4.13	4.86	5.13	6.63	7.37
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय:	6.2	6.6	6.8	6.7	6.8	6.7	8.3	8.6
i) शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1
ii) स्वास्थ्य	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.8	2.1
iii) अन्य	2.1	2.5	2.6	2.4	2.6	2.5	3.4	3.3
(कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में)								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय:	23.4	24.3	24.4	25.2	25.4	25.2	25.0	26.6
i) शिक्षा	10.8	10.4	10.2	10.7	10.4	10.7	9.5	9.7
ii) स्वास्थ्य	4.5	4.7	5.0	5.4	5.3	5.0	5.4	6.6
iii) अन्य	8.1	9.3	9.2	9.1	9.6	9.5	10.2	10.3
(स्वास्थ्य सेवा के प्रतिशत के रूप में)								
i) शिक्षा	46.1	42.8	41.8	42.4	41.2	42.5	38.0	36.6
ii) स्वास्थ्य	19.4	19.1	20.5	21.4	20.8	20.0	21.4	24.7
iii) अन्य	34.6	38.0	37.7	36.2	38.0	37.6	40.6	38.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

नोट: 1. बजट अनुमान (बीई) तथा संशोधित अनुमान (आरई)।

2. सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति; चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति एवं स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण, श्रम एवं श्रम कल्याण; सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि शामिल हैं।

3. शशिक्षाश पर व्यय शशिक्षा, खेल, कला और संस्कृतिश पर व्यय से संबंधित है।

4. 'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल है।

5. मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुपात वर्ष 2011-12 के आधार पर है।

6. बीई वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमानित जीडीपी 222,87,379 करोड़ रुपये है।

शिक्षा

10.19 शिक्षा-क्षेत्र पर बार-बार होने वाले लॉकडाउन के वास्तविक समय के प्रभाव को आंकना मुश्किल है, क्योंकि नवीनतम उपलब्ध व्यापक आधिकारिक आंकड़ा वर्ष 2019-20 का है। यह लंबे समय तक पूर्व-कोविड प्रवृत्तियों को बताता है, लेकिन हमें यह नहीं बताता कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिबंधों से प्रवृत्ति कैसे प्रभावित हुई होगी।

10.20 प्रारंभिक कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान, छात्रों को कोविड-19 से बचाने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, सम्पूर्ण भारत में स्कूल और कॉलेज बंद[4] कर दिए गए। इसने पढ़ाई की प्रक्रिया को बाधित कर दिया, और अब तक जो हासिल किया गया है उसके क्षति को कम करने के लिए सरकार के लिए एक नई चुनौती पेश की।

स्कूल का आधारभूत संरचना

10.21 पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के लिए एक आकलन, जिसके लिए आंकड़ा उपलब्ध है, से पता चलता है कि प्राथमिक तथा उच्च-प्राथमिक विद्यालयों[5] को छोड़कर, मान्यता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के बीच वृद्धि जारी रही (तालिका 2)।

तालिका 2: भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कुल संख्या

विवरण	2018-19	2019-20
प्राथमिक तथा उच्च-प्राथमिक विद्यालय (लाख में)	12.37	12.22
माध्यमिक तथा उच्च-माध्यमिक विद्यालय (लाख में)	2.76	2.85
कॉलेज (संख्या)	39931	42343
विश्वविद्यालय (संख्या)	993	1043

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय

10.22 पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2019-20 में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हुआ (चित्र 6)। अब अधिकांश सरकारी स्कूलों (10.32 लाख)[6] में शौचालय (लड़कियां या लड़के), पेयजल तथा हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में पेयजल एवं स्वच्छता को प्राथमिकता, स्वच्छ भारत मिशन के साथ-साथ समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और इन संपत्तियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिनांक 19.01.2022 तक, जल जीवन मिशन के तहत 8,39,443 स्कूलों को नल जल उपलब्ध कराया गया। हालांकि, कंप्यूटर तथा डिजिटल कनेक्टिविटी कम रही। समग्र शिक्षा योजना के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के तहत, सरकार स्कूलों में स्मार्ट कक्षा तथा आईसीटी प्रयोगशाला की स्थापना में मदद, शिक्षण के लिए हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर तथा ई-सामग्री के लिए सहयोग शामिल है।

10.23 इसके अतिरिक्त, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र शिक्षक अनुपात द्वारा मापी गई एक संकेतक है जिसकी कमी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देती है, वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक सभी स्तरों पर लगातार सुधार हुआ है : प्राथमिक स्तर पर 34 से 26, उच्च स्तर पर 23 से 18 तक, प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर 30 से 18 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 39 से 26। स्कूलों की संख्या में सुधार, शिक्षकों की उपलब्धता तथा स्कूलों में सुविधाओं से नामांकन में सुधार और स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद मिलती है।

चित्र 6: बुनियादी सुविधा वाले स्कूल (प्रतिशत में)

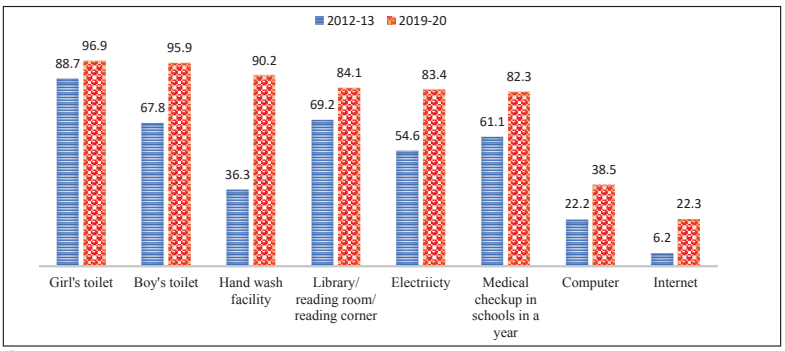

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+), वर्ष 2019-20)

[4]15 अक्टूबर 2020 के बाद, राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों को श्रेणीब) तरीके से स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की छूट दी गई।
[5]15000 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गिरावट दर्ज की गई।

स्कूल नामांकन

10.24 वर्ष 2019-20 में 26.45 करोड़ बच्चों का स्कूलों में दाखिला हुआ। एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) डेटाबेस[7] के अनुसार, वर्ष के दौरान स्कूलों ने लगभग 42 लाख अतिरिक्त बच्चों को नामांकित किया, जिनमें से 26 लाख प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तथा 16 लाख पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए शामिल हैं। प्राथमिक स्तर को छोड़कर, सभी स्तरों[8] पर नामांकन में वृद्धि हुई, जैसे कि उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। प्राथमिक स्तर पर नामांकन वर्ष 2012-13 में 13.5 करोड़ से घटकर 12.2 करोड़ 2019-20 हो गया। नामांकन में यह गिरावट 6-10 वर्ष[9] के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या में गिरावट के कारण थी।

10.25 वर्ष 2019-20 में सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)[10] तथा लैंगिक समानता में सुधार देखा गया। प्राथमिक में जीईआर - 6 से 10 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा 1 से 5 में नामांकन - लड़कियों के साथ-साथ लड़कों के लिए वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ। इस सुधार ने वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2018-19 के बीच गिरावट प्रवृत्ति के विपरीत है (चित्र 7क)। उच्च प्राथमिक में जीईआर (11-13 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा 6 से 8 में नामांकन), जो वर्ष 2016-17 तथा 2018-19 के बीच स्थिर था, वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ (चित्र 7ख)। वर्ष 2019-20 में माध्यमिक (9वीं तथा 10वीं) में लड़कों और लड़कियों के लिए जीईआर में भी सुधार हुआ है (चित्र 8)। प्राथमिक तथा उच्च-प्राथमिक स्तरों में संबंधित आयु समूहों में, लड़कियों का जीईआर लड़कों से बेहतर है (यूडीआईएसई+, 2019-20)।

चित्र 7: भारत में स्कूल सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

(क) प्राथमिक स्तर

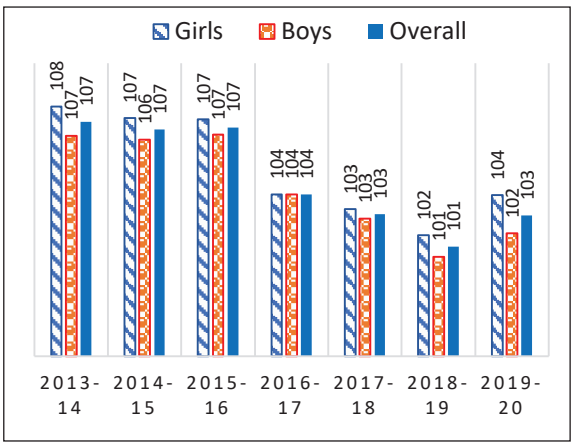

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर

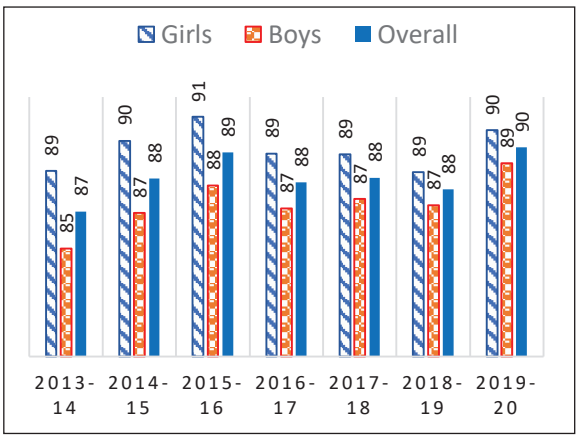

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (यूडीआईएसई+)

नोट: 100 प्रतिशत से अधिक जीईआर शिक्षा के एक विशेष स्तर में अधिक या कम उम्र के बच्चों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

[7] एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई) स्कूली शिक्षा के विभिन्न संकेतकों पर आंकड़ा एकत्र करता है। इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालयों को 'प्राथमिक विद्यालय' कहा गया है।

[8] शिक्षा के स्तर: प्राथमिक (1-5 वीं कक्षा), उच्च प्राथमिक (6-8 वीं कक्षा), माध्यमिक (9 और 10 वीं कक्षा), उच्च माध्यमिक (11 और 12 वीं कक्षा)।

[9] यूडीआईएसई पर रिपोर्ट, 2019-20

[10] जीईआर को स्कूली शिक्षा के एक विशेष स्तर में कुल नामांकन के रूप में परिभाषित किया गया है, उस को ध्यान दिये बिना, आधिकारिक आयु-समूह की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में स्कूली शिक्षा के दिए गए स्तर से मेल खाता है।

चित्र 8: भारत में स्कूल सकल नामांकन अनुपात: माध्यमिक स्तर (प्रतिशत में)

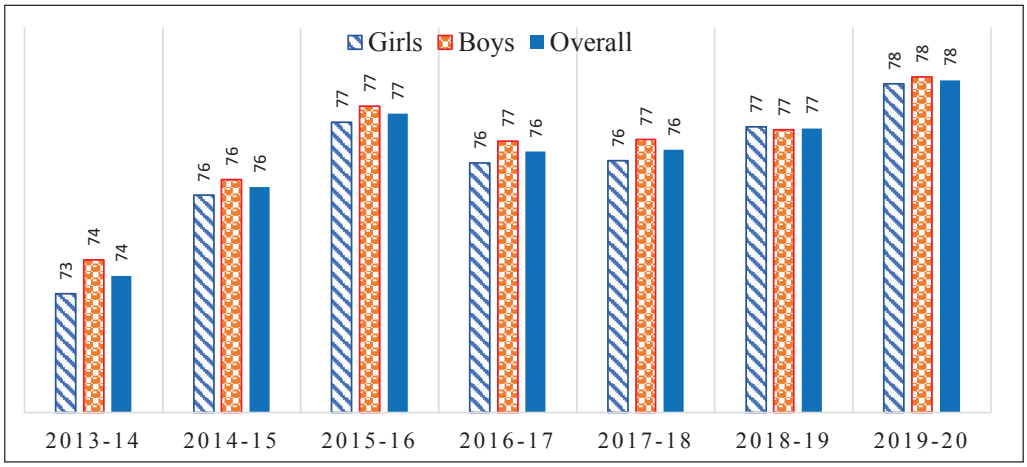

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (यूडीआईएसई+)

स्कूल ड्रॉपआउट

10.26 वर्ष 2019-20 में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर स्कूल ड्रॉपआउट दर[11] में गिरावट देखी गई। वर्ष 2019-20 में, प्राथमिक स्तर पर स्कूल ड्रॉपआउट की दर वर्ष 2018-19 में 4.45 प्रतिशत से घटकर 1.45 प्रतिशत हो गई। गिरावट लड़कियों तथा लड़कों दोनों के लिए है (चित्र 9क)। यह गिरावट पिछले दो वर्षों: वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ड्रॉपआउट दरों में वृद्धि प्रवृत्ति के विपरीत है। उच्च-प्राथमिक में, लड़कियों तथा लड़कों के लिए ड्रॉपआउट दर में वर्ष 2017-18 से लगातार गिरावट आई है (चित्र 9ख)। इसी तरह, माध्यमिक में भी, लड़कियों तथा लड़कों दोनों के लिए वर्ष 2016-17 से ड्रॉपआउट दर में निरंतर गिरावट है (चित्र 10)[12]।

चित्र 9: भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर (प्रतिशत में)

(क) प्राथमिक स्तर

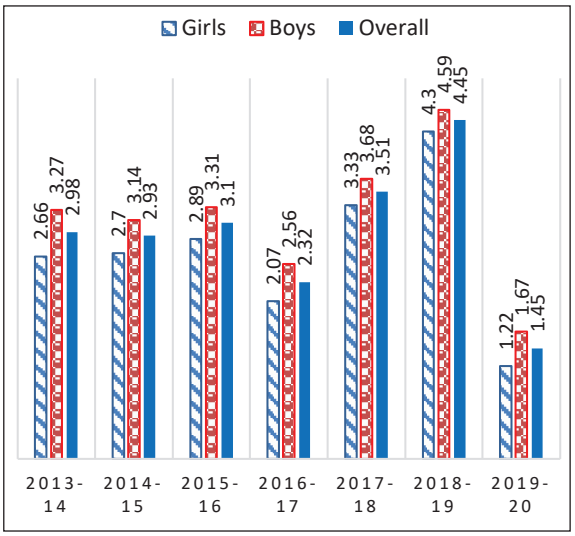

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर

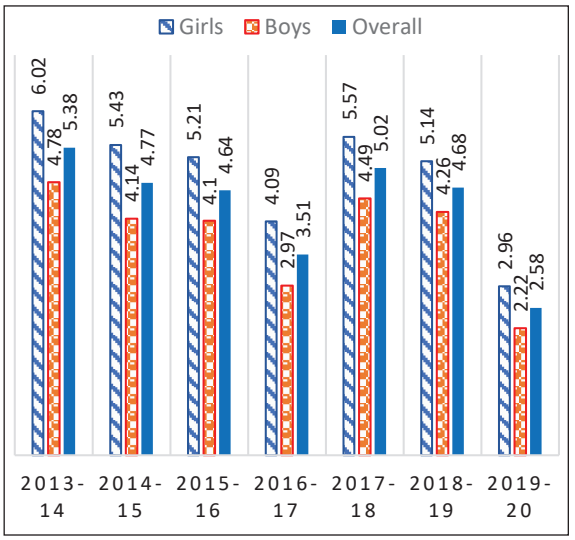

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (यूडीआईएसई+)

[11] ड्रॉपआउट दर को किसी दिए गए स्कूल वर्ष में दिए गए स्तर पर नामांकित एक समूह के छात्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अब अगले स्कूल वर्ष में किसी भी वर्ग में नामांकित नहीं हैं।

[12] सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई अधिनियम, स्कूल के आधारभूत संरचना तथा सुविधाओं में सुधार, आवासीय छात्रावास भवन, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, बच्चों को पोशाक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं स्कूलों में बच्चों के नामांकन तथा प्रतिधारण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चित्र 10: ड्रॉपआउट दर: माध्यमिक स्तर (प्रतिशत में)

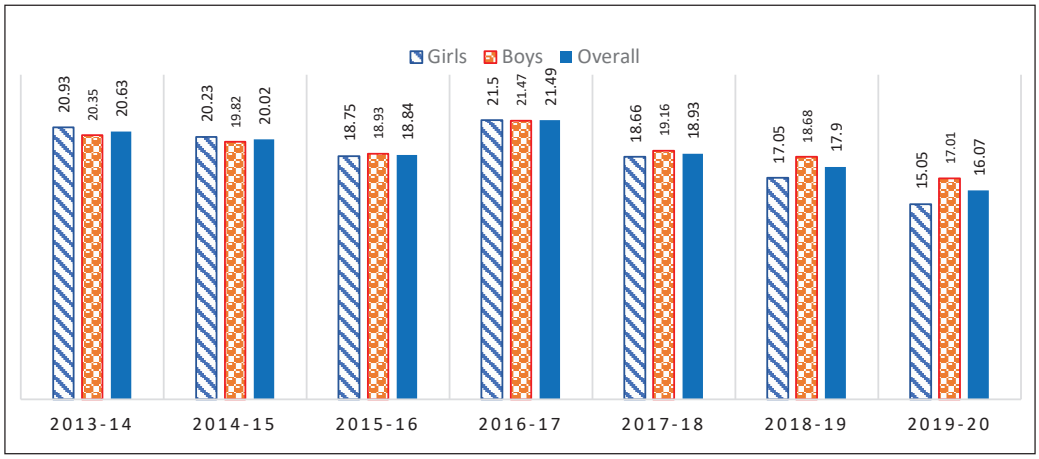

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय (यूडीआईएसई+)

10.27 पूरे भारत में लाखों स्कूलों और कॉलेजों को प्रभावित करने वाली शिक्षा प्रणाली पर महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। चूंकि शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े केवल वर्ष 2019-20 तक उपलब्ध हैं, महामारी के वर्ष 2020 तथा 2021 के दौरान नामांकन और स्कूल ड्रॉपआउट दर पर महामारी के प्रभाव का आकलन व्यापक आधिकारिक आंकड़ों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, नीति निर्माताओं ने वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान में रखा है। सरकार द्वारा तथा नागरिक-नेतृत्व वाली गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न छोटे सर्वेक्षणों, जैसे कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2021, ने ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र के लिए महामारी के दौरान प्रभाव का आकलन किया है। हम जानते हैं कि इस तरह के आंकड़ों की सीमाएँ हैं लेकिन अद्यतित होने के हित में इन आंकड़ों को नीचे शामिल किया गया है।

10.28 एएसईआर ने पाया कि महामारी के बावजूद, 15-16 वर्ष की आयु वर्ग में नामांकन में सुधार जारी रहा क्योंकि इस आयु वर्ग में नामांकित बच्चों की संख्या वर्ष 2018 में 12.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021 में 6.6 प्रतिशत हो गई (तालिका 3)।

10.29 हालाँकि, एएसईआर (ग्रामीण) की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि महामारी के दौरान, बच्चे (6-14 वर्ष की आयु) 'जो वर्तमान में स्कूलों में नामांकित नहीं हैं' वर्ष 2018 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में 4.6 प्रतिशत हो गए। छोटे आयु वर्ग (आयु 7-10 वर्ष) के बीच नामांकन में गिरावट अपेक्षाकृत बड़ी थी; छोटे लड़कों के नामांकन में गिरावट लड़कियों की तुलना में अधिक थी। वर्ष 2020 में नामांकन में गिरावट हुई, यद्यपि यह वर्ष 2021 में स्थिर बनी रही। स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान, उनको मुख्यधारा तथा संसाधन साझा करने के लिए सरकार ने राज्यों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ स्थानीय निकायों की भूमिका, गांव/नगर स्तर पर नोडल समूह का गठन, घर-घर /हेल्पडेस्क/ऐप-आधारित सर्वेक्षण का संचालन करते हुए कोविड-19 कार्य योजना साझा की है।

10.30 एएसईआर की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि महामारी के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी तीन आयु-वर्ग के बच्चे निजी से सरकारी स्कूलों में चले गए (तालिका 3)। इस बदलाव के लिए सुझाए गए संभावित कारण हैं: कम लागत वाले निजी स्कूलों का बंद होना, अभिभावकों की आर्थिक तंगी, सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क सुविधाएं तथा गांवों में वापस जाने वाले परिवार। निजी स्कूलों में अनुपातहीन उच्च शुल्क भी इस बदलाव को प्रेरित कर सकता है। यदि यही प्रवृत्ति बनी रही, तो निजी स्कूलों तथा शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने वाले छात्रों को आत्मसात करने के लिए सरकारी स्कूलों को शिक्षक-छात्र अनुपात, कक्षा स्थान तथा शिक्षण/सीखने की सामग्री के मामले में अतिरिक्त सहायता से लैस करने की आवश्यकता है। जुलाई 2020 में, सरकार

ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों की मुख्यधारा लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे उन्हें पहचान के अलावा कोई अन्य दस्तावेज मांगे बिना स्कूलों में आसानी से प्रवेश की अनुमति मिल सके।

तालिका 3: ग्रामीण क्षेत्रों में आयु-वर्ग तथा स्कूल के प्रकार के अनुसार स्कूलों में नामांकित बच्चे (प्रतिशत में)

उम्र (वर्ष)	शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2018				शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021			
	सरकारी	निजी	अन्य	नामांकित नहीं	सरकारी	निजी	अन्य	नामांकित नहीं
6-14 सभी	64.3	32.5	0.7	2.5	70.3	24.4	0.7	4.6
7-10 सभी	64.4	33.5	0.7	1.4	70.3	24.8	0.6	4.4
7-10 लड़के	60.6	37.4	0.7	1.4	67.9	26.9	0.5	4.7
7-10 लड़कियां	68.4	29.5	0.7	1.4	72.8	22.3	0.7	4.1
11-14 सभी	64.1	32	0.8	3.2	70.5	24.5	0.8	4.1
11-14 लड़के	60.5	35.9	0.7	2.9	67.5	27.3	0.9	4.3
11-14 लड़कियां	67.6	28	0.8	3.6	73.9	21.5	0.7	3.9
15-16 सभी	57.4	29.9	0.6	12.1	67.4	25.2	0.9	6.6
15-16 लड़के	55.9	32.2	0.5	11.5	66.7	26.3	0.9	6.1
15-16 लड़कियां	58.9	27.8	0.7	12.6	68.1	24	0.8	7.1

स्रोत: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 (गैर सरकारी स्रोत)

नोट: 'अन्य' में मदरसा जाने वाले बच्चे और शिक्षा गारंटी योजनाएँ शामिल हैं, 'नामांकित नहीं' में वे बच्चे शामिल हैं जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया या वर्तमान में नामांकित नहीं हैं।

10.31 शिक्षा तक पहुंच, स्कूल ड्रॉपआउट, विशेष रूप से वंचित समुदायों के बच्चों के लिए पढ़ाई की कमी हमेशा शिक्षा में प्रमुख चुनौतियां रही हैं। जब महामारी के दौरान स्कूल बंद थे, तब ऑनलाइन पढ़ाई सबसे सुरक्षित एवं प्रमुख तरीका बन गया। एएसईआर के अध्ययन के अनुसार, मौजूदा डिजिटल उपकरण ने, हालांकि, शिक्षा तक पहुंच में समानता को बढ़ा दिया है। हालांकि, स्मार्टफोन की उपलब्धता वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में 67.6 प्रतिशत हो गई, लेकिन निम्न श्रेणी के छात्रों को उच्च श्रेणी के छात्रों की तुलना में ऑनलाइन कार्यकलाप को करना मुश्किल महसूस हुआ। स्मार्टफोन की अनुपलब्धता, बच्चे के उपयोग के लिए फोन की अनुपलब्धता और नेटवर्क या कनेक्टिविटी के मुद्दे बच्चों के सामने चुनौतियां रही (एएसईआर अध्ययन।

10.32 हालांकि इन टिप्पणियों की पुष्टि करने के लिए सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन महामारी की अवधि के दौरान किए गए निजी अध्ययनों के माध्यम से उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। लगभग सभी नामांकित बच्चों के पास उनके वर्तमान ग्रेड (91.9 प्रतिशत) के लिए पाठ्यपुस्तकें हैं। सरकारी तथा निजी दोनों स्कूलों में नामांकित बच्चों के लिए यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। साथ ही, फिर से खोले गए स्कूलों में 46.4 प्रतिशत बच्चों को शिक्षण सामग्री/कार्यकलाप प्राप्त हुई, जबकि 39.8 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे, जिनके स्कूल फिर से नहीं खुले थे। इसके अलावा, डिजिटल उपकरण की चुनौती को दूर करने तथा महामारी के दौरान पढ़ाई जारी रखने के लिए, सरकार ने घरों में पाठ्यपुस्तकों का वितरण, शिक्षकों द्वारा टेलीफोन पर मार्गदर्शन, टीवी एवं रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन और डिजिटल सामग्री, तारा इंटरएक्टिव चौटबॉट, कार्यकलाप-आधारित शिक्षा जैसे उपाय किए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा जारी वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर (बॉक्स 2)।

[13]शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2021 ने सितंबर एवं अक्टूबर 2021 के दौरान भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 76,706 परिवारों का अध्ययन किया और 75,234 बच्चों (5-16 आयु वर्ग) तक पहुंचा। सितंबर 2020 के दौरान भी सर्वेक्षण आयोजित किया गया।

[14]आलम अंदलीब और प्रियंवदा तिवारी (2021), ''कम लागत वाले निजी स्कूलों के लिए कोविड-19 के निहितार्थ'', यूनिसेफ: https://www.unicef.org/globalinsight/reports/implications-COVID-19-low-cost-private - schools

[15]बनर्जी रुक्मिणी और वाधवा विलिमा (2021), ''द कोविड इफेक्ट: चेंजिंग पैटर्न इन पब्लिक एंड प्राइवेट इनपुट्स इन स्कुलिंग इन रूरल इंडिया'', एएसइ. आर 2021

बॉक्स 2: कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के लिए प्रमुख पहल

1. **पीएम ई-विद्याः** मई 2020 में प्रारम्भ किया गया, पीएम ई-विद्या शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। स्कूली शिक्षा के लिए पीएम ई-विद्या के चार घटक हैं:
   i) वन नेशन, वन डिजिटल एजुकेशन (दीक्षा) प्लेटफॉर्म;
   ii) स्वयं प्रभा टीवी चौनल के माध्यम से वन क्लास, वन टीवी चौनल;
   iii) रेडियो, सामुदायिक रेडियो एवं पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग; तथा
2. **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर):** शिक्षा के लिए एक डिजिटल आधारभूत संरचना, एनडीएएआर का ब्लूप्रिंट 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। इसे डिजिटल-फर्स्ट माइंडसेट के संदर्भ में स्थापित किया जाएगा जहां डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण तथा सीखने की कार्यकलाप में सहयोग करेगा बल्कि केंद्र, राज्य तथा केंद्र-शासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना, शासन प्रशासनिक गतिविधियों में भी सहयोग करेगा। यह डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए विविध शिक्षा इको-सिस्टम आर्किटेक्चर प्रदान करेगा, एक फेडरेटेड लेकिन इंटर-ऑपरेटेबल सिस्टम जो सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।
3. **विद्यांजलिः** समुदाय/स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ने के लिए, सरकार ने दिनांक 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि प्रारम्भ किया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय/स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अपनी पसंद के स्कूलों से वार्तालाप करने और प्रत्यक्ष जुड़ने में सक्षम बनाता है और कौशल के साथ-साथ संपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान करते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए प्रमुख योजनाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य देश में स्कूल तथा उच्च-शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनके निवास की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है, जिसमें कमजोर, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी स्कूलों और संस्थानों में सस्ती तथा प्रतिस्पर्धी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. **समग्र शिक्षा योजना** को कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा गया है। स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में, इसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह स्कूली शिक्षा को एक सातत्य के रूप में मानता है, और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी जुड़ी हुई है : यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को एक-समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का ध्यान रखना तथा उन्हें पढ़ाई सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है।

इस योजना के तहत प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख भागीदारी हैं : (i) सभी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास एवं अवधारण, (ii) आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, (iii) लैंगिक समानता, (iv) समावेशी शिक्षा, (v) गुणवत्ता एवं नवाचार, (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता, (vii) डिजिटल पहल, (viii) पोशाक, पाठ्यपुस्तकों सहित आरटीई पात्रताएं, (ix) बाल्य-अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा में सहयोग (ईसीसीई), (x) व्यावसायिक शिक्षा, (xi) खेल तथा शारीरिक शिक्षा, (xii) शिक्षक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण, (xiii) निगरानी, (xiv) कार्यक्रम प्रबंधन, और (xv) राष्ट्रीय घटक।

2. **निपुण भारत मिशन:** दिनांक 5 जुलाई 2021 को सरकार ने मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया, जिसे ''समझ तथा संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)'' कहा जाता है। राष्ट्रीय मिशन राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए प्राथ. मिक साक्षरता तथा वर्ग 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए संख्यात्मकता में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वाद-योग्य कार्यसूची निर्धारित करता है। मिशन को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। निपुण भारत विभिन्न पहलुओं, अवधारणाओं तथा कौशल को शामिल करते हुए पढ़ाई के परिणामों एवं विकासात्मक लक्ष्यों के आधार पर बालवाटिका से शुरू होकर 9 वर्ष की आयु तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।

3. **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना:** इस योजना, जिसे पहले 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था, में बालवाटिका (कक्षा एक से ठीक पहले) में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा एक से आठ में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 11.20 लाख संस्थानों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए। केंद्र सरकार से 54061.73 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों से 31733.17 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण योजना को लागू करने के लिए अनुमोदित किया है।

उच्च शिक्षा

10.33 **उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात :** उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2019-20 में 27.1 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो वर्ष 2018-19 में 26.3 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। इस अवधि के दौरान पुरुषों के लिए भी यह 26.3 प्रतिशत से बढ़कर 26.9 प्रतिशत हो गया जबकि महिलाओं के लिए यह 26.4 प्रतिशत से बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया है (चित्र 11)।

चित्र 11: 18-23 वर्ष की आयु के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

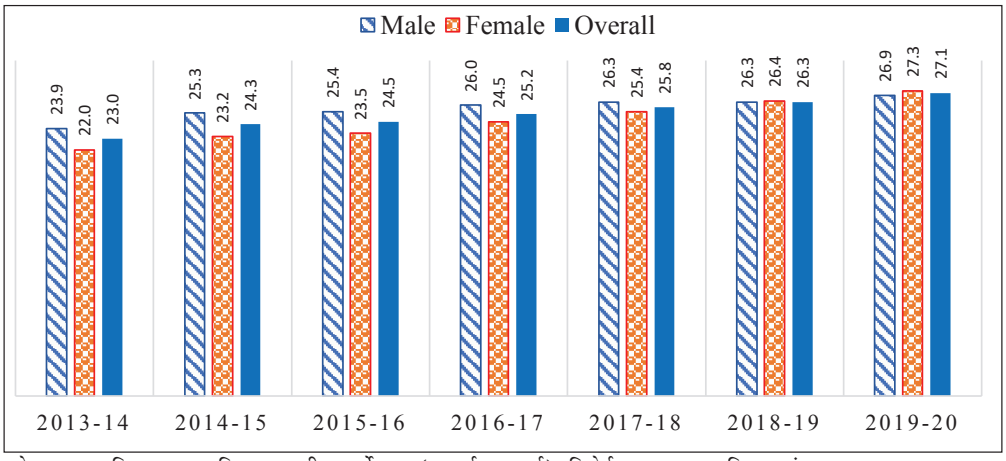

स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2019-20, शिक्षा मंत्रालय

उच्च-शिक्षा में हाल की पहल

10.34 सरकार ने उच्च-शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई किए हैं: (i) उच्च व्यवसायीकरण को सक्षम करना, (ii) अधिकतम बहु-विषयक अनुसंधान, (iii) कई प्रवेश एवं निकास बिंदु प्रदान करना, (iv) शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, (v) शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की क्षमता का लाभ उठाना और सभी शिक्षार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया (vi) उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय मानद संस्थान) विनियमन 2019 में संशोधन और यूजीसी तथा एआईसीटीई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम पेश करने में सक्षम बनाया जा सके।

10.35 **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना:** राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को 3054 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो प्रशिक्षुता के माध्यम से लगभग 9 लाख छात्रों को रोजगार के पात्र बनाएगी। इस योजना के तहत छात्रों को उभरती तथा सीमांत तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमता, ड्रोन तकनीक, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और सरकार के पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के लिए आवश्यक विशेषज्ञता सहित नए विकसित तथा उभरते क्षेत्रों में शिक्षुता दी जाएगी। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अलावा मानविकी, वाणिज्य तथा विज्ञान के छात्रों को प्रशिक्षुता देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का दायरा बढ़ाया गया है।

10.36 **अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट:** माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 29.07.2021 को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया गया। यह अकादमिक बैंक विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचई. आई) से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा, ताकि इस तरह अर्जित क्रेडिट को किसी दिए गए उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा डिग्री प्रदान करने के लिए उत्तरदायी तय जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा नियमों में उपयुक्त संशोधन उच्च शैक्षणिक संस्थान में अकादमिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश/निकास की सुविधा तथा प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओई) द्वारा अलग पाठ्यक्रमों की पेशकश लिए प्रभावित हुए हैं।

10.37 **ई-पाठशाला:** अब तक 'स्वयं' प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट स्थानांतरण को स्वीकार करने के लिए एक सौ चौवन (154) विश्वविद्यालय बोर्ड में आ गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम (एमओओसी) को बढ़ावा मिला है। इस संबंध में, ई-पीजीपाठशाला को स्तनकोत्तर पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन गेटवे के रूप में पेश किया गया; इसमें 67 विषयों में 23000 से अधिक ई-मॉड्यूल के साथ 778 पेपर विकसित किए गए है, जिनमें से 23 विषयों में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या को शामिल किया गया। हाल ही में, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सभी विश्वविद्यालयों में ई-पीजीपाठशाला वेबसाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया गया और कई विश्वविद्यालयों ने ई-पीजीपाठशाला सामग्री को फ्लिप क्लास रूम के रूप में उपयोग किया।

10.38 **उन्नत भारत अभियान:** ग्रामीण जिलों में उच्च-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत भारत अभियान योजना शुरू की गई। योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों (केंद्रीय तथा राज्य; सार्वजनिक तथा निजी) को ग्रामीण क्षेत्रों में समझने और काम करने के लिए जोड़ना है। अब तक 2897 संस्थान भाग ले रहे हैं और करीब 14500 गांवों को उन्होंने अपनाया है।

10.39 **कमजोर-वर्गों के लिए छात्रवृत्ति:** कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे को समाधान करने के लिए, छात्रवृत्ति योजनाएं (कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसमें नवंबर 2021-22 तक, 1.5 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए, जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, जिसमें 2021-22 नवंबर तक, लगभग 15000 छात्र लाभान्वित हुए) को शुरू किया गया है।

कौशल विकास

10.40 जनसांख्यिकीय लाभांश को खोलने के लिए, जनसंख्या में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2019-20 से पता चलता है कि युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) तथा कामकाजी जनसंख्या (आयु 15-59 वर्ष) के बीच औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है। कौशल में सुधार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी हुआ है। हालांकि, पुरुषों और महिलाओं के लिए औपचारिक प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम है (तालिका 4)।

तालिका 4: औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का वितरण (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	ग्रामीण			शहरी			सम्पूर्ण भारत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18									
15-29 वर्ष	2.0	1.3	1.7	4.6	4.2	4.4	2.8	2.2	2.5
15-59 वर्ष	1.5	0.9	1.2	4.0	3.3	3.7	2.3	1.7	2.0
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4
2019-20									
15-29 वर्ष	3.1	2.7	2.9	7.0	6.5	6.8	4.3	3.8	4.1
15-59 वर्ष	2.2	1.7	2.0	6.3	5.4	5.8	3.5	2.9	3.2

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, वर्ष 2017-18 से 2019-20

10.41 तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख नौ क्षेत्रों में न्यूनतम 10 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, अनुमानित प्रतिष्ठानों में से 17.9 प्रतिशत औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे है। आईटी/बीपीओ जैसे क्षेत्रों ने 29.8 प्रतिशत अनुमानित प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, इसके बाद 22.6 प्रतिशत वित्तीय सेवाएं तथा 21.1 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 24.3 प्रतिशत अनुमानित प्रतिष्ठान 'ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षण प्रदान करते है, जो आईटी/बीपीओ क्षेत्र (प्रतिष्ठानों का 36.1 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र (34.8 प्रतिशत) में अधिक है (तालिका 5)।

तालिका 5: औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	कौशल प्रशिक्षण	'ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षण
आईटी/बीपीओ	29.8	36.1
वित्तीय सेवाएं	22.6	34.8
शिक्षा	21.1	22.1
स्वास्थ्य	20.2	24.0
उत्पादन	17.4	28.3
निर्माण	15.5	26.0
परिवहन	13.0	20.6
व्यापार	11.2	17.4

आवास और रेस्टोरेंट	7.1	13.4
कुल	17.9	24.3

स्रोत: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट, दूसरी तिमाही 2021, श्रम ब्यूरो।

10.42 सरकार के कौशल विकास प्रयासों का उद्देश्य कुशल जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करना, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संरचना का निर्माण, कौशल उन्नयन तथा नवीन कौशल का निर्माण न केवल मौजूदा रोजगार के लिए बल्कि नए सृजित होने वाले रोजगार के लिए भी हैं।

बॉक्स 3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: व्यावसायिक शिक्षा का पुन:चित्रण

पहल/लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत स्कूली शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण।
- सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों का समायोजन।
- माध्यमिक विद्यालय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ सहयोग।
- स्कूलों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना और हब एवं स्पोक मॉडल बनाना तथा अन्य स्कूलों को इन सभी सुविधाओं को उपयोग के लिए अनुमति देना।
- उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा या उद्योग तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।
- 4 वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रमों सहित अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करना।
- उच्च शिक्षण संस्थान सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करना।
- व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण - 'लोक विद्या' के माध्यम से छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान विकसित करना ।
- मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
- अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना।
- शिक्षा मंत्रालय इस प्रयास की निगरानी के लिए व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति (एनसीआईवीई) का गठन करना, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ एवं सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्योगों के साथ साझेदारी में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना।
- प्रत्येक विषय व्यवसाय एवं पेशे के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के लिए भारतीय मानकों को सरेखित करना।

स्किल इंडिया मिशन

10.43 वर्ष 2015 में शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन प्रमुख व्यवसाय में पुन:कौशल तथा कौशल-वृद्धि पर केंद्रित है। मिशन के तहत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना तथा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) लागू किया है, ताकि युवाओं को दीर्घकालिक प्रशिक्षण, अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) प्रदान की जा सके।

• **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं, जैसे अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा पूर्व-शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)। वर्ष 2016-17 तथा 2021-22 के बीच (15 जनवरी 2022 तक), पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत लगभग 1.10 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया (पीएमकेवीवाई के प्लेसमेंट-लिंक्ड तथा नॉन-प्लेसमेंट-लिंक्ड घटकों सहित): 83 प्रतिशत प्रमाणित किया गया तथा लगभग 21 लाख को कार्य पर रखा गया। वर्ष 2021-22 में, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, 3.48 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया: 50 प्रतिशत प्रमाणित तथा 16,321 को कार्य पर रखा गया। प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) के तहत, वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक, 16.35 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से 78 प्रतिशत से अधिक को प्रमाणित किया गया।

पीएमकेवीवाई ने कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों (प्रवासी मजदूरों) को प्रशिक्षण भी प्रदान किया। इस घटक में 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं, जैसे- असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दिनांक 15.01.2022 तक, 1.26 लाख प्रवासियों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया जा चुका है (एसटीटी में 0.88 लाख तथा आरपीएल में 0.38 लाख)।

पीएमकेवीवाई के तहत निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में कारीगर समूहों को लक्षित करने के लिए कई सूक्ष्म कार्यक्रम भी तैयार किए गए, ताकि सभी कारीगरों को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू- कश्मीर के पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने तथा नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के पारंपरिक शिल्प बुनकरों एवं कारीगरों के कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष परियोजना शुरू की गई।

पूर्व-शिक्षा की मान्यता (आरपीएल): आरपीएल के उद्देश्य हैं : (i) मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल पात्रता संरचना के साथ देश के असंगठित कार्यबल दक्षता को सरेखित करना; (ii) रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना; (iii) असमानताओं को कम करने के अवसर प्रदान करना। दिनांक 15 जनवरी 2022 तक, 37 विभिन्न क्षेत्रों में 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का उद्देश्य गैर-साक्षर, अल्प-साक्षर, 8वीं तक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर वाले व्यक्तियों तथा 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल ड्रॉपआउट को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्राथमिकता समूह महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं। जन शिक्षण संस्थान न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं संसाधनों के साथ लाभार्थियों के बिलकुल समीप कार्य करते हैं। योजना के तहत कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को अनुदान जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस): यह योजना अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत, प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को बढ़ावा देती है। दिनांक 31 अक्तूबर 2021 तक इस योजना के तहत 4.3 लाख प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया गया।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): सीटीएस देश भर में 14,604 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटी. आई) के माध्यम से 137 व्यवसायों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। सत्र 2020 के लिए 13.36 लाख प्रशिक्षुओं का नामांकन किया गया।

आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (असीम) पोर्टल

10.44 असीम, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति का मिलान करने के लिए बनाया गया है। यह कुशल कार्यबल की निर्देशिका के रूप में कार्य करता है। दिनांक 31.12.2021 तक, कौशल भारत पोर्टल (एसआईपी) पर पंजीकृत उम्मीदवारों सहित 1.38 करोड़ उम्मीदवारों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। दिनांक 31.12.2021 तक, लगभग 26.7 लाख प्रवासियों का डेटा/प्रोफाइल भी पोर्टल

पर उपलब्ध है। पोर्टल में हितधारकों के साथ परस्पर वार्तालाप के लिए तीन आईटी आधारित एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) संचालित इंटरफेस शामिल हैं:

- मशीन लर्निंग तथा व्यक्तित्व के आधार पर स्वचालित मिलान का उपयोग करके अत्यंत स्थानीय नौकरियों तक पहुंच वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी का आवेदन।
- वर्तमान तथा भविष्य की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए नियोक्ताओं के लिए मांग एवं अभियान प्रबंधन प्रणाली।
- विश्लेषण तथा अंतर्दृष्टि के लिए प्रबंधन डैशबोर्ड। इसका उपयोग भविष्य में निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है।

इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर (आईआईएससी) नेटवर्क

10.45 आईआईएससी नेटवर्क विदेशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, जहां भारतीय कार्यबल की मांग है। वैश्विक कार्यबल आपूर्ति एवं मांग की गतिकी के आधार पर, आईआईएससी नेटवर्क एक शुल्क आधारित बाजार संचालित मॉडल है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वृद्धिशील कौशल प्रशिक्षण तथा विदेशी रोजगार के लिए कौशल का मूल्यांकन प्रदान करता है। प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत ने जर्मनी, बेलारूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा कतर के साथ समझौते किया है।

प्रधानमंत्री दक्ष तथा कुशल संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष)

10.46 पीएम-दक्ष योजना अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा सफाई कर्मचारियों सहित वंचित लोगो के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। पात्र लक्ष्य समूह को (i) कौशल-वृद्धि/पुन:कौशल (ii) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (iii) दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और (iv) प्रशिक्षुता विकास कार्यक्रम पर, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान लक्षित समूहों के लगभग 50,000 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार की प्रवृत्ति

10.47 कोविड-19 महामारी तथा इसके प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लोगों की आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध ने वैश्विक आजीविका को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया। यह अध्याय समय-समय पर श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा वार्षिक तथा त्रैमासिक आंकड़ों का उपयोग करके श्रम बाजार में प्रवृत्ति एवं रोजगार पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण करता है। पीएलएफएस एकमात्र व्यापक सरकारी डाटासेट है जिसका उपयोग श्रम बाजार के प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, यह आंकड़ा एक बड़े अंतराल[16] के साथ उपलब्ध है। त्रैमासिक पीएलएफएस शहरी क्षेत्र का नवीनतम अपडेट मार्च 2021[17] तक उपलब्ध है और वार्षिक पीएलएफएस आंकड़ा वर्ष 2019-20 तक उपलब्ध है। श्रम बाजार संकेतकों पर उच्च आवृत्ति आंकड़ा की अनुपस्थिति में, ईपीएफओ योजना की सब्स्क्रिप्शन और मनरेगा के तहत काम की मांग जैसे अन्य प्रतिपत्र का उपयोग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में नवीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए किया गया है।

तिमाही पीएलएफएस आंकड़ा का उपयोग कर शहरी रोजगार में प्रवृत्ति

10.48 कोविड-19 प्रकोप से पहले, शहरी श्रम बाजार ने श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डबल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर के मामले में सुधार के संकेत दिखाए थे। हालांकि, मार्च,

[16]शहरी क्षेत्र के लिए त्रैमासिक पीएलएफएस में लगभग 9 महीने का अंतराल है और यह ग्रामीण क्षेत्र को शामिल नहीं करता है। अन्य देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, संदर्भ अवधि से एक महीने के भीतर दो महीने से कम समय में अपने त्रैमासिक श्रम बल सर्वेक्षण और मासिक आंकड़ा प्रकाशित करते हैं।

[17]सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि की स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता है।

2020 के अंत में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने शहरी श्रम बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में शहरी क्षेत्र के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गई। इस तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में भी उल्लेखनीय गिरावट आई (सारणी 6)।

तालिका 6: शहरी क्षेत्र के लिए श्रम बाजार संकेतक
(आयु: 15 एवं अधिक) सीडब्ल्यूएस पर (प्रतिशत में)

सर्वेक्षण वर्ष	तिमाही	एलएफपीआर	डबल्यूपीआर	यूआर
2019-20	जुलाई-सितंबर, 2019	47.3	43.4	8.3
	अक्टूबर-दिसंबर, 2019	47.8	44.1	7.8
	जनवरी-मार्च, 2020	48.1	43.7	9.1
	अप्रैल-जून, 2020	45.9	36.4	20.8
2020-21	जुलाई-सितंबर, 2020	47.2	40.9	13.2
	अक्टूबर-दिसंबर, 2020	47.3	42.4	10.3
	जनवरी-मार्च, 2021	47.5	43.1	9.3

स्रोत: त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट

नोट: एलएफपीआर को श्रम बल में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रम बल में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो या तो काम कर रहे थे (नियोजित) या काम की तलाश में (बेरोजगार)। डबल्यूपीआर को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

10.49 वर्ष 2020-21 की बाद की तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ, सभी तीन श्रम बाजार संकेतकों ने त्वरित सुधार दिखाया (चित्र 11)। इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर धीरे-धीरे कम होकर वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 9.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गई। 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए एलएफपीआर एवं डबल्यूपीआर दोनों, वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान लगभग अपने पूर्व-महामारी[18] के स्तर पर पहुंच गए। (चित्र 12)।

चित्र 12: महामारी पूर्व-स्तरों से शहरी श्रम बाजार में सुधार

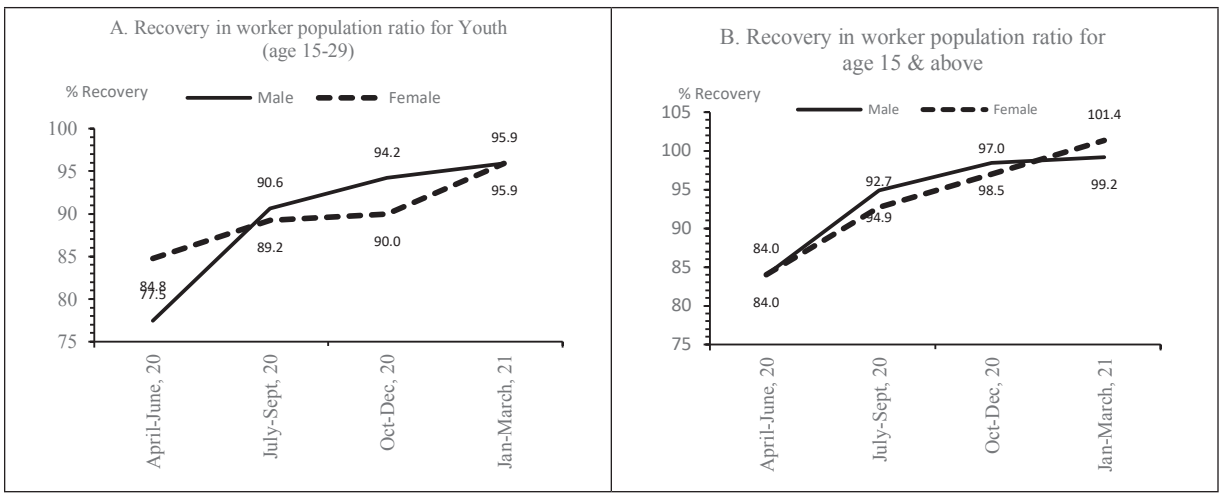

[18]पूर्व महामारी का स्तर वित्तिय वर्ष 2019-20 के सभी तिमाहियों का औसत लेके दिया गया है।

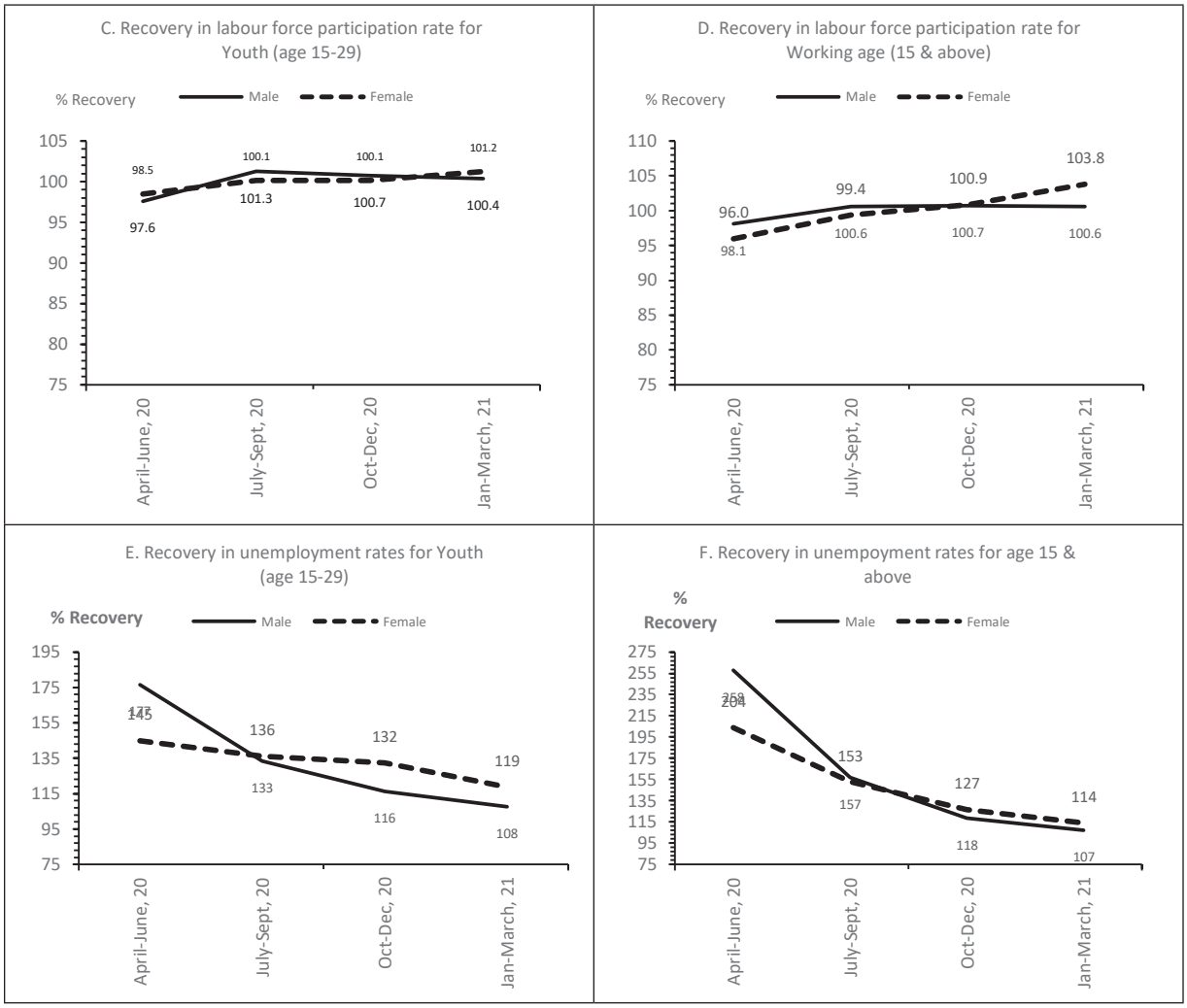

स्रोत: त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

10.50 ध्यान दें कि, नवीनतम तिमाही शहरी क्षेत्र पीएलएफएस आंकड़ा पहली कोविड-19 लहर के प्रभाव तथा वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही तक निम्नलिखित सुधार की रिपोर्ट करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान श्रम बाजार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, परोक्ष उपायों का उपयोग करना होगा (हालांकि इनकी सीमाएं हैं)। निम्नलिखित उप-अनुभाग ईपीएफओ योजना की सब्सक्रिप्शन तथा मनरेगा के तहत काम की मांग पर डेटा का उपयोग परोक्ष संकेतक के रूप में क्रमश: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन हालिया रुझानों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेरोल डेटा का उपयोग कर शहरी रोजगार में प्रवृत्ति

10.51 आम-तौर पर, ईपीएफओ आंकड़ा औपचारिक क्षेत्र[19] के मध्यम एवं बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को शामिल करता है। ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन में शुद्ध वृद्धि रोजगार बाजार के औपचारिककरण की

[19]केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ प्रतिष्ठान भले ही उनमें से प्रत्येक में 20 से कम व्यक्ति कार्यरत हों। ईपीएफओ हर महीने, दो महीने के अंतराल के साथ सब्सक्रिप्शन डेटा प्रकाशित करता है, हालांकि, इसकी सीमाएं हैं: (i) डेटा में 20 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल नहीं किया गया है, कुछ अपवाद के साथ । भारत में अधिकांश प्रतिष्ठान आकार में छोटे हैं, ईपीएफओ पेरोल केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि पुराना है, फिर भी केवल नवीनतम उपलब्ध छठी आर्थिक जनगणना (ईसी), 2013 से पता चलता है कि केवल 0.52 प्रतिशत (कुल 58.5 मिलियन में से लगभग 3 लाख प्रतिष्ठान) प्रतिष्ठान 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। (ii) डेटा में प्रति माह ₹ 15000 से अधिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को भी शामिल नहीं किया गया है, सिवाय उन कर्मचारियों के जिन्हें अनुमति दी गई है या स्वैच्छिक आधार पर अपने योगदान का भुगतान। इस प्रकार, यह अधिकांश बेहतर वेतन पाने वाले कुशल श्रमिकों को बाहर करता है। (iii) अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने वाले श्रमिक ईपीएफओ सदस्यता में परिलक्षित नहीं होते हैं। 2019-20 में, कार्यबल में शामिल होने वाले अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 90 प्रतिशत अनौपचारिक प्रकृति के रोजगार थे ।

सीमा एवं संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कार्यक्षेत्र का एक संकेतक है। ईपीएफओ के नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2021 के दौरान नई औपचारिक नौकरियों तथा मौजूदा रोजगार को औपचारिक रूप देने कारण रोजगार बाजार के औपचारिककरण में महत्वपूर्ण तेजी आई है। नवंबर 2021 में ईपीएफ ग्राहकों के लिए 13.95 लाख शुद्ध वृद्धि हुई।

10.52 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देखे गए व्यापक प्रभाव के कारण, ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन में शुद्ध वृद्धि घट गई तथा अप्रैल-मई 2020 में नकारात्मक हो गई, जिसका अर्थ है कि योजना से शुद्ध निकास दर्ज किया गया। अर्थव्यवस्था के खुलने तथा प्रतिबंधों में ढील के साथ, ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन तेजी से वापस आया तथा सितंबर 2020 में 12.2 लाख तक पहुंच गया। नवंबर 2020 में तथा कोविड-19 (अप्रैल-जून 2021) की दूसरी लहर के दौरान भी शुद्ध अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन में फिर से गिरावट देखी गई। हालांकि, दोनों मामलों में गिरावट का परिमाण अप्रैल-मई 2020 की तुलना में कम था। मई 2021 के दौरान मासिक शुद्ध अतिरिक्त ईपीएफ सब्सक्रिप्शन मई 2020 में -2.9 लाख के मुकाबले 5 लाख थी। नवंबर 2021 में, सब्सक्रिप्शन में शुद्ध वृद्धि 13.9 लाख नए ग्राहकों के साथ हुई, जो 2017 के बाद से किसी भी महीने में सबसे अधिक है। ईपीएफओ के नवीनतम पेरोल डेटा से पता चलता है कि नवंबर 2021 के महीने के दौरान ईपीएफ ग्राहकों में शुद्ध जोड़ 13.95 लाख तक पहुंच गया, जो कि 109.21 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और अक्टूबर 2021 से माह-दर-माह शुद्ध परिवर्धन में 25.65 प्रतिशत की वृद्धि है।

10.53 इस प्रकार, वर्ष 2021 के दौरान सब्सक्रिप्शन में मासिक शुद्ध वृद्धि न केवल वर्ष 2020 में संबंधित मासिक मूल्यों से अधिक रही है, बल्कि उसने पूर्व-महामारी वर्ष 2019 के दौरान इसी महीनों के स्तर को भी पार कर लिया है। यह जॉब मार्केट के औपचारिक होने के साथ-साथ नई हायरिंग की ओर इशारा करता है (चित्र13)।

चित्र 13: ईपीएफ सब्सक्राइबर्स संख्या में शुद्ध वृद्धि (लाखों में)

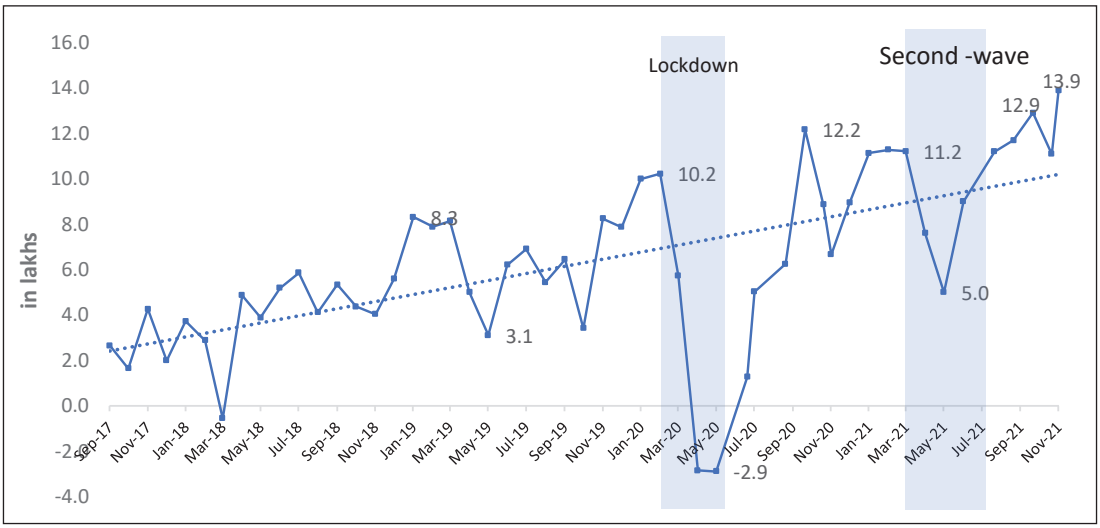

स्रोत: ईपीएफओ

नोट: i) डेटा अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड का अपडेशन एक सतत प्रक्रिया है और बाद के महीनों में अपडेट हो जाती है।

ii) नेट सब्सक्रिप्शन नए ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के बराबर होता है, जो बाहर निकलने वाले सदस्यों में जोड़े जाते हैं और फिर से सब्सक्राइब किए गए सदस्यों के नेट से बाहर हो जाते हैं।

10.54 विशेषज्ञ सेवाओं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सितंबर 2021 तक और इंजीनियरिंग में अगस्त 2021 तक सब्सक्रिप्शन का एक तीव्र पलटाव जारी रहा। हालांकि, भवन तथा निर्माण में अगस्त 2021 में सब्सक्रिप्शन धीमा हो गया (चित्र 14)। इन क्षेत्रों में नवंबर 2021[20] में इपीफओ सब्सक्रिप्शन में बढ़ोत्तरी हुई।

चित्र 14: चयनित क्षेत्रों में शुद्ध नए ईपीएफ ग्राहक (हजारों)

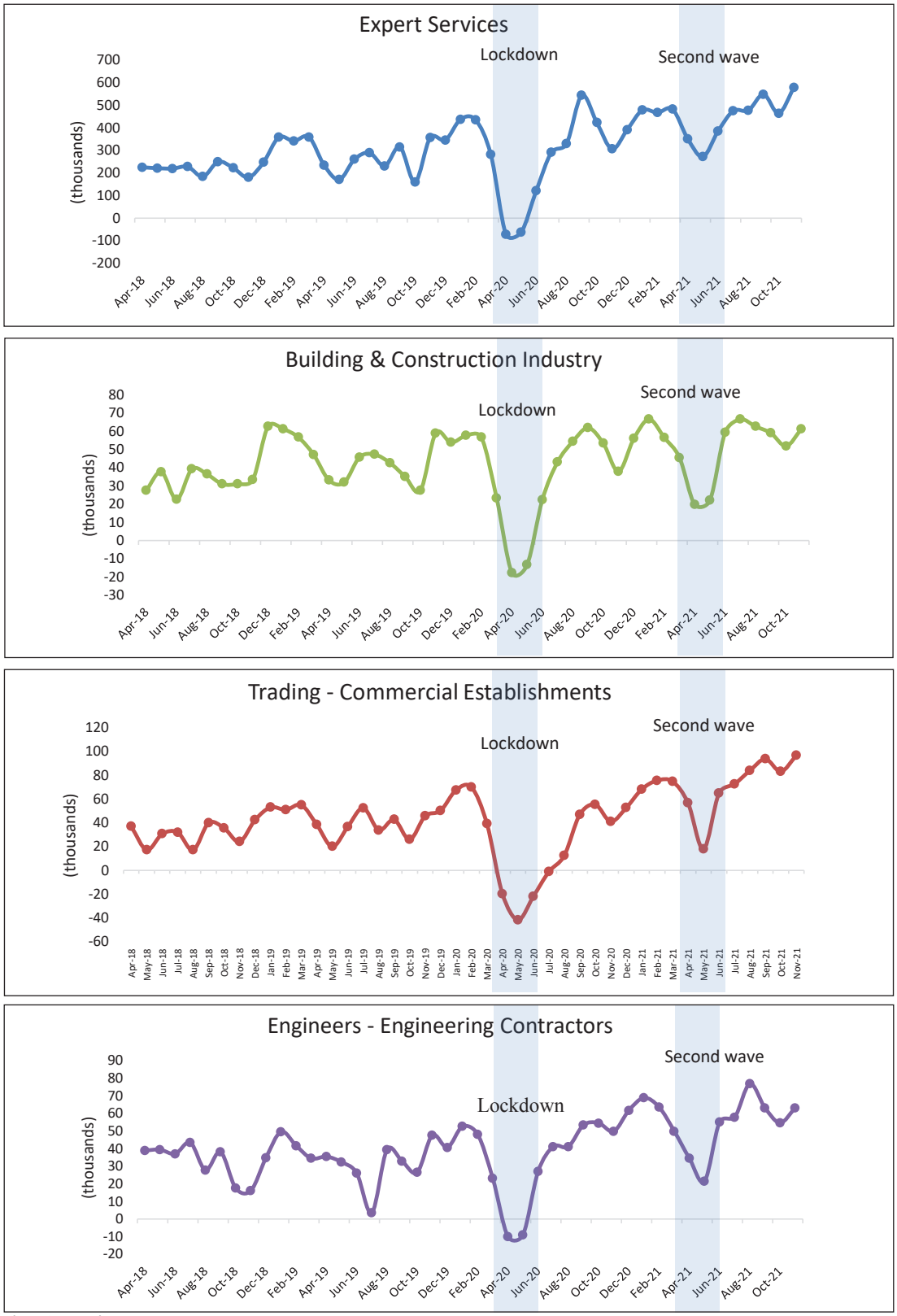

स्रोत: ईपीएफओ

[20]ईपीएफ के तहत प्रतिष्ठान भी कुछ सेवाओं में अत्यधिक केंद्रित हैं। वर्ष 2021-22 में, विशेषज्ञ सेवा (43 प्रतिशत) की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, इसके बाद व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (6.9 प्रतिशत), इंजीनियर - इंजीनियरिंग ठेकेदार (5.1 प्रतिशत), और भवन एवं निर्माण उद्योग (4.8 प्रतिशत) थे। शुद्ध पेरोल ग्राहकों में रट्रेडिंग - वाणिज्यिक प्रतिष्ठानोंश की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 2019-20 से बढ़ गई, हालांकि अन्य तीन उद्योगों के लिए इसमें गिरावट आई है।

मनरेगा के तहत काम की मांग पर आंकड़ों में प्रवृत्ति

10.55 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग ग्रामीण श्रम बाजारों का सूचक है। मनरेगा के तहत काम की मांग पर नवीनतम आंकड़ों का विश्लेषण ग्रामीण श्रम बाजार में निम्नलिखित प्रवृत्तियों का सुझाव देता है: (i) मनरेगा रोजगार वर्ष 2020-21 में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान चरम पर था और चरम से काफी गिरावट आई है; (ii) दूसरी कोविड लहर के बाद मनरेगा के काम की मांग कम हो गई है; (iii) कुल मनरेगा रोजगार अभी भी महामारी-पूर्व स्तर से अधिक है (चित्र 15)।

10.56 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, मनरेगा के काम की कुल मांग जून 2020 में चरम पर थी और उसके बाद चरम से काफी कम हो गई। दूसरी कोविड-लहर के दौरान, मनरेगा रोजगार की मांग जून 2021 में अधिकतम 4.59 करोड़ लोगों के स्तर पर पहुंच गई, जो जून 2020 में 6 करोड़ लोगों के चरम से कम है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद, मनरेगा की मांग काम मध्यम हो गया है। बहरहाल, मौसम के हिसाब से, समग्र स्तर पर मांग अभी भी 2019 के महामारी-पूर्व स्तरों से ऊपर है (चित्र 15)। आंध्र प्रदेश तथा बिहार जैसे कुछ राज्यों के लिए, मनरेगा के तहत काम की मांग पिछले कुछ महीनों के दौरान महामारी-पूर्व स्तर से कम हो गई है (चित्र 16 देखें)।

चित्र 15: लोगों द्वारा मनरेगा के तहत काम की मांग (करोड़ में)

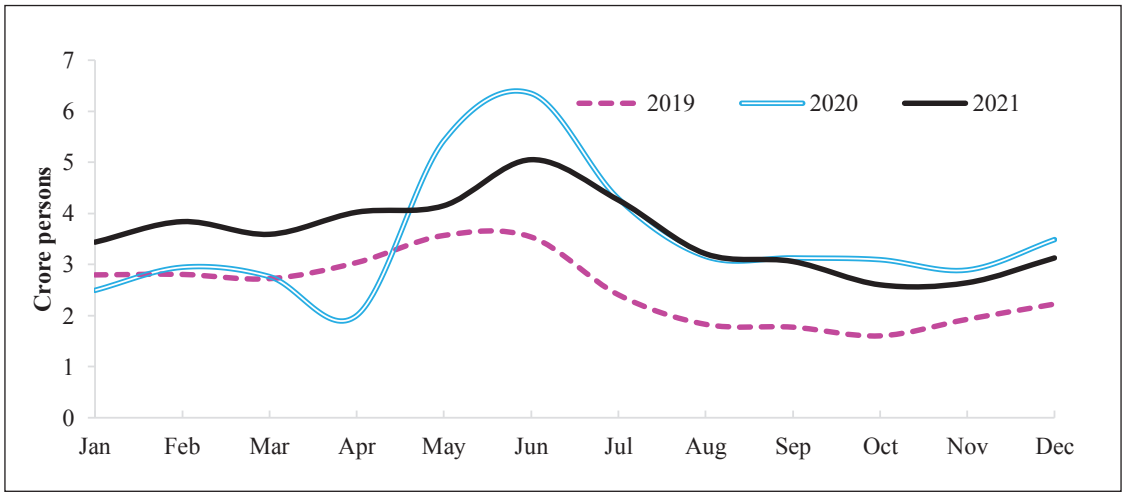

स्रोत: मनरेगा पोर्टल, ग्रामीण विकास विभाग

10.57 सहजता से, कोई यह उम्मीद कर सकता है कि उच्च मनरेगा की मांग सीधे प्रवासी श्रमिकों की आवागमन से संबंधित हो सकती है अर्थात स्रोत राज्य अधिक प्रभावित होंगे। फिर भी, राज्य-स्तरीय विश्लेषण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार जैसे कई प्रवासी स्रोत राज्यों के लिए, वर्ष 2021 के अधि कांश महीनों में मनरेगा रोजगार वर्ष 2020 में इसी स्तर से कम रहा। इसके विपरीत, मनरेगा रोजगार की मांग वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में अधिकांश महीनों के लिए पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु जैसे प्रवासी प्राप्तकर्ता राज्यों के लिए अधिक रहा। अभी भी अन्य राज्य हैं जो इस श्रेणी में ठीक-ठीक उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, पिछले दो वर्षों के दौरान मनरेगा रोजगार और प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के बीच संबंध निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तथा इसके लिए और शोध की आवश्यकता है।

वार्षिक पीएलएफएस आंकड़ा का उपयोग करके रोजगार में दीर्घकालिक प्रवृत्ति

10.58 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2019-20 (जुलाई 2019 से जून 2020 तक की सर्वेक्षण अवधि) के दौरान, सामान्य स्थिति[21] में रोजगार का विस्तार जारी रहा। वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के बीच, लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति कार्यबल में शामिल हुए। यह वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के बीच सृजित रोजगार से लगभग तीन गुना अधिक है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र ने इस विस्तार में बहुत अधिक योगदान दिया (ग्रामीण क्षेत्र में 3.45 करोड़ तथा शहरी क्षेत्र में 1.30 करोड़)। इसके अलावा, अतिरिक्त कामगारों में 2.99 करोड़ महिलाएं (63 प्रतिशत) थीं। वर्ष 2019-20 में शामिल हुए अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 65 प्रतिशत स्वरोजगार वाले थे। स्व-रोजगार के रूप में शामिल होने वाली लगभग 75 प्रतिशत महिला 'अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक' थीं। अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 18 प्रतिशत अनियमित मजदूर थे तथा 17 प्रतिशत 'नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी' थे। वर्ष 2019-20 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भी 23 लाख की कमी आई, जिसका गठन मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों द्वारा किया गया (तालिका 7)।

तालिका 7: वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए श्रम बल, रोजगार तथा बेरोजगारी का अनुमान (सभी आयु; पीएस+एसएस, करोड़ में)

विवरण	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18									
श्रम बल	25.48	8.67	34.15	13.25	3.57	16.82	38.73	12.24	50.97
रोजगार	23.91	7.70	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
बेरोजगारी	1.57	0.97	2.54	0.86	0.42	1.29	2.44	1.39	3.83
2018-19									
श्रम बल	25.77	8.77	34.54	13.60	3.68	17.28	39.37	12.45	51.82
रोजगार	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78
बेरोजगारी	1.40	0.31	1.71	0.96	0.37	1.33	2.36	0.68	3.04
2019-20									
श्रम बल	26.64	11.12	37.76	14.23	4.35	18.58	40.87	15.47	56.34
रोजगार	25.45	10.81	36.26	13.32	3.95	17.27	38.77	14.76	53.53
बेरोजगारी	1.18	0.32	1.50	0.91	0.40	1.31	2.09	0.72	2.81

स्रोत: पीएलएफएस वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण अनुमान। अनुमान लगभग में हैं।
नोट 1: दिनांक 1 जनवरी 2018 को अनुमानित जनसंख्या 135 करोड़, दिनांक 1 जनवरी 2019 को 137 करोड़ और दिनांक 1 जनवरी 2020 को 140-48 करोड़ थी। प्रक्षेपण का सूत्र एन्ए।'[1+आर/100] (एन/के) है, जहां, 1 दिनांक 1 मार्च 2011 को जनगणना जनसंख्या है, आर 2001 और 2011 की जनगणना के बीच जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन है, एन प्रक्षेपण का महीना है, और के मार्च 2011 और मार्च 2021 के बीच महीनों की संख्या है।
नोट 2: मुख्य स्थिति (पीएस) उस गतिविधि को मापती है जिसमें एक व्यक्ति ने संदर्भ वर्ष (प्रमुख समय मानदंड) का अपेक्षाकृत लंबा समय बिताया है, जबकि सहायक स्थिति (एसएस) उस व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को मापती है जिसने अधिकांश दिनों में से अधिकांश दिन बिताए हैं। कार्य बल लेकिन कम समय (30 दिनों से अधिक) के लिए काम किया है।

[21]सामान्य स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति है।

10.59 संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार (पीएस+एसएस) तालिका 8 में दिया गया है। वर्ष 2019-20 में शामिल हुए अतिरिक्त श्रमिकों में से करीब 90 प्रतिशत रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति में थे और 98 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में थे। लगभग 91 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारी असंगठित-अनौपचारिक क्षेत्र में थे (तालिका 8)।

तालिका 8: संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार (पीएस+एसएस) (करोड़ में)

रोजगार की प्रकार	संगठित	असंगठित	कुल योग
2017-18			
औपचारिक	4.43	0.28	4.70
अनौपचारिक	4.62	37.79	42.43
योग	9.05	38.07	47.13
2018-19			
औपचारिक	4.91	0.45	5.35
अनौपचारिक	4.55	38.87	43.43
योग	9.46	39.32	48.78
2019-20			
औपचारिक	5.09	0.80	5.89
अनौपचारिक	4.46	43.19	47.64
योग	9.55	43.99	53.53

स्रोत: पीएलएफएस वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करके अनुमानित।

नोट: असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) वर्गीकरण के अनुसार, ''असंगठित क्षेत्र, कुल दस से कम श्रमिक, में स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर संचालित वस्तु एवं सेवा की बिक्री और उत्पादन में लगे व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व वाले सभी अनिगमित निजी उद्यम" शामिल हैं। हालांकि, ''अनौपचारिक श्रमिकों में असंगठित उद्यमों या घरों में काम करने वाले, सामाजिक सुरक्षा लाभ वाले नियमित श्रमिकों को छोड़कर तथा औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को बिना किसी रोजगार लाभ/नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा के शामिल हैं।'' (एनसीईयूएस, 2007ए, पृ.3)।

10.60 भारत में उद्योग-वार रोजगार (पीएस+एसएस) तालिका 9 में दिया गया है। वर्ष 2019-20 में जोड़े गए श्रमिकों से पता चलता है कि 71 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र में थे। कृषि क्षेत्र में नए कामगारों में महिलाओं की संख्या लगभग 65 प्रतिशत है। व्यापार, होटल तथा रेस्तरां क्षेत्र में नए श्रमिकों का 22 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्सा था, जो पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के अनुरूप था, जहां यह क्षेत्र 28 प्रतिशत से अधिक नए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता था। निर्माण की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में जोड़े गए नए श्रमिकों के 5.65 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में जोड़े गए नए श्रमिकों के लगभग 2.41 प्रतिशत हो गई, और इसी तरह निर्माण का हिस्सा 26.26 प्रतिशत से 7.36 प्रतिशत हो गया।

तालिका 9: भारत में उद्योग-वार रोजगार (पीएस+एसएस) (करोड़ में)

वर्ष/क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			योग		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
2018-19									
कृषि	12.97	6.01	18.98	0.62	0.26	0.88	13.58	6.27	19.86
खनन और उत्खनन	0.10	0.02	0.11	0.08	0.01	0.08	0.17	0.02	0.20
उत्पादन	1.78	0.76	2.54	2.77	0.81	3.58	4.55	1.57	6.12
बिजली, पानी, आदि	0.10	0.02	0.11	0.15	0.02	0.17	0.25	0.03	0.28
निर्माण	3.75	0.51	4.26	1.47	0.14	1.60	5.22	0.64	5.86
व्यापार, होटल और रेस्तरां	2.39	0.36	2.75	3.19	0.46	3.64	5.57	0.82	6.39
परिवहन, भंडारण और संचार	1.32	0.02	1.33	1.54	0.12	1.66	2.86	0.14	2.99
अन्य सेवाएं	1.95	0.77	2.72	2.82	1.51	4.33	4.77	2.28	7.05
कुल							36.97	11.78	48.76
2019-20									
कृषि	14.10	8.18	22.28	0.67	0.32	0.99	14.77	8.51	23.27
खनन और उत्खनन	0.08	0.00	0.08	0.07	0.00	0.07	0.14	0.01	0.15
उत्पादन	1.86	0.79	2.65	2.70	0.88	3.59	4.56	1.67	6.24
बिजली, पानी, आदि	0.13	0.01	0.14	0.19	0.02	0.21	0.31	0.03	0.35
निर्माण	3.82	0.61	4.42	1.60	0.19	1.79	5.42	0.80	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	2.34	0.40	2.74	3.85	0.88	4.73	6.19	1.28	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	1.37	0.02	1.40	1.61	0.14	1.75	2.99	0.16	3.15
अन्य सेवाएं	1.78	0.79	2.57	2.64	1.50	4.13	4.42	2.29	6.71
कुल							38.80	14.75	53.55

स्रोत: पीएलएफएस वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करके अनुमानित

आजीविका को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं

रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन

10.61 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पोस्ट-कोविड सुधार चरण में रोजगार सृजन बढ़ाने तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार देय अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता के हिस्से (वेतन का 12 प्रतिशत) दोनों को या केवल कर्मचारियों के हिस्से, ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों की ताकत के आधार पर, दो वर्ष की अवधि के लिए जमा कर रही है। एबीआरवाई के तहत, ईपीएफओ और उसके नए कर्मचारी (प्रति माह 15,000 रुपये से कम वेतन अर्जित करने वाले) के साथ पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान को लाभ प्रदान किया जाता है, यदि प्रतिष्ठान दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 31 मार्च 2022 तक नए कर्मचारी लिए हो या जिन्होंने 01 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में नौकरी खो दी है। दिनांक 6 जनवरी 2022 तक 1,22,228 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 43,21,837 लाभार्थियों को लाभ दिया गया।

दिहाड़ी रोजगार

10.62 वित्त वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 में 61,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 73,000 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन अब तक बढ़ाकर 98000 करोड़ रुपये कर दिया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 8.70 करोड़ से अधिक व्यक्तियों एवं 6.10 करोड़ परिवारों को काम दिया गया।

10.63 लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2020 में शुरू किया गया। इसमें 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवरण के साथ 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 25 लक्ष्य-संचालित कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

स्वरोजगार को बढ़ावा देना

10.64 दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), वर्ष 2011 में शुरू किया गया, एक और भागीदारी है जो गरीबों के लिए स्थायी सामुदायिक संस्थानों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना चाहता है। कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 9-10 करोड़ परिवारों को स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है। यह उन्हें अपने कौशल का निर्माण करके तथा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त, अधिकार तथा सेवा के औपचारिक स्रोतों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ता है। दिसंबर 2021 तक 8.07 करोड़ परिवार एसएचजी में शामिल हुए। वर्ष 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) में कृषि आजीविका में लगे एसएचजी परिवारों की संख्या 1.47 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2020-21 में 1.16 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 0.86 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 में गैर-कृषि आजीविका में शामिल एसएचजी सदस्यों की संख्या 2020-21 में 1.55 लाख तथा 2019-20 में 0.98 लाख से बढ़कर 1.82 लाख (दिसंबर 2021 तक) हो गई।

सामाजिक सुरक्षा

10.65 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना: पीएमएसवाईएम को दिनांक 05.03.2019 को शुरू किया गया। यह 60 वर्ष की उम्र पूरा होने पर 3000 रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारी, जिनकी

मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है और समान मिलान अंशदान केंद्र सरकार द्व ारा भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्व-नामांकन कर सकते हैं। दिनांक 17.01.2022 तक, पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन 46.09 लाख था, जिसमें से महिला नामांकन 23.89 लाख और पुरुष नामांकन 22.20 लाख था।

10.66 व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना: एनपीएस व्यापारियों को दिनांक 12.09.2019 को शुरू किया गया। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के व्यापारी, दुकानदार एवं स्व-नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और वे ईपीएफओ / ईएसआईसी / एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) / पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं या आयकर भुगतानकर्ता नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है और समान मिलान अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों के नेटवर्क के साथ, इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्व-नामांकन कर सकते हैं। दिनांक 17.01.2022 तक, योजना के तहत 48 हजार से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

बॉक्स 4: ई-श्रम पोर्टल

असंगठित कामगारों (यूडबल्यू) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का एक मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करना है।

यह डेटाबेस आधार के साथ तथा 16-59 वर्ष के बीच आयु वर्ग के लिए है। इसमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, कृषि श्रमिक, मनरेगा कार्यकर्ता, मछुआरे, दूधवाले, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और असंगठित क्षेत्र में इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे अन्य श्रमिक शामिल हैं।

डेटा का उद्देश्य केंद्रीय तथा राज्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। यह प्रवासी एवं निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता भी सुनिश्चित करेगा। सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत एक वर्ष के लिए 2.00 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का नि:शुल्क लाभ पाने के हकदार हैं। इसका उपयोग किसी भी राष्ट्रीय संकट या महामारी जैसी स्थितियों के दौरान पात्र श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

18 जनवरी 2022 तक, 22.85 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। पंजीकरण की संख्या में उत्तर प्रदेश (34.9 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (10.7 प्रतिशत), बिहार (10.7

प्रतिशत), ओडिशा (5.7 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (3.5 प्रतिशत) और झारखंड (3.5 प्रतिशत) अग्रणी राज्य हैं। जबकि कृषि में 11.53 करोड़ पंजीकरण हैं, घरेलू कामगार तथा विनिर्माण श्रमिक क्रमश: 2.45 करोड़ तथा 2.2 करोड़ पंजीकरण के साथ पीछे हैं।

श्रम सुधारों की स्थिति

10.67 वर्ष 2019 तथा 2020 में, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समामेलित, युक्तिसंगत और सरल बनाया गया जैसे, वेतन कोड 2019 (अगस्त 2019), औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा कोड

2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता 2020 (सितंबर, 2020)। नए कानून बदलते श्रम बाजार के प्रवृत्ति के अनुरूप थे और साथ ही कानून के संरचना के भीतर स्वरोजगार तथा प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता और कल्याण आवश्यकताओं को समायोजित करते है। सरकार ने सभी चार संहिताओं के लिए नियमों का मसौदा पूर्व-प्रकाशित भी कर दिया है।

10.68 दिनांक 11.01.2022 की स्थिति के अनुसार, 26 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने वेतन संहिता के तहत, 22 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत, 20 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत तथा 17 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता के तहत मसौदा नियम, पूर्व-प्रकाशित किया है। (तालिका 10)

तालिका 10: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 4 श्रम संहिताओं के तहत नियमों की स्थिति (11.01.2022 तक की स्थिति)

संहिता का नाम	उन राज्यों के नाम जिन्होंने नियमों का मसौदा पूर्व-प्रकाशित किया है
वेतन संहिता, 2019	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (26)
औद्योगिक संबंध संहिता 2020	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और पुडुचेरी (22)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ (20)
ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, पंजाब, गुजरात, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (17)

स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कार्यक्रम और योजनाएं

10.69 **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एबी-एचडबल्यूसी):** आयुष्मान भारत का लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है। यह सेवा के दृष्टिकोण की निरंतरता को अपनाता है, जिसमें दो अंतर-संबंधित घटक शामिल होते हैं। पहला घटक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडबल्यूसी) का निर्माण है, जो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा गैर-संक्रामक रोगों दोनों को शामिल करता है, जिसमें नि:शुल्क आवश्यक दवाएं तथा नैदानिक सेवाएं शामिल हैं। ये एबी-एचडबल्यूसी मौजूदा जन्म तथा बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाओं तथा संक्रामक-रोग सेवा को विस्तारित तथा सशक्त करके और गैर-संक्रामक रोगों से संबंधित सेवा को शामिल करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (सीपीएचसी) प्रदान करते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, मौखिक स्वास्थ्य, जराचिकित्सा तथा उपशामक स्वास्थ्य सेवा और आघात सेवा के

साथ-साथ स्वास्थ्य संवर्धन तथा योग जैसी कल्याण गतिविधियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है। दिनांक 19.01.2022 तक, देश भर में 3017 हब तथा 33,819 स्पोक के कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी के माध्यम से ई-संजीवनी टेली-परामर्श प्लेटफॉर्म के तहत कुल 221.99 लाख टेली-परामर्श प्रदान किए गए। दिनांक 19.01.2022 तक एबी-एचडब्ल्यूसी में योग सहित लगभग 96.27 लाख स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

10.70 **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई):** आयुष्मान भारत का दूसरा घटक पीएम-जेएवाई है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में लागू किया जा रहा है। यह योजना भारतीय जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को माध्यमिक तथा तृतीयक उपचार एवं अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। दिनांक 19 जनवरी 2022 तक एबी-पीएमजेएवाई के तहत कुल 17.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लगभग 25,000 अस्पतालों (लगभग 10800 निजी तथा 14300 सार्वजनिक अस्पताल) के एक नेटवर्क के माध्यम से 30673 करोड़ रुपये के कुल 2.73 करोड़ अधिकृत अस्पताल-भर्ती किए गए हैं। वर्ष 2021 में प्रथम-पंक्ति कार्यकर्ता, स्वास्थ्य-कर्मी तथा पंचायती राज संस्थान जैसे जमीनी संसाधनों के सहयोग से एक वृहद सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान ''आपके द्वार आयुष्मान'' चलाया गया। इससे योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों की पहचान तथा सत्यापन हुआ।

10.71 **पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को सशक्त करने तथा उभरती हुई नई बीमारियों का पता लगाने तथा उसका उपचार के लिए नए संस्थानों का निर्माण का एक मिशन है। यह वर्ष 2005 के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है।

10.72 **प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** को यथोचित विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है। पीएमएसएसवाई के तहत, 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तथा 75 सरकारी मेडिकल कॉलेज-उन्नयन परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है और कार्यान्वयन के लिए लिया गया है। इनमें से भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर तथा ऋषिकेश में छह (6) एम्स पहले से ही पूरी तरह कार्यशील हैं। विभिन्न चरणों के तहत और सोलह (16) एम्स को मंजूरी दी गई है।

10.73 **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम),** पूर्व में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम), ने 27 सितंबर 2021 को देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना को सहयोग करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करने के उद्देश्य से घोषणा की। यह डिजिटल राजमार्गों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटने के लिए है। स्वास्थ्य पहचान-पत्र, स्वास्थ्य-कर्मी पेशेवर पंजीकरण (एचपीआर), स्वास्थ्य सूविधा पंजीकरण (एचएफआर) तथा स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं।

10.74 **ई-संजीवनी:** कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-संजीवनी एप्लिकेशन को उन्नत किया है ताकि मरीज और चिकित्सक के बीच टेली-परामर्श की सुविधा सुनिश्चित की जा सके और सभी नागरिकों को उनके घरों में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान की जा सके। टेलीमेडिसिन सेवाएं 36 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में शुरू की गई। वस्तुत: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, ई-संजीवनी ओपीडी एप्लिकेशन को 3.74 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ एकीकृत किया गया, जिससे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में समान स्वास्थ्य सेवा की सुविधा मिलती है।

स्वास्थ्य परिणाम संकेतक

10.75 भारत ने पिछले दो दशकों में पोलियो, गिनी वर्म रोग, यॉव्स तथा मातृ एवं नवजात टिटनेस[22] को समाप्त करके अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के अनुसार, कुल जन्म दर, लिंग अनुपात और स्वास्थ्य परिणाम संकेतक जैसे सामाजिक संकेतक यथा - शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम मृत्यु दर, संस्थागत जन्म दर में वर्ष 2015-16 में सुधार हुआ है (तालिका 11)।

तालिका 11: सामाजिक एवं स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रगति

विवरण	एनएफएचएस-1 (1992-93)	एनएफएचएस-2 (1998-99)	एनएफएचएस-3 (2005-06)	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)
कुल जन्म दर (प्रति महिला बच्चे)	3.4	2.9	2.7	2.2	2
पिछले पांच वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं)	-	-	914	919	929
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	78.5	67.6	57	40.7	35.2
पांच साल से कम उम्र की मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	109.3	94.9	74.3	49.7	41.9
संस्थागत जन्म (%)	26.1	33.6	38.7	78.9	88.6
15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाएं जो एनीमिक हैं (%)	-	49.7	57.9	50.4	52.2
बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या (%)	-	17.6	29.1	48.5	70.2
खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार (%)	-	-	25.5	43.8	58.6

स्रोत: विभिन्न एनएफएचएस दौरों की रिपोर्ट।

नोट: एनएफएचएस-3 फैक्टशीट में रिपोर्ट किए गए संस्थागत जन्म के आंकड़े हमेशा विवाहित महिलाओं के सर्वेक्षण से पहले 3 वर्षों में पिछले 2 जन्मों पर आधारित थे। जबकि, एनएफएचएस-4 के बाद से सर्वे से पहले 5 साल में सभी जन्मों के आंकड़े मुहैया कराए जा रहे हैं। इसलिए, एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-3 के आंकड़े एनएफएचएस-4 और 5 के साथ तुलनीय नहीं हैं।

बाल स्वास्थ्य संकेतक

10.76 सरकार ने बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के प्रयास किए हैं। 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए मार्च 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया। इसका लक्ष्य बच्चों (0-6 वर्ष) में स्टंटिंग एवं वेस्टिंग में कमी के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया में कमी लाना है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

[22]एक नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली: बिल्डिंग ब्लॉक्स, नीति आयोग, 2019

ने पूरे देश में स्वच्छता के आधारभूत संरचना तथा जागरूकता पैदा की है। इसके अलावा, मिशन इंद्रधनुष, गहन मिशन इंद्रधनुष, ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए), विस्तारित जीएसए जैसे विशेष टीकाकरण अभियान बचे एवं छूटे हुए बच्चों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण किया।

10.77 एनएफएचएस-5 यह भी दर्शाता है कि सेवाएं न केवल जनता तक पहुंच रही हैं बल्कि अपेक्षित परिणामों में सुधार भी हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर सभी बाल पोषण संकेतकों में भी सुधार हुआ है। पांच वर्ष से कम मृत्यु दर (यू5एमआर) वर्ष 2015-16 में 49.7 से घटकर वर्ष 2019-21 में 41.9 हो गई। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) वर्ष 2015-16 में 40.7 प्रति 1000 जीवित जन्म से घटकर वर्ष 2019-21 में 35.2 हो गई। स्टंटिंग वर्ष 2015-16 में 38 फीसदी से घटकर वर्ष 2019-21 में 36 फीसदी हो गई। वेस्टिंग भी वर्ष 2015-16 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-21 में 19 प्रतिशत हो गई। और, कम वजन वर्ष 2015-16 में 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-21 में 32 प्रतिशत हो गया। राज्यवार यू5एमआर, आईएमआर तथा नवजात मृत्यु दर तालिका 12 में दर्शाई गई है।

तालिका 12: राज्यवार शिशु मृत्यु दर संकेतक

राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)		पांच वर्ष से कम मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)		नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	
	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)
अखिल भारतीय	40.7	35.2	49.7	41.9	29.5	24.9
आंध्र प्रदेश	34.9	30.3	40.8	35.2	19.9	23.6
अरुणाचल प्रदेश	22.9	12.9	32.9	18.8	7.7	11.8
असम	47.6	31.9	56.5	39.1	22.5	32.8
बिहार	48.1	46.8	58.1	56.4	34.5	36.7
दिल्ली	31.2	24.5	42.2	30.6	17.8	17.5
गोवा	12.9	5.6	12.9	10.6	5.6	12.9
गुजरात	34.2	31.2	43.5	37.6	21.8	26.8
हरयाणा	32.8	33.3	41.1	38.7	21.6	22.1
हिमाचल प्रदेश	34.3	25.6	37.6	28.9	20.5	25.5
जम्मू और कश्मीर	32.4	16.3	37.6	18.5	9.8	23.1
कर्नाटक	26.9	25.4	31.5	29.5	15.8	18.5
केरल	5.6	4.4	7.1	5.2	3.4	4.4
मध्य प्रदेश	51.2	41.3	64.6	49.2	29.0	36.9
महाराष्ट्र	23.7	23.2	28.7	28.0	16.5	16.2
मणिपुर	21.7	25.0	25.9	30.0	17.2	15.6
मेघालय	29.9	32.3	39.6	40.0	19.8	18.3
मिजोरम	40.1	21.3	46.0	24.0	11.4	11.2

नगालैंड	29.5	23.4	37.5	33.0	10.2	16.5
उड़ीसा	39.6	36.3	48.1	41.1	27.0	28.2
पंजाब	29.2	28.0	33.2	32.7	21.8	21.2
राजस्थान	41.3	30.3	50.7	37.6	20.2	29.8
सिक्किम	29.5	11.2	32.2	11.2	5.0	20.8
तमिलनाडु	20.2	18.6	26.8	22.3	12.7	14.0
त्रिपुरा	26.7	37.6	32.7	43.3	22.9	13.2
उतार प्रदेश	63.5	50.4	78.1	59.8	35.7	45.1
पश्चिम बंगाल	27.5	22.0	31.8	25.4	15.5	22.0
छत्तीसगढ	54.0	44.3	64.3	50.4	32.4	42.1
झारखंड	43.8	37.9	54.3	45.4	28.2	33.0
उत्तराखंड	39.7	39.1	46.5	45.6	32.4	27.9
तेलंगाना	27.7	26.4	31.7	29.4	16.8	20.0
अंडमान और निकोबार (यूटी)	9.8	20.6	13.0	24.5	7.3	12.3
दादरा नगर हवेली और दमन दीव (यूटी)	33.4	31.8	39.9	37.0	13.9	21.4
लक्षद्वीप (यूटी)	27.0	0.0	30.2	0.0	0.0	23.3
पुडुचेरी (यूटी)	15.7	2.9	16.2	3.9	5.8	2.3
लद्दाख (यूटी)		20.0		29.5		29.5

स्रोत: एनएफएचएस-5, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नोट: एनएफएचएस-5 में, जम्मू और कश्मीर लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश है

जीवन प्रत्याशा

10.78 'नमूना पंजीकरण आधारित प्रणाली (एसआरएस) संक्षिप्त जीवन सारणी 2014-18' पर रिपोर्ट विभिन्न आयु समूहों[23] में औसत दीर्घायु का अनुमान प्रदान करती है। भारत के लिए जीवन प्रत्याशा का नवीनतम अनुमान वर्ष 2014-18 के लिए उपलब्ध हैं। वर्ष 2014-18 की अवधि के लिए जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष थी; वर्ष 2013-17 से इसमें 0.4 साल की वृद्धि हुई। यह राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न होता है; छत्तीसगढ़ में सबसे कम 65.2 वर्ष से लेकर केरल तथा दिल्ली में सबसे ज्यादा 75.3 वर्ष तक। यह ग्रामीण क्षेत्रों (68.0 वर्ष) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (72.6 वर्ष) में अधिक है। वर्ष 2013-17 से शहरी क्षेत्रों (0.2 वर्ष) में वृद्धि की तुलना में ग्रामीण (0.3 वर्ष) के लिए अधिक है। ग्रामीण तथा शहरी जीवन प्रत्याशा के बीच का अंतर भी वर्ष 1970-75 से 2014-18 तक काफी कम हो गया। पुरुषों (68.2 वर्ष) की तुलना में महिलाओं के अधिक समय (70.7 वर्ष) जीवन प्रत्याशा है। वर्ष 2014-18 में 2013-17 की तुलना में, बिहार तथा झारखंड को छोड़कर, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिकांश राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में महिलाओं के लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद है।

[23]कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय भारत सरकार: https://censusindia.gov.in/Vital_Statistics/SRS_Life_Table/SRS%20based%20Abridged%20Life%20Tables%202014-18.pdf

कुल जन्म दर

10.79 नवीनतम एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि कुल जन्म दर (टीएफआर), प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या वर्ष 2015-16 में 2.2 से वर्ष 2019-21 में घटकर 2 हो गई (तालिका 13)। देश में कुल जन्म दर जन्म क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (2.1 बच्चे प्रति महिला) से भी नीचे आ गई है। इसके अतिरिक्त, मणिपुर, मेघालय, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में जन्म क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिया गया। गर्भ निरोधकों के बढ़ते उपयोग विशेषत: आधुनिक तरीके, बेहतर परिवार नियोजन तथा बालिका शिक्षा ने संभवत: जन्म दर में गिरावट में योगदान दिया है। परिवार नियोजन विधियों का उपयोग वर्ष 2015-16 में 53.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 66.7 प्रतिशत हो गया। बेहतर स्वास्थ्य संरचना तक पहुंच एक अन्य कारक हो सकता है। संस्थागत प्रसव जैसे आधारभूत संरचना तथा जनता तक पहुंचने वाली सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार देखा जा रहा है। संस्थागत प्रसव वर्ष 2015-16 में 78.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-21 में बढ़कर 88.6 प्रतिशत हो गया।

लिंग अनुपात

10.80 कुल जनसंख्या में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 991 महिलाओं से बढ़कर वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 1020 हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म के समय लिंग अनुपात पिछले पांच वर्षों में जन्म लिए प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर वर्ष 2015-16 में 919 से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 929 हो गया। लिंग पक्षपात तथा लिंग चयनात्मकता को रोकने के लिए, बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने, और बालिकाओं की शिक्षा तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' (बीबीबीपी) योजना के माध्यम से विशिष्ट भागीदारी की हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, गोवा और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों (तालिका 13) में पिछले पांच वर्षों में जन्म लिए पैदा हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग अनुपात में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 में सुधार हुआ है।

तालिका 13: राज्य-वार कुल जन्म दर और लिंग-अनुपात

राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश	कुल जन्म दर (प्रति महिला बच्चे)		पिछले पांच वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं)	
	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)
अखिल भारतीय	2.2	2.0	919	929
आंध्र प्रदेश	1.8	1.7	914	934
अरुणाचल प्रदेश	2.1	1.8	926	979
असम	2.2	1.9	929	964
बिहार	3.4	3.0	934	908
दिल्ली	1.8	1.6	812	923
गोवा	1.7	1.3	966	838
गुजरात	2.0	1.9	906	955
हरयाणा	2.1	1.9	836	893
हिमाचल प्रदेश	1.9	1.7	937	875
जम्मू और कश्मीर	2.0	1.4	923	976

कर्नाटक	1.8	1.7	910	978
केरल	1.6	1.8	1,047	951
मध्य प्रदेश	2.3	2.0	927	956
महाराष्ट्र	1.9	1.7	924	913
मणिपुर	2.6	2.2	962	967
मेघालय	3.0	2.9	1,009	989
मिजोरम	2.3	1.9	949	969
नगालैंड	2.7	1.7	953	945
उड़ीसा	2.1	1.8	932	894
पंजाब	1.6	1.6	860	904
राजस्थान	2.4	2.0	887	891
सिक्किम	1.2	1.1	809	969
तमिलनाडु	1.7	1.8	954	878
त्रिपुरा	1.7	1.7	969	1,028
उतार प्रदेश	2.7	2.4	903	941
पश्चिम बंगाल	1.8	1.6	960	973
छत्तीसगढ	2.2	1.8	977	960
झारखंड	2.6	2.3	919	899
उत्तराखंड	2.1	1.9	888	984
तेलंगाना	1.8	1.8	872	894
अंडमान और निकोबार (यूटी)	1.4	1.3	891	941
चंडीगढ़ (यूटी)	1.6	1.4	981	838
दादरा नगर हवेली और दमन दीव (यूटी)	2.1	1.8	983	817
लक्षद्वीप (यूटी)	1.8	1.4	905	1,051
पुडुचेरी (यूटी)	1.7	1.5	843	959
लद्दाख (यूटी)		1.3		1125

स्रोतः एनएफएचएस-5, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

10.81 अगस्त 2019 में शुरू किया गया, जेजेएम ने वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना की है। मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घावधि के आधार पर नियमित रूप से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप वाले पानी की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने तथा नल जल कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। इस मिशन से 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों या 90 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ होगा, ग्रामीण-शहरी अंतर कम होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, 'जीवन की सुगमता' और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। जल जीवन मिशन की विशेष विशेषताएं हैं[24]:

- 'बस्तियों (हैंडपंप, सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट, आदि उचित दूरी परसे घरों (तक' (घर में कार्यात्मक नल) जल आपूर्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना।
- केवल जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी का सुनिश्चित आपूर्ति - 'सेवा वितरण' तथा 'कार्यात्मकता' पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रत्येक घर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ग्राम समुदाय द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली का स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव ।
- महिलाओं की केंद्रीय भूमिका जल/(वीडब्ल्यूएससी) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति : समितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों तथा और समाज के कमजोर वर्गों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो।
- विद्यालयों, आंगनबाडी केन्द्रों एवं आश्रमशालाओं में पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति की प्राथमिकता।
- जल गुणवत्ता की समस्या से ग्रसित गांवों/बस्तियों को प्राथमिकता/
- जल गुणवत्ता की निगरानी : गांव स्तर पर जल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रत्येक गांव में पांच व्यक्तियों, अधिमानत: महिलाओं को प्रशिक्षण देना। जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं अल्प-शुल्क पर नमूनों की जांच के लिए जनता के लिए खोली गई है।
- दीर्घकालीन पेयजल संरक्षण : ग्राम कार्य योजना (वीएपी) जल स्रोतों, आपूर्ति प्रणालियों, धूसरित जल का पुन: उपयोग और हर घर में दीर्घकालिक एवं नियमित नल जल आपूर्ति के लिए इन प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रत्येक के भागीदारी द्वारा जल को सबका सरोकार बनाना; जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक लामबंदी तथा सामूहिक योगदान।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए तकनीकी का प्रयोग (i) प्राकृतिक एवं वित्तीय प्रगति अधिकृत करने के लिए आईएमआईएस; (ii) 'डैशबोर्ड'; (iii) 'मोबाइल ऐप'; (iv) वास्तविक समय आधारित गांवों में मात्रा, गुणवत्ता एवं नियमितता के लिए जलापूर्ति की माप तथा निगरानी के लिए सेंसर आधारित आईओटी समाधान; (v) प्रत्येक सृजित परिसंपत्ति की जियो-टैगिंग; (vi) नल कनेक्शन को 'आधार संख्या' से जोड़ना; (vii) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से लेनदेन;
- राज्यों को प्रोत्साहन: नल जल कनेक्शन की उच्च कार्यक्षमता से जुड़ा प्रोत्साहन अनुदान।

10.82 स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जीपी भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों के लिए प्राथमिकता है। मिशन के लिए कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है।

10.83 वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से लगभग 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल कनेक्शन थे। दिनांक 2 जनवरी 2022 तक, 5,51,93,885 घरों को मिशन की शुरुआत के बाद से नल जल आपूर्ति प्रदान की गई। छह राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने नल जल आपूर्ति के साथ 100 प्रतिशत घरों की प्रतिष्ठित स्थिति हासिल की है, अर्थात् गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा हरियाणा। इसी तरह, 83 जिलों, 1016 ब्लॉकों, 62,749 पंचायतों तथा 1,28,893 गांवों ने 100 प्रतिशत घरों में नल जल आपूर्ति की स्थिति हासिल कर ली है। दो मानचित्र (मानचित्र 3(क) 15 अगस्त 2019 की स्थिति और मानचित्र 3(ख) 2 जनवरी 2022 की स्थिति) देश भर के परिवारों को कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन (कघनक) प्रदान करने में प्रगति की प्रभावशाली दर दिखाते हैं।

[24]ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार (विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित, समुदाय-प्रबंधित जल आपूर्ति कार्यक्रम)।

मानचित्र 3: देश भर में परिवारों को क.घ.न.क प्रदान करने में राज्यवार प्रगति

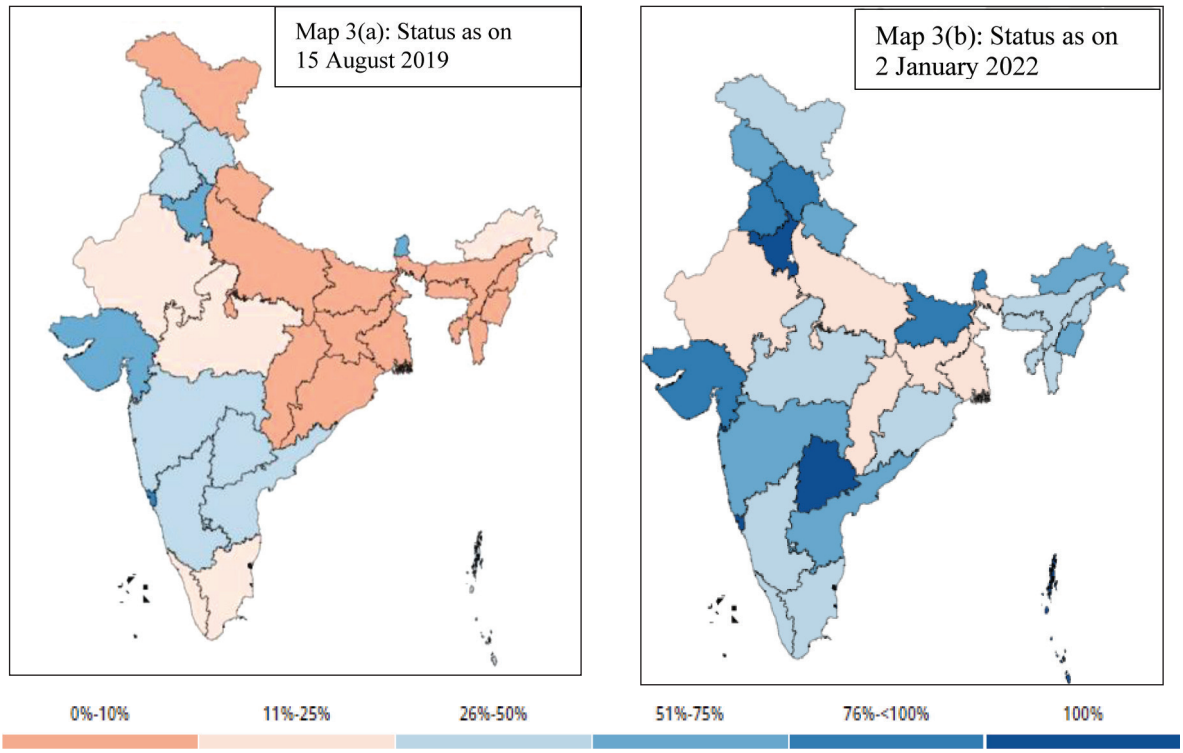

स्रोत: जलशक्ति मंत्रालय: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-जी]

10.84 दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम-जी की स्थापना के बाद से ग्रामीण स्वच्छता ने अत्यधिक प्रगति की है। इसकी स्थापना के बाद से दिनांक 28.12.2021 तक, ग्रामीण भारत में 10.86 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए।

10.85 एसबीएम (जी) के दूसरे चरण के तहत, खुले में शौच-मुक्त (ओडीएफ)-प्लस वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक सभी गांवों को खुले में शौच-मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त पोषण के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण के साथ लागू किया जा रहा है। 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दूसरे चरण का फोकस ओडीएफ स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है। वर्ष 2021-22 के दौरान (25.10.2021 तक) नए घरों के लिए कुल 7.16 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा 19,061 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। साथ ही 2,194 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया।

10.86 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (एनएफएचएस-5) के पांचवें दौर के हाल ही में जारी निष्कर्षों के अनुसार, बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली आबादी वर्ष 2015-16 में 48.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 70.2 प्रतिशत हो गई। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में वर्ष 2015-16 की तुलना में 2019-21 में बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली आबादी का अनुपात बढ़ा है (तालिका 14)। उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, बिहार (49 प्रतिशत), झारखंड (57 प्रतिशत), ओडिशा (60 प्रतिशत), मणिपुर (65 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (65 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (68 प्रतिशत), असम (69 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (69 प्रतिशत) जैसे राज्यों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग वर्ष 2019-21 में राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत से नीचे रहे।

10.87 **बिजली और स्वच्छ रसोई ईंधन:** सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के माध्यम से स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए हैं। एनएफएचएस-5 के अनुसार, वर्ष 2019-21 में 58.6 प्रतिशत परिवार स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग कर रहे थे, जो वर्ष 2015-16 में 43.8 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि है। स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का अनुपात, हालांकि, राज्यों (तालिका 14) में भिन्न होता है, जहां छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय वर्ष 2019-21 में राष्ट्रीय औसत 58.6 प्रतिशत से नीचे रहे।

10.88 सरकार ने सभी के लिए बिजली सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए हैं। नवीनतम एनएफएचएस के अनुसार, बिजली वाले घरों में वर्ष 2015-16 में 88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 96.8 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 14: स्वच्छता सुविधा और स्वच्छ रसोई ईंधन का पयोग करने वाले परिवारों का राज्यवार अनुपात (%)

राज्य	बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या (%)		स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार (%)	
	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)
अखिल भारतीय	48.5	70.2	43.8	58.6
आंध्र प्रदेश	77.3	54.4	83.6	62.0
अरुणाचल प्रदेश	82.9	61.6	53.2	45.0
असम	68.6	49.0	42.1	25.1
बिहार	49.4	26.5	37.8	17.8
दिल्ली	75.1	81.1	97.9	98.9
गोवा	87.9	78.7	96.5	84.1
गुजरात	74.0	63.6	66.9	52.6
हरयाणा	85.0	80.6	59.5	52.2
हिमाचल प्रदेश	81.8	72.3	51.7	36.7
जम्मू और कश्मीर	75.7	53.8	69.2	57.5
कर्नाटक	74.8	57.8	79.7	54.7
केरल	98.7	98.2	72.1	57.4
मध्य प्रदेश	65.1	34.8	40.1	29.6
महाराष्ट्र	72.0	52.3	79.7	59.9
मणिपुर	64.9	52.6	70.4	42.1
मेघालय	82.9	61.4	33.7	21.8
मिजोरम	95.3	84.4	83.8	66.1

नगालैंड	87.7	76.7	43.0	32.8
उड़ीसा	60.5	30.0	34.7	19.2
पंजाब	86.6	82.7	76.7	65.9
राजस्थान	71.1	46.1	41.4	31.8
सिक्किम	87.3	89.7	78.4	59.1
तमिलनाडु	72.6	52.5	82.9	73.0
त्रिपुरा	73.6	63.7	45.3	31.9
उतार प्रदेश	68.8	36.4	49.5	32.7
पश्चिम बंगाल	68.0	52.8	40.2	27.8
छत्तीसगढ	76.8	34.8	33.0	22.8
झारखंड	56.7	25.0	31.9	18.9
उत्तराखंड	78.8	66.2	59.2	51.0
तेलंगाना	76.2	52.3	91.8	67.3
अंडमान और निकोबार (यूटी)	75.4	88.0	63.5	79.8
चंडीगढ़ (यूटी)	83.7	85.0	93.9	95.8
दादरा और नगर हवेली और दमन दीव (यूटी)	44.4	65.8	63.1	79.9
लक्षद्वीप (यूटी)	99.8	99.6	59.4	31.8
पुडुचेरी (यूटी)	64.8	84.9	84.8	92.3
लद्दाख (यूटी)		42.3		76.3

ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

10.89 दिनांक 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया पीएमएवाई-जी एक सशक्त निगरानी तंत्र तथा बेहतर योजना वास्तुकला के माध्यम से '2022 तक सभी के लिए आवास' की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। पहले चरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक एक करोड़ घरों को बनाया गया। द्वितीय चरण के तहत वर्ष वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक शेष 1.95 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से, यह शौचालय के निर्माण, पाइप से पेयजल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन तथा मनरेगा से 90/95 व्यक्ति-दिवस के अकुशल श्रम जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है।

10.90 दिनांक 18 जनवरी 2022 तक, 2.17 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई तथा वर्ष 2021-22 तक 2.63 करोड़ घरों के लक्ष्य में से 1.69 करोड़ घरों को पूरा किया गया। पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को आवास आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दिनांक 18 जनवरी 2022 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में 4,46,058 भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान गई, जिनमें से

2,05,847 (46 प्रतिशत) को संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 (18 जनवरी 2022 तक) के दौरान योजना का प्रदर्शन प्रभावशाली था (चित्र 17 में दर्शाया गया है)

चित्र 16: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

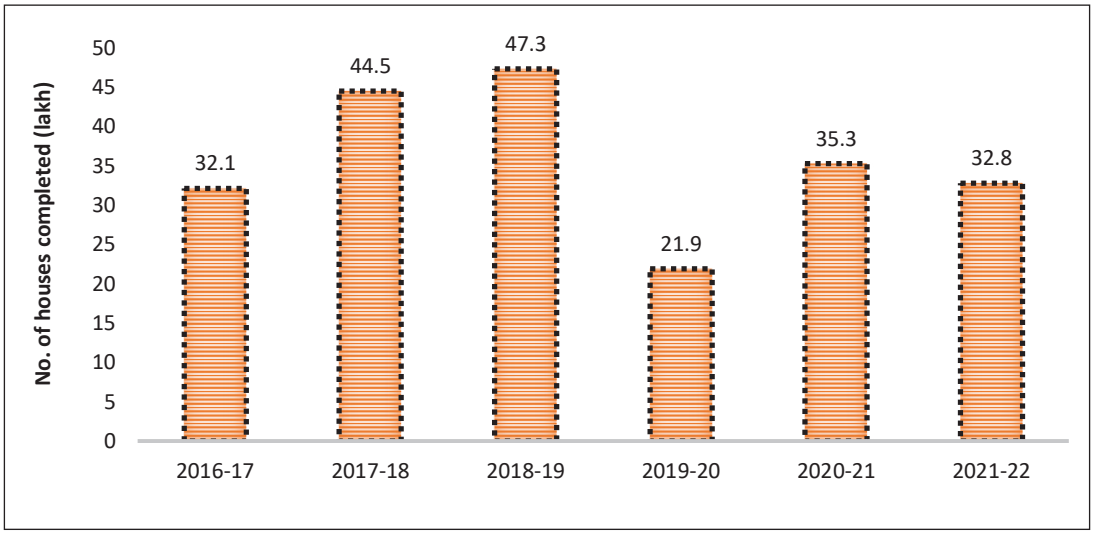

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग

नोट: वर्ष 2021-22 के आंकड़े 18 जनवरी 2022 तक के हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

10.91 पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक पुलियों तथा क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ एक बारहमासी सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असंबद्ध बस्तियों के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है।

10.92 दिनांक 18.01.2022 तक, 7,82,844 किलोमीटर तथा 9,456 लॉन्ग स्पैन ब्रिज (एलएसबी) की कुल 1,82,506 सड़कों को मंजूरी दी गई और 6,84,994 किलोमीटर तथा 6,404 एलएसबी की वाली 1,66,798 सड़कों को पूरा किया जा चुका है (चित्र 18)।

10.93 विश्व बैंक (2019) ने योजना के आकलन में पाया कि पीएमजीएसवाई सड़कों का ग्रामीण भारत में मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2017 में माध्यमिक या उच्च स्कूल के बच्चों की स्कूली शिक्षा 0.7 वर्ष अधिक थी; घर पर प्रसव कराने वाले बच्चों की भागीदारी में 30 फीसदी की कमी आई है। चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच टीकाकरण में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे लड़के तथा लड़कियों को समान रूप से लाभ हुआ।

योजना	प्रारंभ (विस्तार)	लक्ष्य
PMGSY-I	2000 (up to सितंबर, 2022)	• मैदानी इलाकों में 500+ तथा उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों, रेगिस्तानी इलाकों, जनजातीय (अनुसूची पाँच) क्षेत्रों और चयनित आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में 250+ की आबादी के साथ योग्य असंबद्ध बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करना, जो गृह मंत्रालय द्वारा/योजना आयोग जनगणना 2001 के अनुसार चिन्हित किया गया है।

		• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ब्लॉकों में 100–249 (जनगणना 2001) की आबादी के साथ बस्तियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई।
PMGSY-II	2013 (upto सितंबर, 2022)	• मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के समेकन की परिकल्पना की गई है।
RCPLWEA	2016 (up to मार्च, 2023)	• बेहद वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में, यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ निकटवर्ती जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करना।
PMGSY-III	2019 (up to मार्च, 2025)	• अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अस्पतालों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से मौजूदा 1,25,000 किलोमीटर का समेकन।

चित्र 17: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

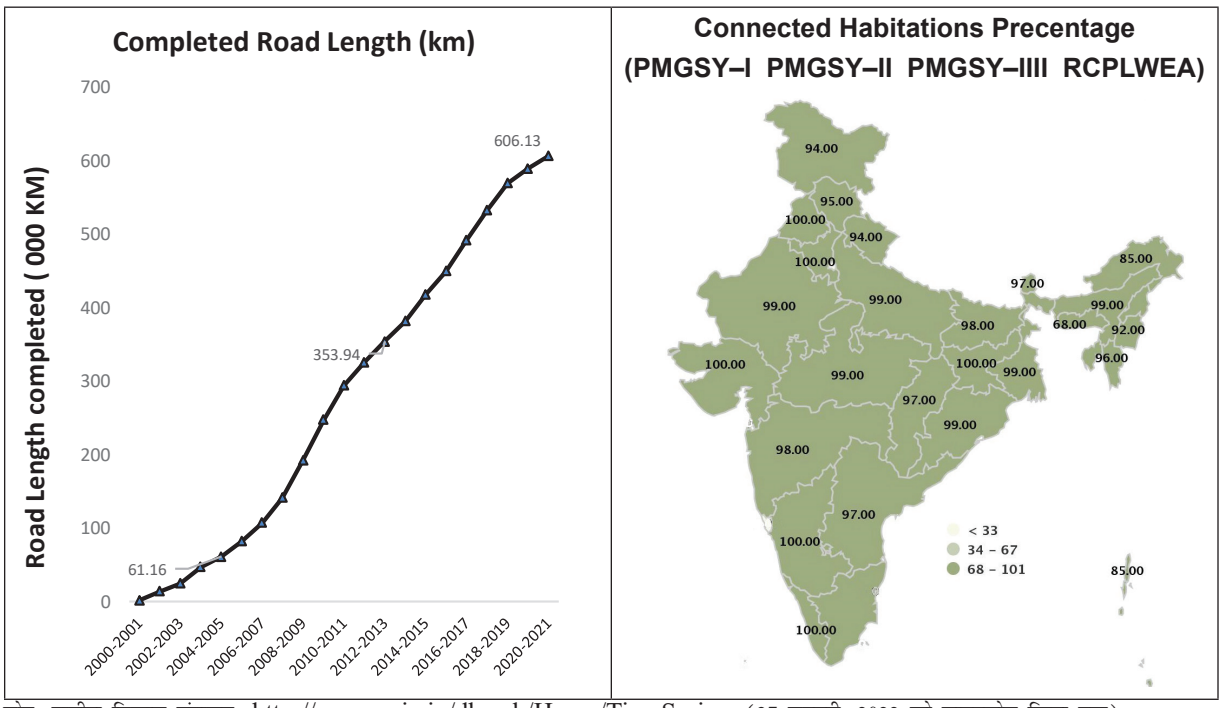

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय: http://omms.nic.in/dbweb/Home/TimeSeries; (27 जनवरी, 2022 को डाउनलोड किया गया)
नोट: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क संपर्क परियोजना

बहुआयामी निर्धनता

10.94 एनएफएचएस-4 (2015-16) रिपोर्ट का उपयोग करते हुए, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई) के अनुरूप, नीति आयोग ने भारत के सभी राज्यों एवं जिलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तैयार किया। यह राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बारह संकेतकों में कमी को मापने में सक्षम होगा। वर्ष 2015-16 में भारत में 25 प्रतिशत परिवार बहुआयामी निर्धन पाए गए। राज्यों में, बिहार में सबसे अधिक 51.91 प्रतिशत बहुआयामी निर्धन परिवार हैं, इसके बाद झारखंड 42.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 37.79 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 36.65 प्रतिशत, असम 32.67 प्रतिशत और राजस्थान 39.46 प्रतिशत है। चूंकि एमपीआई सूचकांक वर्ष 2014-15 के एनएफएचएस-4 आंकड़ा पर आधारित है, यह भविष्य के अध्ययनों में कमी को मापने के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य कर सकता है।

उपग्रह चित्र तथा मानचित्रण द्वारा ट्रैकिंग विकास

11

अध्याय

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण विषय आर्थिक गतिविधि एवं विकास पर नजर रखने के लिए आंकड़ा तथा सूचना के नए रूपों का उपयोग है। अध्याय-1 ने अनिश्चित समय के माध्यम से अर्थव्यवस्था के वास्तविक समय प्रबंधन के लिए उच्च आवृत्ति आंकड़ों के उपयोग का पर्यवेक्षण किया। यह अध्याय लंबी अवधि के विकास पर नजर रखने, तुलना करने तथा प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अन्य प्रकार के आंकड़ा – भू-स्थानिक आंकड़ा तथा मानचित्रण तकनीकों के प्रयोग का ध्यान दिलाता है। भू-स्थानिक मानचित्र न केवल उपयोगकर्ताओं को आंकड़ा की कल्पना करने देता है बल्कि उपयोगकर्ताओं को प्रवृत्ति, संबंध तथा प्रतिरूप को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। मानचित्रों का उपयोग संपूर्णतया नवीन नहीं है और पिछले आर्थिक सर्वेक्षणों ने वर्षों से उनका उपयोग किया है। लेकिन अब उपग्रहों, ड्रोन, मोबाइल फोन तथा अन्य स्रोतों से बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मानचित्रण तकनीक में भी अद्‌भूत नाटकीय सुधार हुआ है जो सूचना के बेहतर प्रतिनिधित्व की स्वीकृति देता है। यह अध्याय भू-स्थानिक आंकड़े को चित्रित करने के कुछ रोचक तरीकों को दिखाता है।

उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए, भारत की रात्रि-समय की चमक की तुलना चित्र 1क तथा 1ख में वर्ष 2012 तथा 2021 के बीच की गई है। रात्रि-समय की चमक बिजली आपूर्ति के विस्तार, जनसंख्या के भौगोलिक वितरण तथा आर्थिक गतिविधि, शहरी विस्तार के साथ-साथ शहरी-केंद्रों के बीच रिबन विकास के संवृद्धि का एक रोचक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसी तरह, भू-स्थानिक तथा मानचित्रण तकनीकों का उपयोग करते हुए, बाद के मानचित्र भारत में भौतिक और साथ ही वित्तीय अवसंरचना के विकास की सीमा को दर्शाते हैं। इसमें राज्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों, वाणिज्यिक बैंक शाखाओं, मेट्रो आदि का विस्तार शामिल है। चित्र 5क तथा 5ख के मानचित्र पिछले 15 वर्षों में भारत के शुद्ध बुवाई क्षेत्र में परिवर्तन दर्शाते हैं। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने की अवधि के दौरान उपग्रह आंकड़े को मिलाकर मानचित्र बनाए गए हैं।

चित्र 6क तथा 6ख में छवियां वर्ष 2005 तथा वर्ष 2021 के दौरान मोगा जिले, पंजाब में खरीफ फसल चक्र की तुलना करती हैं। छवियों से पता चलता है कि खरीफ बुवाई चक्र लगभग दो से तीन सप्ताह आगे बढ़ गया है, जिससे खरीफ की फसल लगभग नवंबर में रबी की बुवाई के साथ मेल खाती है। अंतर को समाप्त करना एक संभावित कारक है जो किसानों को पराली जलाने के लिए प्रोत्साहित करता है और खरीफ धान की जल्दी रोपाई पर प्रतिबंध से संबंधित हो सकता है। ये प्रतिबंध वर्ष 2009 में भूजल की पंपिंग को कम करने के लिए पेश किए गए थे, लेकिन वायु गुणवत्ता को क्षति पहुंचाने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते थे।

चित्र 7क तथा 7ख में स्टेनली जलाशय, तमिलनाडु में वार्षिक जल भंडारण चक्र दिखाने के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया गया है। नई भू-स्थानिक विधियों का उपयोग करते हुए, समय के साथ चुनिंदा भारतीय शहरों के जनसंख्या घनत्व की तुलना की गई है, जो वर्ष 2001 तथा वर्ष 2021 के बीच दिल्ली-एनसीआर और बैंगलोर में शहरी विस्तार की सीमा को दर्शाता है। अंत में, उपग्रह इमेजरी का उपयोग करते हुए, चित्र 18क, 18ख, 19क तथा 19ख आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में बंजर भूमि के पुनर्नियोजन को दर्शाते हैं।

जबकि इस अध्याय ने प्रकाशन के व्यावहारिक विचारों के कारण स्वयं को स्थिर द्वि-आयामी छवियों तक सीमित कर दिया है, पाठक इस बात से अवगत होंगे कि गतिशील तथा बहुआयामी मानचित्रण अब टैक्सी ऑर्डर करने या पते की तलाश करने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए आम बात है।

चित्र 1क : भारत के रात्रि-समय चमक, 2021

स्रोत: नासा, मैपमाईइंडिया

चित्र 1ख: भारत के रात्रि-समय चमक, 2021

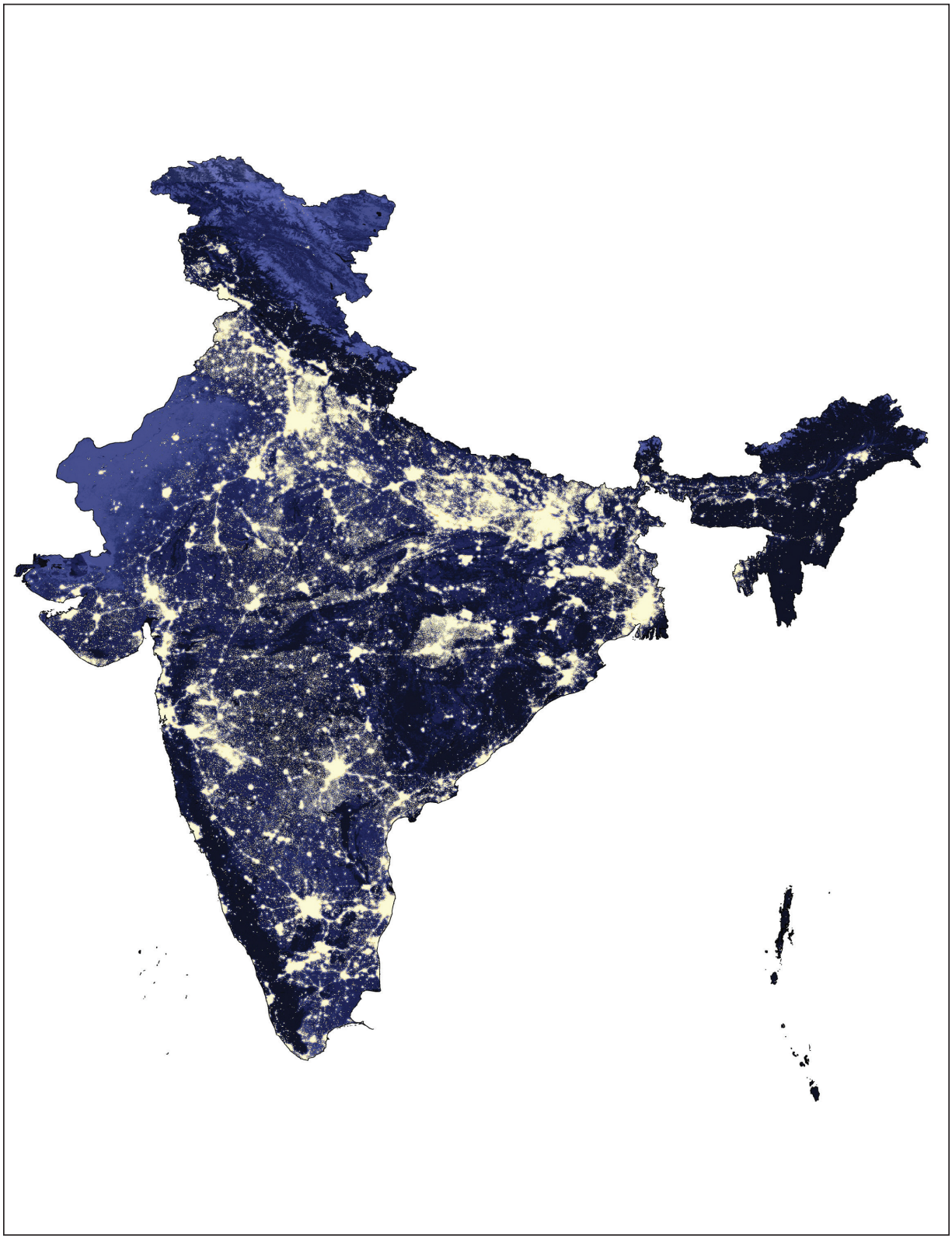

स्रोत: नासा, मैपमाईइंडिया

चित्र 2क: भारतीय राज़्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (अगस्त 2011 तक)

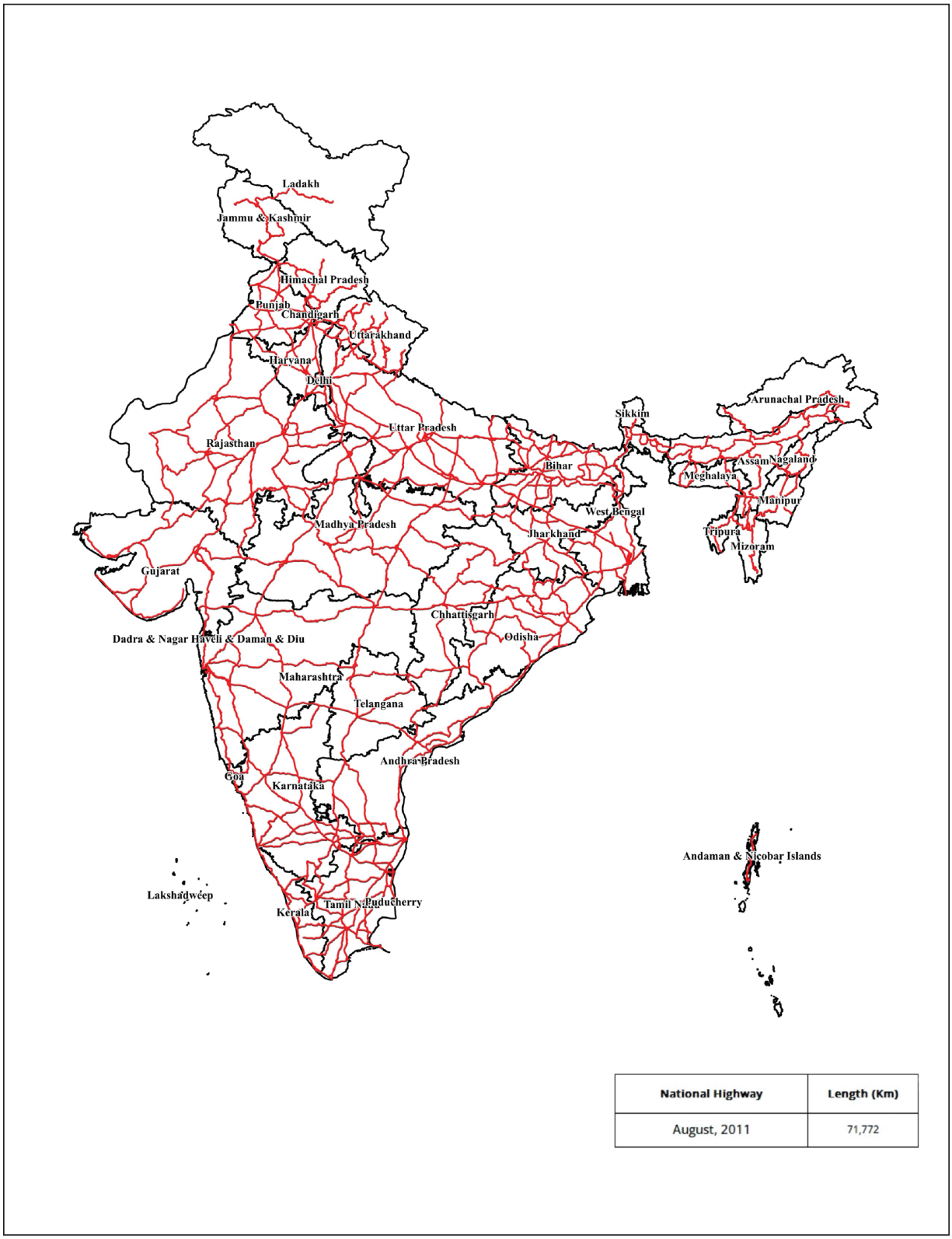

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 2ख: भारतीय राज़्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (अगस्त 2021 तक)

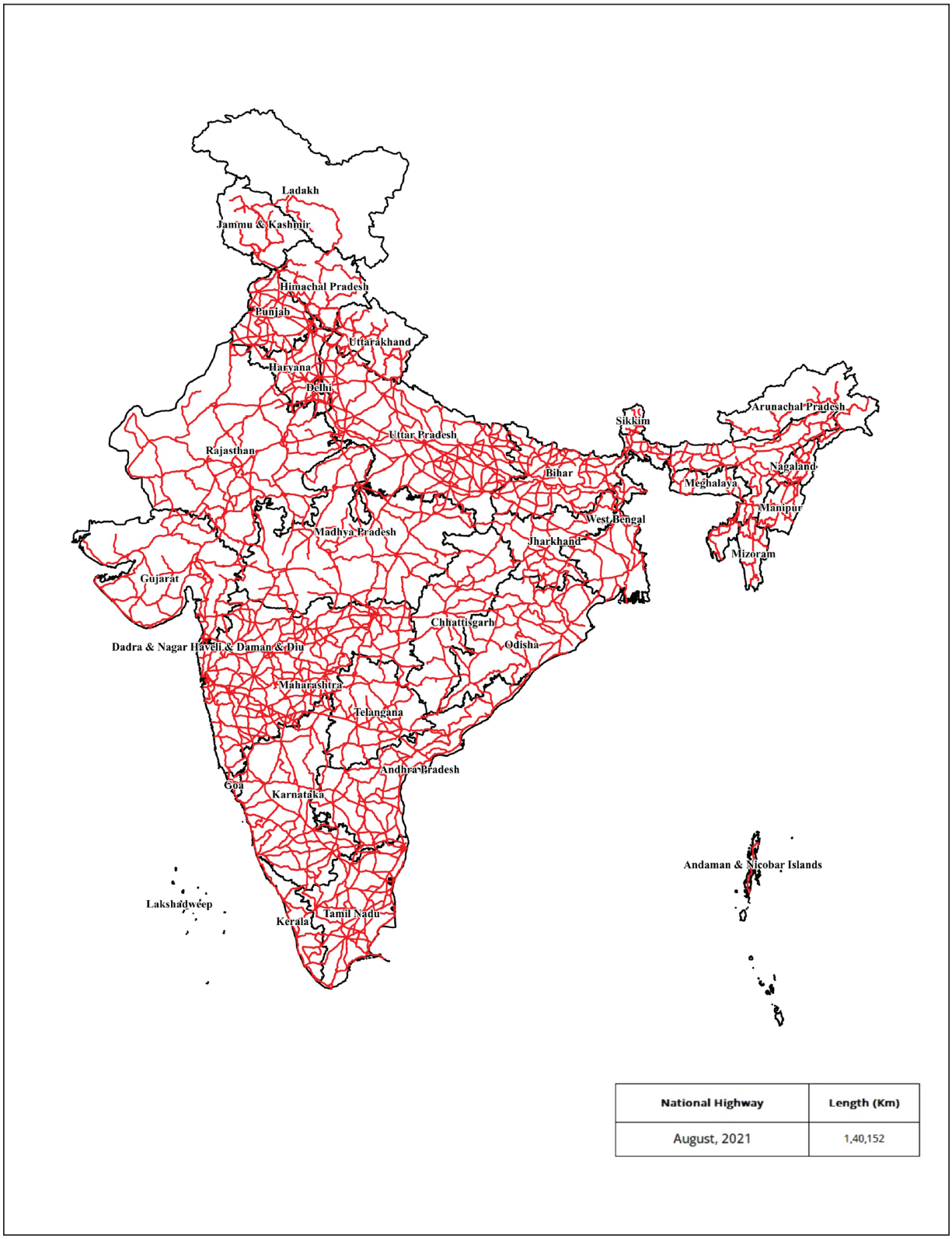

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 3क: भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या (नवंबर 2016 तक)

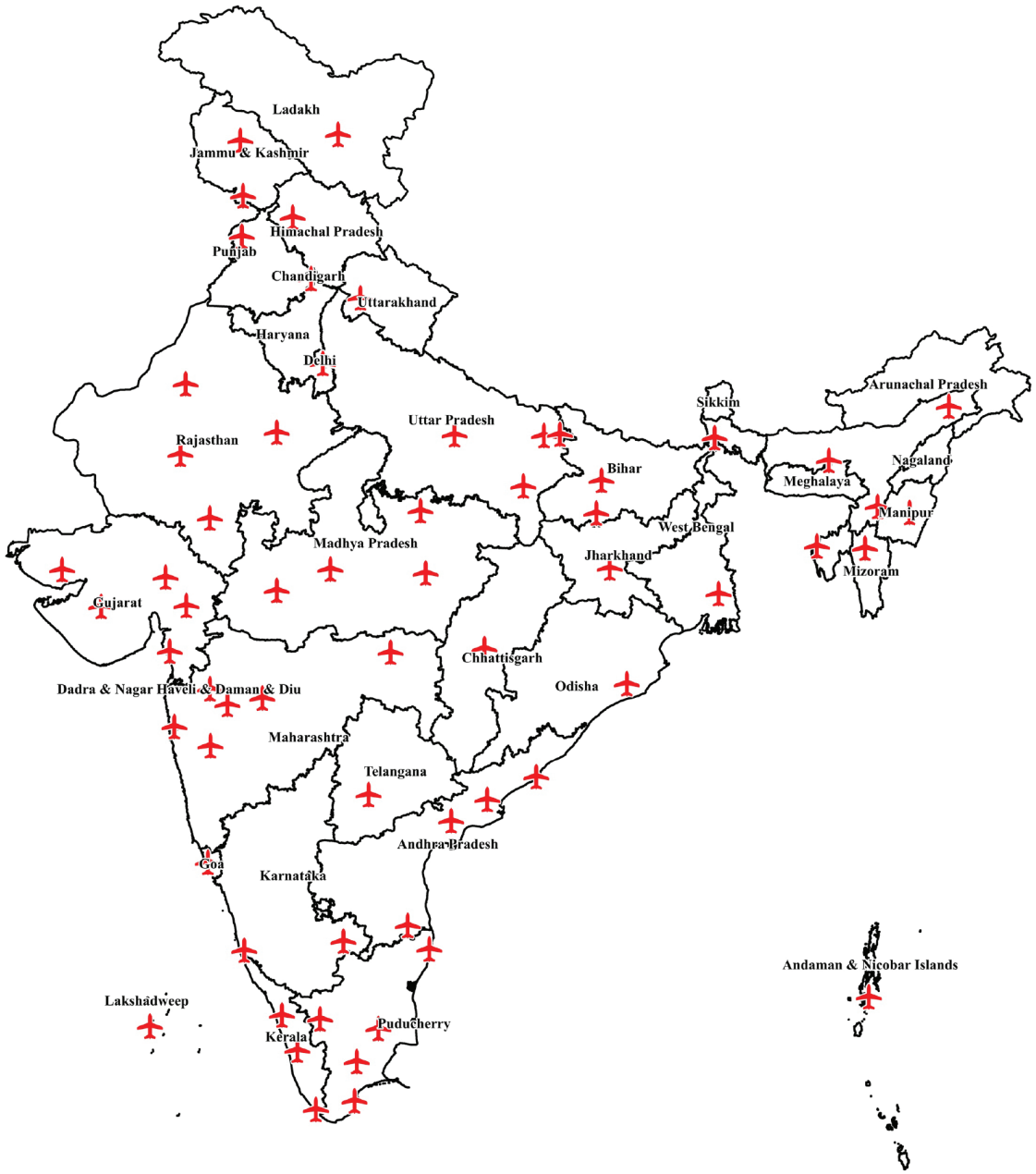

Year	No. of Operationalised Airports (Pre- UDAN)
November, 2016	62

स्रोत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 3ख: भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या (दिसंबर 2021 तक)

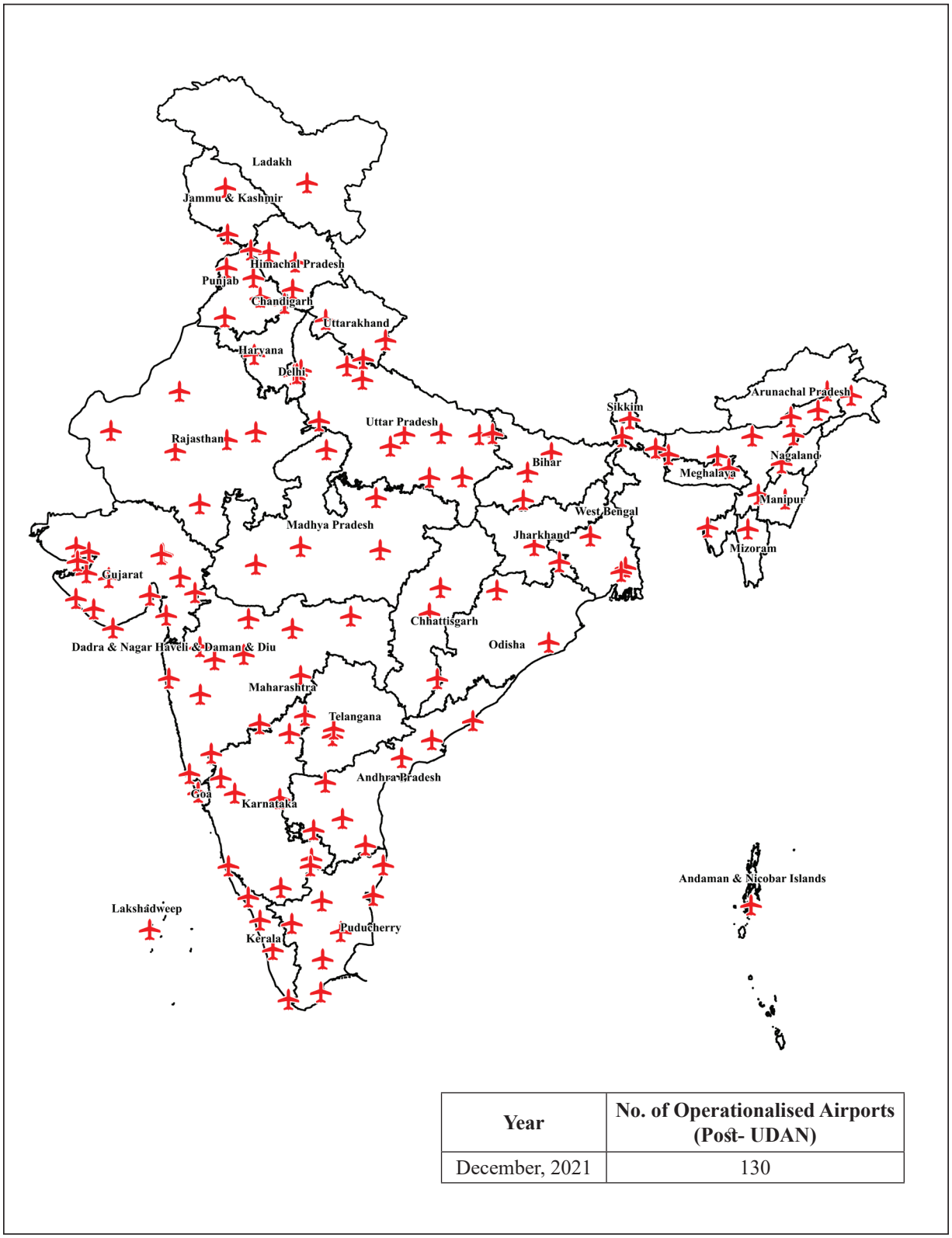

Year	No. of Operationalised Airports (Post- UDAN)
December, 2021	130

स्रोत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 4क: भारत में वाणिज्यिक बैंक शाखाओं का प्रसार (मार्च 2011 तक)

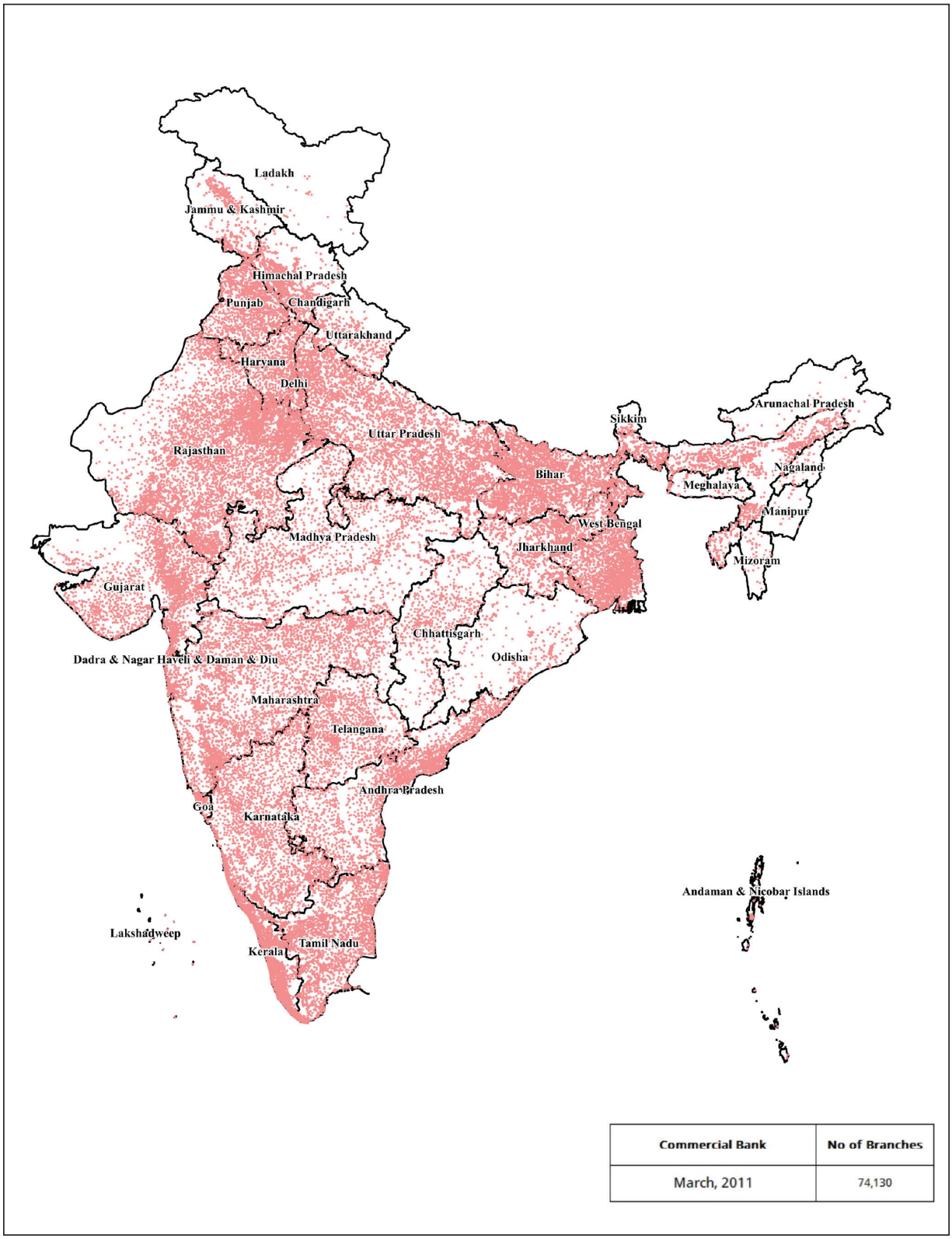

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, मैपमाईइंडिया

चित्र 4ख: भारत में वाणिज्यिक बैंक शाखाओं का प्रसार (मार्च 2021 तक)

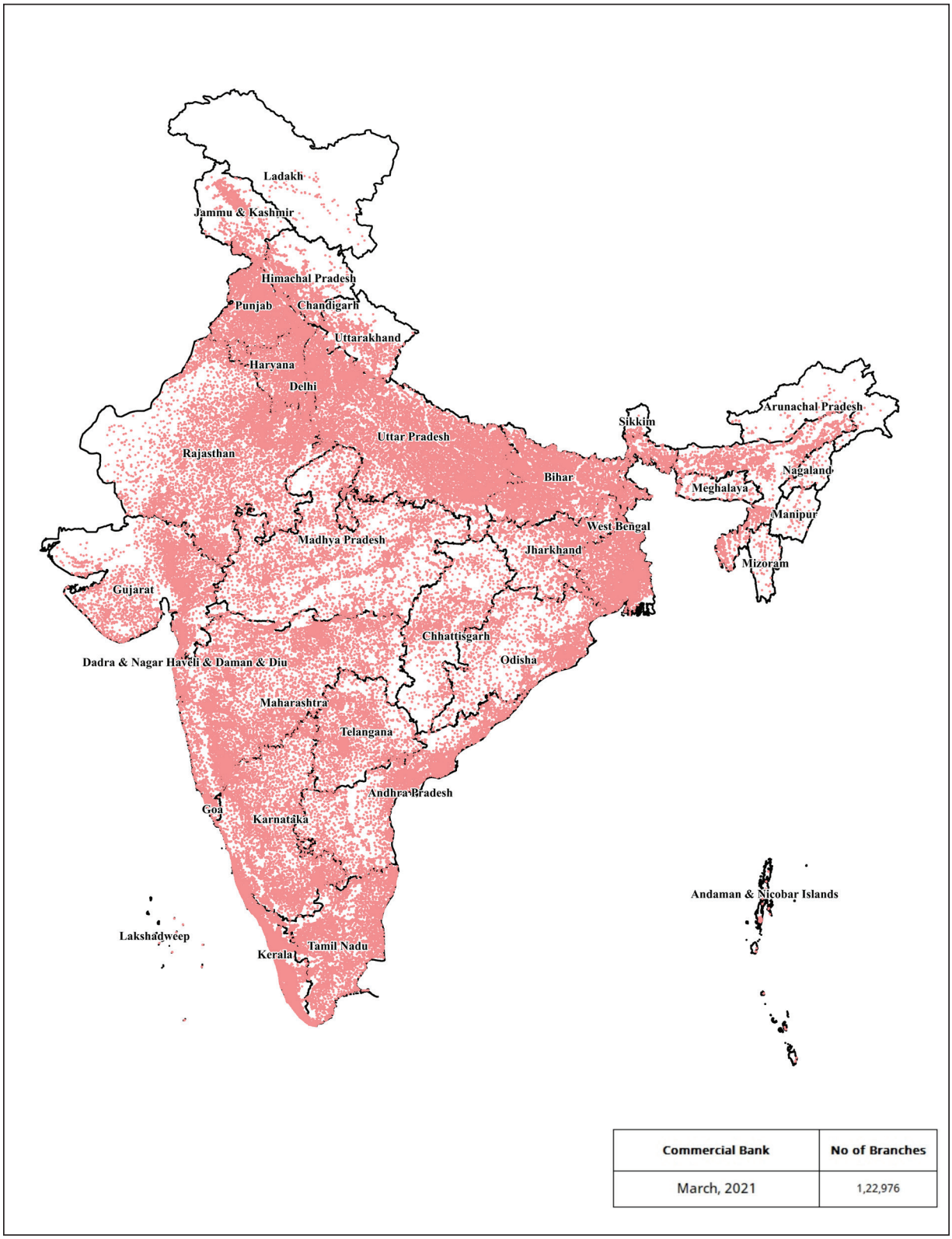

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, मैपमाईइंडिया

चित्र चित्र 5क: भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 2005-06

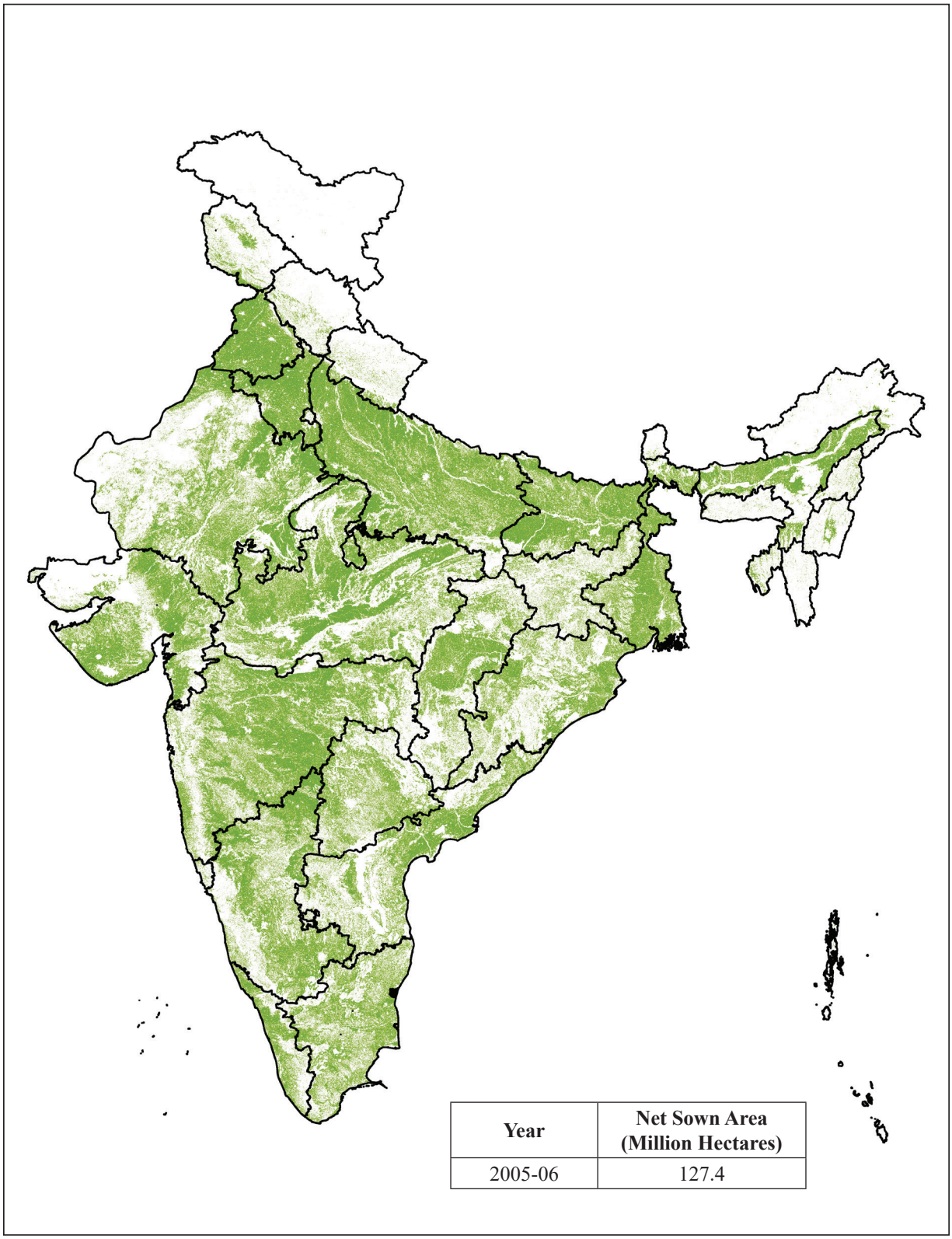

स्रोत: भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

नोट: शुद्ध बोए गए क्षेत्र में फसलों, औषधीय फसलों, वृक्षारोपन, सब्जियाँ, फूलों की खेती और खरीफ, रबी और जैद मौसम के दौरान बाग शामिल हैं। यह बहुअस्थयी AWiFS सेंसर डेटा का रिसोर्ससैट-1/2 उपग्रह उपयोग करके अनुमान लगाया गया है।

चित्र 5खः भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 2020-21

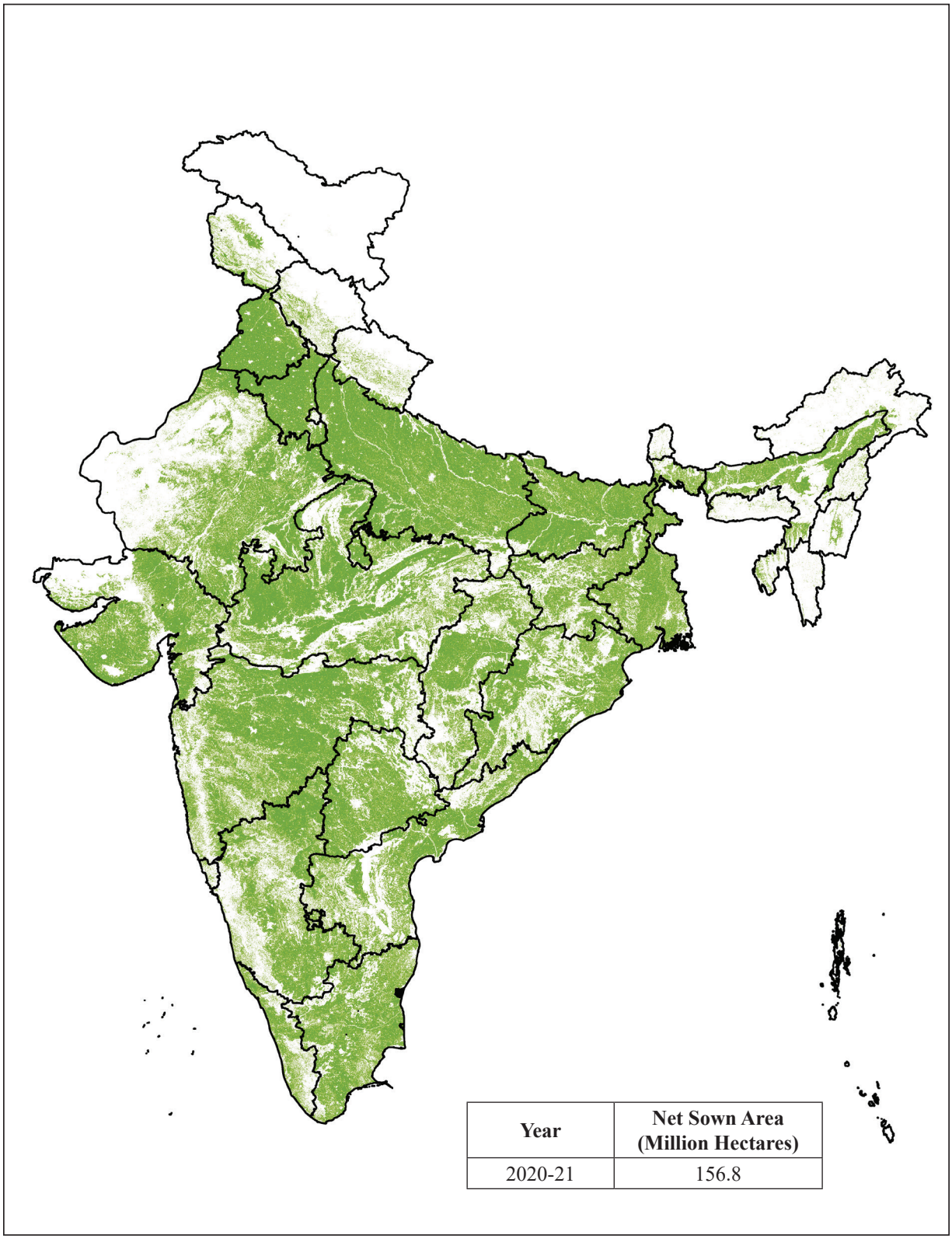

स्रोतः भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

नोटः शुद्ध बोए गए क्षेत्र में फसलों, औषधीय फसलों, वृक्षारोपन, सब्जियाँ, फूलों की खेती और खरीफ, रबी और जैद मौसम के दौरान बाग शामिल हैं। यह बहुअस्थयी AWiFS सेंसर डेटा का रिसोर्ससैट-1/2 उपग्रह उपयोग करके अनुमान लगाया गया है।

चित्र 6क: पंजाब के मोगा जिले में खरीफ फसल चक्र, 2005

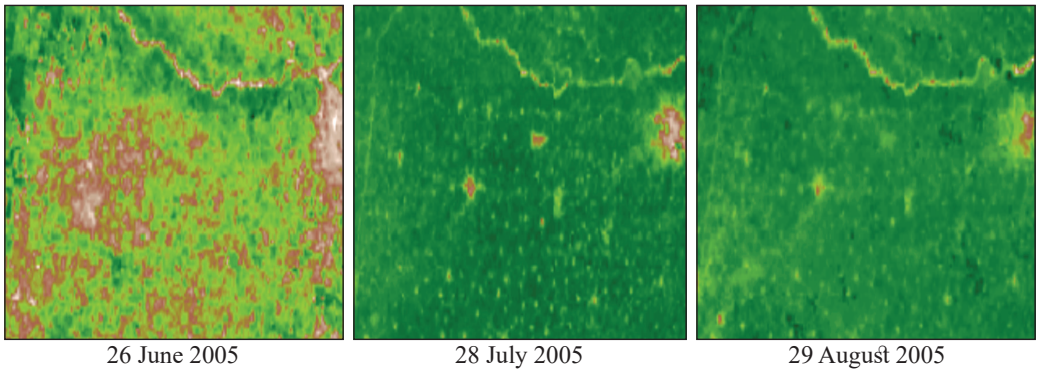

स्रोत: इसरो, मैपमाईइंडिया

चित्र 6ख: पंजाब के मोगा जिले में खरीफ फसल चक्र, 2021

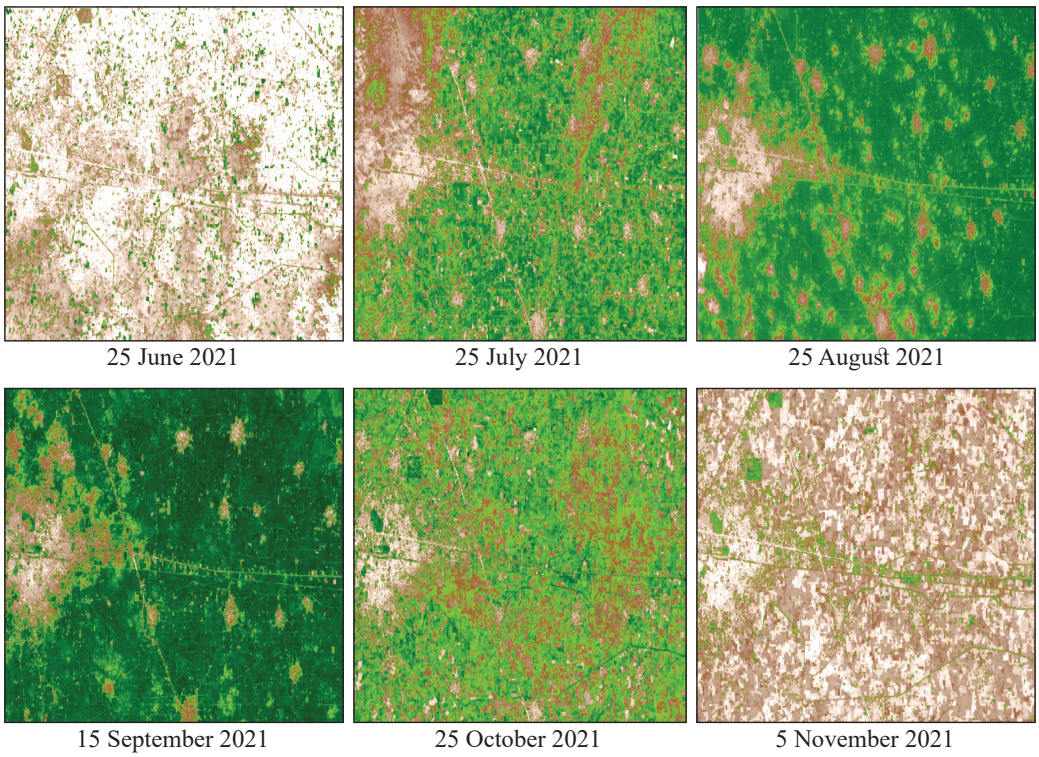

स्रोत: इसरो, मैपमाईइंडिया

चित्र 7कः स्टेनली जलाशय, तमिलनाडु में जल संग्रहण का वार्षिक चक्र, 2016-17

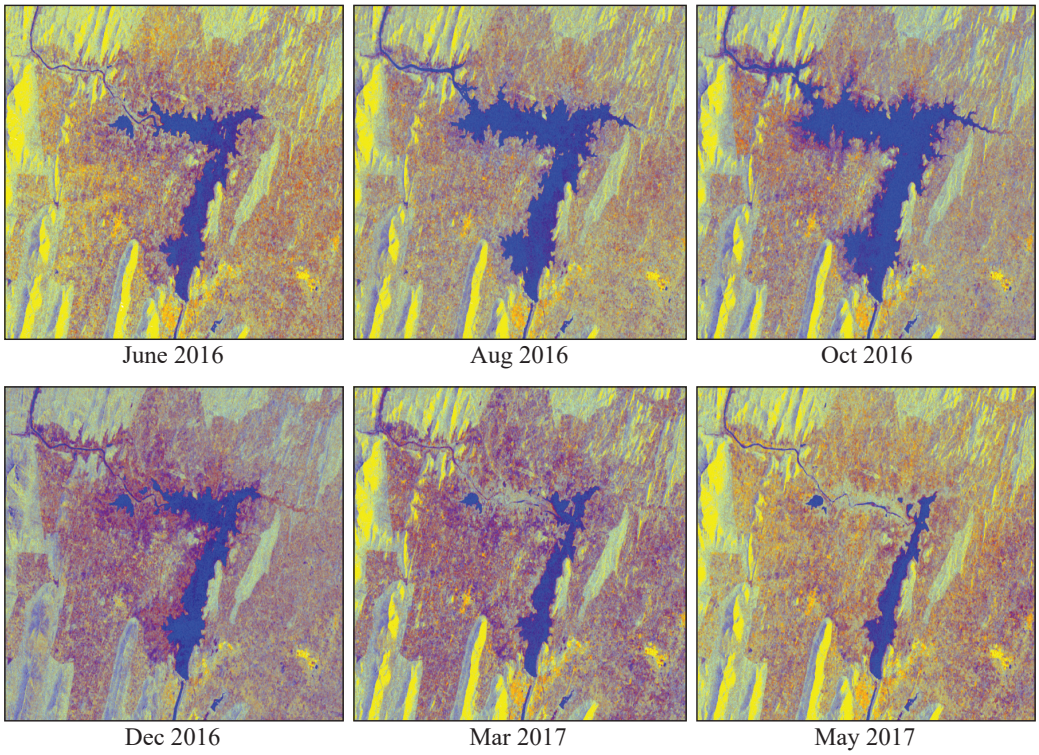

स्रोतः इसरो

चित्र 7खः स्टेनली जलाशय, तमिलनाडु में जल भंडारण का वार्षिक चक्र, 2020-21

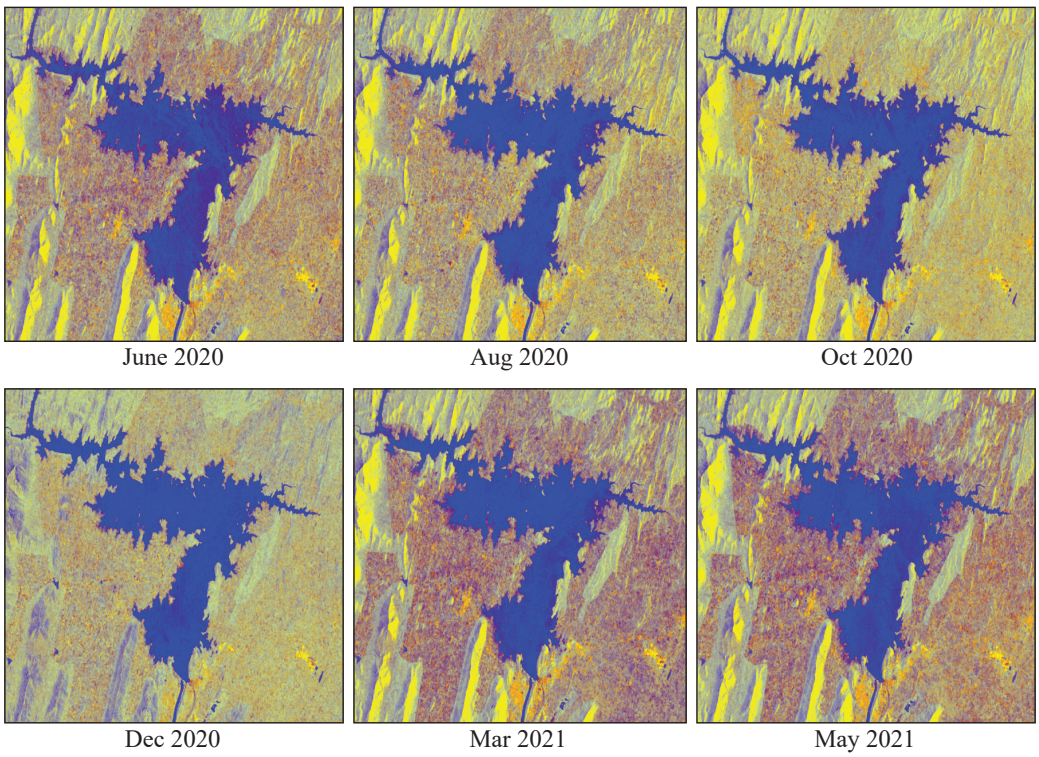

स्रोतः इसरो

चित्र 8कः गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम 2005 की उपग्रह चित्र

चित्र 8खः गोल्फ-कोर्स रोड, गुरुग्राम 2021 की उपग्रह चित्र

स्रोतः नासा, मैपमाईइंडिया

चित्र 9क: दिल्ली एनसीआर में जनसंख्या घनत्व 2001

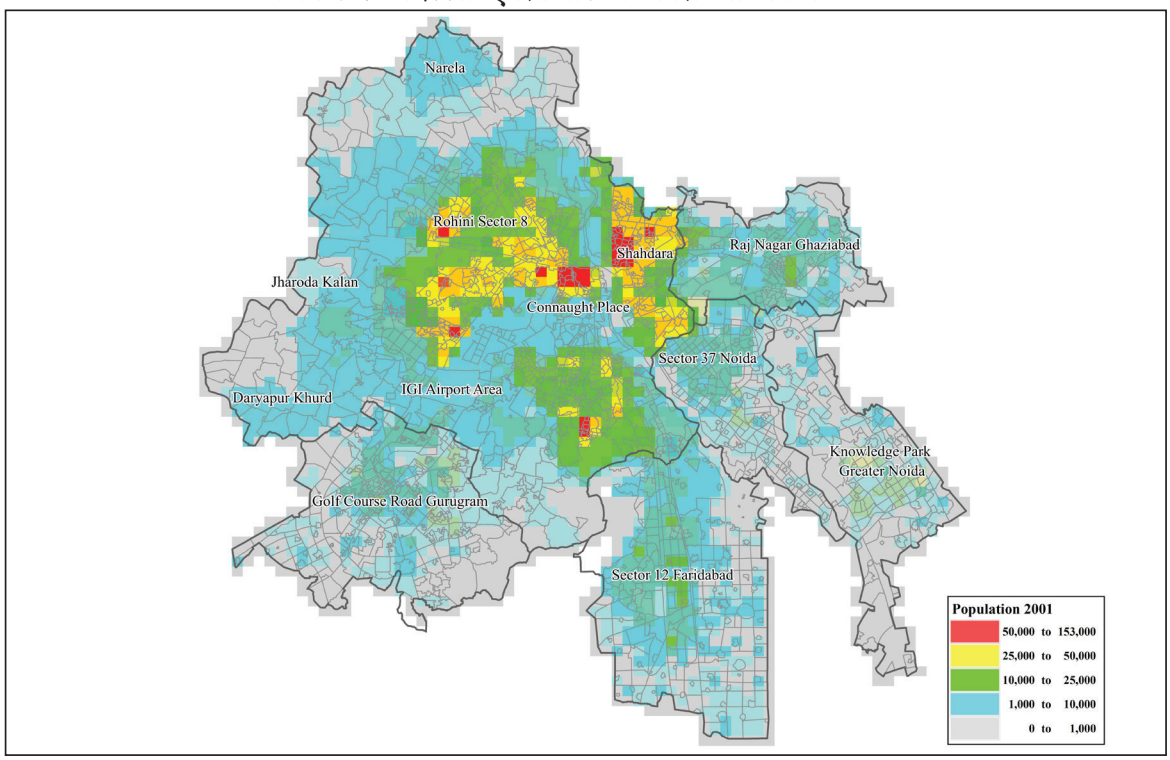

चित्र 9 ख: दिल्ली एनसीआर में जनसंख्या घनत्व 2021

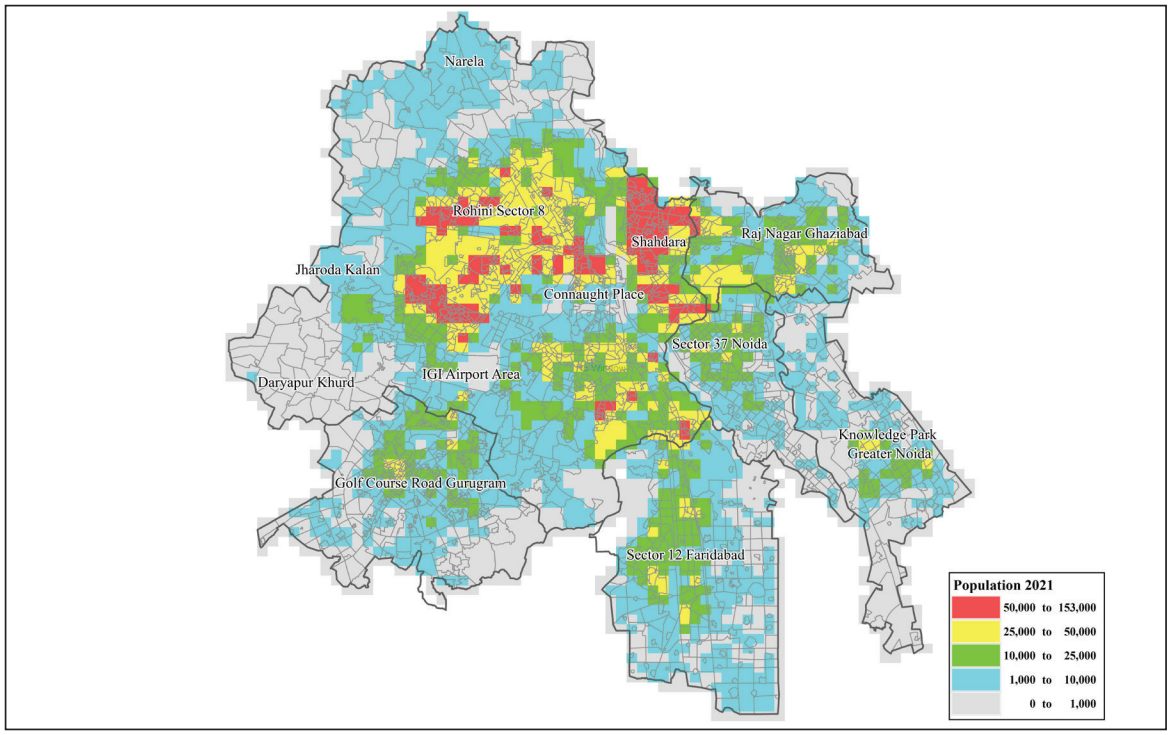

स्रोत: मैपमाईइंडिया

नोट: भू-स्थानिक तंत्र का उपयोग करके जनसंख्या घनत्व का अनुमान लगाया गया है और यह जनगणना के आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता है।

चित्र 10क : बागमने टेक पार्क, बेंगलुरु 2002 की उपग्रह चित्र

चित्र 10ख : बागमने टेक पार्क, बेंगलुरु 2021 की उपग्रह चित्र

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 11क: ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 2001

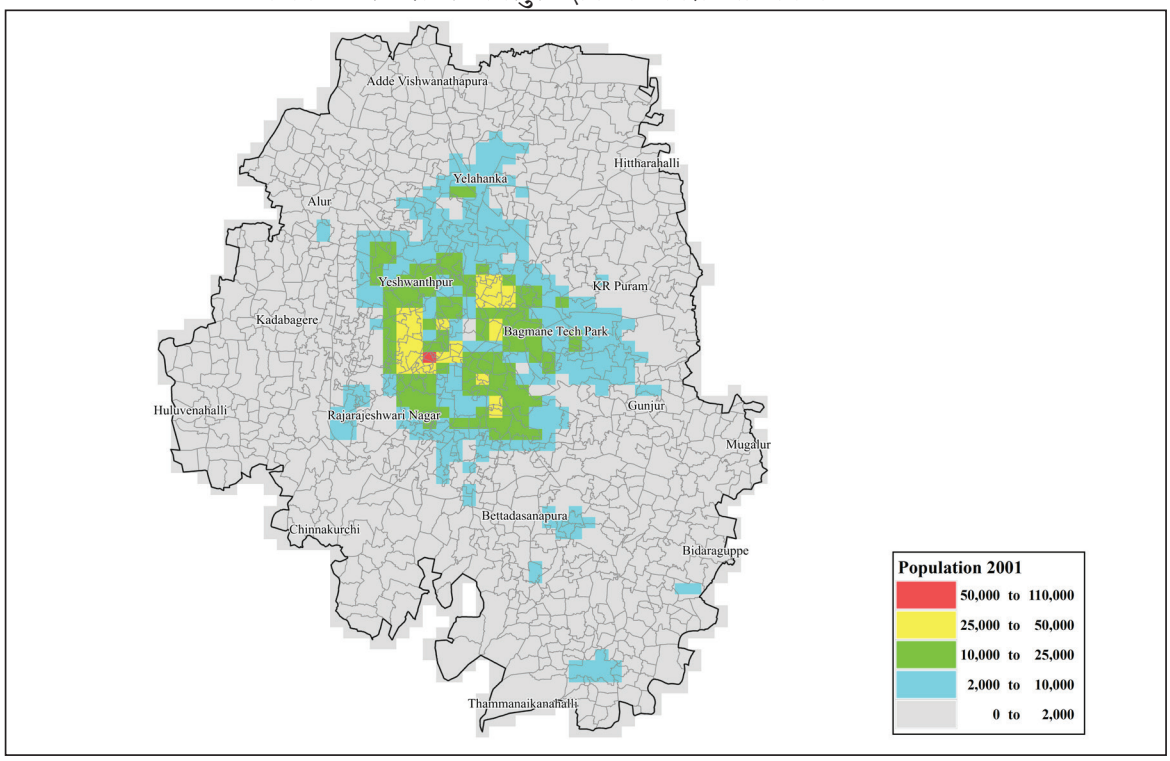

चित्र 11ख : ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 2021

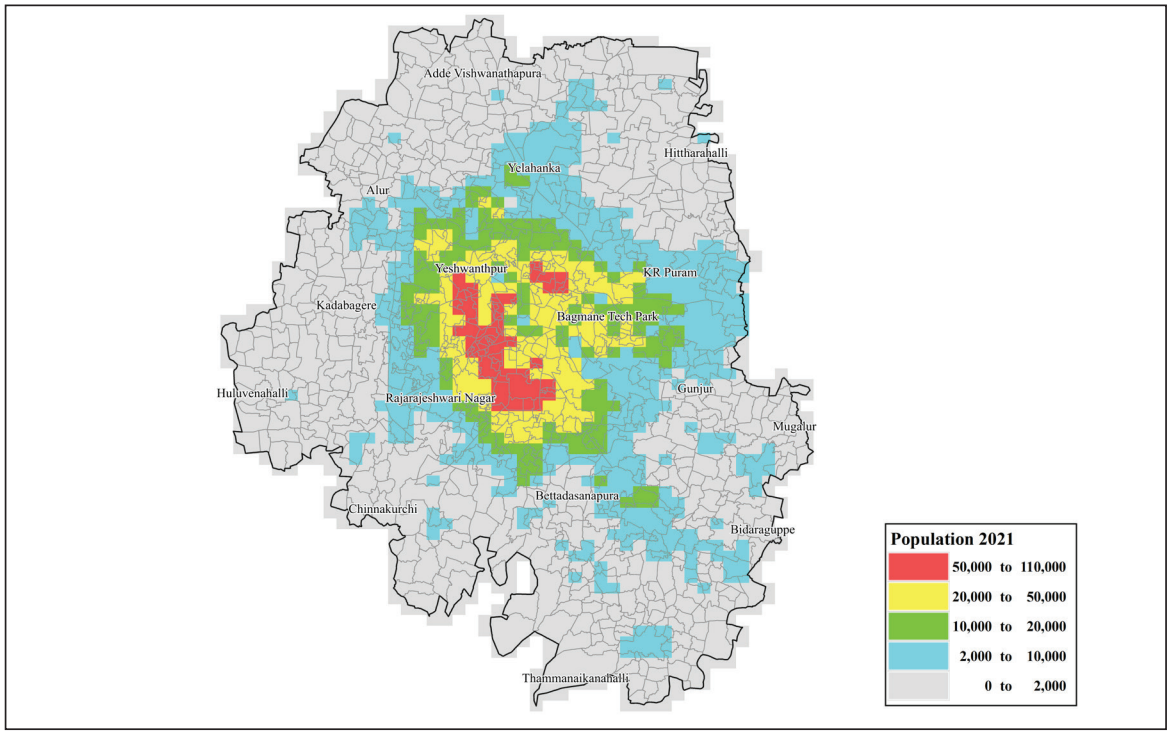

स्रोत: मैपमाईइंडिया

नोट: भू-स्थानिक तंत्र का उपयोग करके जनसंख्या घनत्व का अनुमान लगाया गया है और यह जनगणना के आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता है।

चित्र 12क : बांद्रा-कुर्ला, मुंबई 2001 की उपग्रह चित्र

चित्र 12ख: बांद्रा-कुर्ला, मुंबई 2021 की उपग्रह चित्र

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 13क : दिल्ली मेट्रो-रेल नेटवर्क 2011

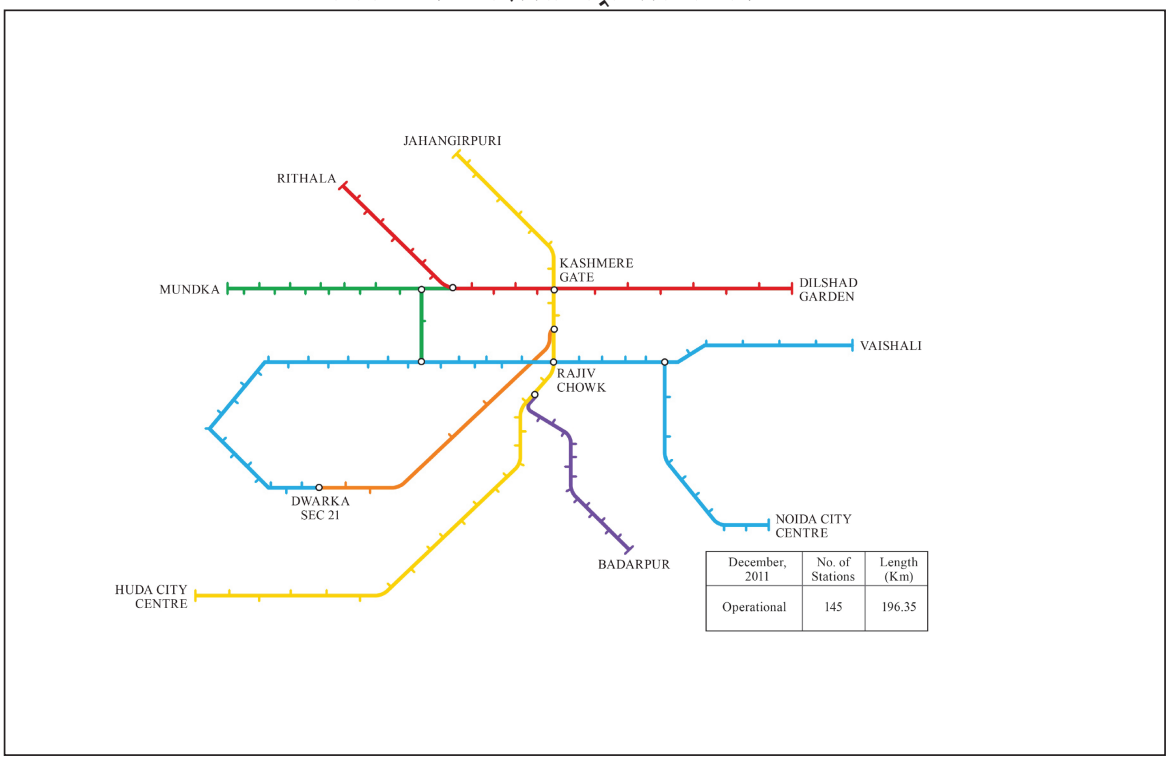

December, 2011	No. of Stations	Length (Km)
Operational	145	196.35

चित्र 13ख : दिल्ली मेट्रो-रेल नेटवर्क 2021

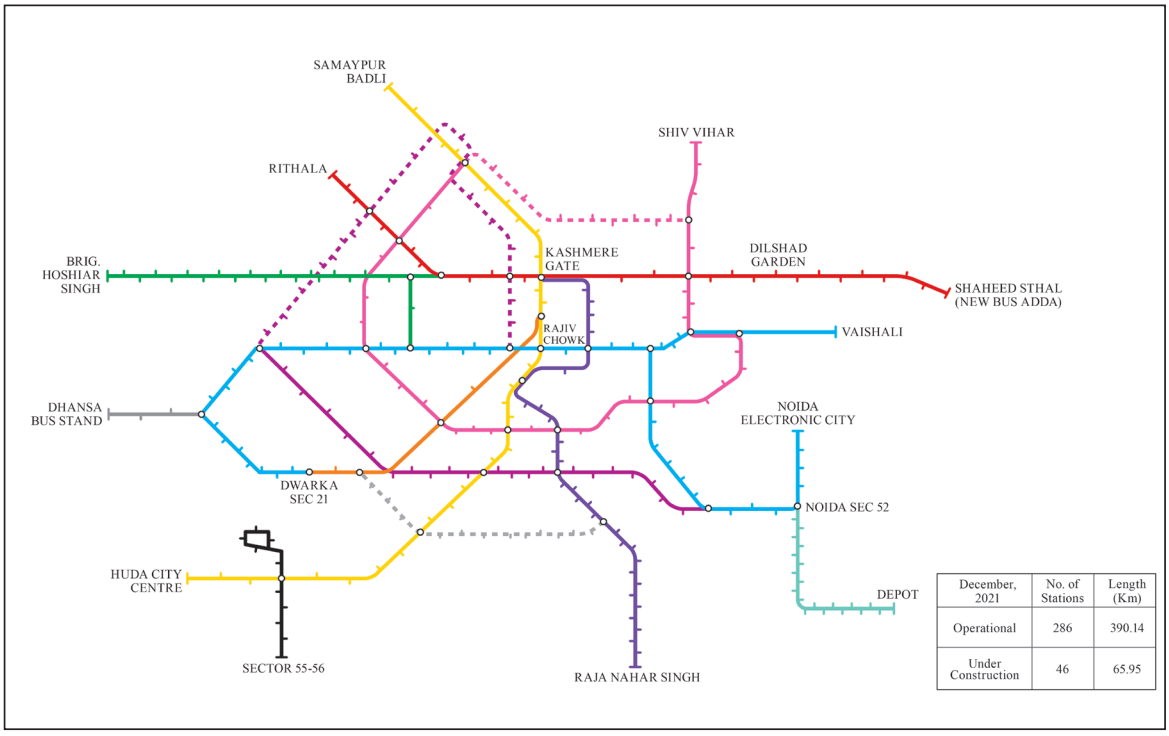

December, 2021	No. of Stations	Length (Km)
Operational	286	390.14
Under Construction	46	65.95

स्रोत: Delhi Metro Rail Corporation, मैपमाईइंडिया

चित्र 14क : बैंगलोर मेट्रो-रेल नेटवर्क 2011

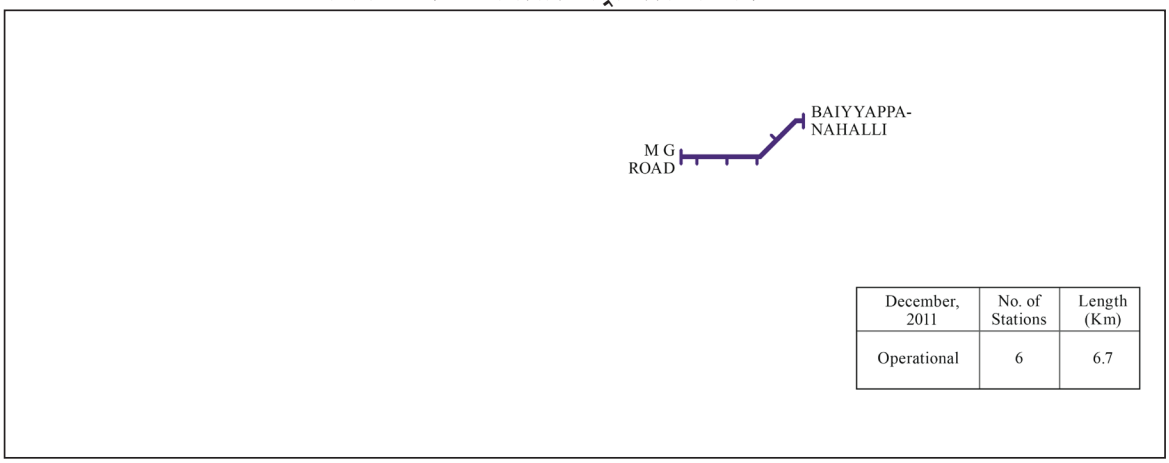

December, 2011	No. of Stations	Length (Km)
Operational	6	6.7

चित्र 14ख: बैंगलोर मेट्रो-रेल नेटवर्क 2021

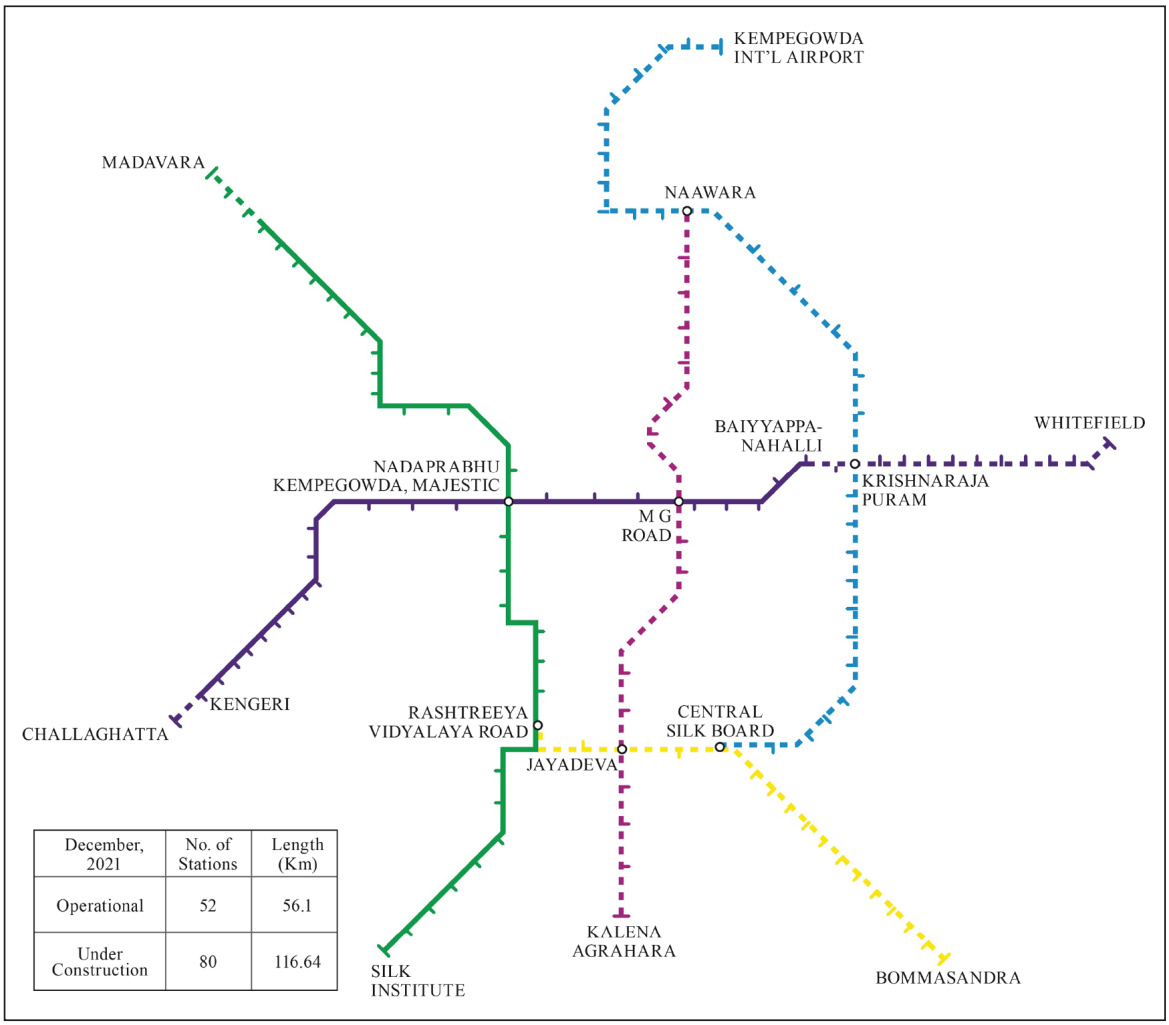

December, 2021	No. of Stations	Length (Km)
Operational	52	56.1
Under Construction	80	116.64

स्रोत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मैपमाईइंडिया

चित्र 15क : कोलकाता मेट्रो-रेल नेटवर्क 2011

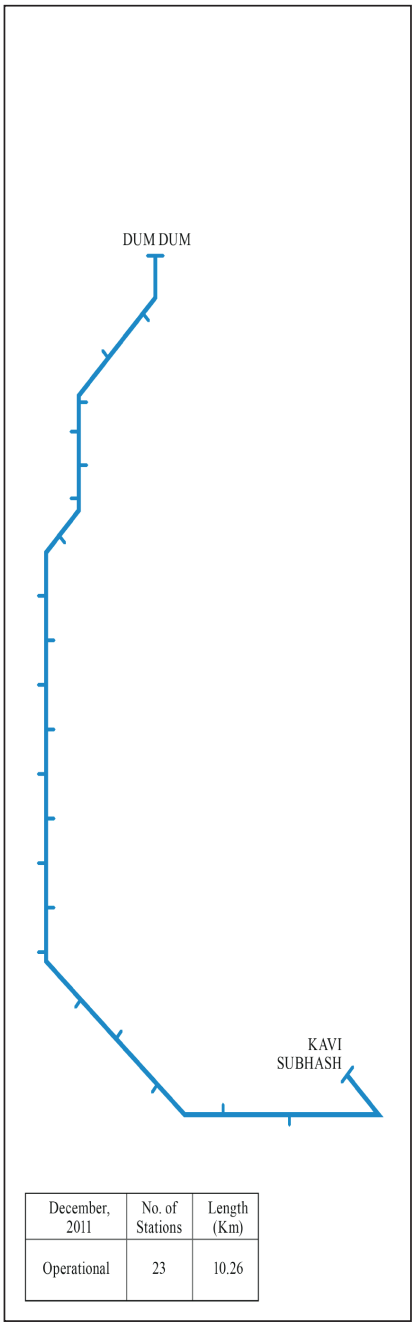

December, 2011	No. of Stations	Length (Km)
Operational	23	10.26

चित्र 15ख : कोलकाता मेट्रो-रेल नेटवर्क 2021

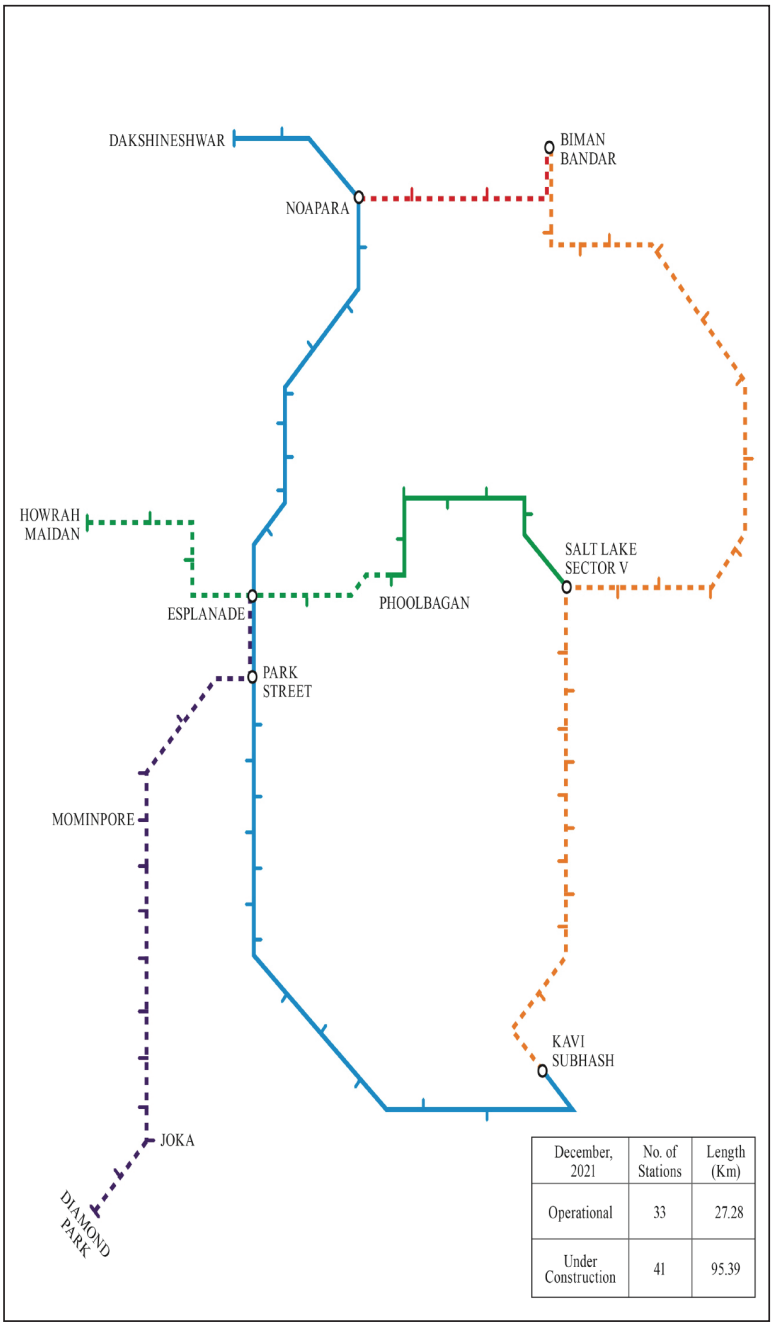

December, 2021	No. of Stations	Length (Km)
Operational	33	27.28
Under Construction	41	95.39

स्रोत: कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मैपमाईइंडिया

चित्र 16: विभिन्न शहरों में मेट्रो-रेल नेटवर्क 2021

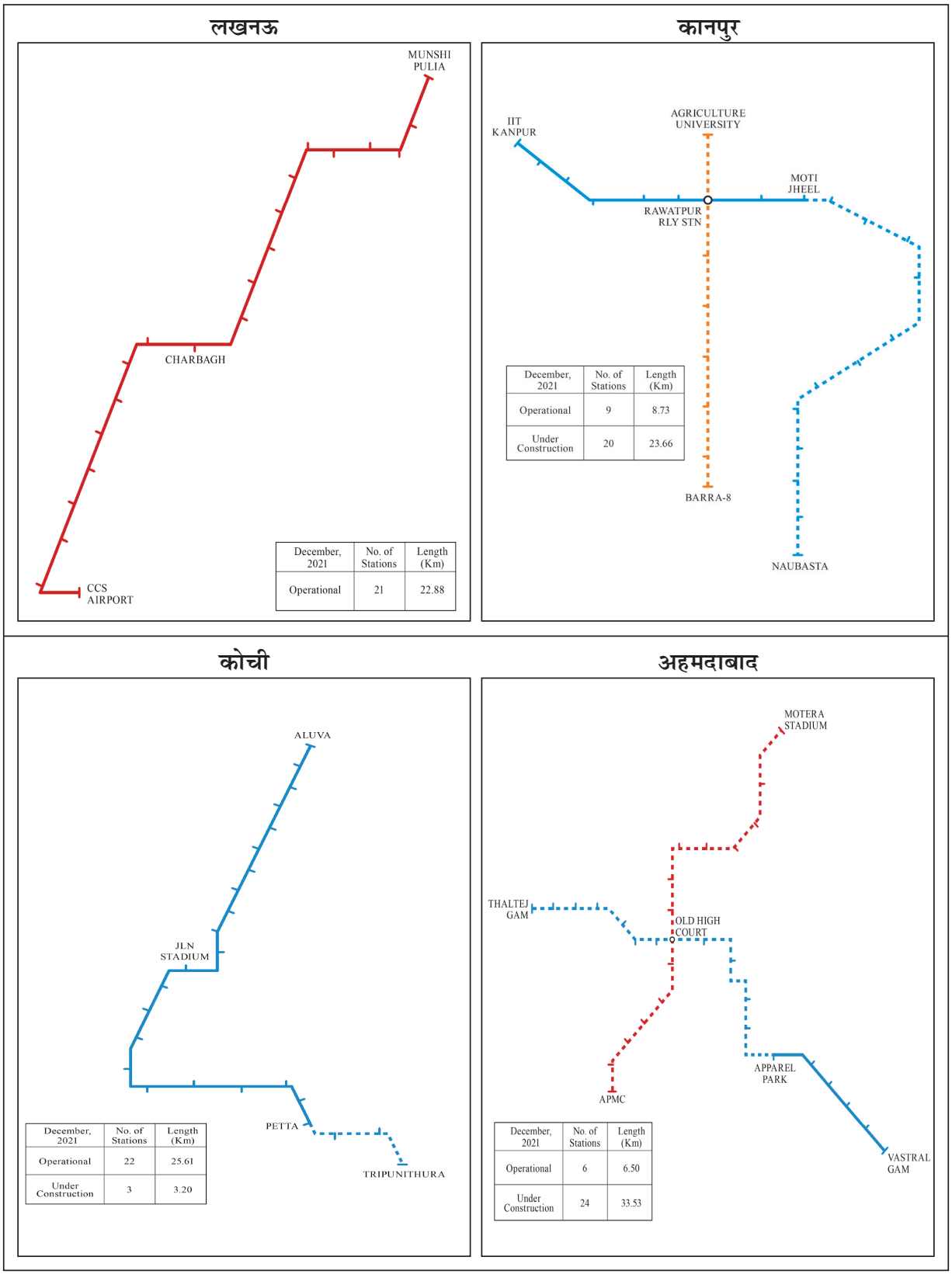

स्रोत: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
चित्र सौजन्य: मैपमाईइंडिया